खण्ड-472, अंक-3
गुरूवार, 8 माघ, शक संवत् 1931
(28 जनवरी, 2010 ई0)

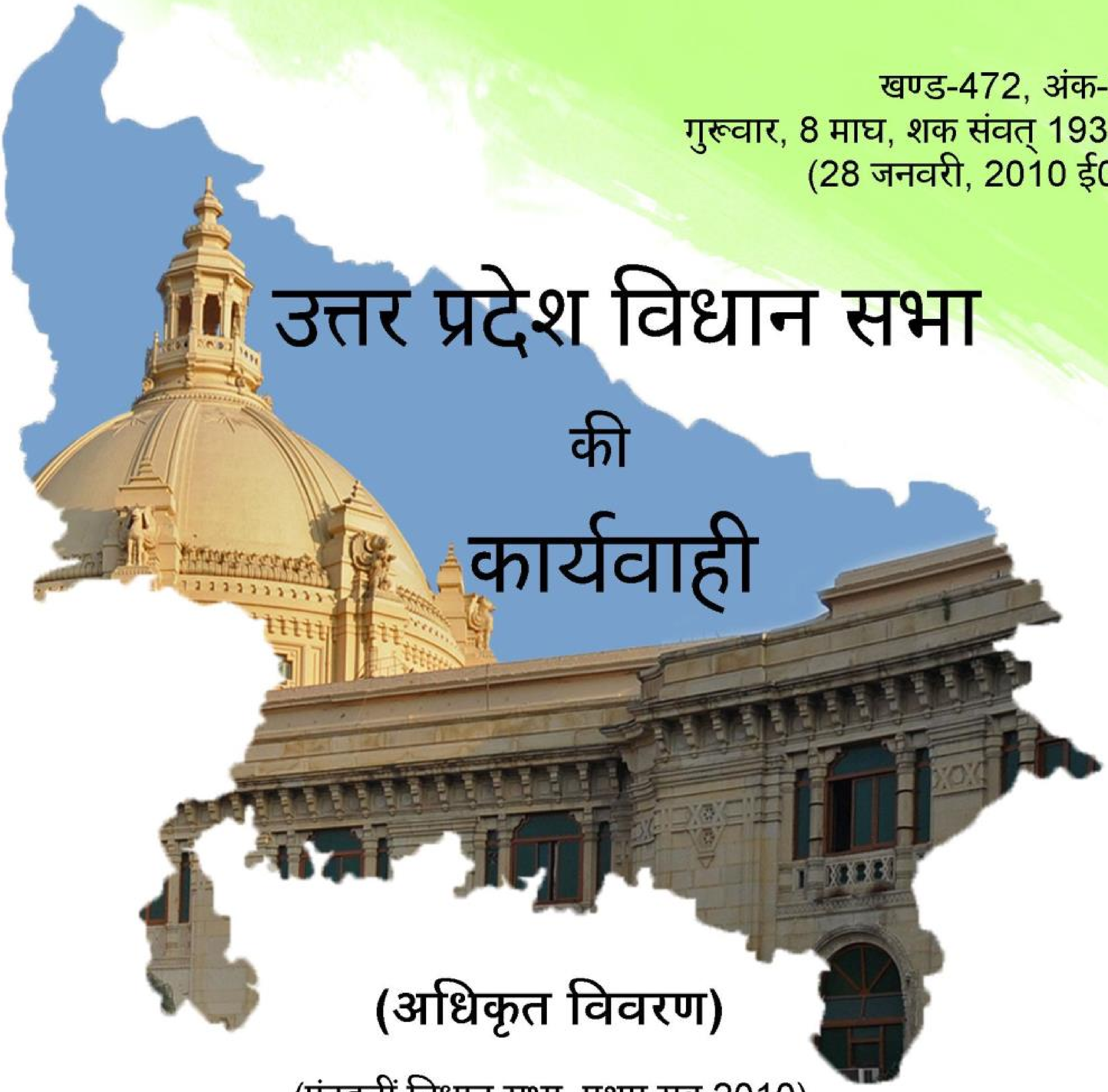

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2010)

खण्ड 472 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2010

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
विभिन्न विषयों से सम्बन्धित नियम-311 की सूचनाओं को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग	7-8
प्रश्नोत्तर	8-103
उत्तर प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्यों सर्वश्री राम औतार मिश्रा, राम दवर अधिवक्ता, भुवनेश भूषण, घुरहू, घूम प्रसाद, राज बहादुर द्विवेदी, धर्मवीर सिंह, दिनेश सिंह, झग्गड़ सिंह, इम्तियाज मोहम्मद खां, शम्भू नाथ, रमेश चन्द्र शुक्ल, अश्विनी कुमार, नागेश्वर प्रसाद, सुरेन्द्र सिंह, बैजनाथ यादव तथा वीरसेन के निधन पर शोकोद्गार	103-109
प्रसिद्ध मार्क्सवादी नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य मंत्री ज्योति बसु के निधन पर शोकोद्गार	109
वरिष्ठ समाजवादी नेता श्री जनेश्वर मिश्र के निधन पर शोकोद्गार... ...	109-110
आन्ध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री श्री वाई0 एम0 आर0 रेड्डी के निधन पर शोकोद्गार...	110
प्रदेश में विधान परिषद् के स्थानीय निकाय सम्बन्धी चुनाव में सरकार द्वारा की गई धांधलियों विषयक सूचना	111-112
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं (जारी)...	112-113
जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर के रोडवेज का एक बस स्टैण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	113
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	113-114
जनपद लखीमपुर खीरी में विगत 10 वर्षों से अधिक समय से एक ही तहसील में तैनात लेखपालों के स्थानान्तरण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	114
जनपद उन्नाव के तहसील हसनगंज के ग्राम अजगैन में अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के आबादी के गांव में विद्युत लाइन बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	115
जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत खराब/ध्वस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	115
जनपद आजमगढ़ के मेंहनगर ब्लाक में रामगढ़ देवकली मार्ग पर मगई नदी पर बने क्षतिग्रस्त पुल को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	115

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बदायूं नगर में सोत नदी पर नवीन पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	116
जनपद फैजाबाद के अयोध्या विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	116
राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर अवस्थित कस्बा एत्मादपुर से खदौली जनपद आगरा, ताजपुर जनपद महामायानगर बाग उमरा मथुरा मार्ग का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	117
जनपद बलरामपुर में किसानों की धान खरीद में अनियमितता तथा सरकार द्वारा कम धान खरीदने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	117
जनपद प्रतापगढ़ पट्टी विधान सभा के अन्तर्गत पूर्वांचल विकास निधि से दिये गये गांवों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	117-118
आयुष (आयुर्वेदिक, यूनानी सिद्ध व होम्योपैथी) चिकित्सा पद्धति जैसे प्राकृतिक पद्धति एलोपैथ की तरह सरकार द्वारा विशेष संरक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	118
पूर्वी उत्तर प्रदेश के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिये गोरखपुर स्थित रामगढ़ झील सौन्दर्यीकरण परियोजना को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	119
जनपद शाहजहांपुर तथा जनपद खीरी एवं जनपद हरदोई से सुतनेहरा गांव से बहता हुआ सुखेता नाले की खुदाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	120
जनपद गोण्डा के तहसील तरबगंज में अयोध्या प्रसाद बच्चूलाल उ0 मा0 विद्यालय के कर्मचारियों द्वारा फर्जी हस्ताक्षर कर विद्यालय की प्रबन्ध समिति बदलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	120-121
नियम-300 की सूचनाएं लिये जाने का अनुरोध	121
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	121-140
नियम 300 की सूचनाओं के सम्बन्ध में पीठ की व्यवस्था	140
लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-17/2007 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	141

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् के वित्तीय वर्ष 2002-2003 के पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (आर्थिक चिट्ठा) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	141
न्याय अनुभाग-8 (लेखा) की अधिसूचना संख्या-ए-368/सात-न्याय-8-09-26/12/2006 दिनांक 26 अक्टूबर,.2009 (सदन के पटल पर रखी गयी)..	141
न्याय अनुभाग-8 (लेखा) की अधिसूचना संख्या-ए-367/सात-न्याय-8-09-26/12/2006 दिनांक 26 अक्टूबर, 2009 (सदन के पटल पर रखी गयी)..	141
न्याय अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्या-1011/सात-न्याय-7-2009-50/97 दिनांक 26 अक्टूबर, 2009 (सदन के पटल पर रखी गयी)	141
उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-सी0 पी0 490/84-2-2009-सी0पी0 41-90 टी0सी0 दिनांक 27 अगस्त, 2009 (सदन के पटल पर रखी गयी)...	141
यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 का वार्षिक प्रतिवेदन 2006-2007 (सदन के पटल पर रखा गया)	142
लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-10-2009 को (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	142
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुये वर्ष के लिये (राजस्व प्राप्तियां) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	142
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन, 2001 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)...	142
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन, 2006 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)...	142
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन, 2007 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)...	143
उत्तर प्रदेश की पन्द्रहवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2009 (दिनांक 31-7-2009 से दि0 07-08-2009 तक) उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)... ...	143
राज्य विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल विधेयक, 2010 (पुरःस्थापित)	143
महाप्रशासक (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010 (पुरःस्थापित)... ...	143-144
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2010 (पुरःस्थापित)	144

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	145-146
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव (जारी)	147-223
नियम-56 तथा नियम-300 की आज की सभी सूचनाओं को दिनांक 1 फरवरी, 2010 को लिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी	223-224
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	224-225
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अध्यादेश, 2009 के अननुमोदन का संकल्प तथा संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010 (संकल्प अस्वीकृत विधेयक पारित) ...	226-231
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2009 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2010 (संकल्प अस्वीकृत विधेयक पारित)	232-243
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	243-245
मेसर्स रिलायंस एनर्जी जेनरेशन लिमिटेड को दी गई हजारों एकड़ भूमि वापस लेने व सरकार द्वारा गैस आधारित पावर प्लान्ट स्वयं लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य	245-247
प्रदेश की जेलों में निरुद्ध बन्दियों द्वारा जेल के भीतर की गई मजदूरी का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य ...	247
प्रदेशके किसानों को कृषि विभाग व हार्टिकल्चर विभाग द्वारा सुविधा की जानकारी न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृषि मंत्री का वक्तव्य	248-253
नत्थियां	254-422

संसदीय प्रलेख

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 28 जनवरी, 2010

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-350

1. अंगद यादव, श्री — आजमगढ़
2. अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
3. अकीलुर्रहमान खाँ, श्री — मुरादाबाद
4. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
5. अजय पाल सिंह, कुंवर — रायबरेली
6. अजय यादव, श्री — एटा
7. अजय सिंह, श्री — जालौन
8. अनन्त मिश्रा, श्री — फर्रुखाबाद
9. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
10. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
11. अनिल कुमार अहिरवार, श्री — महोबा
12. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
13. अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
14. अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
15. अनिल चौधरी, डा0 — हाथरस (महामायानगर)
16. अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
17. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
18. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
19. अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
20. अब्दुल वारिस खाँ, श्री — मुजफ्फरनगर
21. अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री — फैजाबाद
22. अमरमणि त्रिपाठी, श्री — महराजगंज
23. अमरेश कुमार शुक्ल, श्री — बाराबंकी
24. अमेरिका प्रधान, श्री — गाजीपुर
25. अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
26. अम्बिका सिंह, श्री — गोरखपुर
27. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
28. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
29. अरविन्द गिरि, श्री — लखीमपुर खीरी
30. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
31. अरूणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
32. अलाउद्दीन, श्री — बलरामपुर
33. अलीम हाजी, श्री — बुलन्दशहर
34. अवध पाल सिंह यादव, श्री — एटा
35. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
36. अवधेश वर्मा, श्री — शाहजहाँपुर
37. अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री — महराजगंज
38. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
39. अशोक कंसल, श्री — मुजफ्फरनगर
40. अशोक कुमार दोहरे, श्री — औरैया
41. अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
42. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
43. अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
44. आदित्य पाण्डेय, श्री — फतेहपुर
45. आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री — इलाहाबाद
46. आर0 ए0 उस्मानी श्री, — लखीमपुर खीरी
47. आर0 के0 चौधरी, श्री — लखनऊ
48. आर0 के0 शर्मा, पंडित — बरेली
49. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — गोण्डा

50. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
51. आसिफ, श्री हरदोई
52. इकबाल महमूद, श्री मुरादाबाद
53. इमरान महसूद, श्री सहारनपुर
54. इरफान सोलंकी, श्री कानपुर नगर
55. ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री सिद्धार्थनगर
56. उदयभान करवरिया, श्री इलाहाबाद
57. उदयराज, श्री उन्नाव
58. उदयलाल मौर्य, श्री वाराणसी
59. उमलेश यादव, श्रीमती बदायूँ
60. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
61. ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
62. ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री सुल्तानपुर
63. ओमवती देवी, श्रीमती बिजनौर
64. कमलेश चन्द दिवाकर, श्री कानपुर देहात
65. काजिम अली खाँ उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
66. कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
67. कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर
68. काशीराम, श्री रामपुर
69. कुवेर सिंह, श्री एटा
70. कुलदीप सिंह गंगवार, श्री फर्रूखाबाद
71. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
72. कृपा शंकर सिंह, श्री उन्नाव
73. कृष्ण कुमार, श्री बहराइच
74. कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री हरदोई
75. कृष्ण गोपाल पटेल, श्री लखीमपुर खीरी
76. कृष्णाराज, श्रीमती लखीमपुर खीरी
77. के0 के0 सचान, डा0 जौनपुर
78. केदारनाथ वर्मा, श्री बलिया
79. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
80. कैलाश साहू, श्री झांसी
81. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
82. कौकब हमीद खाँ, श्री बागपत
83. कौशल किशोर, डा0 लखीमपुर खीरी
84. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
85. गिरीश चन्द्र, श्री मुरादाबाद
86. गुटियारी लाल दुबेश, श्री आगरा
87. गुरू प्रसाद मौर्य, श्री इलाहाबाद
88. गुलाम मोहम्मद खान, श्री बहराइच
89. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस (महामायानगर)
90. घूराराम, श्री बलिया
91. चन्द्रदेव, श्री आजमगढ़
92. चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री सुल्तानपुर
93. चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री सिद्धार्थनगर
94. छत्रपाल सिंह, श्री बरेली
95. जगदीश नारायण, श्री जौनपुर
96. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
97. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
98. जगपाल, श्री सहारनपुर
99. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
100. जावेद अंसारी एडवोकेट, श्री जौनपुर
101. जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री चन्दौली
102. जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
103. जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री फैजाबाद
104. जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री आगरा
105. जोखू लाल यादव, श्री इलाहाबाद
106. ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0 वाराणसी
107. ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री फर्रूखाबाद
108. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
109. दद्दन मिश्रा, श्री श्रावस्ती
110. दद्दू प्रसाद, श्री चित्रकूट
111. दशरथ प्रसाद चौहान, श्री सन्तकबीरनगर
112. दाउद अहमद, श्री हरदोई
113. दिनेश प्रसाद, श्री चित्रकूट
114. दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया

115. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
116. दीप नारायण सिंह दीपक यादव, श्री झाँसी
117. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
118. दूधराम, श्री बस्ती
119. धर्मपाल, श्री गाजियाबाद
120. धर्मपाल यादव
डी0पी0 यादव, श्री बदायूँ
121. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
122. धर्म सिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
123. धर्मी रावत, श्रीमती बाराबंकी
124. धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री बरेली
125. धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री बलरामपुर
126. धीरेन्द्र प्रसाद, श्री शाहजहांपुर
127. धू राम लोधी, (चौधरी), श्री हमीरपुर
128. नकुल दूबे, श्री लखनऊ
129. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
130. नन्दिता शुक्ला, श्रीमती गोण्डा
131. नरेन्द्र सिंह, श्री सीतापुर
132. नारायण सिंह, श्री आगरा
133. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
134. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
135. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहाँपुर
136. पंकज कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
137. पशुपति, श्री गाजीपुर
138. पी0 के0 राय, डा0 कुशीनगर
139. पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री बाँदा
140. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
141. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
142. प्रजापालन, श्री एटा
143. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
144. प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री बदायूं
145. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
146. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
147. प्रमोद सिंह, श्री देवरिया
148. प्रेमलता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
149. फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
150. फरहत हसन, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
151. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
152. फसीहा बशीर चौधरी
(गजाला लारी),श्रीमती देवरिया
153. फागू, श्री मऊ
154. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
155. बलबीर, श्री मुजफ्फरनगर
156. बलराम सिंह सैनी, श्री मुरादाबाद
157. बादशाह सिंह, श्री हमीरपुर
158. बिरजू राम, श्री जौनपुर
159. बृजेश सौरभ, श्री प्रतापगढ़
160. बैजनाथ दूबे, श्री गोण्डा
161. ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
162. भगवत शरण गंगवार, श्री बरेली
163. भगवती प्रसाद सागर, श्री झाँसी
164. भगवान दास, श्री सन्तकबीरनगर
165. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
166. भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
167. भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री इटावा
168. भोला पासवान, श्री आजमगढ़
169. मंजू, श्रीमती बलिया
170. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
171. मदन भैया उर्फ मदन गोपाल, श्री बागपत
172. मधुसूदन शर्मा, श्री आगरा
173. मनोज चौधरी, श्री सहारनपुर
174. ममतेश शाक्य, श्री एटा
175. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
176. महबूब अली, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
177. महिपाल सिंह, श्री सहारनपुर
178. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर

179. महेन्द्र सिंह, श्री अलीगढ़
180. महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री इटावा
181. महेश चन्द्र, श्री औरैया
182. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूँ
183. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर देहात
184. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
185. माधव पासवान, श्री गोरखपुर
186. मिथलेश कटियार, श्रीमती कानपुर देहात
187. मिथिलेश पाल, श्रीमती मुजफ्फरनगर
188. मीता गौतम, कु0 बाराबंकी
189. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
190. मुरलीधर, श्री फतेहपुर
191. मुस्लिम खाँ, श्री बदायूँ
192. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
193. मोहम्मद इकबाल, श्री बिजनौर
194. मोहम्मद इरशाद खान, श्री लखनऊ
195. मोहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
196. मोहम्मद जलील खान, श्री गोण्डा
197. मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
198. मोहम्मद ताबिश खां, श्री सन्तकबीरनगर
199. मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
200. यशपाल सिंह, श्री बिजनौर
201. यशपाल सिंह चौहान, श्री अलीगढ़
202. यसपाल सिंह रावत, श्री गोरखपुर
203. याकूब हाजी, श्री मेरठ
204. योगेन्द्र सागर, श्री बदायूँ
205. योगेश वर्मा, श्री मेरठ
206. रंगनाथ मिश्र, श्री सन्तरविदासनगर (भदोही)
207. रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0 कानपुर देहात
208. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
209. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
210. रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री कुशीनगर
211. रमेश गौतम, श्री गोण्डा
212. रमेश चन्द्र विन्द, डा0 मिर्जापुर
213. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
214. रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री सहारनपुर
215. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
216. राकेश धर त्रिपाठी, डा0 इलाहाबाद
217. राघव लखन पाल शर्मा, श्री सहारनपुर
218. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
219. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
220. राजकुमार सिंह गौतम, डा0 गाजीपुर
221. राजदेव सिंह, श्री जौनपुर
222. राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
223. राजपाल सिंह, श्री गाजियाबाद
224. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
225. राजाराम त्यागी, श्री रायबरेली
226. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
227. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
228. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
229. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
230. राजेन्द्र सिंह, डा0 आगरा
231. राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री गोरखपुर
232. राजेश कुमार, श्री लखीमपुर खीरी
233. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
234. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
235. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
236. राधे लाल रावत, श्री उन्नाव
237. राधे श्याम गुप्ता, श्री फतेहपुर
238. राधेश्याम जायसवाल, डा0 सीतापुर
239. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
240. राम कुमार तिवारी, पण्डित ललितपुर
241. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर

242. रामपाल वर्मा, श्री — हरदोई
243. राम प्रकाश कुशवाहा पी0एच0डी0, श्री — कानपुर नगर
244. राम प्रकाश यादव, श्री — फिरोजाबाद
245. राम प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
246. राम प्रसाद जायसवाल, श्री — देवरिया
247. राम बिशुन आजाद, श्री — गोण्डा
248. रामवीर उपाध्याय, श्री — हाथरस
249. राम शिरोमणि शुक्ल, श्री — प्रतापगढ़
250. राम सागर अकेला, श्री — श्रावस्ती
251. रामसेवक, श्री — सुल्तानपुर
252. रामस्वरूप सिंह, श्री — कानपुर देहात
253. रामहेत भारती, श्री — सीतापुर
254. रियाज अहमद, श्री — पीलीभीत
255. रोशन लाल वर्मा, श्री — शाहजहाँपुर
256. लक्ष्मी नारायण, श्री — मथुरा
257. लखीराम नागर, श्री — मेरठ
258. लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
259. लालजी यादव, श्री — सिद्धार्थनगर
260. लालजी वर्मा, श्री — अम्बेडकरनगर
261. वकार अहमद शाह, डा0 — बहराइच
262. वाचस्पति, श्री — कौशाम्बी
263. वारिस अली, श्री — बहराइच
264. वासुदेव सिंह "बाबा", श्री — बुलन्दशहर
265. विजय कुमार, श्री — गाजीपुर
266. विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री — मुरादाबाद
267. विजय पाल सिंह, श्री — बरेली
268. विजय बहादुर यादव, श्री — गोरखपुर
269. विद्या चौधरी, श्रीमती — आजमगढ़
270. विद्यासागर गुप्त, श्री — लखनऊ
271. विनोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
272. विनोद चतुर्वेदी, श्री — जालौन
273. विनोद सिंह, श्री — सुल्तानपुर
274. विवेक कुमार सिंह, श्री — बांदा
275. विशम्भर सिंह यादव, श्री — बांदा
276. विश्वनाथ, श्री — कुशीनगर
277. वीरेन्द्र कुमार, श्री — हरदोई
278. वीरेन्द्र सिंह, श्री — बरेली
279. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री — बुलन्दशहर
280. बृज सिंह उर्फ बृज कुंवरि, श्रीमती — गोण्डा
281. वेदराम भाटी, श्री — बुलन्दशहर
282. शब्बीर अहमद, श्री — बहराइच
283. शम्भू चौधरी, श्री — कुशीनगर
284. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री — बरेली
285. शहनवाज, श्री — बिजनौर
286. शारदा प्रसाद, श्री — चन्दौली
287. शाहिद मंजूर, श्री — मेरठ
288. शिव गणेश "लोधी", श्री — रायबरेली
289. शिवपाल सिंह यादव, श्री — इटावा
290. शिव प्रसाद यादव, श्री — इटावा
291. शिवबालक पासी, श्री — रायबरेली
292. शिवशंकर, श्री — बलिया
293. शीशराम, श्री — बिजनौर
294. शेख नसीरुद्दीन सिद्दीकी, श्री — फिरोजाबाद
295. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री — जौनपुर
296. श्याम किशोर शुक्ला, श्री — लखनऊ
297. श्याम नरायण यादव, श्री — आजमगढ़
298. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
299. श्रीभगवान पाठक, श्री — बलिया
300. श्रीभगवान शर्मा, श्री — बुलन्दशहर
301. संग्राम सिंह, श्री — बाराबंकी
302. संजय कपूर, श्री — रामपुर
303. संजय कुमार त्रिपाठी, श्री — प्रतापगढ़
304. संजीव दरियाबादी "बन्टी", श्री — कानपुर नगर
305. संध्या, कुमारी — मैनपुरी

306. सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
307. सत्य नारायण जैसल, श्री — सोनभद्र
308. सत्यपाल सिंह, चौ0 — अलीगढ़
309. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री — मेरठ
310. सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री — गौतमबुद्धनगर
311. सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0 — बागपत
312. सदल प्रसाद, श्री — गोरखपुर
313. सनातन पाण्डेय, श्री — बलिया
314. सलिल विश्नोई, श्री — कानपुर नगर
315. सिद्धार्थ शंकर, डा0 — लखनऊ
316. सिनोद कुमार शाक्य, श्री — बदायूँ
317. सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री — गाजीपुर
318. सी0 एम0 प्रसाद, श्री — सोनभद्र
319. सीमा द्विवेदी, श्रीमती — जौनपुर
320. सी0 वी0 इन्निस, श्री — नाम-निर्देशित
321. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री — फतेहपुर
322. सुखदेव राजभर, श्री — आजमगढ़
323. सुखलाल, श्री — पीलीभीत
324. सुधीर कुमार, श्री — उन्नाव
325. सुनील शर्मा, श्री — गाजियाबाद
326. सुन्दर लाल लोधी, श्री — उन्नाव
327. सुन्दर सिंह, श्री — बुलन्दशहर
328. सुभाष, श्री — बलिया
329. सुमन देवी कुशवाहा, श्रीमती — ललितपुर
330. सुभाष पाण्डेय, श्री — जौनपुर
331. सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री — आजमगढ़
332. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री — वाराणसी
333. सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
334. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री — लखनऊ
335. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री — लखनऊ
336. सुरेश तिवारी, श्री — देवरिया
337. सुरेश्वर सिंह, श्री — बहराइच
338. सुल्तान बेग, श्री — बरेली
339. सुशील कुमार, श्री — चन्दौली
340. सूरजपाल सिंह ठाकुर, श्री — आगरा
341. सूरज सिंह शाक्य, श्री — एटा
342. सूर्यभान, श्री — मिर्जापुर
343. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती — गाजीपुर
344. सोबरन सिंह, श्री — मैनपुरी
345. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री — कुशीनगर
346. हरगोविन्द भार्गव, डा0 — सीतापुर
347. हरपाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
348. हरिओम, श्री — जालौन
349. हुकुम सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
350. होराम सिंह, श्री — गौतमबुद्धनगर
351. रिक्त — सिद्धार्थनगर
*352. रिक्त — चन्दौली

नोट :- लोक निर्माण, सिंचाई, आबकारी, आवास तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) तथा भूतत्व एवं खनिकर्म, सहकारिता तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) भी सदन में उपस्थित थे।

विभिन्न विषयों से सम्बन्धित नियम-311 की सूचनाओं को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग

(नेता विरोधी दल के खड़े होने पर)

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-311 में सूचना दी है स्थानीय निकाय के निर्वाचन हुए हैं।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मैं आपकी सूचनायें सुन लूंगा, प्रश्नकाल होने दीजिए। यह जनहित से जुड़े प्रश्न हैं। माननीय चौधरी साहब, मा0 हुकुम सिंह जी, मा0 तिवारी जी प्रश्नकाल होने दीजिए। ओम प्रकाश सिंह जी, प्रश्नकाल होने दीजिए, आप लोग वरिष्ठ लोग हैं। मदद करिये मैं सुनने के लिए तैयार हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है...

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मा0 चौधरी जी मैं सुनने के लिए तैयार हूं लेकिन प्रश्नकाल होने दीजिए यह जनहित से जुड़े सवाल हैं। मैं सुनने के लिए तैयार हूं मैं नियम-56 में आपकी सूचनायें सुन लूंगा। ओम प्रकाश जी, तिवारी जी मैं सुन लूंगा।

श्री अवधेश प्रसाद-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

अभी कहां से व्यवस्था का प्रश्न आ गया अवधेश प्रसाद जी ? निधन के निर्देश के बाद सभी सूचनाओं को सुन लूंगा।

(विपक्ष के सभी सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन को 11.30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 01 मिनट पर सदन की कार्यवाही 11 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 11 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, नियम-311 में मैंने सूचना दी है कि स्थानीय निकाय के पिछले चुनाव में इस कदर धांधली हुई है कि सारी परम्परायें, सारी मान्यतायें टूट गई हैं। मान्यवर, सिर्फ इतना ही नहीं है, जब मैं इस सदन में निवेदन कर रहा था तो सत्ता पक्ष के लोग रावण की तरह अट्टहास कर रहे थे।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, इन्हें अपने जमाने की याद आ रही है।

श्री अम्बिका चौधरी-

तो मान्यवर, सारे नियमों को निलम्बित करते हुए नियम-311 के अन्तर्गत मैंने जो सूचना दी है, उसे पहले सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है सुनेंगे, पहले प्रश्नकाल हो जाए। निधन के निदेश के बाद आपको सुन लूंगा।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

रसोई गैस की कालाबाजारी को रोके जाने हेतु निर्देश

**1-श्री श्यामदेव राय चौधरी (अनुपस्थित)-

क्या सरकार के संज्ञान में है कि वाराणसी सहित प्रदेश के सभी जिलों में एल0 पी0 जी0 गैस की अवैध रिफिलिंग का धन्धा जोरों पर चल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप गैस का कृत्रिम अभाव उत्पन्न होने से उपभोक्ता कालाबाजारी से खरीदने हेतु विवश होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार एल0 पी0 जी0 की उपलब्धता बनाये रखने, अवैध गैस रिफिलिंग के कारोबार में लिप्त लोगों को कठोर दण्ड देने एवं कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री राम प्रसाद चौधरी)-

जी नहीं, रसोई गैस की कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण है तथा किसी भी जनपद में रसोई गैस की कालाबाजारी की शिकायत प्राप्त होने पर जांच कराकर कठोर कार्यवाही की जाती है।

पूर्व में ही शासन द्वारा गैस की कालाबाजारी को रोके जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

शासन के पत्र दिनांक 3-3-2008, 19-01-2009, 01-10-2009 तथा 05-01-2010 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को रसाई गैस के सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग एवं वाहनों में उपयोग तथा कृत्रिम कमी को रोके जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। निर्देशों के क्रम में समस्त जनपदों में आपूर्ति, परिवहन एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों की टीम गठित कर लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

---

*अ0ता0प्र0 सं0-1 (अ0ता0प्र0सं0-2 के उपरान्त) श्री सतीश महाना की रुचि पर लिया गया।

प्रश्न संख्या-1, श्री श्यामदेव राय चौधरी जी नहीं हैं।

श्री सतीश महाना-

अध्यक्ष जी, श्री श्यामदेव राय चौधरी जी नहीं हैं, पर इस पर हमारी रुचि है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, समय रह जायेगा, तब बाद में ले लेंगे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इस प्रश्न पर सभी की रुचि है।

श्री अध्यक्ष-

नियमों में है कि किसी सदस्य की रुचि होने पर प्रश्न समाप्त होने पर उस प्रश्न को ले लिया जाता है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, चूंकि यह अत्यन्त जनहित का प्रश्न है, अल्पसूचित में दो प्रश्न हैं तो दूसरा वाला आप ले लें, अगर उपस्थित हैं, उसके बाद पहला वाला प्रश्न लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस सदन में सभी सम्मानित सदस्य जानते हैं कि जो उत्तर आया है वह गलत है। यह तो खुलेआम आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या जितनी गैस की आपूर्ति आवश्यक है उतनी आपूर्ति की जा रही है ? मांग और सप्लाई पूरी है कि नहीं। यदि है तो इसमें कितना अंतर है ? आपने लिखा है कि इसमें जांच कराकर कठोर कार्यवाही की जाती है। मेरा प्रश्न है कि पिछले एक वर्ष के अंदर कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी ? कितनी शिकायतें प्राप्त हुयी हैं और कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है। मान्यवर, मेरे प्रश्न पूरी तरह से स्पष्ट है कि कितनी आवश्यकता है और कितनी आपूर्ति है ? दूसरा प्रश्न कि कितने लोगों के खिलाफ आपने कार्यवाही की ? मान्यवर, निर्देश तो दिये जाते हैं बहुत सारी चीजों के, लेकिन क्या कालाबाजारी को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार कोई काम कर रही है ? क्योंकि रोक तो आप पा नहीं रहे हैं, बढ़ावा आप दे रहे हैं, इसलिए उसी के लिए कह रहा हूं। क्या इन तीन प्रश्नों का उत्तर देंगे ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

मान्यवर, इस समय प्रदेश को गैस की जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही है, एक करोड़ 13 लाख लोगों को गैस कनेक्शन है और प्रदेश में मांग ज्यादा है। दूसरा आपका सवाल है, विशेषकर बनारस के माननीय सदस्य ने सवाल किया था तो बनारस में जो कार्यवाही की गयी है वह इस समय हमारे पास उपलब्ध है। जनपद वाराणसी में घरेलू गैस सिलेण्डरों के दुरुपयोग को रोकने हेतु जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2009 तक 124 अधिष्ठानों तथा 275 वाहनों की जांच की गयी, 26 चालान किये गये, 780 सिलेण्डर एवं 24 वाहन जब्त किये गये, 26 एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी, 26 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा रुपये 10.18 लाख मूल्य के सिलेण्डर के साथ-साथ रुपये 79.75 लाख मूल्य के वाहन जब्त किये गये।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मेरा उत्तर नहीं आया। मैंने यह नहीं पूछा कि कितने गैस सिलेण्डर हैं और कितने की मांग है। जितने गैस सिलेण्डर है उतने की आपूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है ? जितने लोगों को गैस कनेक्शन दिये गये हैं उनको गैस रिफिलिंग में कठिनाई है कि नहीं है। मान्यवर, यह प्रश्न था।

श्री अध्यक्ष-

आपने पूछा था कि कितनी आवश्यकता है और कितनों को दिया जा रहा है ?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, संरक्षण हमें भी दें।

मान्यवर, संरक्षण जनता को भी दें, मंत्री जी के घर तो गैस पहुंच ही जाती है। जनता के लिये संरक्षण दें। मान्यवर, जितने लोगों को गैस इन्होंने बताया कि 1 करोड़ 13 लाख लोगों को है तो 1 करोड़ 13 लाख लोगों को जिनको कनेक्शन है। उनको गैस की आपूर्ति हो पा रही है कि नहीं। कितनी कमी है ये नहीं बताया, कितनी डेफिसिट है ? इस बात का उत्तर उन्होंने नहीं दिया। मेरा जो प्रश्न है मान्यवर, उसका उत्तर इन्होंने नहीं दिया है और दूसरी बात मान्यवर, आपने उत्तर में यह बात की है कि वाराणसी की। मान्यवर, प्रश्न में साफ लिखा हुआ है, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वाराणसी सहित प्रदेश के सभी जिलों में सिर्फ वाराणसी का प्रश्न नहीं था मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि वाराणसी के बारे में पूछा हुआ है। वाराणसी सहित सभी जिलों में मान्यवर, प्रश्न बहुत स्पष्ट है। आप देख लें, शायद आपके पास कापी न हो। पूरे प्रदेश का आप बताने की कृपा करें मान्यवर ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

प्रदेश में एल0पी0जी0 गैस की कालाबाजारी रोके जाने के सम्बन्ध में शासन के इस तरह के शासनादेश है। उक्त अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में माह फरवरी, 2008 से दिसम्बर, 2009 तक 10778 अधिष्ठानों तथा 14179 वाहनों की जांच की गयी है। 2268 चालान किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

अरे महाना साहब यह क्या। मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं आप वरिष्ठ सदस्य हैं। माननीय मंत्री जी से आप संतुष्ट हों या असंतुष्ट हों बाद में कहिये। माननीय मंत्री खड़े हैं बोल रहे हैं। इस बीच में इस तरह का आचरण आप दिखायेंगे तो दूसरों पर क्या असर पड़ेगा ? माननीय मंत्री बैठें।

माननीय मंत्री जी महाना जी आपसे स्पेस्फिक हर जिले का जानना चाहते हैं। आप कन्सॉलीडेट करके पूरे प्रदेश का जिनके खिलाफ कार्यवाहियां की गयी हैं उसको बता रहे हैं और दूसरा आपने बता दिया कि इतना कनेक्शन मैंने दिया है। वास्तव में इतनों को अभी नहीं दे पा रहा हूं। शेष जिनको दिया है वह स्पष्ट हो गया है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय मंत्री जी का जवाब यह बताता है कि इस विभाग के प्रति उनकी जिम्मेदारी है। ये कहते हैं कि कोई कालाबाजारी नहीं हो रही है। इस सदन का ऐसा कोई सदस्य नहीं होगा जिसके नागरिक लगातार गैस आपूर्ति को लेकर उसके पास शिकायतें नहीं पहुंचाते हों। आज सुबह ही हमारे पास कम से कम तीन फोन इसी विभाग के हैं। प्रश्न यह है कि आपूर्ति 21 दिन के अन्दर होनी चाहिए। घर के अन्दर पहुंचा कर होनी चाहिए और एक बुकिंग से लेकर दूसरी बुकिंग के अन्दर 21 दिन के अन्दर नयी बुकिंग की जानी चाहिए। आज की स्थिति अध्यक्ष महोदय यह है कि कोई भी दूसरी बुकिंग 21 दिन तो छोड़ दीजिये महीनों तक नहीं होती है। नागरिकों को घर पहुंचाकर कोई गैस नहीं दे रहा है। जब तक कि उसको अतिरिक्त धन न दिया जाय। इतनी भीषण ठंडक है, सुबह चार बजे पांच बजे से नागरिक घण्टों लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। तब भी उनको कनेक्शन की गैस उनको नहीं मिलती है। मैं जानना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि यह जो व्यावसायिक इस्तेमाल गैस का हो रहा है आखिर ये होटल वाले या ये सारे लोग जो व्यवसायिक इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने होटलों पर छापे मारे गये, कहां एल0पी0जी0 कनेक्शन पाया गया उनसे पूछा कहां गया कि कितने जगहों आखिर वो गैस प्रयोग कर रहे हैं और एल0पी0जी0 का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आखिर गैस पा कहां से रहे हैं। माननीय मंत्री जी को कम से कम यह सूचना देनी चाहिए और चूंकि मैं गोरखपुर का विधायक हूं इसलिये उनके बगल का विधायक हूं और मैं कह रहा हूं कि कम से कम आधे से अधिक 50 परसेंट से अधिक कालाबाजारी गैस की हो रही है। माननीय मंत्री जी क्या गोरखपुर की गैस आपूर्ति की जांच कराने की यहां घोषणा करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी।

श्री राम प्रसाद चौधरी-

मान्यवर, जहां भी आपको माननीय सदस्यों की लिखित शिकायतें मिलेंगी। निश्चित रूप से उसमें जांच कराई जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

श्री प्रमोद तिवारी जी, चौहान जी आप बैठ जाइये।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का उत्तर विरोधाभासी है। एक तरफ जो मंत्री जी ने कहा है कि ऐसे अवैध धंधा नहीं चल रहा है और दूसरी तरफ माननीय मंत्री जी ने यह भी स्वीकार किया है कि छापे मारने में इतनी संख्या में लोग पकड़े गये। अगर अवैध नहीं था तो पकड़ा क्यों उनको। यानी कि अवैध धंधा तो चल ही रहा है। प्रश्न में आज सिर्फ इतना विवाद है कि हमारे हिसाब से यह व्यापक पैमाने पर चल रहा है और आपको लगता है कि व्यापक पैमाने पर नहीं चल रहा है। क्या सदन को आप आश्वस्त करेंगे ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि इन लोगों के खिलाफ जिनके पास वैध कनेक्शन नहीं है और फिर भी वो अवैध रूप से उसको चला रहे हैं। उनके खिलाफ एक माह का सघन अभियान चलाने का सदन को आश्वासन आप देंगे ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, जिस जनपद से और जिस भी माननीय सदस्य की शिकायत आयेगी तो निश्चित रूप से जांच करायी जायेगी।

राज्य कर्मचारियों के लिये समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था

**2-श्री सुधीर कुमार-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति उत्तर प्रदेश सरकार भी प्रदेश के कर्मचारियों हेतु ए0 सी0 पी0 (10, 20 एवं 30 वर्ष पर) व्यवस्था लागू कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि राजकीय कर्मचारियों की नियुक्ति, तदर्थ/स्थानापन्न किये जाने के कारण उक्त सुविधा का लाभ बहुसंख्य कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शासनादेश में "नियमित नियुक्ति" के स्थान पर "नियुक्ति की तिथि" से उक्त सुविधा का लाभ दिये जाने का संशोधन किये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

जी हां।

जी नहीं। ऐसी स्थिति नहीं है।

राजकीय कर्मचारियों के लिए समयमान/वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था, केन्द्र सरकार के सादृश्य पर की गयी है। यदि इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा कोई परिवर्तन/संशोधन किया जाता है तो तद्नुसार ही विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुधीर कुमार-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने मा0 मंत्री जी से प्रश्न किया था, इसमें जिस तरीके से दूसरे पैरे में दिया है कि "यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि राजकीय कर्मचारियों की नियुक्ति तदर्थ/स्थानापन्न किये जाने के कारण उक्त सुविधा का लाभ बहुसंख्यक कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है ?" मा0 मंत्री जी की तरफ से जवाब आया कि "जी, नहीं। ऐसी स्थिति नहीं है।" जबकि उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों में मैं सिर्फ एक विभाग की बात करता हूं स्वास्थ्य विभाग में ही 2800 ऐसे कर्मचारी हैं जिनका आज तक विनियमितीकरण नहीं हो पाया है और उसी तरीके से कई ऐसे विभाग हैं, जिनमें विनियमितीकरण अभी तक नहीं हो पाया है, बहुसंख्यक पद पर वे लोग तैनात है और सारी उनकी सुविधायें नियुक्ति तिथि से दी जा रही है, परन्तु यह ए0सी0पी0 का लाभ विनियमितीकरण की तिथि से दिया जा रहा है, जिसके कारण हजारों ऐसे राज्य कर्मचारी

हैं, जिनको इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पायेगा। इसलिए मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि कम से कम जो हजारों कर्मचारी इस लाभ से वंचित हो रहे हैं, उस पर सरकार कोई निर्णय लेगी ?

श्री अध्यक्ष-

शासन का ध्यान आकर्षित करा दिया है। आपका अनुपूरक क्या है ?

श्री सुधीर कुमार-

मान्यवर, इसमें जवाब दिया गया कि जी नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन मान्यवर, ऐसी स्थिति है।

श्री अध्यक्ष-

आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है ?

श्री सुधीर कुमार-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा कहने का आशय यह है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 से 60 हजार ऐसे कर्मचारी हैं जो आज भी विनियमित नहीं हैं क्या सरकार उनको विनियमित करने के लिए कोई योजना बनायेगी या उनको नियुक्ति की तिथि से ए0सी0पी0 का लाभ दिया जायेगा ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, केन्द्र सरकार की अधिसूचना दिनाक 19 मई, 2009 में की गई व्यवस्था के सादृश्य तक समयमान वेतन लागू किया गया है और उसमें जो व्यवस्था है उसमें रेगुलर कर्मचारियों के बारे में ही है तो मान्यवर, उसी के अनुसार, उसी के सादृश्य यहां पर भी लागू किया गया है।

श्री सुधीर कुमार-

मान्यवर, मैंने जो सवाल पूछा है उस पर जवाब नहीं आया है। मैंने पूछा है कि जो कर्मचारी विनियमित नहीं हुए हैं उनको विनियमित करने की क्या सरकार कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं बनायेगी तो क्या उन्हें नियुक्ति तिथि से ही ए0सी0पी0 का लाभ दिया जाएगा ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय सुधीर कुमार जी, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि भारत सरकार का एक स्पष्ट आदेश है, एक गाइडलाइन है उसी के अनुसार हमको चलना पड़ता है। जैसा भारत सरकार गाइडलाइन देगी उसी के आधार पर हम निर्णय लेंगे। एक स्पष्ट उत्तर आ गया है।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में सूखा प्रभावित जनपदों में कृषकों को राहत देने की योजना

*1-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (अनुपस्थित)-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में समय से मानसून न आने के कारण प्रदेश के किसानों की फसलों का भारी नुकसान हुआ है तथा प्रदेश सूखे की चपेट में आ गया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा सूखा पीड़ित किसानों को राहत दिये जाने हेतु क्या कोई कार्य योजना तैयार की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री फागू चौहान)-

जी हां।

जी हां।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित आपदा राहत निधि की गाइडलाइन्स के अनुसार सूखा प्रभावित जनपदों में राहत कैम्प, पशु राहत कैम्प के संचालन, आपात स्थिति में टैंकरों से पेयजल आपूर्ति, 50 प्रतिशत या इससे अधिक फसल क्षति हेतु कृषि निवेश अनुदान जीवन रक्षक औषधि, नरेगा (मनरेगा) के माध्यम से प्रत्येक दिवस, नये हैण्डपम्प की स्थापना/रि-बोर वकाल्पक बीज की व्यवस्था हेतु मिनी किट का वितरण, राजकीय नलकूपों की मरम्मत/खराब ट्रान्सफार्मर को समयबद्ध मरम्मत/बदलने, सामान्य एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत कृषकों से बी0 एण्ड एल0 फार्म प्राप्त होने पर प्राथमिकता पर नलकूप ऊर्जीकृत करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सभी बी0पी0एल0 अन्त्योदय परिवारों को 35 कि0ग्रा0 प्रतिमाह की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ-साथ ए0पी0एल0 परिवारों को अतिरिक्त गेहूं उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों में बी0टेक0 पाठ्यक्रम हेतु फीस में वृद्धि किये जाने की नीति

*2-चौ0 रवीन्द्र प्रताप (अनुपस्थित)-

क्या व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी (यू0पी0टी0यू0) से सम्बद्ध कालेजों में समय-समय पर बी0टेक0 के लिये फीस की जो वृद्धि की जाती है वह सम्बन्धित वर्ष से मात्र प्रथम वर्ष (फर्स्ट सेमेस्टर) के छात्रों से लागू किये जाने के निर्देश हैं अथवा प्रथम वर्ष से चतुर्थ वर्ष तक में अध्ययनरत समस्त छात्रों पर एक साथ ही लागू कर दी जाती है ? क्या सरकार बी0टेक के लिये फीस की जो वृद्धि जिस वर्ष की जाए यह सम्बन्धित वर्ष से मात्र प्रथम वर्ष (फर्स्ट सेमेस्टर) के छात्रों पर ही पूर्व की भांति लागू किये जाने के निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री सदल प्रसाद)-

उ0 प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा अनुदानित इंजी0 कालेजों तथा निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग कालेजों में बी0टेक0 पाठ्यक्रम के लिए समय-समय पर निर्धारत की गयी फीस प्रथम वर्ष के छात्रों से लागू किये जाने के निर्देश हैं और यह फीस चतुर्थ वर्ष तक लागू रहती है।

छात्रों के प्रवेश के समय जो शुल्क प्रभावी होता है वही उससे आगे के वर्षों की शिक्षा में प्रभावी रहता है। किसी संस्था के द्वारा इस आशय की अपील पर यदि पिछले समय से प्रभावी करते हुए सक्षम स्तर अथवा मा0 न्यायालय स्तर से कोई पुनरीक्षण किया जाता है तो सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा तद्नुसार शुल्क की मांग की जाती है अन्यथा वही शुल्क देय रहता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

*3-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[तीसरे गुरुवार के तारांकित प्रश्न सं0-2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में निर्धारित खेलकूद नीति

*4-डा0 अनिल चौधरी-

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा प्रदेश में कोई खेलकूद नीति निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार विकास खण्ड स्तर पर स्टेडियम स्थापित कर ग्रामीण खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेलकूद एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अयोध्या प्रसाद पाल)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां। किन्तु भारत सरकार द्वारा इसके लिये पूर्व में दी जा रही 50 प्रतिशत आर्थिक सहयोग वित्तीय वर्ष 2005-06 से बन्द कर दिया गया है और राज्य सरकार द्वारा अपने सीमित संसाधनों से अधूरे निर्माण कार्य पूर्ण कराये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 अनिल चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न को उठाने का मेरा आशय यह था कि इस प्रदेश के महानगरों में और कुछ जिलामुख्यालयों पर खेलकूद की सुविधा के लिये स्टेडियम हैं, पर यह देखा गया है कि शहरी क्षेत्रों के युवकों में खेलकूद के प्रति उतनी रुचि नहीं है। आप कोई भी खेलकूद देख लीजिये उसमें जितनी भी प्रतिभायें निकल कर के आई हैं वह सब ग्रामीण क्षेत्र से निकल कर के आई हैं और हमारा आशय यह था कि अगर यह स्टेडियम, खेल-कूद की सुविधायें ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध करा दी जायं तो शायद वहां से बहुत अच्छे खिलाड़ी निकल कर आयेंगे, लेकिन मुझे खेद है मंत्री जी ने बड़ी निर्ममता से जवाब दिया है कि खेलकूद नीति नहीं है और इसके बारे में कहीं यह बात भी नहीं आई कि कम से कम खेलकूद नीति पर और खासतौर से ग्रामीण युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिये कोई नीति बनाने पर कोई विचार भी शासन करेगा ? मान्यवर, मेरा पहला अनुपूरक है कि क्या शासन ग्रामीण एवं कुटीर खेलकूद नीति बनाने पर विचार करेगा ? मेरा दूसरा प्रश्न, इस प्रश्न के तीसरे खण्ड के उत्तर से आता है क्या सरकार विकास खण्ड स्तर पर स्टेडियम स्थापित कर ग्रामीण खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेगी ? माननीय मंत्री जी का उत्तर है कि भारत सरकार द्वारा इसके लिये पूर्व में दी जा रही 50 प्रतिशत आर्थिक सहयोग वित्तीय वर्ष 2005-06 से बन्द कर दिया गया है, तो मान्यवर, यह तो आपने जवाब दे दिया, लेकिन जहां तक मेरे संज्ञान में है वहां से जो पैसा आया उसके उपयोग के बारे में आपने कोई प्रमाणिक आधार उस केन्द्र सरकार को नहीं भेजा, इसलिये आगे आपको वित्तीय सहायता मिलना बन्द हो गई। मैं माननीय मंत्री जी आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, क्या अपनी नौकरशाही को टाईट करके केन्द्र में इसके लिये प्रभावशाली पैरोकारी करके ग्रामीण क्षेत्र में स्टेडियम बनाना सुनिश्चित करेंगे और एक तीसरा प्रश्न मेरा, अपने क्षेत्र विशेष से है। मेरे क्षेत्र में सादाबाद विकास खण्ड मुख्यालय पर भूमि

भी उपलब्ध है, वहां पर और आगरा जनपद के एतमादपुर में जहां नार्मल स्कूल की भूमि उपलब्ध है सरकारी, बहुत बड़े-बड़े वहां आयोजन होते हैं। स्वर्गीय चौ0 चरण सिंह जी के नाम पर क्रिकेट प्रतियोगिता होती है बहुत बड़ी और उस कस्बे से मेरी जानकारी में आया है कि सात लड़के एतमादपुर के पाकिस्तान में किसी अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट में खेलने गये, एक छोटे से कस्बे से। क्या वहां पर स्टेडियम बनाने पर शासन विचार करेगा ? यह मेरे तीन अनुपूरक हैं, कृपया इनका उत्तर दिला दें।

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार की सहमति से 50 परसेण्ट भारत सरकार और 50 परसेण्ट राज्य सरकार पैसा दे कर के 80 स्टेडियम का निर्माण कराया गया, जिनमें 53 बन कर के हैण्डओवर हो गये हैं, 27 पर कार्य चल रहा है। यह कहना कि खेल नीति नहीं है, मान्यवर मेरा कहना है कि खेल नीति के लिये प्रस्तावक खेल नीति के परीक्षण के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई है और वह टीम परीक्षण कर रही है, अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

डा0 अनिल चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा तीसरा अनुपूरक प्रश्न जो स्पेस्फिक था, सादाबाद और एतमाद् र के बारे में वह अनुत्तरित है। जरा माननीय मंत्री जी, दो शब्द उसके बारे में बता दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, यह प्रश्न से हटकर के व्यक्तिगत कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में हम चाहते हैं कि कोई मिनी स्टेडियम है, जो बनना चाहिये, यह प्रश्नों से हट कर के अपने क्षेत्र के बारे में निवेदन कर रहे हैं।

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

मान्यवर, बजट में कोई व्यवस्था नहीं है इसलिये बनाना संभव नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, शासन को आधा हिस्सा अनुदान भारत सरकार से मिलता है। यह कहा गया कि उस अनुदान प्राप्ति का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं भेजा गया था इसलिये वहां से अनुदान आना बन्द हो गया। मेरा यह कहना है कि 50 प्रतिशत हिस्सा जो उत्तर प्रदेश सरकार वहन करती है उस पर तो कोई पाबंदी नहीं है। हम यह मान सकते हैं कि भारत सरकार की सहायता से दस स्टेडियम बन सकते थे। वह नहीं मिल रहा है तो राज्य सरकार के हिस्से के पैसे से पांच स्टेडियम तो बन ही सकते हैं। तो मेरा यह प्रश्न है कि क्या राज्य सरकार के हिस्से की पचास प्रतिशत धनराशि को आधार मानकर ग्रामीण अंचलों में पांच स्टेडियमों के निर्माण के लिये आगे कोई कार्यवाही शुरू करेंगे ?

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

मान्यवर, 80 स्टेडियमों की स्वीकृति दी गयी जिसमें से 53 पर कार्य पूर्ण कर लिया गया है और 27 पर काम चल रहा है। अपने संसाधनों से काम पूरा करवा रहे हैं। अगले कार्यों के लिये फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद जी के नाम से जो तारांकित प्रश्न संख्या-1 है उसको कृपया ले लें। उसमें हमारी रुचि है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसकी गम्भीरता इसी से है कि खुद प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य यहां पर उपस्थित नहीं हैं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, 2007 में यह स्वीकारोक्ति आयी थी सरकार की तरफ से कि प्रदेश में खेल नीति बनेगी। सरकार का पांच साल का कार्यकाल है उसमें से तीन साल का कार्यकाल बीत चुका है। अभी तक यह उसकी प्रस्तावना बनाने में ही लगी हुई है उसी को लेकर बहसें हो रही है। क्या सरकार यहां पर यह आश्वासन देगी कि अपने पांच साल के कार्यकाल के भीतर कोई खेल नीति इस प्रदेश को मिल जायेगी। क्योंकि उसके अभाव में सारे स्टेडियम उखड़ रहे हैं, कोई कोचिंग नहीं दी जा रही है और नये कोचेस नियुक्त नहीं हो रहे हैं। कोचिंगों के संचालन के लिये धन नहीं दिया जा रहा है, न स्टेडियमों में आवश्यक उपकरण ही भेजे जा रहे हैं। हम यह समझ रहे थे कि कोई प्रशासनिक बात है। लेकिन, यहां तो स्पष्ट हो रहा है कि कोई खेल नीति ही नहीं है तो फिर इन सबके लिये धन कहां से आये। हम यह जानना चाहते हैं आखिर कब तक इस प्रदेश को कोई खेल नीति मिल जायेगी। मान्यवर, खेलकूद एक ऐसा विषय है जो सम्पूर्ण समाज के विकास का एक महत्वपूर्ण आधार बिन्दु होता है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि एक कमेटी बनी हुई है जिसमें इस नीति को बनाने पर विचार चल रहा है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, तीन साल हो गये उस कमेटी को बने हुये, सरकार का पांच साल का कार्यकाल होता है तो आखिर वह नीति कब तक फाइनल हो जायेगी। उसकी कोई समय सीमा तय करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने कहा कि कमेटी बनी हुई है, माननीय मंत्री जी उस पर शीघ्रातिशीघ्र विचार कर लेंगे।

श्री अध्योध्या प्रसाद पाल-

मान्यवर ठीक है।

श्री इमरान मसूद-

मान्यवर, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है जो खेल नीति के बनाने पर विचार कर रही है। उस पर कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा ? आज उसके अभाव में प्रदेश से खेल प्रतिभाओं का पलायन हो रहा है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि नीतिगत विषयों पर शासन का पक्ष स्पष्ट होना चाहिये सदन में। यह खेल नीति कब तक बन जायेगी यह माननीय सदस्य जानना चाह रहे हैं ? यह स्वाभाविक है सदन की जिज्ञासा होना और सदन आश्वस्त हो, यह इच्छा होना, यह अपेक्षा करना स्वाभाविक है। इतने दिन से यह नीति विचाराधीन है कब तक यह नीति अंतिम हो जायेगी यह एक स्वाभाविक विषय है। पूरे खेल से जुड़ा हुआ जनता की रुचि का विषय है इसलिये इसका उत्तर दिलवा दें ? क्योंकि इसको अगर कह देंगे कि ठीक है तो जरा संतोषजनक बात नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, जो आपने अभी बताया है कि शासन में एक समिति गठित है इस खेल नीति के संदर्भ में गठित की गयी है जो उस पर कार्य कर रही है तो हमारे माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कितना शीघ्र यह निर्णय कर लेगी या निर्णय ले लेगी कया इस तरह की कुछ सम्भावनायें हैं ? जैसी हों आप कुछ बता सकते हैं ?

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

मान्यवर, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में खेल नीति पर इस समिति की बैठक 18-3-2009 में एक उप समिति गठित कर दी गयी है जो परीक्षण कर रही है, शीघ्र ही ला दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

शीघ्र हो जायेगा अब शीघ्र से बड़ा कुछ ही है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, प्रदेश के खिलाड़ियों के साथ, खेल के साथ, जनता की भावना के साथ, खिलाड़ियों के साथ सदन की सरकार की कोई निश्चित मंशा तो होगी, कोई इच्छाशक्ति नहीं जाहिर हो रही है कि सरकार कोई निश्चित मंशा तो होगी, कोई इच्छाशक्ति नहीं जाहिर हो रही है कि सरकार कोई चीज खेल के उत्थान के सम्बन्ध में करना चाहती है। यह निश्चित तौर पर लापरवाही है और खेल की नीति पर टालमटोल के अन्दर यह रखना चाहती है। इस प्रदेश को खेल की नीति से वंचित रखना चाहती है इसलिये मान्यवर, मैं विरोध में इस सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री ओम प्रकाश सिंह अपने दल के साथ सदन का त्याग किया।)

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बताया कि खेल के बारे में एक समिति बनी है जो विचार कर रही है। माननीय नेता भाजपा जो बड़ा चिन्तित नजर आये जो लम्बे समय तक

सरकार में रहे हैं और उस समय इन्होंने ऐसी भी सम्भावना तलाशने की जरुरत नहीं महसूस की। आज ये चिन्ता खिलाड़ियों के प्रति दिखा रहे हैं। हमारी सरकार चिन्तित है खेल नीति होनी चाहिये और इस आधार पर माननीय मंत्री जी ने अवगत कराया कि एक समिति बनी है वह विचार करके परीक्षणोपरान्त उस पर कार्यवाही की जायेगी। आपने लम्बे समय तक उस लायक भी नहीं समझा कि कोई कमेटी बनाकर विचार भी करते और आज केवल घड़ियाली आंसू बहाने को केवल बहिर्गमन कर रहे हैं। हमारी सरकार निश्चित रूप से चिन्तित हैं खिलाड़ियों के प्रति, उनकी प्रतिभा निखरे इसके लिये सतत प्रयासरत है निश्चित रूप से उस पर माननीय मंत्री जी ने अपनी बात रख दी है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने चिन्ता व्यक्त की है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत दिन तक रही और उन्होंने कोई खेल नीति नहीं बनाई। मान्यवर, आपकी चिन्ता जायज है और उनका बाहर जाना कितना उचित अनुचित है यह आप जाने लेकिन महराज, जब जब इनकी सरकार बनी आप उसमें शामिल रहे हो, गुनाह दोनों का बराबर है।

श्री इमरान मसूद-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एक सकारात्मक सुझाव देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि खेल नीति बनाने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बना दी। मान्यवर, एक स्पोर्ट्स से मैं भी जुड़ा हुआ हूं, मैं भी शूटर हूं और हमारा दुर्भाग्य है कि प्रदेश से इन प्रतिभाओं का पलायन हो रहा है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, आप शूटर हैं।

श्री इमरान मसूद-

मान्यवर, तो क्या हुआ शूटर क्या इस सदन में नहीं आ सकता। राजेन्द्र सिंह राठौर देश का नाम रौशन कर रहा है। मैं यह कह रहा हूं कि आपके प्रदेश से प्रतिभाओं का पलायन हो रहा है। राफइल्स एसोसियेशन के अन्दर फंड पड़ा है मैं यह सुझाव दे रहा हूं ...

श्री अध्यक्ष-

आप शूटर की जगह हूटर का काम कर रहे हैं।

श्री इमरान मसूद-

मान्यवर, धन की कमी नहीं है अगर सरकार चाहे पूरे प्रदेश के अन्दर किसी भी जनपद के अन्दर राइफल्स एसोसियेशन के पास पैसा जमा है लेकिन कहीं भी प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं हो रहा है और केवल आपके हल्के से प्रयास से अगर प्रतियोगिताएं आयोजित हो और सही ढंग से उनको लिया जाय तो जो प्रतिभाओं का पलायन उत्तराखण्ड, हरियाणा, हिमांचल और दिल्ली से जो आपके खेल रहे हैं, 17 शूटर सहारनपुर के उत्तराखण्ड से जाकर देश के अन्दर जा करके मेडल लेकर आने का काम करें और आपके जनपद सहारनपुर का बच्चा वर्ल्ड कप के अन्दर

जाकर के 3 वर्ल्ड कप को लेकर आने का काम करे और दुर्भाग्य से प्रदेश से न खेलकर दिल्ली प्रदेश से खेलने का काम करे तो मान्यवर, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। मेरा केवल सुझाव यह है कि जो राइफल्स एसोसियेशन के पास पैसा जमा है प्रदेश सरकार माननीय मंत्री जी यहां से कहें, सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दें कि उस पैसे से प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाय, प्रतिभाओं का चयन किया जाय और उन प्रतिभाओं का चयन करके उनको उबारने के लिये सरकार उनको पैसे देने का काम करे। अनवर सुल्तान, शामली का लड़का, पूरी दुनिया में आपका नाम करता है लेकिन प्रदेश सरकार उसको प्रोत्साहन देने के नाम पर एक भी पैसे देने का काम नहीं कर रही है। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। इस सम्बन्ध में सरकार से आप कोई आश्वासन दिलवा दें। यह प्रदेश की प्रतिभाओं का सवाल है।

श्री अध्यक्ष-

आपने सुझाव दिया है और सरकार ने इसका संज्ञान लिया है। आपकी बात आ गयी।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, नीति तो सरकार बनाती रहेगी लेकिन जो मूल भूत व्यवस्था है स्टेडियम बनाने के लिये, तो स्टेडियम बनाने हेतु राज्य सरकार ग्राम सभा या नजूल की भूमि ही लेती है जो कि जिला मुख्यालयों से बहुत दूर हो जाती है। क्या शासन स्टेडियम बनाने हेतु भूमि लेने की नीति में परिवर्तन करेगा, क्योंकि निःशुल्क भूमि तो मिलती नहीं है तो माननीय मंत्री जी कृपया इस सम्बन्ध में बतायें ?

श्री अध्यक्ष-

अभी तो नीति पर विचार हो ही रहा है उसमें सब विचार होगा।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, यह अत्यन्त गम्भीर मामला है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह प्रश्न से हटकर है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न सं0-5 निरस्त है और प्रश्न संख्या-6 स्थानान्तरित है।

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, माननीय सदस्य इमरान मसूद जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। यहां की प्रतिभायें दूसरी जगह जा रही हैं। इस पर कोई आश्वासन दिलवा दीजिये। पलायन को रोका जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने पलायन रोकने के लिये तो कहा है। यह भी कहा है कि हम इसके लिये सचेष्ट हैं। उन्होंने कहा है कि हम खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करेंगे। इमरान साहब का सुझाव सरकार ने स्वीकार किया है। आपने शायद सुना नहीं होगा।

लोक निर्माण मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, माननीय सदस्य को मैं बता दूं कि मान्यवर, कांशीराम जी के नाम से प्रत्येक वर्ष खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपया, जो देश में, प्रदेश में और विदेश में नाम रोशन करते हैं,

उनको देकर प्रोत्साहित करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। जो कभी इससे पहले किसी सरकार ने नहीं लिया है। माननीय सदस्य अगर चाहते है। तो वह मेरे कक्ष में आ जायेंगे तो जो कुछ हमारी सरकार ने किया है, उसका पूरा विवरण मैं उनको दे दूंगा।

*5-श्री उदयभान करवरिया-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

*6-श्री मदन चौहान-

[चौथे मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या-3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में आलू उत्पादकों को उपज का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने की योजना

*7-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में आलू उत्पादकों को उपज का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु क्या सरकार कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान मंत्री (नारायण सिंह)-

जी नहीं।

वर्तमान में आलू के बाजार भाव को देखते हुये इसकी आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से माननीय उद्यान मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्रदेश के लाखों किसान आलू उत्पादक किसान हैं। उनसे जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण और गम्भीर प्रश्न है। माननीय मंत्री जी से मैंने पूछा था कि हमारे प्रदेश में जो आलू किसान हैं, उनको आलू की फसल का लाभकारी और उचित मूल्य दिलाने के लिये सरकार क्या कोई नीति बना रही है या सरकार की ऐसी कोई कार्य योजना है तो माननीय मंत्री जी का जवाब आया कि जी नहीं, ऐसी कोई सरकार की मंशा नहीं है कि किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य मिले और वर्तमान में बाजार में आलू का जो भाव है...

श्री लाल जी वर्मा-

यह कहां आप पढ़ रहे हैं ?

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मेरा प्रश्न सुन लें, मेरी पूरी बात आ जाने दीजिये। वर्तमान में बाजार में जो आलू का भाव है, उस आलू के भाव को देखते हुये प्रदेश सरकार को कोई नीति बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। आलू का बाजार में जो भाव है उसको देखते हुये सरकार फ्री हो गई अपनी जिम्मेदारी से। मा0 मंत्री जी अपनी जिम्मेदारी से बच गये उनको कुछ करने की आवश्यकता

नहीं है। मा0 अध्यक्ष जी, हमें एक किताब मिली है जिसमें सदन के सभी सदस्यों का जीवन परिचय है, उसमें 98 प्रतिशत जो सदन के सदस्य हैं वह किसान परिवार से जुड़े हुये हैं और उनका पेशा कृषि है जिस सदस्य का जीवन परिचय मैं पढ़ता हूं तो देखता हूं कि वह किसान परिवार से जुड़ा हुआ है। मान्यवर, हम तमाम लोग किसान परिवार से आकर यहां पर बैठे हुये हैं और पूरे प्रदेश के किसानों से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है और इस प्रश्न का इतना हल्का जवाब आया इसलिये मैं मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश के जो लाखों आलू उत्पादक किसान हैं उनको उनकी फसल का लाभकारी और उचित मूल्य दिलाने के लिये सरकार क्या कोई कदम उठायेगी, क्या कोई नीति बनायेगी ?

चौ0 लक्ष्मी नारायण-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 सदस्य को बताना चाहता हूं कि पिछले साल जिस समय आलू का मूल्य बाजार में कम था, उस समय सरकार ने नीति निर्धारित की और तीन सौ रुपये प्रति क्विंटल का भाव तय किया। इसके बाद यह तय किया कि हमारे प्रदेश का जो भी किसान आलू बाहर ले जाना चाहता है तो उसको 40 प्रतिशत सब्सिडी ट्रांसपोर्टेशन में दी जायेगी। अब तो आलू का भाव बाजार में इतना अच्छा है इसलिये इस पर विचार करने की कोई बात ही नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्तमान में आलू का थोकभाव क्या है ? क्योंकि आपने कहा कि बहुत अच्छा भाव है। हम स्वयं आलू के उत्पादक हैं हम तीन रुपये के अन्दर आलू का भाव ले करके आ गये हैं। मान्यवर, यह सही है कि हमारा आलू जब कोल्ड स्टोर में होता है, हमारा आलू जब थोक व्यापारियों के पास होता है उस समय आलू का दाम बढ़ जाता है। लेकिन आज हमारा आलू खेत से लेकर कोल्ड स्टोर तक जाने वाला है और हमारे आलू का दाम गिर गया है इसलिये सरकार आलू के किसानों को संरक्षण दे इसमें मैं आपकी मदद चाहता हूं। इसके अतिरिक्त मान्यवर, इस समय थोक के आलू का रेट क्या है, यह तो बता दें ?

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है, इसका जवाब दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, जैसा कि कहा गया कि आलू का अच्छा रेट है, इसलिये इसमें कुछ तय करने की जरुरत नहीं है तो मा0 वर्मा जी ने यह जानना चाहा है कि इस समय आलू का जो थोक रेट है वह क्या है ?

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यगण, आप बैठ जायें, आप लोग जो फुटकर खरीदते हैं उसी को जोड़ लीजिये। थोक हो जायेगा।

डा0 वकार अहमद शाह-

मा0 अध्यक्ष जी, इस प्रश्न पर सरकार बिल्कुल उदासीन है, इसलिये हम और हमारा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यगण ने नारे लगाते हुये सदन का त्याग किया)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न सं0-8 श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा जी नहीं हैं।

श्री कौकब हमीद खां-

मा0 अध्यक्ष जी, इस प्रश्न पर मा0 मंत्री जी का जवाब उचित नहीं है, इसलिये मैं और मेरा दल सदन से बहिष्कार करता है।

(राष्ट्रीय लोक दल के सदस्यों ने भी सदन का त्याग किया)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, अब मेरी बारी है। मा0 अध्यक्ष महोदय, पहले सदन में यह तय करके बता दीजिये कि इसमें आलू मंत्री कौन है ? क्योंकि सवाल का जवाब उन्होंने दिया है।

श्री अध्यक्ष-

आलू सब जगह शामिल हो सकता है इसमें कोई अन्तर नहीं है, वह हर सब्जी में डाला जाता है इसलिये वह कहीं भी जा सकता है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आपके यह सद्विचार जो कृषि मंत्री जी के बारे में हैं, मैं इसके लिये आपको बधाई देता हूं कि वह सब जगह शामिल हो सकते हैं और होते भी रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न आज के थोक या फुटकर भावों का नहीं है, प्रश्न यह है कि जिस समय किसान का आलू बाजार में आता है उस समय ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि उसके पास इतनी भी लागत नहीं होती है कि वह अपना आलू निकाले और कोल्ड स्टोरेज या बाजार तक पहुंचाये। स्थिति यह होती है कि किसान खेत में आलू को यूं ही छोड़ देता है, यह हर साल हो रहा है कम से कम एक साल के अन्तर में हो रहा है। इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिये। सिर्फ एक प्रश्न जो कांग्रेस के तौर पर पूछना चाहता हूं वह यह पूछना चाहता हूं कि आज आलू का उत्पादन कितना है और आपकी भण्डारण क्षमता कितनी है ? दूसरा प्रश्न, इसी से लगा हुआ है कि उसका टेम्प्रेचर बनाये रखने के लिये बिजली की बहुत जरुरत होती है। क्योंकि एक-दो डिग्री टेम्प्रेचर भी बढ़ गया तो उसमें रखा हुआ आलू खराब हो जाता है। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या आप अबाध गति से पूरे समय, कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो आलू कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है वह खराब न होने पायें इसलिये वहां पर पूरे 24 घण्टे या 18 से 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायेंगे। तो मान्यवर, सीधा सा प्रश्न है कि कितना आलू पैदा हो रहा है, कितने की आपकी क्षमता है और दूसरी बात उसे सुरक्षित रखने के लिये आप कितने घण्टे इन कोल्ड स्टोरेज को बिजली सप्लाई करने जा रहे हैं और जो आलू कोल्ड स्टोरेज में रखा जाय उस पर क्या

सब्सिडी दे रहे हैं ? ये तीनों प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुये हैं, मैं चाहता हूं कि इस पर मंत्री जी उत्तर दे दें।

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय तिवारी जी ने जो सवाल किया, हमारे यहां इस समय प्रदेश में लगभग 89 लाख मीट्रिक टन आलू स्टोरेज की क्षमता कोल्ड स्टोरेज की है। आलू की फसल बहुत अच्छी हुई है इसलिये अनुमानित उत्पादन सम्भवतः 120 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होना चाहिये। जहां तक बिजली की बात कही है, तो माननीय तिवारी जी स्वयं विद्युत मंत्री रहे हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह से ध्यान है। आलू कोल्ड स्टोरेज में न सड़े इसके लिये माननीय ऊर्जा मंत्री जी से समय-समय पर अनुरोध किया जाता है कि विद्युत आपूर्ति में सही रहे, जनरेटर का भी प्रबन्ध होता है। इसलिये कहीं भी आलू के सड़ने या खराब होने का सवाल ही नहीं उठता है। आपने एक बात यह कही थी कि प्रतिवर्ष जब आलू निकलता है तो उस समय आलू का भाव गिर जाता है इसीलिये पिछले साल जब आलू का भाव गिरा तभी सरकार ने 300 रुपये प्रति क्विंटल सपोर्ट-प्राइस तय किया था और इसीलिये बाहर सप्लाई के लिये 40 प्रतिशत सब्सिडी ट्रांसपोर्टेशन पर भी। जब सरकार ने 300 रुपये प्रति क्विंटल भाव और ट्रांसपोर्टेशन की अपनी नीति घोषित की उसके तुरन्त बाद किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना शुरु हो गया।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैंने बड़ा सीधा सा प्रश्न पूछा था कि जो भण्डारण क्षमता है वह कितनी है क्या है और कितनी बढ़ायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

आपके प्रश्न का उत्तर आ गया।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैंने सुन लिया है।

श्री अध्यक्ष-

सुन लिया तब अब क्या कमी रह गयी ?

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, सुनने के बाद ही तो बोला जाता है।

श्री अध्यक्ष-

कुछ लोग उत्तर सुनने के बाद रुक जाते हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, चूंकि मंत्री जी ने बताया कि जितना आलू पैदा होता है और जो भण्डारण क्षमता है उसके बीच का गैप लगभग आधे से ज्यादा है इसलिये आलू उत्पादकों के उत्पादन का सही दाम नहीं मिल पा रहा है, कोई नीति भी सरकार नहीं बता रही है कि हम विद्युत आपूर्ति कितनी सुनिश्चित करेंगे ? मान्यवर, जहां तक मैंने कहा उसका जवाब तो बिल्कुल नहीं दिया कि

सब्सिडी कितनी दे रहे हैं ? इसका जवाब नहीं दिया है। सरकार की नीति आलू उत्पादकों के विरोध में होने के कारण मैं और मेरा दल इसके विरोध में सदन का त्याग करता है।

(श्री प्रमोद तिवारी ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, आलू का लाभकारी मूल्य दिलाने के सम्बन्ध में मंत्री जी ने कोई सुनिश्चित जवाब नहीं दिया और यह बतलाया है कि जितनी भण्डारण क्षमता है उससे ज्यादा उत्पादन होने वाला है। इसका मतलब है कि आलू किसान से आलू सस्ता खरीदा जायेगा जिसकी सुरक्षा देने की स्थिति में आज कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं। इसलिये आलू किसानों के प्रति सुरक्षात्मक नीति इस सरकार की नहीं है इसलिये भारतीय जनता पार्टी सदन का बहिष्कार करती है।

(श्री ओम प्रकाश सिंह ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

कृषकों के उत्पादन की उचित तौल/माप हेतु इलेक्ट्रानिक कांटा लगाने पर विचार

*8-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश की कृषि उत्पादन मण्डी समितियों के अन्तर्गत कृषकों के उत्पादन की उचित तौल/माप हेतु इलेक्ट्रानिक कांटा लगाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जन कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार तथा कृषि विपणन मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)-

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी कृषि उत्पादन मंडियो में इलेक्ट्रानिक कांटे लगाये गये हैं और कितनी कृषि उत्पादन मंडियों में अभी इलेक्ट्रानिक कांटे नहीं लगे हैं ? जिन मण्डियों में इलेक्ट्रानिक कांटे नहीं लगे हैं वहां पर सरकार कब तक इलेक्ट्रानिक कांटे लगवा देगी ?

श्री लाल जी वर्मा-

मैंने प्रश्न के जवाब में स्वीकार किया है कि सभी कृषि उत्पादन मण्डियों में इलेक्ट्रानिक कांटा लगाने की नीति है। और इलेक्ट्रानिक कांटा लगाने की जो वर्तमान में स्थिति है हमने पहले स्तर पर दो मण्डियों में लगाया और उसका रिस्पांस अच्छा आया और जिस कारण यह निर्णय लिया गया कि मण्डी परिषदों में इलेक्ट्रानिक कांटा लगाया जायेगा। आज लगभग 50 मण्डियों में इलेक्ट्रानिक कांटा लगाये जाने की स्वीकृति दी जा चुकी है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर धीरे धीरे करके सभी मण्डियों में इलेक्ट्रानिक कांटा लगाने का काम किया जायेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

मण्डी परिषदों में जो इलेक्ट्रानिक कांटा लगाया जा रहा है यह मण्डी परिषद् का है या व्यापारियों का है ? सरकार का है या प्राइवेट ?

श्री लाल जी वर्मा-

यह कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् ने निर्णय लिया है। कृषि उत्पादन मण्डी समिति द्वारा यह कार्य किया जा रहा है।

जनपद प्रतापगढ़ तहसील पट्टी, में सूखा प्रभावित क्षेत्रों को आर्थिक सहायता एवं खाद्य सामग्री का वितरण

*9-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूखे के कारण वर्ष 2009 में पट्टी तहसील, जनपद-प्रतापगढ़ में कितनी जन एवं धन की क्षति हुई है तथा कौन-कौन ब्लाक एवं गांव सूखे से प्रभावित हुए हैं ? इन सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सरकार द्वारा सूखा पीड़ितों को राहत हेतु क्या कोई आर्थिक सहायता एवं खाद्य सामग्री का वितरण किया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

सूखे के कारण वर्ष 2009 में पट्टी तहसील में जनहानि नहीं हुयी है। बोई गई खरीफ की फसल में 20 प्रतिशत की क्षति हुई है। इस तहसील का कोई भी ग्राम व ब्लाक सूखे से प्रभावित नहीं हुआ है।

तहसील पट्टी जनपद प्रतापगढ़ में बोई गई खरीफ की फसल में 20 प्रतिशत क्षति हुयी है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित आपदा राहत निधि की गाइडलाइंस के अनुसार 50 प्रतिशत या इससे अधिक फसल क्षति होने पर आपदा राहत निधि से कृषि निवेश अनुदान अनुमन्य है। सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न न होने के कारण अहैतुक सहायता का वितरण नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य अनुपूरक प्रश्न करें।

(मा0 सदस्य द्वारा अनुपूरक प्रश्न न करने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य उत्तर से संतुष्ट हैं। मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

प्रदेश में राजकीय कृषि फार्म की संख्या व क्षेत्रफल

*10-डा0 अजय तोमर (अनुपस्थित)-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने राजकीय कृषि फार्म हैं ? इन कृषि फार्मों का कुल क्षेत्रफल कितना है तथा इन कृषि फार्मों से वर्ष 2007-08 व वर्ष 2008-09 में किस-किस फसल का कुल कितना उत्पादन हुआ है और इससे कुल कितनी आय उक्त वर्षों में प्राप्त हुई है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त वर्षों में इन कृषि फार्मों को बजट आवश्यकता के अनुरूप क्या धन आवंटित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)-

कृषि विभाग के नियंत्रणाधीन प्रदेश में कुल 165 राजकीय कृषि फार्म हैं।

इन कृषि फार्मों का कुल क्षेत्रफल 7057 है0 है। वर्ष 2007-08 व 2008-09 में (खरीफ व रबी) फसलों का उत्पादन निम्नवत् रहा है :-

फसल	उत्पादन (कुं0 में)	
	2007-08	2008-09
खरीफ :		
धान	51350	47827.51
मक्का	64.42	24.00
ज्वार	185.60	64.92
बाजरा	716.71	355.70
उर्द	458.79	474.35
मूंग	2.54	15.00
अरहर	849.23	269.75
तिल	514.22	140.32
मूंगफली	102.32	69.85
ढैंचा	540.76	240.00
सोयाबीन	11.28	--
परीक्षण (नई प्रजातियों का परीक्षण)	12.50	32.49
योग : खरीफ	54808.37	49519.89
रबी :		
गेहूं	61101.18	63891.74
जौ	6277.01	5411.33
चना	1644.29	1972.15
मटर	1282.76	1579.62
मसूर	344.68	725.90
राई	1722.17	2426.32
तोरिया	126.70	190.66
अलसी	80.57	190.80
परीक्षण (नई प्रजातियों का परीक्षण)	45.24	95.58
योग : रबी	72624.60	76491.10
महायोग :	127432.97	126010.99

वर्ष 2007-08 व 2008-09 में क्रमशः रु0 27.08 करोड़ व रु0 28.23 करोड़ की आय बीज उत्पादन से हुई है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

कृषि को उद्योग का दर्जा देने पर विचार

*11-श्री जोखू लाल यादव-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि को उद्योग का दर्जा देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो सरकार की क्या कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

ऐसी कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री जोखू लाल यादव-

हमने माननीय मंत्री जी से इस देश के 80 फीसदी लोग जो खेती से गुजर बसर करते हैं उससे सम्बन्ध रखते हैं उस सम्बन्ध में सवाल किया था कि क्या कृषि मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कृषि को उद्योग का दर्जा देने पर सरकार विचार करेगी ? हमारे सवाल के दो भाग में एक का उत्तर आया कि ऐसी कोई योजना नहीं है ? दूसरा भाग यदि हां, तो सरकार की क्या कार्य योजना है इस सम्बन्ध में उत्तर आया कि प्रश्न नहीं उठता। तीसरा हमारी यह जानने की इच्छा थी कि देश के 80 फीसदी लोग खेती पर निर्भर करते हैं और खेती का हाल यह है कि व्यापार और उद्योग घन्धे करने वाले लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और जो लोग खेती करते हैं उनकी हालत दिन प्रतिदिन गम्भीर होती जा रही है। इस सम्बन्ध में हमारी इच्छा थी कि क्या सरकार कृषि को उद्योग का दर्जा देगी उसका जवाब आया कि ऐसी कोई योजना नहीं है। मुझे इस बात का खेद है कि 80 फीसदी लोग जो खेती पर निर्भर हैं उनके लिये कोई कार्य योजना नहीं बनाई जा रही है और कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार क्यों नहीं देना चाहती है उद्योग का दर्जा ? जो दूसरे प्रश्न का अंश था उसमें जानना चाहता हूं कि सरकार बताये कि क्यों नहीं योजना बना रहे हैं ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

माननीय अध्यक्ष जी, भारत के संविधान के शिड्यूल 7 स्टेट लिस्ट सेकेन्ड में आइटम नम्बर 14 पर कृषि एवं कृषि शिक्षा का उल्लेख किया गया है। इस के अनुसार मान्यवर, संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई राज्य चाहे तो कृषि शिक्षा और कृषि के बारे में अपनी नीति बना सकता है। जहां तक कृषि को उद्योग का दर्जा देने का प्रश्न है, मान्यवर, आज पंजाब

को खेती में सबसे आगे माना जाता है। भारतवर्ष में किसी भी प्रदेश में कृषि को उद्योग का दर्जा आज तक नहीं दिया गया। कृषि को उद्योग का दर्जा देने से किसान का नुकसान होने की सम्भावना ज्यादा है फायदे की सम्भावना नहीं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

*12-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

[पहले सोमवार के तारांकित प्रश्न सं0-2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में नये उद्योगों को आकर्षित करने हेतु औद्योगिक नीति

*13-श्री सतीश महाना।

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नये उद्योगों को आकर्षित करने हेतु कोई औद्योगिक नीति सरकार द्वारा बनाई गई है ? यदि हां, तो वर्ष 2009 में प्रदेश में कितने नये उद्योग कहां-कहां स्थापित हुए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2009-10 में माह दिसम्बर तक जनपद कुशीनगर में 1, हरदोई में 2, गौतम बुद्ध नगर में 6 एवं मिर्जापुर में 1 वृहद उद्योग स्थापित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

लाचार, गरीब एवं असहाय वृद्ध व्यक्तियों के जीवन यापन हेतु वृद्धावस्था पेंशन योजना

*14-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के लाखों वृद्धावस्था प्राप्त लोग, लाचारी, गरीबी और असहाय का जीवन जी रहे हैं ? क्या सरकार ऐसे वृद्ध महिला एवं पुरुषों की सहायता हेतु प्रदेश के सभी जिलों में वृद्धाश्रम खोलने एवं वहां रहने वाले लोगों को अनुमन्य सुविधायें प्रदान करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

लाचार, गरीब एवं असहाय वृद्ध व्यक्तियों के जीवन-यापन हेतु वृद्धावस्था पेंशन योजना सरकार द्वारा चलायी जा रही है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा निराश्रित एवं अशक्त वृद्ध पुरुषों के लिये एक राजकीय वृद्ध अशक्त गृह, लखनऊ में तथा महिला कल्याण विभाग द्वारा एक वृद्ध अशक्त गृह महिलाओं हेतु वाराणसी में संचालित है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में भारत सरकार द्वारा अनुदानित स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से भी वृद्ध गृहों का संचालन किया जा रहा है जिसका लाभ प्रदेश के वृद्ध जनों को मिल रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट :-नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न सं0-11 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

तहसीलदार बक्शी का तालाब, लखनऊ द्वारा ग्राम मड़ियांव के खाता संख्या-593 की भूमि के फर्जी इन्द्राज को निरस्त करने हेतु प्रेषित रिपोर्ट

1-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ की सदर तहसील के ग्राम मडियांव के खाता संख्या 593 (वर्तमान खतौनी 1411-1416 फसली) पर श्री राजेन्द्र कान्त पुत्र रमा कान्त, निवासी लखनऊ का नाम श्रेणी-1 (क) संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है जबकि उक्त भूमि 1359 फसली में खाता संख्या 593 के गाटे, ऊसर तालाब, नाले आदि के रूप में ग्राम समाज की भूमि के रूप में दर्ज थे ? यदि हां, तो क्या तहसीलदार बक्शी का तालाब लखनऊ ने उक्त भूमि के फर्जी इन्द्राज को निरस्त करने हेतु दिनांक 20-2-08 को जिलाधिकारी, लखनऊ को पुनः ग्राम सभा के रूप में दर्ज किये जाने की रिपोर्ट प्रेषित की थी जिस पर खातेदार द्वारा स्थगनादेश प्राप्त किया गया है ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हुए करोड़ों रुपयों के राज्य हित को देखते हुए तथा स्थगनादेश को समाप्त कराने हेतु मा0 उच्च न्यायालय में पैरवी की गई ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां। जनपद लखनऊ के ग्राम मड़ियांव के खाता संख्या-593 वर्तमान खतौनी 1411-1416 फ0 पर श्री राजेन्द्र कान्त पुत्र रमाकान्त निवासी लखनऊ का नाम श्रेणी-1 (क) संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। यह भूमि 1359 फ0 की खतौनी में वर्तमान खतौनी के खाता संख्या-593 से सम्बन्धित गाटे-गाटा संख्या-1638/1, 1679, 1640, बंजर, दीगर तथा 1593, 1641 ऊसर तथा 309ज, 679/1ज, 302/2अ, 309/2 तालाब तथा 1556 नाला व 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1594 मैकू वल्द मातादीन तथा 1674, 1677 लालता वल्द दीना व मथुरा वल्द गुजई खातेदारों के नाम दर्ज हैं। प्रकाश में आने पर तत्कालीन तहसीलदार बी0के0टी0 द्वारा दिनांक 20-2-08 को पुनः ग्राम समाज में दर्ज किये जाने हेतु आख्या जिलाधिकारी, लखनऊ को दी गयी जिसके आधार पर उप जिलाधिकारी बी0के0टी0 के न्यायालय में वाद संख्या-9/16/36/09-10 धारा 33/39 एल0आर0 एक्ट दर्ज किया गया जिसके विरुद्ध श्री राजेन्द्र कान्त अग्निहोत्री द्वारा उच्च न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त किया गया।

उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या-3077 (एम0बी0) 2008 में दिनांक 15-7-08 को उच्च न्यायालय में प्रति शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है। पुनः मा0 न्यायालय में पूरक शपथ-पत्र दिनांक 3-9-08 को प्रस्तुत किया जा चुका है। स्थगनादेश समाप्त किये जाने हेतु मा0 न्यायालय में याचना प्रस्तुत की जा चुकी है। अभी तक मा0 उच्च न्यायालय द्वारा कोई अन्य आदेश पारित नहीं किया गया है। वाद की निरन्तर पैरवी करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वांचल में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता

2-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल में वर्तमान में प्रत्येक किस्म की खाद की कितनी मांग है और उसके सापेक्ष कितनी उपलब्धता है ? क्या सरकार पूर्वांचल में खाद की मांग के अनुसार पूर्ति कराने की कोई व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

पूर्वांचल के बस्ती, गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, विन्ध्याचल, इलाहाबाद, फैजाबाद एवं देवीपीटन मण्डलों हेतु वर्तमान रबी 2009-2010 में माह दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष रसायनिक उर्वरकों की उपलब्धता की स्थिति दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 तक निम्नानुसार है :-

(मात्रा मी0 टन में)

क्र0सं0	उर्वरक	लक्ष्य (दिसम्बर, 2009 तक)	उपलब्धता (31 दिसम्बर, 2009 तक)	वितरण (31 दिसम्बर, 2009 तक)
1	यूरिया	5,66,600	6,22,772	4,99,148
2	डी0ए0पी0 + एन0पी0के0	4,33,774	4,93,964	4,37,309
3	एम0ओ0पी0	48,187	81,311	58,560

रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता के लिए प्रदेश पूरी तरह भारत सरकार पर आश्रित है। प्रदेश सरकार निरन्तर भारत सरकार के सम्पर्क में है। आशा है कि भारत सरकार के सहयोग से पूर्वांचल सहित समस्त प्रदेश के कृषकों को ससमय उर्वरक उपलब्धता में कोई समस्या नहीं होगी।

प्रासंगिक नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के कतिपय गांवों में जलभराव के कारण रबी व खरीफ की फसल के उपज न देने विषयक पत्र

3-श्री उदयभान करवरिया-

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लोहगरा, चन्दरा, पिपरांव, भेलांव, ललई जनपद इलाहाबाद की लगभग 1000 बीघे जमीन जलभराव के कारण रबी व खरीफ की फसल के उपज न देने विषयक एस0डी0एम0 बारा के पत्र संख्या 466/एस0टी0/दिनांक 26 जून, 2008 के संबंध में जिलाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा समस्या के निदान हेतु क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

उप जिलाधिकारी, बारा के पत्र दिनांक 26 जून, 2008 के सन्दर्भ में वित्तीय वर्ष 2008-09 में भूमि संरक्षण अधिकारी, फूलपुर, इलाहाबाद द्वारा जल निकासी का कार्य किसान हित योजना के अन्तर्गत कराकर प्रभावित गांवों की 214 हे0 भूमि की समस्या का निराकरण कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के ग्राम मुकाम में आबादी के मध्य स्थित गड्ढेयुक्त ग्राम सभा की भूमि को समतल कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र

4-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के नानपारा तहसील के मौजा मुकाम पो0 रिसिया बाजार शंकरपुर कस्बे में आबादी के मध्य स्थित गड्ढेयुक्त ग्राम सभा की भूमि को समतल कराये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बहराइच को शासन के राजस्व अनुभाग-2 के पत्र संख्या 2780/1-2-2008--रा-2, दिनांक 23-10-08 द्वारा कोई निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो इस दिशा में जिला प्रशासन बहराइच द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

ग्राम मुकाम में आबादी के मध्य गाटा संख्या-74 क्षेत्रफल 0.075 हे0 भूमि राजस्व अभिलेखों में खाद गड्ढे के रूप में अंकित है। यह भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, जिसको ग्रामवासी खाद गड्ढे के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। चूंकि यह भूमि सार्वजनिक उपयोग की है और खाद गड्ढे के रूप में प्रयोग की जा रही है, इस कारण समतलीकरण नहीं किया गया।

श्री हरीशंकर, थाना व तहसील सिकन्दरपुर, जनपद बलिया की भूमि पर कतिपय लोगों का कब्जा विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

5-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 सभापति, सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का पत्रांक 890/09, दिनांक 29-4-09 जो श्री हरीशंकर पुत्र श्री रामा निवासी हरदिया, थाना व तहसील-सिकन्दरपुर, जनपद-बलिया की भूमि पर कतिपय लोगों द्वारा जबरन कब्जा किये जाने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण की स्थलीय जांच करायी गयी। उक्त भूमि पुरानी आबादी की भूमि है जिस पर पूरा गांव बसा है। मामला न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में स्थापित पशु चिकित्सालय के सापेक्ष पशु चिकित्सक एवं पशुधन प्रसार अधिकारी की तैनाती

6-श्री जोखू लाल यादव-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में कुल कितने पशु चिकित्सालय हैं तथा उनके सापेक्ष कितने पशु चिकित्सक एवं पशुधन प्रसार अधिकारी तैनात हैं ? क्या पशु चिकित्सक एवं प्रशिक्षित पशुधन प्रसार अधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन एवं दुग्ध विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अवधपाल सिंह यादव)-

जनपद-इलाहाबाद में 48 पशु चिकित्सालय स्थापित हैं, जिनके सापेक्ष 30 पशु चिकित्साधिकारी, तैनात हैं। पशु चिकित्साधिकारियों के 18 पद रिक्त हैं। उक्त पशु चिकित्सालयों में कोई पशुधन प्रसार अधिकारी तैनात नहीं हैं क्योंकि इन पशु चिकित्सालयों हेतु पशुधन प्रसार अधिकारी के पद स्वीकृत नहीं हैं।

चयन वर्ष 2009-10 तक पशु चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों के सापेक्ष चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। लोक सेवा आयोग से चयन के पश्चात् पशु चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों पर तैनाती की जाएगी। पशु चिकित्सालयों में पशुधन प्रसार अधिकारियों का पद स्वीकृत न होने के कारण इन पशु चिकित्सालयों में पशुधन प्रसार अधिकारियों की नियुक्ति संभव नहीं है।

जनपद बरेली के कतिपय ग्रामों में नवनिर्मित बाल विकास भवन के निर्माण में लगायी गयी घटिया निर्माण सामग्री के सम्बन्ध में पत्र

7-श्री सुल्तान बेग-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र के संदर्भ में मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र संख्या सी0एम0/वि0को0/एम-194659/2009, दिनांक 30-1-2009 जो जनपद बरेली की तहसील व ब्लाक मीरगंज के ग्राम चुरई दलपतपुर, सिधौली, मसीहाबाद तथा गहबरा में नवनिर्मित बाल विकास भवन के निर्माण में लगाई गई घटिया निर्माण सामग्री के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

सहायक अभियन्ता जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बरेली से कराई गई जांच में पाई गई ऐसी कमियों जिनको मरम्मत से दूर किया जा सकता था, का निराकरण करने हेतु सम्बन्धित

निर्माणकर्ताओं से मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कराया जा चुका है, ऐसी कमियों, जिनका निराकरण मरम्मत से सम्भव नहीं है, का आंकलन कराकर कुल धनराशि रुपये 4376.00 सम्बन्धित ग्राम प्रधान (निर्माणकर्ता) से वसूली कर राजकोष में जमा करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के सामान्य प्रबन्धक, पराग डेरी द्वारा दूध में मिलावट के भ्रष्टाचार की जांच

8-श्री सुल्तान बेग-

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को/एम-194306/2009, दिनांक 27-1-2009 जो जनपद बरेली के सामान्य प्रबन्धक, पराग डेरी के दूध में मिलावट के भ्रष्टाचार की जांच किसी उच्चाधिकारी से कराये जाने से सम्बन्धित था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रकरण की जांच क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी, बरेली मण्डल बरेली से करायी गयी तथा जांच में शिकायतें तथ्यों पर आधारित नहीं पायी गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर-खीरी के ग्राम पड़रिया तुला में श्मशान एवं स्कूल की सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा हटाने की मांग

9-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील गोला के अन्तर्गत ग्राम पड़रिया तुला में श्मशान एवं स्कूल की सार्वजनिक भूमि पर पप्पू सिंह, शम्भा सिंह, छोटवा, बेड़वा आदि के द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध कब्जा हटवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

खलीक अहमद कन्या इण्टर कालेज की भूमि गाटा संख्या-394/0.632 हे0 पर किसी के द्वारा अवैध कब्जा नहीं किया गया हैं शमशान की भूमि गाटा संख्या-164/0.182 हे0 में से 0.018 हे0 पर शम्भा सिंह पुत्र मंगल सिंह निवासी राघवपुरवा म0 दरियाबाद द्वारा अवैध कब्जा किया गया है।

शमशान की भूमि गाटा संख्या-104/0.182 हे0 में से 0.016 हे0 पर अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध तहसीलदार गोला के न्यायालय में धारा-122 बी के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। वाद के निस्तारण के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील क्षेत्र में कार्यरत लेखपालों का स्थानान्तरण

10-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में शासन की स्थानान्तरण नीति के अनुसार विगत दस वर्षों से अधिक समय से एक ही तहसील क्षेत्र में कार्यरत लेखपालों का स्थानान्तरण अन्य तहसीलों में किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत तालाब/पोखरों की संख्या

11-श्री इमरान मसूद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व अभिलेखों के अनुसार जनपद सहारनपुर में कुल कितनी संख्या में तालाब/पोखरे हैं ? उनमें से कितने तालाब/पोखरों पर अतिक्रमण कर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि क्षेत्रफल सहित उसका विवरण क्या है ? क्या मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जनपद- सहारनपुर में तालाब/पोखरों को पूर्ववत् स्वरूप दिये जाने हेतु प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद-सहारनपुर के अन्तर्गत तालाब/पोखरों की संख्या-14089 है जिनका कुल क्षेत्रफल 11696.245 हे0 है। जनपद में अनाधिकृत रूप से तालाबों, पोखरों पर किये गये अवैध कब्जों की संख्या-1320 है। इनका क्षेत्रफल 366.632 हे0 है। इनमें से 701 तालाब/पोखर जिनका क्षेत्रफल 140.276 हे0 है, से अवैध कब्जा हटाया जा चुका है। वर्तमान में 619 तालाब/पोखर जिनका क्षेत्रफल 226.356 हे0 है, पर से अवैध कब्जा हटाया जाना अवशेष है।

जी हां। मा0 न्यायालय एवं शासन के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में अवैध कब्जों के हटाये जाने के उपरान्त तालाब/पोखरों को मूलस्वरूप में लाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

12-श्री अनूप सण्डा-

[पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न सं0 164 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम लखनी मुबारकपुर के चकमार्ग संख्या-1237 एवं 23 पर अवैध कब्जा

13-श्री सुखलाल-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1999 के प्रथम गुरुवार के लिये निर्धारित श्री मोहम्मद मुकीम, स0वि0स0 द्वारा पूछे गये अता0प्र0सं0-7 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि कतिपय लोगों द्वारा प्रश्नगत चकरोड पर पुनः अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चकरोड को अवैध कब्जा से मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

प्रश्नगत प्रश्न संख्या-7 में ग्राम लखनी मुबारकपुर के चकमार्ग संख्या-1237 एवं ग्राम सेहनद के चकमार्ग संख्या-23 निहित है, जिसकी पुनः मौके पर जांच करायी गयी। चकमार्ग पर अतिक्रमण नहीं पाया गया है और आवागमन सुचारु रूप से चल रहा है। राजस्व विभाग द्वारा खाद के गड्ढों के लिये आरक्षित भूमि पर कोई अवैध कब्जा नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम पड़रिया तुला में गाटा संख्या-395 पर अवैध कब्जा हटाने की मांग

14-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील गोला के ग्राम पड़रिया तुला में गाटा सं0 395 अभिलेखों में मरघट दर्ज है ? क्या उक्त भूमि पर कतिपय लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त भूमि पर से अवैध कब्जा कब तक हटा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं। गाटा संख्या-395/0.065 हे0 चकमार्ग के रूप में अभिलेखों में दर्ज है।

जी नहीं। उक्त गाटा संख्या-395 पर किसी का अवैध कब्जा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम पड़रिया तुला में गाटा सं0-165 में अवैध कब्जा हटाने की मांग

15-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील गोला में ग्राम पड़रिया तुला की खतौनी में गाटा सं0 165 खाद के गड्ढों व मरघट के रूप में दर्ज है ? यदि हां, तो उक्त सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जेदार कौन-कौन लोग हैं एवं उनके विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं। भू0 सं0-165/0.210 हे0 शिववीर सिंह, शिवपाल सिंह, वीरपाल सिंह पुत्रगण श्री भारत सिंह व मुन्नी देवी पत्नी भारत सिंह के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखीमपुर खीरी की तहसील लखीमपुर के ग्राम नकहा में गाटा संख्या-271 में अवैध कब्जेदारों को हटाने की मांग

16-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील लखीमपुर के ग्राम नकहा के गाटा संख्या 271 रकबा 0.9140 हे0 राजस्व अभिलेखों में बाजार नाम से

सार्वजनिक भूमि के रूप में दर्ज है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त भूमि पर लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर दुकानें बना ली गई हैं ? यदि हां, तो उक्त अवैध कब्जा कब तक हटा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां। गाटा सं0-0.271 रकबा 0.914 हे0 स्थित ग्राम नकहा राजस्व अभिलेखों में बाजार के नाम श्रेणी-6-2 अकृषिक भूमि अंकित है।

प्रश्नगत भूमि के आंशिक भू-भाग पर मजीब अहमद पुत्र मुसाहिब, अनिल मिश्र व सुनील मिश्र पुत्रगण बाबूराम व सन्तोष दीक्षित पुत्र बालकराम निवासीगण ग्राम नकहा द्वारा अवैध निर्माण किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण में वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। मा0 न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही कार्यवाही सम्भव होगी।

प्रश्न नहीं उठता।

अल्पसंख्यक समुदाय के पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को लाभान्वित किये जाने के सम्बन्ध में पत्र

17-श्री इमरान मसूद-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16-9-08 जो शासनादेश सं0 2558/पि0व0क0/2007-08, दिनांक 18-1-08 को निरस्त करने तथा पिछड़े अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को भी पिछड़े वर्ग में लाभान्वित करने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अवधेश कुमार वर्मा)-

जी नहीं। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में मा0 सदस्य, विधान सभा का संदर्भित पत्र दिनांक 16-9-2008 प्राप्त नहीं हुआ है, परन्तु शासनादेश संख्या-1401/64-2-2009-1(66)/06 टी0 सी0, दिनांक 09 सितम्बर, 2009 द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी एवं बीमारी योजनान्तर्गत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा लाभान्वित किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है।

प्राकृतिक विपदा के तहत आर्थिक सहायता बढ़ाये जाने पर विचार

18-डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राकृतिक विपदा के तहत जनहानि होने, फसल खराब होने एवं पुनर्वास आदि के लिये दी जाने वाली आर्थिक सहायता को क्या सरकार बढ़ाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

आपदा राहत निधि की गाइडलाइन्स में वर्णित राहत सहायता की मानक दरों में वृद्धि भारत सरकार द्वारा की जाती है।

प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध बंदियों के परिवार एवं नाबालिग बच्चों की परवरिश हेतु योजना की जानकारी

19-डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे कैदियों के परिवार विशेषकर नाबालिग बच्चों की परवरिश, शिक्षा तथा सुरक्षा हेतु सरकार कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं। प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध बंदियों के परिवार एवं नाबालिग बच्चों की परवरिश, शिक्षा तथा सुरक्षा कारागार विभाग द्वारा किये जाने का कोई नियम/प्राविधान नहीं है। कारागारों में निरुद्ध केवल महिला बंदियों के साथ उनके 0-6 वर्ष के बच्चों के रखे जाने की पूर्व से ही व्यवस्था है। पुरुष बंदियों के साथ बच्चों को रखे जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

सेवानिवृत्त सहायक चकबन्दी अधिकारी, सीतापुर श्री बन्ने लाल की पेंशन समस्त देयकों के भुगतान की मांग

20-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बन्ने लाल, सहायक चकबन्दी अधिकारी, जि0 सीतापुर दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 को सेवानिवृत्त हो गये थे ? यदि हां, तो क्या उनकी पेंशन तथा समस्त देयकों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

आंशिक भुगतान किया जा चुका है।

श्री बन्ने लाल (सेवानिवृत्त) सहायक चकबन्दी अधिकारी/तत्कालीन चकबन्दीकर्ता द्वारा ग्राम इमलिया, जनपद सुल्तानपुर में जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-6(क) के अन्तर्गत मृतक खातेदार हजारी पुत्र मंगरे की भूमि पर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित करने के कारण उनके विरुद्ध दिनांक 06-11-07 से विभागीय कार्यवाही प्रचलित है।

विभागीय कार्यवाही में अन्तिम निर्णय के उपरान्त ही श्री बन्ने लाल के अन्तिम पेंशन एवं ग्रेचयुटी का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

21-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

तहसील ज्ञानपुर, जिला सन्त रविदास नगर में नाली संख्या-15 से आम रास्ते के लिये छोड़े गये चकरोड पर अवैध कब्जों को हटाने के सम्बन्ध में पत्र

22-श्री सुखलाल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चकवा चन्देल तहसील ज्ञानपुर, जिला सन्त रविदास नगर में नहर के दक्षिण ओर सरकारी नाली संख्या 15 से लगायत आम रास्ते के

लिये छोड़े गये चकरोड पर अवैध रूप से किये गये कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजमणि एवं अन्य का रजिस्टर्ड प्रार्थना-पत्र दिनांक 24-2-09 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

नाली संख्या-15 मि0 क्षेत्रफल 0-0-2 घूर पर सूर्यमणि पुत्र लालमणि अनुसूचित जाति द्वारा टीनशेड डालकर अवैध कब्जा किया गया है जिसे बेदखल करने की कार्यवाही हेतु अपर तहसीलदार ज्ञानपुर के न्यायालय में वाद संख्या-192/2009 विचाराधीन था जिसमें दिनांक 20-01-2010 को सूर्यमणि को बेदखल करने तथा क्षतिपूर्ति वसूलने का आदेश पारित किया गया है। सूर्यमणि द्वारा पुनर्स्थापन प्रार्थना-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसमें अग्रिम तिथि 28-01-2010 नियत है। पुनर्स्थापन प्रार्थना-पत्र के निस्तारण के बाद अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत ग्राम सभा पड़रिया तुला में सड़क के किनारे स्थित शमशान के लिये आरक्षित भूमि पर अवैध कब्जा

23-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील गोला के अन्तर्गत ग्रामसभा पड़रिया तुला में सड़क के किनारे स्थित श्मशान के लिये आरक्षित भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो अवैध कब्जे को कब तक हटवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां। ग्राम सभा पड़रिया तुला में सड़क के किनारे स्थित गाटा संख्या-164/0.162 हे0 मरघट के रूप में दर्ज है जिसमें दक्षिणी भाग पर सम्भा सिंह पुत्र मंगल सिंह निवासी राधनपुरवा म0 दरियाबाद के द्वारा 164 मि0/0.016 हे0 पर अवैध कब्जा कर लिया गया है।

प्रकरण में उ0 प्र0 ज0 वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा-122 बी के अन्तर्गत अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार गोला में वाद विचाराधीन है। वाद के निस्तारण के उपरान्त यथा आदेश कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम पड़रिया तुला, जनपद लखीमपुर खीरी में खाद के गड्ढों के लिये आरक्षित भूमि पर अवैध कब्जा

24-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील गोला के ग्राम पड़रिया तुला में राजस्व विभाग द्वारा खाद के गड्ढों के लिये आरक्षित भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकारी/सार्वजनिक भूमि पर से कब्जा हटाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

राजस्व विभाग द्वारा खाद के गड्ढों के लिये आरक्षित भूमि पर कोई अवैध कब्जा नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

तहसील महमूदाबाद के ग्राम मुसैदाबाद के पट्टेदारों को कब्जा दिलाने की कार्यवाही

25-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा मुसैदाबाद तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर में पट्टेदारों को लगभग बीस वर्षों से जमीन पर कब्जा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उपरोक्त गांव के पट्टेदारों को यथाशीघ्र पट्टा देते हुए अवैध कब्जेदारों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं। तहसील महमूदाबाद के ग्राम मुसैदाबाद के 44 व्यक्तियों को सीलिंग भूमि का कृषि हेतु आवंटन वर्ष 1987 में हुआ था। सभी को पट्टे की भूमि पर कब्जा दिला दिया गया था जिसमें से 24 पट्टेदार पट्टे की भूमि को जोतते बोते रहे शेष भूमि पर छुटपुट पेड़ जो वन विभाग के द्वारा लगाये गये थे, के कारण पट्टेदारों द्वारा पट्टे की भूमि को न जोतने-बोने के कारण कृषि कार्य नहीं किया गया। यद्यपि उक्त भूमि पर छुटपुट पेड़ लगे हैं परन्तु उसमें कृषि कार्य किया जा सकता है जिससे शेष 20 पट्टेदारों को पुनः कब्जा दिला दिया गया है।

वर्तमान समय में आवंटित भूमि पर पट्टेदारों का कब्जा है। किसी व्यक्ति विशेष का अवैध कब्जा न होने के कारण कानूनी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाकों में चकबन्दी का कार्य

26-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में किन-किन ब्लाकों में चकबन्दी का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है ? क्या चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ एवं पुनः चकबन्दी करने हेतु कोई समय-सीमा होती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद-प्रतापगढ़ के ब्लाक लक्ष्मणपुर, तहसील-लालगंज अझारा के ग्राम मिश्रपुर में चकबन्दी का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

उ0 प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा-4(1)(क) में यह प्राविधान है कि यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि कोई जिला या उसका भाग चकबन्दी क्रियाओं के अधीन लाया जाय तो वह गजट में इस आशय का प्रख्यापन कर सकती है।

पुनः चकबन्दी करने हेतु चकबन्दी अधिनियम की धारा-4 क(1) के अन्तर्गत 20 वर्ष की समय सीमा निर्धारित है, किन्तु विशेष परिस्थितियों में लोक हित में यह समय सीमा 10 वर्ष है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कृषि विभाग के सरकारी फार्म

27-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषि विभाग के कुल कितने सरकारी फार्म हैं तथा कौन-कौन से फार्म लाभ एवं हानि में हैं ? क्या सरकार द्वारा कृषि फार्मों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने एवं उनसे लाभ प्राप्त करने की कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

प्रदेश में कृषि विभाग के कुल 165 सरकारी फार्म हैं। 124 फार्म लाभ एवं 41 फार्म हानि पर हैं।

जी हां।

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों (फार्मों) का सुदृढ़ीकरण एवं मैक्रोमोड योजना में प्रक्षेत्रों (फार्मों) को आधुनिक कृषि तकनीकी यंत्रों की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना तैयार की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में वृद्धावस्था पेंशन की जानकारी

28-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में वृद्धावस्था पेंशन कितने लोगों को दी जा रही है ? क्या सरकार द्वारा प्रतापगढ़ के सभी पात्रों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में वर्तमान में 10373 लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है।

मानक के अनुसार पात्र व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

29-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

[पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न सं0-149 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम पड़रिया तुला में के0 ए0 यू0 के0 इण्टर कालेज की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत

30-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के थाना भीरा के अन्तर्गत ग्राम पड़रिया तुला में के0ए0यू0के0 इण्टर कालेज की भूमि गाटा सं0 394 पर अवैध कब्जे की शिकायत थाना दिवस 01-08-09 को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या अवैध कब्जा हटाकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

विद्यालय की भूमि गाटा संख्या-394 का दर्ज क्षेत्रफल 0632 हे0 मौके पर पूरा है तथा कोई अवैध कब्जा नहीं है अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का औचित्य नहीं है।

कृषि उत्पादन मण्डी समिति में कार्यरत समस्त मण्डी कर्मियों को छठे वेतनमान दिये जाने की जानकारी

31-श्री छत्रपाल सिंह-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषि उत्पादन मण्डी समिति में कार्यरत समस्त मण्डी कर्मियों को अभी तक चतुर्थ वेतनमान ही दिया जा रहा है जबकि प्रदेश के राज्य कर्मियों को छठे वेतनमान की सुविधा प्रदत्त कर दी गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार मण्डी कर्मियों को भी राज्य कर्मियों की भांति पांचवां व छठा वेतनमान देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं। प्रदेश की मण्डी समितियों के 12 संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों को पंचम वेतनमान दिया जा रहा है तथा 11 संवर्गों के पुनरीक्षण का प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है। अवशेष संवर्गों का पंचम वेतन प्रभावी होने पर छठे वेतन के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम पलिहुआ, जिला शाहजहांपुर के निवासी श्री प्रेमपाल सिंह की आवासीय भूमि पर अवैध कब्जेदारों को हटाये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

32-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पलिहुआ, थाना जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर के निवासी श्री प्रेमपाल सिंह पुत्र मुलायम सिंह द्वारा अपने आवासीय भूमि पर गांव के ही दबंग व्यक्ति बालकिशन यादव एवं अन्य द्वारा किये जा रहे अवैध कब्जे को हटाये जाने विषयक संलग्न प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र सहित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-08-2009 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण मा0 सिविल जज (सि0डि0) शाहजहांपुर के न्यायालय में विचाराधीन है। मा0 न्यायालय द्वारा जो भी अन्तिम आदेश पारित किया जायेगा, तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

33-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न सं0-167 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मा0 विधायकों को जाति प्रमाण-पत्र व आय प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार की जानकारी

34-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मा0 विधायकों को जाति प्रमाण-पत्र व आय प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार है ? यदि हां, तो उनका यह अधिकार पूर्ण रूप से स्वतंत्र है या किसी अधीनस्थ अधिकारी की आख्या पर प्रमाण-पत्र जारी कर सकते हैं ? यदि नहीं, तो क्या इसकी अलग से कोई राजाज्ञा जारी की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद सुल्तानपुर में पंत स्पोर्ट्स स्टेडियम में खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधायें

35-श्री अनूप सण्डा-

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर में पंत स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्या खिलाड़ियों को न्यूनतम आवश्यक सुविधायें उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच में ग्राम गोडहिया में सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियायें

36-श्री प्रदीप माथुर-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बहराइच, तह0 कैसरगंज परगना हिसामपुर के ग्राम गोडहिया में किस वर्ष से भू-लेख एवं सर्वेक्षण प्रक्रिया चल रही है ? क्या उक्त ग्राम के भू-लेख एवं सर्वेक्षण प्रक्रियाधीन होने पर खतौनी तथा अन्य राजस्व अभिलेख जनपद मुख्यालय से लेने पड़ते हैं जो लगभग 60 कि0मी0 दूर है ? यदि हां, तो वर्ष 1982 से अब तक प्रक्रिया के विलम्ब होने तथा किसानों के हित में क्या सरकार कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां, वर्ष 1982 से ग्राम गोडहिया में सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियायें प्रचलित हैं।

जी हां, ग्राम गोडहिया की वास्तविक दूरी जनपद मुख्यालय से लगभग 45 कि0मी0 है।

प्रक्रिया में विलम्ब सर्वे स्टाफ की कमी होने के कारण है तथा प्रश्नगत ग्राम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने एवं घाघरा नदी की कटान के कारण सर्वे क्रियायें बाधित होती रहती हैं, इस कारण सर्वेक्षण कार्यों को नये सिरे से पुनः कराना पड़ता है। शीघ्र सर्वे कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु पर्याप्त स्टाफ की तैनाती के सम्बन्ध में राजस्व परिषद् को निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा-49 के अन्तर्गत निर्णय के सम्बन्ध में जानकारी

37-श्री लाल जी यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी प्रक्रिया समाप्ति धारा-6 की उपधारा-1 के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित, आकार पत्र 45 में श्रेणी-1 का संक्रमणीय भूमिधर अधिकार अंकित हो, ऐसी भूमि को ग्राम समाज में अंकन किया गया आदेश उत्तर प्रदेश चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा-12 (1), धारा-27 की उपधारा-2 तथा धारा-49 में प्रवृत्त प्राविधानों के प्रतिकूल माना जायेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे आदेशों को संज्ञान में आने पर निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

सदैव नहीं। धारा-49 चकबन्दी अधिनियम के सम्बन्ध में मा0 न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों में अपवाद सृजित है। फर्जी व कूटरचित प्रविष्टियों को धारा-33/39 भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत शुद्ध किए जाने के बाद में धारा-49 बाधक नहीं है।

जी नहीं। न्यायालयों के आदेशों में प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के ग्राम बरावनकला से बील्हाहार तक क्षतिग्रस्त सड़क के डामरीकण की मांग

38-श्री लाल जी यादव-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखनऊ-हरदोई रोड स्थित ग्राम बरांवन कला से बील्हाहार तक मण्डी परिषद् द्वारा बनायी गयी सड़क पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त एवं गड्ढायुक्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त/गड्ढायुक्त सड़क का डामरीकरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

ग्राम बरावनकला से जील्हाहार तक सड़क मण्डी परिषद् द्वारा नहीं बनाई गयी थी, बल्कि ग्राम मौरा से जील्हाहार होते हुए जेहटा तक मार्ग का निर्माण वर्ष 1997 में किया गया था। यह सड़क आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त एवं गड्ढायुक्त है।

यह कार्य लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

39-डा0 अनिल चौधरी-

[पहले बुधवार के अतारांकित प्रश्न सं0-161 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

40-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

[पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न सं0-162 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद महामायानगर में पिछड़े वर्ग की लड़कियों की शादी हेतु दिये गये आवेदन-पत्रों पर अनुदान

41-डा0 अनिल चौधरी-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महामायानगर में पिछड़े वर्ग की लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय वर्ष 2008-09 में कितने लोगों ने आवेदन किया तथा कितने पात्र पाये गये ? इनमें से कितनी लड़कियों की शादी के लिए अनुदान दिया गया ?

श्री अवधेश कुमार वर्मा-

जनपद-महामायानगर में पिछड़े वर्ग की लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय वर्ष 2008-09 में 423 लोगों द्वारा आवेदन किया गया। इनमें 413 आवेदन-पत्र पात्र पाए गए। धन की उपलब्धता के आधार पर 165 आवेदकों को लड़कियों की शादी हेतु अनुदान दिया गया।

जनपद-महामायानगर में अनुसूचित जाति की लड़कियों की शादी हेतु प्राप्त आवेदन-पत्र

42-डा0 अनिल चौधरी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महामायानगर में अनुसूचित जाति की लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय वर्ष 2008-09 में कितने लोगों ने आवेदन किया तथा कितने पात्र पाये गये हैं ? इनमें से कितनी लड़कियों की शादी के लिए अनुदान दिया गया है ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद-महामायानगर में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए वित्तीय वर्ष 2008-09 में 942 व्यक्तियों ने आवेदन-पत्र दिया था, जिसमें से 647 आवेदन-पत्र पात्र पये गये।

पात्र पाये गये आवेदन-पत्रों में से 397 आवेदकों को शादी हेतु अनुदान दिया गया है।

राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना के अन्तर्गत आगरा एवं अलीगढ़ मण्डल में स्वीकृत योजनायें

43-डा0 अनिल चौधरी-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन के अन्तर्गत आगरा एवं अलीगढ़ मण्डल में जनपदवार सत्र, 2007-08 व 2008-09 में स्वीकृत की गयी योजनाओं, इनकी लागत, संस्तुति संस्थाओं, योजनाओं की प्रगति तथा उत्पादकता एवं रोजगार के सृजन का विवरण क्या सरकार उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरायण सिंह-

औद्यानिक मिशन योजना वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 में आगरा मण्डल के जनपद आगरा, मथुरा एवं मैनपुरी तथा अलीगढ़ मण्डल के जनपद महामायानगर में संचालित की गयी। इन जनपदों में योजना का क्रियान्वयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला औद्यानिक मिशन के द्वारा किया गया है। वर्ष 2007-08 तथा वर्ष 2008-09 में आगरा मण्डल तथा अलीगढ़ मण्डल के उक्त जनपदों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष भौतिक/वित्तीय प्रगति एवं प्रत्यक्ष रोजगार सृजन/लाभार्थी संख्या का विवरण संलग्नक में कार्यक्रमवार उल्लिखित है।

संलग्नक-यथोक्त।[†]

प्रश्न नहीं उठता।

"मेन्टीनेंस ट्रिब्यूनल" का गठन एवं "ओल्डर एजहोम" स्थापित करने की मांग

44-डा0 अनिल चौधरी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा दिसम्बर, 2007 में संसद द्वारा पारित अधिनियम "मेन्टीनेंस एण्ड वेलफेयर आफ पेरेन्ट्स एण्ड सीनियर सिटीजन्स ऐक्ट" प्रदेश सरकार द्वारा अंगीकृत कर अधिसूचित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या इस ऐक्ट की भावना के अनुरूप "मेन्टीनेंस ट्रिव्यूनल" के गठन एवं प्रत्येक जनपद में "ओल्डर

[†]छापी नहीं गयी।

एजहोम" स्थापित करने के सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

भारत सरकार से कतिपय स्पष्टीकण प्राप्त न होने के कारण "द मेंटीनेंस एण्ड वेलफेयर आफ पेरेन्ट्स एण्ड सीनियर सिटीजन ऐक्ट 2007" को प्रदेश में अंगीकृत नहीं किया जा सका है।

उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद् के निर्वाचन हेतु चुनाव अधिकारी की नियुक्ति

45-डा0 अनिल चौधरी-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 पशुचिकित्सा परिषद् के निर्वाचन हेतु चुनाव अधिकारी की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-50026/रालोद/विमदल/विस/09, दिनांक 13-2-09 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवध पाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम भुवाकला, तहसील सदर, जनपद जौनपुर में चकबन्दी प्रक्रिया की त्रुटियों की जांच

46-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-जौनपुर के ग्राम भुवाकला की चकबन्दी रिमाण्ड व उच्च स्तरीय जांच की मांग सम्बन्धी श्री नीरज कुशवाहा, विधायक के पत्र पर मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र सं0-सी0एम0/206119/ 2009, दिनांक 20-8-09 के अनुपालन में चकबन्दी रिमाण्ड कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं। ग्राम भुवाकला, तहसील सदर, जनपद जौनपुर की चकबन्दी प्रक्रिया के सम्बन्ध में श्री नीरज कुशवाहा, मा0 सदस्य, विधान सभा, जलालाबाद के प्रश्नगत-पत्र के साथ संलग्न श्री शिव सिंह चन्देल के प्रार्थना पत्र दिनांक 04-08-09 की जांच कराई गयी। बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, जौनपुर द्वारा की गयी प्रारम्भिक जांच में ग्राम भुवाकला की चकबन्दी प्रक्रिया में अत्यधिक त्रुटियां पायी गयी हैं। प्रकरण में नियमानुसार न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के जनपदों में जिला रायफल क्लब/एसोसियेशन से सम्बन्धित पदाधिकारी तथा वित्तीय व्यवस्था

47-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के किन-किन जनपदों में जिला रायफल क्लब/एसोसियेशन गठित है और इनके पदाधिकारी व सदस्य कौन लोग होते हैं तथा इनकी वित्तीय व्यवस्था कैसे की जाती है ? प्रदेश के महानगरों लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद तथा

मेरठ की वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 31 अगस्त, 09 तक आय-व्यय की क्या स्थिति है ?

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

प्रदेशीय खेल संघ स्वायत्तशासी संस्था है और इनसे सम्बन्धित जिला इकाइयां भी स्वायत्त होती हैं जिन पर खेल विभाग का कोई नियंत्रण नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की विभिन्न जेलों में निरुद्ध वृद्ध एवं बीमार कैदियों की रिहाई पर विचार

48-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के विभिन्न जेलों में निरुद्ध वृद्ध एवं बीमार कैदियों को छोड़ने हेतु शासन विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रदेश की विभिन्न जेलों में निरुद्ध रुग्ण, उम्रदराज, विकलांग व असहाय सिद्धदोष पुरुष व महिला बन्दियों की समयपूर्व रिहाई पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-432 सपठित उ0 प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-195, 196 एवं 197 के अन्तर्गत फार्म-ए/नामिनल रोल/इनफरमिटी रोल के आधार पर विहित प्राधिकारियों की आख्या/संस्तुति प्राप्त होने पर शासन द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

उक्त विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत ऐसे बन्दियों की रिहाई के प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 02 जून, 2008 निर्गत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

दुग्ध उत्पादन के प्रोत्साहन हेतु कम ब्याज दर या छूट पर ऋण उपलब्ध कराने की जानकारी

49-श्री जोखू लाल यादव-

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन के लिये दुधारू पशुओं की खरीद हेतु कम ब्याज दर पर अथवा छूट पर ऋण उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से उन्नतशील नस्ल के दुधारू पशुओं के लिए अनुदान देकर रियायती मूल्य पर क्रय करने के लिए वित्तीय वर्ष 2009-10 से भारत सरकार का राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत सघन मिनी डेरी परियोजना का क्रियान्वयन प्रदेश के समस्त जनपदों में किया जा रहा है। परियोजनान्तर्गत दो, चार, छः, आठ एवं दस दुधारू पशुओं की मिनी डेरी की स्थापना शासकीय सहायता एवं बैंक ऋण के माध्यम से दुग्ध समिति ग्रामों में करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में दैविक आपदा से क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु सहायता

50-श्री जोखू लाल यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दैविक आपदा (बाढ़/अतिवृष्टि/आगजनी) से पक्के मकानों तथा कच्चे मकानों के ढह जाने की स्थिति में प्रभावित/पीड़ित व्यक्तियों को कितनी अनुदान धनराशि क्रमशः प्रदान की जाती है तथा इन परिस्थितियों में प्रभावित परिवारजनों को कितनी अहेतुक सहायता प्रदान की जाती है ? उसके मानक क्या हैं ? क्या सरकार उक्त अनुदान धनराशियों के बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

भारत सरकार द्वारा आपदा राहत निधि के सम्बन्ध में जारी गाइडलाइन्स में उल्लिखित तथा प्रश्न में संदर्भित आपदा की मदों एवं उक्त मदों में प्रभावितों को सहायता दिये जाने की मानक दरें निम्नानुसार निर्धारित हैं :-

<u>क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु सहायता</u>

(अ) पूर्णतः क्षतिग्रस्त/नष्ट मकान

1-पक्का मकान रु0-35,000/-प्रति मकान

2-कच्चा मकान रु0-10,000/-प्रति मकान

(ब) <u>अधिकांश क्षतिग्रस्त मकान</u>

1-पक्का मकान रु0 15,000/- प्रति मकान

2-कच्चा मकान रु0-2500/- प्रति मकान

(स) आंशिक क्षतिग्रस्त मकान कच्चा/पक्का (झोपड़ी के अतिरिक्त) (जहां पर नुकसान कम से कम 15 प्रतिशत की सीमा तक हुआ हो) उनको रु0-1500/-प्रति मकान दर से सहायता प्रदान की जाती है।

<u>(द) झोपड़ी क्षतिग्रस्त/नष्ट</u>

1-प्रति झोपड़ी रु0-2000/-

2-झोपड़ी से आशय-फूस, मिट्टी, प्लास्टिक शीट आदि से बने अस्थाई निवास जो कच्चे मकान से भी निम्न श्रेणी के हों।

<u>अहेतुक सहायता</u>

(अ) मृतकों के परिवार को देय अनुग्रह सहायता-

मृतक के परिवार को रु0 एक लाख प्रति मृतक, 40 प्रतिशत से 75 प्रतिशत शारीरिक असमर्थ प्रति व्यक्ति को रु0 35000/-, 75 प्रतिशत शारीरिक असमर्थ प्रति व्यक्ति को रु0 50,000/- गम्भीर चोट जिस के कारण एक सप्ताह से अधिक समय तक अस्पताल में रुकने की आवश्यकता है, प्रति व्यक्ति रु0 7500/-, गम्भीर चोट जिसके कारण अस्पताल में एक सप्ताह से कम समय तक रुकने की आवश्यकता हो, प्रति व्यक्ति 2500/-, वृद्ध अक्षम तथा निराश्रित प्रति वयस्क बच्चे को रु0 20/- तथा प्रति अवयस्क बच्चे को रु0 15/-, जिन परिवारों के घर प्राकृतिक आपदा के कारण बह

गये हों/पूर्णतयः क्षतिग्रस्त हो गये हों/एक सप्ताह से अधिक समय से गम्भीर रूप से जलमग्न हो गये हों उनके लिये रु0 1000/- प्रति परिवार कपड़ों के नुकसान पर और रु0 1000/-प्रति परिवार बर्तन/परिवार हेतु घरेलू सामग्री के नष्ट होने पर तथा आपदा के बाद तात्कालिक जीवन निर्वाह हेतु जरूरत मद परिवारों के लिये खाद्य सामग्री हेतु रु0 20/- प्रति वयस्क और रु0 15/-प्रति अवस्यक प्रति दिवस अहेतुक सहायता प्रदान की जाती है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

चूंकि पूर्वोक्त उल्लिखित गाइडलाइन्स में वर्णित सहायता की मानक दर भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं, इसलिये अनुदान धनराशियों को बढ़ाया जाना राज्य सरकार के अधिकार से परे है।

वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोत्तरी करने पर विचार

51-डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली प्रत्येक वृद्ध महिला को वृद्धावस्था पेंशन देने पर सरकार विचार करेगी ? क्या सरकार वृद्धावस्था पेंशन राशि में बढ़ोत्तरी करने पर भी विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी वृद्धजनों (पुरुष/महिला) जिनका नाम बी0पी0एल0 सूची 2002 में अंकित हैं, को वर्तमान में वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने की व्यवस्था है।

जी नहीं।

वर्ष 2007 में शासनादेश सं0-791/26-02-07-100(7)/06-टी0सी0-1, दिनांक 13-08-2007 द्वारा प्रदेश में संचालित वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत वृद्धावस्था/किसान पेंशन की दर रु0 150/- प्रति लाभार्थी प्रतिमाह को बढ़ाकर रु0 300/- प्रति लाभार्थी प्रति माह किया गया है। इसलिये अभी वृद्धावस्था पेंशन राशि में बढ़ोत्तरी विचारणीय नहीं है।

पशु वधशालाओं में पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण एवं शव विच्छेदन शुल्क की निर्धारित दरें

52-डा0 अनिल चौधरी-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की पशु वधशालाओं में पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण एवं शव विच्छेदन शुल्क की दरें क्या निर्धारित की गई हैं ? क्या पशु वधशालाओं में वध किये जाने वाले पशुओं पर शासनादेश सं0-3512/12-प-299-30(3)99, दिनांक 19 जुलाई, 2000 के अनुसार शुल्क लिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

शासनादेश संख्या-3519/12-प-2-99-30(3)/09, दिनांक 19 जनवरी, 2000 द्वारा विभाग में शव विच्छेदन के लिये बड़े पशुओं हेतु रु0 30.00 एवं छोटे पशुओं हेतु रु0 6.00 तथा

स्वास्थ्य परीक्षण के लिये बड़े पशुओं हेतु रु0 15.00 एवं छोटे पशुओं हेतु रु0 5.00 की दरें निर्धारित हैं।

जी नहीं।

शासनादेश संख्या-3519/12-प-2-99-30(3)/09, दिनांक 19 जनवरी, 2000 द्वारा निर्धारित दरें स्थानीय निकायों के अन्तर्गत कार्यरत वधशालाओं तथा निजी स्वामित्व की वधशालाओं पर स्पष्ट रूप से लागू नहीं है।

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा परियोजना हेतु भूमि का अधिग्रहण

53-डा0 अनिल चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण की सूचना (धारा-4) से आच्छादित तहसील-सादाबाद, तहसील-हाथरस, तहसील-सासनी सभी जनपद-महामायानगर, तहसील खैर जनपद-अलीगढ़, तहसील-मॉट एवं महावन जनपद-मथुरा का अलग-अलग कितना रकबा (क्षेत्रफल हेक्टेयर) में अधिग्रहण की कार्यवाही में लिया जा रहा है ?

सुश्री मायावती-

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक प्राधिकरण द्वारा यमुना एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु तहसील सादाबाद जनपद-महामायानगर की 42.2924 हे0 भूमि, तहसील-हाथरस (शून्य), तहसील-सासनी (शून्य), जनपद-अलीगढ़ की तहसील-खैर, की 177.0197 हे0 भूमि एवं जनपद-मथुरा की तहसील-मांट की 445.6175 हे0 भूमि तथा तहसील-महावन की 326.6187 हे0 भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

प्रदेश के निजी बीज निर्माताओं को सरकार द्वारा अनुमन्य सब्सिडी

54-श्री अनिल कुमार सिंह यादव-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश के निजी बीज निर्माताओं को सरकार द्वारा अनुमन्य सब्सिडी नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या निजी बीज निर्माताओं को सब्सिडी देने हेतु रु0 70 करोड़ बजट आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो इससे सम्बन्धित शासनादेश कब जारी किया गया ? क्या निजी बीज निर्माताओं को सरकार द्वारा अनुमन्य सब्सिडी दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौ0 लक्ष्मी नारायण-

जी हां।

कार्य योजना स्वीकृत नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

सम्प्रति नहीं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बरेली की तहसील व ब्लाक मीरगंज के आंगनबाड़ी एवं बाल विकास विभाग में हो रही धांधली, भ्रष्टाचार की जांच

55-श्री सुल्तान बेग-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-सी0एम0/वि0को0/ एम-194661/2009, दिनांक 30-1-09 जो जनपद बरेली की तहसील व ब्लाक मीरगंज के आंगनबाड़ी एवं बाल विकास विभाग में हो रही धांधली, भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसकी निष्पक्ष जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या हैं ? क्या इस प्रकरण में दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

जी हां।

ग्राम समसपुर की आंगनबाड़ी कार्यकत्री श्रीमती अनीता देवी व सहायिका सुश्री जगदेई के ग्राम समसपुर में निवास न करने की शिकायत जांच में सही पायी गयी। शेष शिकायतें सही नहीं पायी गयीं।

जी हां।

श्रीमती अनीता देवी आंगनबाड़ी कार्यकत्री व सुश्री जगदेई सहायिका के ग्राम समसपुर में निवास न करने पर इनकी मानदेय सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्राविधिक शिक्षा विभाग में कार्मिकों को "सत्र लाभ" स्वीकृत करने की शर्तें

56-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक शिक्षा विभाग में किस नियम एवं शर्तों के अनुसार कार्मिकों को "सत्र लाभ" स्वीकृत करने की व्यवस्था है ? क्या शिक्षण कार्य से विरत रहने वाले प्रशासनिक कार्यालयों में तैनात समूह "क" वर्ग के प्रशासनिक अधिकारीगण भी सत्र लाभ पाने के हकदार हैं ? यदि हां, तो किस नियम के अनुसार ?

श्री सदल प्रसाद-

प्राविधिक शिक्षा विभाग में शासनादेश संख्या-934/प्रा0शि0-2-71(ई)ईडी/78, दिनांक 27-06-1988 में निहित शर्तों के अधीन "सत्र लाभ" स्वीकृत करने की व्यवस्था है।

जी नहीं।

जनपद मऊ तथा बलिया में भर, राजभर, नोनिया, चौहान जाति को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की जांच

57-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मऊ तथा बलिया के मूल निवासी एवं पिछड़ी जाति के भर/राजभर, नोनियां/चौहान तथा गोंड जाति के व्यक्तियों को विगत वर्षों में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी किया गया है ? यदि हां, तो राज्य सरकार या भारत सरकार के किस संविधान संशोधन द्वारा उपरोक्त जातियों के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति अथवा जनजाति का दर्जा दिया गया है ? यदि नहीं, तो गलत तरीके से जारी अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रमाण-पत्र निरस्त कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद मऊ में भर, राजभर, नोनिया, चौहान जाति को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया गया है। गोंड जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है।

जनपद बलिया में भर, राजभर, नोनिया, चौहान जाति के व्यक्तियों को पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र एवं गोंड जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी किया गया है।

मऊ एवं बलिया जनपद के गोंड भारत सरकार के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 संख्या-10, 2003 दिनांक 7-01-2003 द्वारा अनुसूचित जनजाति घोषित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के सिधौली-बिसवां मार्ग पर सड़क दुर्घटना में तीन मुख्य सेविकाओं की असामयिक मृत्यु से आश्रितों को सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

58-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद-सीतापुर के सिधौली-बिसवां मार्ग पर दिनांक 15 फरवरी, 2006 को सड़क दुर्घटना में ड्यूटी के दौरान 03 (तीन) मुख्य सेविकाओं, जो जनपद सीतापुर में तैनात थीं, की असामयिक मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो शासकीय ड्यूटी के दौरान हुई आकस्मिक मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रितों को कोई आर्थिक सहायता/राहत सरकार की ओर से प्रदान की गयी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि शासकीय ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को शासकीय सेवा में लिया गया तथा उनके समस्त देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो विलम्ब के लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां

जी नहीं।

स्व0 इशरत जहां तथा स्व0 कृष्णा श्रीवास्तव, मुख्य सेविकाओं के आश्रितों को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित कर दिया गया है।

स्व0 कमलेश कुमारी, मुख्य सेविका के पति सरकारी सेवा में कार्यरत हैं जिसके कारण इनके आश्रित को नियमानुसार सेवायोजन प्रदान नहीं किया जा सकता है।

तीनों मृत मुख्य सेविकाओं के देयकों का भुगतान किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला उन्नाव की तहसील सफीपुर में आम मण्डी बनवाने की मांग

59-श्री सुधीर कुमार-

क्या कृषि विपणन मंत्री को जानकारी है कि जिला उन्नाव की तहसील सफीपुर आम पट्टी घोषित होने के बावजूद आम की मण्डी न होने के कारण किसानों को अपना आम बेचने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में आम मण्डी बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

सफीपुर तहसील के 67 ग्राम फलपट्टी के अन्तर्गत घोषित है। सफीपुर उपमण्डी स्थल घोषित है। किसानों को अपना आम बेचने में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपमण्डी स्थल सफीपुर में फल-सब्जी के 05 तथा खाद्यान्न व अन्य के 05 कुल 10 लाइसेंसी व्यापारी हैं। कृषि वर्ष 2008-09 की आय रु0 657842.25 है। निर्धारित मानक के अनुसार उपमण्डी स्थल के निर्माण के लिये रु0 15.00 लाख आय होना चाहिये।

स्व0 श्री राजेन्द्र बाबू, पशुधन प्रसार अधिकारी की विधवा को समस्त देयों का भुगतान

60-श्री सुधीर कुमार-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-उन्नाव के ग्राम सालेह नगर करौंदी, पो0 बम्हना के निवासी स्व0 श्री राजेन्द्र बाबू पुत्र श्री बैजनाथ, जो पशु सेवा केन्द्र, तकिया, ऊगू, उन्नाव से पशुधन प्रसार अधिकारी के पद से दिनांक 31-7-1994 को सेवानिवृत्त हुए थे तथा जिनकी मृत्यु दिनांक 4-7-2008 को हो गयी थी, की विधवा श्रीमती राजेश्वरी को स्व0 श्री राजेन्द्र बाबू के समस्त देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त देयों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर में भूमिहीनों को दिये गये पट्टे

61-श्री सुधीर कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर में विगत 2 वर्षों में कुल कितने भूमिहीनों को पट्टे दिये गये तथा उनमें से कितने लोगों को कब्जे दे दिये गये हैं ?

श्री फागू चौहान-

विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत तहसील हसनगंज में आने वाले ग्रामों में विगत दो वर्षों में कुल 72 भूमिहीनों को पट्टे किये गये हैं तथा विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत तहसील सफीपुर में आने वाले ग्रामों में विगत दो वर्षों में कुल 25 भूमिहीनों को पट्टे किये गये हैं। इस प्रकार विधान सभा क्षेत्र सफीपुर में विगत दो वर्षों में कुल 97 भूमिहीनों को पट्टे किये गये हैं तथा सभी को कब्जा दे दिया गया है।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर में संचालित पशु चिकित्सालय के सापेक्ष पशु चिकित्सक की तैनाती

62-श्री जोखू लाल यादव-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत कितने पशु चिकित्सालय संचालित है ? क्या सरकार इन समस्त चिकित्सालयों पर पशु चिकित्सकों की तैनाती मानक के अनुसार सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जनपद-इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर में 03 पशु चिकित्सालय संचालित हैं।

प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र के सभी पशुचिकित्सालयों में पशु चिकित्सक तैनात हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-महामायानगर, तहसील सादाबाद के ग्राम मढाका के पशु सेवा केन्द्रों में स्टाफ उपलब्ध कराने की मांग

63-डा0 अनिल चौधरी-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महामायानगर की तहसील सादाबाद के ग्राम-मढाका पशु चिकित्सालय पर स्टाफ की कमी से पशुपालकों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पशु चिकित्सालय में मानक के अनुरूप स्टाफ उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जनपद-महामायानगर तहसील सादाबाद, ग्राम-मढाका में पशु चिकित्सालय नहीं वरन् पशु सेवा केन्द्र स्थापित है। उक्त केन्द्र पर पशुधन प्रसार अधिकारी का पद रिक्त है। सप्ताह में शुक्रवार एवं शनिवार को पशुपालकों के पशुओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पशुधन प्रसार अधिकारी की व्यवस्था की गयी है।

जी हां।

जी हां।

पशु सेवा केन्द्रों पर पशुधन प्रसार अधिकारियों की नियुक्ति की कार्यवाही प्रचलित है। नियुक्ति के पश्चात् मानक के अनुसार पशुधन प्रसार अधिकारी की पदस्थापना की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद में पानी के प्राकृतिक स्रोतों/पोखरों/तालाबों की संख्या

64-डा0 अनिल चौधरी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महामायानगर की तहसील सादाबाद में पानी के प्राकृतिक स्रोतों पोखरों/तालाबों की संख्या कितनी है ? इनमें से कितने तालाबों/पोखरों का जीर्णोद्धार पुनर्निर्माण कराकर मूल स्वरूप में लाया गया है ? क्या ग्रामों के आबादी भाग में अवस्थित पोखर/तालाबों का जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण भी क्या किसी योजना में कराया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद-महामायानगर की तहसील सादाबाद में पानी के प्राकृतिक स्रोतों/पोखरों/तालाबों की कुल संख्या-1013 है।

उक्त तहसील में वर्ष 2006-2007 वर्ष 2007-2008 एवं वर्ष 2008-2009 में क्रमशः 96, 13 तथा 10 कुल 119 तालाबों/पोखरों का जीर्णोद्धार कराया गया है। उक्त के अतिरिक्त 2009-2010 में नरेगा योजनान्तर्गत प्रति ग्राम पंचायत एक तालाब/पोखर की दर से कुल 96 ग्राम पंचायतों में जीर्णोद्धार की प्रक्रिया चल रही है। ग्रामों के आबादी भाग में अवस्थित पोखर/तालाबों का जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में अलग से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा-12 (1) एवं धारा-49 में दीवानी या माल न्यायालय भूमि के अधिकार के सम्बन्ध में प्राविधान

65-श्री सुधीर कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी प्रक्रिया समाप्त धारा-52, धारा-6 की उपधारा-1 के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित आकार पत्र-45 जारी, चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 12 (1) एवं धारा-49 में कोई भी दीवानी या माल न्यायालय भूमि के अधिकार के सम्बन्ध में कोई वाद अथवा कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा, का प्राविधान प्रभावी है ? क्या उक्त प्राविधानों का अतिक्रमण कर भूमि के अधिकार विषयक दूर की गयी आपत्ति को शासन के संज्ञान में आने पर, शासन स्तर पर निरस्त करने का क्या कोई प्राविधान है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

परन्तु फर्जी व कूटरचित प्रविष्टि के प्रकरण में चकबन्दी अधिनियम की धारा-49 बाधक नहीं है।

भूमि के स्वत्व का निर्णय राजस्व न्यायालयों द्वारा किया जाता है। न्यायालयों के निर्णयों में उच्चतर न्यायालय द्वारा ही हस्तक्षेप किया जा सकता है, शासन द्वारा नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उप जिलाधिकारी सदर, लखनऊ द्वारा चकबन्दी अधिनियम, 1953 के प्राविधानों का अतिक्रमण कर जारी किये गये आदेश

66-श्री सुधीर कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप जिलाधिकारी, सदर लखनऊ के आदेश सं0-69/01-02, दिनांक 6 अगस्त, 2002 को चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा-12 (1) एवं धारा-49 तथा धारा-52, धारा-6 की उपधारा (1) के अधिनियम के प्राविधानों का अतिक्रमण कर जारी किया गया है ? क्या सरकार उक्त प्राविधानों के विरुद्ध जारी किये गये आदेश को निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

फर्जी व कूटरचित प्रविष्टि के प्रकरण में चकबन्दी अधिनियम की धारा-49 बाधक नहीं है। उप जिलाधिकारी सदर, लखनऊ आदेश संख्या-69/01-02 दिनांक 06 अगस्त, 2002 चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत पारित न होकर भू-राजस्व अधिनियम की धारा-33/39 के अन्तर्गत पारित किया गया है।

उक्त आदेश के विरुद्ध मा0 राजस्व परिषद् में निगरानी लम्बित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

67-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

[दूसरे बुधवार के अतारांकित प्रश्न सं0-161 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद-लखनऊ में बाल विकास एवं पुष्टाहार से सम्बन्धित जन शिकायतों की जांच

68-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखनऊ में बाल बिकास पुष्टाहार से सम्बन्धित जन शिकायतों की जांच हेतु गठित जांच समिति द्वारा जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी, लखनऊ ने अपने पत्रांक-सी-271 दिनांक 2-6-09 द्वारा प्रमुख सचिव, बाल विकास पुष्टाहार को अग्रसारित किया है ? यदि हां, तो प्रश्नगत जांच रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेख व जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जिलाधिकारी के पत्रांक-सी-271 दिनांक 2-6-09 के द्वारा नहीं, बल्कि पत्रांक-301, दिनांक 2-6-09 द्वारा प्रमुख सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार को अग्रसारित किया गया है।

प्रश्नगत जांच रिपोर्ट पर निर्णय लेते हुए श्रीमती पूनम तिवारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, अलीगंज, श्रीमती कुसुमलता त्रिपाठी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, बक्शी का तालाब एवं श्री राहुल गुप्ता, कनिष्ठ लिपिक, बाल विकास परियोजना, आलमनगर, लखनऊ को क्रमशः जनपद रायबरेली, शाहजहांपुर एवं बरेली स्थानान्तरित किया जा चुका है। जांच रिपोर्ट में दोषी पाये गये कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी संस्थित की गयी है।

जांच रिपोर्ट कुल 229 पेज की है। इसे बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री के कार्यालय कक्ष में रख दिया गया है। मा0 सदस्यगण अपनी सुविधानुसार उक्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन कर सकते हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री अश्वनी कुमार दुबे, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा ग्राम सभा के जलाशय पर अवैध कब्जा की बेदखली किये जाने सम्बन्धी पत्र पर जांच

69-श्री लाल जी यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 30-6-09 को श्री अश्वनी कुमार दुबे निवासी ग्राम नरही बुजुर्ग पोस्ट-जीवा जनपद-सिद्धार्थनगर द्वारा तहसील दिवस, बांसी में एक शिकायती-पत्र देकर ग्राम सभा के जलाशय पर अवैध कब्जा को बेदखली किये जाने का अनुरोध किया था ? यदि हां, तो उक्त शिकायती-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां। दिनांक 30-6-2009 को श्री अश्वनी कुमार दुबे द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र पर जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर से प्राप्त जांच आख्यानुसार लेखपालों की टीम गठित करके पैमाइश करने के उपरान्त अतिक्रमणियों के विरुद्ध धारा 122 बी उ0 प्र0 ज0 वि0 अधि0 के अन्तर्गत बेदखली की रिपोर्ट की गयी है, जो सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

सीतापुर के अन्तर्गत सेमरी स्थित सहकारी कताई मिल के परिसर में गिरे हुये पेड़ों की नीलामी किये जाने सम्बन्धी पत्र की जांच

70-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र दिनांक 24-5-09, जो महमूदाबाद सीतापुर के अन्तर्गत सेमरी स्थित सहकारी कताई मिल में कताई मिल फेडरेशन, कानपुर के अधिकारियों द्वारा मिल परिसर में गिरे हुए 85 (पचासी) पेड़ों की नीलामी के सम्बन्ध में था, मा0 मुख्य मंत्री, मा0 उद्योग मंत्री, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक सीतापुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

मा0 सदस्य, विधान सभा का शिकायती-पत्र दिनांक 24-5-2009 नहीं बल्कि दिनांक 20-5-2009 का प्राप्त हुआ है।

मा0 सदस्य विधान सभा के उक्त पत्र दिनांक 20-5-09 में उल्लिखित आरोपों की जांच करायी गयी। जांच में पाया गया कि आंधी से टूटे हुए एवं अन्य सूखे हुए कुल 85 पेड़ों की बिक्री वन विभाग से अनुमति लेकर की गयी थी। बिक्रीत किये गये कुल 85 पेड़ ही ठेकेदार द्वारा काटे गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

तहसील महमूदाबाद बिसवां, लहरपुर में घाघरा नदी की कटान से कृषकों की भूमि कटने से क्षति तथा मुआवजा की मांग

71-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद-सीतापुर की तहसील महमूदाबाद बिसवां, लहरपुर में घाघरा नदी की कटान से अधिकांश कृषकों की खेतिहर भूमि नदी में कटकर विलीन हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन कृषकों पर बकाया लगान व अन्य ऋणों को माफ करेगी ? क्या सरकार इन कृषकों के खेतों का मुआवजा भी देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद सीतापुर की तहसील लहरपुर के अन्तर्गत बाढ़ प्रभावित ग्रामों में 27.680 हे0 भूमि नदी की कटान में कट गयी है। तहसील बिसवां एवं महमूदाबाद में भूमि कटान नहीं हुई है।

जी नहीं।

जी हां।

एक सप्ताह के अन्दर भुगतान कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सन्तकबीर नगर तहसील-खलीलाबाद के ग्राम सरैया में आराजी नम्बर-195 पर अवैध कब्जे पर निर्माण रोके जाने की मांग

72-श्री आरिफ अनवर हाशमी

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सन्तकबीर नगर तहसील-खलीलाबाद के ग्राम सरैया तप्पा दक्खिन हवेली मगहर पूरब आराजी नम्बर-195 पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा करके निर्माण कराया जा रहा है ? क्या उक्त जमीन की आरसी लोन मद में कट चुकी है तथा एस0डी0एम0 द्वारा निर्माण कार्य रोके जाने का आदेश भी दिनांक 24-7-09 को दिया गया है, परन्तु अभी तक निर्माण कार्य जारी है ? क्या सरकार उक्त निर्माण को रोकने का निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

जी नहीं।

जी हां। निर्माण कार्य रुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधवा के पुनः विवाह करने पर दम्पत्ति को पुरस्कार धनराशि दिये जाने की योजना

73-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 35 वर्ष आयु तक की विधवा को पुनः विवाह करने पर 10,000/-रुपये दिये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो वर्ष 2007-08 व 30 मई,

2009 तक जनपद-मैनपुरी में इस योजना के अन्तर्गत कितनी महिलाओं को पुनर्विवाह करने पर रु0 10,000/-की धनराशि दी गई है ? क्या सरकार उनके नाम व पते बतायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

35 वर्ष से कम आयु की विधवा से विवाह करने पर दम्पत्ति को रुपये 11,000/- (रु0 ग्यारह हजार मात्र) को पुरस्कार दिये जाने का प्राविधान है।

जनपद मैनपुरी में वर्ष 2007-08 में 13 व माह अप्रैल, 2008 से 30 मई, 2008 तक जनपद में 21 लाभार्थियों को 35 वर्ष से कम आयु की विधवा से विवाह करने पर रु0 11,000/-(रु0 ग्यारह हजार मात्र) प्रति दम्पत्ति पुरस्कार धनराशि दी गई है।

जी हां लाभार्थियों के नाम व पते की सूची संलग्न* है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 254-256 पर)

जनपद मैनपुरी में अनुसूचित जाति की बेटियों की शादी हेतु आवेदन तथा सापेक्ष अनुदान

74-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी में अनुसूचित जाति की बेटियों की शादी के लिये वित्तीय वर्ष 2008-2009 में कितने लोगों ने आवेदन किया तथा कितने पात्र पाये गये हैं और उसमें से कितनी लड़कियों की शादी के लिये अनुदान दिया गया है ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद मैनपुरी में अनुसूचित जाति की लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय वर्ष 2008-2009 में 1981 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 1753 पात्र पाये गये। पात्र पाये गये 1753 के सापेक्ष 1178 लड़कियों की शादी के लिए अनुदान किया गया है।

जनपद मैनपुरी में मण्डी परिषद् द्वारा पक्का एवं खड़न्जा स्तर तक सड़कों का चयन

75-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी में वर्ष 2007-2008 व 2008-2009 में मण्डी परिषद् द्वारा पक्का एवं खड़न्जा स्तर तक सड़क बनाने हेतु किन-किन सड़कों का चयन किया गया है ? क्या विधान सभा क्षेत्र भोगांव एवं मैनपुरी में भी कोई मार्ग स्वीकृत किया गया है ? यदि हां तो कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

जनपद मैनपुरी में वर्ष 2007-08 में 03 नग सड़कों एवं वर्ष 2008-2009 में कुल 06 नग निम्नलिखित सड़कों का चयन हुआ है :-

वर्ष 2007-2008

1-डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा सम्पर्क मार्ग नगला राजा का पहुंच मार्ग का निर्माण।

2-डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा सम्पर्क मार्ग मछना से पूर्वतपुर।

3-घिरौर करहल मार्ग से नगला मढ़।

वर्ष 2008-2009

1-डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा सम्पर्क मार्ग नगला सम्पर्क मार्ग।

2-डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा सम्पर्क मार्ग गुलाबपुर सम्पर्क मार्ग।

3-डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा सम्पर्क मार्ग ज्याली झांगरपुर सम्पर्क मार्ग।

4-डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा सम्पर्क मार्ग नगला कंचन से नगला गुलाब।

5-नगला भजन से मधुपुर।

6-किशनपुर गढ़िया मार्ग से मिर्जापुर।

विधान सभा क्षेत्र भोगांव में वर्ष 2007-08 एवं वर्ष 2008-09 में कोई सम्पर्क मार्ग स्वीकृत नहीं किया गया है एवं विधान सभा मैनपुरी में उक्त वित्तीय वर्ष में 04 नग सम्पर्क मार्गों की स्वीकृति प्रदान की गयी।

विधान सभा क्षेत्र मैनपुरी।

विधान सभा क्षेत्र भोगांव में सम्पर्क मार्ग का मण्डी समिति से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।

जनपद प्रतापगढ़ में कृषि विभाग द्वारा आयोजित कृषक गोष्ठियां

76-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ में कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 में कितनी-कितनी कृषक गोष्ठियां किन-किन ग्रामों में आयोजित की गयी हैं तथा इसके आयोजन पर कितना धन व्यय हुआ है ? क्या सम्बन्धित विधान सभा क्षेत्रों के मा0 विधायकों को भी कार्यक्रम से अवगत कराया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायन-

जनपद प्रतापगढ़ में वित्तीय वर्ष 2006-2007, 2007-2008 तथा 2008-2009 में कृषि विभाग द्वारा आयोजित कृषक गोष्ठियों का विवरण निम्नवत् है :-

वित्तीय वर्ष	योजना	आयोजित कृषक गोष्ठियों की संख्या	आयोजन में व्यय धनराशि (रु0 में)
2006-2007	तकनीकी हस्तान्तरण योजना	एक-एक कृषक गोष्ठी प्रत्येक ग्राम में कुल 160	रु0 80,000.00
2007-2008	तकनीकी हस्तान्तरण योजना	खरीफ में एक-एक कृषक गोष्ठी प्रत्येक ग्राम में कुल 158 रबी में एक-एक कृषक गोष्ठी प्रत्येक ग्राम में कुल 171	रु0 1,31,332.00

2008-2009	आत्मा एवं तकनीकी हस्तान्तरण योजना	खरीफ में तकनीकी हस्तान्तरण योजना में एक-एक कृषक गोष्ठी प्रत्येक ग्राम में कुल 111 रबी में एक-एक कृषक गोष्ठी प्रत्येक ग्राम में कुल 128 आत्मा योजना में एक-एक कृषक गोष्ठी प्रत्येक ग्राम में कुल 12	रु0 2,75,074.00

जिन ग्रामों में कृषक गोष्ठियों का आयोजन किया गया है, उनके विवरण अध्यक्ष, मा0 विधान सभा, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में उपलब्ध है जिनका अवलोकन किया जा सकता है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में विधवा पेंशन धारकों की संख्या

77-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में कुल कितनी विधवा पेंशन धारक हैं ? क्या सरकार वर्ष 2009-2010 वित्तीय वर्ष में सर्वे कराकर लाभ से वंचित सभी विधवाओं को पेंशन का लाभ दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में कुल 3508 विधवा पेंशन धारक है।

जी हां। समस्त पात्र लाभार्थियों को पेंशन उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

78-79-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

ग्रेटर नोयडा एवं नोयडा में औद्योगिक विकास हेतु भूमि अधिग्रहण की नीति

80-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रेटर नोयडा एवं नोयडा में वर्तमान में औद्योगिक विकास हेतु भूमि अधिग्रहण की क्या नीति है तथा वर्तमान में किस दर से भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है ? क्या प्राधिकरण द्वारा मा0 विधायकों को आवासीय प्लाट देने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद गौतमबुद्धनगर में ग्रेटर नोयडा एवं नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा महायोजना के अनुसार सुनियोजित औद्योगिक विकास हेतु भूमि का अधिग्रहण भू-अर्जन अधिनियम-1894 में निर्धारित प्रक्रिया एवं प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाता है। उ0 प्र0 भू-अर्जन (करार द्वारा प्रतिकर की अवधारणा तथा अधिनिर्णय की घोषणा) नियमावली-1997 के अन्तर्गत ग्रेटर नोयडा में वर्तमान में प्रतिकर दर पुस्तैनी काश्तकारों हेतु रु0 850/- प्रति वर्ग मीटर (15 प्रतिशत पुनर्वास बोनस सहित) तथा गैर पुस्तैनी काश्तकारों हेतु रु0 1000/- प्रति वर्ग मीटर (15 प्रतिशत पुनर्वास बोनस सहित) तथा गैर पुस्तैनी काश्तकारों हेतु रु0 739/-प्रति वर्ग मीटर है एवं नोएडा में पुस्तैनी काश्तकारों हेतु रु0 1000/- प्रति वर्ग मीटर (15 प्रतिशत बोनस सहित) तथा गैर पुस्तैनी काश्तकारों हेतु रु0 850/-प्रति वर्ग मीटर है। जो काश्तकार करार की दरों पर भुगतान की दरों पर सहमत नहीं होते हैं उन्हें भू-अर्जन अधिनियम-1894 की धारा-23 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दरों पर प्रतिकर भुगतान किया जाता है।

प्राधिकरण में मा0 विधायकों को आवासीय प्लाट देने की कोई नीति नहीं है और न ही यह प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास खण्ड महमूदाबाद, जनपद सीतापुर में सहायिकाओं/कार्यकत्रियों को मानदेय का भुगतान

81-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड महमूदाबाद, जनपद सीतापुर में वर्ष 2004 में नियुक्त की गई 24 सहायिकाओं/कार्यकत्रियों को वर्ष 2007 से मानदेय दिया गया है ? यदि हां, तो क्या वर्ष 2004 से 2007 के बीच का अवशेष मानदेय भी इन्हें दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सिंह-

प्रश्न में उल्लिखित सहायिकाओं की वास्तविक संख्या-24 न होकर 34 है, जिनके मानदेय का भुगतान वर्ष 2007 से नहीं बल्कि सितम्बर, 2006 से किया जा रहा है। इन सहायिकाओं के साथ उक्त अवधि में किसी कार्यकत्री की नियुक्ति नहीं की गयी है। अतः कार्यकत्रियों के मानदेय भुगतान का प्रश्न नहीं उठता है।

इन सहायिकाओं की नियुक्ति की तिथि माह नवम्बर, 2004 से अगस्त, 2006 तक की अवधि के अवशेष मानदेय का भुगतान कर दिया गया है। सितम्बर, 2006 से मानदेय का भुगतान पूर्व से ही किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

बुन्देलखण्ड में विकास खण्डवार कृषकों को स्प्रिंकलर स्टे, एच0डी0पी0ई0 पाइप एवं डीजल इंजन का आवंटन

82-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड में किसानों को सिंचाई हेतु स्प्रिंकलर सेट पाइप व डीजल इंजन वर्ष 2008-09 से दिनांक 30 सितम्बर, 2009 तक कितने किसानों को उपलब्ध कराये गये ब्लाकवार इनका विवरण क्या है ? किसानों को समय से सिंचाई

हेतु स्प्रिंकलर सेट नहीं उपलब्ध कराये जाने तथा वितरण में अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19 मई, 2009 जिलाधिकारी, बांदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

कुल 7072 कृषकों/कृषक समूहों को स्प्रिंकलर सेट, एच0डी0पी0ई0 पाइप एवं डीजल इंजन उपलब्ध कराया गया है। विकास खण्डवार विवरण संलग्नक-1 पर है।

जी हां।

मा0 विधायक जी के पत्र दिनांक 19-05-2009 के क्रम में उन्हें वांछित कृषकों की सूची ससमय उपलब्ध करा दी गई। योजनान्तर्गत लाभार्थी कृषकों का चयन, राजस्व विभाग से सम्बन्धित कृषक द्वारा खसरा/खतौनी प्राप्त करने के उपरान्त, बोरिंग व जलस्रोत आदि का सत्यापन लघु सिंचाई विभाग द्वारा कराकर जारी प्रमाण पत्र के आधार पर शासनादेश दिनांक 21-10-2008 द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अन्तिम रूप से स्प्रिंकलर सेट वितरण किया गया। इसके आधार पर ही स्प्रिंकलर सेट/सिंचाई, प्रणाली की स्थापना करायी गयी है। वितरण एवं सत्यापन में राजस्व लघु सिंचाई व कृषि विभागों को सम्मिलित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति

83-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी में वर्ष 2006-2007 व 2007-2008 तथा 2008-2009 में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत कितने छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा चुकी है ? क्या इसका विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद मैनपुरी में समाज कल्याण विभाग द्वारा दो आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित है। यह विद्यालय आवासीय हैं तथा छात्रों पर होने वाला व्ययभार विभाग द्वारा वहन किया जाता है। इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है। उक्त के अतिरिक्त दो विद्यालय क्रमशः दलित कन्या प्राइमरी पाठशाला बेवर एवं डा0 अम्बेडकर प्राइमरी पाठशाला, भोगांव समाज कल्याण विभाग से अनुदानित विद्यालय हैं जिनमें वर्ष 2006-2007, 2007-2008 एवं 2008-2009 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक एवं सामान्य वर्ग के छात्रों को सम्मिलित करते हुए कुल 1271 छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित की गई है, जिस पर कुल धनराशि रु0 3,81,300 व्यय की गई है।

जी हां। जनपद मैनपुरी में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित दोनों विद्यालयों में वर्षवार वितरित छात्रवृत्ति की धनराशि (रु0 में) एवं लाभान्वित छात्रों का विवरण निम्नवत् है :-

दलित कन्या प्राइमरी पाठशाला बेवर, मैनपुरी

वर्ष	अनुसूचित जाति		पिछड़ी जाति		अल्पसंख्यक		सामान्य वर्ग		योग	
	व्यय धनराशि	छात्र सं0	व्यय धनराशि	छात्र सं0	व्यय धनराशि	छात्र सं0	व्यय धनराशि	छात्र सं0	व्यय धनराशि	छात्र सं0
2006-07	24000	80	10200	34	11100	37	00	00	45300	151
2007-08	19500	65	12000	40	14700	49	300	01	46500	155
2008-09	20100	67	10800	36	16200	54	300	01	47400	158
योग :-	63600	212	33000	110	42000	140	600	02	139200	464

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 257-259 पर)

डा0 अम्बेडकर प्राइमरी पाठशाला, भोगांव, मैनपुरी										
2006-07	57900	193	12300	41	19500	65	00	00	89700	299
2007-08	40800	136	11100	37	26700	89	00	00	78600	262
2008-09	33600	112	13500	45	26700	89	00	00	73800	246
योग :-	132300	441	36900	123	72900	243	00	00	242100	807
महायोग	195900	653	69900	233	114900	383	600	02	381300	1271

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में पशु चिकित्सालयों में गर्भाधान हेतु रखे गये उत्तम नस्ल के पशुओं के सम्बन्ध में जानकारी

84-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी में कितने पशु चिकित्सालयों में उत्तम नस्ल के पशु गर्भाधान हेतु रखे गये हैं ? क्या सरकार प्रत्येक गर्भाधान केन्द्र पर उत्तम नस्ल के पशु उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जनपद मैनपुरी में किसी भी पशु चिकित्सालय पर अत्तम नस्ल के पशु गर्भाधान हेतु नहीं रखे गये हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विभाग में पशुचिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों तथा पैरावेट्स द्वारा उत्तम नस्ल के अतिहिमीकृत वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान का कार्य सम्पन्न किया जा रहा है।

जनपद मैनपुरी में मिनी स्टेडियम बनाने की मांग

85-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव में खेलों को प्रोत्साहित करने हेतु एक मिनी स्टेडियम बनाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

जी नहीं।

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव में युवा कल्याण विभाग के पक्ष में निःशुल्क 03 एकड़ समतल भूमि हस्तान्तरित/उपलब्ध न होने तथा विभाग के आय-व्ययक में ग्रामीण मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु समुचित धनराशि की व्यवस्था न होने के कारण उस क्षेत्र में ग्रामीण मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद मैनपुरी के कस्बा भोगांव में नवीन मण्डी की दुकानों का आवंटन

86-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के कस्बा भोगांव में नवीन मण्डी की दुकानों का आवंटन कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां। आंशिक रूप से कर दी गयी है।

उप मण्डी स्थल भोगांव में फल सब्जी हेतु कुल 55 दुकानें निर्मित करायी गयी हैं, जिनमें से 07 दुकानें आवंटित की जा चुकी हैं। शेष दुकानों के आवंटन की कार्यवाही व्यापारियों के विरोध एवं मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका सं0-59361/08 विचाराधीन होने के कारण लम्बित रही। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिका निस्तारित कर दी गयी है। व्यापारियों की मांग पर 15 दुकानें निर्माणाधीन हैं, जिनका निर्माण कार्य पूर्ण होते ही शेष दुकानों का आवंटन नियमानुसार करा दिया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की लड़कियों की शादी हेतु अनुदान देने की नीति

87-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पिछड़े वर्ग की लड़कियों की शादी हेतु अनुदान दिये जाने की क्या नीति है ? जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ब्लाक वार प्राप्त आवेदनों का वर्ष 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 तथा 2009-10 का विवरण क्या है और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितने प्रार्थियों को स्वीकृति दी गयी ? शेष प्रार्थना-पत्रों पर कब तक स्वीकृति दी जायेगी ?

श्री अवधेश कुमार वर्मा-

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा शादी योजना के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु रु0 10,000/- का अनुदान दिया जाता है। शादी अनुदान हेतु प्रथम आवक प्रथम पावक का सिद्धान्त निर्धारित है। योजना के अन्तर्गत निराश्रित विधवाओं, अपंगों, भूमिहीन एवं दैवीय आपदा से ग्रसित व्यक्तियों को उनकी पुत्रियों की शादी अनुदान दिए जाने में प्राथमिकता दी जाती है।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में ब्लाकवार वित्तीय वर्ष 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 एवं 2009-2010 में शादी अनुदान हेतु प्राप्त पात्र आवेदन पत्र एवं अनुदान प्राप्त स्वीकृत आवेदन पत्रों का विवरण निम्नवत् है:-

वर्ष 2006-2007 (समाज कल्याण विभाग द्वारा)

क्र0 सं0	ब्लाक	कुल प्राप्त आवेदन पत्र	अनुदान हेतु स्वीकृत कुल आवेदन पत्र	अवशेष आवेदन पत्र
1	2	3	4	5
1	पट्टी	07	07	0
2	आसपुर देवसरा	04	04	0
3	मंगरौरा	02	02	0
4	बाबाबेलखरनाथ	08	08	0
	योग	21	21	0

वर्ष 2007-2008

क्र0 सं0	ब्लाक	कुल प्राप्त आवेदन पत्र	अनुदान हेतु स्वीकृत कुल आवेदन पत्र	अवशेष आवेदन पत्र
1	2	3	4	5
1	पट्टी	05	05	0
2	आसपुर देवसरा	05	05	0
3	मंगरौरा	--	--	--
4	बाबाबेलखरनाथ	06	06	0
	योग	16	16	0

वर्ष 2008-2009

क्र0 सं0	ब्लाक	कुल प्राप्त आवेदन पत्र	अनुदान हेतु स्वीकृत कुल आवेदन पत्र	अवशेष आवेदन पत्र
1	2	3	4	5
1	पट्टी	63	20	43
2	आसपुर देवसरा	56	14	42
3	मंगरौरा	54	13	41
4	बाबाबेलखरनाथ	25	11	14
	योग	198	58	140

अनुपूरक पुस्तिका

वर्ष 2009-2010

क्र0 सं0	ब्लाक	कुल प्राप्त आवेदन पत्र	अनुदान हेतु स्वीकृत कुल आवेदन पत्र	अवशेष आवेदन पत्र
1	2	3	4	5
1	पट्टी	125	17	108
2	आसपुर देवसरा	138	17	121
3	मंगरौरा	70	04	66
4	बाबाबेलखरनाथ	52	06	46
	योग	385	44	341

शादी अनुदान का वितरण धनराशि की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। ऐसी स्थिति में सभी पात्र आवेदनों पर अनुदान दिया जाना सम्भव नहीं है।

तहसील पट्टी, प्रतापगढ़ में किसानों को डी0ए0पी0 व यूरिया खाद वितरित कराने का लक्ष्य

88-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगामी रबी की फसल के लिये तहसील पट्टी, प्रतापगढ़ के किसानों को डी0 ए0 पी0 व यूरिया खाद की कितनी आवश्यकता है ? क्या सरकार द्वारा लक्ष्य के अनुरूप किसानों को डी0 ए0 पी0 व यूरिया खाद उपलब्ध कराने की कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

रबी 2009-10 में तहसील पट्टी जनपद प्रतापगढ़ हेतु 3755 मी0 टन डी0ए0पी0 एवं 7240 मी0 टन यूनिया उर्वरक वितरण कराने का लक्ष्य निर्धारित है।

कृषि विभाग जनपद का विकास खण्डवार लक्ष्य निर्धारित करके भारत सरकार से प्राप्त उर्वरक सम्बन्धित उर्वरक विक्रेताओं/वितरण केन्द्रों के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराता है।

प्रश्न नहीं उठता।

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को दिये जाने वाले मानदेय से दुर्घटना बीमा हेतु धनराशि की कटौती

89-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2004-05 से आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को दिये जाने वाले मानदेय में से दुर्घटना बीमा हेतु धनराशि की कटौती की गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं का दुर्घटना बीमा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

मलिन बस्तियों में रहने वाली कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की देख-रेख हेतु राजकीय शिशुशाला एवं बालवाड़ी का संचालन

90-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की मलिन बस्तियों में रहने वाली कामकाजी महिलाओं के शिशुओं के देख-रेख हेतु राजकीय शिशुशाला एवं बालवाड़ी संचालित हैं ? यदि हां, तो सरकार बताने का कष्ट करेगी कि राजकीय शिशुशाला एवं बालवाड़ी केन्द्र किन-किन जिलों में किस-किस स्थान पर संचालित है ? क्या सरकार विवरण को सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में भयंकर बाढ़ से प्रभावित गांवों के किसानों की फसल को क्षति

91-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सीतापुर में वर्ष 2008-2009 में आयी भयंकर बाढ़ से प्रभावित गांवों के किसानों का लगान माफ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

वर्ष 2008-2009 में जनपद सीतापुर के अन्तर्गत तहसील बिसवां, महमूदाबाद, लहरपुर के ग्राम बाढ़ से प्रभावित हुए थे। प्रभावित ग्रामों के किसानों को फसल की आंशिक क्षति हुई थी इस कारण भारत सरकार की आपदा राहत निधि की गाइडलाइन्स के अनुसार कुल प्रभावित 2,3430 किसानों को रु0 1,6979,406 कृषि निवेश अनुदान वितरित कर दिया गया है। प्रभावित किसानों का लगान माफ किया जाना भारत सरकार की उक्त गाइडलाइन्स के अनुसार सम्भव नहीं है।

रिलायन्स फ्रेश के सम्पूर्ण प्रदेश में खोले जाने के विरुद्ध उच्च स्तरीय समिति का गठन एवं रिपोर्ट

92-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रिलायंस फ्रेश को सम्पूर्ण प्रदेश में खोले जाने के विरुद्ध प्रदेश के छोटे व्यापारियों के विरोध के कारण उक्त के सम्बन्ध में एक उच्च स्तरीय

समिति गठित की गयी थी ? यदि हां, तो समिति की रिपोर्ट क्या है तथा उक्त रिपोर्ट कब तक प्राप्त होगी ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं। कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1 के आदेश संख्या-1616/80-1-2007-600 (99)/2007 दिनांक 08 अगस्त, 2007 द्वारा "कृषि उत्पाद विपणन-विकास एवं विनियमन नीति" जारी की गई थी जिसके प्रस्तर-7 में विभिन्न विभागों अथवा किसानों एवं निवेशकों के मध्य विवाद होने की स्थिति में राज्य स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसमें प्रमुख सचिव, कृषि प्रमुख सचिव, वित्त, प्रमुख सचिव, उद्योग, प्रमुख सचिव, कृषि विपणन, सदस्य तथा निदेशक, मण्डी को सदस्य-सचिव बनाया गया था, इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति के गठन के आदेश जारी किये गये थे जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, उपाध्यक्ष, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, सदस्य संबंधित संस्था के प्रतिनिधि सदस्य तथा संबंधित मण्डी सचिव को सदस्य सचिव बनाया गया था, परन्तु सम्यक् विचारोपरान्त शासन के आदेश संख्या-1763/80-1-2007-600 (99)/2007, दिनांक 30-8-2007 द्वारा "कृषि उत्पाद विपणन-विकास एवं विनियमन नीति" का क्रियान्वयन समाप्त कर दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में कृषकों को कृषि यंत्रों पर दिये जाने वाले अनुदान की धनराशि बढ़ाने की मांग

93-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद-मैनपुरी में कृषि कार्य हेतु सरकार द्वारा कृषकों को कृषि यंत्रों पर दिये जाने वाले अनुदान की धनराशि पर्याप्त नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृषकों के हितों को दृष्टिगत करते हुये अनुदान की धनराशि को बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में पिछड़े वर्ग के समस्त छात्रों को अनुसूचित जाति के छात्रों की भांति छात्रवृत्ति का भुगतान

94-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी में वर्ष 2008-2009 व चालू वित्तीय वर्ष में पिछड़े वर्ग के समस्त छात्रों को अनु0 जाति के छात्रों की भांति छात्रवृत्ति का भुगतान किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश कुमार वर्मा-

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-2009 में पिछड़े वर्ग के छात्रों को अनुसूचित जाति के छात्रों की भांति समान दर एवं शर्तों पर छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया तथा वर्ष 2009-2010 में भी उपरोक्तानुसार भुगतान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में पिछड़ी जाति के व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु अनुदान

95-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी में वित्तीय वर्ष 2008-2009 से 31 मई, 2009 तक पिछड़ी जाति के व्यक्तियों की पुत्री की शादी के लिये दिये जाने वाले अनुदान हेतु कितने फार्म प्राप्त हुये हैं ? उनमें से कितने लाभार्थियों को अनुदान दिया गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि क्या सभी लाभार्थियों को शादी का अनुदान दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश कुमार वर्मा-

जनपद मैनपुरी में वित्तीय वर्ष 2008-2009 से 31 मई, 2009 तक पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिये अनुदान हेतु कुल 1856 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। धनराशि की उपलब्धता के आधार पर 566 व्यक्तियों को अनुदान दिया जा चुका है। शादी अनुदान बजट की उपलब्धता के आधार पर दिया जाता है।

जनपद मैनपुरी, तहसील भोगांव में सीजनल अमीनों की नियमित रूप से नियुक्ति की मांग

96-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी, तहसील भोगांव में 20 वर्षों से कार्य कर रहे सीजनल अमीनों की नियमित रूप से नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू-

जी नहीं।

जनपद में कार्यरत सीजनल संग्रह अमीनों में से एक सीजनल संग्रह अमीन को नियमित रूप से नियुक्ति प्रदान की गई है। शेष कार्यरत सीजनल संग्रह अमीनों की राजस्व वसूली निर्धारित मानक के अनुसार संतोषजनक न होने के कारण ये नियमित नियुक्ति हेतु पात्र नहीं पाये गये।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, मैनपुरी के वृद्धा पेंशन व किसान पेंशन हेतु प्राप्त आवेदन-पत्र

97-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी में वित्तीय वर्ष 2007-08 से 30 मई, 2009 तक कुल कितने लाभार्थियों को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापेंशन, वृद्धापेंशन व किसान पेंशन के फार्म जिला समाज कल्याण अधिकारी, मैनपुरी के यहां प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो कुल कितने लाभार्थियों की पेंशन अभी भी स्वीकृत होनी शेष है ? क्या सरकार शेष लाभार्थियों को पेंशन प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद मैनपुरी में वित्तीय वर्ष 2007-08 से 30 मई, 2009 तक 40914 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं।

जनपद में पेंशन हेतु कोई आवेदन-पत्र शेष नहीं है।

लागू नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राजस्व विभाग में कार्यरत सामयिक संग्रह अमीनों एवं सामयिक संग्रह अनुसेवकों की नियमित नियुक्ति

98-डा0 अनिल चौधरी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व विभाग में कार्यरत सामयिक संग्रह अमीनों एवं सामयिक संग्रह अनुसेवकों के लिये क्रमशः रिक्तियों का 35 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत पदों पर नियमित नियुक्ति का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या जनपद महामायानगर में वर्ष 1997 से वर्ष 2009 तक वर्षवार कितने सामयिक संग्रह अमीनों एवं सामयिक संग्रह अनुसेवकों को नियमित पदों पर नियुक्ति प्रदान की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू-

जी हां।

जनपद महामायानगर में नियमित रूप से नियुक्त किये गये सामयिक संग्रह अमीनों तथा सामयिक संग्रह अनुसेवकों का विवरण निम्नलिखित है :-

अवधि	नियुक्त किये गये सामयिक संग्रह अमीनों की संख्या
वर्ष 2000-2001	10
वर्ष 2003-2004	02
वर्ष 2009-2010	01

अवधि	नियुक्त किये गये सामयिक संग्रह अनुसेवकों की संख्या
वर्ष 2002-2003	17
वर्ष 2003-2004	05

प्रश्न नहीं उठता।

99-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

[पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-161 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम लि0 द्वारा दिये गये ऋण के ब्याज की माफी विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

100-श्री अनिल कुमार सिंह यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम लि0 द्वारा दिये गये ऋण के ब्याज की माफी विषयक मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा, पूर्व सांसद का

पत्र दिनांक 02-01-2009 जो मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव, उ0 प्र0 के सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के पत्र संख्या-3764 दिनांक 28-1-2009 द्वारा मा0 पूर्व सांसद को अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (अनुविनि) तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एन0एस0के0एफ0डी0सी0) की योजनाओं के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा वाहन हेतु वितरित ऋण पर देय ब्याज माफ किये जाने से संबंधित है। उपरोक्त दोनों राष्ट्रीय निगमों की परियोजना लागत का 68 प्रतिशत से 82 प्रतिशत ऋण दिया गया है। इसके साथ ही मार्जिन मनी ऋण 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत दिया गया है, जिसमें 49 प्रतिशत अंश भारत सरकार का और 51 प्रतिशत अंश राज्य सरकार का है। इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण में वितरित ऋण 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत भारत सरकार के दोनों निगमों का है जिस पर अर्जित ब्याज माफ करने का अधिकार भारत सरकार तथा उपरोक्त दोनों निगमों को ही है।

प्रश्न नहीं उठता।

कृषि भूमि गाटा संख्या 183/223 पर अवैध कब्जे किये जाने के सम्बन्ध में पत्र

101-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरिकेश कुमार शर्मा, निवासी-ग्राम अहिबरनपुर, कुण्डा, प्रतापगढ़ का प्रार्थना-पत्र दिनांक 24-5-2007, जो कृषि भूमि गाटा संख्या-183/223 पर विगत 7 वर्षों से विपक्षीगण द्वारा अवैध कब्जे किये जाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

धारा-41 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत श्री हरिकेष कुमार शर्मा द्वारा योजित किये गये सीमांकन वाद में उपजिलाधिकारी कुण्डा न्यायालय के आदेशानुसार पहले भी सीमांकन कराया गया था। दिनांक 25-6-2009 को पूर्व सूचना देकर पक्षों की उपस्थिति में दुबारा सीमांकन करा दिया गया है। बाढ़ग्रस्त भूखण्ड का क्षेत्रफल सही कर दिया गया है। जिस पर श्री शर्मा काबिज हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनीवर्सिटी से सम्बद्ध राजा बलवन्त सिंह कालेज, विजपुरी, आगरा की बी0टेक0 की ट्यूशन फीस

102-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनीवर्सिटी (यू0पी0टी0यू0) से सम्बद्ध फैकल्टी आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी, राजा बलवन्त सिंह कालेज (आर0 बी0 एस0 कालेज) विजपुरी, आगरा की बी0 टेक0 की ट्यूशन फीस

द्वितीय वर्ष से चतुर्थ वर्ष के समस्त छात्रों के लिये वर्ष 2009-10 से एक मुश्त रु0 22,400 बढ़ा दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 के आदेश संख्या 3190 सोलह-1-2008-1 (24)/2004, दिनांक 11-8-08 के प्रस्तर-4(1) में दिये गये आदेशानुरूप उक्त फीस को संशोधित करते हुये वर्तमान ट्यूशन फीस में मात्र 12 प्रतिशत की सीमा तक वृद्धि करने का निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सदल प्रसाद-

रिट याचिका संख्या-43665/2008 टेक्नीकल इंस्टीट्यूशन फाउन्डेशन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02-9-2008 में शैक्षिक सत्र 2009-10 हेतु बी0टेक0 की औपबन्धिक फीस रु0 63400/- निर्धारित की गई थी।

माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के उपरान्त प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 11-8-08 निष्प्रभावी हो गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव में मण्डी समिति द्वारा डामरीकरण हेतु प्रस्तावित सड़कें

103-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव में मण्डी समिति द्वारा वर्ष 2007-08 व 2008-09 में कौन-कौन सी सड़कें डामरीकरण हेतु प्रस्तावित की गयी ? उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में कोई भी सड़क डामरीकरण हेतु मण्डी समिति द्वारा प्रस्तावित नहीं की गई।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्पर्क मार्गों का प्रस्ताव मण्डी समिति द्वारा प्राप्त न होने के कारण।

जनपद मैनपुरी में दुग्ध समितियों का संचालन

104-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी में ग्राम सभा स्तर पर कितनी दुग्ध समितियों को संचालित किया जा रहा है ? क्या सरकार बड़ी ग्राम पंचायतों में अतिरिक्त दुग्ध समिति खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

मैनपुरी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा जनपद मैनपुरी में ग्राम सभा स्तर पर 366 दुग्ध समितियां गठित/संचालित की जा रही हैं।

एक गांव में एक से अधिक समिति तभी खोले जाने का प्राविधान है, जब पहली समिति दूध ढंग से नहीं भेज रही है या उसके पास दूध की मात्रा न्यूनतम हो जाय और दूसरी समिति

खोलने वाला व्यक्ति इस बात की गारन्टी दे कि अधिक दूध उपलब्ध करायेगा, किन्तु यह जरूरी होगा कि दूसरी या तीसरी समिति खोलने हेतु मुख्यालय से अनुमति प्राप्त की जाय।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के ब्लाक सुल्तानगंज व बेवर में राजस्व अभिलेखों में अंकित तालाब/ पोखरों की संख्या तथा क्षेत्रफल

105-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी के ब्लाक सुल्तानगंज व बेबर ब्लाक के कुल कितने तालाब पोखरे राजस्व अभिलेखों में अंकित हैं ? इनका अलग-अलग क्षेत्रफल एवं वर्तमान स्वरूप का विवरण क्या है ? क्या मा0 सर्वोच्च न्यायालय के दिये गये निर्देशों एवं शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप उप जिलाधिकारी, भोगांव, जनपद-मैनपुरी द्वारा जुलाई, 2005 से दिसम्बर, 2008 तक तालाबों को पूर्ववत बहाल किये जाने हेतु क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

ब्लाक सुल्तानगंज में कुल तालाब/पोखर 540 हैं तथा ब्लाक बेवर में कुल तालाब/पोखर 601 हैं, इस प्रकार दोनों विकास खण्डों में कुल 1141 तालाब हैं। ब्लाक सुल्तानगंज के कुल तालाब/पोखरों का रकबा 181.567 है0 है तथा ब्लाक बेवर के कुल तालाब/पोखरों का क्षेत्रफल 137.034 है0 है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों एवं शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप उप जिलाधिकारी, भोगांव द्वारा तालाब/पोखरों पर से अवैध अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही की गई है। आलोच्य अवधि में ब्लाक सुल्तानगंज के 05 तालाब क्षेत्रफल 1.148 है0 व ब्लाक बेवर के 16 तालाब क्षेत्रफल 2.241 है0 से अवैध अतिक्रमण हटवाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कन्याओं की शादी हेतु आर्थिक अनुदान

106-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में कन्याओं की शादी हेतु आर्थिक अनुदान जन प्रतिनिधियों के माध्यम से वितरित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के निर्धन एवं असहाय व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति के आधार पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस समिति में सदस्य के रूप में जनपद के समस्त लोक सभा/राज्य सभा/विधान सभा/विधान परिषद् के मा0 सदस्यगण नामित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा भूमि अधिग्रहण तथा ग्रामवासियों हेतु भूमि छोड़ने की नीति पर विचार

107-श्री मदन चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा भूमि अधिग्रहण तथा ग्रामवासियों के लिये आवास हेतु भूमि छोड़ने की सरकार ने कोई नीति बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

राष्ट्रीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति-2003 को प्रदेश सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। नीति के प्राविधानों के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा अर्जन से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु अंकलित कर धनराशि औद्योगिक विकास प्राधिकरणों से प्राप्त कर प्रभावित परिवारों को उपलब्ध कराई जाती है।

इसके अतिरिक्त ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र के निवासी कृषकों जिनका नाम प्राधिकरण की स्थापना तिथि के पूर्व से राजस्व अभिलेखों में अंकित हो, को भावी आबादी विस्तार हेतु अर्जित भूमि के सापेक्ष वर्तमान में 6 प्रतिशत न्यूनतम 120 वर्ग मीटर तथा अधिकतम 2500 वर्ग मीटर भूमि का विकसित क्षेत्र में आवंटन किया जाता है।

नोएडा/ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा घोषित विभिन्न आवासीय भूखण्ड/भवन योजनाओं में भी कृषकों को 17.5 प्रतिशत भूखण्ड/निर्मित भवन आरक्षित कर आवंटित किये जाते हैं। साथ ही नोएडा प्राधिकरण द्वारा अर्जित भूमि के सापेक्ष वर्तमान में 5 प्रतिशत भूमि का विकसित क्षेत्र में आवंटन किया जाता है।

उक्त के अतिरिक्त गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु अधिग्रहीत भूमि से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना हेतु शासनादेश दिनांक 2-1-08 द्वारा नीति प्रख्यापित की गई हैं

प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानान्तरण की नीति

108-श्री मदन चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानान्तरण हेतु क्या कोई नीति है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय भूखण्डों का लीज रेन्ट कम करने की मांग

109-श्री मदन चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार नोएडा विकास प्राधिकरण के द्वारा आवासीय भूखण्डों का लीज रेन्ट कम करने पर विचार कर रही है ? यदि हां; तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय भूखण्डों का लीज रेन्ट कम करने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों के निरुद्ध करने से अव्यवस्था दूर करने के उपाय

110-श्री मदन चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को निरुद्ध करने से अव्यवस्था फैल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिये कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में नीति

111-श्री मदन चौहान-

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार ने क्या कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह कार्य योजना क्या है एवं कब से लागू होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जी हां।

सहकारी क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में नीति बनाई गई है।

प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु एवं दुग्ध विकास कार्यक्रम को निर्धारित दिशा दिये जाने की दृष्टि से 11वीं पंचवर्षीय योजना काल हेतु आवंटित परिव्यय 1970.71 करोड़ रुपये के सापेक्ष तकनीकी निवेश कार्यक्रम हेतु 800 करोड़ रुपये की राशि दुग्ध उत्पादन में अभिवृद्धि हेतु व्यय की जानी है। वार्षिक योजना 2009-10 हेतु तकनीकी निवेश कार्यक्रम में 1.001 करोड़ रुपये की राशि संदर्भित मद में व्यय किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें रु0 0.5 करोड़ की धनराशि समस्त जनपदों को अवमुक्त की जा चुकी है।

प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से उन्नतशील नस्ल के दुधारु पशुओं हेतु अनुदान देकर रियायती मूल्य पर क्रय करने के लिये वित्तीय वर्ष 2009-10 से भारत सरकार की राष्ट्रीय विकास योजनान्तर्गत सघन मिनी डेरी परियोजना का क्रियान्वयन प्रदेश के समस्त जनपदों में

किया जा रहा है। परियोजनान्तर्गत दो, चार, छः आठ एवं दस दुधारु पशुओं की मिनी डेरी स्थापना शासकीय सहायता एवं बैंक ऋण के माध्यम से दुग्ध समिति ग्रामों में कराई जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष चयन की योजना

112-श्री मदन चौहान-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों की कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने की कोई योजना तैयार की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जी हां।

रिक्त पदों के सापेक्ष चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

नेशनल होम्योपैथिक कालेज, गोमती नगर, लखनऊ में अनुसूचित जाति के मेडिकल छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने की मांग

113-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल होम्योपैथिक कालेज, गोमती नगर, लखनऊ में अनुसूचित जाति के अध्ययनरत मेडिकल छात्रों को दी जाने वाली वर्ष 2008-09 की छात्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग द्वारा अब तक न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार अनुसूचित जाति के इन मेडिकल छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने का निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

वर्ष 2008-09 में नेशनल होम्योपैथिक कालेज, गोमतीनगर, लखनऊ में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के 37 पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति की धनराशि उनके बैंक खातों में स्थानान्तरित की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर, तहसील महमूदाबाद में आयी बाढ़ से बचाव हेतु लगाई गई नावों के किराये का भुगतान

114-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर, तहसील महमूदाबाद में वर्ष 2008-09 में आयी बाढ़ से बचाव हेतु जिन नाविकों से नाव किराये पर ली गयी थी, उसका

भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 13-10-09 को भेजा गया पत्र आपको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

वर्ष 2008-09 में आई बाढ़ से बचाव हेतु लगाई गई नावों के किराये का भुगतान किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद, लहरपुर, बिसवां में बारिश व डैम से पानी छोड़े जाने से पीड़ित परिवारों को अहेतुक सहायता

115-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13-10-2009 जिसमें जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद, लहरपुर, बिसवां व सीतापुर में दिनांक 6/7 अक्तूबर, 09 की रात्रि में हुई बारिश व डैम से पानी छोड़े जाने के कारण लोगों के पक्के/कच्चे मकान गिरने तथा जानवरों के मरने व बीमार होने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार शासनादेश के क्रम में पीड़ित परिवारों को अहेतुक सहायता राशि देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जी हां।

अहेतुक सहायता का वितरण कर लिया गया है। गृह अनुदान कृषि निवेश की मद में सहायता एक सप्ताह में प्रभावित/पात्र व्यक्तियों को वितरण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद, लहरपुर, बिसवां में बारिश व डैम से पानी छोड़े जाने से किसानों को मुआवजा देने की मांग

116-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13-10-2009 जो जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद, लहरपुर, बिसवां व सीतापुर में दिनांक 6/7 अक्तूबर, 09 की रात्रि में हुई बारिश व डैम से पानी छोड़े जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या बाढ़ के कारण जल भराव होने से 50 प्रतिशत से अधिक फसल बर्बाद हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार पीड़ित किसानों को मुआवजा देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जी हां।

जी हां।

जिलाधिकारी से प्राप्त आख्यानुसार एक सप्ताह के अन्दर कृषि निवेश अनुदान का वितरण कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्शहर में कारागार में मिलाई हेतु शेड बनाने की मांग

117-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में कैदियों की बढ़ी हुयी संख्या को ध्यान में रखते हुये उनसे मिलाई करने वालों की सुविधा हेतु कारागार के बाहर शेड बनाने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

कारागार में मिलाई हेतु मुलाकात कक्ष उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

प्राविधिक शिक्षा परिषद् में प्रशासनिक कार्यालयों में तैनात समूह "क" के अधिकारी को सत्र लाभ दिये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

118-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के प्रशासनिक कार्यालयों में तैनात शिक्षा कार्य से विरत रहने वाले समूह "क" के अधिकारी सत्र लाभ पाने के हकदार हैं ? यदि हां, तो किस शासनादेश के अनुसार ? यदि नहीं, तो क्या शासनादेश के विरुद्ध सत्र लाभ दिये जाने के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सदल प्रसाद-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर, उप जिलाधिकारी जखनियां द्वारा चकमार्ग खाली कराकर पैमाइश किये जाने की झूठी जांच आख्या विषयक प्रकरण

119-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष, विधान सभा उ0 प्र0 का पत्रांक सं0 4077 दिनांक 4-11-08, जो जिलाधिकारी, गाजीपुर को भेजा गया है तथा श्री विजय कुमार राजभर, निवासी-ग्राम कैथवली, पो0 बसेवा, तह0-जखनियां, थाना-शादियाबाद, जनपद गाजीपुर

द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र में उप जिलाधिकारी, जखनियां द्वारा वर्णित रकबों पर चकमार्ग खाली कराकर पैमाइश किये जाने की झूठी जांच आख्या दिनांक 21-8-08 जिलाधिकारी, गाजीपुर को प्रेषित किये जाने विषयक है, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराते हुये चकमार्ग का भौतिक सत्यापन कर सम्बन्धित दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

प्रश्नगत प्रकरण में क्षेत्रीय नायब तहसीलदार, मनिहारी द्वारा जांच कराई गई थी। जांचोपरान्त स्थल पर उनके द्वारा कृत कार्यवाही के पश्चात प्राप्त आख्या के अनुसार विवादित चकमार्ग गाटा संख्या-128 स्थित ग्राम कैथवली की पैमाइश करके पुलिस बल की सहायता से पूर्व में खाली करा दिया था किन्तु बाद में स्वयं विजय कुमार राजभर ने पुनः चकरोड पर अतिक्रमण कर लिया गया था जिसकी जानकारी होने पर क्षेत्रीय लेखपाल ने पुलिस टीम के साथ दिनांक 05-07-2009 को पुनः पैमाइश कर निशानदेही लगाकर खूंटा गड़वा दिया था, जिसे अतिक्रमणी तथा प्रार्थना-पत्र देने वाले स्वयं विजय कुमार राजभर ने खूंटा उखाड़ दिया था और कहा था कि चकमार्ग कहीं और बनवाया जाय किन्तु उसका कब्जा न हटाया जाय जिस पर दिनांक 08-7-2009 को क्षेत्रीय नायब तहसीलदार मनिहारी ने थाना शादियाबाद की पुलिस के सहयोग से उक्त चकरोड से ग्राम प्रधान व ग्रामवासियों की उपस्थिति में अतिक्रमण हटवा दिया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नगत चकमार्ग पर स्वयं प्रार्थी ने ही अतिक्रमण किया था जिसे पूर्व में हटवाया गया था बाद में पुनः प्रार्थी ने चकरोड पर अतिक्रमण कर लिया था जिसे नायब तहसीलदार, मनिहारी ने पुलिस बल के सहयोग से मौके पर जाकर अतिक्रमण हटवा दिया था। प्रश्नगत प्रकरण में कोई झूठी आख्या नहीं भेजी गई थी इसलिये कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठाता।

जिला कारागार बुलन्दशहर में बन्दियों को रखने की क्षमता

120-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर स्थित कारागार में कुल कितने बन्दियों को रखने की क्षमता है तथा वर्तमान में कितने बन्दी कारागार में निरुद्ध है ? यदि बन्दियों की संख्या क्षमता से अधिक है तो क्या उनको मिलने वाली स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाओं को भी मानकानुसार बढ़ाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जिला कारागार बुलन्दशहर में बन्दियों को रखने की क्षमता 840 है तथा दिनांक 30-11-2009 की स्थिति के अनुसार 1794 बंदी कारागार में निरुद्ध हैं।

कारागार में निरुद्ध बन्दियों को नियमित रूप से स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधायें मानकानुसार उपलब्ध कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम तरछापार, तहसील बेल्थरा रोड, जनपद बलिया में अनुसूचित जाति की लड़कियों की शादी हेतु आवेदन-पत्रों का निस्तारण

121-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-तरछापार, तहसील-बेल्थरा रोड, जनपद-बलिया के कितनी अनुसूचित जाति की लड़कियों की शादी हेतु वर्ष 2009 में धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है और किन-किन लोगों के आवेदन-पत्र अभी भी लम्बित हैं ? लम्बित उक्त आवेदन-पत्रों का निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

ग्राम-तरछापार, तहसील-बेल्थरा रोड, जनपद बलिया के अनुसूचित जाति की लड़कियों की शादी हेतु वर्ष 2009-10 में कुल 05 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं, जिन सभी को शादी अनुदान योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता स्वीकृत की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद, बिसवां, लहरपुर, सीतापुर में बारिश व डैम से पानी छोड़े जाने से मछली के तालाबों में डिसिल्टिंग का मामला

122-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13-10-09 जिसमें जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद, बिसवां, लहरपुर, सीतापुर में दिनांक 6/7 अक्टूबर, 09 की रात्रि में हुई बारिस व डैम से पानी छोड़े जाने के कारण मछली के तालाबों में डिसिल्टिंग होने से बंधे फट जाने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार मुख्य रूप से प्रभावित मछुआरों, मत्स्य सोसाइटी आदि को अनुदान देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू-

जी हां।

बारिश व डैम से पानी छोड़े जाने के कारण मछली के तालाबों में डिसिल्टिंग होने से बंधे फट जाने का मामला संज्ञान में नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर की कतिपय तहसीलों में आयी बाढ़ से संबंधित पत्र पर कृत कार्यवाही

123-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13-10-09, जिसमें जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद, लहरपुर, बिसवां व सीतापुर में दिनांक 6/7 अक्टूबर, 09 की रात्रि हुई बारिश के कारण आयी बाढ़ विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जिलाधिकारी से प्राप्त आख्या के अनुसार उक्त पत्र में उल्लिखित ग्राम दूबेपुरवा मजरे अटौरा, शुकुलनपुरवा, सोनरखपुरैना में कृषि भूमि का कटान नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

124-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

[पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न सं0-163 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बागपत में पशु चिकित्सालय के सापेक्ष पशु चिकित्साधिकारियों की तैनाती

125-डा0 अजय तोमर-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बागपत में कुल कितने पशु चिकित्सालय हैं तथा इनमें से कितने पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्साधिकारी तैनात हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर पशु चिकित्साधिकारियों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जनपद बागपत में कुल 35 पशु चिकित्सालय स्वीकृत हैं, जिनमें 17 पशु चिकित्सालय पूर्व से सृजित हैं जिनके सापेक्ष 16 पशु चिकित्सालयों पर पशु चिकित्साधिकारी तैनात हैं। वर्तमान में पशु चिकित्साधिकारी का 01 पद रिक्त है। नवनिर्मित 15 पशु चिकित्सालयों के लिये अभी पद सृजित न होने के कारण नवनिर्मित 15 पशुचिकित्सालयों में पशुचिकित्साधिकारी तैनात नहीं हैं।

जी हां।

विभाग में रिक्त पशु चिकित्साधिकारियों के पदों पर चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। लोक सेवा आयोग से पशुचिकित्साधिकारियों के चयन होने के पश्चात् तैनाती की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

बीज, उर्वरक व कीटनाशक में मिलावट की शिकायतें

126-श्री मदन चौहान-

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में बीज उर्वरकों व कीटनाशक में भारी मात्रा में मिलावट हो रही है ? यदि हां, तो सरकार ने इसे रोकने के क्या उपाय किये है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक में मिलावट की कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

बीज अधिनियम, 1966 बीज, नियम, 1968 व बीज नियंत्रण आदेश, 1983 के अन्तर्गत बीजों के नमूने ग्रहीत कर उसका परीक्षण कराया जाता है। अधोमानक पाये जाने पर सम्बन्धित उत्पादक संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। प्रक्रिया के अन्तर्गत वर्ष 2009-2010 में कुल 4,837 बीज के नमूने ग्रहीत किये गये जिनके परीक्षण से कोई असामान्य परिणाम प्राप्त नहीं हुआ।

प्रदेश में मिलावट उर्वरकों के विक्रय की संभावना को समाप्त किये जाने एवं कृषकों को निर्धारित मानक के उर्वरक उपलब्ध कराये जाने हेतु जनपदों में जिलाधिकारियों के समग्र निर्देशन में उर्वरक प्रवर्तन की कार्यवाही बीज नियंत्रण आदेश, 1985 के अधीन की जाती है। शासनादेश दिनांक 16 जुलाई, 2009 व शासनादेश दिनांक 12 अक्टूबर, 2009 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को विशेष जांच अभियान चलाने के निर्देश दिये गये हैं तथा दिनांक 10 नवम्बर, 2009 से दिनांक 17 नवम्बर, 2009 तक प्रदेश के समस्त जनपदों में मुख्यालय से अधिकारियों को भेजकर जांच करायी गयी।

वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 तक निम्नवत् कार्यवाही की गयी :-

क्र0सं0	कार्यवाही	2008-09	2009-10 (दिनांक 31 दिसम्बर, 09 तक)
1	आयोजित छापे	49,440	31,243
2	ग्रहित उर्वरक नमूने	9,476	9,087
3	विश्लेषित/परीक्षण किये गये उर्वरक नमूने	9,454	8,412
4	पाये गये अमानक नमूने	556	544
	कृत दण्डात्मक कार्यवाही		
क	उर्वरक विक्रय प्रमाण-पत्र निरस्त	477	402
ख	उर्वरक व्यवसाईयों के विरुद्ध एफ0आई0आर0	122	119
ग	जेल भेजे गये उर्वरक व्यवसायी	66	78

कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत कृषि रक्षा रसायनों के सम्बन्ध में आकस्मिक निरीक्षण/छापे डालकर नमूने ग्रहीत किये जाने की व्यवस्था है। परीक्षण में यदि नमूनें अधोमानक पाये जाते हैं तो सम्बन्धित विक्रेता एवं विनिर्माता फर्म के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। वर्ष 2009-10 में माह दिसम्बर, 2009 तक कीटनाशी गुण नियंत्रण के अन्तर्गत निम्न कार्यवाही की गयी है :-

कुल ग्रहीत नमूने	कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही			
	लाइसेन्स		पाये गये अधोमानक नमूनों के विक्रेताओं के विरुद्ध वाद दायर	दोषी विक्रेताओं को दी गयी चेतावनी
	निलम्बित	निरस्त		
3,755	94	384	152	232

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद की तहसील गढ़मुक्तेश्वर में कल्याणपुर झील पर भू-माफियाओं द्वारा अनधिकृत कब्जा

127-श्री मदन चौहान-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद- गाजियाबाद में गढ़मुक्तेश्वर में गंगा के किनारे शाहपुर ग्राम में कौथलाझील व कल्याणपुर में कल्याणपुर झील पर भू-माफियाओं द्वारा

अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों झीलों के अनधिकृत कब्जों को मुक्त कराते हुए उनका पर्यटन स्थल की तरह सौन्दर्यीकरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद गाजियाबाद की तहसील गढ़मुक्तेश्वर में ग्राम शाहपुर चौधरी में 30.790 हे0 भूमि तथा ग्राम कोथला खादर में 59.438 हे0 भूमि झील की है उपरोक्त ग्राम शाहपुर चौधरी व ग्राम कोथला खादर की झील की भूमि मौके पर खाली है।

ग्राम कल्याणपुर में 40.838 हे0 भूमि झील की है जिसमें कथित रूप से 42 पट्टेदार हैं जिनका मौके पर कब्जा है। इन कथित आवंटियों का न्यायालय अपर कलेक्टर (भू0अ0) सिंचाई में वाद संख्या-06/06-07 धारा-198(4) ज0वि0अ0 सरकार बनाम आसे आदि विचाराधीन था जिसमें आदेश दिनांक 31-12-2009 के अन्तर्गत कथित आवंटन के आधार पर किया गया आवंटन इन्द्राज निरस्त किया गया है तथा भूमि ग्राम सभा में निहित की गयी है। मा0 न्यायालय अपर आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ में निगरानी संख्या-36/09 धारा-333 जेड0 ए0 ऐक्ट श्रीमती मीना गुप्ता बनाम ग्राम सभा आदि ग्राम कल्याणपुर में आदेश दिनांक 08-01-2010 के अन्तर्गत आगामी निर्धारित तिथि तक विचाराधीन आदेश के क्रम में यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये हैं तथा दिनांक 03-02-2010 निर्धारित की गयी है। न्यायालय के अन्तिम निर्णय के उपरान्त ही ग्राम सभा को कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही किया जाना संभव है। किसी के भी द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर झील की भूमि की बिक्री नहीं की जा रही है।

ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे पर उद्यान विभाग द्वारा बोडल पाम के लगाये गये पौधे

128-श्री मदन चौहान-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर 2006-07 में उद्यान विभाग द्वारा बोडल पाम के लगाये गये पौधे अब सूख चुके हैं ? क्या यह सही है कि इनका भुगतान 200 के बजाय 1200 रुपये प्रति पौधे की दर से किया गया है ? क्या इस घोटाले की जांच अभी लम्बित है ? यदि हां, तो जांच कब तक पूर्ण करा ली जायेगी ?

श्री नरायण सिंह-

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0 प्र0 द्वारा वर्ष 2006-07 में ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे पर बोडल पाम के पौधे नहीं लगाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा लांच की गयी फार्म हाउस स्कीम

129-श्री मदन चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा 19 जनवरी, 2009 को फार्म हाउस स्कीम लांच की गयी थी ? यदि हां, तो उसके आवंटन की शर्तें क्या हैं तथा किन-किन व्यक्तियों को कितने फार्म हाउस आवंटित किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

फार्म हाउस स्कीम की मुख्य शर्तें निम्नवत् हैं :-

1-पट्टाधारी/नोएडा के पास विवरणिका आवंटन, पट्टा भवन निर्माण उप-विधि के नियमों एवं शर्तों में संशोधन, परिवर्धन, परिवर्तन करने का अधिकार है और ऐसे संशोधन, परिवर्धन, परिवर्तन, आवंटी/पट्टाधारी पर बाध्यकारी हैं।

2-अगर अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण आवंटी को प्लाट पर कब्जा नहीं मिल पाता है, तो आवंटी द्वारा जमा सम्पूर्ण धनराशि वापस कर दी जाएगी। तथापि आवेदक को जमा राशि पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा।

3-अगर अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण प्राधिकरण आवेदक को भूमि आवंटित नहीं कर पाता है तो आवेदक को पंजीकरण राशि वापस कर दी जाएगी। तथापि आवेदक को उस राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

4-आवंटन पट्टे में किसी शब्द अथवा नियमों एवं शर्तों की व्याख्या पर किसी विवाद की स्थिति में नोएडा का निर्णय आवंटी/पट्टाधारी/उप पट्टाधारी एवं उसके/उनके उत्तराधिकारी पर अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

5-पट्टाधारी और उसके/उनके उत्तराधिकारी उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (1976 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-6) के प्रावधानों का पालन करेंगे और उसके अन्तर्गत समय-समय पर जारी नियमों विनियमों एवं निर्देशों का भी पालन करेंगे।

6-पट्टेदाता और पट्टाधारी/उप-पट्टाधारी के बीच विवाद की स्थिति में माननीय सिविल न्यायालय, गौतमबुद्ध नगर के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार अथवा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिनिर्णय में भेजा जाएगा।

7-पारिवारिक समारोह केवल 24 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर स्थित फार्महाउस में ही करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

योजना के अन्तर्गत अब तक निम्न 51 व्यक्तियों/कम्पनियों को आवंटन किया गया है :-1-मै0 नारायण इन्टरनेशनल, 2-श्री निर्मल सिंह, 3-श्रीमती रिचा भारद्वाज, 4-श्री सर्वप्रीत सिंह सूरी, 5-मैसर्स कॉस्टेंट ई-फाइन इनफोसाफ्टेक प्रा0 लि0, 6-मै0 अनुश्री इनफोटेक प्रा0 लि0, 7-मै0 इमीरेट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0, 8-श्री शशि कान्त चौरसिया, 9-श्री नवनीत कुमार चौरसिया, 10-मै0 डाइना इनफोसॉफ्ट प्रा0 लि0, 11-मै0 अजनारा फार्मस एण्ड सविर्सेज लि0, 12-मै0 अप्रा मोटल्स प्रा0 लि0, 13-मै0 आल सीजन्स सॉल्यूसंस प्रा0 लि0, 14-मै0 अभिराज बिल्डर्स एण्ड प्रमोटर्स प्रा0 लि0, 15-श्री समीर गुप्ता, 16-श्री विनीत नायर, 17-श्री प्रदीप चौधरी, 18-मै0 ग्रोवेल सर्विसेज प्रा0 लि0, 19-मै0 वन्डर बिलटेक प्रा0 लि0, 20-मै0 अरिस्टो फाइनेन्सियल सर्विसेज प्रा0 लि0, 21-मै0 कम्प्रेन्सिव आई0टी0 डेवलपर्स प्रा0 लि0, 22-मै0 एम0डी0 वेव डिजाइनर्स प्रा0 लि0, 23-मै0 ब्रिलिएन्ट बिल्डर्स प्रा0 लि0, 24-मै0 जगतगुरू रियल स्टेट डेवलपर्स प्रा0 लि0, 25-मै0 मजेस्टिक रियल्टर्स प्रा0 लि0, 26-श्रीमती अल्का दास, 27-मै0 इनफिक्स

इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0, 28-मै0 महर्षि सेल्स प्रा0 लि0, 29-मै0 भूमि बिल्डस्पेस प्रा0 लि0, 30-मै0 एच0 पी0 एग्रो डेवलपर्स प्रा0 लि0, 31-मै0 श्री राधे गोविन्द आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्रा0 लि0, 32-मै0 खेमका डीजल्स एण्ड सविर्सेज प्रा0 लि0, 33-मै0 धर्मपाल सत्यपाल संस प्रा0 लि0, 34-श्री राजीव कुमार, 35-मै0 स्प्रिचुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0, 36-मै0 बाबा ग्लोबल लि0 37-मै0 पीतल रिसोर्ट्स प्रा0 लि0, 38-मै0 होलोस्टिक हास्पिटिलिटी प्रा0 लि0, 39-मै0 एम0यू0 एण्ड एसोसिएट्स, 40-श्रीमती पूनम लाल, 41-मै0 रागिनी प्रोजेक्ट्स प्रा0 लि0, 42-मै0 ऑपटिमिस्ट कम्प्यूटर्स प्रा0 लि0, 43-मै0 मीडो इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा0 लि0, 44-मै0 स्नीरिया रियल्टर्स प्रा0 लि0, 45-मै0 हैन्डफुल इन्फ्रा डेवेलपर्स प्रा0 लि0, 46-मै0 एक्सपीरियन्स बिल्डिविल प्रा0 लि0, 47-मै0 साफ्री इन्फ्रा प्रोजेक्ट लि0, 48-मै0 शेषवता इन्फाटेक लि0, 49-श्री विजय कुमार, 50-मै0 गैरिसन रियल्टर्स प्रा0 लि0, 51-मै0 गैरिसन बिल्डकान्स प्रा0 लि0।

प्रश्न नहीं उठता है।

ग्रेटर नोएडा में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्तियों हेतु आवास की योजना

130-श्री मदन चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा में बसे लाखों झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्तियों को आवास हेतु कोई योजना सरकार द्वारा बनाई गई है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में झुग्गी-झोपड़ी की कोई समस्या नहीं है। जहां तक नोएडा का सम्बन्ध है, नोएडा में औद्योगिक सेक्टर-4,5,8, 9 एवं 10 में स्थापित झुग्गियों के सर्वे हेतु प्राधिकरण द्वारा एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, खाद्य विभाग एवं प्राधिकरण के अधिकारी सम्मिलित किये गये थे। गठित समिति द्वारा झुग्गियों का सर्वे पूर्ण किया जा चुका है, जिसकी सूची नोएडा वेबसाइट पर डाली जा चुकी है। झुग्गी वासियों से सर्वे सूची के बारे में आपत्तियां दर्ज की गयी है। प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण का कार्य गठित समिति के सदस्यों द्वारा स्थल के अनुरूप किया जा चुका है। झुग्गीवासियों के पुनर्वास के लिये प्राधिकरण बोर्ड की 164वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार पुनर्वास योजना हेतु वास्तुकार/नियोजन सलाहकार का चयन किया गया है। चयनित वास्तुकार/नियोजन सलाहकार पुनर्वास योजना हेतु उत्कृष्ट योजना प्रस्तुत करेंगे जिस पर तत्समय प्राधिकरण द्वारा निर्णय लेकर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर स्थित ऊन शुगर काम्पलेक्स को राज्य सरकार अथवा ग्राम पंचायत की भूमि का आवंटन

131-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर स्थित ऊन शुगर काम्पलेक्स को राज्य सरकार अथवा ग्राम पंचायत की भूमि का आवंटन किस वर्ष में किया गया था

व इसका क्षेत्रफल कितना था ? क्या शुगर मिल के निर्माण से पूर्व उपलब्ध भूमि को उपयोग हेतु कुछ नियम व शर्तों का करार किया गया था ? यदि हां, तो इसका क्या विवरण है ? भूमि उपलब्ध कराने के उपरान्त कुल कितने राजस्व की प्राप्ति हुई ? यह धन वर्तमान में कितना तथा कहां जमा है ? क्या सरकार इस धन को क्षेत्र के विकास कार्यों में लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद मुजफ्फरनगर स्थित ऊन, शुगर काम्पलेक्स (मै0 कस्तूरी शुगर मिल्स लि0) को वर्ष 1994 में राजस्व अनुभाग-1 के आदेश संख्या-यू0ओ0 353/एक-1/1994, दिनांक 23 दिसम्बर, 1994 द्वारा 36.589 हे0 भूमि आवंटित की गयी थी।

इस सम्बन्ध में यह भी सूच्य है कि बाद में इसका नाम बदल कर मोनेट शुगर मिल लि0 ऊन हो गया। तदोपरान्त चीनी अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-9678/18-2-2007-105/94, दिनांक 09 अगस्त, 2007 के द्वारा मैसर्स सरशादी लाल इण्टर प्राइजेज लि0 को हस्तान्तरित करने की अनुमति प्रदान की गयी है।

जी हां।

शासन द्वारा निम्न शर्तों के अनुसार शुगर मिल के निर्माण हेतु अनुमति प्रदान की गयी थी :-

1-मै0 कस्तूरी शुगर मिल लि0 को उक्त भूमि जिसका रकबा 176-12-10 बीघा है, में से 152-0-0 बीघा बंजर भूमि का प्रचलित बाजार मूल्य रुपया 12000/-प्रति बीघा की दर से तथा कृषि योग्य 26-14-0 बीघा भूमि का बाजार मूल्य 18000/-प्रति बीघा की दर से एक मुश्त देना होगा और नई दरों पर निकाली गयी मालगुजारी के बराबर वार्षिक किराया अदा करना होगा।

2-भूमि पर कम्पनी का सर्वाधिकार देने के बजाये 30 वर्ष के लिए पट्टे पर दी जायेगी जिसका 30-30 वर्ष के लिये दो बार नवीनीकरण किया जायेगा। इस आशय का पट्टा विलेख भी निष्पादित किया जायेगा, जिसका प्रारूप तैयार करके जिलाधिकारी द्वारा विधीक्षण हेतु शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3-यदि उक्त भूमि या उसके किसी भाग को उपरोक्त चीनी मिल की आवश्यकता नहीं रहेगी तो चीनी मिल उसे शासन को वापस कर देगी और शासन द्वारा उक्त भूमि का मूल्य जितना की चीनी मिल द्वारा उक्त भाग के लिए शासन को भुगतान किया गया होगा वापस कर दिया जायेगा।

4-यदि कभी पुनर्ग्रहीत एवं आवंटित भूमि को पट्टों की शर्तों के विपरीत अन्य किसी प्रकार के उपयोग में लाया जायेगा तो शासन को यह अधिकार होगा कि भूमि को पट्टेदार से निःशुल्क वापस ले लें।

5-यदि भूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में निष्पादित होने वाले विलेख पत्र के सम्बन्ध में कोई मतभेद उत्पन्न होगा तो यह निर्णय के लिए शासन के चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के सचिव के पास भेजा जायेगा।

उक्त भूमि से कुल धनराशि रु0 2,40,81,944-00 की राजस्व प्राप्ति हुई।

1-रुपये 23,04,340.00 की धनराशि चालान संख्या-टी-4 दिनांक 3-1-95 द्वारा लेखा शीर्षक 0029-भू-राजस्व-ड-अन्य प्राप्तियां-08 मालिकाना राजस्व-च-प्रकीर्ण प्राप्तियों में जमा किया गया है।

2-रुपये 2,16,42,230.00 की धनराशि चालान संख्या-टी-11, दिनांक 28-2-2007 तथा रुपये 1,35,374.00 की धनराशि चालान संख्या-टी-7 दिनांक 28-2-2007 द्वारा लेखा शीर्षक 0029-भू राजस्व-800-अन्य प्राप्तियां-08 मालिकाना राजस्व-0806 प्रकीर्ण प्राप्तियों में जमा है।

जी नहीं। उपरोक्त लेखा शीर्षक में जमा धनराशि का प्रयोग प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं में किया जाता है। उसी क्षेत्र विशेष के विकास हेतु उपरोक्त लेखा शीर्षक में जमा धनराशि को आवंटित किये जाने की व्यवस्था नहीं है।

जनपद मुजफ्फरनगर में कार्यशील/निर्माणाधीन पशु चिकित्सालय

132-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर में वर्तमान में कितने पशु चिकित्सालय निर्मित हैं व कितनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है ? क्या सभी पशु चिकित्सालयों में चिकित्सक तैनात हैं ? यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ? रिक्त चिकित्सकों की तैनाती कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जनपद मुजफ्फरनगर में 48 पशु चिकित्सालय कार्यशील हैं तथा 26 नवनिर्मित हैं। 03 पशु चिकित्सालय निर्माणाधीन है।

जी नहीं।

जनपद मुजफ्फरनगर में 48 पशु चिकित्सालयों में से 37 पशु चिकित्सालयों पर चिकित्सक तैनात हैं। 11 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों के सापेक्ष अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है।

लोक सेवा आयोग से अनुमोदित होने के उपरान्त पशु चिकित्साधिकारियों की तैनाती की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

समाज कल्याण की वेबसाइट पर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की अद्यतन संशोधित सूची प्रदर्शित किये जाने की मांग

133-श्री सुखलाल-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों की वर्ष 2003 के पूर्व की स्थिति के अनुसार जातियों की सूची प्रदर्शित की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उ0 प्र0 में अनुसूचित

जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़ी जातियों की अद्यावधिक सूची का शासनादेश जारी कराकर समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट संशोधित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की अद्यावधिक स्थिति से सम्बन्धित शासनादेश पूर्व से निर्गत हैं। पिछड़ी जातियों के सम्बन्ध में भी अद्यावधिक स्थिति/सूची से सम्बन्धित शासनादेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पूर्व से निर्गत है एवं वेबसाइट पर उपलब्ध है। समाज कल्याण की वेबसाइट पर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सूची अद्यतन संशोधित करा दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

134-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

[पहले सोमवार के अतारांकित प्रश्न सं0-172 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में चार जनपदों के तहसील क्षेत्रों को सम्मिलित करने की योजना

135-डा0 अनिल चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख सचिव, औद्योगिक विभाग के नोटीफिकेशन संख्या-1850/ 77-3-09-3 नं0 1 दि0 21 जुलाई, 2009 द्वारा चार जनपदों की सात तहसील क्षेत्रों खैर (अलीगढ़), मांट व महावन (मथुरा) सासनी, हाथरस व सादाबाद (महामायानगर) एत्मादपुर (आगरा) के 850 राजस्व ग्रामों को यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में सम्मिलित करने हेतु अधिसूचित किया गया है ? यदि हां, तो इस अधिसूचना में सम्मिलित ग्रामों की भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में कितना है ? इन अधिसूचित ग्रामों की कुल जनसंख्या क्या है ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

इन अधिसूचित ग्रामों के कुल क्षेत्रफल के सम्बन्ध में सूचना सम्बन्धित जनपदों से एकत्र की जा रही है।

इन अधिसूचित ग्रामों के कुल जनसंख्या के सम्बन्ध में सूचना सम्बन्धित जनपदों से एकत्र की जा रही है।

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में अधिसूचित राजस्व ग्रामों की संख्या

136-डा0 अनिल चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में अधिसूचित राजस्व ग्रामों की कुल संख्या कितनी है ? क्या शासन द्वारा उक्त ग्रामों में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के अधिकार "उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास

अधिनियम, 1976" की धारा 12(ए) के अनुरूप समाप्त कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र के विकास एवं अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में अधिसूचित राजस्व ग्रामों की कुल संख्या-1191 है।

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को औद्योगिक विकास विभाग की अधिसूचना संख्या-675/77-4-08-03एन/01, दिनांक 30 जून, 2008 द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 443 (थ) के खण्ड (1) के परन्तुक के अधीन औद्योगिक नगरी घोषित की गई है।

उक्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट औद्योगिक नगरी किसी पंचायत क्षेत्र से अपवर्जित रहेगी तथा किसी पंचायत का गठन न किया जा सकेगा और इस क्षेत्र या उसके भाग के लिये गठित कोई पंचायत जो उसके औद्योगिक नगरी के रूप में घोषित किये जाने से पूर्व गठित की गई हो, अस्तित्वहीन हो जायेगी।

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के जनपद गौतमबुद्धनगर में अधिसूचित क्षेत्र में विकास योजनायें गतिमान हैं। शेष जनपदों में यमुना एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा विकास योजनायें प्राधिकरण की आवश्यकता के अनुसार भविष्य में क्रियान्वित की जानी प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

137-डा0 अनिल चौधरी-

[पहले सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-168 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मुजफ्फरनगर की प्रत्येक तहसील में आवासीय एवं कृषि पट्टों का आवंटन

138-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर में वर्ष 2007-08 व 2009 में प्रत्येक तहसील में कितने आवासीय एवं कृषि पट्टों का आवंटन किया गया ? कुल आवंटित पट्टों में कितने सामान्य जाति, पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को दिये गये ? इनका विवरण क्या है ? आवंटित पट्टों में कितनों का आवंटन स्वप्रेरणा अधिकार से उप जिलाधिकारी द्वारा किया गया ?

श्री फागू चौहान-

जनपद मुजफ्फरनगर में वर्ष 2007-08 में तहसील सदर में 267 कैराना में 172, शामली में 324 बुढाना में 240 जानसठ में 16 तथा खतौनी में 85 अर्थात कुल 1104 एवं वर्ष 2008-09 में तहसील सदर में शून्य कैराना में 175 शामली में 268 बुढाना में 217 जानसठ में 14 व खतौली में 75 अर्थात कुल 749 आवास स्थल तथा वर्ष 2007-08 में तहसील सदर में 92, कैराना में 180, शामली में 76, बुढाना में 143 जानसठ में शून्य, खतौली में 140 अर्थात कुल

631 एवं वर्ष 2008-09 में तहसील सदर में 148, कैराना में 107, शामली में 104, बूढाना में 173, जानसठ में 13 व खतौली में 72 अर्थात कुल 617 कृषि भूमि का आवंटन किया गया।

वर्ष 2007-08 में सामान्य जाति, पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को क्रमशः 35,404 व 665 तथा वर्ष 2008-09 में 54, 179, 516 आवास स्थल एवं वर्ष 2007-08 में क्रमशः 37, 210 व 384 तथा वर्ष 2008-09 में क्रमशः 29,190 व 398 कृषि भूमि का आवंटन किया गया।

उप जिलाधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से वर्ष 2007-08 में तहसील सदर में 01 व कैराना में 51 अर्थात् कुल 52 तथा वर्ष 2008-09 में शून्य आवास स्थल तथा वर्ष 2007-08 में शून्य व वर्ष 2008-09 में तहसील खतौली में 41 अर्थात् कुल 41 कृषि भूमि का आवंटन किया गया।

जनपद मैनपुरी की तहसील सदर के ग्राम दलीपपुर में गाटा सं0 49 का बैनामा

139-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी की तहसील सदर, वि0 खं0 कुरावली के ग्राम-दलीपपुर में गाटा सं0-49 का बैनामा श्री राजकुमार पुत्र स्व0 श्री कंचन सिंह के नाम से है ? यदि हां, तो क्या बैनामेदार को उक्त जमीन का कब्जा मिल गया है ? यदि नहीं, तो कब्जा कब तक दिला दिया जायेगा ?

श्री फागू चौहान-

जनपद मैनपुरी की तहसील सदर वि0ख0 कुरावली के ग्राम दलीपपुर भाग कुम्हरौआ के गाटा संख्या 49 रकबा 0.405 का 2/3 भाग बैनामा भी राज कुमार पुत्र स्व0 कंचन सिंह को हुआ है।

बैनामेदार को उक्त बैनामा वाली भूमि पर कब्जा मिल गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

"मेंटीनेंस एण्ड वेलफेयर आफ पेरेन्ट्स एण्ड सीनियर सिटीजन्स ऐक्ट" की भावना के अनुरूप "मेन्टीनेंस ट्रिब्यूनल" का गठन

140-डा0 अनिल चौधरी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा दिसम्बर, 2007 में संसद में पारित "मेंटीनेंस एण्ड वेलफेयर आफ पेरेन्ट्स एण्ड सीनियर सिटीजन्स ऐक्ट" प्रदेश सरकार द्वारा अंगीकृत कर अधिसूचित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या इस ऐक्ट की भावना के अनुरूप "मेंटीनेंस ट्रिब्यूनल" के गठन एवं प्रत्येक जनपद में "ओल्डर एज होम" स्थापित करने के सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

भारत सरकार से कतिपय स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण "द मेंटीनेंस एण्ड वेलफेयर आफ पेरेन्ट्स एण्ड सीनियर सिटीजन्स ऐक्ट 2007" को प्रदेश में अंगीकृत नहीं किया जा सका है।

विभिन्न औद्योगिक प्राधिकरणों में भूखण्ड (आवासीय) के ट्रान्सफर चार्जेज के निर्धारण का आधार

141-श्री मदन चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में भूखण्ड (आवासीय) के ट्रांसफर चार्जेज का निर्धारण करने का आधार क्या है तथा किन-किन तथ्यों पर आधारित है ?

सुश्री मायावती-

विभिन्न औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में भूखण्ड (आवासीय) के ट्रान्सफर चार्जेज के निर्धारण का आधार संबंधित विकास प्राधिकरण की आवंटन नियमावली है। ट्रान्सफर चार्जेज का निर्धारण समय-समय पर संबंधित प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा किया जाता है।

जनपद गाजियाबाद की तहसील गढ़मुक्तेश्वर में पौराणिक झील कोथला में अवैध रूप से कब्जा

142-श्री मदन चौहान-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद- गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में पौराणिक झील कोथला, जो ग्राम शाहपुर चौधरी व कल्याणपुर ग्राम में स्थित है, पर भू-माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर बिक्री की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त भूमि को कब्जा मुक्त कराकर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद गाजियाबाद की तहसील गढ़मुक्तेश्वर में ग्राम शाहपुर चौधरी में 30.790 हे0 भूमि तथा ग्राम कोथला खादर में 59.438 हे0 भूमि झील की है जो मौके पर खाली है।

ग्राम कल्याणपुर में 40.838 हे0 भूमि झील की है जिसमें कथित रूप से 42 पट्टेदार हैं जिनका मौके पर कब्जा है। इन कथित आवंटियों का न्यायालय अपर कलेक्टर (भू0अ0) सिंचाई में वाद संख्या-06/06-07 धारा-198 (4) ज0वि0अ0 सरकार बनाम आसे आदि विचाराधीन था जिसमें आदेश दिनांक 31-12-09 के अन्तर्गत कथित आवंटन के आधार पर किया गया आवंटन इन्द्राज निरस्त किया गया है तथा भूमि ग्राम सभा में निहित की गई है। मा0 न्यायालय अपर आयुक्त मेरठ, मेरठ मण्डल में निगरानी संख्या-36/09 धारा-333 जेड0 ए0 ऐक्ट श्रीमती मीना गुप्ता बनाम ग्राम सभा आदि ग्राम कल्याणपुर में आदेश दिनांक 08-01-2010 के अन्तर्गत आगामी निर्धारित तिथि तक विचाराधीन आदेश के क्रम में यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये हैं तथा दिनांक 03-02-2010 निर्धारित की गई है। मा0 न्यायालय के अन्तिम निर्णय के उपरान्त ही ग्राम सभा को कब्जा दिलाये जाने के संबंध में कार्यवाही किया जाना सम्भव है। किसी के भी द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर झील की भूमि की बिक्री नहीं की जा रही है।

किसानों की फसल में आग लगने से होने वाली क्षति की भरपाई हेतु मुआवजा राशि का भुगतान

143-श्री मदन चौहान-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार ने किसानों की फसल में आग लगने से होने वाली हानि की भरपाई हेतु मुआवजा राशि या अन्य सहायता राशि दिये जाने हेतु कोई नीति बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

किसानों की फसल में आग लगने से होने वाली हानि की भरपाई हेतु मुआवजा राशि हेतु कोई नीति नहीं है अपितु भारत सरकार द्वारा जारी सी0आर0एफ0 गाइडलाइन्स में उल्लिखित प्राकृतिक/दैवी आपदा (आग) से फसल की हुई हानि के मामलों में प्रभावित कृषकों को कृषि निवेश अनुदान के रूप में सहायता दिये जाने की नीति है।

कृषकों को आग से हुई क्षति/हानि के मामलों में निम्नवत् विवरण के अनुसार कृषि निवेश अनुदान अनुमन्य कराया जाता है :-

(क) लघु एवं सीमान्त कृषकों को फसल निवेश अनुदान जहां पर फसल का नुकसान 50 प्रतिशत या इससे अधिक हुआ हो।

1-कृषि फसलों, बागवानी फसलों, वार्षिक वृक्षारोपण फसलों के लिये-

- रु0 2,000/-प्रति हेक्टेयर वर्षा सिंचित क्षेत्र में।
- रु0 1000/- प्रति हेक्टेयर सुनिश्चित सिंचित क्षेत्र में।

2-बारहमासी फसलें-

- रु0 6,000/-प्रति हेक्टेयर सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिये।

(ख) लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न कृषकों की कृषि निवेश अनुदान-

50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक फसलें नुकसान पर 01 हेक्टेयर प्रति कृषक तथा 02 हेक्टेयर प्रति कृषक लगातार दूसरे वर्ष (वर्षानुवर्ष) गम्भीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में। (कृषक की भूमि जोत बड़ी होने की दशा में भी) निम्न दरों के अनुसार सहायता दी जायेगी।

- रु0 2,000/-प्रति हेक्टेयर वर्षा सिंचित क्षेत्र में।
- रु0 4000/- प्रति हेक्टेयर सुनिश्चित सिंचित क्षेत्र में।
- रु0 6,000/-प्रति हेक्टेयर सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिये।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर में कारागार में निरुद्ध बन्दियों को मानकानुसार भोजन की व्यवस्था

144-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बुलन्दशहर में कारागार में निरुद्ध बंदियों को मानकानुसार भोजन की व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो क्या दालों एवं सब्जियों के दामों में वृद्धि को देखते हुए सरकार बंदियों को भोजन हेतु प्राविधानित धनराशि में वृद्धि करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

जी नहीं।

प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध कैदियों हेतु भोजन के लिये प्रत्येक कैदी पर धनराशि नहीं निर्धारित की गई है, बल्कि भोजन की विभिन्न सामग्री की मात्रा का मानक निर्धारित है। वास्तविक व्यय के अनुसार भोजन हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद उन्नाव में संचालित चकबन्दी अधिकारी व सहायक चकबन्दी अधिकारी के कार्यालय

145-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव में चल रही चकबन्दी प्रक्रिया के लिये कितने कार्यालय चकबन्दी अधिकारी के व कितने कार्यालय सहायक चकबन्दी अधिकारी के संचालित हैं ? क्या यह सही है कि ब्लाक नवाबगंज व तहसील हसनगंज के ग्राम अजगैन में अवैध रूप से सहायक चकबन्दी अधिकारी ने कार्यालय संचालित कर रखा है जो कृषकों से धन उगाही व उत्पीड़न का कार्य कर रहे हैं ? क्या सरकार इस कार्यालय को यथास्थान स्थानान्तरित कर उसमें कार्यरत सहायक चकबन्दी अधिकारी के कार्यों की जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद उन्नाव में वर्तमान समय में 07 चकबन्दी अधिकारी व 20 सहायक चकबन्दी अधिकारी के कार्यालय संचालित हैं।

जी नहीं। सहायक चकबन्दी अधिकारी, अजगैन (केवाना) का कार्यालय दिनांक 01-10-1994 से तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी परेन्दा का कार्यालय जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, जनपद उन्नाव के आदेश दिनांक 17-7-1996 के द्वारा दिनांक 09-7-09 तक ग्राम अजगैन में संचालित रहे।

वर्तमान में सहायक चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र परेन्दा में चकबन्दी कार्य की कमी को देखते हुए जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, उन्नाव के आदेश दिनांक 09-07-09 के द्वारा कार्यालय सहायक चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र केवाना स्थित अजगैन में समायोजित कर दिया गया है।

इस प्रकार ग्राम अजगैन में एक कार्यालय सहायक चकबन्दी अधिकारी, केवाना स्थान अजगैन संचालित है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत हेतु स्वीकृत पशु पालीक्लीनिक बिजरौल का निर्माण कार्य

146-डा0 अजय तोमर-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बागपत हेतु स्वीकृत पशु पालीक्लीनिक बिजरौल का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कराया जायेगा ? क्या इस कार्य के पूर्ण होने की कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

पालीक्लीनिक बिजरौल के 15 प्रतिशत अवशेष कार्यों हेतु धनराशि अवमुक्त होने के दो माह पश्चात।

जी हां।

धनराशि अवमुक्त होने के दो माह पश्चात।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में बाल विकास परियोजना कार्यालय के भवनों का निर्माण

147-डा0 अजय तोमर-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बागपत के सभी छः बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं।

बाल विकास परियोजना कार्यालय खेकड़ा एवं बिनौली में भवनों का निर्माण कार्य दिनांक 31-03-09 को पूर्ण कराया जा चुका है।

अवशेष कार्यालय भवनों हेतु बजट व्यवस्था न होने के कारण निर्माण कार्य नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

148-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

[प्रथम बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-164 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में डी0ए0पी0 व यूरिया खाद की उपलब्धता

149-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उ0 प्र0 के किसानों को डी0ए0पी0 व यूरिया खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करके उस पर नियंत्रण करेगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनवरी, 2009 से सितम्बर, 09 तक कितने दोषियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

प्रदेश में वर्तमान में यूरिया की उपलब्धता सन्तोषजनक है। फास्फेटिक उर्वरक, जिसमें डी0ए0पी0 व एन0पी0के0 काम्प्लेक्स सम्मिलित है, की कमी की समस्या रबी की बुआई के दौरान राष्ट्रव्यापी थी, फिर भी भारत सरकार से निरन्तर सम्पर्क में रह कर अधिकाधिक फास्फेटिक उर्वरक

प्रदेश के कृषकों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 तक प्रदेश में उर्वरकों की उपलब्धता की स्थिति इस प्रकार है।

(मात्रा लाख मी0टन में)

उर्वरक	लक्ष्य (दिसम्बर, 2009 तक)	उपलब्धता (31 दिसम्बर, 2009 तक)	वितरण (31 दिसम्बर, 2009 तक)
यूरिया	15.15	16.53	13.54
डी0ए0पी0	9.70	9.12	8.02
एन0पी0के0	3.00	4.76	4.20
डी0ए0पी0 + एन0पी0के0	12.70	13.88	12.22

प्रदेश में मिलावटी उर्वरकों के विक्रय की सम्भावना को समाप्त किये जाने एवं कृषकों को निर्धारित मानक के उर्वरक उपलब्ध कराये जाने के मन्तव्य से जनपदों में जिलाधिकारियों के समग्र निर्देशन में उर्वरक प्रवर्तन की कार्यवाही संचालित है। कृषकों को निर्धारित मानक का उर्वरक सुगमता से उपलब्ध कराने के मंतव्य से उर्वरक व्यवसायिकों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। गत खरीफ, 2009 में मुख्य सचिव के पत्र संख्या 2956/12-2-2009-एफ-33/08, दिनांक 16 जुलाई, 2009 द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को 15 दिन का विशेष जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। इसी प्रकार रबी में मुख्य सचिव के पत्र संख्या-4885/12-2-2009-एफ-33 /08, दिनांक 12 अक्टूबर, 2009 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को विशेष जांच अभियान चलाने के निर्देश दिये गये। कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 10 से 17 नवम्बर, 2009 तक प्रदेश के समस्त जनपदों में मुख्यालय से अधिकारियों को भेजकर जांच कराई गई। इस प्रकार मिलावट करने वालों के खिलाफ शासन पूरी तरह सतर्क है।

उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के अन्तर्गत नियमानुसार उर्वरक व्यवसाय न करने वाले उर्वरक व्यवसायियों के विरुद्ध सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। इस दिशा में माह जनवरी, 2009 से सितम्बर, 2009 तक 433 उर्वरक विक्रय प्रमाण-पत्र निरस्त किये गये। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत 57 एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गई और 20 उर्वरक व्यवसायी जेल भेजे गये।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के ग्राम मसवासी निवासी श्री राम स्वरूप को ग्राम पंचायत की भूमि संख्या 183 का पट्टा दिये जाने के सम्बन्ध में पत्र

150-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव के ग्राम मसवासी निवासी श्री राम स्वरूप पुत्र स्व0 श्री छविनाथ उर्फ शिवनाथ, जो अनुसूचित जाति के हैं, को शासनादेश

संख्या-1276/एके-1-1/2007-53, दिनांक 27 अगस्त, 2007 के अनुपालन में ग्राम पंचायत की भूमि संख्या 183 का पट्टा किये जाने के सम्बन्ध में श्री मुरलीधर, सदस्य, विधान सभा का पत्र मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय के विधायक कोष्ठक-02 में पत्रांक 192420/2008, दिनांक 16-12-2008 पर अंकित है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122 बी (4-एफ0) के अन्तर्गत प्रार्थी के पक्ष में विनियमितीकरण की कार्यवाही दिनांक 16-1-2010 को पूर्ण हो चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में आगजनी से मृत्यु तथा अनुग्रह अनुदान का विवरण

151-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में वर्ष 2009 में कितने व्यक्तियों की आगजनी से मृत्यु हुई है तथा आगजनी से पीड़ित कितने परिवारों को अनुग्रह राशि दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जी नहीं।

श्री फागू चौहान-

आगजनी से पीड़ित 235 व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स के अनुसार गृह अनुदान/अनुग्रह अनुदान वितरण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ स्थित आई0टी0आई0 पट्टी में संचालित ट्रेड एवं पंजीकृत विद्यार्थी

152-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ स्थित आई0 टी0 आई0 पट्टी में वर्ष 2009-10 में कुल कितने ट्रेड कार्यरत हैं और प्रत्येक ट्रेड में कितने-कितने विद्यार्थी प्रशिक्षण लेने हेतु पंजीकृत हैं ? क्या प्रत्येक ट्रेड में अध्यापक कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सदल प्रसाद-

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) पट्टी प्रतापगढ़ में वर्ष 2009-10 में कुल 04 व्यवसाय (ट्रेड) संचालित है। जिनमें इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रानिक दो वर्षीय कटिंग तथा कटिंग टेलरिंग, स्टेनों, हिन्दी में एक वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है और प्रत्येक ट्रेड में क्रमशः 40, 33, 19 तथा 08 प्रशिक्षार्थी (विद्यार्थी) प्रशिक्षण लेने हेतु पंजीकृत हैं।

इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय के सापेक्ष 02 अनुदेशक (अध्यापक) इलेक्ट्रानिक्स व्यवसाय के सापेक्ष 02 अनुदेशक (अध्यापक) कार्यरत है व अनुदेशक गणित का भी एक पद भरा है तथा कटिंग टेलरिंग व स्टेनों हिन्दी व्यवसाय में अतिथिवक्ताओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में सब्जी उत्पादक कृषकों को खाद, बीज, पानी पर सब्सिडी देने पर विचार

153-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में सब्जी उत्पादक कृषकों को खाद, बीज, पानी पर सब्सिडी देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरायण सिंह-

जी हां। विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत विकास खण्ड आसपुर देवसरा में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं विकास खण्ड-मंगरौरा एवं पट्टी में राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना व वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत आवेदन-पत्रों का निस्तारण

154--श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर में वित्तीय वर्ष 2008-09 व 2009-10 में कितने व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना व वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत आवेदन किया गया ? आवेदकों में से कितनों के आवेदन स्वीकार किये गये व कितने अस्वीकार किये गये ? आवेदकों के प्रार्थना-पत्रों को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं तथा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना व वृद्धावस्था पेंशन योजना की पात्रता का आधार क्या है ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद मुजफ्फरनगर में वित्तीय वर्ष 2008-09 व 2009-10 में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एवं वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत प्राप्त/स्वीकृत/अस्वीकृत आवेदन-पत्रों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष	प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	अस्वीकृत/ अपात्र	अवशेष
1	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	2008-09	1965	1149	816	--
		2009-10	1786	955	298	533
2	वृद्धावस्था पेंशन योजना	2008-09	15209	13634	1525	--
		2009-10	620	476	144	--

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के वर्ष 2009-10 के अवशेष आवेदन-पत्रों की जांच कराई जा रही है।

आवेदक के निर्धारित पात्रता श्रेणी में न आने के कारण योजना का लाभ अनुमन्य नहीं है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुख्य जीविकोपाज्य सदस्य की मृत्यु हो जाने पर जिसकी उम्र 18 से 64 वर्ष के बीच हो उसके आश्रित को एक मुश्त रु0 20,000/- की आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था है। गरीबी रेखा का तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्र में रु0 19884/- वार्षिक व नगरीय क्षेत्र में रु0 25546/- वार्षिक आय सीमा से है।

वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत 60 वर्ष या उसके अधिक आयु के पात्र व्यक्तियों को चिन्हित करने हेतु बी0पी0एल0 की वह सूची मान्य की गई है, जो राज्य सरकार द्वारा बी0पी0एल0 जनगणना वर्ष 2002 के आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट तथा शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों को चयनित करने के लिये नगरीय विकास एवं गरीबी निवारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट बी0पी0एल0 का ही मानक अपनाये जाने की व्यवस्था है।

जनपद बुलन्दशहर में पशु चिकित्सालय के सापेक्ष चिकित्सक एवं समुचित स्टाफ की तैनाती

155-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बुलन्दशहर में कुल कितने पशु चिकित्सालय हैं ? क्या सरकार यह बतायेगी कि जनपद-बुलन्दशहर में ऐसे कितने पशु चिकित्सालय हैं, जहां पर चिकित्सक एवं समुचित स्टाफ तैनात नहीं है ? क्या सरकार चिकित्सक एवं स्टाफ विहीन पशु चिकित्सालयों में समयबद्ध सीमा के अन्तर्गत चिकित्सक एवं स्टाफ की तैनाती करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जनपद बुलन्दशहर में 44 पशु चिकित्सालय हैं।

जनपद बुलन्दशहर के 44 पशुचिकित्सालयों में से नवनिर्मित 09 पशु चिकित्सालयों के लिये अभी पद सृजित नहीं हुए हैं। अतः इन नवनिर्मित 09 पशुचिकित्सालयों में पशुचिकित्साधिकारी/स्टाफ तैनात नहीं हैं। शेष 35 पशुचिकित्सालयों पर पशुचिकित्साधिकारी, तैनात नहीं हैं, शेष स्टाफ तैनात है।

विभाग में रिक्त पशुचिकित्साधिकारियों के पदों पर चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। लोक सेवा आयोग से पशुचिकित्साधिकारियों के चयन होने तथा नवनिर्मित पशुचिकित्सालयों हेतु पद सृजित होने के पश्चात् तैनाती की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा टोल प्लाजा एवं हाई टेक सिटी के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि

156-डा0 अनिल चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा मार्ग के निर्माण टोल प्लाजा एवं हाई टेक सिटी के निर्माण हेतु अभी तक अधिग्रहीत भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर में कितना है ? सरकार द्वारा कितनी भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है व कितनी भूमि का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है ?

सुश्री मायावती-

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा मार्ग के निर्माण एवं टोल टैक्स प्लाजा के निर्माण हेतु कुल 1546.3046 हे0 भूमि का अधिग्रहण किया गया है। हाईटेक सिटी हेतु किसी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है।

कुल 1546.3046 हे0 भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है तथा सर्विस रोड हेतु 10.7125 हे0 भूमि का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है।

जनपद मुजफ्फरनगर में टीकाकरण के उपरान्त भी गलाघोंटू की बीमारियों से मवेशियों की मौतें

157-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर में गलाघोंटू एवं खुरपका जैसी बीमारियों का टीकाकरण मवेशियों में क्या शत-प्रतिशत कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या जनपद में टीकाकरण के उपरान्त भी गलाघोंटू की बीमारी से मवेशियों की मौतें हुई हैं ? यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ? क्या सरकार इसके निराकरण हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

जनपद मुजफ्फरनगर में विभिन्न मदों में हुई आय का विवरण

158-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर में वर्ष 2008-09 में कुल कितने राजस्व की प्राप्ति हुई ? विभिन्न मदों से हुई आय का विवरण मदवार क्या है ?

श्री फागू चौहान-

जनपद मुजफ्फरनगर में वर्ष 2000-09 में कुल रुपये 8,34,54,61,000/- रुपये (रुपये आठ अरब, चौतीस करोड़ चौवन लाख इकसठ हजार) राजस्व की प्राप्ति हुई। विभिन्न मदों में हुई आय का मदवार विवरण निम्नलिखित है :-

(धनराशि लाख रुपये में)

मद का नाम	कुल राजस्व
1	2
1-भू राजस्व	173.54
2-स्टाम्प पंजीकरण	9185.83
3-राज्य आबकारी	11546.31
4-वाणिज्य कर	15556.75
5-वाहन माल व यात्रीकर	2152.03
6-विद्युत कर	43928.98
7-मनोरंजन कर	204.88
8-नजूल भूमि	0
9-शिक्षा एवं खेल	190.75
10-चिकित्सा	30.02
11-वानिकी व वन्य जीव	137.22
12-मुख्य तथा मध्यम सिंचाई	11.59
13-लघु सिंचाई	15.67
14-अलौह खनन	307.00
15-लोक निर्माण	14.04
योग :	83454.61

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायकों का शोषण किये जाने के संबंध में पत्र

159-श्री उदयभान करवरिया-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायकों के साथ शोषण किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र सं0-905/09 दिनांक 1-09-09 को जिलाधिकारी, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मण्डी समिति के अधिकारियों/कर्मचारियों को पंचम वेतनमान दिये जाने का प्रकरण

160-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मण्डी समिति के अधिकारियों/कर्मचारियों को अभी तक पंचम वेतनमान नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त कर्मियों को कब तक पंचम वेतनमान दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं। प्रदेश की मण्डी समितियों के 12 संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों को पंचम वेतनमान दिया जा रहा है तथा 11 संवर्गों के पुनरीक्षण का प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है।

शासन के अनुमोदनोपरान्त।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में प्राकृतिक कारणों से लगने वाली आग से क्षति

161-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2009 में जनपद प्रतापगढ़ की पट्टी तहसील में प्राकृतिक कारणों से क्षेत्रीय आपदा के कारण लगने वाली आग से किन-किन ग्रामों में जन व धन की हानि हुई है और उन्हें सरकार द्वारा तात्कालिक सहायता क्या-क्या और कब-कब दी गयी ? क्या सरकार सहायता राशि को हुए नुकसान के समतुल्य देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

वर्ष 2009 में जनपद प्रतापगढ की तहसील पट्टी में प्राकृतिक कारणों के कारण लगने वाली आग से किसी भी ग्राम में जन हानि नहीं हुई है। अग्निकाण्ड से 07 ग्रामों में पशु हानि हुआ 115 ग्रामों में रिहायशी मकानों में धन हानि हुई है। इस प्रकार से कुल 122 ग्रामों में धन/पशु हानि हुई है। शासनादेश सं0 जी0आई0 134/1-11-2007-46/97, दिनांक 31-7-07 के अनुसार प्रभावित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता/गृह अुनदान/अनुग्रह अनुदान के रूप में राहत सहायता वितरित किया गया है। वितरित राहत सहायता की सूची संलग्न* है।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित आपदा राहत निधि की गाइडलाइन्स के अनुसार दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवार को आपदा राहत निधि से तत्काल राहत सहायता दिये जाने की व्यवस्था है। क्षतिपूर्ति के समतुल्य प्रतिपूर्ति की व्यवस्था नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

---

* (देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 260-264 पर)

सहकारी कताई मिल महमूदाबाद जिला सीतापुर में कताई मिल सेमरी की मशीनों की बिक्री

162-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर में कताई मिल सेमरी की मशीनों की बिक्री के बाद उसमें बने गोदाम, भवनों व जमीन का उपयोग अन्य किसी जनहित के कार्यों हेतु किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

सहकारी कताई मिल महमूदाबाद जिला-सीतापुर में कताई मिल सेमरी की समस्त सम्पत्ति, मा0 उच्च न्यायालय बाम्बे के आदेशानुसार कोर्ट रिसीवर के कब्जे में है। कब्जे से मुक्त कराने का मामला मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में लम्बित है। मा0 उच्चतम न्यायालय से आदेश प्राप्त होने के अनुसार ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्यों सर्वश्री राम औतार मिश्रा, राम दवर अधिवक्ता, भुवनेश भूषण, घुरहू, धूम प्रसाद, राज बहादुर द्विवेदी, धर्मवीर सिंह, दिनेश सिंह, झग्गड़ सिंह, इम्तियाज मोहम्मद खां, शम्भू नाथ, रमेश चन्द्र शुक्ल, अश्विन कुमार, नागेश्वर प्रसाद, सुरेन्द्र सिंह, बैजनाथ यादव तथा वीरसेन के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री राम औतार मिश्रा का 20 जनवरी, 2005 को निधन हो गया। वे लगभग 55 वर्ष के थे। श्री राम औतार मिश्रा का जन्म 1 जनवरी, 1950 को कस्बा कांट, जिला शाहजहांपुर में हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राम औतार मिश्रा सर्वप्रथम वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र ददरौल, जिला शाहजहांपुर से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। तत्पश्चात् वे वर्ष 1989, 1993 तथा 1996 में इसी निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर विधान सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री राम औतार मिश्रा वर्ष 1977 में कांग्रेस पार्टी के आन्दोलन में भाग लेने के फलस्वरूप जिला कारागार, शाहजहांपुर में 5 दिन बन्दी रहे थे। वे ब्लाक युवक कांग्रेस के अध्यक्ष, जिला युवक कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, शाहजहांपुर जनपद के जनसेवक तथा ग्राम सभा हरीपुर कोरिया के प्रधान रहे थे। कृषि एवं राजनीति में उनकी विशेष रुचि थी। श्री राम औतार मिश्रा के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री राम दवर अधिवक्ता का 1 सितम्बर, 2009 को निधन हो गया। वे लगभग 58 वर्ष के थे। श्री राम दवर अधिवक्ता का जन्म 3 नवम्बर, 1951 को ग्राम भरौली, जिला जौनपुर में हुआ था। उन्होंने बी0ए0, एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राम दवर अधिवक्ता वर्ष 1993 में निर्वाचन क्षेत्र शाहगंज (अ0जा0), जिला जौनपुर से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री राम दवर अधिवक्ता वर्ष 1976 में किसान मजदूर उत्थान समिति के महामंत्री रहे थे। वे वर्ष 1995 में सुश्री मायावती मंत्रिमण्डल में राज्य मंत्री रहे थे। वकालत तथा

जन सेवा में उनकी विशेष रुचि थी तथा समाचार पढ़ना, रेडियो सुनना और टी0वी0 देखना उन्हें प्रिय था। श्री राम दवर अधिवक्ता के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री भुवनेश भूषण का 5 सितम्बर, 2009 को निधन हो गया। वे लगभग 86 वर्ष के थे। श्री भुवनेश भूषण का जन्म 1 जनवरी, 1923 को हुआ था। उन्होंने स्नातक तथा विशारद की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री भुवनेश भूषण वर्ष 1957 में निर्वाचन क्षेत्र इटावा, जिला इटावा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

भुवनेश भूषण आनन्दकर कार्यालय प्राइवेट लिमिटेड, इटावा के मैनेजर रहे थे। वे कई शिक्षा संस्थाओं के प्रबन्धक तथा अध्यक्ष रहे थे। वे भारतीय जनसंघ पार्टी, उत्तर प्रदेश के कोषाध्यक्ष भी रहे थे। भुवनेश भूषण के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री घुरहू का 15 सितम्बर, 2009 को निधन हो गया। वे लगभग 63 वर्ष के थे। श्री घुरहू का जन्म 5 जुलाई, 1946 को ग्राम चौरपकलान, जिला मऊ में हुआ था। उन्होंने स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री घुरहू वर्ष 1991 में निर्वाचन क्षेत्र रसड़ा (अ0जा0), जिला बलिया से जनता दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री घुरहू समाज सेवा के प्रति सदैव तत्पर रहते थे। उनकी कुश्ती तथा पहलवानी में काफी रुचि थी। धर्म के प्रति उनकी गहरी आस्था थी तथा उन्होंने अपने ग्राम सभा में मंदिर का निर्माण कराया था। श्री घुरहू के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री धूम प्रसाद का 22 सितम्बर, 2009 को निधन हो गया। वे लगभग 88 वर्ष के थे। श्री धूम प्रसाद का जन्म वर्ष 1921 में ग्राम सरौली, जिला फैजाबाद में हुआ था। उन्होंने हाईस्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री धूम प्रसाद वर्ष 1962 में निर्वाचन क्षेत्र मंगलसी, जिला फैजाबाद तथा वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र, सोहावल (अ0जा0), जिला फैजाबाद में जनसंघ के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री धूम प्रसाद वर्ष 1947 से 1957 तक प्राइमरी पाठशाला, मंगलसी विकास खण्ड, सोहावल में सहायक अध्यापक तथा प्राथमिक विद्यालय, सरौली व तुलापुर विकास खण्ड, अमानीगंज में प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत रहे थे। वे वर्ष 1958 से 1961 तक जिला पंचायत सदस्य रहे थे। वे रामचरन इण्टर कालेज, घटौली, मिल्कीपुर, फैजाबाद में प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष रहे थे। जन सेवा में उनकी रुचि थी। श्री धूम प्रसाद के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राजबहादुर द्विवेदी का 4 अक्टूबर, 2009 को निधन हो गया। वे लगभग 79 वर्ष के थे। श्री राजबहादुर द्विवेदी का जन्म 1 मई, 1930 को हुआ था। उन्होंने बी0ए0, एल-एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राजबहादुर द्विवेदी वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र बीकापुर, जिला फैजाबाद से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य भी रहे थे।

श्री राजबहादुर द्विवेदी वर्ष 1960 से 1962 तक जिला कांग्रेस कमेटी, फैजाबाद के मंत्री, वर्ष 1962 से 1967 तक जिला कांग्रेस कमेटी, फैजाबाद के महामंत्री तथा वर्ष 1964 से 1967 तक प्रदेशीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे थे। उन्होंने 'लोक राज' तथा 'साकेत समाचार' नामक साप्ताहिक हिन्दी पत्रों का सम्पादन किया था। वे जिले के कई शिक्षण संस्थाओं से सम्बद्ध थे। अध्ययन, वाद-विवाद तथा भ्रमण में उनकी रुचि थी। श्री राजबहादुर द्विवेदी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री धर्मवीर सिंह का 11 अक्टूबर, 2009 को निधन हो गया। वे लगभग 84 वर्ष के थे। श्री धर्मवीर सिंह का जन्म 16 मार्च, 1925 को ग्राम दौराला, जिला मेरठ में हुआ था। उन्होंने बी0 एस-सी0 (कृषि) की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री धर्मवीर सिंह वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र सरधना, जिला मेरठ से निर्दलीय सदस्य के रूप में विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। तत्पश्चात् वे वर्ष 1969 तथा 1974 में निर्वाचन क्षेत्र बरनावा, जिला मेरठ से भारतीय क्रांति दल के टिकट पर, इसी निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1977 में जनता पार्टी एवं वर्ष 1980 में जनता (एस) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री धर्मवीर सिंह परमार्थ विद्यालय, भराला, जिला मेरठ, किसान डिग्री कालेज, मवाना, जिला मेरठ, किसान इण्टरमीडिएट कालेज एवं जाट वैदिक शिक्षा सोसाइटी के अध्यक्ष रहे थे। वे श्री बनारसी दास मंत्रिमण्डल में राज्य मंत्री रहे थे। समाज सुधार, कृषि तथा खेल कूद में उनकी विशेष रुचि थी। श्री धर्मवीर सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री दिनेश सिंह का 14 अक्टूबर, 2009 को निधन हो गया। वे लगभग 58 वर्ष के थे। श्री दिनेश सिंह का जन्म 6 मई, 1951 को ग्राम करौती, जिला सिद्धार्थनगर में हुआ था। उन्होंने स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री दिनेश सिंह वर्ष 2002 में निर्वाचन क्षेत्र शोहरतगढ़, जिला सिद्धार्थनगर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री दिनेश सिंह ने अनेक आन्दोलनों में भाग लिया था जिसके फलस्वरूप वे जेल भी गये थे। वे नोगढ़ के ब्लाक प्रमुख तथा जिला कांग्रेस कमेटी, सिद्धार्थनगर के अध्यक्ष रह चुके थे। वे सुश्री मायावती मंत्रिमण्डल तथा श्री मुलायम सिंह यादव मंत्रिमण्डल के सदस्य भी रह चुके थे। समाज सेवा एवं शोषितों के हितों के लिये संघर्ष करने में उनकी विशेष रुचि थी। श्री दिनेश सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री झग्गड़ सिंह का 24 अक्टूबर, 2009 को निधन हो गया। वे लगभग 74 वर्ष के थे। श्री झग्गड़ सिंह का जन्म 4 जनवरी, 1935 को मेरठ में हुआ था। उन्होंने स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री झग्गड़ सिंह वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र हस्तिनापुर (अ0जा0), जिला मेरठ से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर तथा वर्ष 1989 में निर्वाचन क्षेत्र हस्तिनापुर, जिला मेरठ से जनता दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री झग्गड़ सिंह वर्ष 1966, 1977 तथा 1978 में धारा-151 के अन्तर्गत मेरठ कारागार, तिहाड़ जेल, दिल्ली तथा सेन्ट्रल जेल, बरेली में बन्दी रहे थे। वे वर्ष 1962 से 1977 तक रोडवेज यूनियन के प्रदेश तथा क्षेत्र स्तर पर अध्यक्ष तथा सचिव रहे थे। वे वर्ष 1985 से 1988 तक रेलवे महदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष भी रहे थे। उन्होंने अनेक सामाजिक समारोहों का संचालन किया था। अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी। श्री झग्गड़ सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री इम्तियाज मोहम्मद खां का 3 नवम्बर, 2009 को निधन हो गया। वे लगभग 59 वर्ष के थे। श्री इम्तियाज मोहम्मद खां का जन्म 1 दिसम्बर, 1950 को ग्राम भड़कऊ, जिला बुलन्दशहर में हुआ था। उन्होंने बी0 एस-सी0 (आनर्स) तथा एल-एल0 बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र स्याना, जिला बुलन्दशहर से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर तथा वर्ष 1989 में इसी निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां टैक्सटाइल स्पिनिंग मिल, बुलन्दशहर तथा आई0 टी0 आई0, बुलन्दशहर के निदेशक रहे थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। उन्हें अध्ययन, भ्रमण एवं वन्य-जीवन पर्यवेक्षण प्रिय था।

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री शम्भू नाथ का 12/13 दिसम्बर, 2009 की रात्रि में निधन हो गया। वे लगभग 81 वर्ष के थे। श्री शम्भू नाथ का जन्म 31 जुलाई, 1928 को हुआ था। उन्होंने एम0ए0, एल-एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री शम्भू नाथ वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र केराकत (अ0जा0), जिला जौनपुर से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे चौथी तथा पांचवीं लोक सभा के सदस्य भी रहे थे।

श्री शम्भू नाथ वर्ष 1969 से 1977 तक पार्लियामेन्टरी फोरम फार शिड्यूल्ड कास्ट एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्स के महामंत्री रहे थे। सामाजिक संगठन, अध्ययन तथा बैडमिंटन में उनकी विशेष रुचि थी। शिक्षा एवं कृषि के प्रति वे जागरुक रहते थे। श्री शम्भू नाथ के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रमेश चन्द्र शुक्ल का 23 दिसम्बर, 2009 को निधन हो गया। वे लगभग 74 वर्ष के थे। श्री रमेश चन्द्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर, 1935 को ग्राम झकरासी, जिला रायबरेली में हुआ था। उन्होंने एम0ए0, एल-एल0बी0 तथा एल0एस0जी0डी0 की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री रमेश चन्द्र शुक्ल वर्ष 1980 तथा 1985 में निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली, जिला रायबरेली से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री रमेश चन्द्र शुक्ल धारा-188 के अन्तर्गत दस दिन जिला कारागार, रायबरेली में बन्दी रहे थे। वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रसंघ के महामंत्री, जिला बार एसोसिएशन, रायबरेली के महामंत्री तथा जिला कांग्रेस कमेटी, रायबरेली के महामंत्री रहे थे। उन्होंने केशव देव मालवीय स्मारक विद्यालय के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया था। समाज सेवा, अध्ययन एवं पर्यटन में उनकी विशेष रुचि थी। श्री रमेश चन्द्र शुक्ल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अश्विनी कुमार का 31 दिसम्बर, 2009 को निधन हो गया। वे लगभग 84 वर्ष के थे। श्री अश्विन कुमार का जन्म 15 जुलाई, 1925 को ग्राम कनईल, जिला गोरखपुर में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री अश्विनी कुमार वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र कौड़ीराम, जिला गोरखपुर से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री अश्विनी कुमार ने वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था जिसके फलस्वरूप वे कई बार जेल भी गये थे। वे यू0पी0 स्टूडेन्ट्स कांग्रेस के जिला मंत्री रहे थे। वे समाजवादी जन परिषद् से सक्रिय रूप से जुड़े थे तथा वे इस पार्टी मे दो बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे थे। संगीत में उनकी विशेष रुचि थी। श्री अश्विनी कुमार के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री नागेश्वर प्रसाद का 1 जनवरी, 2010 को निधन हो गया। वे लगभग 94 वर्ष के थे। श्री नागेश्वर प्रसाद का जन्म 16 अक्टूबर, 1916 को प्रेम का पुरा, जिला जौनपुर में हुआ था। उन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा सुजानगंज से एवं मध्यमा से शास्त्री तक की शिक्षा संस्कृत पाठशाला, प्रेम का पुरा से ग्रहण की थी। श्री नागेश्वर प्रसाद वर्ष 1952 में निर्वाचन क्षेत्र मछली शहर (उत्तर) जिला जौनपुर से तथा वर्ष 1957 में निर्वाचन क्षेत्र गढ़वारा, जिला जौनपुर से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे चौथी तथा पांचवीं लोक सभा के सदस्य भी रहे थे।

श्री नागेश्वर प्रसाद ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था जिसके फलस्वरूप वे जेल भी गये थे। वे समग्र ग्राम सेवा संघ, प्रेम का पुरा के मंत्री, जूनियर हाई स्कूल, बेलवार के संस्थापक तथा जिला बोर्ड, जौनपुर के सदस्य रहे थे। वे जिला कांग्रेस कमेटी, जौनपुर के मंत्री भी रहे थे। चर्खे तथा अध्ययन में उनकी रुचि थी। उनको दिनांक 25 अगस्त, 2006 को उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा प्रथम विधान सभा के सदस्य होने का सम्मान प्रदान किया गया था।

श्री नागेश्वर प्रसाद के निधन से प्रदेश ने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह का 2 जनवरी, 2010 को निधन हो गया। वे लगभग 82 वर्ष के थे। श्री सुरेन्द्र सिंह का जन्म 4 दिसम्बर, 1928 को पुवायां, जिला शाजहांपुर में हुआ था। उन्होंने एम0 ए0, एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री सुरेन्द्र सिंह वर्ष 1957 में निर्वाचन क्षेत्र पुवायां, जिला शाजहांपुर से स्वतंत्र प्रगतिशील विधान मण्डल दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री सुरेन्द्र सिंह अपने क्षेत्र की भलाई के लिये सदैव प्रयत्नशील रहते थे। समाजसेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री सुरेन्द्र सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बैजनाथ यादव का 19 जनवरी, 2009 को निधन हो गया। वे लगभग 80 वर्ष के थे। श्री बैजनाथ यादव का जन्म 15 जुलाई, 1930 को महाराजगंज, जिला वाराणसी में हुआ था।

श्री बैजनाथ यादव वर्ष 1867 में निर्वाचन क्षेत्र धानापुर, जिला वाराणसी से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। तत्पश्चात् वे इसी निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1969 तथा 1974 में भारतीय क्रांति दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री बैजनाथ यादव कटिंग मेमोरियल हायर सेकेन्ड्री स्कूल, वाराणसी में अध्यापक रहे थे। शिक्षा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री बैजनाथ यादव के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री वीरसेन का दिनांक 27 जनवरी, 2010 को निधन हो गया। वे लगभग 87 वर्ष के थे। श्री वीरसेन का जन्म 1 दिसम्बर, 1923 को हुआ था। उन्होंने एम0ए0, एल0एल0बी0 तथा एल0टी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री वीरसेन वर्ष 1952 में निर्वाचन क्षेत्र हापुड़ (दक्षिण), तत्कालीन जिला मेरठ से, वर्ष 1957 में निर्वाचन क्षेत्र हापुड़, तत्कालीन जिला मेरठ से तथा वर्ष 1962 में निर्वाचन क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर, तत्कालीन जिला मेरठ से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के भी सदस्य रहे थे। वे आठवीं लोक सभा के सदस्य भी रहे थे। श्री वीरसेन अवैतनिक सभा सचिव रहे थे। वे वर्ष 1984-85 में श्री नारायण दत्त तिवारी मंत्रि-मण्डल के सदस्य थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री वीरसेन को दिनांक 25 अगस्त, 2006 को उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा प्रथम विधान सभा के सदस्य होने का सम्मान प्रदान किया गया था।

श्री वीरसेन के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

मैं सदन की भावनाओं का आदर करते हुए ईश्वर से कामना करता हूं कि ईश्वर विधान सभा के इन सभी भूतपूर्व माननीय सदस्यों के शोक संतप्त परिवारों को यह दुख सहन करने की

शक्ति दे और मैं इस सदन की भावनाओं को इन सभी दिवंगत भूतपूर्व माननीय सदस्यों के परिवारों तक पहुंचा दूंगा। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि कृपया दो मिनट मौन धारण करें।

(सदन में दो मिनट का मौन धारण किया गया)

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें।

प्रसिद्ध मार्क्सवादी नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

देश के मार्क्सवाद को एक नई पहचान और धरातल दिलाने वाले मार्क्सवादी नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु का 17 जनवरी, 2010 को निधन हो गया। वे लगभग 95 वर्ष के थे। देश में वामपंथी आन्दोलन के शिखर पुरुष श्री ज्योति बसु का जन्म 8 जुलाई, 1914 को हुआ था। उन्होंने वर्ष 1932 में प्रेसीडेन्सी कालेज, कोलकाता से अंग्रेजी में आनर्स किया था तथा वर्ष 1935 में लंदन के मिडिल टेम्पल कालेज से विधि की पढ़ाई पूरी की थी।

छह दशक तक राजनीति में छाये रहे श्री बसु वर्ष 1946 में पहली बार बंगाल विधान सभा के लिये चुने गये। तत्पश्चात् वे वर्ष 1952, 1957, 1962, 1967, 1969, 1971, 1977, 1982, 1987, 1991 तथा 1996 में पश्चिम बंगाल विधान सभा के सदस्य चुने गये थे। वे वर्ष 1957 से 1967 तक पश्चिम बंगाल विधान सभा में विपक्ष के नेता रहे। वे वर्ष 1967 तथा 1969 में पश्चिम बंगाल के उप मुख्य मंत्री बने। वर्ष 1977 में वे मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी के नेतृत्व वाले वाममोर्चा सरकार के मुख्य मंत्री बने। वे पश्चिम बंगाल में 23 वर्ष तक मुख्य मंत्री के पद पर रहे।

कामरेड ज्योति बसु सच्चे अर्थों में भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलन के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। वे वर्ष 1940 से लेकर 1977 तक जन आन्दोलन और कांग्रेसी शासन से वामपंथी संघर्ष के एक प्रमुख नेता थे। श्री बसु ने कट्टर सिद्धान्तवादी और अनुशासित कार्यशैली के लिये क्षेत्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई थी। श्री ज्योती बसु के निधन से देश ने वाम आन्दोलन के एक महान नेता, अभूतपूर्व राजनीतिविद् एवं राजनेता खो दिया।

वरिष्ठ समाजवादी नेता श्री जनेश्वर मिश्र के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

वरिष्ठ समाजवादी नेता एवं छोटे लोहिया के नाम से मशहूर श्री जनेश्वर मिश्र का 22 जनवरी, 2010 को निधन हो गया। वे लगभग 77 वर्ष के थे। श्री जनेश्वर मिश्र का जन्म 5 अगस्त, 1933 को ग्राम शुभनथही, जिला बलिया में हुआ था। उन्होंने बी0ए0, एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी।

कानून की डिग्री हासिल करने के बाद श्री जनेश्वर मिश्र डा0 राम मनोहर लोहिया के सम्पर्क में आये। उन्होंने डा0 लोहिया के नेतृत्व में समाजवादी आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। वे चौथी, पांचवीं, छठी और नौंवी लोक सभा के सदस्य रहे थे। वे वर्ष 1994 से लगातार राज्य सभा के सदस्य थे। वे वर्ष 1977-78 में पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक विभाग के वर्ष 1979 में ऊर्जा तथा वर्ष 1979-80 में नौवहन और परिवहन विभाग के केन्द्रीय राज्य मंत्री रहे तथा वर्ष 1990 में संचार विभाग के केन्द्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रहे। वे वर्ष 1990-1991 में रेल, वर्ष 1996-97 में जल संसाधन तथा वर्ष 1997-98 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग के केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री रहे थे। वे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा राज्य सभा में समाजवादी पार्टी संसदीय दल के नेता थे। श्री जनेश्वर मिश्र के निधन से देश ने समाजवादी आन्दोलन के एक महान नेता को खो दिया।

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री श्री वाई0एस0आर0 रेड्डी के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री डा0 वाई0एस0आर0 रेड्डी का 3 सितम्बर, 2009 को हेलीकाप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। वे लगभग 60 वर्ष के थे।

डा0 रेड्डी का जन्म 8 जुलाई, 1949 को ग्राम जम्मलमदगु, जिला कुडप्पा, आंध्र प्रदेश में हुआ था। उन्होंने एम0बी0बी0एस0 की शिक्षा ग्रहण की थी।

डा0 रेड्डी ने वर्ष 1978 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा था। वे 6 बार पुलिवेंदुला से आंध्र प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे तथा 4 बार आंध्र प्रदेश के कुडप्पा संसदीय क्षेत्र से लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे 20 मई, 2004 को पहली बार तथा 20 मई, 2009 को दूसरी बार मुख्य मंत्री बने थे। वे वर्ष 1980 से 1983 के दौरान मंत्री रहे और उन्होंने ग्रामीण विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आबकारी और शिक्षा जैसे मंत्रालय संभाले। वे वर्ष 1983 से 1985 तक एवं 1998 से 2000 तक आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। वर्ष 1999 से 2004 के बीच वे राज्य विधान सभा में विपक्ष के नेता रहे थे। डा0 रेड्डी एक प्रगतिशील एवं दूरदर्शी नेता थे जिनके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश ने तेजी से प्रगति की। डा0 रेड्डी को अध्ययन तथा संगीत सुनने में रुचि थी। डा0 रेड्डी के निधन से देश ने एक लोकप्रिय नेता एवं कुशल प्रशासक खो दिया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय स्व0 श्री ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य मंत्री, स्व0 श्री जनेश्वर मिश्र, समाजवादी नेता एवं डा0 वाई0एस0आर0 रेड्डी, पूर्व मुख्य मंत्री आन्ध्र प्रदेश के निधन से पूरा सदन शोकाकुल है। मेरी कुदरत से प्रार्थना है कि वह इन दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिवारों को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं इस सदन में व्यक्त शोक संवेदनायें शोकाकुल परिवारों को पहुंचा दूंगा और अब मैं दिवंगत आत्माओं की शांति के लिये 2 मिनट के लिये मौन धारण करने का निवेदन करता हूं।

(सदन में दो मिनट का मौन धारण किया गया)

कृपया स्थान ग्रहण करें।

प्रदेश में विधान परिषद् के स्थानीय निकाय सम्बन्धी चुनाव में सरकार द्वारा की गई धांधलियों विषयक सूचना

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मेरी बात सुन लें। माननीय अध्यक्ष जी, नियम-311 में जो सूचना हमने दी थी। मान्यवर, आदेश करें।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, एक मेरा निवेदन है कि जैसा आपको मालूम है कि विधान सभा और विधान परिषद् का चुनाव, चुनाव आयुक्त कराता है। भारत की संविधान की धारा-324 के तहत माननीय संसद तथा राज्य विधान मण्डल के सदनों के चुनाव होते हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री क्या कहना चाहते हैं। जरा सुन लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, समस्त अधिकार भारत निर्वाचन आयोग में निहित हैं और मान्यवर, भारत निर्वाचन आयोग के कृत्यों और निर्देशों पर विधान मण्डल के सदनों में चर्चा नहीं करायी जा सकती।

(विपक्ष के कई सदस्य एक साथ अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे, जिससे व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं इस विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि क्या हम यहां पर बैठ कर चुनाव आयुक्त के बारे में चर्चा कर सकते हैं। जब उन चुनावों का जिन चुनावों का पूरी तरह से पर्यवेक्षण और चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग की है और भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा जो भी कृत्य होता है। उसके आधार पर परिणाम घोषित होते हैं। ऐसी स्थिति में आप इस विषय पर ध्यान दे लें मान्यवर कि क्या हम उनके कृत्य की यहां पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

चुनाव आयोग के कृत्यों की तो यहां पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। माननीय चौधरी साहब आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, इस पर आप चर्चा की अनुमति तो तब देंगे जब आप ग्राह्यता पर सुन लेंगे, चर्चा होगी कि नहीं होगी, यह आपका विवेक है और आप तय करेंगे कि इस पर चर्चा होगी कि नहीं होगी। हमारी नोटिस आप देख लीजिए, इसमें निर्वाचन आयोग पर किसी तरीके का न कोई आक्षेप है और न निर्वाचन आयोग के किसी कृत्य की चर्चा है। मान्यवर, जो विगत विधान परिषद् के स्थानीय निकाय प्राधिकार क्षेत्र से जो चुनाव हुए हैं उस चुनाव में सरकार की क्या

भूमिका है, इस पर चर्चा है। यह चुनाव आयोग की भूमिका पर चर्चा नहीं है। मान्यवर और न चुनाव प्रक्रिया पर चर्चा है, इसलिए मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी का यह कहना, इसका कोई अर्थ नहीं है, हमने चुनाव आयोग पर और जो विषय वह कहते हैं कि चुनाव आयोग पर चर्चा नहीं करेंगे, हम चुनाव आयोग की भूमिका पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

चुनाव आयोग की परिधि या कार्यशैली की हम यहां पर चर्चा नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर आप अपना कोई अलग तथ्य चुनाव से सम्बन्धित दे रहे हैं तो मैंने तो कहा है कि नियम-56 में सुनूंगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आपने कहा था कि इसको सबसे पहले सुनेंगे, इसलिए सबसे पहले आप इसे ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको ले लेता हूं, लेकिन अगर दो मिनट का समय दे दें तो पहले लेईग आईटम ले लें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, पहले इसको ले लेते, लेईग आईटम तो हो जायेगा।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अच्छा चलिए, नियम-301 को केवल दो मिनट में मैं पढ़ देता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

ठीक है मान्यवर, आप नियम-301 ले लें।

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 28 जनवरी, 2010 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 26 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं :-

पहली सूचना श्री कृष्ण गोपाल पटेल की जनपद लखीमपुर खीरी में विगत 10 वर्षों से अधिक समय से एक ही तहसील में तैनात लेखपालों के स्थानान्तरण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री सुन्दर लाल लोधी की जनपद उन्नाव के तहसील हसनगंज के ग्राम अजगैन में अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति की आबादी के गांव में विद्युत लाइन बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना अमरमणि त्रिपाठी की है।

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर) चौथी सूचना श्री जोखू लाल यादव की जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत खराब/ध्वस्त मार्गों

की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में रोडवेज का एक बस-स्टैण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में है।

श्री संजय कपूर-

मान्यवर, मैं अपनी सूचना पढ़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप अपनी सूचना को पढ़ दें।

जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में रोडवेज का एक बस स्टैण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री संजय कपूर-

मान्यवर, मैं नियम-301 की सूचना के माध्यम से जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जनपद रामपुर के अन्तर्गत विलासपुर अत्यन्त महत्वपूर्ण तहसील है जो उत्तराखण्ड राज्य, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राज मार्ग पर स्थित है। तहसील विलासपुर में कोई भी बस स्टैण्ड नहीं है, जिस कारण इस मार्ग पर चलने वाली बसों को खड़ी करने में यहां काफी असुविधा होती है, वही यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, साथ ही स्थानीय लोगों को भी विभिन्न प्रकार की परेशानियां होती हैं, उसके साथ ही दुर्घटनायें भी अधिक होती रहती हैं। यहां पर बस स्टैण्ड न होने के कारण छात्र-छात्राओं, दैनिक यात्रियों सहित मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जनहित में जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में रोडवेज का एक बस स्टैण्ड होना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के एवं अविलम्बनीय प्रश्न को सदन में उठाये जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब बैठ जायं।

छठी सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की जनपद आजमगढ़ के मेहनगर ब्लाक में रामगढ़ देवकली मार्ग पर मगई नदी पर बने क्षतिग्रस्त पुल को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री महेश चन्द्र गुप्ता की जनपद बदायूँ नगर में सोत नदी पर नवीन पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री लल्लू सिंह की जनपद फैजाबाद के अयोध्या विधान सभा के अन्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना डा0 अनिल चौधरी की राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर अवस्थित कस्बा एत्मादपुर से खदौली जनपद आगरा, ताजपुर जनपद महामायानगर, बाग उमरा मथुरा मार्ग का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अगली सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी जी की है। वह उपस्थित हैं। इनकी सूचना जनपद बलरामपुर में किसानों की धान खरीद में अनियमितता तथा सरकार द्वारा कम धान खरीदने के सम्बन्ध में है। अगली सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह जी की है। वह उपस्थित हैं। इनकी सूचना जनपद प्रतापगढ़ पट्टी विधान सभा के अन्तर्गत पूर्वांचल विकास निधि से दिये गये गांवों का विद्युतीकरण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। अगली सूचना श्री उदयभान करवरिया की है। वह उपस्थित हैं। इनकी सूचना आयुष (आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध व होम्योपैथी) चिकित्सा पद्धति जैसे प्राकृतिक पद्धति एलोपैथ की तरह सरकार द्वारा विशेष संरक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है। अगली सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी की है। वह उपस्थित हैं। इनकी सूचना पूर्वी उत्तर प्रदेश के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिये जनपद गोरखपुर स्थित महत्वपूर्ण रामगढ़ झील सौन्दर्यीकरण परियोजना को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में हैं अगली सूचना श्रीमती कृष्णा राज जी की है। वह उपस्थित हैं। इनकी सूचना जनपद शाहजहांपुर तथा जनपद खीरी एवं जनपद हरदोई से सुतनेहरा गांव से बहता हुआ सुखेता नाले की खुदाई कराये जाने के सम्बन्ध में है।

श्री अमर मणि त्रिपाठी उपस्थित नहीं थे। उनकी जगह श्री बैजनाथ दुबे जी की सूचना को ले लेते हैं। श्री बैजनाथ दुबे जी उपस्थित हैं। इनकी सूचना जनपद गोण्डा के तहसील तरबगंज में अयोध्या प्रसाद बच्चू लाल उ0 मा0 विद्यालय के कर्मचारियों के द्वारा फर्जी हस्ताक्षर कर विद्यालय की प्रबन्ध समिति बदलने के सम्बन्ध में है। स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी जाती हैं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद लखीमपुर खीरी में विगत 10 वर्षों से अधिक समय से एक ही तहसील में तैनात लेखपालों के स्थानान्तरण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

[मान्यवर, आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जनपद लखीमपुर खीरी में विगत दस वर्षों से अधिक समय से जनपद की विभिन्न तहसीलों में लेखपाल एक ही स्थान पर तैनात हैं। शासन के नियमों के अनुसार नियमतः लेखपाल एक तहसील में दस वर्षों से अधिक समय कार्यरत नहीं रह सकते हैं। किन्तु जनपद लखीमपुर खीरी में इसका पालन नहीं किया जा रहा है जिससे जनता में भारी आक्रोश/जनाक्रोश व्याप्त है। विगत दस वर्षों से अधिक समय तक एक ही तहसील में कार्यरत लेखपालों का स्थानान्तरण जनपद खीरी की दूसरी तहसील में करना नितान्त आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शीघ्र प्रभावी कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद उन्नाव के तहसील हसनगंज के ग्राम अजगैन में अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति की आबादी के गांव में विद्युत लाइन बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुन्दर लाल लोधी-

[महोदय, ग्राम अजगैन जो बड़ा ग्राम है यहां की आबादी कई मोहल्लों में निवास कर रही है। मोहल्ला कुसुमहार के निवासियों ने विगत 5 वर्ष पूर्व विद्युत कनेक्शन हेतु प्रार्थना-पत्र दिये जो स्वीकृत हुए परन्तु आज तक बिजली के पोल व तार न लगने से अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के लोगों को विद्युत व्यवस्था न मिल सकी जिससे क्षेत्रीय जनता में असन्तोष है। कृपया कार्यवाही कर सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।]

जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत खराब/ध्वस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जोखू लाल यादव-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर जनपद इलाहाबाद के खराब/ध्वस्त जीर्ण-शीर्ण मार्गों के मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के निम्नलिखित सम्पर्क मार्ग प्रतापपुर बीबीपुर मार्ग से जमुआ, कबूला, बसना होते हुए बसनेतहा जाने वाले मार्ग/सिठौली पानी की टंकी से मलेथुआ सम्पर्क मार्ग/इफ्को फूलपुर गेट से बिलकाजी होते हुए महुलिया जाने वाली सम्पर्क मार्ग अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण एवं खराब ध्वस्त हो गये हैं जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में असुविधा होती है। उक्त मार्गों का मरम्मत न कराये जाने से क्षेत्रीय जनता आक्रोश व्याप्त है।

यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है।

अतः आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ के मेंहनगर ब्लाक में रामगढ़ देवकली मार्ग पर मगई नदी पर बने क्षतिग्रस्त पुल को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विद्या चौधरी-

[महोदय, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर, ब्लाक मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ में रामगढ़ देवकली मार्ग पर मगई नदी पुल क्षतिग्रस्त हो जाने से जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुल न बनने के कारण जनता में काफी आक्रोश है। पुल का निर्माण जनता की मांग है जो जनहित में आवश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अविलम्बनीय लोकमहत्व हित को ध्यान में रखते हुए पुल का निर्माण हेतु धन स्वीकृत करने की कृपा करें।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बदायूं नगर में सोत नदी पर नवीन पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेश चन्द्र गुप्ता-

[महोदय, बदायूं नगर की सीमा पर बरेली-आगरा मार्ग पर सोत नदी के ऊपर एक सकरा पुल स्थित है। रूहेलखण्ड मण्डल ने आगरा मण्डल को जाने का एक मात्र सड़क मार्ग है। पुल के दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय का विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जिसकी मान्यता अजमेर दरगाह के बराबर है। इस पुल पर जायरीनों की भीड़ के कारण एवं हाई-वे के अत्यधिक वाहनों की भीड़ के कारण यहां अक्सर कई किलोमीटर लम्बा जाम लग जाता है जो पुलिस की अत्यधिक मेहनत के बाद ही खुल पाता है। इस क्षेत्र का सारा गन्ना भी इसी रास्ते से मिलों को जाता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर जनहित में बदायूं नगर में सोत नदी पर एक नवीन पुल की अतिशीघ्र स्वीकृति प्रदान करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।]

जनपद फैजाबाद के अयोध्या विधान सभा के अन्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लल्लू सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के निम्नलिखित क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत माझा-बरहटा प्राइमरी पाठशाला से मरहिया परिक्रमा मार्ग, ऐमी आला-फतेहपुर-मुमताजाबाद सम्पर्क मार्ग से तारापुर होते हुए ऐमीपुर कुम्हिया मार्ग, रसूलाबाद दर्शननगर मार्ग से हैंसा होते हुए रसूलाबाद अर्ती मार्ग, ऐमी आलापुर-फतेहपुर मुमताजाबाद का अवशेष भाग, फैजाबाद,-अकबरपुर मुख्य मार्ग पर स्थित डाक्टर एच0पी0 सिंह पब्लिक स्कूल से रामपुर हलवारा (खान का पुरवा तक), तिहुरा माझा बड़का पुरवा से धरमू से पुरवा तक, मिर्जापुर माफी से धरमपुर तक, बिल्लहर घाट टण्डौली मार्ग से कुराली-पिलखावां मार्ग एवं सनेथू सम्पर्क मार्ग से कुतुबपुर अनुसूचित पुरवे तक के मार्ग अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण हालत में है जिसके कारण आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा आये दिन दुर्घटनायें भी होती रहती हैं। उक्त मार्गों का निर्माण न होने के कारण जनमानस में आक्रोश एवं निराशा है। जनहित में उक्त मार्गों का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त उपरोक्त क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर अवस्थित कस्बा एत्मादपुर से खदौली जनपद आगरा, ताजपुर जनपद महामायानगर बाग उमरा मथुरा मार्ग का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अनिल चौधरी-

राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर अवस्थित कस्बा एत्मादपुर से खदौली, (जनपद-आगरा) मई, ताजपुर (जनपद-महामायानगर) बाग ऊमरा (सादाबाद-मथुरा मार्ग) होकर बल्देव, गोकुल (जनपद-मथुरा) होते हुये मथुरा में पुनः राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर जुड़ने वाला मार्ग पर्यटन/तीर्थाटन की दृष्टि से एक बहुउपयोगी मार्ग है। यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर आगरा शहर के बाईपास की तरह भी उपयोग किया जाता है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इस मार्ग से मथुरा-एत्मादपुर के मध्य की दूरी राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर दूरी के सापेक्ष लगभग 10 कि0मी0 कम है उपरोक्त मार्ग के लगभग 90 प्रतिशत भाग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण विगत दो वर्ष में हो चुका है। इस मार्ग के शेष भाग मई से ताजपुर का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण (लगभग 4 कि0मी0) व बाग उमरा से ताजपुर तक लेपन स्तर तक सड़क निर्माण (लगभग 2 कि0मी0) कराये जाने से यह बहुउपयोगी मार्ग थोड़े ही खर्च में तैयार हो जायेगा।

अतः उक्त मार्ग के शेष भाग का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बलरामपुर में किसानों की धान खरीद में अनियमितता तथा सरकार द्वारा कम धान खरीदने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद बलरामपुर में किसानों का धान सरकारी एजेन्सियों द्वारा नाम मात्र ही खरीदा गया जबकि आढ़तियों एवं बिचौलिये के माध्यम से क्रय करके सरकारी धन का दुरुपयोग/बन्दर बांट कर लिया गया है। सादुल्लानगर, रेहरा बाजार, गैंडास बुजुर्ग में मात्र कपड़े पर लिखकर खरीद किये जाने का सरकारी बोर्ड लगाया गया है किन्तु वहां किसानों के धान की खरीद नहीं की गयी। पचपेड़वा में आज भी कई हजार कुन्तल धान पड़ा हुआ है और किसान दर-दर भटक रहा है। इसलिए स्थानीय जनता में क्षोभ एवं आक्रोश की भावना व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए दोषी लोगों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने एवं किसानों का धान की खरीद कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद प्रतापगढ़ पट्टी विधान सभा के अन्तर्गत पूर्वांचल विकास निधि से दिये गये गांवों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[महोदय, जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिए पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश) मद के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु मेरे द्वारा प्रस्तावित ग्राम बैजलपुर, मंगरौरा, भदौना, किलाई, सैलखा, परसण्डा, असथरा सहित अन्य ग्रामों के लिए 19.778 लाख की स्वीकृति आयुक्त,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद द्वारा अपने आदेश संख्या-2835,/पू0वि0नि0-जिलांश (एस0सी0पी0)/प्रता0/फा0-27/2008-09 दिनांक 28-2-2009 द्वारा जारी की गई परन्तु आज तक उक्त ग्रामों के विद्युतीकरण का काम प्रारम्भ नहीं हुआ। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, प्रतापगढ़ तथा अन्य दोषी है और धन उपलब्ध कराये जाने के बाद भी काम न कराया जाना गम्भीर विभागीय उदासीनता का परिचायक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सरकार से ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

आयुष (आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्ध व होम्योपैथी) चिकित्सा पद्धति जैसे प्राकृतिक पद्धति एलोपैथ की तरह सरकार द्वारा विशेष संरक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री उदयभान करवरिया-

[महोदय, आज जहां प्रदेश के चिकित्सा व्यय की 97 प्रतिशत धनराशि एलोपैथ के लिए खर्च की जा रही है वहीं भारत वर्ष की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद, होम्योपैथ व योग के लिए सरकार के द्वारा समुचित बजट नहीं मिल पाता है। विश्व स्तर पर प्राचीन चिकित्सा पद्धति होम्योपैथ, आयुर्वेद व योग से असाध्य रोगों के निदान की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आयुष पद्धति अधिसंख्य ग्रामीणों के उपचार की प्रमुख विधि है। इस पद्धति से प्राचीनकाल से लोगों का उपचार किया जा रहा है। एलोपैथ की चिकित्सा मंहगी होने के कारण गरीब व्यक्तियों के लिए आयुष पद्धति की चिकित्सा आज भी वरदान है। शासन को इस पद्धति को प्रोत्साहित करने की विशेष जरूरत है। क्योंकि एलोपैथ पद्धति के साइड इफेक्ट व इसके मंहगे होने से लोग इससे निरन्तर दूरी बना रहे हैं इसके बाद भी सरकार द्वारा एलोपैथ पर सम्पूर्ण चिकित्सा व्यय के 97 प्रतिशत की धनराशि को खर्च करना और आयुष जैसी प्राचीन व गरीबों के लिए सस्ती चिकित्सा विधाओं के साथ विभेद करने का क्या औचित्य है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी आयुष चिकित्सा पद्धति प्रचलित है किन्तु सरकार उदासीनता के कारण आर्थिक तंगी का शिकार है प्रत्येक जनपद में आयुष चिकित्सक हैं जिन्हें मान्यता देकर ग्रामीण क्षेत्रों में एलोपैथिक दवायें भी देने तथा लिखने की अनुमति शासन द्वारा दी जानी चाहिए।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार ध्यान आकृष्ट करते हुए आयुष पद्धति से इलाज को प्रोत्साहित एवं संरक्षण प्रदान किये जाने तथा मान्यता दिये जाने की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिये जनपद गोरखपुर स्थित रामगढ़ झील सौन्दर्यीकरण परियोजना का पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

[गोरखपुर महानगर में स्थित रामगढ़ ताल झील 1700 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ उत्तर भारत की संभवतः सबसे बड़ी झील है। इस झील के सौंदर्यीकरण के उपरान्त यह उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन का सबसे प्रमुख केन्द्र बनेगी और उत्तर भारत से सैलानियों के उटी और कोडक कैनाल जाने की जगह दक्षिण भारत से ही बड़ी संख्या में पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बनेगी। रामगढ़ झील के लुम्बनी-कुशीनगर-सारनाथ के त्रिकोण के केन्द्र में स्थित होने तथा बौद्ध परिपथ एवं मैत्रेयी परियोजना के लागू होने के कारण यह बुटिस्टों तथा अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों का प्रमुखतम आकर्षण का बिन्दु होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए यह बहुत बड़ी संख्या में रोजगार का भी माध्यम बनेगी।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 2002-03 में, राष्ट्रीय झील संभरण योजना में इस झील के सौन्दर्यीकरण कराये जाने पर आने वाली कुल लाभांश को अपने प्रदेश के 30% हिस्से का अंशदान करने की लिखित सहमति देने के बाद, केन्द्र सरकार के पर्यावरण मण्डल ने भी इसे केन्द्र-राज्य सरकार के 70:30 लागत के आधार पर अपनी सहमति दे दी है। लेकिन साथ में यह शर्त भी लगाई है कि इस योजना को अन्तिम स्वीकृति तभी दी जायेगी जब इस सौन्दर्यीकरण झील के अनुरक्षण में आने वाले 6.50 करोड़ के लिये लिखित प्रतिबद्धता प्राप्त हो।

रुपये 6.50 करोड़ की अनुरक्षण लागत में से रुपये 90 लाख प्रतिवर्ष देने की गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने सहमति दी है लेकिन संसाधनों के अभाव के आधार पर इस तथ्य के बावजूद की रामगढ़ झील में सारा मलवा नगर निगम गोरखपुर ही गिराता है, गोरखपुर नगर निगम ने सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के ऊपर आने वाले व्यय रुपये 5.60 करोड़ प्रतिवर्ष देने से मनाकर दिया है। अतः आवश्यक है कि राज्य सरकार नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम में सृजित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव हेतु अपने जारी शासनादेश 127/9-9-200(9-12 (1) 6 ए0टी0सी0 प्लान्ट 16 जनवरी, 2009, 533(1)/नौ-9-2009 दिनांक 20 मार्च, 2009 तथा 1196/9-9-2009-12(1)/93टी0सी0 20 जून, 2007 के तहत इस योजना के लिये भी आर्थिक व्यवस्था करते हुए भारत सरकार को प्रतिवेदन पत्र भेजे।)

अतः लोक महत्व के इस निश्चित एवं अविलम्बनीय विषय को नियम-301 के तहत उठाने की अनुमति प्रदान करें।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद शाहजहांपुर तथा जनपद खीरी एवं जनपद हरदोई से सुतनेहरा गांव से बहता हुआ सुखेता नाले की खुदाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती कृष्णा राज-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सुतनेहरा गांव से बहता हुआ सुखेता नाला जो तीन जिलों के सैकड़ों गांव की हजारों एकड़ भूमि को प्रभावित करता है उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं।

सुतनेहरा गांव से बहता हुआ सुखेता नाला हजारों एकड़ भूमि को प्रभावित करता है। जिला शाहजहांपुर और जिला खीरी को प्रभावित करते हुए पाली (हरदोई) जिले में गर्रा नदी में गिर जाता है जिससे गौहनियां, आलम नौगवां, गौहनियां सुखई, महाम्मदपुर, ताजपुर किरया, किरयारी, उदियापुर बद्दापुर मुन्डिया, कटिया रसूलपुर, असनाद हुसेन, लालपुर, बहादुरपुर, शिवपुरी, हरदेव पुरवा, कठिघरा, शंकरपुर, नरायनपुर, नेकनामपुर, चक इटौरिया, पिपरौला, मर्दनरहीपुर, सरफराजपुर, किशुनपुर, जमुनी, हरिहरपुर, बन्जरिया, पड़रा, सिकन्दरपुर, देवरास, सहिजना, सहसपुर, प्रहलादपुर, रंजीतपुर, कुआं डाडा, सिसौवा, सरसया, कटैया पुरवा, नूतनपुरवा, नसरतपुर, सेमरापुरवा, नेकनाम, बंजरिया देहरा, जमुरा, पलिया, टुरमुकी, सलेमपुर, भुड़वा गाजीपुर, सुनौरा, लोनी, मिठनापुर कपूरापुर, मियांपुर तथा सिरोपन नगर होते हुए पाली में गर्रा नदी में गिर जाता है। इस नाले की खुदाई न होने के कारण इसका पानी फैलकर बहता है जिससे तीनों जनपदों की लगभग हजारों एकड़ भूमि प्रभावित होती है। काफी समय से जनता द्वारा इसकी खुदाई की मांग की जाती रही है धरने एवं प्रदर्शन भी किये गये परन्तु शासन एवं प्रशासन का ध्यान इस नाले की खुदाई तरफ नहीं गया और नहीं इस नाले की खुदाई हेतु कोई कार्यवाही ही की गयी। इस नाले की खुदाई न होने से प्रभावित किसानों में आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सुखेता नाले की खुदाई हेतु कराये जाने हेतु सरकार से अविलम्ब कार्यवाही किये जाने की मांग करती हूं।]

जनपद गोण्डा के तहसील तरबगंज में अयोध्या प्रसाद बच्चू लाल उ0मा0 विद्यालय के कर्मचारियों के द्वारा फर्जी हस्ताक्षर कर विद्यालय की प्रबन्ध समिति बदलने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बैजनाथ दुबे-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक लोक महत्व के विषय को आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जनपद गोण्डा के तहसील तरबगंज में अयोध्या प्रसाद बच्चू लाल उ0मा0 विद्यालय वर्ष 1971 से स्थापित है इस विद्यालय के प्रबन्धक श्री जगदीश प्रसाद के पूर्वजों ने अथक प्रयास करके अपनी जमीन व पैसा देकर विद्यालय की स्थापना की तभी से यह विद्यालय अच्छी स्थिति में संचालित है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तथा उक्त विद्यालय के प्रबन्ध कमेटी का नवीनीकरण 20-8-2010 तक वैद्य है तथा श्री जगदीश प्रसाद प्रबन्धक के रूप में हस्ताक्षर करते रहे हैं। वर्ष 2007 में पिछली तिथि में विद्यालय के कुछ कर्मचारी मिलकर प्रबन्धक व अन्य के फर्जी हस्ताक्षर बना करके प्रशासन योजना तैयार करके माह अक्टूबर, 2009 में सब रजिस्ट्रार फैजाबाद के कार्यालय में जमा कर दिये हैं। इस कार्य में सब रजिस्ट्रार कार्यालय के भी कुछ कर्मचारी सम्मिलित है। इस प्रकार विद्यालय के कुछ कर्मचारी व सब रजिस्ट्रार कार्यालय के कुछ कर्मचारी मिलकर विद्यालय को हड़पने की साजिश कर रहे हैं क्योंकि वर्ष 1999-2000 में विद्यालय की प्रशासन योजना श्री जगदीश प्रसाद के हस्ताक्षर से जमा है तथा नवीनीकरण भी उपरोक्त हस्ताक्षर से किया गया है। तब सब रजिस्ट्रार फैजाबाद के कर्मचारियों के द्वारा उक्त हस्ताक्षर का मिलान करके क्यों नहीं प्रशासन योजना की स्वीकृति की गयी तथा कुछ कर्मचारियों के साजिश पर प्रबन्धक को नोटिस दी गयी। जिससे उनके अधिकारों का हनन हुआ है।

उक्त प्रशासन योजना को निरस्त करके पूर्व की कमेटी बहाल रखने हेतु प्रबन्ध कमेटी के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स फण्ड देवी पाटन मण्डल फैजाबाद, संयुक्त शिक्षा निदेशक फैजाबाद, सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) देवी पाटन मण्डल फैजाबाद, जिला विद्यालय निरीक्षक, गोण्डा को पत्र के माध्यम से एवं प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी को लिखित अवगत कराया गया है परन्तु अभी तक जांच करके दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने की कार्यवाही नहीं हुयी है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सरकार के संज्ञान में लाते हुये प्रकरण की जांच शासन की एक कमेटी से कराने एवं पूर्व की प्रबन्धकीय समिति को यथावत रखने तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु आदेश देने की कृपा करें।]

नियम-300 की सूचनाएं लिये जाने का अनुरोध

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, नियम-300 की सूचनायें कब लेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

इसके बाद उसे ले लेंगे।

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 28 जनवरी, 2010 को नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कुल 21 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

*श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, हमने इस विषय पर नियम-311 के अन्तर्गत एक सूचना दी है। यह सूचना एक घटना से सम्बन्धित नहीं है। श्रीमन् देश के बहुत कम प्रदेशों में बाईकैमरल हाउस की व्यवस्था है। विधान परिषद् देश के थोड़े से प्रदेशों में है। इनकी स्थापना संविधान में कदाचित्

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह मानकर की गयी थी कि सामान्य निर्वाचन से जो लोग निर्वाचित होकर नहीं आ सकते हैं और उन विशिष्टजनों की उस हाउस में चर्चा आना आवश्यक है इसीलिए यह व्यवस्था की गयी है ताकि उनका अनुभव, उनके ज्ञान का लाभ देश और प्रदेश को मिल सके। उसमें विभिन्न क्षेत्रों से लोग आते हैं। विधान सभा के लोग भी उसमें अपना प्रतिनिधि भेजते हैं, अध्यापक भेजते हैं। स्नातक भेजते हैं। लेकिन सर्वाधिक बड़ी संख्या में स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र से लोग उसमें जाते हैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में। इसी 7 जनवरी को मान्यवर उसका चुनाव हुआ। मान्यवर, जिस दिन मतदान हुआ और जिस दिन से उस चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई उसी दिन से कोई चरण ऐसा न होगा जबसे अनैतिक और अनर्गल कार्य सम्बन्धित लोगों ने न किया हो। मान्यवर, प्रत्याशी किस को बनाया जाना चाहिए यह सम्बन्धित पार्टी का क्षेत्राधिकार है। पूरी सूची देखने के बाद पता लगेगा कि सरकार में जो लोग सम्बन्धित है मंत्री गण हैं उनके परिवार के लोगों को बड़ी संख्या में टिकट दिये गये। ठीक है यह उनका निर्णय है उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। सरकार में मंत्री होने के नाते जितना दबदबा उनका हो सकता था जितना दुरुपयोग वह कर सकते थे वह किया गया। उनके परिवारजनों के नामांकन से पहले दिन से ही यह संदेश हो गया था कि अनैतिक कार्य होंगे। प्रशासनिक अधिकारियों को इस बारे में कोई निर्देश दिये गये उसकी कोई सुनिश्चित सूचना नहीं है कि मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को इस बारे में कोई निर्देश दिये या नहीं। लेकिन जो स्थिति थी जिलाधिकारी, सी0डी0ओ0, डी0आर0डी0ओ0, डी0डी0ओ0 और दूसरी तरफ पुलिस अधीक्षक से लेकर कांस्टेबिल तक और उसके अतिरिक्त राजस्व अधिकारियों से लेकर लेखपाल तक कोई ऐसा नहीं था जो पूरी तरह से सरकारी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने में न लगा हो। उन लोगों ने सरकारी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिये सरकारी हुकुम पर कन्वेंसिंग की और लोगों पर दबाव बनाया। यह अनर्गल काम मान्यवर पूरे प्रदेश में हुआ है इस चुनाव के दौरान।

श्रीमन्, एक जगह का सवाल नहीं है कि हम कोई सिर्फ एक स्थान का जिक्र करें। बहुत संक्षेप में कम समय में कुछ घटनाओं का उल्लेख करना चाहूंगा सभी जगहों पर स्पष्ट इसके निर्देश दिये गये और शुरूआत उसकी कैसे की गयी पहली बार कदाचित निर्वाचन के लिए श्रीमन्, आपका बहुत लम्बा अनुभव है और इस सदन में आये हुए तमाम सदस्य अनुभवी और ज्ञानी लोग है और विभिन्न चरणों के चुनाव हमने देखे हैं। आज तक कभी भी किसी भी निर्वाचन में श्रीमन्, जो नामित प्रतिनिधि हैं उसको मतदान का अधिकार नहीं है, पहली बार एक इतिहास की रचना हई जो नगर निकायों में नामित किये गये उन लोगों को मतदान का अधिकार हो ऐसा शासनादेश निर्गत किया गया। न्यायालय में भी मामला गया न्यायालय का जो निर्णय आया, उसकी हमारी सीमा है मैं उसमें नहीं जाऊंगा लेकिन न्यायालय का निर्णय आने के बाद भी सरकार में सबसे ऊंचे बैठे हुए जो नौकरशाह हैं कैबिनेट सचिव महोदय, उन्होंने जितनी प्रतिकूल और जितनी अशोभनीय टिप्पणी की उसकी हम भर्त्सना करते हैं। ऐसी टिप्पणी किसी नौकरशाह को करने का अधिकार नहीं होना चाहिए न्यायालय के मामले में कि न्यायालय इसका कितना संज्ञान लेगा और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगा यह एक अलग विषय है। उसको मैं सदन में नहीं कहना चाहता हूं लेकिन कैबिनेट सचिव ने जिस तरीके की टिप्पणी की उसका एक मात्र संदेश यह था कि पूरी तरह से उनके

अधीन जो कार्य करने वाले लोग हैं सारे आई0ए0एस0 अधिकारी बौने बना दिये गये हैं और उसके नीचे काम करने वाले उनके गुलाम बना दिये गये हैं और मान्यवर, ऐसी स्थिति में जब स्थिति आ गयी कि अभी-अभी आपने देखा कि जिलाधिकारी अब आदेश देकर नहीं थप्पड़ और लात घूसा चला करके कर्मचारियों को नियंत्रित करने का जहां काम कर रहे हैं वहां यह उनका यह संदेश बहुत साफ है कि हमने कोर्ट पर टिप्पणी कर दी अपने बारे में तुम अपना अंदाजा लगा लो और इसके बाद यह खेल शुरू हुआ निर्वाचन का। श्रीमन् पूरे प्रदेश में जहां प्रशासनिक मशीनरी लगी हुई थी यह चुनाव जिताने के लिए और बहुजन समाज पार्टी यह चुनाव एतिहासिक अन्तर से जीत भी गयी। पहले भी सरकारी दल को काफी सीटे मिलती रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उनको भी और समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उनको भी 29-30 सीटें वह एक अलग प्रश्न है लेकिन यह जो एकदम अन्तर आया लोग स्वयं किन्हीं कारणों से प्रभावित होकर के वोट दें यह एक बात लेकिन जितनी ज्यादती जिस तरीके की हुई है इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं हो सकती और उस ज्यादती के बाद बेशर्मी की हद यह है कि उसको सही ठहराने का भी प्रयास किया जा रहा है और उसका जो ढंग है वह आपके सम्मुख है मैं अलग से उसके बारे में नहीं कहूंगा आप स्वयं उसको देख लें। श्रीमन्, फैजाबाद क्षेत्र में विकास खण्ड अकबरपुर के 19 ग्राम प्रधान और 25 क्षेत्र पंचायत सदस्यों का नाम मतदाता सूची से गायब कर दिया, यह कह दिया गया कि साहब अब तो यह नगर निकाय में शामिल हो गया है इसलिए आपका अधिकार नहीं रह जायेगा। प्रधान के नाते उनका वितरण आहरण का अधिकार कायम, बैंक का खाता वह संचालित करेंगे, विकास की योजनाओं को वह प्रस्तावित करेंगे लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होगा। मैं इसलिए उल्लेख करना चाहता हूं कि यह सारी हरकतें भी इस चुनाव में हुई। अपने नामित लोगों को बढ़ा दो जो असली मतदाता है उनको घटा दो यह फिर भी अविश्वास से कांप रहे थे इतनी सारी गड़बड़ी के बाद भी। श्रीमन्, उन्नाव और लखनऊ के क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के प्रत्यासी पर जानलेवा हमला किया गया। मान्यवर, एफ0आई0आर0 दर्ज है मान्यवर, एफ0आई0आर0 दर्ज होने के बावजूद यह सदर कोतवाली उन्नाव में एफ0आई0आर0 दर्ज है लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अब प्रत्याशी को ही आतंकित इसलिए करने का काम किया गया कि मतदाता की हिम्मत ही न पड़े। प्रत्याशी पर सीधे-सीधे हमला करने का काम किया गया मान्यवर, जनपद उन्नाव के गंजमुरादाबाद केन्द्र पर पूरी तरह से बूथ कैप्चर कर लिया गया और वहां पर किसी भी अन्य मतदाता को समाजवादी पार्टी और दूसरे मतदाता को वोट डालने नहीं दिया गया। पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने बूथ कब्जा करके अकेले उस पर अंकित करने का काम किया उसमें और किसी मतदाता ने वोट नहीं डाला मैं स्पेशिफिकली यह इंगित कर रहा हूं। मान्यवर, एक बड़े मंत्री है और लखनऊ उन्नाव क्षेत्र में उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी सुरक्षा में उनके जो गाड़ी लगी है यू0पी0-32-डी0जी0-2409 तथा यू0पी0 32 सी0एम0-1341 और उससे श्रद्धा गेस्ट हाउस, निराला नगर में तमाम मतदाताओं को जबरदस्ती अपहृत करके बंद करने का काम किया गया। मान्यवर, लखनऊ के अलीगंज में श्रीराम मैरिज हाल, डंडहिया बाजार में उन्नाव के 200 बी0डी0सी0 सदस्यों को लाकर रखा गया। शिकायत की गयी प्रशासन से तो प्रशासन तो इनकी सुरक्षा में लगा हुआ था। प्रशासन कैसे हमारी शिकायत

सुनता। बाकायदा लिखित शिकायत की गयी लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई किसी स्तर पर नहीं की गयी और सीधे-सीधे मान्यवर, उन लोगों को संरक्षण दिया जाता रहा जो अपहरण कर रहे थे और लोगों को बंद कर रहे थे।

मान्यवर, सीतापुर में एक सूची जिलाधिकारी महोदय द्वारा हर ब्लाक में भेज दी गयी कि यह लोग निरक्षर है और इनके सहयोगी वोट डालेंगे। वह सूची किनकी थी जिन्होंने कार्यवाहियों में दस्तखत किये थे और जिनके पास बाकायदा हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट और बी0ए0 तक शिक्षित होने के प्रमाण-पत्र थे लेकिन उनको निरक्षर में डाल दिया गया क्योंकि उनका वोट लेना आवश्यक था और ऐसा लगता था कि अगर इनको स्वतंत्र छोड़ दिया गया और यह अंदर जायेंगे तो वोट नहीं डालेंगे। इसलिये उनके साथ जबरदस्ती सहयोगी लगाया गया और ऐसा सहयोगी लगाया गया जिसको बहुजन समाज पार्टी के लोग चिन्हित कर सकें और सीतापुर में मान्यवर, यह सूची जिलाधिकारी ने स्वयं भेजी जबकि पीठासीन अधिकारी यह तय करता है कि किसको हेल्पर की आवश्यकता है। पीठासीन अधिकारी के अलावा उस चुनाव का रिटर्निंग अफसर दखल नहीं दे सकता। जोनल मजिस्ट्रेट उसमें दखल नहीं दे सकता।

मान्यवर, आगरा में इससे भी आगे जाकर एक घटना हुयी। वोट डालने के पहले जो हुआ वह मैंने आपको बताया और वोट डालने के समय जो हुआ वह आपने बताया और वोट डालने के बाद तो कमाल की घटना हुयी। वहां 7 जनवरी को मतदाता हो गया और शाम को सूचना मिल गयी कि काउन्टिंग 9 को नहीं होगी, अब 13 से काउन्टिंग होगी तो मान्यवर, 8/9 की रात में 12 बजे बसपा के प्रत्याशी वहां पहुंचे, सुरक्षाकर्मियों से उन्होंने बात की और स्ट्रांग रूम की पवित्रता भी उन्होंने भंग की, बक्शे निकाले और बदले गये।

मान्यवर, जो मैंने सूचना दी है उसके क्रम में मैं आपको यह अवगत कराना चाहता हूं। मान्यवर, आजमगढ़ में महाराजगंज के खण्ड विकास अधिकारी ने क्षेत्र पंचायत के सदस्यों और प्रधानों को धमकी दी, उनके विरुद्ध शिकायत हुयी और शिकायत सही पायी गयी लेकिन कार्यवाही कोई नहीं हुयी।

मान्यवर, गाजीपुर में रेवतीपुर ब्लाक में दिन में ढाई बजे बसपा के लोगों ने बूथ पर इतनी फायरिंग की कि जिससे लोग डरकर वहां से भाग जायें और बूथ पर उसके बाद कब्जा कर वोट डालने की कार्यवाही की जाये। मान्यवर, इसी प्रकार बांदा की घटना है। बहुत सक्षम और समर्थ लोगों का मामला है जहां गरीबों को संरक्षण होना चाहिये था लेकिन संरक्षण ऐसे दिया गया कि 2000 लोगों का उनके निर्वाचित होने का प्रमाण-पत्र और कोई परिचय-पत्र जो उनके पास था, उसको जबरिया रखवा लिया गया। सारी शिकायत के बावजूद इसको सुनने वाला कोई नहीं है। इस तरीके से चुनाव जीतने की हरकतें हुयी हैं।

श्रीमन् निर्वाचन आयोग द्वारा सहायक देने का जो सामान्य निर्देश है कि सहायक देना है तो उसका ब्लड रिलेशन होना चाहिये और यदि कोई अनपढ़ है अक्षम है, अंधा है या लकवा होने के कारण इंगित नहीं कर सकता तो ब्लड रिलेशन होना चाहिये। लेकिन ब्लड रिलेशन कौन हो यह भी तय करने का काम मंत्री जी करें और बहुजन समाज पार्टी के बड़े-बड़े योद्धा करें, यह एक

नया फरमान इस बार जारी हुआ, यह नया-नया रिवाज है, आप जैसा चाहे चला लीजिये लेकिन बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है।

(सत्ता पक्ष की ओर से किसी सदस्य द्वारा बैठे-बैठे कुछ कहने पर)

मान्यवर, यह धमकी आपके सामने आ रही है, आपके सामने मैं इसे सुन रहा हूं। श्रीमन् यहां की तो बात छोड़ दें, प्रदेश के कोने-कोने में यह धमकी गूंजी है।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

चौधरी साहब न धमकी दे दें वह दूसरो को क्या देगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन् हम यह सुन रहे हैं ठीक है चलाइये, चलाइये लेकिन डरिये संविधान से और डरिये ऊपर वाले से और डरिये न्याय से।

मान्यवर, बस्ती सिद्धार्थनगर में सैकड़ों स्नातक और परास्नातक लोगों के साथ तो जो हुआ, इससे हटकर एक नई घटना और हुयी विकास खण्ड भनवापुर में जो पिपरी गांव सभा की प्रधान थी, उनका निधन हो गया और उनकी जगह पर तीन लोगों की कमेटी बना दी गयी जिलाधिकारी महोदय द्वारा। प्रधान कोई निर्वाचित था ही नहीं और उस कमेटी में जो थे उन्हीं का नाम मतदाता सूची में डाल करके उनको वोटर बना दिया गया, इसका मैं स्पष्ट उल्लेख कर रहा हूं। मान्यवर, इसके अलावा बदायूं में बहुत विचित्र स्थिति है, मान्यवर, बदायूं में एक फार्म पर बी0डी0सी0 सदस्यों और प्रधानों को जबरदस्ती करके ले जाया गया और वजीरगंज के लेखपाल ने बी0डी0सी0 सदस्यों और प्रधानों को धमकाने का काम किया, जिलाधिकारी तक शिकायत हुई, शिकायत सही पायी गयी लेकिन लेखपाल को इनाम दिया जा रहा है। बदायूं में ही रायपुर कलां के भीकम सिंह को जबरदस्ती थाने में उठा करके ले जाया गया, बड़े दबाव के बाद लोगों ने जब थाना घेरा तब जा करके उनको किसी तरह से छोड़ा गया। जनपद सहारनपुर के ब्लाक बलियामेडी में ग्राम रुपई गुर्जर में सुरेश कुमार जो कि बी0ए0 पास हैं और मान्यवर, वह कह रहे थे कि मैं बी0ए0 पास हूं मैं वोट दे सकता हूं लेकिन जबरदस्ती तुम्हारा सहायक यह है तुम निरक्षर हो इसलिए यह तुम्हारा सहायक है। मान्यवर, वह कहता रहा कि मैं पढ़ा-लिखा हूं मैं बी0ए0 पास हूं मैं नाम ले करके कह रहा हूं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं। मान्यवर, मैं अन्तिम घटना आपको बता रहा हूं श्रीमन् महामाया नगर में थाना चन्दपा में 28.12 को शाम 4 बजे खेत में काम करते हुए वीरेन्द्र कुमार का अपहरण कर लिया गया और उनकी पत्नी रोती-गिड़गिड़ाती रही लेकिन उसको किसी तरह से नहीं छोड़ा गया। जब वह उच्च न्यायालय में गयी और बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल किया तो मा0 उच्च न्यायालय ने उन्हें छोड़े जाने का आदेश दिया तब उनकी रिहाई हुई, एफ0आई0आर0 भी दर्ज है। मान्यवर, मैं बता देना चाहता हूं कि 25 जनवरी, 2010 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादाबाद द्वारा उक्त प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मा0 मंत्री जी के परिवार के सदस्यों के खिलाफ बाकायदा एफ0आई0आर0 हाईकोर्ट के आदेश से दर्ज है लेकिन उच्च न्यायालय जाना पड़े सिर्फ इसलिए कि एक गरीब रो रही है कि उसका पति मतदाता है इसलिए उसका अपहरण कर लिया गया है और मान्यवर, सरकार के मंत्री

पर तो बड़ा भार होता है सबकी रक्षा करने का। मान्यवर, अगर यही तरीका है रक्षा करने का तो जैसे प्रदेश को इन लोगों ने तबाह कर रखा है वैसे ही व्यक्तियों को भी तबाह कर रखा है। मान्यवर, लोकतंत्र के इस पवित्र पर्व को जितना दूषित और कलंकित करने का काम इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने किया है और सरकार ही यह चुनाव जीती है बहुजन समाज पार्टी तो पूरी तरह से हार गयी है लोगों की नजर से उत्तर गयी है लेकिन सरकार जबरदस्ती और ज्यादती के साथ यह चुनाव जरूर जीत गयी है। इससे गम्भीर और कोई बात नहीं हो सकती है क्योंकि जब लोकतंत्र ही नहीं बचेगा।

(सत्ता पक्ष के एक सदस्य द्वारा बोलने पर)

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं समझता हूं कि इनको रोज सफाई देनी पड़ती है, हमारे मित्र हैं, हमसे अलग बात होती है। वह कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा तुम मुझे कमजोर मानो। इसलिए श्रीमन् मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इससे गम्भीर कोई प्रकरण नहीं हो सकता है इसलिए सदन के सभी नियमों को निलम्बित करके इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री शिव प्रसाद यादव-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं नया सदस्य हूं। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं मा0 सदस्य महोदय ज्यादा लोकतंत्र के बारे में चिन्तित दिख रहे हैं यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी थोड़ी सी प्रार्थना करूं।

श्री अध्यक्ष-

आप नये सदस्य हैं आपको आगे मौका मिलेगा।

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, हाल में विधान परिषद् स्थानीय निकाय निर्वाचन का चुनाव सम्पन्न हुआ है और जिसमें सत्ता दल ने भारी जीत हासिल की है उस जीत को मैं सत्ता का भय और पैसे के लोभ की जीत मानता हूं। मान्यवर, इसी दल के वर्ष 2004 के चुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा किया।

सत्ता पक्ष की ओर से-

वर्ष 2003 कहें।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

वर्ष 2003 ही कह लें। 15 जनवरी, 2010 को कार्यकाल पूरा होता है तो कब होगा, यह आप जोड़ लीजिए।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा टोका-टाकी करने पर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, यह सब चीजें क्षम्य हैं क्योंकि 214 लोग यहां पर पहली बार चुन करके आये हैं, नये सदस्य हैं, इतनी बड़ी संख्या में नये सदस्य चुनकर आये हैं यह भी इस सदन की पहली विशेषता है, इसीलिए अनुभव की कमी क्षम्य है।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा टोका-टाकी करने पर)

आपने जो कहा उसे मैंने मान लिया, उस पर बहस की जरूरत नहीं है। आप सब जो कहो वह स्वीकार क्योंकि यह बहुमत की विशेषता है।

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप सब शांत रहें, टोका-टाकी न करें। माननीय सदस्य आप अपनी बात रखें।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, कोई कारण रहा होगा कि उस चुनाव में इस दल ने अपने प्रत्याशी नहीं खड़े किये। सवाल है कि यह चुनाव जिस रूप में लड़ा गया और प्रदेश जिस रूप में अनुभव कर रहा है और जनता जिस रूप में पीड़ा महसूस कर रही है। चुनाव की निष्पक्षता लोकतंत्र का आधार है। जितना ही चुनाव प्रदूषित होगा उतना ही लोकतंत्र कमजोर होगा। सत्ता तो आती जारी रहती है, कोई ऐसा नहीं है। जो कभी उधर न बैठा हो और कोई ऐसा भी नहीं है जो कभी इधर न बैठा हो, लेकिन इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिये। इसमें हम सबका योगदान रहे इसलिए पीड़ा है। विशेष रूप से संकेत किया कि आपने क्यों नहीं खड़ा किया और आज शायद उस प्रक्रिया को जो उस समय के लोगों ने अपनाकर चुनाव जीते थे, उसी तरह से आपने भी जीत लिया। विषय है कि क्या चुनाव में सत्ता का भय और पैसे का लोभ प्रभावी है इससे चुनाव निष्पक्ष रहेगा ? मान्यवर, नहीं रहेगा। बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। दो-तीन बातें कहकर समाप्त करूंगा। कोई थाना ऐसा नहीं रहा है जिसने यह भय न दिखाया हो कि एफ0आई0आर0 दर्ज कर दिया जायेगा। कोई डी0पी0आर0ओ0 नहीं रहा जिससे आपने यह न कहा हो कि बस्ता रखवा लिया जायेगा आपकी जांच करा दी जायेगी चाहे एस0डी0एम0 हो, लेखपाल हो या कोई और हो। हमारी जो पर्यवेक्षक नियुक्त हुये थे और जिलों के डी0एम0 थे, उनसे भी बात हुई उनकी अपनी पीड़ा थी, उन पर दबाव था और वह दबाव में काम कर रहे थे। मैं कह सकता हूं कि डिग्री का अन्तर होगा लेकिन इस बार के चुनाव में बहुत ज्यादा सीमायें तोड़ करके, पैसे का दुरुपयोग और सत्ता के भय का प्रयोग किया गया है। इससे चुनाव एक बार जीता जा सकता है लेकिन लोकतंत्र सदा के लिए पराजित हो गया। इसलिए पुनः इस बात को दोहरा रहा हूं कि यह जीत जनता की भावना की जीत नहीं है। यह चुनाव आयोग के चाहते हुए सारे प्रयास के बाद भी सत्ता के दुरुपयोग के कारण निष्पक्ष नहीं हो पाये। इसमें जिस डिग्री के सत्ता के दुरुपयोग और सत्ता के भय से आतंकित करने का काम और पैसे की मनमानी व पैसे का लोभ दिखाया गया, वह सारे रिकार्ड तोड़ रहा है और एक भयावह स्थिति का परिचायक है। इसलिए केवल एक सुझाव इस सदन के सामने दे रहा हूं कि इस प्रश्न को भारतीय जनता पार्टी के उठाने की मंशा जो जनता की भावना है उसको परिलक्षित करने का है। मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं। राज्य सभा में भी कई बार क्रास वोटिंग की प्रक्रिया चली सभी पार्टियां उससे प्रभावित हुईं अन्त में राज्य सभा में मतदान की प्रक्रिया कानून बनाकर बदलनी पड़ी। क्योंकि लोकतंत्र सुरक्षित रहे चुनाव निष्पक्ष हो। इसी तरह से दल बदल

इतना ज्यादा होने लगा कि लोकतंत्र के लिए खतरा व संसदीय व्यवस्था में विश्वास उठने लगा तो कानून बदला गया।

मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इस प्रस्ताव और इस सदन के माध्यम से भविष्य के लोकतंत्र को बचा लीजिए और चुनाव की निष्पक्षता को सुनिश्चित करा दीजिए। इसलिए जिस तरह से वर्तमान चुनाव हुए व इसके पहले जो चुनाव हुए और जो अनुभव आया जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग एक के बाद एक चुनाव में बढ़कर हो रहा है धन बल और बाहुबल का प्रभाव बढ़ रहा है यह देश के लिए प्रदेश की जनता के लिए जनगण के लिए चिन्ता का विषय है। अध्यक्ष महोदय, अभी हम लोगों ने गणतंत्र दिवस मनाया। गणतंत्र व्यवस्था का नाम नहीं है यह गणतंत्र व्यवस्था में बैठे हुए लोगों की गण के ऊपर आस्था की भावना है वह सशक्त बनाती है केवल व्यवस्था नहीं। इसलिए गणतंत्र को सुरक्षित करने के लिए इन बुराइयों से हम लोगों को मुक्त रहने की जरूरत है। इस सम्बन्ध में क्या किया जाय इस बारे में मैं कुछ प्रस्ताव इस सदन में रखना चाहूंगा आप चाहेंगे तो यह पास होगा। चाहे चुनाव आयोग से कहें या स्वयं इस सदन की कमेटी बनाकर हम लोग उसमें संशोधन कर सकते हैं जो शिक्षित है जो डिग्री होल्डर है वह भी हेल्पर लेकर जा रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि वह पैसा पाया था उसके ऊपर विश्वास नहीं था यह वोट कहीं दूसरे को न दे दें इसलिए हेल्पर को उसके पीछे लगा दिया गया वह खड़ा हो गया। जिस दिन विद्ड्राल का समय खत्म हो उसी दिन मतदाता अगर हेल्पर के लिए आवेदन करेगा उसको अनुमति दी जाय नहीं तो अनुमति नहीं होगी। किस तरह से प्रधानों को बिकाऊ बनने से रोका जा सकता है क्योंकि वह हो चुका है। संख्या कम है इसलिए खरीद फरोख्त में बड़ी सुविधा रहती है यह संख्या थोड़ी बढ़ा दीजिए इसमें कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मेरा आग्रह है यह जो तीन हजार बत्तीस सौ की मतदाता की संख्या होती है इसको बढ़ाने की आवश्यकता हैं। वकील लोग बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं, डाक्टर भी बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं इसलिए उनको शामिल कर लिया जाए जिससे यह संख्या 10 हजार के आस-पास हो जाए इससे खरीद-फरोख्त की संभावना कम होगी। इसे निष्पक्ष बनाने के लिए चुनाव नियम में परिवर्तन करने की ऐतिहासिक पहल आप कर दें जिससे जो लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं उनकी चुनाव में आस्था बढ़े इससे आप इतिहास बना जायेंगे। मेरा मकसद केवल इस चुनाव का ही नहीं पिछले अनुभवों के आधार पर जो चुनाव हुए विकृति बढ़ रही है उस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसे नियम-311 में आप स्वीकार कर इस पर विस्तृत चर्चा करा लें।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, पिछला ही नहीं पिछले विधान परिषद् के चुनावों से साफ लगता है कि विधान परिषद् के चुनावों में जनता का विश्वास धीरे-धीरे हटता जा रहा है। मान्यवर, सवाल यह नहीं है कि कौन जीता या कौन निर्वाचित होकर निर्वाचन आयोग से जीत का प्रमाण-पत्र लेकर 6 साल के लिए निर्वाचित हो गये हैं। उन्हें चुनौती देने का काम इलेक्शन पिटीशन के द्वारा होता है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि जीत हार तो अपनी जगह है लेकिन विधान परिषद् के चुनाव में निश्चित तौर पर लोकतंत्र हार गया है इसमें कोई दो वजह नहीं हो सकती है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह मेरे विचार नहीं हैं चूंकि मैं यहां बैठकर बोल रहा हूं इसलिये मैं बोल रहा हूं पिछली बार आज की सत्तारूढ़ दल के लोग जब यहां बैठते थे तो इनके मन में भी शायद यही विचार था और इसलिए इन्होंने तय किया था कि विधान परिषद् के चुनाव लड़ेंगे ही नहीं अन्यथा लोकतंत्र में आज विधान परिषद् का चुनाव कोई न लड़े ? क्यों छोड़ देते ? कहीं न कहीं आपके विधान परिषद् के चुनाव में धन बल बाहु बल और सत्ता बल का दुरुपयोग होने लगा है वह आने वाले लोकतंत्र के लिये चिन्ता का विषय है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि विधान परिषद् के चुनाव में होने वाले धन बल के प्रयोग को बाहु बल के प्रयोग को, सत्ता के प्रयोग को नहीं रोका गया तो हम लोग मान्यवर, एक खतरनाक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। जनता का विश्वास मान्यवर निर्वाचित लोगों में कम हो जायेगा और उस विश्वसनीयता का जो संकट है मान्यवर, आज जो मैं यह प्रश्न उठा रहा हूं मैं यह कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र को इस तरह पराजित न होने दें और विश्वसनीयता को इस तरह से शक के दायरे में न आने दें। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि क्या वजह थी कि पिछली बार जब लोक सभा के चुनाव हुए तो केवल उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में दो चार छोड़ दें तो अलग बात है पर पूरे भारत वर्ष में बाहुबलियों का सफाया हो गया। जनता बाहुबलियों को नहीं चाहती, माफियाओं को नहीं चाहती, अपराधियों को नहीं चाहती। लेकिन क्षमा करेंगे मान्यवर, इस चुनाव में जिनके आपराधिक इतिहास बहुत लम्बे चौड़े थे और मैं तो यह कहूंगा कि जिसके जितने लम्बे चौड़े थे मान्यवर, लोक सभा में जो लोकतंत्र ने पाया था, उसको विधान परिषद् में उसको गंवा दिया। अबकी बहुत से ऐसे लोग निर्वाचित हुए हैं जिनका बहुत लम्बा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। लोक सभा के चुनाव में मान्यवर, हमारी गरिमा बढ़ी थी मान्यवर, क्षमा करेंगे कि विधान परिषद् में वह गरिमा कम हुई है, समाप्त हुई है।

मान्यवर, शर्म आती है, दुःख पहुंचता था जब किसी जिले में जाओ तो कहते थे कि यहां कौन सा रेट चल रहा है। जिले के हिसाब से रेट थे मान्यवर, उम्मीदवार के हिसाब से रेट थे मान्यवर, कहीं पांच हजार चल रहा था, कहीं दस हजार चल रहा था, कहीं पन्द्रह हजार चल रहा था। कहीं-कहीं के लोग खुश किस्मत थे तो 25 हजार और 50 हजार तक चल रहा था। मोटर साइकिल बंट रही थी मान्यवर, तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जिलों का स्तर गरीबी की रेखा के नीचे से नहीं आंका जा रहा था बल्कि उम्मीदवार की हैसियत के हिसाब से उस जनपद का रेट तय हो रहा था। मेरी बात मानें न मानें वर्मा जी, यह बात सत्य है और इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। मान्यवर, रेट खुले थे। अपराधी चुने गये मान्यवर, दूसरा मान्यवर, मैं ओम प्रकाश जी की बात का और हमारे भाई चौधरी साहब की बात का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि हेल्पर का पैमाना क्या है ? हेल्पर वही लेगा जो निरक्षर होगा या हेल्पर वो लेगा जिस पर विश्वास नहीं होगा तो या तो चुनाव आयोग में संशोधन करवा दीजिये कि जो मतदाता संदिग्ध होगा उसको हेल्पर मिलेगा या फिर यह रहने दीजिये कि जो गैर पढ़ा लिखा है उसको मिलेगा। मान्यवर, जब ग्रेजुएट, इण्टरमीडिएट, हाई स्कूल मतदाता के साथ खड़े दिखाई पड़ते थे तो ऐसा लगता था कि किसी निरीह बकरी को मान्यवर बांध दिया गया हो हलाल करने के लिये। मतदाताओं की प्रवृत्ति को इस समय सारे आरोप अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। कुछ तो मतदाताओं पर भी छोड़िये। इतने ज्यादा शौकीन मतदाता थे मान्यवर, कि अगर आप उनसे सम्पर्क न करें तो वह

आपसे सम्पर्क कर रहे थे। यह सच है और फिर सिर्फ आप ही से सम्पर्क नहीं कर रहे थे। एक जगह, दो जगह, तीन जगह सम्पर्क कर रहे थे उम्मीदवार बेचारा क्या करता मान्यवर, हेल्पर न लगाता तो क्या करता तो मान्यवर, यह प्रवृत्ति और यह विकृति जो आ रही है, इसको रोकना पड़ेगा हेल्पर के मामले में मान्यवर, दृढ़ता के साथ कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग चुनाव करायेगा में कुछ नहीं कहना है मान्यवर, पर हम अपनी भावनायें तो व्यक्त कर सकते हैं एक प्रस्ताव के माध्यम से, कि हेल्पर वहीं किसी को मिलेगा जो अपने निर्वाचन के समय निरक्षर कहलायेगा। इस मतदाता सूची से मत चलिये, अपने चुनाव के समय जो निरक्षर होगा। पंचायत की बैठकों में बी0 डी0 सी0 साहब दस्तखत कर रहे हैं बैठकों में सम्मिलित हो रहे हैं प्रस्ताव पढ़ रहे हैं, प्रधान जी लगातार नरेगा का पूरा एकाउन्ट आपरेट कर रहे हैं और जब चुनाव का समय आता है तो मान्यवर, वह बैठ जाते हैं निरक्षर होकर, सभासदों के साथ भी सबसे ज्यादा दुःख है तकलीफ है मान्यवर ...

श्री अध्यक्ष-

समय थोड़ा देख लें और भी सूचनायें हैं आप लोगों की।

श्री प्रमोद तिवारी-

समय ज्यादा हो रहा है मेरा, तो थोड़ा कम कर दें।

श्री अध्यक्ष-

थोड़ा कम कर दें और भी सूचनायें हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

कम कर देते हैं मान्यवर, समय तो आप और हमारे हाथ में है आप जब चाहें कम बुलवायें जब चाहें ज्यादा बुलवायें।

श्री अध्यक्ष-

हाथ बढ़ावें आप भी, और हम भी बढ़वायें।

श्री प्रमोद तिवारी-

आपको जो अच्छा लगता है उसको ज्यादा बुलवा लेते हैं कभी-कभी आपकी नजर होती है तो हमीं को ज्यादा बुलवा देते हैं। आज नजर कहीं और है आपकी। मान्यवर, एक बात जरूर कहना चाहता हूं उम्मीदवारों की, तीर्थ यात्रायें चुनाव में बहुत बढ़ जाती हैं पर्यटन की यात्रायें भी बहुत होने लगती हैं। कुछ तो मतदाता मान्यवर, चारों धाम की यात्रायें भी कर आये और वह उसी दिन अवतरित हुये जिस दिन वोट पड़ने वाला था उसके एक दिन पहले, इस पर भी तो मान्यवर, अंकुश लग सकता है कि बसों पर बैठाल दिया गया, उनको घुमाया जा रहा है, टहलाया जा रहा है और उसी दिन वह आ रहे हैं मान्यवर, जिस दिन वोट पड़ना है या एक दिन पहले आ रहे हैं और फिर गेस्ट हाउसेज खाली भी नहीं मिलते हैं तो मान्यवर, कुल मिलाकर यह सारी चीजें हमारे आपके सामने हैं उसे हम रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते हैं और इसका सबसे दुःखद पहलू मान्यवर, अपहरण है जो मान्यवर, इस तरह नहीं मानते हैं उनका अपहरण कर लिया जाता है बल का प्रयोग किया जाता है कुल मिलाकर अगर पिछले चुनावों को अगर मान्यवर मैं देखूं तो यह

कहना पड़ेगा कि यह चुनाव राजनैतिक दल बनाम सत्ता हो गया है। एक तरफ सरकार लड़ती है दूसरी तरफ राजनैतिक दल लड़ते हैं इन चुनाव की प्रश्नचिन्हता समाप्त हो रही है तो मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में चाहे कोई जीता हो लेकिन लोकतंत्र हारा है, 311 के इस अविलम्बनीय महत्वपूर्ण प्रश्न पर आप सारी कार्यवाही रोककर लोकतंत्र के लिये चर्चा करायें प्रस्ताव पारित करायें और कुछ दिन के बाद निर्देश निर्धारित करें।

श्री कौकब हमीद खां-

मेरी तरफ से डा0 अनिल चौधरी बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है थोड़ा समय का ध्यान रखें।

डा0 अनिल चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी नियम 311 पर ग्राह्यता पर बोलते हुये माननीय अम्बिका चौधरी जी, माननीय ओम प्रकाश सिंह जी, माननीय प्रमोद तिवारी जी सभी के विचारों से अपने को सम्बद्ध करते हुये एक विशेष घटना का उल्लेख अवश्य करना चाहूंगा। आज पूरा राष्ट्र नक्सलवाद की समस्या से पीड़ित है। इस समस्या से हमारा सूबा किसी हद तक बचा हुआ है और नक्सलवादियों का एक ही विचार है कि यह चुनी हुई सरकार, यह जनप्रतिनिधि और यह चुनाव की परम्परा सरासर गलत है, इससे आम आदमी गरीब, आदमी को न्याय नहीं मिल सकता है। मान्यवर, एक तरफ यह विचारधारा है और एक तरफ यह विचारधारा है जिसका प्रतिनिधित्व करने के लिये हम लोग यहां बैठते हैं मान्यवर, पिछला जो विधान परिषद् का चुनाव हुआ, प्रत्येक चुनाव के अन्दर गिरावट आ रही है। दल बल, बाहु बल, सत्ता बल का प्रयोग चरम सीमा पर है लेकिन इस चुनाव ने सारी मर्यादाओं को पीछे छोड़ दिया है कोई ऐसा बुरा कृत्य नहीं जिसका इस चुनाव के अन्दर इस्तेमाल न हुआ हो यह विवाद का बिन्दु हो सकता है कि किसने ज्यादा किया या किसके लिये मौके ज्यादा थे या किसके लिये कम थे लगभग प्रत्येक व्यक्ति ने इसको दुरुपयोग करने की कोशिश की मैं बड़ी चिन्ता इस सदन के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूं अगर हम लोगों ने इस आचरण पर, सबसे पहले हमीं सबको इस आचरण पर रोक लगानी पड़ेगी अगर इस आचरण पर लोग न लगाई तो वह दिन आएगा कि आम जनता, गरीब आदमी, देहात का आदमी पिछड़ा दलित आदमी उसका इस पूरी व्यवस्था से, इस गणतंत्र से, इस लोकतंत्र से विश्वास उठ जाएगा और नक्सलवादियों की तरफ पूरा राष्ट्र पूरी जनता मुड़ जाएगी। इसलिये इस बात पर बहुत विशेष दबाव बनाते हुये मान्यवर, मैं अपने जनपद की एक विशेष घटना की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, अगर सत्तारूढ़ दल का प्रत्याशी और उसके भाई जो काबीना मंत्री हैं, थाना-चन्द्रपा क्षेत्र की यह घटना है, बिसाना में बीडीसी मेम्बर है, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, श्री वीरेन्द्र, दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, उनका अपहरण दिन-दहाड़े 28 दिसम्बर को किया गया। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष के खेत से किया गया और उसी गांव के रहने वाले समाजवादी पार्टी के एमएलसी, डा0 राकेश सिंह राणा के यहां जो वह जाल बिछाने के लिये कोल्ड स्टोर में घुसा वहां से उसको जबरिया खींच के बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग ले गये। दलित समुदाय का व्यक्ति था, उसकी पत्नी लाचारी में अधिकारियों के पास घूमी, पत्रकारों के पास गई, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई,

अपने पति के जान की भीख मांग रही थी। जब उसका अपहरण हुआ था, तब उसको बुरी तरह पीटते हुये ले जाया गया था और उस व्यक्ति ने हाई कोर्ट के सामने बयान दिया, उसने कहा कि मुझे इन्हीं की कोठी से आज भी लाये हैं, पुलिस वाले और मुझे मारा-पीटा गया है। मान्यवर, इस सन्दर्भ में एक एफआईआर चन्द्रपा थाने में 25 जनवरी को दर्ज होती है, उसमें उन्हीं लोगों को मुल्जिम बनाया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब, अभी और सूचनाएं हैं।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, हमारे विद्वान बुजुर्ग कह गये हैं कि एक परिवार के लिये एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिये और एक ग्राम के लिये एक परिवार को छोड़ देना चाहिये और राष्ट्र के लिये एक पूरे गांव को सहादत दे देनी चाहिये। मान्यवर, दलितों की हितैषी होने का ढोंग करने वाली सरकार अगर एक दलित व्यक्ति को, इस सरकार का एक नुमाइंदा इस तरह से पीटेगा और उसके बावजूद भी शासन कोई कदम नहीं उठाता है तो मैं समझता हूं कि इस लोकतंत्र से, इस सदन से, हर चीज से लोगों का विश्वास हट जायेगा। मैं अपनी ग्राह्यता पर बल देते हुये इस बहुमूल्य विषय पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

(नेता प्रतिपक्ष तथा श्री हुकुम सिंह के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 हुकुम सिंह जी, आप अपनी बात 2 मिनट में कह लें, मा0 नेता प्रतिपक्ष से मैं निवेदन कर रहा हूं कि वह बैठ जायें।

*श्री हुकुम सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, जिन मा0 सदस्यों ने अपने विचार यहां पर प्रस्तुत किये हैं, मैं उनसे अपने आप को सम्बद्ध करते हुये, अपनी बात सिर्फ 2 मिनट में समाप्त करूंगा। मैं अपनी बात देश की महान विभूतियों की दो पंक्तियों से प्रारम्भ कर रहा हूं। मान्यवर, डा0 अम्बेडकर ने संविधान सभा में अपने विचार रखते हुये कहा था, 'संविधान मूलभूत दस्तावेज है, यह राज्य के तीन अंगों-विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थिति और अधिकारों की व्याख्या करता है। यह नागरिकों के सन्दर्भ में कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों को प्रख्यापित भी करता है, यह मूलभूत अधिकारों के अध्याय में हुआ है। मेरा कहने का आशय यह है, मूलभूत तो संविधान है लेकन उस संविधान को कारगर, सफल बनाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है, जो संविधान के माध्यम से यहां पर निर्वाचित होकर आये हैं। जितने सत्तापक्ष में सम्मानित लोग बैठे हैं और विशेषकर जितने मंत्रीगण हैं, मेरा एक आग्रह है, तर्क-वितर्क तो यहां होता रहेगा, एक बार दो मिनट शान्त होकर अपनी आत्मा में झांक कर देख लें, किस प्रकार से उन्होंने चुनाव सम्पन्न कराया है ? अगर वास्तव में डा0 अम्बेडकर की नीतियों का पालन करने का दावा करने वाली यह सरकार उनकी मूर्तियों को स्थापित करके सन्देश देना चाहती है, एक बार सोचें, उनकी नीति क्या

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थी, उनका मार्गदर्शन क्या था ? मान्यवर, आज जिस प्रकार से विधान परिषद् के चुनाव में धांधली करके विजयश्री प्राप्त करने की खुशी मना रहे हैं, एक बार विचार तो कर लें, कैसे आई वह ? मान्यवर, मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं, जिलाधिकारी, कमिश्नर से लेकर, नीचे लेखपाल तक, क्योंकि अपने कैडर पर तो विश्वास नहीं रहा कि वह जाकर के प्रचार करेंगे, सम्पर्क करेंगे, सम्पर्क करने की भी जिम्मेदारी दे दी अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को। मान्यवर, अगर राजनीति भी वही करेंगे और शासन-प्रशासन भी वही चलायेंगे तो यहां पर आप लोग काहे को बैठे हैं ? आप विधायक और मंत्री भी उन्हें बना दीजिये। मान्यवर, जब सारी की सारी भूमिका लोकतंत्र में उन्हीं की हो गई और अपना कुछ लेना-देना नहीं रहा तो फिर क्या करना।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से थोड़ा सा विषयांतर होना चाहता हूं। मान्यवर, विषय वही लेकिन मानसिकता को आपके सामने उजागर करना चाहता हूं। कई जिले हैं, सहारनपुर, मेरठ व मुजफ्फरनगर भी है। अभी को-आपरेटिव बैंक के चुनाव हुए और चुनाव में जिस समय नामांकन की स्क्रूटनी होनी थी तो जो उम्मीदवार हैं वह वहां पर खड़े हुए हैं और जब रिटर्निंग आफिसर बैठते हैं तो वह लिखते हैं कि आपके हस्ताक्षर नहीं मिलते हैं और पर्चा रद्द। उम्मीदवार कह रहा है कि मेरे हस्ताक्षर हैं लेकिन वह कहता है कि तुम कहते रहो लेकिन हस्ताक्षर मिलते नहीं हैं। दूसरा उम्मीदवार भाग गया कि कहीं उसका पर्चा निरस्त न हो जाए तो वह एफीडेविट बनवाकर लाता है, कहता है कि मेरे हस्ताक्षर हैं, एफिडेविट दे रहा हूं तो वह कहते हैं कि एफिडेविट देते रहो, हस्ताक्षर नहीं मिलते, पर्चा निरस्त। मान्यवर, उस सूची को छोड़कर जो सत्ता पक्ष के द्वारा दी गयी थी उसके अलावा जितने भी उम्मीदवार थे सबके नामांकन निरस्त हुए। यह एक जगह नहीं हुए यह कई जिलों में हुये। यह इस मानसिकता को उजागर करता है कि लोकतंत्र की मर्यादाओं में कहीं विश्वास नहीं है। उन लोगों पर क्या गुजरी होगी। मान्यवर, यह सबक अब आगे के लिए है। यह आगे के पंचायत के चुनाव के लिए एक चेतावनी है। आप प्रचार करें, प्रचार करते रहिए। घोषणा तो आपके हाथ में ही है। वोट ले लीजिए जिसका जितना लेना है। घोषणा तो आप ही करायेंगे। अगर इस घोषणा के आधार पर इस नौकरशाही को आप इतना आजाद कर देंगे या अपना इतना गुलाम कर बना देंगे कि वह सारी संवैधानिक मर्यादाओं को तज कर आपके आदेशों का पालन करेंगे तो इस देश में लोकतंत्र बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। मान्यवर, सत्ता पक्ष के एक बहुत सम्मानित सांसद हैं। सारे भारतवर्ष ने देखा कि वह जब चुनकर गये तो स्पीकर ने जब शपथ दिलानी चाही तो मान्यवर, वह पढ़ नहीं पाये। टी0वी0 पर पूरा हिन्दुस्तान देख रहा था, हम भी देख रहे थे। हम भी गौरवान्वित हो रहे थे कि वह नहीं पढ़ पाये और मान्यवर, जब विधान परिषद् का चुनाव आया तो उनकी पत्नी मतदाता थी तो खुद हेल्पर बनकर गये। एक नहीं दर्जनों उदाहरण ऐसे मिलेंगे। मान्यवर, यह उस महान व्यक्ति का नाम लेते हैं जिनका नाम डा0 अम्बेडकर है। उनके नाम से आप अपनी ख्याति कराना चाहते हैं, आप उनके अनुयायी बनना चाहते हैं इन्होंने उनके सपनों को कैसे धूमिल किया है, कैसे ध्वस्त किया है, मान्यवर, लोकतंत्र के साथ इससे ज्यादा और क्या खिलवाड़ करेंगे। मान्यवर, मेरा अंतिम वाक्य यह है कि जो सुझाव आपने दिये हैं वह अपनी जगह है लेकिन मेरा सुझाव यह है कि अगर उनमें थोड़ी बहुत सच्चाई बची है तो उसको सिद्ध करने के लिए इस सदन की एक समिति का गठन कर दें और बाद में वह इस

पर विचार करके आपके सामने रिपोर्ट दे दें। मान्यवर, इसमें मंत्री कोई न हो, केवल विधायक हों, इधर और उधर दोनों तरफ के विधायक हों। मान्यवर, 9-10-11 माननीय सदस्यों की एक समिति गठित कर दें। वह कुछ चिन्हित जिलों में जाकर इसकी पूरी जांच करके एक रिपोर्ट आपको दे दें। कम से कम आने वाले चुनाव के मामले में इस प्रदेश की जनता को हम आश्वस्त कर दें कि प्रधानी के चुनाव सही होंगे, पंचायत के चुनाव सही होंगे, क्षेत्र पंचायत के चुनाव सही होंगे। आज उनके मन में डर बैठ गया है। वह घूम रहे हैं कि साहब मेरा एफिडेविट ले लो, मैं आपके साथ रहूंगा, सिर्फ घोषणा करा देना। अपनी आस्था प्रकट करते हुए घूम रहे हैं। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि कृपया जांच समिति का गठन कर दें और वह समिति 3 महीने के अन्दर जांच करके अपनी रिपोर्ट दे दे।

(श्री अवधेश प्रसाद के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय अवधेश प्रसाद जी, सूचना तो बहुत है, 100-100 लोगों के दस्तखत है, नेता प्रतिपक्ष जी खड़े हो गये हैं, अब आप बैठ जायें।

*नेता विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, प्रदेश में विधान परिषद् के चुनाव हुए हैं। इस चुनाव में लोकतंत्र कैसे जिन्दा रहेगा और इस लोकतंत्र में 7 जनवरी को किस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा गया है। अभी हमारे साथियों ने आपको इंगित किया है कि निर्देश आप करेंगे यहां से कि निष्पक्ष चुनाव हों और निष्पक्ष चुनाव तभी हो सकते हैं, क्योंकि चाहे जिलाधिकारी हो या आई0पी0एस0 अधिकारी हों उनकी जिम्मेदारी होती है निष्पक्ष चुनाव कराने की। लेकिन अगर जिलाधिकारी, आई0पी0एस0 अधिकारी अगर वह खुद ही बेईमानी कराने लगें तो निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते हैं और इस चुनाव में वही हुआ। जिलाधिकारी ने सीधा निर्देश दिया है, प्रधानों को, बी0डी0सी0 सदस्यों को सीधा निर्देश दिया है कि चुनाव में वोट बहुजन पार्टी के प्रत्याशी को देना।

(सदस्यों द्वारा सुधार करते हुए 'बहुजन समाज पार्टी' के कहे जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

समाज इधर भी है उधर भी है तो छोड़ दिया, कॉमन कर दिया है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

तो अगर लोकतंत्र को जिन्दा रखना है क्योकि संविधान के ये अंग हैं ये विधान सभा और विधान परिषद्, संविधान के अंग हैं। अगर यहीं पर बेईमानी होने लगे तो यह संदेश देश के लिये ठीक नहीं है तो मान्यवर, यह लोक महत्व का प्रश्न है हमारे जो साथियों ने मांग की है सारे नियमों को शिथिल करके इस पर चर्चा करायी जाये जिससे लोकतंत्र जिन्दा रहे और नहीं तो जो ईमानदारी से काम करने वाले लोग जिनके पास पैसा नहीं होगा वो कभी फिर विधान परिषद् में चुनकर के नहीं आ सकते। किस तरीके से पैसा देकर प्रधानों का ईमान खराब किया गया बी0डी0सी0 सदस्यों को खरीदा गया और जबकि मंत्रियों की भी जिम्मेदारी थी निष्पक्ष चुनाव कराने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की क्योंकि उन्होने भी शपथ ली थी कि हम बिना भेदभाव के कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन इस चुनाव में मंत्रियों ने भी बुला-बुला करके प्रधानों को, बी0डी0सी0 सदस्यों को पैसे बांटे अगर इस तरीके से धन का, अगर धन से वोट खरीदे जायेंगे तो फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा। तो इसलिये इस लोक महत्व के प्रश्न पर सारे काम रोक करके इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हम लोगों की तरफ एक कहावत है।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, मेरी एक सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय अवधेश कुमार जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आप बैठ जाइये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हम लोगों की तरफ कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे। मान्यवर, आज जब चौधरी साहब बोल रहे थे तो वहीं परिलक्षित हो रहा था। मान्यवर, विधान परिषद् के चुनाव में निष्पक्षता के साथ जनभावनाओं के आदर के साथ जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में विकास के कार्य किये हैं उन कार्यों के परिणामस्वरूप प्रदेश की जनता ने बहुजन समाज पार्टी का पूरी तरह से समर्थन करने का काम किया है।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजे थपथपाई गयीं)

और मान्यवर, यह केवल विधान परिषद् के चुनाव नहीं हैं, प्रदेश में 15 बाई-इलेक्शन हुए हैं अभी हाल में उन 15 विधान सभा के उप निर्वाचन में भी 12 मुख्य जगहों पर भारी मतों से प्रदेश की महान जनता ने बहुजन समाज पार्टी को जिताकर भेजने का काम किया है। मान्यवर, अभी विचार की बात कर रहे थे, मंत्री प्रचार की बात कर रहे थे, मैंने वह दिन भी देखा था, 1990 में, जब प्रदेश के मुख्य मंत्री विधान परिषद् के चुनाव में नामांकन के बाद हेलीकाप्टर से प्रदेश के प्रत्येक जिले में जाकर पंचायत सम्मेलन कर रहे थे और उस पंचायत सम्मेलन के माध्यम से उनको गिफ्ट दिया जा रहा था, वह समय चौधरी साहब को याद नहीं आया। मान्यवर, माननीय भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बड़ा बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया उन्होंने सुझाव दिया, अच्छा सुझाव दिया, लेकिन क्या प्रदेश की विधान सभा से हम कोई संशोधन निर्वाचन के सम्बन्ध में कर सकते हैं। माननीय प्रमोद तिवारी जी ने भी लोकतंत्र हारा है, इस बात का जिक्र किया। मुझे वह समय याद है, 1986 के बाद उप चुनाव हो रहा था प्रतापगढ़ में जिस क्षेत्र से मोती सिंह चुनाव जीत कर आते हैं, उसी क्षेत्र का चुनाव था, किस तरह से मंत्री होकर जाकर प्रिसाइडिंग अफसर को मार कर और वोट को कब्जा करके वोटरों को भगाकर वोट डालने का काम किया था कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आज उनको वह दिन याद नहीं आ रहा है। आज जब निष्पक्ष चुनाव हो रहा है और

बहुजन समाज पार्टी अपने विकास के कार्यों के बदौलत चुनाव जीत रही है, तो उनको चुनाव में निष्पक्षता नजर नहीं आ रही है। मान्यवर, चुनाव का जहां तक सवाल है, कहीं भी पहली बार इस चुनाव में चुनाव आयोग ने पर्यवेक्षक बाहर से नियुक्त करने का भी काम किया। चुनाव आयोग ने मंत्री को भ्रमण पर प्रतिबन्धित करने का भी काम किया कि किस तरह से सरकारी सुविधाओं के तहत वह नहीं जा सकते हैं और आचार संहिता लगाने का काम किया, जिसका अक्षरशः पालन करने का काम किया गया, पूरी तरह से पालन करने का काम किया गया। मान्यवर, हमारे प्रदेश सरकार के मंत्री ने कहीं भी किसी भी मतदाता को सरकारी सुविधाओं के आधार पर उनको किसी तरह से प्रलोभन देने का काम नहीं किया, कहीं भी सत्ता का दुरुपयोग करने का काम नहीं किया और कहीं पर भी जो उन्होंने शपथ ली, उसके विपरीत जाने का काम किया। अगर ऐसा होता मान्यवर, हम चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग करते तो रायबरेली में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार न जीतता, हम अगर सत्ता का दुरुपयोग करते, पुलिस बल का प्रयोग करते तो प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव न जीतता। मान्यवर, यह इस बात को साबित करता है कि हमने कहीं पर भी सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया, न पैसे का प्रलोभन देने का काम किया। यह बात जरूर है कि पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रदेश में जो गरीबों के लिए बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी काम कर रही है जो विकास का काम गांवों में करने का काम कर रही है, पहली बार गांवों में सी0सी0 रोड बन रहा है, पहली बार गांवों में के0सी0 ड्रेन बन रहा है, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का काम किया। जहां तक मान्यवर, इस प्रश्न का है कि हम इसमें कार्यों को शिथिल करके चर्चा कराने का प्रश्न आता है। मान्यवर, संविधान का अनुच्छेद-324 के अन्तर्गत है मान्यवर, इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधान मण्डल के लिए कराये जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा, जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है।

मान्यवर, निर्वाचक नामावली बनवाता है निर्वाचन आयोग। उसमें प्रदेश सरकार का कोई योगदान हो ही नहीं सकता। उस समय जो प्रदेश सरकार के अधिकारी, कर्मचारी काम कर रहे थे वह पूरी तरह से निर्वाचन आयोग के अधीन कर रहे थे। इसलिए उस सूची में कोई नाम छपना या न छपना यह मान्यवर राज्य सरकार का कार्य नहीं है। यह चुनाव निर्वाचन आयोग की जिम्मेवारी के आधार पर संचालित होता है और आपने देखा कि नामित प्रतिनिधियों को वोट देने का अधिकार भी रिटर्निंग आफिसर के अधीन ही दिया गया। उसमें न्यायालय ने भी अपना फैसला दिया और जिसके आधार पर फिर काउन्टिंग हुई। मान्यवर, इस तरह से उसमें कहीं से भी कोई गलत कार्य नहीं किया गया। मान्यवर, चूंकि निर्वाचन आयोग के अधीन पूरी तरह से उनके नियंत्रण में चुनाव कार्य होता है वह चाहे विधान सभा का चुनाव हो या विधान परिषद् का चुनाव हो, इसलिए मान्यवर, उस पर विधान सभा में किसी प्रकार की चर्चा किया जाना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको अग्राह्य करते हुए इस सूचना को निरस्त करने की कृपा करें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, चौधरी जी ने कुछ बातें कही, एक कहावत उन्होंने कही। एक कहावत और है चोरी और सीना जोरी। आपने आज देख लिया उस कहावत को चरितार्थ होते हुए। गजब तरीके से सरकार का पक्ष रखा मैं उसकी तारीफ करता हूं। भाई नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी से मैं कहूंगा कि आप इसकी जांच करायें कि इसमें कौन सा मेटिरियल लगा हुआ है इस छत पर कि यह गिरी नहीं। इतना [x x x] बोलने के बाद भी यह छत गिरी नहीं है खड़ी रह गयी है। मान्यवर, इस चुनाव में पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई है। इसके विरोध में मैं और मेरा दल इस सदन का बहिष्कार करता है।

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, मेरा नाम लिया है तो प्रमोद जी से निवेदन है कि मेरी बात सुनते जायें फिर बहिष्कार का कार्य करें। मान्यवर, मैं जबसे पैदा हुआ हूं भी से कांग्रेस की जांच कर रहा हूं। मैंने जो महसूस किया है वह यह है, मैंने कहा शब्द बुराई के हैं बहुत, जैसे जुआ, शराब, डकैती, फरेब केस। वो बोले कि इक शब्द में इसको बयां करो, मैंने कहा कि सबसे मुनासिब है कांग्रेस।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह जो सीरियल नम्बर-2 चल रहा है उसका नाम है बसपा। इस तरह से सब जो अनैतिक काम है। भ्रष्टाचार है, बेईमानी है उसका यदि दूसरा कोई नाम है तो वह है बसपा।

(तत्पश्चात् श्री प्रमोद तिवारी ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह दोनों दलों के बीच नूरा कुश्ती चल रही है। यह जुगलबंदी चल रही है कांग्रेस और बसपा के बीच।

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, एक गम्भीर विषय पर स्पष्टीकरण पूछना चाहता हूं। मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक बात कही। अगर वह पूरी तरह से उसे स्वीकार कर लें तो हम प्रशंसा भी करेंगे। उसके द्वारा बहुत बड़ा योगदान होगा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सुधार के प्रति। इसमें कोई पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है। यह पता है कि नियमों में संशोधन नहीं कर सकता यह सदन, यह अधिकार निर्वाचन आयोग को है। लेकिन अगर कहीं कोई गलती है और उसे हम सुधारना चाहते हैं तो अपनी मंशा आयोग के पास प्रस्ताव के रूप में भेज तो सकते ही हैं कि इन-इन बुराईयों पर अंकुश लगाने के लिए आयोग कार्यवाही करे। आप इस सदन में प्रस्ताव लायें हम उसका समर्थन करेंगे। यह निर्णय आपको करना है। मान्यवर, यह केवल अपनी जो बुराइयां हैं जो कदाचार है उस पर पर्दा डालने के लिए तर्कों से गढ़ा लेकिन यह संतोषजनक उत्तर नहीं है यह चुनाव में की गयी

नोट :-[x x x] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बुराई है, सत्ता का दुरुपयोग, पैसे का प्रलोभन, अपराधी छवि के लोगों को उपयोग इसको लेकर के चुनाव जीता है और इसीलिए तथ्य को छिपाने की कोशिश की गयी है इसलिए मैं सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री ओम प्रकाश सिंह ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

श्री अध्यक्ष-

चलिये आ गयी, अब स्पष्टीकरण पूछना है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, स्पष्टीकरण नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं पूछना है। जिस बेशर्मी के साथ इस सरकार का उत्तर आया उसमें स्पष्टीकरण कहां है। जहां मान्यवर, गन्दा ही गन्दा है वहां स्पष्टीकरण कहां है। मान्यवर, हम आपसे मांग यह कर रहे हैं कि इससे ज्यादा औचित्यपूर्ण स्थिति इस नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना की नहीं हो सकती। मान्यवर, हमने स्पेस्फिकली जनपदों का नाम लेकर थाना गांव व्यक्तियों का नाम लेकर हर जगह का बिल्कुल स्पेशिफिक आपको उदाहरण दिया है। तिथिवार नाम व्यक्ति, थाना और घटना के साथ उसमें एक का भी उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया तो अब इससे ज्यादा औचित्यपूर्ण स्थिति क्या होगी सामान्य टिप्पणी कि सब ठीक है, सब ठीक है, सब बढ़िया है। सब ठीक सब बढ़िया नहीं इसलिए आपसे अनुरोध कर रहा हूं इनसे मेरी कोई उम्मीद नहीं, आपका संरक्षण था इस सदन में आपने मान्यवर, मेरी बात सुनी इसलिए हम आपके आभारी है। आपके संरक्षण के हौसले से हम यह बात कह रहे हैं। यह सरकार इस लोकतंत्र की हत्या करने का जो कुकृत्य कर चुकी है उस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है इसलिए हम इनसे क्या स्पष्टीकरण मांगेंगे। यह आपात मस्तक मान्यवर, बिल्कुल इतने गन्दे हैं इनसे हम स्पष्टीकरण क्या लेंगे। इसलिए हम आपसे यह अनुरोध कर रहे हैं कि आप हमारी रक्षा करिये हमें कोई स्पष्टीकरण इनसे नहीं लेना है। आप इस पर चर्चा करवाने के लिए आप अपनी पीठ से इस पर व्यवस्था दीजिए कि इस पर चर्चा कराई जायेगी और चर्चा करायें तो हम बाकी तथ्य लेकर सदन में आते हैं। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और इससे ज्यादा औचित्यपूर्ण और कोई दूसरी नोटिस नहीं हो सकती है।

श्री कौकब हमीद खां-

मान्यवर, सरकार के इस कृत्य के विरोध में मैं भी अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(श्री कौकब हमीद ने अपने दल के साथ सदन का त्याग किया)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह पूरे प्रदेश की व्यवस्था से सम्बन्धित है मैंने स्पेसिफिक सूचनायें आप तक निवेदित कर दी है उसके सारे इनग्रेडिएन्ट उसके अनिवार्य तत्व पूरे होते हैं इसलिए आप इस पर व्यवस्था दीजिए। हम इनसे स्पष्टीकरण क्या मांगे यह स्पष्टीकरण लायक नहीं है और इनसे स्पष्टीकरण तो जनता मांगेगी और यह कहां मिलेंगे तब इनको कोई जगह नहीं मिलेगी। मान्यवर, आप अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह इनसे सीखना पड़ेगा कि इन्होंने अपने समय में चाहे 90 में रहा हो चाहे 2003 में रहा हो जिस तरह से इन्होंने अपना आचरण किया था (शोर)

मान्यवर, यह संविधान जो है हमारा यह इस बात की इजाजत नहीं देता।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के वेल में आकर नारे लगाने लगे)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुना, माननीय ओम प्रकाश सिंह को सुना, माननीय प्रमोद तिवारी जी को सुना, माननीय कौकब हमीद को सुना, माननीय हुकुम सिंह को सुना यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

अब सूचना अग्राह्य हो गयी, आगे आपकी सूचना है।

2.00 बज गया है चौधरी साहब, अब बैठ जायें आपकी सूचना अग्राह्य हो गयी है। उस सूचना को अग्राह्य कर दिया है मैंने।

आगे की सूचना है श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रदीप माथुर, श्री अजय कपूर, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री संजीव दरियाबादी, श्री रामसेवक, श्री शिवबालक पासी, श्रीमती अमीता सिंह, श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला, श्री अजय पाल सिंह, श्री श्याम किशोर शुक्ला, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री पंकज मलिक, श्री शिव गणेश लोधी, श्री माधव पासवान, श्री राजाराम त्यागी, श्री अशोक सिंह की दूसरी, श्री नरेन्द्र सिंह, श्री आरिफ अनवर हाशमी, श्री जोखू लाल यादव, डा0 कौशल किशोर, श्री महेन्द्र सिंह, श्री अरविन्द सिंह की है। तीसरी सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी की प्रदेश के राज्य कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा किये गये लाठीचार्ज से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

इस सूचना में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों ने सूचना दी है। प्रदेश के राज्य कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा किये गये लाठीचार्ज से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। इस पर किसी माननीय सदस्य को कुछ कहना है ? तिवारी जी आपको कुछ कहना है ? यह चौधरी साहब कर्मचारियों की सूचना पर आपको कुछ कहना है।

(वेल में आये हुये समाजवादी पार्टी के सदस्य लगातार नारे लगाते रहे)

नेता प्रतिपक्ष जी, आप सबको बैठा लीजिये, बहुत हो गया अब सदन को चलने दीजिये। नेता प्रतिपक्ष जी, आप इनको बुला लें।

(नारेबाजी जारी रहने और सदस्यों के वापस न जाने पर)

मैं सदन को 10 मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 2 बजकर 2 मिनट पर 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी। 2 बजकर 12 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि

श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 10 मिनट के लिए बढ़ा दिया है। 2 बजकर 22 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर कर्मचारियों की समस्याओं के सम्बन्ध में मैं अपनी बात रख रहा था।

श्री अध्यक्ष-

मान्यवर तिवारी जी, आपने उस सूचना की ग्राह्यता पर अपनी बात रखनी शुरू कर दी थी, उसको कान्टीन्यू कर दे रहा हूं। उसमें पहली तारीख को आप बोल लेंगे। इस विषय पर जिन मा0 सदस्यों की सूचना है उनको भी मैं पहली तारीख को सुन लूंगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, चूंकि मैंने बोलना शुरू कर दिया था और वह कान्टीन्यू है। कर्मचारियों की समस्या सबसे बड़ी है और जिस तरह से उनका उत्पीड़न हो रहा है, उन्हें केन्द्र के समान वेतनमान नहीं दिया जा रहा है यह बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। इसलिए जहां से छोड़ा है वहीं से पहली तारीख से शुरू कर देंगे।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

खन्ना जी, आज महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत होना है और मा0 नेता प्रतिपक्ष को अपराह्न 3.00 बजे से बोलना है इसलिए थोड़ा एडजस्ट करने के लिए निवेदन कर रहा हूं। जिन सदस्यों के नाम पढ़े हैं उसमें आपका भी नाम है, आपको भी पहली तारीख को मौका मिलेगा।

नियम-300 की सूचनाओं के सम्बन्ध में पीठ की व्यवस्था

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरा एक औचित्य का सवाल है।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, औचित्य के कई सवाल हैं।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना जी, आपकी नोटिस कान्टीन्यू रहेगी। मैं कल सुन लूंगा।

(श्री आरिफ अनवर हाशमी व डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

हाशमी साहब, अग्रवाल साहब, आप लोगों की भी सूचना है लेकिन अनुरोध करूंगा कि थोड़ा एडजस्ट कर लें। मा0 नेता प्रतिपक्ष का भाषण शुरू होना है और सदन के पटल पर रखने वाले कुछ आइटम है अभी उसको ले लें। आप सबकी नोटिस भी सुनूंगा, जिनकी सूचनायें हैं उन्हें पहली तारीख को सुनूंगा जो नियम-300 की सूचनायें हैं, अग्रवाल साहब, खन्ना साहब व सुरेश श्रीवास्तव जी, कल सुन लूंगा। आज एडजस्ट करें।

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-17/2007 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-17/2007 को (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् के वित्तीय वर्ष 2002-2003 के पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (आर्थिक चिट्ठा)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से आवास एवं विकास परिषद्, अधिनियम, 1965 की धारा-63 (5) (ए) में दी गयी व्यवस्थानुसार उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् के वित्तीय वर्ष 2002-2003 के पृथक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (आर्थिक चिट्ठा) को विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

न्याय अनुभाग-8 (लेखा) की अधिसूचना संख्या-ए-368/सात-न्याय-8-09-26/12/2006, दिनांक 26 अक्टूबर, 2009

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से न्याय अनुभाग-8 (लेखा) की अधिसूचना संख्या-ए-368/सात-न्याय-8-09-26/12/2006, दिनांक 26 अक्टूबर, 2009 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-क के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

न्याय अनुभाग-8 (लेखा) की अधिसूचना संख्या-ए-367/सात-न्याय-8-09-26/27/2004, दिनांक 26 अक्टूबर, 2009

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से न्याय अनुभाग-8 (लेखा) की अधिसूचना संख्या-ए-367/सात-न्याय-8-09-26/27/2004, दिनांक 26 अक्टूबर, 2009 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-क के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

न्याय अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्या-1011/सात-न्याय-7-09-50/97 दिनांक 26 अक्टूबर, 2009

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से न्याय अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्या-1011/सात-न्याय-7-09-50/97, दिनांक 26 अक्टूबर, 2009 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-क के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट-माप अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-सी0पी0 490/84-2-2009-सी0पी0 41-90 टी0सी0 दिनांक 27 अगस्त, 2009

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट-माप अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-सी0पी0 490/84-2-2009-सी0पी0 41-90 टी0सी0 दिनांक 27 अगस्त, 2009 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 31 (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

यू0 पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 का वार्षिक प्रतिवेदन 2006-2007

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619ए (2) में दी गई व्यवस्थानुसार यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 का वार्षिक प्रतिवेदन 2006-2007 को विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-10-2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-10-2009 को (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त वित्त लेखे वर्ष 2008-09 उत्तर प्रदेश सरकार एवं विनियोग लेखे वर्ष 2008-2009

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त वित्त लेखे वर्ष 2008-2009 उत्तर प्रदेश सरकार एवं विनियोग लेखे वर्ष 2008-2009, उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) में निहित प्राविधान के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (राजस्व प्राप्तियां)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (राजस्व प्राप्तियां) उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151 (2) में निहित प्राविधान के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन, 2001 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन, 2001 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन, 2006 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन, 2006 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन, 2007 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन, 2007 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12(7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश की पन्द्रहवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2009 (दिनांक 31-7-2009 से 7-8-2009 तक) उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश की पन्द्रहवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2009 (दिनांक 31-7-2009 से 7-8-2009 तक) उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण उत्तर प्रदेश विधान सभा के मा0 अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या-14(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-18, 19 व 20 में कुछ नहीं है।

राज्य विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल विधेयक, 2010*

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से राज्य विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि राज्य विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल विधेयक, 2010 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से राज्य विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करता हूं।

महाप्रशासक (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010††

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से महाप्रशासक (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

---

* दिनांक 22 फरवरी, 2010 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

†† दिनांक 22 फरवरी, 2010 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि महाप्रशासक (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से महाप्रशासक (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2010†

राजस्व मंत्री (श्री फागू चौहान)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशों विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 21 व 27 जनवरी, 2010 की बैठकों में विधान सभा के दिनांक 27 जनवरी, 2010 से 24 फरवरी, 2010 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 27 जनवरी, 2010 को केवल निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें ली जायं तथा प्रश्नकाल न हो और नियम 51, 56, 300, 301 एवं 311 के अन्तर्गत सूचनाएं न ली जायं।

2-दिनांक 28 जनवरी, 2010 को विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों एवं विशिष्ट महानुभावों के निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनाएं ली जायं।

3-दिनांक 28 तथा 29 जनवरी, 2010 को नियम-56 व 311 के अन्तर्गत सूचनायें ली जायं।

4-दिनांक 05 फरवरी, 2010 को नियम-56, 300 तथा 311 के अन्तर्गत सूचनायें ली जायं।

---

† दिनांक 22 फरवरी, 2010 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

5-दिनांक 27 जनवरी, 2010 से दिनांक 24 फरवरी, 2010 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

जनवरी, 2010

27 बुधवार — निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें।

28 गुरुवार — 1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें।
2-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।
3-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण (आधा-आधा) घण्टा।
(1) संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010
(2) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2010

29 शुक्रवार — 1-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।
2-विधायी कार्य।

30 शनिवार, 31 रविवार — बैठक नहीं होगी।

फरवरी, 2010

01 सोमवार, 02 मंगलवार, 03 बुधवार — विधायी कार्य।

04 गुरुवार — 1-11.00 बजे पूर्वाह्न
(1) वित्तीय वर्ष 2009-2010 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण।
(2) वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण।
2-विधायी कार्य।

05 शुक्रवार — 1-वित्तीय वर्ष 2009-2010 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।
2-असरकारी दिवस (आधा दिन) (29 जनवरी, 2010 के स्थान पर)।
3-विधायी कार्य।

06 शनिवार, 07 रविवार — बैठक नहीं होगी।

फरवरी, 2010

08 सोमवार 09 मंगलवार 10 बुधवार	वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।
11 गुरुवार	1-वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2-विधायी कार्य।
12 शुक्रवार 13 शनिवार 14 रविवार	(महाशिवरात्रि का अवकाश) बैठक नहीं होगी।
15 सोमवार 16 मंगलवार 17 बुधवार 18 गुरुवार 19 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
20 शनिवार 21 रविवार	बैठक नहीं होगी।
22 सोमवार	वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
23 मंगलवार	1-वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। **2-3.00 बजे अपराह्न** उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2010 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।
24 बुधवार	असरकारी दिवस। विधायी कार्य।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत हैं।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से, यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-28 में कुछ नहीं।

विधान सभा

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

*श्री त्रिभुवन दत्त-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 21 जनवरी, 2010 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।"

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूं तथा उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री दलितों, शोषितों की मसीहा, बहन कुमारी मायावती जी का आभारी हूं कि इस गरिमामयी सदन में आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है। मान्यवर, 21 जनवरी, 2010 को महामहिम श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश ने राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों के समक्ष जो अभिभाषण दिया है निश्चित रूप से सराहनीय ही नहीं अपितु एक दूरदर्शी और लोक हितकारी सरकार की उपलब्धियों एवं भावी योजनाओं का विम्ब है। श्री राज्यपाल ने प्रारम्भिक चरण में जिस भारतीय संस्कृति की गौरवमयी परम्परा, भाईचारा, राष्ट्रीय एकता, सह-अस्तित्व एवं सहनशीलता आदि गुणों का जिक्र किया है उस पर निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी पूर्ण रूप से अमल कर रही हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस देश में सदियों से बिल्कुल उपेक्षित समाज के निचले पायदान पर खड़े अनुसूचित जाति, जनजाति, शोषित, वंचित, पिछड़े हर तरफ से उपेक्षित वर्गों को केन्द्र में रखकर उनकी बुनियादी सुविधाओं को सबसे अधिक महत्व दिया है। साथ ही साथ इन वर्गों में जन्में सन्तों, गुरुओं, महापुरुषों ने जिन्होंने अपनी जिन्दगी को लगाकर के इस समाज को ऊंचा उठाने का काम किया है खासतौर से महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायणा गुरू, बाबा साहेब डा0 भीमराव अम्बेडकर और माननीय श्री कांशीराम जी ने इस दबे कुचले समाज के लोगों के लिए अपनी जिन्दगी का पूरा समय लगाकर के जो उनको ऊंचा और स्वावलम्बी बनाने का काम किया है उनको पूरा-पूरा आदर और सम्मान देने का काम किया। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस समाज के लोगों को हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने ऊंचा उठाने के लिए और जिन महापुरुषों ने काम किया, आज उनके नाम पर स्मारक पार्क और जिला आदि बनाकर पूरा-पूरा आदर सम्मान दे रहे हैं तो उस पर भी हमारे माननीय विपक्षी सदस्यों द्वारा टिप्पणी की जाती है लेकिन मेरा कहना है कि-

वफा की राह पर चलना सिखा दिया

इन महापुरुषों के बारे में कहा जाता है लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि-

वफा की राह में चलना सिखा दिया,
महापुरुषों ने चमन के खार से मिलना सिखा दिया,
तमाम उम्र जफाओं के तीर सह करके
हम गरीबों के चेहरे को हंसना सिखा दिया,

(मेजें थपथपाई गई)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, आज इस पर भी टिप्पणी की जाती है लेकिन महोदय सरकार द्वारा प्रदेश के सभी वर्गों में 'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय' की नीति के आधार पर गरीबों, किसानों, उपेक्षित तथा अल्पसंख्यकों और निर्बल वर्ग के उत्थान के साथ समुदाय और समुचित विकास देने का कार्य प्रशंसनीय है। इसी संदर्भ में सरकार द्वारा 'उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना'' संचालित कर प्रशंसनीय कार्य किया गया है। मान्यवर, आप विदित है इस देश में लम्बे अरसे से दबे-कुचले समाज के लोगों को हर तरह से सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्तर पर पिछाड़ने का काम किया गया है लेकिन इस प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार ने गरीब समाज के लोगों को उठाने के लिए कोई योजना कारगर बनाने का काम नहीं किया है लेकिन धन्य हैं आज पूरा प्रदेश कि उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी जिन्होंने सन्तों, गुरुओं और महापुरुषों के आदर्शों पर चल करके अपनी जिन्दगी को एक आदर्श बनाकर इस गरीब समाज के लोगों को स्वावलम्बी बनाने का काम किया है। आज मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के तहत प्रदेश के तमाम ऐसे परिवार जिनको कतिपय कारणों से सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया गया है इस परिवार के लोगों को तीन सौ रुपया देने का जो निर्णय लिया है और प्रथम चरण में तीस लाख गरीब परिवारों को चयनित करके लाभान्वित करने का जो लक्ष्य दिया है निश्चित तौर से अपने में सराहनीय और प्रशंसनीय कदम है।

(मेजें थपथपाई गईं)

मौजूदा समय में राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से मूल्य नियंत्रण के बारे में बार-बार अनुरोध करने के बाद भी केन्द्र सरकार ने मंहगाई रोकने के लिए कोई सार्थक कदम उठाने का कार्य नहीं किया है। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए अन्यायमुक्त, भयमुक्त, अपराधमुक्त वातावरण बनाने का कार्य बहन कु0 मायावती जी ने किया है। मान्यवर, आप अच्छी तरह से विदित है, विगत ढाई वर्ष पूर्व जब उत्तर प्रदेश में गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक समूचे उत्तर प्रदेश में आतंकवाद का माहौल बना हुआ था और यहां तक कि कानून का राज खत्म जैसा हो गया था, उस परिस्थिति में बहन कु0 मायावती जी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बनाना सरकार की प्राथमिकता में है और इसके क्रियान्वयन स्वरूप कोई भी व्यक्ति कितना ही प्रभावशाली या पकड़वाला होगा लेकिन उसके भी खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने का कार्य उत्तर प्रदेश की सरकार, बहन कु0 मायावती जी ने किया है और इसी के साथ-साथ बहन कु0 मायावती जी के नेतृत्व में कहीं भी भाषागत, क्षेत्रगत, जातिगत तनाव की गतिविधियां नहीं हुईं, सभी महत्वपूर्ण त्योहार शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराकर कानून-व्यवस्था के क्षेत्र में एक अनूठी मिसाल पेश करने का कार्य उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। इस सरकार में कानून-व्यवस्था इस कदर प्रभावी है, चारों तरफ अमन और भाईचारा के आधार पर समतामूलक समाज की परिकल्पना अपने मूर्त रूप में चल रही है। महोदय, जनसमस्याओं की गुणवत्तापरक निराकरण सुनिश्चित हो, इस क्रम में गरीब समाज के लोगों को सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा तहसील दिवस, थाना-दिवस की व्यवस्था लागू की गई है तथा शासन स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों की टीम भेजकर उनको न्याय दिलाने का

काम किया जा रहा है और प्रदेश में रोजगार मुहैया कराने और पुलिस बल सुदृढ़ करने के परिप्रेक्ष्य में 2 लाख से अधिक पद सृजित करने का कार्य उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है और पहले चरण में 35 हजार पुलिस की निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया चालू है। माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी क्षेत्र या राज्य के विकास के लिए आवागमन के साधन विकास की रीढ़ माने जाते हैं किन्तु राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव तथा उच्चीकरण हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के बावजूद भी लगभग 1424 करोड़ के प्रस्ताव केन्द्रीय मार्ग-निधि के अन्तर्गत भेजे गये।

केन्द्र सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण अपने सीमित संसाधनों से ही मार्ग निर्माण में क्रान्ति लाई गई है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2009 तक 2800 कि0मी0 ग्रामीण मार्ग का निर्माण, 1450 कि0मी0 मार्ग का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य तथा 47 सेतु निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। मान्यवर, आजादी के 61 वर्ष बाद भी पूर्ववर्ती सरकारों की उपेक्षा एवं उदासीनता के चलते जो समाज सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाने का कार्य करता है, खेत से लेकर कल-कारखाने तक खून-पसीना बहाकर के पूरे मुल्क के लोगों को रोटी खिलाने का कार्य करता है लेकिन ऐसे समाज के लोगों को पूर्ववर्ती सरकारों की उदासीनता और उपेक्षा के चलते इनको सारी सुविधाओं से महरूम करने का कार्य किया गया। लेकिन धन्य है, बहन कु0 मायावती जी, ऐसे समाज के लोगों की बस्तियों के विकास के लिए हर दृष्टिकोण से संतृप्त करने के उद्देश्य से डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 5598 ग्राम सभाओं का चयन कर उनको संतृप्त करने का कार्य किया है तथा पहली बार उत्तर प्रदेश में सी0सी0 रोड जो कभी शहरों में बना करते थे, उत्तर प्रदेश के धरातल पर पहली बार बहन कु0 मायावती जी के प्रयास से ग्राम सभाओं में सी0सी0 रोड तथा के0सी0 ड्रेन का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है। इसी के साथ गरीब समाज के लोगों को प्रकाशमय जीवन प्रदान करने के लिए डा0 अम्बेडकर ग्रामों की लगभग 10 हजार अनुसूचित बस्तियों में सोडियम लाइट लगाने का काम भी प्रगति पर है। मान्यवर, इसी कड़ी में चाहे इस देश और समाज में बालिकाओं का जन्म एक अभिशाप माना जाता है, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो। लेकिन ऐसी सोच में परिवर्तन लाने के लिए सकारात्मक उद्देश्य के लिए उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने महामाया गरीब बालिका आर्शीवाद योजना आरम्भ कर 15 जनवरी के बाद जन्मी बालिकाओं को 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद 1 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की है। वास्तव में जिस बेटी को अभिशाप समझा जाता था आज वास्तव में लोग उसी बेटी को लक्ष्मी समझने का काम कर रहे हैं। यह कार्य बहन कुमार मायावती जी के प्रयासों से हुआ है। मान्यवर, जहां तक उत्तर प्रदेश के विकास और सर्वजन समाज के हित की बात है। निश्चित तौर पर सदियों से इस देश में और प्रदेश में व्याप्त गैर बराबरी की सामाजिक व्यवस्था को 63 साल की आजादी के बाद बदलने का अगर किसी ने बीड़ा उठाया है तो इस 63 साल की आजादी में वह दलितों, शोषितों की बहन कुमारी मायावती जी है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों की चर्चा करने में लगभग कई घण्टे लग जायेंगे लेकिन आज सर्वजन समाज के लिए एक महामाया आवास योजना जो बहुत पहले से इंदिरा आवास और निर्बल आवास चलते थे और मंहगाई बढ़ने के बावजूद जो पहले की धनराशि स्वीकृत की गयी थी उसमें इजाफा नहीं किया गया लेकिन बहन कुमारी मायावती जी

जो उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री हैं ने एक साहसिक कदम उठाकर लगभग 35 हजार रुपये का सर्वजन महामाया आवास बनाकर सबको देने का निर्णय लिया।

इसी तरह से मान्यवर, पूरा सदन विदित है कि शहरों में जो गरीब समाज के लोग रहते थे, उनके पास आवास नहीं था, फुटपाथ पर अपनी जिंदगी व्यतीत करने को मजबूर थे। लेकिन धन्य है, उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी जिन्होंने इस उद्देश्य के तहत ऐसे मसीहा जिन्होंने पैदल चलकर के जो समाज जीरो पर पहुंच गया था, उस समाज के चेहरे पर खुशहाली लाने का काम किया, ऐसे महान मान्यवर, कांशीराम शहरी ग्राम योजना के तहत प्रत्येक जनपद में लगभग 1500 आवास बनाकर उनको मालिकाना चाबी देने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। इस तरह से प्रदेशवासियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 988 नई बसों का संचालन किया गया जो अपने आप में अद्वितीय है। इसी कड़ी में माननीय अध्यक्ष जी आप अवगत हैं कि आज शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए हमारी सरकार ने कक्षा-1 से लेकर कक्षा-8 तक समस्त बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का कार्य किया है। इसी कड़ी में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युतीकरण का कार्य भी जारी है जो आजादी के इतिहास में पहला कदम उठाने का कार्य बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। मान्यवर, ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर से चाहे इस प्रदेश में चहुमुखी विकास की बात हो, चाहे कानून का राज स्थापित करने की बात हो, चाहे सदियों से उपेक्षित हर समाज के लोगों को न्याय और सम्मान दिलाने की बात हो, अगर इसको किसी ने करने का काम किया है तो वह उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। इसलिए आज मेरा कहना है कि मान्यवर, इसी प्रकार प्रदेश की महान जनता के हित के लिए, तमाम सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को संचालित कर इस प्रदेश की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने उस कहावत को चरितार्थ कर दिया है कि याद करता है जमाना उन्हीं इंसानों को जो रोक दिया करते हैं बढ़ते हुए तूफानों को जिन्दगी कदम चूम लेती है जो सजा देते हैं उजड़े हुए वीरानों को तो मान्यवर, आज बहन कुमारी मायावती जी ने इस प्रदेश में सदियों से उपेक्षित समाज को जो सम्मान दिया है उसके लिए पूरा उत्तर प्रदेश बहन कुमारी मायावती जी की तरफ भरी निगाहों से देख रहा है। मान्यवर, पुनः मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत।

*श्री बृजेश सौरभ-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं अपने प्रदेश की मुख्य मंत्री हमारी संरक्षक बहन कुमारी मायावती जी का और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं आपके प्रति जो आपने मुझे इस गरिमामयी सदन के बीच माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिये गये अभिभाषण पर अपने समर्थन के लिए अपनी बात कहने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं शुरू करता हूं अपनी बात, अपनी सरकार के उस मूल मंत्र की ओर से, जहां पर हमारी सरकार ने एक नारा दिया। "सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय"

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस नारे के अनुसार हमारी सरकार ने जो नीति बनायी वह हमारी सरकार के आगे बढ़ते हुये कदमों का एक मूल मंत्र रहा है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि बहन कुमारी मायावती जी की संकल्पना और बाबा साहब का सपना दोनों ही इस मूल मंत्र के सोपान है। बाबा साहब ने समाज के शोषितों, पीड़ितों, गरीबों, दलितों एवं सर्वहारा के उत्थान के लिये जीवन पर्यन्त संघर्ष किया था। मान्यवर, बहन जी ने अपनी चौथी पारी 16 वर्ष बाद बहुमत की सरकार प्रदेश को देकर के प्रदेश को एक बहुत बड़ी राहत दी थी। एक स्थिर सरकार देकर के प्रदेश में जो अस्थिरता का माहौल था उस पर नियंत्रण लगाया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश में हमारी बहुमत की सरकार से पहले प्रदेश में जंगल राज कायम था, गुण्डाराज कायम था यहां पर कानून का राज नहीं चलता था, यहां पर जंगल राज के चलते आम जनता का जीना दूभर हो गया था। लेकिन मैं बधायी देना चाहता हूं अपने प्रदेश की मुख्य मंत्री बहन मायावती जी को, जिनकी बहुमत की सरकार में जो गुण्डा राज जो जंगल राज कायम था उसका खात्मा हुआ और यहां पर कानून का राज कायम हुआ और वह अपराधी जिनसे प्रदेश की जनता दहशत में रहती थी प्रदेश और समाज दहशत में रहता था। वह अपराधी घुटने टेकने पर विवश हुए और उन अपराधियों को कहीं न कहीं इस बात के लिये अच्छा जीवन जीने के लिये कि मजबूर किया गया और शराफत की जिन्दगी जीने के लिये और जनता के बीच में रहने के लिये उनको अवसर दिया गया है मान्यवर।

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

शांति बनाये रखें।

श्री बृजेश सौरभ-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज सरकार की योजना के बीच में एक तथ्य देना चाहता हूं हमारी सरकार ने हमारे बीच में जनता और गरीबों के लिये उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब योजना की शुरूआत की और इस योजना के द्वारा समाज के उन परिवारों को जो किसी भी सरकारी योजना के द्वारा आच्छादित नहीं थे, उनको 300 रुपये प्रति माह दिये जाने का प्राविधान हमारी सरकार ने किया और इस बात को निश्चित किया कि मान्यवर, प्रत्येक गरीब परिवार में 300 रुपये की मदद मिलने से कम से कम दो जून चूल्हा जलाये जाने की गारण्टी हमारी सरकार ने सुनिश्चित की है। यह बहुत बड़ा काम हमारी सरकार ने किया था। मान्यवर, महंगाई की चर्चा अगर न की जाये तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर सदन में चर्चा अधूरी मानी जायेगी। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में, देश में खाद्यान्नों की बढ़ती कीमतें आसमान छू रही हैं। खाद्य पदार्थों और तेलों की कीमतें आसमान छू रही हैं और स्थिति यह आ गयी है कि आज देश का, प्रदेश का 80 प्रतिशत किसान जो हमारे लिये अन्नदाता का काम करता रहा है जिसने प्रदेश को और देश को हमारी आबादी को पेट भरने का काम किया है। वही किसान मजबूर होकर के मंहगाई की इस लपट में जलकर के ध्वस्त होने की कगार पर खड़ा है और केन्द्र सरकार में एक मंत्री जी जो राजनीति के साथ ज्योतिष के भी महारथी हो गये हैं उन्होंने पहले ही बताया कि अब फलों सामान मंहगा होने वाला है। दूध की कीमत मंहगी होने वाली है, बढ़ने वाली है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि दूध की कीमत बढ़ने की उनकी आशंका सच हो सकती है।

लेकिन लगता है कि गो-माता और भैसों ने उनका साथ नहीं दिया और उनके कहने पर दूध की मात्रा कम नहीं की वरना दूध की भी कीमत अब तक बढ़ गयी होती। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार में जिस तरीके से खाद्यान्न पदार्थों पर और बढ़ती हुयी कीमतों पर रोक लगाने की जरूरत थी। कालाबाजारी और जमाखोरों पर शिकंजा कसने की जरूरत थी केन्द्र सरकार ने उन जमाखोरों और कालाबाजारियों को संरक्षण देकर के निश्चित तौर पर देश की जनता को मंहगाई की लपट में जलने के लिये मजबूर किया था। मान्यवर, मैं एक बात से और अवगत कराना चाहता हूं कि मान्यवर, भला हो हमारी प्रदेश की मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती का कि उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुयी कीमतों पर अंकुश लगाने के लिये हमारे सरकारी अमले को चुस्त-दुरुस्त किया गया कि जहां पर कालाबाजारी और यह जमाखोर थे उन पर कार्यवाही करते हुए कम से कम प्रदेश की जनता को राहत देने का काम किया गया। मान्यवर, गन्ना उत्पादन में हमारा प्रदेश अग्रणी प्रदेश माना जाता था, लेकिन कहना पड़ेगा कि हमारी सरकार ने 25 रुपये प्रति कुन्तल दाम बढ़ाकर के गन्ना किसानों को राहत देने का काम किया लेकिन केन्द्र सरकार वहां पर केन्द्र में बैठे हुए सरकार और मंत्री इस बात के लिए कभी ध्यान नहीं देते हैं कि जो उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन करता है वहीं के किसान 60 रुपये और 70 रुपये किलो चीनी खाने के लिये मजबूर हुए हैं इसमें निश्चित तौर पर कहीं न कहीं केन्द्र सरकार की नीतियों का अन्तर रहा है, वरना इस चीनी की कड़ुवाहट को हमारे प्रदेश की जनता जिस कदर महसूस कर रही है इसको महसूस करने के लिए विवश न होती। मान्यवर, हमारी सरकार के ढाई वर्ष के काल में कोई साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ।

हमारे प्रदेश में सभी महत्वपूर्ण त्योहार जितने भी चाहे हिन्दू धर्म के हों, चाहे हमारे मुस्लिम समाज के हों, सभी त्योहार आपसी भाई चारे और सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में मनाये गये। मान्यवर, हमारी सरकार में लोक सभा का चुनाव सम्पन्न हुआ, निरापद चुनाव हुआ। मान्यवर, हमारी सरकार में अभी चर्चा कर रहे थे स्थानीय प्राधिकारी चुनाव के सन्दर्भ में हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे इसके लिए मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि मान्यवर, किसी हमारे साथी ने कहा कि पिछले चुनाव में हमारे प्रत्याशी नहीं खड़े हुए थे। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि मित्रों आपको लगता है कि पेटेण्ट का एक काम आपके जिम्मे है, जैसे कोई विदेशी कम्पनियां कोई बड़ा प्रोडक्ट लान्च करती है तो उस पर उनका पेटेण्ट का अधिकार होता है। वैसे ही लगता है हमारे विपक्ष के साथियों का अपहरण और बलात् बूथ पर कब्जा इनका पेटेण्ट है, उस पर कोई दखल नहीं दे सकता, अगर दखल देगा तो निश्चित तौर पर इनको लगता कि इनके पेटेण्ट में दखल है। मान्यवर, मैं अवगत कराना चाहता हूं कि आज आप यह प्रश्न करते हैं कि हमारे 34 एम0एल0सी0 जीत कर के आये, मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमारी सरकार की नीति गलत होती, हमारी सरकार के काम गलत होता तो हम दो सीटें प्रतापगढ़ और रायबरेली न जीत सकते ऐसा संभव नहीं था, यह लोकतंत्र की हमारी ताकत की मिसाल है कि प्रतापगढ़ और रायबरेली अगर हम लोगों ने छोड़ दिया इसका मतलब आप मान लीजिए कि निश्चित तौर पर ....

(विपक्ष के अनेक सदस्य अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री बृजेश सौरभ-

छोड़ने के अर्थ को आप समझिये कि प्रतापगढ़ और रायबरेली जैसे मुद्दे पर अगर हमारी सरकार ऐसा काम कर रही होती मान्यवर, तो प्रतापगढ़ और रायबरेली सीटें हम हारते न। मान्यवर, आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने लोकतंत्र की ताकत को बहाल किया है। हमारी सरकार ने भाईचारा के साथ निष्पक्ष चुनाव का सम्पादन कराया है। कानून व्यवस्था और मजबूत करने के लिए हमारी सरकार ने पुलिस बल में दो लाख जवानों की भर्ती का एलान किया और मान्यवर, आज 35 हजार जवानों की भर्ती हमारी प्रक्रिया में पूरी हो चुकी है। एक बात विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार में किसी एक बिरादरी को पुलिस की वर्दी पहनने के लिए कभी मौका नहीं दिया गया, यह हमारी सरकार ने तय किया कि जो जितना योग्य होगा, उसको उतना सेवा करने का अवसर दिया जायेगा और मान्यवर, पिछले आंकड़े उठाकर देखे जा सकते हैं और हमारी सरकार की भर्ती प्रक्रिया की तुलना की जा सकती है कि हम 35 हजार जवानों की भर्ती निष्पक्ष तरीके से करते हैं तो भारत सरकार हमारी तारीफ करती है और कहती है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती प्रक्रिया हिन्दुस्तान में अनूठी है, ऐसी प्रक्रिया मिसाल बन गई है और देश के अन्य प्रदेशों को कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती प्रक्रिया को मोड्यूल बनाकर के सारे प्रदेश अन्य विभागों में भर्ती की ऐसी प्रक्रिया को अपनायें। मान्यवर, हम आपसे कहना चाहते हैं, सदन को अवगत कराना चाहते हैं, खाद्यान्न के मोर्चे पर निश्चित तौर पर हमारा प्रदेश पिछले वर्ष कहीं पर बाढ़ और कहीं पर सूखे की मार की चपेट में था, लेकिन हमारी सरकार ने समय-समय पर किसानों को बीज और यूरिया और उर्वरक उपलब्ध कराकर के किसानों को विकास के लिए और कृषि के लिए जो काम दिये जाने चाहिए थे वह अवसर दिया था। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इसके विपरीत इस वर्ष 2009-10 में 495.5 मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन आंकलित किया गया है। निश्चित तौर पर हम लोग इस बात पर भरोसा करते हैं कि जो हमारा लक्ष्य है उससे कहीं ज्यादा लक्ष्य हासिल करने में कामयाब होंगे। मान्यवर, इसी तरह से जब पुरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी, हांफ रही थी उस वक्त हमारे देश और प्रदेश की जो विकास दर आंकलित की गयी थी उसके बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश का जो लक्ष्य आंकलित किया गया था 7.1 प्रतिशत उसके सापेक्ष लगभग हम लोगों ने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार से जो इस वर्ष हमारी आंकलित वृद्धि दर है उसके सम्बन्ध में हमें भरोसा है कि वह लक्ष्य हमारी सरकार हासिल कर लेगी। हमारे देश में मान्यवर, लगभग 28000 रु0 प्रति व्यक्ति आय आंकलित की गयी है। उसी संदर्भ में हमारे उत्तर प्रदेश के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय 12 हजार, 14 हजार से ज्यादा नहीं बढ़ रही थी, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में गठित सरकार के प्रयासों से प्रति व्यक्ति आय हमारे यहां की बढ़कर 18,700 रु0 हो गयी है। इसका श्रेय बहन जी को जाता है कि यह आय बढ़ी है। मान्यवर, इसी तरह से छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों को प्रदेश में लागू करने के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि जिस वक्त यह संस्तुतियां आयी थीं, हमारी सरकार ने सबसे पहले पायेदान पर खड़े होकर उसे लागू करने का काम किया। इस तरह से हमारी सरकार ने यह

सिद्ध कर दिया कि देश के राज्यों में अगर कोई बड़ा काम करने वाली सरकार है तो वह उत्तर प्रदेश की सरकार है। इसका पूरा श्रेय बहन कुमारी मायावती जी को जाता है। वे देश की अग्रणी मुख्य मंत्री सिद्ध हुई है।

मान्यवर, सड़कों के सम्बन्ध में अभी हमारे माननीय सदस्य त्रिभुवन दत्त जी बोल रहे थे। मान्यवर, किसी भी राज्य की उन्नति का सबसे बड़ा मंत्र है वहां की सड़कों का पूर्ण विकास। चाहे वह राष्ट्रीय मार्ग हो या राज्य मार्ग हो या यातायात के साधन हों। मान्यवर, विरासत में हमारी सरकार को जो सड़कें मिली थीं उनको सुधारने के लिये हमारी सरकार ने केन्द्र सरकार को धन उपलब्ध कराने के लिये प्रस्ताव भेजा था। लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन मार्गों के उचित रख-रखाव के लिये प्रदेश को कोई धन निर्गत नहीं किया गया है। केन्द्रीय मार्ग निधि के अन्तर्गत प्रदेश का एक भी प्रस्ताव नहीं लिया गया है। जबकि मैं केन्द्र सरकार से यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश का विकास किसी एक व्यक्ति या किसी एक दल का विकास नहीं होता है उसमें सबका विकास होता है। मैं चाहता हूं कि यहां पर सब लोग एक समवेत स्वर में इस बात की पुरजोर सिफारिश करें कि प्रदेश के राष्ट्रीय मार्गों और राज्य मार्गों के समुचित विकास के लिये केन्द्र सरकार धन उपलब्ध करायें। मान्यवर, हमारी सरकार ने अपने सीमित संसाधनों के होते हुए भी 2009 तक 1450 कि0मी0 लम्बी सड़कों के चौड़ीकरण और उसके सुदृढ़ीकरण का कार्य किया है। इसी तरह से 46 सेतुओं का निर्माण कार्य पूरा किया है। मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा डा0 अम्बेडकर ग्रामीण सड़क योजना लागू की गयी है जो पूर्व की डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना की संरचना का परिवर्तित रूप है। इसके अन्तर्गत 5598 ग्राम सभाओं को समस्त कार्यक्रमों से संतृप्त किया गया है। मान्यवर, हमारी सरकार का ध्यान प्रदेश के सुनियोजित औद्योगिक विकास के लिये भी है। इसी क्रम में, यमुना एक्सप्रेस-वे ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गीडा, लीडा, सीडा, बीडा आदि विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया है। मान्यवर, इतने लम्बे एक्सप्रेस-वे मार्गों के बनने से लोगों के समय की बचत होगी प्रदेश के ट्रांसपोर्टेशन की लागत कम होगी और हमारे प्रदेश का चहुमुखी विकास होगा और यह उत्तर प्रदेश देश में एक मिसाल कायम करेगा। इसी क्रम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हृदय स्थल मेरठ में बाबा साहेब डा0 भीम राव अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। मान्यवर, हमारी सरकार समाज के सभी वर्गों के समान विकास के प्रति प्रतिबद्ध है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री बृजेश सौरभ-

मान्यवर, अंत में मैं बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में गठित सरकार की उपलब्धियों के प्रति धन्यवाद देता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे धन्यवाद के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय त्रिभुवन दत्त जी द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

*नेता विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय।

किन्तु खेद है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इन संशोधनों के प्रस्ताव को पढ़ा हुआ माना गया तथा अन्य सदस्यों द्वारा दिये गये संशोधन भी प्रस्तुत किये हुए माने जायेंगे†।

[1-बहुजन समाज पार्टी के विधायकों, कार्यकर्ताओं द्वारा खुलेआम अराजकता फैलाने एवं आतंक का माहौल पैदा करने तथा शासन द्वारा विपक्ष के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर बोलने आदि पर पाबंदी लगाये जाने के सम्बन्ध में,

2-विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी सम्बन्धी कोई स्पष्ट नीति न होने के सम्बन्ध में,

3-नकली दवाइयों, नकली खाद तथा नकली सीमेंट की रोकथाम के सम्बन्ध में,

4-आसमान छूती मंहगाई के सम्बन्ध में,

5-सरकार द्वारा की जा रही विभिन्न मदों में फिजूलखर्ची रोककर, बुनकरों को सस्ता सूत तथा उन्हें सस्ती बिजली देने के सम्बन्ध में,

6-राज्य कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा बहाल किये जाने के सम्बन्ध में,

7-राज्य कर्मचारियों को वर्ष 2009 में देय बोनस न दिये जाने के सम्बन्ध में,

8-प्रदेश में नहरों की सफाई तथा सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,

9-गन्ना किसानों की जीवन्त समस्याओं तथा उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिये जाने के सम्बन्ध में,

10-पिछली सरकार की तरह गरीब लोगों की लड़कियों की शादी के अनुदान के सम्बन्ध में,

11-प्रतिपक्ष के नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न रोके जाने के सम्बन्ध में,

12-प्रदेश में रासायनिक खाद विशेष रूप से डी0ए0पी0 एवं यूरिया के अभाव के सम्बन्ध में,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 265-422 पर।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

13-हत्या, अपराध, लूट, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधियों के राजनैतिक संरक्षण को रोकने के सम्बन्ध में,

14-चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाओं का अभाव तथा ग्रामीण अंचलों के अधिकांश चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में,

15-छात्र यूनियन का चुनाव कराने के सम्बन्ध में,

16-बुन्देलखण्ड में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या के सम्बन्ध में,

17-सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने के सम्बन्ध में तथा

18-रंगनाथ मिश्रा कमेटी की सिफारिशों के अनुसार 15 प्रतिशत आरक्षण अल्पसंख्यकों को दिये जाने के सम्बन्ध में।"]

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, सबसे पहले हम आपके आभारी है आपने जो माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा जिससे माननीय राज्यपाल महोदय चर्चा कराना चाहते हैं पहले तो यह प्रस्ताव पढ़ा ही नहीं गया है और अभी माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अब कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह राज्यपाल महोदय का पद भी संवैधानिक है, मुख्य मंत्री का पद भी संवैधानिक है और यह विधान सभा संविधान के अनुसार चलती है। माननीय राज्यपाल महोदय को प्रस्ताव करना चाहिए था क्योंकि मुख्य मंत्री पूरे उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री होता है किसी एक दल का मुख्य मंत्री नहीं होता है। नेता सदन चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष नेता सदन पूरे सदन के हुआ करते हैं लेकिन 2 साल 8 महीने में केवल सत्ता पक्ष के विधायकों ने तो समझा होगा लेकिन विपक्ष के विधायकों की उपेक्षा हर मामले में हुई है तो राज्यपाल महोदय को घोषणा यहां करना चाहिए था कि नेता सदन केवल सत्ता पक्ष की, बहुजन समाज पार्टी की नेता है पूरे सदन की नेता नहीं है। लगातार उपेक्षा और यहां तक कि अगर किसी विपक्ष ने सुरक्षा मांगी, खतरा है तो कोई सुरक्षा नहीं विपक्ष के विधायकों को। अभी बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे माननीय सदस्य कि यह सड़क बना दी वह सड़क बना दी। माननीय पी0डब्लू0डी0 मंत्री भी बैठे हैं समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, मुख्य मंत्री नेता मुलायम सिंह यादव जी थे जो सड़कें उस समय स्वीकृत हुई थी उसमें पैसा भी एलाट हो गया था केवल वही सड़कें बनी हैं नहीं तो सूची पेश कर दें नई सड़कें कितनी बनी हैं ? आपको ध्यान होगा कि जब मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे तब चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, 7 कि0मी0 और 5 कि0मी0 सड़कें प्रत्येक विधायक के प्रस्ताव पर दी गयी थी। इसी तरह सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, सभी विधायकों को 225 हैण्डपम्प दिये गये थे। लेकिन इस सरकार ने विपक्ष के लोगों को एक भी हैण्ड पम्प नहीं दिया, केवल सत्ता पक्ष को ही दिया है। क्या एक भी सड़क विपक्ष के लोगों के प्रस्ताव पर दी गयी ?

(नहीं दी गयी की आवाजें)

तो मैं कैसे मानूं कि आप पूरे सदन की नेता हैं। आपकी तरफ से सबके साथ एक समान व्यवहार होना चाहिये था। यहां सभी दलों के नेतागण बैठे हैं। किसी भी विपक्ष के सदस्य को

एक भी सड़क या एक भी हैण्डपम्प नहीं मिला और न ही उनसे कहीं पूछा ही गया। अगर किसी को खतरा है तो इस सरकार में उसको सुरक्षा भी प्रदान नहीं की गयी।

मान्यवर, क्या कभी इस बात पर सोचा गया कि मंहगाई इतनी क्यों बढ़ी। वैट कानून लगाने से तो मंहगाई बढ़ी, लेकिन बालू, गिट्टी, मौरंग के दाम क्यों बढ़े। मैं बताना चाहता हूं कि क्या आपने कभी सुना होगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी आपके नाम पर गुण्डा टैक्स वसूला जाता है। क्या कोई गरीब आदमी आज की तारीख में एक कमरा भी बनवा सकता है। अभी आवास की बात हो रही थी लेकिन क्या आज की तारीख में 30 हजार रुपये में इन्दिरा आवास बन सकता है। नहीं बन सकता है। क्योंकि गिट्टी, बालू, मौरंग इतने मंहगे हो गये हैं। यह गुण्डा टैक्स बुन्देलखण्ड में जी0टी0 के नाम से जाना जाता है।

आपने किसानों के लिये क्या कर दिया। क्या आज भी गन्ना किसानों का एक हजार करोड़ से ज्यादा बकाया नहीं है। पहले भी हाउस में घोषणा की गयी थी कि हम गन्ना किसानों का पैसा मय ब्याज के देंगे लेकिन नहीं दिया गया। आज चीनी कितनी मंहगी हो गयी। जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी तो उस समय 12 रुपये किलो चीनी का दाम था और उस समय गन्ना किसानों को गन्ने का मूल्य 125-130 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा था। लेकिन आज चीनी का दाम 48 रुपये किलो है तो उस हिसाब से गन्ने का मूल्य कम से कम 500 रुपये प्रति क्विंटल मिलना चाहिये।

(कई सदस्यों के हंसने पर)

आप किसानों के नाम पर हंस रहे हैं। यह तो घोटालों की सरकार है। एक दो नहीं, कितने ही घोटाले इस सरकार के कार्यकाल में होते चले जा रहे हैं। सरकारी राजस्व की हानि हो रही है। आज आबकारी मंत्री जी बैठे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष जी अपने समय की बातें बयां कर रहे हैं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

अपने समय की नहीं आपके समय की बातें बता रहे हैं। हमारे समय में यह घोटाले नहीं थे।

श्री अध्यक्ष-

कृपया शान्त रहें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, आबकारी विभाग में सरकारी राजस्व की कितनी हानि हुई। केवल एक शराब माफिया को पूरा उत्तर प्रदेश, कम से कम बीस हजार करोड़ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मान्यवर, वह अगर आना था तो राजस्व में आना चाहिए था तो उससे उत्तर प्रदेश का विकास हो सकता था। पता नहीं वह आबकारी मंत्री जी के माध्यम से वह मुख्य मंत्री जी के खजाने में जा रहा है या नहीं। करीब लगभग पांच सौ करोड़ रुपये से सात सौ करोड़ रुपये के बीच में सरकारी ....

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, आबकारी विभाग मेरे पास हैं और नशा नेता प्रतिपक्ष को हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है इस पर दो लाइनें मुझे याद आ गयीं। उस विभाग का असर नेता प्रतिपक्ष पर इतना गहरा है कि मुझे अभी बैठे-बैठे दो लाइनें याद आ गयीं :-

"नेता प्रतिपक्ष के कदम ऐसे डगमगाये-सदन यह समझा नेता प्रतिपक्ष पीकर आये।

इन पर वही असर है और वहीं बोल रहे हैं, समझें हम असलियत क्या है।"

मान्यवर, वह खुद जानते होंगे। विभाग इधर है, असर उधर है। अरे भाई मेरे पर असर नहीं है आप पर क्यों असर हो रहा है ?

डा0 कौशल किशोर-

मान्यवर, मुझे भी एक शेर याद आ गया।

श्री अध्यक्ष-

अरे डा0 साहब, मुशायरा नहीं हो रहा है।

डा0 कौशल किशोर-

'तीर तुमने चलाया तो कोई बात नहीं, जख्म हमने दिखाया तो बुरा मान गये।'

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, आबकारी विभाग का पैसा सरकारी विभाग में आना चाहिए था, उस पैसे से प्रदेश का विकास हो सकता था। वैसे तो आबकारी मंत्री जी मैंने तो कभी छुआ भी नहीं।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा चलिये, छुआए तो होंगे।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, आज के समय में केवल जमाखोरों, मुनाफाखोरों और कालाबाजारी करने वालों के लिए खुली छूट है। इन पर बन्दिश लगाना चाहिए था, मंहगाई पर रोक लगाना चाहिए था लेकिन केवल पत्र लिखने से मंहगाई नहीं रुकती। मैंने तो केवल पत्र लिख दिया पूरी जिम्मेदारी दूर हो गयी। मंहगाई पर रोक लगाना चाहिए था, जमाखोरों को पकड़ना चाहिए था लेकिन खुली छूट है। अभी कितनी सर्दी पड़ी थी लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी अलाव की व्यवस्था नहीं थी और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ठण्ड से मौते हुई हैं, लगभग 1000 से ज्यादा लोग ठण्ड से मर गये। गरीबों के कम्बल वितरण में घोटाला हो गया। 125 रुपये का कम्बल 297 रुपये में खरीदा गया, उसका पेमेण्ट भी हो गया। इतना हल्का कम्बल शायद वह भी गरीबों तक नहीं पहुंचा। आप लोगों ने कहीं बंटते देखा कहीं पर भी नहीं बंटा।

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों द्वारा बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

कृपया शांत रहिये, नेता प्रतिपक्ष जी बोल रहे हैं उनको सुनिये।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, आप जानते हैं कि गरीबों को दो बार का भोजन भी नहीं मिल पाता। जब खाली पेट होता है तो सर्दी भी ज्यादा लगती है। उत्तर प्रदेश में इस सर्दी में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं और सबसे ज्यादा कौन मरे, दलित मरे। इस सर्दी में दलित सबसे ज्यादा मरे। वैसे तो सरकार रोज ढिढोरा पीटती रही है कि दलितों के लिए यह कर दिया, दलितों के लिए वह कर दिया लेकिन सबसे ज्यादा मुख्य मंत्री जी आपकी ही जाति के लोग इस सर्दी में मरे हैं। किसानों के लिए आपने क्या किया ? गेहूं में घोटाला हो गया। गेहूं खरीद में घोटाला और करीब 2600 करोड़ का घोटाला हो गया। मान्यवर, आपने देखा होगा, जब बुवाई का वक्त था तो बिना खाद के किसानों की बुवाई करनी पड़ी और सेण्टर पर किसान गया उसको एक बोरी खाद के लिए तो पूरे दिन लाइन में लगना पड़ा, खाद नहीं मिली और लाठियां खाकर वापस लौटना पड़ा। डी0ए0पी0 खाद मिलनी चाहिए थी 400 रुपये प्रति बोरी, लेकिन ब्लैक में 600 से 700 रुपये में मिली। किसानों को खाद कहीं भी नहीं मिला। यूरिया खाद की कमी कभी नहीं पड़ी लेकिन आज यूरिया खाद भी ब्लैक में मिल रही है। नहरों में पानी नहीं है, खाद्यान्न की कमी तो होना ही है। 4 महीने पानी नहीं आया और गेहूं की फसल को पहला पानी भी नहीं मिल पाया। अभी तक कम से कम 4 बार पानी मिलना चाहिए था।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर)

मान्यवर, बिजली मिल नहीं रही है, बिजली कितनी मिल रही है। वायदा तो है 10 घण्टे बिजली दी जा रही है लेकिन गांवों में 4 घण्टे भी नहीं जा रही है, 10 घण्टे का वायदा है, 4 घण्टे भी बिजली नहीं जा रही है। नहरों में पानी नहीं जा रहा है, खाद नहीं मिल रही है। चावल में कितना घोटाला हो गया। चावल की धान की खरीद में धान की कीमत मिलनी चाहिए एक हजार 50 रुपये जबकि सूखा पड़ा हुआ था उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से सूखा पड़ा था अगर सूखा नहीं पड़ा होता तो धान कितने में होता। सूखे में 20-25 प्रतिशत से ज्यादा धान नहीं हुआ उसके बावजूद किसानों को इतना कम मूल्य मिल रहा है। आज किसानों का मण्डी में कोई धान खरीदने वाला नहीं है अगर ठीक ठाक बरसात हो गयी होती सूखा न पड़ा होता तब तो किसान बरबाद हो जाता। आज 600-700 रुपये में कोई धान खरीदने वाला नहीं है अध्यक्ष जी आप देख रहे हैं कि चावल को कोई खरीदने वाला नहीं है आज कृषि आधारित उद्योग पूरे के पूरे बन्द है। सेहला धान कोई खरीदने वाला नहीं है। उसकी वजह से धान 600-700 में बाजारों में बिक रहा है। अब तो बिचौलिए भी धान नहीं खरीद रहे हैं। जो चावल गरीबों को बांटने के लिए होता है वह चावल बिचौलियों ने खरीद कर गोदामों में भर लिया है कितना बड़ा घोटाला चावल में हुआ है। अभी बात कर रहे थे कि मैंने यहां पर फोर्स की भर्ती शुरू कर दी है वन विभाग आपको याद होगा कि वन विभाग में कितने पेड़ लगे उसमें कर्मचारी भर दिये गये थे। कर्मचारियों ने पूरे वन विभाग को खत्म कर दिया। पूरे उत्तर प्रदेश के बजट का अधिकांश हिस्सा पत्थर की इन मूर्तियों, स्मारकों पर खर्च किया जा रहा है। अब इन मूर्तियों, स्मारकों की रखवाली के लिए फोर्स की भर्ती होगी। देख लेना मुख्य मंत्री जी जो फोर्स आप भर्ती करेंगी वही इन्हें खा जाएगा। मान्यवर, जो यहां मूर्तियां लगी हुई है। क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई महापुरुष पैदा नहीं हुआ देश की आजादी में जिन्होंने बलिदान दिया उन शहीदों की किसी को याद नहीं आयी। यहां पर एक सुभाष चौक था वैसे तो इसमें कहा गया है सही है कि लखनऊ गंगा जमुनी तहजीब का शहर है और गंगा जमुनी तहजीब का जब शहर है तो उसको कायम रखना चाहिए था, लखनऊ शहर की इस शान को बढ़ाना चाहिए था

लेकिन लखनऊ के इस गौरवशाली इतिहास को भुलाये जाने की कोशिश की जा रही है। सुभाष चौक का नाम अगर जब यहां पर पहले से था। सुभाष चन्द्र बोस जो आजादी की लड़ाई में शहीद हुए थे। (शोर) आज तक उनका पता नहीं। आजादी की लड़ाई के लिये (शोर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त रहें। यह लापता वाले भी शहीद होते हैं। (शोर) शान्त रहिये आप लोग। नेता प्रतिपक्ष जी की बात सुनिये कितना गम्भीर है। (हंसी) आप लोग शांति से सुनिये। कोई बोलेगा नहीं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, आजादी की लड़ाई में हमारे बहुत महान नेताओं ने भाग लिया था। बहुतों की जानें गयी थी। शहीद हुए थे। उनके नाम पर कुछ यहां पर बनाना चाहिए था लेकिन पता नहीं [x x x] जिन्हें उत्तर प्रदेश के लोग जानते भी नहीं (शोर)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, अब यह तो गलत बात मान्यवर, बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर, छत्रपति शाहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा राव फूले जैसे लोगों के बारे में अगर इस वाक्य का प्रयोग किया जायेगा। मान्यवर, हम सदन की गरिमा के अनुसार माननीय नेता प्रतिपक्ष की इज्जत करते हैं लेकिन मान्यवर, इस बात को वापस लेना चाहिए। यह गलती उन्होंने की है। अगर यह कहा कि [x x x] यह बात मान्यवर, मैं चाहूंगा कि प्रोसीडिंग से इसको निकाल दें।

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष जी, किसी भी महापुरुष जो इस देश के किसी कोने में पैदा हुए, कहें कि [x x x] यह तो गलत बात है, इसको कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

श्री राम शिरोमणि शुक्ल-

यह [x x x] आये, पहले यह बता दें।

श्री अध्यक्ष-

शांत रहे शुक्ला जी, नेता प्रतिपक्ष को बोलने दें। वह कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, हम सभी महान व्यक्तियों का सम्मान करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को लिखा था। संविधान सभा के अध्यक्ष थे। लेकिन बाबा साहब के संविधान का आप लोगों को पालन करना चाहिए था। इस विधान सभा का गठन भी तो संविधान के अनुसार हुआ है। क्या संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अगर संविधान का पालन न करें ? क्योंकि आप सब लोगो ने मंत्री बनते समय शपथ ली थी कि हम भेदभाव नहीं करेंगे। राग-द्वेष के बिना काम करेंगे। क्या उस शपथ का प्रयोग सही हो रहा है ? भेद-भाव नहीं हो रहा है, विपक्ष के साथ ? क्या विपक्ष के लोगों का कभी सम्मान किया है। इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब जनता के सामने सब आते हैं। तो सरकारें तुरन्त बदल जाती है।

(शोर)

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

हां बदली है।

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, इसलिए संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग संविधान का पालन नहीं करेंगे तो हमारे प्रदेश का भला नहीं हो सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने यह थोड़े ही सिखाया था, कभी बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी मूर्ति कहीं नहीं लगाई थी न कहीं सिखाया था। उन्होंने कभी यह नहीं कहा था कि अपनी मूर्ति लगा दें। कभी किसी ने जिन्दा रहते अपनी मूर्ति नहीं लगाई। यह पहला उदाहरण है बाबा साहब अम्बेडकर ने कहीं यह नहीं कहा है कि उत्तर प्रदेश का पूरा बजट का पैसा मूर्तियों में लगा दो। सैफई की बात करते हैं सैफई में कोई मूर्ति लगी है। सैफई में बना है मेडिकल कालेज जाकर मुख्य मंत्री जी देख लेना, एक भी बेड खाली नहीं है और यहां तक कि पैरामेडिकल कालेज का पैसा भी आप लोगों ने रोक दिया है। सड़कें बनी होंगी, अस्पताल बना होगा, ब्लाक बनी, तहसील बनी, यही तो काम हुए पता लगा लेना ....

श्री लालजी वर्मा-

माननीय नेता प्रतिपक्ष संविधान की दुहाई देते हैं मान्यवर, आपको भी याद होगा 2 जून, 1995 को केवल बहुजन पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव बहन कुमारी मायावती जी ने इस बात की चिट्टी राज्यपाल को दिया कि हमारा दल समर्थन नहीं करता है और उसके बाद मान्यवर, गेस्ट हाउस में क्या हुआ था, क्या यह संविधान के अनुसार होना था। क्या मान्यवर, यह लोकतंत्र की हत्या नहीं थी। मान्यवर, आज अभी सैफई की बात कर रहे हैं तो हमने तो पूरा पैसा देकर बनवाया है चलवाया है और पूरे ढंग से सैफई का मेडिकल कालेज चल रहा है और आपको अवसर मिला था तो आप अम्बेडकर नगर से पैसा उठाकर सैफई ले गये।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोगों का कहीं पर भी कोई इरादा नहीं था। कोई घटना भी नहीं हुई। इतना जरूर हुआ कि झूठी रिपोर्ट लिखा दी गई। मेरा नाम लिखा दिया गया हम तो लखनऊ में थे भी नहीं, बहुत से साथी लखनऊ में नहीं थे। पता लगा लेना हम लखनऊ में नहीं थे। बहुत से साथी लखनऊ में नहीं थे और झूठी रिपोर्ट लिखा दी गई।

श्री लालजी वर्मा-

महामहिम राज्यपाल ने स्वीकार किया कि घटना हुई और उन्होंने इसी घटना पर सरकार को डिसमिस किया।

(शोर)

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी यह सच बात है कि एक घटना हुई।

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मेरी ओर इंगित किया है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं-नहीं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, यह सच बात है कि एक घटना हुई लेकिन उससे जुड़ी इतनी फर्जी रिपोर्ट हुई कि घटना से ज्यादा उसमें फर्जीगीरी हुई, यह बात सही है, यह मैं कहना चाहता हूं और मान्यवर, आप स्वयं वहां पर थे बहुत सारे सदस्य भी वहां पर थे लेकिन उसकी इतनी ज्यादा फर्जी रिपोर्टें हुईं, इतना ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर, लेकिन मान्यवर, उस तरह की वह घटना नहीं थी।

श्री लालजी वर्मा-

और मान्यवर, महामहिम ने नोटिस लेकर सरकार बर्खास्त की। इसके बाद भी मा0 चौधरी साहब कह रहे हैं कि झूठी एफ0आई0आर0 हुई। मान्यवर, इन लोगों की वही कहावत है कि अपराध करो चाहे जितना और सीना जोरी भी करो।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, वह असंवैधानिक था और सत्र बुलाया जा चुका था और सरकार को मौका भी नहीं दिया था, बहुमत साबित करने का, वह असंवैधानिक था। जब हाऊस बुला लिया गया था तो हाउस के अन्दर बहुमत सिद्ध होना चाहिये था। बहुमत अगर होता तो सरकार बनाते, वह तो बीजेपी और यह मिल करके न किये होते तो मा0 मुख्य मंत्री जी हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा काम न कभी किया है न करेंगे लेकिन इतना आप से जरूर कहेंगे, संविधान के अनुसार सरकार चलें। यह विधान सभा संविधान के अनुसार चले क्योंकि, पिछला सत्र कितने दिन चला था, कितनी समस्यायें थी, प्रदेश के सामने ? एक वर्ष में कम से कम 90 बैठक और हर दो महीने बाद कम से कम 10 और 15 दिन सदन चलना चाहिये। पिछले वर्ष सदन कितना चला था ? पिछले साल ज्यादा से ज्यादा 11 दिन चला, 11 दिनों में क्या उत्तर प्रदेश की समस्यायें हल हो गई ? किसान लुट गया, बर्बाद हो गया। पानी मिला नहीं, खाद मिली नहीं, बीज मिला नहीं। उसने जो मेहनत से फसल को पैदा किया, उसका लाभकारी मूल्य नहीं मिला। गेहूं का जो 1080 रुपया मिलना चाहिये था, क्या 1080 रुपया गेहूं का किसान को मिला था ? धान का जो मूल्य 1050 रुपया था क्या किसान को मिला ? 600 रुपया, 700 रुपया। बर्बाद हो गया किसान, लुट गया किसान और लागत कितनी है, धान की लागत 900-950 रुपये कम से कम आती है, किसान की मेहनत अलग। तो कम से कम किसान को धान की कीमत 1500 रुपये देनी चाहिये। इस पर चर्चा चाहिये थी, इस पर बहस होनी चाहिये थी, खाद पर चर्चा होनी चाहिये थी। अभी अगर किसी की बात नहीं सुनी जाती है तो उसे लोकतंत्र में अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। अगर कोई बात नहीं सुनता है तो उसे प्रदर्शन, धरना, आन्दोलन करने का अधिकार है, लोकतंत्र में। अभी यहां पर धरना दे लेते थे लोग, विधान सभा के सामने अपनी बात कह लेते थे, अब धरना स्थल भी नहीं है, यहां पर गोमती के किनारे पर पता ही नहीं कि कहां पर धरना स्थल है। जब कोई समस्या होती थी, सत्तापक्ष के विधायक, विपक्ष के विधायक यहां पर चले आते थे, उनकी बात को सुन लेते थे और उनकी जायज बात को यहां पर सदन में भी रख देते थे। लेकिन अब

कोई सुनने वाला नहीं है। अभी कर्मचारियों का जो आन्दोलन हुआ, उनकी कुछ मांगे थी। किस तरीके से कर्मचारियों की पिटाई की गई, अपमानित किया गया और पिटाई करने के बाद खुलेआम डी0एम0 थप्पड़ मार रहा है और कर्मचारी को सस्पेंड भी कर दिया गया, थप्पड़ भी मारा और जेल में भी भेज दिया गया। आंगनबाड़ी के कर्मचारी, यहां तक कि कितनी ही महिलायें घायल हुई थीं। कितनी महिलायें, कितने मौलवी पीटे गये, कितने छात्र पीटे गये। छात्रों की क्या मांगे थी। एक ही थी कि हमारी बढ़ी फीस कम कर दो और छात्र संघ का चुनाव करा दो। छात्रों पर कितनी लाठियां पड़ी। क्या छात्रसंघ के चुनाव नहीं हुए हैं। अब यहां के अधिकारियों की नौकरशाही का क्या हाल है। बिल्कुल निरंकुश हैं। अधिकारियों का क्या कभी आपने सुना था कि आई0ए0एस0, आई0पी0एस0, प्रमुख सचिव, सचिव दलाली का काम कर रहे हैं। पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। चाहे अभी एम0एल0सी0 या स्थानीय निकायों के चुनाव हों, जिला अधिकारी से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर पूरे निर्देश दिये गये। जिला अधिकारी, एस0एस0पी0 को आदेश दिये गये कि बसपा का प्रत्याशी जीतना चाहिये नहीं तो तुम्हारे बस्ते जमा हो जायेंगे, तुम्हारे खिलाफ झूठा मुकदमा लिख जायेगा। तो यह प्रदेश में हो रहा है। आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 क्या कभी किसी ने सोचा था कि यह दलाली का काम करेंगे और इस सरकार में पंचम तल से सुबह से लेकर शाम तक केवल पैसा इकट्ठा करो, किसी की सुनवाई नहीं और यहां तक कि कानून व्यवस्था की जब बात चलती है तो यहां राजधानी में क्या हाल है। राजधानी लखनऊ में अपराध के मामले नम्बर एक पर है। पूरे प्रदेश में केवल लखनऊ में एक महीने के अन्दर 18 हत्यायें हुईं और मान्यवर, एक का भी खुलासा नहीं हुआ है। शहर के 37 थानों में 5 हजार एफ0आई0आर0 दर्ज कराई, 50 जघन्य अपराध ....

(इस बीच प्रेस दीर्घा की तरफ राष्ट्रीय लोकदल के सदस्य श्री पूरन प्रकाश गिर गये)

प्रदेश में गत 15 नवम्बर तक डकैती 130, लूट की 1439, हत्यायें .....

श्री महबूब अली-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक अनुरोध है कि 15-20 मिनट के लिये सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष-

जरा बैठ लो, माननीय विधायक जी को देख रहे हैं सिन्हा साहब।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, शुरू करा दीजिये, चलने दें। माननीय अध्यक्ष जी, माननीया मुख्य मंत्री ने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को भेजा है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य माननीया मुख्य मंत्री जी ने सब लोगों को लगा दिया है।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, मानवता के आधार पर सदन की कार्यवाही को 15-20 मिनट के लिये स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष-

आप सही कह रहे हैं, मानवता तो है ही, संवेदना सबकी है। मानवता के कारण ही माननीया मुख्य मंत्री जी ने लोगों को वहां पर लगाया।

ठीक है, 10 मिनट के लिये सदन को स्थगित किया जाता है।

(नेता विरोधी दल के भाषण के मध्य राष्ट्रीय लोकदल के सदस्य श्री पूरन प्रकाश के अस्वस्थ होकर गिरने के कारण सदस्यों के अनुरोध पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 3 बजकर 52 मिनट पर 10 मिनट के लिये स्थगित कर दी। 4 बजकर 2 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि यह सरकार घोटालों की सरकार है। धान खरीद में घोटाला हुआ, गेहूं खरीद में घोटाला हुआ, पी0सी0एफ0 एक संस्था है, उसमें खरीद में 50 लाख का चेक, इस चेक का नम्बर है, मैं यह आपके पास भेज रहा हूं, पूरा पैसा जो खरीद के लिये गया था कुशीनगर में, पूरे 50 लाख की धनराशि किसी ऐसे व्यक्ति के नाम निकाल लिया गया और वह खरीद का पैसा किसानों के बीच जाना चाहिये था और इस तरीके से किसानों को लाभ नहीं मिला और अभी तक इस तरीके से कई जिलों में फर्जी लोगों के नाम चेक काट कर के पूरा पैसा, खरीद का पैसा चला गया और निकाल लिया गया। ऐसे बहुत घोटाले हैं, ऐसे ही कम्बल में घोटाला और इसी तरीके दवाइयां, पूरे प्रदेश में दवाइयां, डुप्लीकेट दवाइयां उनमें घोटाला, तो यह क्या कम चीज है, घोटाले पर घोटाले। जनता का पैसा और इस तरीके से लूटा जा रहा है और माननीय अध्यक्ष जी, जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है और अधिकारी, जब हम लोग शिकायत करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है, अराजकता जैसी फैल गई है। मान्यवर, कांशीराम आवास योजनान्तर्गत आवास बन रहे हैं, लेकिन वह आवास केवल बहुजन समाज पार्टी के लोगों को मिल रहे हैं वह भी 10-10 हजार रु0 कम कीमत पर मिल रहे हैं। आप पता लगा लीजिये और इसकी जांच करा लीजिये। जबकि वह आवास मिलना चाहिये था गरीब तबके के लोगों को। आपकी पार्टी के कई अध्यक्षों को वह आवास मिले हैं। गरीब अगर 15-20 हजार रु0 नहीं दे सकता है तो उसको आवास सुविधा नहीं मिलेगी और जिन पर पैसा है आपकी पार्टी के आदमी है और जो लोग सबेरे से शाम तक दलाली करते हैं उनको वह आवास मिल रहे हैं। आप एक नहीं सभी जिलों की जांच करा लें। इसके अलावा निर्माण कार्यों में भी मिलावट बड़े जोरों से है। घटिया क्वालिटी का कार्य हो रहा है। सीमेंट की जगह बालू का इस्तेमाल हो रहा है। तो मान्यवर, इस तरीके से जनता के पूरे पैसे की लूट हो रहा है। मुझे पुरानी कहावत याद आती है कि सिंहासन खाली करो जनता आती है। आप सत्ता के घमण्ड में न रहें वह घमंड न करें। जनता की समस्याओं को देखें और उनको हल करें। लेकिन आप लोग उन समस्याओं को हल नहीं करना चाहते हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जो समस्यायें हैं उनको हल करे। चाहे सत्ता पक्ष के लोग समस्याओं को रखें या विपक्ष के लोग समस्याओं को रखें उनको आप हल करें। इसी प्रकार से जन प्रतिनिधियों का

सम्मान होना चाहिये उनके प्रति कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये। हम लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, जनता की समस्याओं को लेकर संघर्ष करेंगे।

हम लोगों ने मान्यवर, कभी कोई भेदभाव नहीं किया है। गुण्डागर्दी पर रोक लगाई है लेकिन आप लोगों ने गुण्डागर्दी को बढ़ावा दिया है, बढ़ावा दिया है। पूरे प्रदेश में गुण्डाराज और यहां तक कि सरकार ही गुंडई कर रही है कोई सुनने वाला नहीं है। अगर कोई गरीब आदमी अगर कहीं पर शिकायत करने जाता है झूठे मुकदमें लिखाये जाते हैं अगर झूठी शिकायत कर दी तो उसकी तो रिपोर्ट लिख जायेगी और जो पिट के गया है उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जायेगी बिना पैसे के हर थाने में लूट के अड्डे बन गये हैं, यह हालत हो गई है पूरे प्रदेश में। इसलिये आपसे हमारा अनुरोध है अध्यक्ष जी, इन सभी समस्याओं की ओर संविधान के अनुसार सरकार चलाइये अगर आपको बहुमत मिला है तो हमें भी विपक्ष और आपकी पोल खोलने का विरोध करने का यह दोनों, अगर सत्तापक्ष को राज्य करने का अधिकार मिला है तो हम लोगों को भी विपक्ष में आपकी पोल खोलने का अधिकार मिला है यह संविधान के दोनों अंग हैं। तो संविधान को ध्यान रखकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने यह कभी नहीं सिखाया था अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम का फायदा जरूर उठाना चाहते हैं। लेकिन बाबा साहब के मिशन को आप सब लोग आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कभी नहीं कहा था उन्होंने संविधान में अधिकार सत्तापक्ष और विपक्ष को जो अधिकार दिये थे आज उनका पालन नहीं हो रहा है। उनके मिशन को पीछे ढकेला जा रहा है। इसलिये माननीय नेता सदन, भेदभाव नहीं करना चाहिये चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, जो संविधान में अधिकार मिले हैं यहां तक कि मौलिक अधिकार भी, हम बोल नहीं सकते हैं हम कह नहीं सकते हैं अगर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। जबकि लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करना पालिटिकल लोग तो उन पर क्रिमिनल धारायें लग जायेगी और लगी है, बहुत से लोगों पर लगी है गुण्डा ऐक्ट लगा है, गैंगस्टर लगा है और यहां तक कि ऐसी ऐसी धारायें लगी हैं ऐसा तो अंग्रेजी के जमाने में भी क्रान्तिकारियों पर नहीं लगी थी। वह अगर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन कर दिया तो 7 क्रिमिनल ला ऐक्ट लग जायेगा, गुण्डा ऐक्ट लग जायेगा तो यह तो सीधा-सीधा जो संविधान में मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उनका पूरा पूरा हनन हो रहा है तो इसलिये माननीय अध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो संशोधन हमने रखा है तो इन संशोधन पर गम्भीरता से विचार होना चाहिये और जो राज्यपाल महोदय ने जो यहां पर जो 43 पेज की जो बुक दी है माननीया मुख्य मंत्री जी ने भी नहीं पढ़ा होगा और न इसे देखा होगा। इसके हर पृष्ठ की पोल खोलने में बहुत समय लग जायेगा। यह जो 43 पेज का अभिभाषण है वह पूरा झूठ का पुलिन्दा है। यह अभिभाषण किसी प्रमुख सचिव या सक्षम अधिकारी का तैयार किया हुआ नहीं है बल्कि इसे केवल बाबुओं द्वारा बना दिया गया है, लिख दिया गया है। इसे तो रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिये। मान्यवर, माननीया मुख्य मंत्री जी पूरे सदन की नेता नहीं हैं। अगर वह पूरे सदन की नेता होती तो पूरे सदन का वह ध्यान रखती। चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी का ध्यान रखतीं लेकिन विपक्ष के एक भी सदस्य का ध्यान नहीं रखा गया। विपक्ष के सदस्यों के साथ पूरी तरह भेदभाव किया गया है। अगर सत्ता पक्ष का भी कोई सदस्य सही बात लेकर जाता है तो उसकी कोई सुनवाई

नहीं होती। आज तक विपक्ष के किसी भी सदस्य की ओर नेता विपक्ष की एक भी भेंट माननीया मुख्य मंत्री जी से नहीं हुई है। मुख्यमंत्री जी के पास किसी से मिलने के लिये समय नहीं है। विपक्ष के लिये तो बिल्कुल भी समय नहीं है। मान्यवर, अगर यह विधान सभा संविधान के अनुसार चले और पूरे 90 दिनों तक बैठक चले तो सभी समस्याओं को यहां रखा जा सकता था। जो यह बजट की लूट हो रही है, वह सारी समस्यायें यहां रखी जा सकती थीं, किसानों की समस्याओं को रखा जा सकता था, कर्मचारियों की समस्याओं को रखा जा सकता था। इस सरकार में जो घोटाले पर घोटाले होते जा रहे हैं, उनको रोका जा सकता था।

मान्यवर, शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी आदमी के लिये बहुत आवश्यक है लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। केवल कमीशनखोरी, केवल लूट और इसके अलावा इस सरकार का कोई काम नहीं है। तो मान्यवर, यह तो केवल लूट-खसोट करने वाले लोग हैं इन्होंने प्रदेश को इस प्रकार से लूटा है कि हमारा प्रदेश बहुत पीछे चला गया है। लेकिन हम लोग, पूरे समाजवादी पार्टी के लोग इस लूट के खिलाफ और इस प्रदेश को आदर्श प्रदेश बनाने के लिये संघर्ष करते रहेंगे। हम जानते हैं कि जब हम लोग संघर्ष करेंगे, मान्यवर, यह उदाहरण है, उदाहरण इसलिये है कि जब संघर्ष हुआ, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ जो लड़ा तो अत्याचार और अन्याय करने वाले लोग दमन करते हैं। आप लोग तो जानते ही हैं कि [x x x] के जमाने में जब इमरजेंसी लगी थी तब कोई बाहर नहीं निकलता था, इसी तरीके से लोग डरते थे और जब चुनाव हुआ तो मा0 [x x x] जी हार गई थीं और 85 में 85 सीटें विपक्ष को मिली थीं, जनता पार्टी के लोग जीत गये थे [x x x] भी हार गई थीं। अगर जुल्म, अत्याचार और अन्याय करोगे तो देख लेना 2012 में वही हाल तुम्हारा भी होगा, आप लोगों का भी वही हाल होगा। क्योंकि सारे रिकार्ड टूट गये हैं, बेइमानी और भ्रष्टाचार के सारे रिकार्ड टूट गये हैं। किसी भी व्यक्ति की कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो इसलिये हम लोग तो संघर्ष करते रहेंगे। हम लोग प्रदेश के लिये, छात्रों के लिये, किसानों के लिये और मुसलमान भाइयों के लिये संघर्ष करते रहेंगे।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, सदन की एक सर्वमान्य परम्परा रही है कि जो इस सदन का सदस्य न हो और आदरणीय हो, बड़ा हो, उसका नाम यहां नहीं लिया जा सकता क्योंकि वह अपनी सुरक्षा के लिये अपनी बात नहीं कह सकता है। इसलिये मान्यवर, परम श्रद्धेय [x x x] का नाम शिवपाल जी अगर स्वयं हटाकर केवल आपातकाल कह दें तो ज्यादा उचित होगा और यदि न कहें तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कार्यवाही से आदरणीय [x x x] का नाम निकाल दें।

श्री अध्यक्ष-

चलिये ठीक है, निकाल दिया जायेगा।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, एक निवेदन कर लूं। मैं मा0 प्रमोद तिवारी जी की इस बात से शत प्रतिशत सहमत हूं कि जो इस सदन का सदस्य न हो उस पर कोई आक्षेपात्मक बात नहीं कही जानी चाहिये। लेकिन मान्यवर, यह कोई आक्षेप नहीं है, आप इसे देख लें, सन्दर्भ यह है कि उनकी हस्ती को इतना बड़ा मानते हुए और तुलनात्मक दृष्टि से यह बात मा0 नेता प्रतिपक्ष जी ने कही है कि उतने बड़े व्यक्तित्व के साथ यह स्थितियां हुईं इसलिये देश की प्रधानमंत्री जी की तुलना में मा0 मुख्य मंत्री जी अभी उस स्टेटस की नहीं हैं। यह तुलना है, आक्षेप नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि उनकी ज्यादतियों के खिलाफ चुनाव हुआ, क्या यह ज्यादती आक्षेप नहीं है ? उनके समय कोई निकल नहीं पाता था, यह सब क्या है ? मैं बहुत ही विनतीपूर्वक और आदरपूर्वक नेता प्रतिपक्ष जी से आग्रह कर रहा हूं मेरा तो चौधरी साहब से अनुरोध था कि आप स्वयं उन्हें सुझाव देते कि [x x x] का नाम निकाल करके आपातकाल कह दीजिये वरना मान्यवर, अगर यह परम्परा पड़ेगी तो इसके बाद में खड़ा होउंगा फिर [x x x]

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, मैंने [x x x] पर कोई आक्षेप नहीं किया है, आपातकाल उनके समय में लगा था।

श्री अम्बिका चौधरी-

कांग्रेस ने स्वयं आपातकाल के लिये क्षमा मांग ली, गलती मान ली।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी, इतिहास को तोड़ा-मरोड़ा न जाय। मेरा आग्रह है कि यदि नेता प्रतिपक्ष सम्मानपूर्वक इसे वापस नहीं लेते तो मेरा आपसे आग्रह है कि यह आक्षेप है, इसे देख लें और कार्यवाही से निकाल दें।

श्री अध्यक्ष-

कार्यवाही में [x x x] का जो नाम आया है, मैं उसको निकलवा दूंगा।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, देख लीजियेगा, आक्षेप मैंने नहीं लगाया है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष, आप उनको यहां पर ज्यादा केन्द्र न बनायें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मेरा कहने का मतलब था कि [x x x] बहुत बड़ी नेता थीं, उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा था। सही बात थी जीतकर नहीं आ पाई थी। [x x x] इसलिये मैं आपको आगाह करता हूं कि कुछ भी नहीं है।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, बार-बार यह कहा गया कि यह टॉपिक क्लोज्ड कर दिया जाये। बार-बार माननीया मुख्य मंत्री जी से तुलना करना कही भी उचित नहीं है। मा0 नेता प्रतिपक्ष सीमा से बाहर जा रहे हैं, उनको कृपया रोकिये। हमारे लिये माननीया मुख्य मंत्री जी सब कुछ हैं, हमारे दल की नेता हैं। उनके एक इशारे पर पूरा का पूरा दल कुर्बान होने को तैयार है। मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष सीमा से बाहर जा रहे हैं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

यह हमारा मौलिक अधिकार है।

श्री अध्यक्ष-

आपका मौलिक अधिकार है लेकिन अपनी भी तुलना करें तब दूसरे की तुलना करनी चाहिये। आक्षेपात्मक अंश कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

बहुजन समाज पार्टी के लोग, सत्ता में बैठे लोगों को समझ लेना चाहिये जो गलत काम हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

और यहां तक कि प्रमुख सचिव से लेकर के इस सरकार में बैठे हुए पंचम तल के अधिकारी भी उसमें हैं। कई बार यह बात आ चुकी है जब कभी जांच होगी तो जेल जाना पड़ेगा, इसलिये घोटालेबाजी बन्द करो। जनता के बजट को ऐसे मत लूटो, जनता के पैसे को ऐसे मत लूटो। इसी के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन पर बल देते हुए धन्यवाद के प्रस्ताव पर मेरे पूरे सुझाव जोड़ दिये जायं। इस पर मैं बल देता हूं।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

(श्री सुरेश कुमार खन्ना व श्री प्रमोद तिवारी के एक साथ खड़े होने पर)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, अगर दलीय नेता बोल रहे हैं, तो मा0 ओम प्रकाश सिंह जी बोल लें। यह नियम-56 व 300 नहीं है। श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, यह कोई पहला अवसर नहीं है, इससे पहले भी मेरे अनुरोध पर मेरे स्थान पर दूसरे वरिष्ठ सदस्य को बोलने की आपने अनुमति भी दी है और पीछे लोग देख चुके हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

एक दल के नेता खड़े हो जायं तो उसको प्राथमिकता मिलती है। मैं तैयार हूं, खन्ना साहब को ओम प्रकाश जी नेता बना दें मैं बैठ जाता हूं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, बोलने के लिये वह नेता है।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय ओम प्रकाश सिंह जी बिना बोले नेता है।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना साहब खड़े हुए हैं, तिवारी जी आप भी चाहते हैं लेकिन खुलकर नहीं बोल रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो संशोधन का प्रस्ताव आया है उस पर मैं बल देते हुए धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैंने राज्यपाल के अभिभाषण की एक-एक लाइन पढ़ी।

श्री अध्यक्ष-

जितने संशोधन प्रस्ताव है वह सब प्रस्तुत हुए मान लिये गये हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

राज्यपाल का अभिभाषण जो सरकार की नीति का पत्रक होता है, मुझे उम्मीद थी उसमें मंहगाई को रोकने के लिये कोई दिशा मिलेगी, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था पर अंकुश लगाने की दिशा में कोई सार्थक कदम उठाने की बात कही जायेगी पेट्रोलियम पदार्थों पर जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टैक्स लगाये गये हैं समय समय पर उन टैक्सों को कम करने के संबंध में कोई बात कही जाएगी मैं सोचता था कि प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की कमी है उस कमी को पूरा करने के लिये सरकार इसमें कोई सार्थक योजना बतायेगी प्रदेश में जो पेयजल का संकट है उसके लिये विधायकों की संस्तुतियों पर उनके क्षेत्रों में इंडिया मार्का टू हैण्डपम्प लगवाने की घोषणा की जायेगी। प्रदेश में सड़कों का निर्माण विधायकों की संस्तुतियों पर होगा। बुन्देलखण्ड को संकट से उबारने के लिये कोई योजना इसमें आयेगी। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिये कोई कार्य योजना सरकार बनायेगी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सुधार के बारे में कोई योजना इसमें देखने को मिलेगी। किसानों की समस्या पर खाद और बीज उचित दाम पर मिलना चाहिये यह बात कही जायेगी गन्ना किसानों के पुराने बकाये का भुगतान के बारे में कोई वायदा किया जायेगा। बालू का अवैध खनन हो रहा है उसको रोकने के लिये घोषणा की जायेगी। प्रदेश में नकली नोटों का बड़े पैमाने पर चलन हो रहा है उसको रोकने के लिये कोई सार्थक कदम उठाया जायेगा। लेकिन मान्यवर, इस 43 पृष्ठों के राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ने के बाद लगता है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसका यहां पर उल्लेख किया जाय। धन्यवाद का प्रस्ताव सत्तापक्ष की ओर से आया हमने उसको भी सुना मान्यवर, इतनी जबरदस्त मंहगाई है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने 25 जनवरी की शाम को अपने सम्बोधन में इसकी चर्चा की है, मुख्य मंत्री जी समय-समय पर इसकी चर्चा करती रही हैं लेकिन मान्यवर, प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की, सरकार बनने के बाद इस पार्टी ने केन्द्र को समर्थन दिया है इस पार्टी के समर्थन से केन्द्र की सरकार बनी है हम

उम्मीद करते थे कि कम से कम उत्तर प्रदेश में इस स्तर पर कोई सार्थक कदम उठाया जायेगा जिससे मंहगाई के ऊपर अंकुश लगेगा। आज पेट्रोलियम पदार्थों पर 21 से 28 प्रतिशत टैक्स उत्तर प्रदेश में है अगर उत्तर प्रदेश सरकार संवेदनशील होती तो कम से कम केन्द्र के द्वारा जो बढ़ाई गई मंहगाई थी केन्द्र की नीतियों के कारण जो मंहगाई बढ़ी थी उसका बोझ जनता पर कम पड़ता बहुजन समाज पार्टी की सरकार यह कर सकती थी लेकिन ऐसा कोई काम ऐसी कोई शुरुआत बहुजन समाज पार्टी की तरफ से नहीं की गई। दाल के दाम 50 रुपये से लेकर 90 रुपये हो गये। शक्कर की कीमत 25 रुपये से लेकर 45-46 तक हो गई। लेकिन सरकार ने एक भी स्टेप ऐसा नहीं लिया जिससे यह कहा जाय कि यह सरकार मंहगाई रोकने के लिये संवेदनशील है। मान्यवर, सीमेंट की एक बोरी पर एक-एक दिन में 60-60 रुपये की वृद्धि और कमी हो जाती है मान्यवर, एक दिन में लेकिन जो जमाखोरों और मुनाफाखोरों और खास तौर से जो मंहगाई को बढ़ाने के लिये जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ जिस तरह की कार्यवाही की अपेक्षा थी, उस तरह की कोई कार्यवाही सरकार की ओर से नहीं आई। हम जानते हैं कि हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कारगर नहीं है। हमारा पड़ोसी राज्य बिहार है, जिसकी हम कभी तुलना कोई एग्जामपिल देते थे गिरावट के मामले में लेकिन आज बिहार ने अपने प्रदेश में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक करके दिखाया अगर उत्तर प्रदेश सरकार के लोग संवेदनशील होते तो उसी प्रकार का सिस्टम यहां एडाप्ट कर लेते तो उत्तर प्रदेश की जनता को राहत देने का काम करते लेकिन सरकार ने उस दिशा में कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया कोई शुरुआत नहीं की गई। यू0पी0एस0आर0टी0सी0 ने अपने किराये में 21 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर दी। जब हम ट्रान्सपोर्टेशन में वृद्धि करते हैं तो उसका निश्चित रूप से मान्यवर, असर मंहगाई पर पड़ता है क्योंकि चीजों के ट्रान्सपोर्टेशन में उसकी कास्ट शामिल हो जाती है। उस पर मंहगाई और बढ़ जाती है मान्यवर, इसलिये मंहगाई को रोकने के संबंध में इस सरकार के द्वारा कोई सार्थक प्रयास न होना मान्यवर, चिन्ता का और दुःख का विषय है। मान्यवर, प्रदेश की कानून व्यवस्था।

पूरे प्रदेश में पुलिस बेवसाइट की जो रिपोर्ट है मान्यवर, उसके अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में डकैती भी बढ़ी है और लूट भी बढ़ी है। डकैती और लूट पुलिस की निष्क्रियता, पुलिस की अक्षमता और पुलिस की हर प्रकार से लापरवाही का नतीजा है कि जो लूट बढ़ी मान्यवर, और डकैती बढ़ी मान्यवर। मान्यवर, चोरी की घटनायें राजधानी के क्षेत्र में लखनऊ के वाहन चोरी की घटनायें एक वर्ष में 1152 हुई अर्थात् 3 से ज्यादा एक दिन में। चोरी 2299 सेंधमारी 586 मान्यवर, हमने कभी भी समाचार पत्र में यह नहीं पढ़ा था किसी इलेक्ट्रानिक मीडिया में कि कहीं पर चोरी खोली गई। मान्यवर, 1152 लखनऊ में राजधानी में जहां पर डी0जी0पी0 से लेकर पूरी की पूरी सरकार बैठी है वहां पर रोज हर क्षेत्र में वाहन चोरी की घटनायें मान्यवर, हो रही हैं। लूट की घटना, डकैती की घटना हुई लेकिन मान्यवर, यह सरकार किसी मामले में भी इतनी संवेदनशील नहीं दिखाई पड़ती कि इसे रोकने के लिये कोई सार्थक योजना बनाई। मान्यवर, 3 घटनाओं की ओर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। लखनऊ में इसी महीने की 19 तारीख को मान्यवर, 20 लाख रुपये की लूट एक मुनीम से की गई और एक महीना पहले उसके मालिक को धमकी दी गई थी कि अगर तुमने 20 लाख रुपया नहीं दिया तो इसका परिणाम

बुरा होगा। मुनीम ने टेलीफोन रखना छोड़ दिया। मुनीम को मिर्चा झोंक कर मान्यवर, 19 तारीख को सरे आम 20 लाख रुपया लूट लिया गया। पहले धमकी देने के बाद लूट लिया गया और जिसका मान्यवर, आज तक खुलासा नहीं हो पाया। दूसरी घटना मान्यवर, गाजियाबाद की है। गाजियाबाद में रुचि का नाम की एक लड़की मान्यवर, उसने सोसाइड किया। सोसाइड क्यों किया ? फरवरी, 2009 में उसके साथ रेप किया गया और जिसने उसके साथ रेप किया उसके खिलाफ रिपोर्ट हुई और एक महीने में जमानत होकर वह बाहर आ गया और जब वो बाहर आया तो उसने उसके बाप को धमकाया कि तुम अपना केस वापस ले लो वरना इसका हाल खराब होगा, उसके बाप ने जब यह नहीं किया तो उसके बाद जिसके साथ रेप किया था दिशा रुचिका नाम की लड़की को, उसको पुनः धमकाया और कहा तुम्हारे साथ दुबारा रेप होगा वरना केस को वापस ले लो। मान्यवर, जब यह नहीं हुआ तो जनवरी के पहले हफ्ते में उस 15 साल की लड़की जिसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई दुबारा, लोनी थाने का मामला है गाजियाबाद जनपद का उस लड़की को सुसाइट करना पड़ा इसी कारण क्योंकि उसका बाप ऐसी स्थिति का नहीं था, इतनी पहुंच का नहीं था एक फोर्थ क्लास का इम्प्लाई था पवन चन्द्रा, वह कई बार थाने जाता रहा और कहता रहा कि यह हमको मार डालेगा, यह हमको नुकसान पहुंचायेगा लेकिन मान्यवर, उस लड़की ने सुसाइट कर लिया, पहले उसके साथ रेप हुआ उसके बाद उस लड़की ने सुसाइट कर लिया लेकिन पुलिस मान्यवर, अपना व्यवहार बदलने को तैयार नहीं है और यह सरकार मूक दर्शक बनी देख रही है तीसरी घटना लखीमपुर खीरी की है जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं एक 25 साल का लड़का गांव में बेगारी कराने से मान्यवर, शिड्यूल कास्ट का लड़का था थाना कोतवाली धौरारा की घटना है मान्यवर, छोटे का नाम शिड्यूल कास्ट का लड़का उसने बेगारी करने से मना किया तो उसको शहर भागना पड़ा। शहर में आकर रिक्शा चलाता रहा और जब वह दो दिन के लिये गांव पहुंचा था तो मान्यवर, इसी जनवरी के महीने में, आठ जनवरी को कलुआपुर गांव की यह घटना है, पहले उन लोगों ने जो उससे बेगार लेते थे उसको मारा और मारकर के उसकी झोपड़ी में आग लगा दी, वह जिन्दा लड़का उसमें जल गया। सात बकरी भी उसमें जल गई। सारा गांव उसमें तमाशे की तरह देखता रहा यह मामला इस सरकार की कानून व्यवस्था का खुले आम कहानी बताता है कि कितनी संवेदनशील सरकार है।

मान्यवर, न मालूम कितने दलितों के परिवारों के ऊपर अत्याचार होते है। समाचार-पत्रों में छपते हैं इलेक्ट्रानिक मीडिया उसकी स्टोरी सुनाता है। लेकिन उसमें से एक परसेंट पर भी कार्यवाही ऐसी नहीं होती है जिससे अपराधियों के हौसले पस्त हों, और पुलिस की कार्य-प्रणाली में किसी प्रकार का कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है। मान्यवर, दुख और तकलीफ तो तब होती है जब ऐसे लोगों को स्थानीय स्तर पर बसपा के लोगों का संरक्षण मिलता है और जिस दिन सत्तापक्ष के लोगों का संरक्षण मिलना बन्द हो जाए तो पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सकती है। मान्यवर, पुलिस की कार्यप्रणाली तब देखने को मिलती है जब पूरे प्रदेश की जितनी भी सड़क के ऊपर थाने और चौकियां हैं उसमें पुलिस के सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक बंटवारे में लगे रहते हैं। वाहनों से पैसा तुम लूटो और बंटवारा करो मान्यवर, एक-एक दिन में एक-एक रात में दो-दो, तीन-तीन हजार रुपया, पांच-पांच हजार रुपया, दस-दस हजार रुपया

थानों में, सड़क की चौकियों में इसी बात का बंटता है कि तुम इसे बांटो और पुलिस के अधिकारियों से शिकायत करने पर कोई कार्यवाही नहीं होती है मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और अपेक्षा करता हूं कि इस संबंध में एक निर्देश होना चाहिये पूरे प्रदेश के पुलिस थानों को चौकियों को, जो नेशनल हाइ-वे, स्टेट हाइ-वे पर है उन पर कम से कम यह जो वाहनों पर लूट होती है, क्योंकि उन थानों चौकियों पर जाने के लिये सिपाहियों की दरोगावों की इंस्पेक्टरों की होड़ लगी रहती है क्योंकि उन थानों में, उन चौकियों पर 24 सों घंटे रसगुल्ले खाने को मिलते हैं। मान्यवर, आज सबसे ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि हर हालत में कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारा जाए। मान्यवर, आपने समाचार-पत्रों में भी पढ़ा होगा और इलेक्ट्रानिक मीडिया में भी देखा होगा। आगरा में ए0टी0एम0 तोड़कर 15 लाख रुपये लूट लिया। मान्यवर, यह भी एक सीमा थी। मान्यवर, नोएडा में पूरा का पूरा ए0टी0एम0 उठा ले गये। पूरी ए0टी0एम0 की मशीन उठ गई। न मालूम कितने बैंक के लाकर टूट जाते हैं और कार्यवाही के नाम पर कुछ नहीं होता है। ऐसे मामलों में पीठ से निर्देश जरूर होना चाहिये। मान्यवर, मुख्य मंत्री आवास के थोड़ा दूर पर उनके ओ0एस0डी0 के गनर की हत्या लगभग एक महीना पहले 18-19 दिसम्बर को हो गई थी, उसकी कारबाइन भी चली गई लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मान्यवर, बिजनौर में बसपा के एक बड़े नेता अपनी अदालत लगाकर लोगों पर जुर्माना करते थे, उस पर न्यायालय ने हस्तक्षेप करके उस पर स्टे दिया। अब वह स्टे कितना कारगर होता है। इस बात की भी निर्भरता पुलिस की कारगुजारी पर ही निर्भर करेगा। मान्यवर, जहां तक सवाल विद्युत का है, वर्तमान सरकार यह मान चुकी है कि यह सरकार अपने कार्यकाल में विद्युत की समस्या को दूर करने नहीं जा रही है क्योंकि जब यह 2013-14 की बात करते हैं, एक श्वेत-पत्र निकाला, अधिकारियों ने प्रेस कान्फ्रेन्स करके कहा कि 2014 में प्रदेश विद्युत के मामले में आत्मनिर्भर होगा, हम दूसरे राज्यों को विद्युत देंगे। किसने देखा है, मान्यवर, 2014 और कौन देखकर आया है, अगर एक गांव में एक ट्रान्सफार्मर फुंक जाता है तो पूरे गांव से चन्दा करके जब तक बिजली के अधिकारियों को दिया नहीं जाता तब तक मान्यवर, वह ट्रान्सफार्मर नहीं लगता।

आज कनेक्शन चाहे एक किलोवाट का हो, दो किलोवाट, तीन किलोवाट, पांच किलोवाट या 15 किलोवाट का कनेक्शन किसी को चाहिये हो, कोई आम कन्ज्यूमर चला जाए बिना किसी सिफारिश के तो कम से कम उसकी चप्पले घिस जायेंगी, एक जोड़ी चप्पल पहले लें, चप्पले घिस जायेंगी फिर भी उसे कनेक्शन नहीं मिलेगा, बिना सुविधा शुल्क के। एक तो बिजली आती नहीं, घर में जो बच्चे पैदा होते हैं, जो लड़कियां पैदा होती है, उन लड़कियों का नाम लोगों ने बिजली रखना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि जब बिजली नहीं आयेगी तो कम से कम जब यह लड़की आयेगी तो हम इसी को पुकार लेंगे कि बिजली आ गई, बिजली आ गई, इसी को कहकर हम संतोष कर लेंगे कि बिजली आ गई। लोगों ने यह मान लिया कि यह सरकार बिजली की समस्या को दुरुस्त करने के लिये नहीं है। मान्यवर, एक बात शाहजहांपुर की भी कहना चाहता हूं, 600 मेगावाट का कारखाना शाहजहांपुर में लगा, जो थर्मल पावर लगा, उस कारखाने से तपन, जलन, प्रदूषण, राखी सब हम झेल लेंगे, पांच हजार रुपये बीघा मुआवजा देकर जमीन छीन ली गई और मान्यवर, हमको एक यूनिट, एक किलोवाट एक मेगावाट बिजली भी अतिरिक्त नहीं मिली।

पावर चार्जेज एग्रीमेंट देखा तो हमने कहा कि उससे तो कोई बिजली नहीं मिलने जा रही। मान्यवर, जो नई यूनिट लगे, कम से कम उन लोगों को इस बात का अधिकार होना चाहिये और वह क्षेत्र जिन्होंने अपनी जमीन दी, जहां का श्रम लगे, जहां पर कारखाना स्थापित हो, कम से कम 10 परसेन्ट बिजली उस क्षेत्र को जरूर मिलनी चाहिये कि जिन स्थानों पर नये पावर प्लान्ट स्थापित हों और खासतौर से जो थर्मल हों, उसमें तो जरूर मिलनी चाहिये। मान्यवर, शिक्षा के बारे में अम्बेडकर जी जीवन भर जोर देते रहे और हम सोचते थे कि बहुजन समाज पार्टी कम से कम अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलने वाली सरकार है तो यह शिक्षा की गुणवत्ता में कुछ सुधार करेगी। मान्यवर, गांव की बेसिक एजूकेशन का हाल यह है कि वहां बिल्डिंग है, टीचर है, शिक्षामित्र है, खाना है, कपड़ा है, किताबें हैं, लेकिन मान्यवर, शिक्षा की गुणवत्ता के नाम पर कुछ भी नहीं है और सुधार की दिशा में कोई कदम भी नहीं बढ़ाया। एक कदम भी अगर शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाया होता तो हम आज इनको बधाई देते, साधुवाद देते कि कम से कम इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में यह बड़ा निर्णय किया और अगर माध्यमिक स्कूलों की मान्यता की स्थिति आ जाये तो मान्यवर, इतनी शर्तें है, माध्यमिक कक्षाओं की मान्यता के लिये जो लोग मान्यता लेते हैं, वह जान रहे हैं या जिन लोगों को मान्यता लेने के लिये भेजा गया, वह जानते हैं। बिना सुविधा-शुल्क के मान्यता मिलती नही। मान्यवर, बी0एड0, इंजीनियरिंग और मेडिकल में तो हाल और भी खराब है। हमारे शाहजहांपुर का तो एक विद्यालय ऐसा है जहां पर वर्षों से, मान्यवर, 7 वर्षों से तो मैं मांग कर रहा हूं, इस हाउस में कि एक परमानेंट प्राचार्य दे दो। लेकिन आज तक परमानेन्ट प्राचार्य तक नहीं है, पढ़ाई का क्या हाल होगा, मान्यवर, यह आप स्वयं देख सकते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

नाम तो बता दें ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जनपद शाहजहांपुर में गाफी फैजाम कालेज (पी0जी0) में सन् 1982 से स्थाई प्रधानाचार्य नहीं है। अगर स्थाई प्रधानाचार्य दे देंगे तो हम आभारी होंगे। मान्यवर, डा0 अम्बेडकर जी ने दिनांक 18-1-1943 को गोविन्द राना डे जी की 101वीं जयन्ती पर एक भाषण दिया था। 1993 में यहां सूचना विभाग द्वारा उस किताब का प्रकाशन हुआ और उस किताब के प्रकाशन में डा0 अम्बेडकर जी के विचार और उनके लेख यही सूचना विभाग में है। हमने उस किताब को देखा है उन्होंने क्या कहा था इस पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना साहब 5-5 मिनट समय का है, 10 मिनट रह गया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

उन्होंने कहा था कि राजनीतिक जीवन में नायक पूजा का अस्तित्व दुर्भाग्यपूर्ण है। नायक पूजा करने वाले अथाह पतन के कारण है और देश के लिये खतरा पैदा करने वाले हैं। कदाचित हम लोग उस स्थिति में पहुंच गये हैं हम बोर्ड लगाते हैं कि जेबकतरों से सावधान रहो, अब बोर्ड लगाने पड़ेंगे कि इन महान लोगों से सावधान रहो।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हम अपने विधान सभा क्षेत्र के एक गांव में गये तो ग्रामवासियों ने कहा कि आप हमें अपना एक फोटो दे दें और विधायक निधि का एक लाख रुपया दे दें, हम आपकी एक मूर्ति लगायेंगे। तो हमने उनसे कहा कि मूर्ति लगाने का प्राविधान विधायक निधि में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जब बड़े लोग यह करते हैं तो आपको भी अपने क्षेत्र में अपनी एक मूर्ति लगवाना चाहिये। तो हमने कहा कि नहीं भई हम यह नहीं कर सकते हैं और न तो हम अभी इतने बड़े हैं, न इतने महान बने हैं कि हम अपनी मूर्ति लगायें। अब तो लोग क्षेत्र में मांग करने लगे हैं। हम महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में ढूंढ रहे थे लेकिन मूर्ति लगाने का प्राविधान इसमें कहीं नहीं आया है। तो हम चाहते हैं कि या तो कम से कम सांस्कृतिक विभाग को यह निर्देश हो जाये, वित्त मंत्री जी भी यहां पर बैठे हैं सब विधायक यहां बैठे हैं, कि जिसके-जिसके क्षेत्र में अगर लोग चाहें तो अपने-अपने क्षेत्र में अपनी मूर्ति लगा दें। जब मूर्ति लगाने की परम्परा शुरू हो गई है तो कम से कम माननीय वित्त मंत्री जी इतनी उदारता जरूर दिखायें कि संस्कृति विभाग में यह पैसा भिजवा दें या गाइडलाइन्स में यह संशोधन करवा दें कि विधायक अपने क्षेत्र में जहां-जहां उसके समर्थक चाहें तो वह अपनी मूर्तियां लगवा दें। इसमें हर्ज ही क्या है। लेकिन हमने अपने लोगों को इसके लिये मना कर दिया। हम इसको डिस्करेज करते हैं हम यह जरूर चाहेंगे कि यह व्यवस्था जरूर लागू हो कि जिनके समर्थक चाहें तो वह मूर्तियां लगवा सकें। क्योंकि हम गीता के अनुयायी हैं, हम दीनदयाल उपाध्याय के अनुयायी हैं। गीता में कहा गया है कि जो श्रेष्ठ लोग आचरण करें उसका अनुकरण नीचे होता है। मान्यवर, गीता के तीसरे अध्याय का इक्कीसवां श्लोक यही कहता है। मान्यवर, हम चाहते हैं कि यह संशोधन हो जाये कि जो बड़ी-बड़ी मूर्तियां लगी हैं कम से कम अगर हमारे समर्थक चाहें तो हम कहां से लगायें।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, अगर इनका प्रस्ताव स्वीकार करें तो उसमें मुसलमानों को हटा दिया जाये क्योंकि मुसलमानों में मूर्ति पूजा का प्राविधान नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

हां सही है। खन्ना साहब अब आप समाप्त करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

ऐसा है, प्राविधान करने की बात कर रहे हैं। आप मत लगवाइये।

श्री अध्यक्ष-

अरे बिना प्राविधान के भी लगवा सकते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक बात कह कर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, गंगा प्रदूषण के बारे में बहुत पहले से इस सदन से लेकर पार्लियामेंट तक बहुत चर्चा हुई है। पूरे प्रदेश के नाले

गंगा में खुलते हैं। मान्यवर, इसका कोई समाधान इस सरकार को करना चाहिये। मान्यवर, एक गंगा एक्सप्रेस-वे बनाया जा रहा है। वह तो गंगा को और नाला बना देगा। उससे गंगा, गंदा नाला हो जायेगा और उससे और ज्यादा प्रदूषण होगा। मान्यवर, आपने हमको महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव पर संशोधनों के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं संशोधनों पर बल देता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो संशोधन माननीय नेता विरोधी दल ने रखा है उस पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, अभी एक सम्मानित सदस्य अस्वस्थ हो गये थे। मैं पूरे सदन से यह चाहता हूं कि उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करे। मान्यवर, मैं आभारी हूं आपका और आभारी हूं नेता सदन का, आभारी हूं, नेता विरोधी दल का और सभी लोगों को जिन्होंने जाकर उनका हौसला बढ़ाया और मुझे पूरा विश्वास है कि वे सकुशल है और सकुशल रहेंगे। लेकिन इसमें एक चिन्ता की बात हो गई कि आज तो उनको सामयिक सहायता मिल गई पर हो सकता है कि अगर थोड़ा विलम्ब हो जाता तो दिक्कत होती। आप विचार कर लें कि जो यहां पटल कार्यालय है, क्या यहां पर कोई डाक्टर, कोई चिकित्सा सुविधा के साथ यहां पर बैठ सकता है, संभावनाओं पर विचार कर लें मान्यवर, जिससे भविष्य में यदि कोई दुर्घटना हो तो मान्यवर, समय पर समुचित सहायता मिल सके। इस समय कक्ष संख्या-44 क में यह सुविधा है।

डा0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, जो आज हम लोगों ने देखा है उसमें व्यावहारिक दिक्कत सबसे बड़ी यह है कि मान्यवर, डाक्टर तो यहां पर उपलब्ध है लेकिन एम्बुलेंस आने में, विधान सभा परिसर के अन्दर एम्बुलेंस प्रवेश करने में बहुत ज्यादा वक्त लगा है और ऐसी बीमारियों में वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वक्त से इलाज हुआ या नहीं हुआ।

श्री प्रमोद तिवारी-

ठीक है, मान्यवर, मेरा एक आग्रह है कि एक वेल एकुइप्ड, पूरी तरह सुसज्जित एक एम्बुलेंस जब तक सदन चले तब तक मान्यवर, इसके अन्दर जो पोर्टिको है सेन्ट्रल हाल का या जहां भी आप उचित समझें बात कर लें, वहां पर रहे और जो एक हास्पिटल के रूप में रहे। मैं समझता हूं कि इसमें दोनों तरफ से सदस्यों को आपत्ति नहीं होगी।

मान्यवर, अभिभाषण बड़ी आशा और विश्वास से मैंने पढ़ा था, ये सोचकर कि यह तीसरा अभिभाषण है तो अब तक बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ होना है उसका दर्शन होगा क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार बताती है कि आने वाले वर्ष में वह क्या करने जा रही है, उसका इरादा क्या है और उसी के लिये इसके बाद बजट आता है जिसमें बजट का प्राविधान करके मान्यवर, यह स्पष्ट कर देते हैं कि जो घोषणायें इसमें हुई हैं। उनको हम वित्तीय सहयोग कहां से देंगे, वित्तीय संसाधन हम कहां से लगायेंगे। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्यपाल का अभिभाषण पढ़कर मुझे बहुत ही निराशा हुई। मान्यवर, मुझे ऐसा लगता कि आने वाले वर्ष में यह प्रदेश पूरी तरह अंधेरे में रहेगा। मान्यवर, इसमें कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि इसमें न तो

उद्योग के क्षेत्र में न बेरोजगारी के क्षेत्र में, भूमि सुधार के क्षेत्र में सिंचाई के क्षेत्र में या किसी बड़े क्षेत्र में मान्यवर, कहीं कोई योजना है नहीं। तो इसलिये मान्यवर, मैं अभिभाषण में मान्यवर, जो संशोधन का प्रस्ताव आया है, उस पर बल देने के लिये खड़ा हूं। मान्यवर, इसमें घोषणायें हैं, महामहिम राज्यपाल की संवैधानिक मजबूरी है कि जो कुछ भी कैबिनेट ने प्रस्तुत कर दिया, वो उन्हें पढ़ना है। यद्यपि अगर उनको दिया जाता तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कभी भी ऐसा मिथ्या अभिभाषण वह न पढ़ते क्योंकि जमीनी हकीकत से यह बहुत दूर है। मान्यवर, मैं एक बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर हम इस विश्वास पर लें मान्यवर, तो सच्चाई क्या है ? क्यों नहीं इस समय लोग सुखी हैं ? क्यों आतंकित हैं मान्यवर, क्यों असुरक्षित हैं ? क्यों बेरोजगार हैं क्यों मान्यवर, उनके मन में यह घुटन महसूस हो रही है कि आज के राज में ऐसा है कि हमें अपने अधिकार नहीं प्राप्त हैं। पहले तो मान्यवर, मैं यह सुनता था कि इजाफा हुआ है मान्यवर, मैं बधाई देना चाहता हूं संसदीय कार्य मंत्री जी को कि पहले ये शिकायतें आती थीं कि ए0टी0एम0 से चोरी हो गई, हजार, दो हजार, पांच हजार, दस हजार, पन्द्रह हजार, और बीस हजार की अब लालजी वर्मा जी को बधाई देता हूं इनकी सरकार को कि अब ये फुटकर में विश्वास नहीं कर रहें। अब ये थोक में विश्वास कर रहे हैं। ये अपने राज में पूरा का पूरा ए0टी0एम0 ही गायब करा देते हैं।

मान्यवर, मैं इसके लिये इनको और इनकी सरकार को बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, एक बात मैं दृढ़तापूर्वक और चुनौतीपूर्वक कहूंगा कि मान्यवर, ये मुझे यह बता दें कि आज जितनी केन्द्रीय सहायता, सेन्ट्रल असिस्टेंट, उत्तर प्रदेश सरकार को मिली थी, वर्ष का नाम बता दें कब इतनी बड़ी वित्तीय धनराशि मिली थी। उस वर्ष का नाम बता दें मुझे। मैं कहना चाहता हूं कि अब तक की सबसे बड़ी धनराशि केन्द्र सरकार ने अगर दी है तो उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार को दी है। मैं उसका जिक्र नहीं करता, जो एक पत्र लिख देंगे अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिये एक प्रेस कान्फ्रेंस हो जायेगी कि हमने 80 हजार करोड़ और एक लाख करोड़ का पैकेज मांगा है, उसका न कोई आधार है और न आधार दिया जाता है। मुझे तो मान्यवर, उस समय शर्मिंदगी उठानी पड़ती है जब मैं भारत सरकार के किसी केन्द्रीय मंत्रालय में जाता हूं और देखता हूं कि दक्षिण के राज्यों का महाराष्ट्र का, तमिलनाडु का, कर्नाटक का वहां का अधिकारी आता है, उन योजनाओं को बाकायदा पैरवी करता है और ज्यादा से ज्यादा लेने के लिये वहां पर पड़ा रहता है। मुझे कहने में दुख है कि उत्तर प्रदेश सरकार कायदे से पैसा मांगना भी केन्द्र सरकार से नहीं जानती है और न चाहती है और न प्रापर प्रोफार्मा पर अप्लाई करती है और इसीलिये बहुत बड़ी धनराशि मान्यवर, केन्द्र से जो मिल सकती है, हमारा अधिकार है, मैं इस सरकार को दोषी ठहराता हूं कि यह उत्तर प्रदेश की जनता के अधिकारों पर इस तरह डाका डाल रही है यह उनकी बात को रख नहीं पा रही है। मान्यवर, मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता और चाहता हूं कि जवाब मिले हमें, हमें जवाब चाहिये, यह बतायें जब इनकी सरकार आई थी, वर्मा जी, तब कितने उद्योग थे आज ढाई साल पूरे हो गये, आधा समय तो पूरा हो गया, आज बताइये आपके वह उद्योग कितने बढ़े। ढाई साल में आपने क्या किया ? क्या हुआ ?

अगर आप मुझे यह बता देंगे कि इतने उद्योग उस समय लगे थे जब हमने सरकार की सत्ता सम्भाली थी और ढाई सालों में हमने इतना उद्योग बढ़ाया है। तो मान्यवर, मुझे खुशी होगी आपका उत्तर सुनकर, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत खतरनाक संकेत है, मुझे दुख है, मेरा दम घुट रहा है कि भविष्य की पीढ़ियां क्या हमें माफ करेंगी। आपके राज में नये उद्योग तो नहीं लग रहे हैं, जो लगे हुए उद्योग हैं मान्यवर, वह स्थानान्तरित होकर हरियाणा, राजस्थान और उत्तरांचल जा रहे हैं। मान्यवर, क्या कोई राज्य अपने को सुखी राज्य मान सकता है जिसके यहां लगे हुए उद्योग अगर स्थानान्तरित होने लगेंगे और मैं कहता हूं मुझे सही करने के लिये, मेरी तो चुनौती है कि आप बता दो कि इतने उद्योग हमने लगवाये, इतना पूंजीनिवेश हुआ। मैं तो आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं अब तो रिलायंस का फैसला हो चुका है, जिसका हम लोगों ने विरोध किया था और कहा था कि वहां नहीं लगना चाहिये। हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, मान्यवर, उस जमीन के अधिग्रहण को कुछ शर्तों के साथ मान लिया है। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, आप किसी को न दीजिये, आप खुद लगाइये। प्रदेश सरकार लगाये या प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार को भूमि दे दें और उनसे कहे तो गैस की समस्या का निदान हो जायेगा। इन दोनों में क्या दिक्कत है आपको। क्यों आप इन दोनों के झगड़े में पड़े हुए हैं। आप खुद लगाइये, खुद नहीं लगा सकते तो केन्द्र से लगवाइये। ऊर्जा का संकट तो समाप्त हो इस प्रदेश में। मुझे खुशी है कि इस बार शाहजहांपुर में रोजा में एक यूनिट आई, बहुत सालों बाद आई, लेकिन जो यूनिट आई है बन्द कितनी हो रही है, उस पर भी जरा ध्यान दीजियेगा। प्लाण्ट लोड फैक्टर कितना कम हो रहा है उस पर ध्यान दीजियेगा, तो आप कुल मिलाकर के इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि पिछली साल से इस साल ऊर्जा का उत्पादन कम हो रहा है और अगर कम नहीं हो रहा है तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि फिर अंधेरा क्यों उत्तर प्रदेश में। आज 16 घण्टे अगर बिजली मिलनी चाहिये इस प्रदेश में उजाला क्यों नहीं। कोई इधर बैठा हो या कोई उधर बैठा हो, मान्यवर, जो चाहे कह लें, लेकिन सच्चाई यही है कि उत्तर प्रदेश में जितनी बिजली आज है उससे पूरी तरह हम चार या पांच घण्टे से ज्यादा बिजली दे ही नहीं सकते हैं। मैं इस विभाग में रहा हूं मुझे इसकी जानकारी है, जितनी मिलियन यूनिट बिजली आप पैदा कर रहे हो उससे 4-5 घण्टे से ज्यादा आप नहीं दे सकते हैं। क्या है आपकी दीर्घकालीन योजना ? एक सुझाव मैंने दिया है, इस पर विचार करें। मान्यवर, मैं इनको चुनौती देते हुए एक बात और कहना चाहता हूं किसी प्रदेश का औद्योगीकरण विकास एक चीज पर निर्भर करता है कि बैंक का जमा ऋण का अनुपात क्या है। अंग्रेजी में उसे कहते हैं क्रेडिट रेसियो क्या है? डिपाजिट आफ क्रेडिट रेसिया क्या है ? मान्यवर, ऋण जमा अनुपात क्या है ? कितना जमा हुआ और कितना उस पर ऋण लिया गया, वह प्रदेश के औद्योगीकरण की मजबूती की निशानी है ।

मुझे कहने में संकोच हो रहा है, दुख हो रहा है कि आप बड़े ढ़िंढोरे पीट रहे हो लेकिन आप के समय में बैंक का ऋण जमा अनुपात कम हो रहा है। कम हो रहा है इसका मतलब पैसा हम जमा करें और फायदा उठायें दूसरे प्रदेश, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस सच्चाई का सामना कीजिये, मैं आलोचना करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं। मैं आपकी आंख खोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह 3-4 मानक है, जब तक परकैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी, परकैपिटा इण्डस्ट्रीलाइजेशन

धनराशि नहीं बढ़ेगी मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आपका ऋण जमा अनुपात घटा है आपका 5 और 24 का अनुपात है और दूसरी तरफ आप मुकाबला करना चाहते हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र का जहां का ऋण जमा अनुपात 80-90 का है। मैं तो कहूंगा कि आप दोषी हैं इस प्रदेश को इस मामले में पीछे रखने में। आप बहुत जोर देते हैं मंहगाई पर और एक पत्र लिख देते हैं केन्द्र सरकार को। मान्यवर, अगर पत्रों के प्रेषण से मंहगाई कम हो गई होती तो काम हो गया होता। उत्तर प्रदेश में जो मंहगाई बढ़ी है उसका कारण है कि आपका जो डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम है वह फेल्योर है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपकी आज कालाबाजारी, जमाखोरों और चोरबाजारी के हाथों में हो गई है। आप यह कहते हैं हमें पूरा यूरिया नहीं मिलता है। दुकानों पर तो वह नहीं है लेकिन पूरी तरह से कालाबाजारी में दुकानों पर है। यानि की उपलब्धता है। आपकी वितरण प्रणाली दोषपूर्ण है। अभी एक खबर पढ़ रहा था 4-5 दिन पहले कि चिनहट में एक प्लाईवुड फैक्ट्री से एक हजार बोरी यूरिया बरामद हुई है वह वहां पर इस्तेमाल हो रही थी प्लाईवुड चिपकाने के लिये। क्योंकि वह बहुत सस्ती पड़ती है। केन्द्र सरकार आपको यूरिया भेजती है खेतों पर ले जाने के लिये और दूसरी तरफ क्या हो रहा है उससे प्लाईवुड चिपकाई जा रही है। तो आपकी वितरण व्यवस्था दोषपूर्ण है। माननीय सदस्य बता रहे हैं कि इसी तरह से गेहूं का भी इस्तेमाल हो रहा है लखनऊ में जब यह सब कुछ हो रहा है तो प्रदेश के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा होगा यह आप अनुमान लगा सकते हैं। आज बड़ी मात्रा में मिलावट हो रही है।

आप पत्र लिख देते हैं केन्द्र को दोषी ठहरा देते हैं सब चीजों में मिलावट बढ़ रही है तेल में मिलावट बढ़ रही है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक 70 प्रतिशत मिलावटी तेल आज लोगों को मिल रहा है। दूध में मिलावट बढ़ रही है। घी नकली पकड़ा गया है हापुड़ में, आगरा में। यह सब आपकी वितरण व्यवस्था का दोष है। मान्यवर, सत्ता की उस सर्वोच्च कुर्सी में पता नहीं क्या है शायद कोई भांग घुली रहती है कि सब कुछ अच्छा-अच्छा नजर आता है। कहावत है कि सावन के अंधे को हरा-हरा ही नजर आता है। हम दोषी हो सकते हैं जो केन्द्र से जुड़े सवाल हैं। लेकिन जो आपकी 25 हजार मैट्रिक टन कच्ची चीनी बंदरगाह पर पड़ी हुई है आप उसे लेकर परिष्कृत कराके इस्तेमाल करायें। दूसरी तरफ आप कह देते हैं कि चीनी की उपलब्धता कम है। मान्यवर, अगर चीज न हो तो यह माना जा सकता है कि उसकी उपलब्धता नहीं है। लेकिन अगर चीजें हों और ब्लैक में मिल रही हों सस्ते दाम में न मिल रही हो तो फिर यही कहा जायेगा कि कहीं न कहीं वितरण प्रणाली में दोष है। आप कहते हैं कि आपके राज्य में दलितों का उत्थान हो रहा है। अभी एक आयोग की रिपोर्ट आई है कि उत्पीड़न बढ़ रहा है। आप कह देंगे कि अब एफ0आई0आर0 लिखनी शुरू हो गई है। पहले यह नहीं लिखी जाती थी। लेकिन अगर लिखी भी जा रही है तो यह तो सही है कि उनका उत्पीड़न हो रहा है। इसी तरह से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। पूरे देश के 60 फीसदी अपराध केवल उत्तर प्रदेश और बिहार में हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं तो उनमें असुरक्षा की भावना बढ़ी है। इसी तरह से मैं देखता हूं कि इधर सामूहिक हत्याओं का दौर चला है। लखनऊ स्थित राजधानी में लोग मारे जा रहे हैं और प्रदेश के कई हिस्सों में भी मारे जा रहे हैं। आज आम आदमी आशंकित है। हालत यह है कि लोग अखबारों में इन खबरों को पहले पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं।

मैंने इस अभिभाषण को पढ़ा है। जब यह सरकार सत्ता में आई थी तो एक बहुत बड़े मैदान में इस बात को कहा गया था कि आपकी सरकार बुंदेलखण्ड को एक अलग राज्य बनाना चाहती है फिर कुछ दिन पहले जब तेलंगाना की समस्या उठी तो यहां यह बात आई कि हम पूर्वांचल में भी एक अलग राज्य बनाना चाहते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको कौन रोक रहा है बनाने के लिये और अगर रोक नहीं रहा है तो पहल क्यों नहीं ? आप क्यों नहीं उत्तर प्रदेश सरकार के हम सब से प्रस्ताव कराते, पता लग जायेगा कि कौन यहां विरोध कर रहा है कौन समर्थन कर रहा है। आपके इस राज्यपाल की घोषणा में यह क्यों नहीं है कि हम लाने जा रहे हैं वह संकल्प, उसमें तो कोई प्रस्ताव आता नहीं संकल्प ही आता है, तो संकल्प ले आइये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये ले आइये, बुंदेलखण्ड के लिये ले आइये, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के लिये ले आइये और बताइये आप अपना प्रस्ताव करके केन्द्र को भेज दीजिये। केन्द्र को जो आपत्ति होगी वह आपको लौटाल देगा आपसे संशोधन चाहेगा तो आप कर दीजियेगा। आप पहल तो करिये। पर आपको कुछ नहीं सूझता है तो आप सुबह को उठते हैं और एक प्रेस कांफ्रेंस कर लेते हैं और कह देते हैं कि हम यह राज्य चाहते हैं करते कुछ नहीं हैं आप। तो मैं तो कहना चाहता हूं कि छोटे राज्य की बात आप राजनैतिक रूप से करते हैं और नहीं करते।

अब किसानों की बात। क्रय केन्द्रों पर मान्यवर, चले जाइये सन्नाटा है। आप जिस क्षेत्र से चुनकर आते हैं वह धान का एक बड़ा क्षेत्र है। क्रय केन्द्रों पर सन्नाटा क्यों है लेकिन सन्नाटे के बावजूद भी खरीद के आंकड़े बहुत ऊंचे हैं। आज किसान का धान नहीं खरीदा जा रहा है धान के क्रय केन्द्रों पर आज बिचौलिये का धान खरीदा जा रहा है। मान्यवर, रोकिये इसको, यही हुआ था गेंहू के साथ यही अब हो रहा है और यही हुआ गन्ने के साथ और यही हो रहा है आलू उत्पादकों के साथ तो सब कुछ मिलाकर अगर आप देख लें तो मैं तो यही कहूंगा कि कुल मिलाकर हर मोर्चे पर यह सरकार असफल साबित हुई है। कोई एक मोर्चा नहीं है कोई एक बिन्दु नहीं है जहां आपकी सरकार कह सके कि कोई उल्लेखनीय कार्य हुआ है। केन्द्रीय सरकार की योजना आती है उसमें आप कुछ नहीं करते हैं आप उसमें अपना नाम घुसेड़ देते हैं। पैसा केन्द्र का आप कोई नाम ले आते हैं चुनकर, नेता विरोधी दल जी कह रहे थे कि कोई उत्तर प्रदेश का आपको नहीं मिलता महापुरुषों को दलीय सीमा में नहीं बाधा जा सकता, प्रदेश की सीमा में नहीं बाधा जा सकता, देश की सीमा में नहीं बांधा जा सकता, मैं नही बांधने की बात करता हूं लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कुछ उत्तर प्रदेश में भी महापुरुष पैदा हुए हैं सब आप ही की तरह नहीं पैदा हुए हैं कुछ तो अच्छे पैदा हुए होंगे। कुछ तो इस योग्य होंगे सब निकाल लीजिये जितनी मूर्तियां आपने लगवाई हैं फिर मैं कह दूं फिर मैं स्पष्ट कर दूं ताकि कोई गलत फहमी की गुंजाइश न रह जाय। महापुरुषों का मैं आदर करता हूं जितनी मूर्तियां लगी हैं सबको प्रणाम करता हूं महाराज आपको भी लाल जी वर्मा जी, मैं चाहता हूं कि आप कोई ऐसा काम करो कि आपकी भी मूर्ति लग जाय। मान्यवर, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितनी मूर्तियां लगी हैं सबको प्रणाम करते हुए एक ही बात कहना चाहता हूं कि सामंजस्य बनाइये, उत्तर प्रदेश में हीन भावना मत लाइये। यहां के भी जो महापुरुष हैं उनके भी दर्शन का मौका दीजिये पर मैं समझता हूं कि शायद उत्तर प्रदेश आपके लिये पराया प्रदेश है।

मान्यवर, नरेगा के बारे में जानना चाहता हूं सारी दुनिया तारीफ कर रही है जिस देश के लोग बाहर से आ रहे हैं वह सब तारीफ कर रहे हैं पर नरेगा में आज आप जब जवाब देने के लिये खड़े हो तो बतायें कि कितने प्रतिशत धन का उपयोग आपने किया है। अगर नरेगा के धन का उपयोग नहीं हुआ है तो कहीं न कहीं कमी तो है। हम देते हैं आपको इंदिरा आवास उनका समुचित उपयोग नहीं, हम देते हैं आपको शिक्षा के लिये धन उसमें कोई नाम डाल देते हैं आप अपना जो नाम डालते हैं, ठीक है डालिये, कोई नहीं रोक रहा है आपको लेकिन अपनी योजना तो मत कहिये। कृपापूर्वक कहीं तो किसी बोर्ड पर लिख दीजिये कि भारत सरकार की योजना है तो भारत सरकार के उधार पर किराये पर तो चल रहे हैं आप लेकिन किरायेदारी भी देने को तैयार नहीं है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो केन्द्र की सरकार की योजनायें हैं उनको पूरी तरह से लागू करिये। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में, आप बहुत दोष हमको देते हैं पेट्रोलियम पदार्थों की बात करते हैं लेकिन आप तो वित्त मंत्री हैं आप बताइये कि यह जो पेट्रोल पर लीटर हम खरीद रहे हैं, यह जो डीजल पर लीटर हम खरीद रहे हैं इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का कितना हिस्सा है वह भी देख लीजिये ज्यादती की इंतिहा है। मैं यह कह रहा था कि बहुम कम लोगों को यह मालूम होगा कि जो पेट्रोल डीजल है इसमें आप भी वसूल रहे हो। आपका क्या है भाई, भारत सरकार रिसर्च करती है, तेल का उत्पादन करती है, लाती है, पहुंचाती है यह तो केन्द्र का विषय है आप काहे के लिये उसमें से वसूल रहे हो और वसूल रहे हो जनता की गाढ़ी कमाई। आप जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं आप टैक्स लगाकर और फिर मंहगाई की बात करते हैं आप। आज आप खड़े होइये, डरियेगा नहीं, उधर देखियेगा नहीं, आंख बन्द कर लीजियेगा और खड़े होकर यह कहिये कि मैं आज वित्त मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में पेट्रोल-डीजल पर जो अधिभार सरकार द्वारा वसूला जा रहा है उसे समाप्त करता हूं। फिर मैं जानता हूं कि आपकी भी हालत वही होगी जो आज हमारे एक विधायक की हुई है। अगर उधर देखकर आप बोल देंगे तो भगवान आपको लम्बी उम्र दें। मान्यवर, जवाहर लाल नेहरू मिशन के अन्तर्गत अरबों रुपये उत्तर प्रदेश सरकार में आ रहा है, पर कभी एक पत्र लिखवा दिया कीजिये कि हम इसके लिये भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं।

मान्यवर, इसी तरह इन्दिरा आवास के लिये करोड़ों रुपये भारत सरकार से आ रहा है लेकिन आप उनको नहीं लिखते। नरेगा के बारे में कहना चाहता हूं कि आज जिस गांव में जाओ एक तालाब मिलता है तो खुशी होती है। लेकिन आपके राज में नरेगा में मजदूर काम नहीं कर रहा है, बल्कि मशीनें काम कर रही है। तो जो नरेगा का सबसे बड़ा बिन्दु था कि रोजगार सृजित हों और उससे एसेट बने तो एसेट तो आप शायद बना रहे हैं लेकिन रोजगार सृजित नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहूंगा कि मैं चाहता हूं कि यह हो। मैं इसे बड़े आराम से पढ़ रहा था और सोचा था कि तदर्थ शिक्षकों और तदर्थ कर्मचारियों के विनियमितीकरण की भी बात होगी लेकिन इसमें नहीं है। आप करिये, कितने दिन तक नहीं करेंगे। हाईकोर्ट, सुप्रीमकोर्ट सबने कहा है कि कर्मचारी एक निश्चित अवधि पूरी कर लें तो आप उनको रेगुलराइज करिये लेकिन आप नहीं कर रहे हैं हो सकता है कि आप इसलिये नहीं कर रहे हों कि वह आपके शासनकाल के इम्पलाई नहीं है। आप भेदभाव मत बरतिये, यह अनवरत प्रक्रिया है

सरकार चलती रहती है। उसे चलने दीजिये जो भी कर्मचारी हैं, निश्चित समय बाद उनको पूरा कर लीजिये। मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से, जो इस समय प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एक बात विनम्रतापूर्वक आग्रह करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इतना समय दिया। मैं एक चीज यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश और केन्द्र में सरकार का बेहतर तालमेल हो तो विकास अच्छा होता है, कम से कम कुछ मुद्दों पर बेहतर सामंजस्य हो। मैं इसकी पहल करने के लिये आपसे आग्रह करता हूं और आपसे यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश में जो केन्द्रीय योजनायें चल रही हैं, उनको ईमानदारी से आप लागू कराइये। जो प्रदेश सरकार को विभिन्न विभागों की एक्शन टेकेन रिपोर्ट भेजनी है, आपके यहां से कई विभागों की अभी तक एक्शन टेकेन रिपोर्ट नहीं गई है। जो यूटीलाइज किया है उसका यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट नहीं गया है, उसको आप भिजवाइये और किसी तरह उत्तर प्रदेश के हिस्से को ज्यादा से ज्यादा ले आइये, इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए, नेता विरोधी दल ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है, एक दो को छोड़कर सब बातों पर बल देता हूं। एक आग्रह फिर दोहराता हूं कि इन्दिरा जी के संबंध में जो भी टिप्पणियां हों, उसको निकालने की कृपा करें।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय नेता विरोधी दल द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं संशोधन प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, अब से पहले जब हम लोग विधान सभा से चुनकर आये थे पहला साल हम लोगों का था तो तब भी हम लोगों को इस तरह का एक लिट्रेचर सरकार द्वारा मुहैया कराया गया था, तमाम विकास संबंधी घोषणायें सरकार ने इसके माध्यम से की थी कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिये, उत्तर प्रदेश के विकास के लिये सरकार क्या-क्या काम करने जा रही है। उसके एक साल बाद फिर दूसरे वर्ष में राज्यपाल के अभिभाषण के द्वारा फिर बहुत सारी घोषणायें करने का काम सरकार ने किया। बहुत सारी विकास की योजनाओं को राज्यपाल के अभिभाषण के द्वारा सरकार ने बताने का काम किया कि यह योजनायें प्रदेश में सरकार लागू करने जा रही है और आज फिर तीसरी बार राज्यपाल के अभिभाषण के द्वारा उत्तर प्रदेश के इस सम्मानित सदन में उत्तर प्रदेश के विकास की बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया गया है।

(इस समय 5 बजकर 21 मिनट पर अधिष्ठाता श्री भगेलूराम पीठासीन हुए।)

मैं तो सिर्फ आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि पिछले दो वर्षों में जो सरकार ने घोषणायें की थीं, सदन के अन्दर जितने विकास कार्यों की बात की गई थी, क्या वह योजनायें पूरी हुई, क्या उन पर अमल करने का काम किया गया, क्या वह विकास के कार्य पूरे हुए ? लोक निर्माण मंत्री जी अभी नहीं हैं वह चले गये हैं पिछले बजट में उन्होंने बड़े दावे के साथ घोषणा की थी कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में प्राथमिकता है कि उत्तर प्रदेश में चार एक्सप्रेस हाई-वे बनाने का काम होगा। जहां तक मेरी जानकारी में है, तीन वर्ष होने जा रहे हैं एक भी एक्सप्रेस हाई-वे पर काम शुरू नहीं हुआ। बड़े गर्व के साथ सदन में कहा गया था और हमें भी लगा था कि सरकार बहुत बड़ा काम करने जा रही है। एक एक्सप्रेस हाई-वे

मोहननगर से लेकर महोन तक देहरादून तक मेरे क्षेत्र से होकर गुजरता है उसकी भी घोषणा इस सदन में हुई थी और महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में भी इसका जिक्र किया गया था। लेकिन तीन साल बीतने को है आज तक काम धरातल पर शुरू नहीं हुआ। सदन के अन्दर घोषणा की गई कि उत्तर प्रदेश के गांवों का विकास करने के लिये डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में पांच-पांच गांवों को चयनित करके उनका पूर्ण विकास करने का काम हम करेंगे लेकिन जहां तक मेरी जानकारी में है कि एक-एक, दो-दो गांव प्रत्येक विधान सभा में लिये गये। उनका विकास कार्य शुरू किया गया और उसके बाद उस योजना का स्वरूप ही बदल दिया गया। बाद में सरकार गांवों का विकास न करके इस बात पर आ गई कि केवल दलित बस्तियों का विकास करेंगे वहीं पर सी0सी0 रोड बनाने का काम करेंगे। गांव के लोगों में ही नहीं बल्कि जिस वर्ग में सी0सी0 रोड बनाने का काम शुरू किया गया उसमें भी दो तरह की कैटेगरी हो गई। एक आबादी हरिजन आबादी, दलित आबादी है उसमें तो सी0सी0 रोड बन गई लेकिन यदि 10-5 घर उसी वर्ग के गांव के दूसरे हिस्से में रहते हैं तो वह छूट गये वह कहते हैं कि हमारे घर के सामने रोड क्यों नहीं बनी। मान्यवर, सम्पूर्ण गांव को विकसित करने का काम होना चाहिये था। मेरा कहना इतना ही है कि तमाम घोषणायें करने से उत्तर प्रदेश का विकास होने वाला नहीं है बल्कि जो आप घोषणायें करते हैं उन पर धरातल में कितना अमल हो रहा है, कितनी योजनाओं में काम शुरू हो रहा है, कितना विकास प्रदेश का हो रहा है उस पर चिन्तन और मनन करने की आवश्यकता है। घोषणायें बजट में हर वर्ष होती है लेकिन वह घोषणायें पूरी नहीं हो रही हैं, कहीं पर कोई काम नहीं हो रहा है और अगर सरकार काम ईमानदारी के साथ कर रही है तो जब हम लोग गांवों में जाते हैं तो आखिर वह इतने दुखी और पीड़ित क्यों हैं सरकार से, वह सरकार के काम से खुश क्यों नहीं हैं। अभी मिलावट की बात आई थी, यह जो मिलावट करने वाले लोग हैं यह किसी दल के नहीं होते हैं, ऐसा मेरा मानना है ऐसी मेरी सोच है! मेरी जानकारी में मेरे पास एक लिस्ट भी है। वे सभी लोग पिछली सरकार में उस सरकार के पदाधिकारी थे, उस सरकार का झण्डा लगाते थे, उनको सरकारी संरक्षण मिलता था, सरकारी गनर उनको मिले हुए थे। वह आइडेन्टीफाइड लोग हैं मिलावट करने में जेल जा चुके हैं, छापे पड़ चुके हैं अखबारों में उनके नाम आ चुके हैं। आज वह लोग जैसे ही सत्ता का परिवर्तन हुआ, वह आज सत्तारूढ़ दल के झण्डे लगाकर गनर ले करके फिर घूम रहे हैं। क्या उन्होंने अपना पुराना काम बन्द कर दिया, मान्यवर, ऐसा नहीं है, उन्हें तो आवश्यकता है सरकारी संरक्षण की। सरकार का जब तक संरक्षण नहीं होगा तब तक उनका धन्धा नहीं चलेगा तो आज वह सारे लोग सत्तादल से जुड़ गये हैं। अगर मा0 मंत्री जी कहेंगे तो कई सारे लोगों की लिस्ट मेरे पास है जिन्हें मैं जानता हूं। जिनका अखबारों में मैंने नाम पढ़ा था और आज वह नीला झण्डा लगा करके घूमने का काम करते हैं, कई-कई गनर उनके पास हैं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, विकास तो हो नहीं रहा है, विकास दर में वृद्धि नहीं हो रही है लेकिन बहुत सारी चीजों में बहुत वृद्धि हो रही है। जब हम लोग चुनाव लड़ने के लिये आये थे, टिकट मिला था तो जनता यह महसूस कर रही थी कि प्रदेश में जो सरकार काम कर रही है वह अपराधों पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है, अपराधियों के हौंसले बुलन्द हैं और अपराध

बहुत बढ़ा हुआ है। सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनके द्वारा एक नारा भी अपराधियों के खिलाफ बनाया गया था। लेकिन अपराध आज भी उसी तेजी के साथ पूरे प्रदेश में बढ़ रहे हैं रोज हत्यायें होती हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं होता है कि अखबार में यह खबर न छपती हो कि आज प्रदेश में फलां जगह हत्या हो गई, अपहरण हो गया, लूट हो गई, बलात्कार हो गया। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं प्रदेश का बिल्कुल आखिरी कोना है और हरियाणा की सीमा उससे लगती है। पूरे प्रदेश में आये दिन बलात्कार में एक जिले का नाम प्राथमिकता से आता है वह है सीतापुर जनपद। कितने बलात्कार सीतापुर जनपद में होते हैं ? मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि हर हफ्ते खबर छपती है कि सीतापुर में बलात्कार हो गया। एक ही जनपद का नाम बार-बार आता है। ये सारी चीजें बढ़ी हैं, कानून व्यवस्था है नहीं। सरकार अपनी तरफ से दावे तो बहुत करती है कि कानून का राज, कानून के द्वारा स्थापित होगा।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया स्थान ग्रहण करिये।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, अभी तो मैंने शुरू किया है।

श्री अधिष्ठाता-

8 मिनट हो चुके हैं।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, कुछ तो समय दीजिये। हमारे दल के नेता नहीं हैं और मैं अपने दल के नेता की हैसियत से बोल रहा हूं। मान्यवर, किसान दुखी हैं, व्यापारी भी दुखी हैं, छात्र भी परेशान है। कर्मचारी दुखी हैं, उस पर लाठीचार्ज हो रहा है तो सुखी कौन है, खुश कौन है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि सुखी कौन है ? मैं जिधर भी देखता हूं सभी दुखी दिखाई देते हैं। मान्यवर, 4 एक्सप्रेस हाई-वे बनने थे, उनमें से एक मेरी विधान सभा क्षेत्र से होकर जाना था। इसको सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि बतायी गई थी, मोहन नगर से महोन (देहरादून) तक। सरकार के कार्यकाल का तीसरा वर्ष समाप्त होने जा रहा है और दो वर्ष का कार्यकाल बचा है, अंतिम चरण में पहुंचने वाले हैं लेकिन अभी तक उस पर काम भी शुरू नहीं हुआ है, चारों में से किसी पर भी काम शुरू नहीं हुआ है। हो सकता है कि कोर्ट में चला गया हो लेकिन जिसका मैंने जिक्र किया उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी है मोहन नगर से महोन तक देहरादून तक जाती है, उसका प्रकरण कोर्ट में नहीं है। मैंने सुझाव दिया था कि आपको जमीन के अधिग्रहण की भी जरूरत नहीं है। हिंडन के दोनों तरफ सरकारी जमीन है, बहुत सारे बेल्ट खाली पड़े हैं।

किसानों को पैसा भी नहीं देना है, दोनों तरफ हाई-वे बन सकता है, कोई किसान वहां का कोर्ट में भी नहीं गया है। बाकी जिलों की जानकारी नहीं है लेकिन इस हाई-वे की जानकारी है। परन्तु आज तक कोई काम नहीं शुरू किया गया। मा0 अधिष्ठाता महोदय, किसानों का करोड़ों रुपया गन्ना मूल्य बकाया है, पहले भी हम लोगों ने इसे उठाया, इसका जवाब दिया गया कि ब्याज सहित पैसा दिलवाने का काम करेंगे। गन्ना किसानों को ब्याज तो मिला नहीं लेकिन मूल भी नहीं

मिला, आज तक बकाया है। पिछला जो बकाया था वह अब तक नहीं मिला। मंत्री जी बता दें कि कब तक ब्याज सहित दिलवाने का काम कर देंगे क्योंकि इसी सदन में कहा था कि ब्याज सहित दिलवाने का काम करेंगे।

आज तमाम लोग दुखी हैं। दवाइयों में मिलावट हो रही है स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं छापे पड़ रहे हैं आये दिन पढ़ने को मिल रहा है कि लाखों करोड़ों की नकली दवाई पकड़ी गई इसका मतलब दवाइयों में मिलावट हो रही है। खाने की जितनी भी वस्तुयें हैं उन सब में मिलावट है दवाइयों में मिलावट है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो जिससे कि वह आगे से मिलावट करने का काम न करे तभी इस पर रोक लगेगी। जब तक मिलावट करने वाले लोगों पर लगाम लगाने का काम नहीं होगा तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। मान्यवर, जितनी भी सरकारें चुनकर आती हैं सारी सरकारें जनता के हित के लिये काम करती हैं जो भी सरकार चुन कर आती है वह ऐसा कोई काम नहीं करती जिससे जनता नाराज हो लेकिन अधिकारी वर्ग बैठे हुए हैं यह अधिकारी अपनी करनी से बाज नहीं आते हैं। सरकार में बैठे हुए लोग कहते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन जितनी भी योजनायें हैं उनमें धरातल पर काम नहीं होता है। उसमें 50 प्रतिशत, 25 प्रतिशत भी काम नहीं होता है। सारा पैसा बरबाद हो जाता है। सरकार को लगता है कि हमने तो बड़ा काम कर दिया कितने स्वास्थ्य केन्द्र हैं मुझे इस विधान सभा में तीन वर्ष होने जा रहे हैं मेरी विधान सभा में बहुत सारे स्वास्थ्य केन्द्र हैं लेकिन स्टाफ पूरा नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में हजारों डाक्टरों की कमी है। पशुधन मंत्री जी हैं नहीं मेरे विधान सभा क्षेत्र में सात नये वेटनरी हास्पिटल बन गये यह पिछली सरकार में बन गये थे मुझे तीन साल हो गये मंत्री जी से गुजारिश करते हुए कि वहां स्टाफ की नियुक्ति हो जाए मुझे लगता है कि मेरे पांच साल गुजर जायेंगे स्टाफ की नियुक्ति सरकार नहीं कर सकेगी। बिल्डिंग बनी हुई है बिल्डिंग गिर जायेगी लेकिन स्टाफ की तैनाती नहीं होगी।

अब तो दो साल बचे हैं आपके पास डाक्टर हैं नहीं सुविधा आप कैसे देंगे। राज्य सरकार की योजनायें अमल में कैसे आयेंगी। इन सारी चीजों पर विचार करने की बात है उन पर अमल करने की बात है खाली सदन में कहने से दस्तावेज यहां पेश करने में बड़ी-बड़ी घोषणा करने से जनता का हित होने वाला नहीं है। जो मेरे द्वारा संशोधन प्रस्ताव रखा गया है उस पर बल देते हुए और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का जो संशोधन प्रस्ताव है उस पर बल देते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

* श्री इमरान मसूद-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया मैं आपको धन्यवाद करता हूं। बड़ी ख्वाहिश और उम्मीद के साथ महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को खोलने का काम किया था। मैंने दो साल पहले जब पहला अभिभाषण राज्यपाल महोदय ने इस सरकार में बनने के बाद दिया था तो उस समय तमाम महापुरुषों का जिक्र किया गया था। सभी महापुरुष आदरणीय और सम्माननीय हैं और इस सरकार

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ने उनका सम्मान किया मैं स्वागत करना चाहता हूं। तब मैंने कहा था कि अगर इन महापुरुषों में एक महापुरुष जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता है, जिसने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की जिसका नाम सर सैयद अहमद खान है अगर उसका नाम भी इसमें शामिल कर लेते तो मुझे खुशी होती। लेकिन मुझे यह देखकर दुख हुआ कि मेरे कहने के बाद भी प्रदेश के अन्दर देश के अन्दर आपका नाम है। आपने अपने प्रदेश के अन्दर रहने वाले उस पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति का भी नाम उल्लिखित करने का काम नहीं किया जिसने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। डा0 जाकिर हुसैन साहब, जिन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की और जो हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति भी रहे, उनका उल्लेख कर दिया होता तो बड़ी खुशी होती लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसके अन्दर उनका नाम शामिल नहीं किया गया और इससे ज्यादा अफसोस की बात यह कि प्रदेश की सरकार बार-बार दावे करती है कि प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों के लिये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति के ऊपर इस प्रदेश को चलाने का काम करेंगे लेकिन अधिष्ठाता महोदय, बड़ा अफसोस होता है कि केवल एक वर्ग के हित की बात होती है। अल्पसंख्यकों को बिल्कुल नकार दिया गया, पिछड़ों को बिल्कुल नकार दिया गया। मेरे जनपद के अन्दर पिछले दो साल में अल्पसंख्यक कन्याओं की शादी के लिये, विधवाओं के लिये, बीमारों के इलाज के लिये धन का आवंटन नहीं हुआ। मेरे बार-बार लिखने के बाद भी नहीं हुआ इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छी योजना शुरू की "महामाया आर्थिक मदद योजना" हम स्वागत करते हैं लेकिन इसके अन्दर आपने शर्त डाल दी कि 50 प्रतिशत दलितों के लिये दिया जायेगा। आप दलितों को दें, कौन मना करता है। दलित को मिलना चाहिये, दलित सदियों से पिछड़ा रहा है, दबा रहा है, कुचला रहा है। उनको आप देने का काम करते हैं लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अन्दर मुस्लिम की हालत दलित से अच्छी नहीं है, दलित से बद्तर ही है। आज मुसलमान जो प्रदेश के अन्दर रह रहा है वह शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गया। आपने घोषणा की कि हम अरबी, फारसी विश्वविद्यालय बनाने का काम करेंगे। कितना उसको अमल करने का काम हुआ। कहां आपने उसकी जमीन को लेने का काम किया। आज कोई काम अल्पसंख्यक समुदाय के लिये नहीं किया जा रहा है, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज प्रदेश का अल्पसंख्यक समुदाय बड़ा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जब वह कोई दरख्वास्त लेकर जाता है तो उस दरख्वास्त पर सालों साल अमल होने का काम नहीं होता है।

श्री अधिष्ठाता-

संक्षेप करें।

श्री इमरान मसूद-

मान्यवर, अभी तो दो ही मिनट हुआ है। कम से कम पांच मिनट का समय तो दे दें। मैं तो सार्थक और सकारात्मक सुझाव दे रहा हूं, कोई आलोचना करने का मकसद नहीं है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, सरकार बार-बार कह रही है कि हम जमाखोरों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। हम जमाखोरों को बंद करेंगे। चीनी की किल्लत पूरे देश में और पूरे प्रदेश में जिस तरह से कीमतें बढ़ने का काम हो गया। प्रदेश सरकार ने मुकदमें कायम करा दिये। हमारे यहां भी एक

देवबंद शुगर मिल है उसके मालिक के खिलाफ मैनेजर के खिलाफ मुकदमें कायम हो गये। चूंकि एक हजार बोरी चीनी पकड़ी गई । लेकिन बड़ा दुख हुआ और बड़ा अफसोस हुआ माननीय मंत्री जी आपकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि अगले ही दिन उस चीनी मिल का जो वाइस प्रेसीडेंट था, उसके यहां शादी थी और पूरा सरकारी अमला उसके यहां शादी के अन्दर जुटा हुआ था जिसकी आपने एक दिन पहले रिपोर्ट करा रहे थे थाने में जिसके खिलाफ आपराधिक रिपोर्ट आपने दर्ज कराई थी। किस प्रकार से रोक लगेगी किस प्रकार से उनके हौसले पस्त होंगे जब तक सरकार अपना इकबाल दिखाने का काम नहीं करेगी और बुलन्द इकबाल के साथ काम नहीं करेगी। प्रदेश सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि हमने विकास दर बढ़ाने का काम किया है। आपने ही कहा कि देश के अन्दर विकास दर 9.7 परसेंट है और प्रदेश के अन्दर 7.4 है जो पिछले साल की विकास दर के मुकाबले .3 परसेन्ट घटने का काम हुआ है। आपने यह तो देखा, लेकिन यह भी देख लीजिये कि हमारा पड़ोसी राज्य बिहार जिसको देश के अन्दर सबसे पिछड़ा राज्य कहा जाता था, उसकी विकास दर 11.3 हो गई। गुजरात की विकास दर 11.9 हो गई। आप कहां पर खड़े हैं, आपने यह देखने का काम नहीं किया। आपने बता दिया कि हमने प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने का काम कर दिया लेकिन प्रति व्यक्ति कितना कर्ज देने का काम कर दिया। आज पूरे प्रदेश को कर्ज के अन्दर डुबोने का काम कर दिया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, सरकार बार-बार दावा करती है कि प्रदेश के किसानों के लिये बहुत काम कर रही है। प्रदेश का किसान लुट रहा है। पहले गन्ने का हाल देखिये कि पश्चिम में किसान गन्ने के लिये आन्दोलन चला रहे थे। गन्ना आन्दोलन के अन्दर मेरे भी दोनों पैर जल गये। मेरा जिला अध्यक्ष उस आन्दोलन के अन्दर मरणासन्न अवस्था में है चूंकि प्रदेश का जो किसान है, उसके दर्द में तकलीफ में हम भी शिरकत कर रहे थे और उस आन्दोलन के अन्दर हम जख्मी हुए।

अधिष्ठाता महोदय, पांच मिनट का समय दे दें।

श्री अधिष्ठाता-

पांच मिनट हो गया है।

श्री इमरान मसूद-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, केवल गन्ने की ही नहीं, गेहूं की, धान की खरीद के लिये आपने कह दिया कि क्रय केन्दों पर खरीद हो रही है। कूपन के माध्यम से खरीद हो रही है कूपन मिल गये जमाखोरों को, प्रदेश के अन्दर जो धान का किसान है, वह अपना धान बिचौलियों के हाथ में बेचने को मजबूर है। जो समर्थन मूल्य है, सरकार ने जो समर्थन मूल्य घोषित किया था उससे कम रेट के ऊपर किसान बेचने को मजबूर है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, पर्यावरण के ऊपर खासतौर से कहना चाहता हूं कि भयावह स्थिति हो गई गंगा के ऊपर अभी माननीय प्रमोद तिवारी जी बोलने का काम कर रहे थे। नौ सौ करोड़ रुपया गंगा के ऊपर खर्च कर दिया गया लेकिन गंगा साफ नहीं हुई गंगा आज भी मैली हैं। गंगा हमारी जननी हैं लेकिन हम गंगा के अन्दर सारी गन्दगी डालने का काम कर रहे हैं। हम जननी के अन्दर, आपने बार-बार कहा कि हम गंगा की सफाई के अभियान के लिये व्यवस्था इतने हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था हम केन्द्र सरकार के माध्यम से करेंगे। हम एस0टी0पी0 प्लान्ट लगायेंगे प्रदेश के अन्दर अभी नगर विकास मंत्री जी चले गये वरना मैं पूछता प्रदेश के अन्दर कितने कैपिसिटी के एम0एल0डी0 के आपने सीवरेज ट्रीटमेंट

प्लान्ट लगाये। आपने जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाये वह आज बदहाली का शिकार हैं और बंद पड़े हैं, चालू स्थिति में नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री इमरान मसूद-

मान्यवर, यह स्थिति अभी और भयावह होगी। मैं रिपोर्ट पढ़ रहा एन0जी0ओज की, 2030 तक यही स्थिति रही तो हमारे प्रदेश के शहर कचरों के ढेर के अन्दर तब्दील हो जायेंगे। इससे भयावह स्थिति और कोई हो नहीं सकती है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार अल्पसंख्यकों के लिये कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा केवल कागज पर न करे। अभी मोअल्लिम आये अपनी बात रखने के लिये, मोअल्लिम आए अपनी बात रख रहे थे, पुलिस डंडा चला रही थी, खुले आम डंडा चल रहा था आप मोअल्लिम की बात सुनने का काम करते, सुन करके उस पर अमल करने का काम करते। प्रदेश के अन्दर रहने वाले उन करोड़ों मुसलमानों के जज्बातों को समझकर उनकी भयावह स्थिति को समझकर कोई ऐसा ठोस फैसला लेते ताकि आने वाले दिनों में आपकी वाहवाही होती । लेकिन आपको तो सोचना नहीं है। आपकी सोच तो संकुचित हो गई है। आपकी सोच सीमित है और सरकार केवल एक वर्ग की बात करना चाहती है। आप उनको महिमामंडित कर रहे हैं आप कहीं हमारे एक महापुरुष को महिमामंडित करने का काम करते, उनके नाम पर कुछ कर दिया होता।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री इमरान मसूद-

प्रदेश के अन्दर बिजली के ऊपर बार-बार चिल्लाया जा रहा है कि बिजली नहीं है। मान्यवर, हमारे यहां की माइक्रो हाइडिल योजनायें सारी की सारी बन्द होने के कगार पर पड़ी हैं।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री इमरान मसूद-

मेरे यहां पर यमुना नहर के ऊपर और गंगा कैनाल के ऊपर जितनी माइक्रो हाइडिल योजनायें हैं वह सब बन्द पड़ी हैं। 300 अतिरिक्त मेगावाट बिजली का उत्पादन थोड़े से सुधार के बाद किया जा सकता है लेकिन सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है। माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे बोलने का समय दिया मैं आपका आभारी हूं और अपने संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री उदयभान करवरिया-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभिभाषण

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के पहले ही पृष्ठ को जैसे ही खोलते हैं-"गंगा जमुनी तहजीब के लिये विख्यात और भारत के हृदय स्थली उत्तर प्रदेश पहली ही लाइन में इसका जिक्र आता है अभी मा0 सदस्य इमरान जी बोल रहे थे गंगा जी की सफाई के लिये कितनी योजनायें बनाई गईं और कितने धन उसके लिये आवंटित किये गये केन्द्र सरकार से, लेकिन आज जो भी गंगा में प्रदूषण बहाया जा रहा है वह कम नहीं हो रहा है। मान्यवर, कानपुर, कन्नौज यह सारी की सारी बेल्टें, हाईकोर्ट में भी इसका मुकदमा चल रहा है कि टेनरियों का पानी सीधे गंगा जी में बहाया जाता है उसमें ट्रीटमेंट प्लान्ट लगे ही नहीं हैं टेनरियों में और उसका पानी सीधे-सीधे गंगा जी में बहाया जाता है यह प्रदूषण की स्थिति है। अभी इलाहाबाद में माघ का मेला चल रहा है तम्बू कनात में वहां पर मेला क्षेत्र में ग्रामीण अंचल से लेकर दूसरे जिलों के लोग आकर मान्यवर, एक तरफ तो स्वास्थ्य का भी नुकसान है, जो लोग वहां पर रुके हैं, उनके स्वास्थ्य के लिये भी यह हानिकारक है, यदि प्रदूषण रहे। मान्यवर, एक दिन मैंने देखा कि गंगा जी में जितने क्यूसेक पानी है, उससे ज्यादा क्यूसेक पानी गंगा जी में सीवर से प्रवाहित किया जाता है। इसका मतलब यह हो गया कि स्वच्छ जल गंगा जी में है ही नहीं। अभी जब मेला का समय चलता है तो प्रशासन का दावा होता है, प्रदेश सरकार की तरफ से भी होता है कि गंगा जी में पानी नरौरा से छोड़ा गया लेकिन मान्यवर, नरौरा से छोड़े गये पानी और नाले के पानी में अन्तर होता है। मान्यवर, गंगा जी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिये अभिभाषण में व्यापक स्तर पर बात आनी चाहिये थी लेकिन केवल एक लाइन में ही इस बात को कहकर समाप्त कर दिया गया। मा0 अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में लिखा है कि किसी भी प्रकार का कोई जातिगत अथवा क्षेत्रगत तनाव या नक्सलवादी अथवा आतंकवादी घटनायें आदि घटित नहीं होने दी गईं। यह भी अभिभाषण में अंकित है कि किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां उत्तर प्रदेश में घटित नहीं होने दी गईं। मान्यवर, मैं इलाहाबाद जनपद का हूं और इलाहाबाद के ऊपर मिर्जापुर और सोनभद्र का जो क्षेत्र है, वह बुरी तरह से नक्सल प्रभावित क्षेत्र पहले से ही है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रोक न लग पाने के कारण नक्सल प्रभाव इलाहाबाद जनपद की सीमा के अन्दर भी स्थापित हो रहा है। पिछले सत्र में मैंने इस प्रकरण को उठाया था, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह जवाब दिया था कि हमें यह मालूम है कि लालसलाम के अन्तर्गत वहां नक्सलवाद की घटनाओं को अन्जाम दिया जा रहा है जिसके लिये ठोस कार्यवाही कर रहे हैं और इस पर प्रभावी कार्यवाही करके इसको रोकेंगे। मान्यवर, अभी पिछले महीने डी0जी0पी0 महोदय भी गये थे, उन्होंने भी प्रेस कान्फ्रेंस कर दी कि हम नक्सलवाद की गतिविधियों को रोक रहे हैं, सारी व्यवस्थायें भाषण, अखबार में, प्रेस कान्फ्रेन्स में चल रही हैं, लेकिन मान्यवर, जमीनी हकीकत कुछ और है। अगर कहीं पर भी कार्यवाही हुई होती तो इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक जो वहां पर पकड़े गये हैं, वह नहीं पकड़े गये होते। उदाहरण के तौर पर मान्यवर, दो वर्ष में लगभग एक दर्जन से ज्यादा स्थानों पर भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री पकड़ी गई। मान्यवर, 12 मार्च, 2007 को 750 कि0ग्रा0 बारूद, एक कुन्तल अमोनियम नाइट्रेट, डेटोनेटर व फ्यूज वायर, जो लिखा पढ़ी में पकड़ा गया, जिसमें मुकदमें दर्ज हुए। मान्यवर, मार्च के बाद फिर मई 18, 750 कि0ग्रा0 अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया। फिर मई, 24 में 50 कि0ग्रा0 अमोनियम नाइट्रेट, फिर सितम्बर, 6, 2007 में 220 कि0ग्रा0 अमोनियम नाइट्रेट, डेटोनेटर व फ्यूज वायर फिर पकड़ा गया। मान्यवर, 21 सितम्बर, 2007 को फिर

50 कि0ग्रा0 अमोनियम नाइट्रेट, 28 सितम्बर, 2008, 700 कि0ग्रा0 लगभग 14 बोरी अमोनियम नाइट्रेट, एक हजार फीट फ्यूज वायर, यह फिर से पकड़ा गया। मान्यवर, 11 नवम्बर को फिर टण्डन वन में जो शंकरगढ़ का क्षेत्र पड़ता है, इलाहाबाद जनपद की सीमा के अन्तर्गत है, वहां पुनः लावारिस पड़ी मिली विस्फोटक सामगी पकड़ी गई। मान्यवर, 28 सितम्बर, 2008, रानीगंज जो इलाहाबाद में ही है, वहां पर फिर 8.5 कुन्तल अमोनियम नाइट्रेट 120 डेटोनेटर, 1700 मीटर फ्यूज वायर, यह पुनः पकड़ा गया। मान्यवर, 19 फरवरी को फिर एक कुन्तल अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया। 26 मार्च, 2009 को फिर अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया। उसके बाद 20 मई, 21 अगस्त, 9 सितम्बर, 27 अक्टूबर, 2009, 07 अक्टूबर, 2009, 10 नवम्बर, 2009, 8 दिसम्बर, 2009, 4 मई, 2009, 20 अगस्त, 2009, 28 सितम्बर, 2009, 6 नवम्बर, 2009 को भी विस्फोटक सामग्री पकड़ी गई।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षेप करें।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, मैं संक्षेप ही कर रहा हूं। मान्यवर, नक्सलवाद की जो गतिविधि है, उसको बढ़ने के पहले रोक देना, अच्छा संकेत होगा। मान्यवर, यह केवल दो वर्ष की घटनायें बता रहा हूं जो इलाहाबाद जनपद में इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक पकड़े गये। यह गम्भीर समस्या है। इससे निपटने के लिये कुछ न कुछ ठोस कार्यवाही सरकार को बनानी चाहिये थी लेकिन खेद का विषय है कि राज्यपाल जी के अभिभाषण में इसके लिये कहीं ठोस व्यवस्था नजर नहीं आती। मान्यवर, बजट सत्र में प्रदेश में बजट में एक प्राविधान किया गया था जो दुधारू पशु हैं उनको खरीदा जायेगा और गरीब लोगों के बीच में अनुदान आदि के रूप में देकर दुधारू पशुओं की खरीद को बढ़ावा दिया जायेगा। लेकिन मान्यवर, बाद में मालूम चला कि उस पैसे से दुधारू पशु नहीं खरीदे गये लेकिन वह पैसा अम्बेडकर गांवों में सी0सी0 रोड बनाने के काम में आ गया। मान्यवर, अगर दुधारू पशु खरीदे जाते, अगर उसकी व्यवस्था बनाई जाती तो उसके 2-3 लाख होते। मान्यवर, दूध की उत्पादकता बढ़ती। आज हमारे यहां डी0ए0पी0 और यूरिया की जो त्राहि- त्राहि मची हुई है, लाइन लगाकर यूरिया दी जाती है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, बस एक मिनट और दे दें। मान्यवर, पहले के समय में जब हम छोटे थे तो यूरिया का इतना प्रचलन नहीं था, गोबर की ही खाद खेतों में डाली जाती थी और वह शुद्ध खाद रहती थी और उसमें किसी भी प्रकार की बीमारी फसल में नहीं लगती थी। लेकिन धीरे-धीरे पशुओं का अभाव होने लगा और गोबर कम पड़ने लगा। मान्यवर, जब सरकार ने बजट में प्राविधान रखा तो बड़ी प्रसन्नता हुई थी कि शायद फिर शुद्ध वातावरण में खेती का समय आ गया है और इस पर सरकार बड़ी चिन्ता कर रही है। लेकिन वह सारी चीजें खत्म, और मुझे लगता है

कि दुधारू पशु से ज्यादा सी0सी0 रोड ज्यादा समझ में आयी और वह सारा का सारा पैसा उसमें ट्रान्सफर हो गया। मान्यवर, सी0सी0 रोड भी बनती लेकिन कम से कम जिस चीज का प्राविधान किया जाय उसको पूरा होने देना चाहिये था। इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिये था। मान्यवर, माननीय श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को आवास की व्यवस्था की सुविधायें दी जा रही हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, बस आधा मिनट और दे दें। मान्यवर, यह बहुत अच्छी योजना है और इसका लाभ निश्चित रूप से गरीब परिवारों में जाना चाहिये जो आवास विहीन हैं, जिनके पास रहने के लिये आवास नहीं है उनको आवास मिलना चाहिये और रहने की साफ-सुथरी व्यवस्था मिलनी चाहिये। लेकिन मान्यवर, इलाहाबाद में शहरी क्षेत्र में पहले से बहुत से आवास निर्मित हैं जो मल्टीस्टोरी फ्लैट निर्मित हैं। मान्यवर, हर समय वहां पर रहने वालों को यह डर सताता रहता है कि पता नहीं कब बुल्डोजर चल जायेगा और यह पूरी की पूरी कालोनी गिर जायेगी। मान्यवर, जो पहले से निर्मित कालोनी में निर्मित फ्लैट हैं उनको कम से कम पहले वैध कर दिया जाता, कुछ टैक्स लगता, लेकिन एक सिस्टम बनाकर उनको भी वैधानिकता की परिधि में ला दिया जाता। कम से कम जो परिवार पहले से उसमें रह रहे हैं उनको यह डर सता रहा है कि पता नहीं कब हम आवास-विहीन हो जायें। उससे भी उनको राहत मिल जाती। इस योजना के साथ उसको भी लिया जाता तो निश्चित रूप से उनको कुछ न कुछ लाभ मिलता।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, बस 15 सेकेण्ड बचा है। मान्यवर, विद्युत की समस्या है। अगर इस अभिभाषण में सोलर लाइट का ज्यादा उपयोग करने के बारे में कुछ दिया होता।

श्री लालजी वर्मा-

यह आप अपने भाइयों से जानकारी कर लें।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, हम भाइयों से घर में जानकारी कर लेंगे लेकिन यहां पर मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से जानकारी करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं कह रहा था कि प्रदेश में बिजली की समस्या है। अगर हम सौर ऊर्जा का ज्यादा इस्तेमाल करते तो शायद सौर ऊर्जा से बिजली की समस्या का भी समाधान होता और ग्रामीण क्षेत्रों में हम उसका ज्यादा लाभ ले सकते थे। मान्यवर, एक दिन अखबार में मैंने पढ़ा कि पांचवीं क्लास तक के बच्चों को फेल नहीं किया जायेगा मैंने कई लोगों से प्रश्न पूछा कि क्या प्राइमरी में पांचवीं तक क्लास में पढ़ने वाले बच्चे कभी फेल हुए हैं ? मान्यवर, किसी ने जवाब नहीं दिया कि वह बच्चे कभी फेल हुए हैं। पांचवीं तक के बच्चे

पास कर दिये जाते हैं। मान्यवर, एक दिन अखबार में समाचार आया कि आठवीं तक भी सारे बच्चे पास कर दिये जायेंगे, कोई फेल नहीं किया जायेगा। मान्यवर, अगर प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता इस प्रकार की होनी है इस अभिभाषण के माध्यम से अगर इस प्रकार की बात आनी है तो उसके विषय में ज्यादा कहना ठीक नहीं है। मान्यवर, अभी विषय आया था चुनाव से संबंधित। मान्यवर, एक गांव है।

श्री अधिष्ठाता-

ये एक लाइन है।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, अभी 5 सेकेण्ड बचा है। मान्यवर, ग्राम डमरास है। इसमें मान्यवर, जो ग्राम सभा की सूची बन रही है उस सूची में अनियमितता की शिकायत आई है और मान्यवर, ये कालपी जिला जालौन का है। मान्यवर, इसमें मेरे पास इस प्रकार के प्रमाण हैं कि जहां पर नाबालिग 12 साल, 10 साल, 13 साल, 14 साल के बच्चों को मतदाता बनाया गया है और जो सही में मतदाता हैं उनको हटाया गया है। मान्यवर, कम से कम इन सब चीजों में पारदर्शिता किया जाता तो निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देता।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, अब समाप्त करें।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, एम0एल0सी0 के चुनाव में बहुत शिकायतें हैं।

श्री अधिष्ठाता-

उस पर चर्चा हो चुकी है। कृपया उस पर चर्चा न करें।

श्री उदयभान करवरिया-

अभी मान्यवर, एम0एल0सी0 के चुनाव के विषय में बात आ रही थी। मान्यवर, बस एक मिनट।

श्री अधिष्ठाता-

श्री राजकुमार सिंह गौतम।

डा0 राजकुमार सिंह गौतम-

पहली बार आया हूं, मान्यवर,।

(श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय शुक्ला जी, इधर से दो लोगों को बुलाया जा चुका है। अब उधर से एक को बोलने दीजिये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

*डा0 राजकुमार सिंह गौतम-

मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में "सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय" के निमित्त माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में चल रही सरकार द्वारा लोक कल्याण विशेषकर समाज के उपेक्षित और वंचित वर्ग के लोगों के व्यापक स्तर पर उनके लिये किये जा रहे प्रयासों की विस्तार से चर्चा की है। समय की कमी की वजह से उन सारे विषयों पर चर्चा कर पाना आज संभव नहीं होगा, इसलिये कुछ विशेष बातें जो मैं समझता हूं कि यहां उल्लेख होना चाहिये और जिसकी तारीफ की जानी चाहिये, मैं संक्षेप में खासतौर से जो वरिष्ठ सदस्यगण हैं उनसे आशीर्वाद लेते हुए कि वे मुझे अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति में मेरी मदद करेंगे, मैं अपनी बात शुरू करना चाह रहा हूं। मान्यवर, प्रदेश के त्वरित और पारदर्शी विकास की एक नई मुहिम का सूत्रपात हुआ है, वर्तमान शासन काल के अन्दर। प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति, शोषित, वंचित पिछड़े वर्ग के आर्थिक विकास का एवं सामाजिक उत्थान को प्राथमिकता दी है। यह बात किसी से छिपी नहीं है। सरकार ने इन वर्गों के आत्म सम्मान एवं गौरव की भावना को जाग्रत करने के उद्देश्य से इन्हीं वर्गों के प्रेरणा स्रोतों महान संतो और महापुरुषों जो महात्मा ज्योतिबा राव फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरू बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर, कांशीराम जी की स्मृति में चाहे स्मारक बनाये हों, और तमाम ऐसी मूर्तियों का पार्क का निर्माण हमारी सरकार ने कराया है। बहुत सारे सदस्यों की इसमें बहुत सारी बार-बार टिप्पणियां इस सदन के अन्दर हम लोगों ने सुनी है। मैं पहले भ इस पर कह चुका हूं बस संक्षेप में कहता हुआ कि आजादी के इतने वर्षों बाद लगभग 62 वर्षों के बाद जितनी सरकारें आई हैं उत्तर प्रदेश में गरीबी हटाओ के नाम पर बहुत सारे प्रयोग किये हैं और इन सारे प्रयोगों के लिये जाने के दौरान आप गवाह हैं। हम धरातल पर जब देखें पीछे मुड़ के पक्ष और विपक्ष की बातों को किनारे करके तो हमें यह दिखाई देगा कि आज भी गरीबी कहीं-कहीं परेशान और हताश है। निश्चित रूप से मेरा यह मानना है कि केवल आर्थिक संसाधनों को मुहैया कराके इस देश का विकास नहीं किया जा सकता। कहीं न कहीं प्रेरणाओं की जगह होती है और अगर ऐसा नहीं होता तो तमाम साधनों और संसाधनों के बाद इस देश में मंदिर बने, मस्जिद बने, इबादतगाह बने, ऐसे-ऐसे प्रेरणा के केन्द्र बने जहां लोग जा करके प्रेरणा पाते हैं और कहीं न कहीं अपने योगदान को इस धरती के लोगों के कल्याण में देखते हैं। मेरा भी यह मानना है कि ठीक बात, जो काम आज 62 वर्षों में विपक्षी सरकारें नहीं कर पाईं उत्तर प्रदेश के अन्दर हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने यह संकल्प उठाया और बखूबी पहले भी कह चुका हूं कि लखनऊ के लिये वह ऐसट होंगे, उत्तर प्रदेश के लिये ऐसट होंगे जब ताजमहल आज जिन मायनों में जाना जाता है कहीं न कहीं लखनऊ के इन भागों में जब कोई बाहर का आदमी गुजरता है, तो उसको लगता है कि हां प्रेरणाओं का पाने का एक स्थान लखनऊ

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में बना है, इस नजरिये से भी देखे जाने की आवश्कता है। किसी शायर की चार छः लाइनें मुझे याद आ रही हैं, मैं समर्पित करना चाह रहा हूं कि :-

"चन्द्र कतरें रोशनी के इस तरफ आने तो दो,
घुप अंधेरे में हैं जो, कुछ उनको अंगड़ाने तो दो,
रोशनी से उनके हिस्से की चिरांगा कब तलक,
छीन लेंगे खुद जरा बस आंख खुल जाने तो दो,
झूठ मक्कारी फरेबी, लूट खुद होगी खामोश,
बे जबानों को जबां की बोलने आना तो दो।"

तो निश्चितरूप से जो गरीब लोग हैं मुख्य धारा में पिछड़ गये हैं उनको जैसे दूध में दही जमाने के लिये थोड़ा जोरन डालना पड़ता है, तो यह मान लीजिये कि 62 सालों में उनकी गरीबी को हटाने के लिये थोड़ा सा जोरन डाल दिया गया है। यह इतनी बड़ी कोई ऐसी धनराशि नहीं है जिसके लिये इतनी हायतोबा मचाई जाय। पीछे बहुत सारी सरकारें आईं उनको यह काम कर देना चाहिये था। अगर वह नहीं कर पाये तो कदाचित हमने अगर किया है तो उसकी तारीफ होनी चाहिये। इसी क्रम में अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने 15 जनवरी, 2010 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना की घोषणा की। 30 लाख ऐसे गरीबों को जो किसी भी योजना के आच्छादन तले नहीं है, गरीब है, बी0पी0एल0 सूचियों का जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। हम अगर राजनीति की उन पेचेदेगियों से और संकीर्णताओं से अगर ऊपर उठेंगे तो हमें जरूर यह पता लगेगा कि आज बी0पी0एल0 सूचियों का हाल बहुत ऐसे लोग जो कि हवेलियों के मालिक है, जिनके घर में 60 हजार, 80 हजार रुपये प्रति महीने तनख्वाह आ रही है उनके भी नाम उन बी0पी0एल0 सूचियों में है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने एक इतना बड़ा यथार्थ जिसको रोज वहां से झुठलाया जाता है, उसको आपने स्वीकार किया, धन्यवाद।

डा0 राजकुमार सिंह गौतम-

मेरी पूरी बात आ जाने दीजिये। बी0पी0एल0 सूचियों में जो स्थितियां हैं, उनको समझते हुए जैसे ही उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में आई, इसके पुनरीक्षण का कार्यक्रम, तहसीलवार, ब्लाकवार शुरू कराया गया। अफसोस की बात है, हम कहते हैं कि केन्द्र में हमारी सरकार नहीं है, आदरणीय तिवारी जी भी कहते हैं कि केवल आक्षेपों से काम नहीं चलेगा। मैं चुनौतीपूर्वक कहना चाहता हूं कि अगर इन चीजों में सुधार की गुंजाइश है तो स्पोर्टिगली, खिलाड़ी भावना से, आज केन्द्र सरकार के पाले में यह गेंद है, उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत सारे प्रस्ताव वहां लम्बित पड़े हुए हैं, कम से कम बी0पी0एल0 सूचियों में संशोधनों का जहां तक मामला है इस पर वहां से हमें यह आजादी दी जाय कि हम गलत लोगों को निकाल कर सही लोगों का नाम उसमें डाल सकें।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 राजकुमार सिंह गौतम जी, संक्षेप करें।

डा0 राजकुमार सिंह गौतम-

मान्यवर, बीच में आप देख रहे हैं, फिर भी चलिये उन चीजों की कहीं न कहीं सीमायें थीं और इसलिये उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में न गरीबों की संख्या पहले कम थी और न आज बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन आज गरीबों की सरकार उत्तर प्रदेश में बैठी हुई हैं और इसलिये मान्यवर, बहन जी को उनका दर्द मालुम है। इसलिये उन्होंने 30 लाख गरीब परिवार के लोगों को 300 रु0 प्रतिमाह पेंशन के रूप में देने का फैसला किया है। यह राजनीतिक हित साधनें के लिये नहीं है बल्कि गरीबों के हितों के लिये है। इसमें 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग होंगे और बाकी दूसरे वर्ग के लोग होंगे जो बहुत ही गरीब हैं यह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की अवधारणा पर आधारित हमारी सरकार का फैसला है। इसी तरह से जो सहायता राशि प्रदान की जा रही है उसमें सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि उसका दुरुपयोग न हो सके वह घर की महिला मुखिया को दी जायेगी। क्योंकि उसमें एक बात यह भी है कि पुरुष मुखिया को दी जायेगी। क्योंकि उसमें एक बात यह भी है कि पुरुष मुखिया की अन्य साधनों से भी कोई आय हो सकती है और वह पैसे का दुरुपयोग भी कर सकता है। मान्यवर, यह सरकार का स्वागत योग्य कदम है। इसी प्रकार से अन्य योजनाओं में भी समाज की भलाई की दृष्टि दिखाई देती है। मैं समाप्त कर रहा हूं मान्यवर, मान्यवर, सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना है। इसमें कक्षा 11 में प्रवेश लेने पर रु0 15 हजार प्रोत्साहन राशि एवं एक साइकिल तथा उमसें उत्तीर्ण कर कक्षा 12 में प्रवेश लेने पर रु0 10 हजार देने की योजना बनाई गई है। इससे लाखों छात्रायें लाभान्वित होंगी। इसी प्रकार से, महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना है जिसमें पुत्री के जन्म लेने पर सावधि जमा के रूप में प्रोत्साहन राशि देने की योजना है जिसमें उसके 18 वर्ष की आयु पर एक लाख रु0 देने की व्यवस्था है। यह इसलिये है ताकि गरीब लोग अपने घर में जन्मी बेटियों को बोझ न समझें। मान्यवर, हम सबको सरकार की इन महत्वपूर्ण योजनाओं का स्वागत करना चाहिये। मान्यवर, मैं चार लाइनें कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। गमों की आंच से आंसू उबालकर देखो, रंग किसी पर भी डालकर देखों, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर होगी कम, किसी के पांव से कांटा निकालकर देखो। धन्यवाद।

*श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं उनके विचारों से स्वयं को सम्बद्ध करती हूं। इसी तरह से मुझसे पूर्व में लोगों ने यहां पर विचार रखे हैं उन संशोधनों के प्रस्तावों पर उनसे भी अपने को सम्बद्ध करती हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, माननीय राजकुमार सिंह गौतम जी अभी अपनी बात कह रहे थे महापुरुषों की प्रतिमाओं को लेकर बात कह रहे थे। निश्चित तौर पर उसमें किसी तरह का कोई विवाद नहीं होना चाहिये। लेकिन मान्यवर, अच्छा होता यदि गौतम जी उन महापुरुषों के नाम पढ़ने के बाद उन्हें याद कर लेते फिर अपनी बात कहते। वह सबके नाम पढ़ रहे थे। मैं कहना चाहती हूं कि इसका फैसला इतिहास को करने दीजिये। उसमें होगा यह कि हजारों साल भी पन्ने पलटने पड़े तो लोगों के नाम उनके याद रहेंगे।

डा0 राजकुमार सिंह गौतम-

मान्यवर, मैं पहली बार हाउस में चुनकर आया हूं। मैं उन महापुरुषों के नाम यहां पर बता रहा था जिन्हें हमारी सरकार ने अलंकृत करने का काम किया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, आप चिन्ता न करें यह घरेलू मामला है, गाजीपुर के भाई बहन का मामला है, हम लोग ज्यादा न उलझें।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैंने केवल इतना कहा कि कुछ फैसला इतिहास को करने दीजिये। बात इसलिये हो रही है कि आज यहां पर बैठ करके तमाम तरह के प्रस्ताव रखे गये, तमाम तरह के संविधान की बात होती रहती है, संविधान में संशोधन की बात होती है, आरक्षण की बात होती है यह सब आप किसकी छत्रछाया में बैठकर करते हैं। यह सब आप जिस तस्वीर के सामने बैठे हुए हैं कम से कम अगर उनका भी नाम इसमें सम्मिलित कर दिया होता, क्योंकि आप याद रखें कि अगर हिन्दोस्तान आजाद नहीं होता तो न आप आरक्षण की बात कर पाते और न आप किसी संविधान की बात कर पाते। यह कुरबानियां दी है लोगों ने और उनका लहू है यह वह लोग थे चाहे वह चन्द्र शेखर आजाद रहे हों महामहिम राज्यपाल जी ने कहा है कि हृदय स्थली है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हृदयस्थली क्यों है इसलिये है कि यहां पर चन्द्रशेखर आजाद थे, यहां पर राम प्रसाद विस्मिल थे यहां पर अशफाकउल्ला खां थे उनको भूल जाते हों। यह वह लोग थे जो हंसते हुए फांसी के फन्दे पर झूल गये कि-

सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।

और वह जो कातिल के बाजू थे वह थर्रा गये थे हुकूमते बरतानिया जिसका सूरज कभी डूबता नहीं था, 15 अगस्त, 1947 को इन्हीं आजादी के मतवालों की कुरबानियों से वह सूरज डूबा था। इसलिये मैं आपसे कहती हूं कि कम से कम उन्हें जरूर याद रखिये। एक दिन राष्ट्र जब उनको याद नहीं रखता उनकी कुरबानियों को याद नहीं रखता, अपने इतिहास को याद नहीं रखता तो आने वाली नस्लें भी तुम्हें याद नहीं रखेंगी। मेरी सिर्फ इतनी आपसे गुजारिश है। मेरे भाई ने सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात कही, निश्चित रूप से हम सभी इस भावना का सम्मान करते हैं लेकिन यह नजर तो आये कहां नजर आती है बात हो रही थी कि उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना की बात हुई, 30 लाख लोग इससे लाभान्वित होंगे यह

बात हुई, 300 रुपये प्रति परिवार प्रतिमाह दिया जायेगा यह बात सामने आई। लेकिन एक बात मैं कहूंगी और अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करूंगी। जब यह कहा गया कि 50 प्रतिशत इसके लाभार्थी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के होंगे। केवल एक सवाल है आपके माध्यम से कि उत्तर प्रदेश में संख्या कितनी है यह नारा तो आपका भी है कि जितनी संख्या उतना ही हिस्सा होगा 23 प्रतिशत लोगों को 50 प्रतिशत संस्थानों के ऊपर कब्जा दिया जा रहा है और 50 प्रतिशत जो बच रहा है उसमें 75 प्रतिशत से ज्यादा लोग यह फैसला कीजिये आप कहेंगे कि दलित समाज सदियों से दबा था कुचला था हम आपकी बात से इंकार नहीं करते हैं लेकिन एक बात का जवाब हम भी चाहते हैं कि आज तो सच्चर कमेटी ने माना है इस बात को, इकरार किया है इस बात को कि आज की तारीख में हिन्दोस्तान में, उत्तर प्रदेश में कोई सबसे ज्यादा दबा हुआ है, सबसे ज्यादा कोई पिछड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा कोई कुचला हुआ है तो वह मुसलमान है। कहां नजर आता है उत्तर प्रदेश में इतने जिले में जरा हमें बता दीजिये वह जिले बता दीजिये जहां का कलेक्टर मुसलमान हो, वह 5 जिले बता दीजिये जहां का एस0पी0 मुसलमान हो जरा बता दीजिये हमें हम मान जायेंगे जिसकी बात को सबसे पिछड़े हुए हम सबसे दबे हुए हम, हमें हमारा अधिकार नहीं मिलता है इसलिये हम कहते हैं कि दबे कुचलों की आवाज को पहचानिये। उसके बाद आपने कहा कि यह सरकार गन्ने के किसानों की खुशहाली के लिये काम करेगी। मेरी आवाज को दबाइये मत मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगी कि कृपया सुन लीजिये। किसानों की खुशहाली की बात हुई धान के क्रय केन्द्र खोले गये, 28 फरवरी तक चलना चाहिये था, मगर नहीं चला। दिसम्बर में क्रय केन्द्र बन्द कर दिये जाते हैं, बिचौलियों के माध्यम से खरीद होती है। गेहूं का वहीं हश्र हुआ और गन्ने की फसल, जिसकी बहुत देर से लम्बी चौड़ी बातें हुई थी, आज मुझे यह कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि वर्ष 2007-2008 के सत्र का 1051 करोड़ रुपया चीनी मिलों पर आज भी बाकी है। आपने इसी सदन में आश्वासन दिया था कि पैसा ब्याज सहित दिया जायेगा। लेकिन ब्याज नहीं मिलता है जबकि चीनी मिल का मालिक उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करता है और उससे वह लाभ कमाता है। दाम आपने गन्ने का निर्धारित किया था 165-170 रुपये और केन्द्र ने 129 रुपये 84 पैसे किया। मैं आपसे एक बात कहूंगी चाहे मुजफ्फरनगर रहा हो, चाहे सहारनपुर रहा हो, चाहे मेरठ रहा हो और चाहे बागपत रहा हो, अगर वहां के किसानों ने खड़ी फसलों को जलाकर खुद आत्महत्या न कर ली होती तो आज जो गन्ने की कीमत मिल रही है, क्या वह कीमत मिल रही होती, कभी नहीं मिलती।

मैं बस एक बात कहना चाहती हूं, बात हुई कच्ची चीनी के आयात की। मुझे केवल सच को सामने लाने दीजिये, किसी ने कहा इन्होंने उठाया नहीं और इन्होंने कहा कि हमें उठाने की मोहलत नहीं मिली। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उस समय कोई हितैषी नहीं था, आप इतना सोचें और तमाम सदन से मेरा अनुरोध है कि सहानुभूतिपूर्वक उसके ऊपर विचार करें कि गन्ने का दाम तो बढ़ाया नहीं जाता है और कच्ची चीनी ब्राजील से आयात कर ली जाती है, यह ले भी आते, यह कच्ची चीनी उत्तर प्रदेश में आती अगर किसानों ने आन्दोलन करके वापस उसको मालगाड़ी में लाद न दिया होता। इन लोगों में इतना साहस नहीं था कि किसान के विद्रोह को झेल पाते। इसलिये कच्ची चीनी उत्तर प्रदेश में नहीं आई न कि किसानों की हमदर्दी में।

आज किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। किसान हिन्दुस्तान का अन्नदाता है और जब हिन्दुस्तान का अन्नदाता आत्महत्या करने पर मजबूर होता है तो वह दिन तारीख के पन्नों में स्याह हर्फों में लिखा जाता है। उसे कोई मिटा नहीं पायेगा क्योंकि उसकी जुबान पर आता है, जब वह देखता है तुम्हारे आलीशान महलों को तो उस वक्त उसके दिल में एक आह निकलती है कि-

'बढ़ के इस इन्दर सभा का साजों सामां फूंक दूं,
इसका गुलशन फूंक दूं, उसका शबिस्ता फूंक दूं,
तख्ते सुलतां क्या है, मैं सारा कस्रे सुलतां फूंक दूं,

जिस दिन हिन्दुस्तान का किसान सड़कों पर निकल आयेगा तो कोई उसकी आवाज को दबा नहीं पायेगा। गंगा एक्सप्रेस वे की बात हुई, यमुना एक्सप्रेस वे की बात हुई लेकिन यमुना एक्सप्रेस वे के नाम पर क्या हुआ। आगरा में 850 गांवों की जमीनों को जबरदस्ती अधिग्रहीत किया जाता है। क्योंकि उनकी जमीनें तो पहले ही यमुना एक्सप्रेस वे के नाम पर ली गई थी। दुबारा यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम पर ली गई, यह 850 गांव वह गांव हैं जो आलू के उत्पादन में अग्रणी हैं, उनकी जमीनें जबरदस्ती ली जाती हैं। किसान जब विरोध करता है तो उसके ऊपर लाठियां चलती हैं। गुण्डा एक्ट लगाया जाता है और उसका उत्पीड़न होता है और उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

बस एक मिनट। अभी ऊर्जा और कानून व्यवस्था की बात तो आई ही नहीं। ऊर्जा का सच सुन लीजिये। मैं आपके माध्यम से सदन के सामने एक सच लाना चाहती हूं बातें तो बहुत की गईं कि 2014 में हम आत्मनिर्भर होंगे जिस रोजा की बात हुई, छः सौ मेगावाट उत्पादन की बात हो रही है वह समाजवादी पार्टी के नेता मा0 मुलायम सिंह यादव जी के शासनकाल में लगा था। आपने उसको नहीं लगाया, आप कहते हैं कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में सात हजार मेगावाट और बारहवीं के अन्त तक आप पच्चीस हजार मेगावाट उत्पादन की बात करते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, मैं अभी समाप्त कर दूंगी, एक बात मुझे कृपया कह लेने दें यह मेरी करबद्ध प्रार्थना है। कहां है विद्युत का उत्पादन, आपने तो यह दिया कि बारा और करछना की 330 मेगावाट की दो इकाइयां जो यू0पी0पी0सी0एल0 की थीं उन्हें जे0पी0 ग्रुप के हाथों बेंच दिया। 295 करोड़ में आपने बेच दिया, आप तो बेचना चाह रहे हैं। आगरा में यमुना एक्सप्रेस वे की जमीन कौन खरीद रहा है, वह जमीन जे0पी0 ग्रुप खरीद रहा है। एक औद्योगिक घराने के हाथों पूरे उत्तर प्रदेश को गिरवी रखकर आप कहना चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जायेंगे, मान्यवर, तरक्की ऐसे नहीं होती है। आपका इल्जाम कि हमने केन्द्र से 80 हजार करोड़ का पैकेज मांगा, ढाई साल से हम लोग और पूरा सदन सुन रहा है कि 80 हजार करोड़ रुपये का

पैकेज मांगा गया, दो आदमी मौजूद आज तक वह पैकेज मिला नहीं, इस पर एक शेर याद आ जाता कि "उमरे दराज मांग के लाये थे चार दिन, दो आरजू में कट गये तो इन्तजार में" यह आपका हाल है। मान्यवर, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं संशोधन प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं और आपको धन्यवाद देती हूं।

कृषि मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)-

मान्यवर, आपके माध्यम से मा0 सदस्या ने एक बात कही थी कि यमुना एक्सप्रेस वे साढ़े आठ सौ गांवों की जमीन ली जा रही है, यह बिल्कुल निराधार है, असत्य है, किसी गांव की कोई जमीन एक्सप्रेस वे के अलावा नहीं ली जा रही है।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, यह जवाब आया है इसलिये मैं इसे दिखा देती हूं आप चाहें तो इसे पढ़ लें, इसे मैं भिजवा देती हूं, गुण्डा ऐक्ट लगा है, एक्सप्रेस वे विकास प्राधिकरण के नाम पर।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला-

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर विपक्ष द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर बल देने के लिये मौका दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, इस अभिभाषण को पढ़ने के बाद हमारे विपक्ष के नेता मा0 शिवपाल सिंह यादव जी, हमारे भाजपा के नेता एवं प्रमोद तिवारी जी ने जो कहा उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और इसमें एक बात को जोड़ता हूं कि इस अभिभाषण में किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों के लिये ऐसी किसी योजना का जिक्र नहीं किया गया है जिससे आने वाले समय में उन्हें लाभ मिल सकें। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पिछली बार सरकार ने बड़ी लम्बी-चौड़ी घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में जितने पद रिक्त हैं सब पर भर्ती करेंगे। लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और दूसरे बहुत सारे पदों के वान्ट निकाले गये, लोगों ने वान्ट भरे और पैसा खर्च करने के बाद वह लम्बित हो गये और यह सरकार कान में तेल डालकर रह गई इस प्रकार से मान्यवर, नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है, इसका इसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है मैं चाहता हूं कि इसका इसमें उल्लेख किया जाना चाहिए था। मैं यह भी कहना चाहता हूं। अभी हमारे भाई गौतम साहब कह रहे थे कि बी0पी0एल0 की सूची में संशोधन करने का प्रस्ताव नहीं है। भारत सरकार ने बिल्कुल ऐसा कहा कि अगर सूची में किसी आदमी का नाम गलत है या उस गांव में बी0पी0एल0 धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके स्थान पर कलेक्टर नया चयन कर लें और कलेक्टर ऐसा कर भी रहे हैं, यह शायद उनकी जानकारी में नहीं है। यह रोज कह रहे हैं कि हमारी सरकार सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की है, इसे मैं जरूर मानता हूं लेकिन यदि मैं इस नारे को बदल दूं कि शायद यह स्वहिताय और सर्वजन सुखाय की बात करें तो बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि यह कहते हैं कि हम दूसरों को भी मानते हैं, यह सही नहीं है शायद पक्ष वालों का काम होता भी हो, लेकिन विपक्ष का कोई काम नहीं होता है तो हम लोग तो सुखा रहे हैं, सूखे में हैं

और इनका हित हो रहा है इसलिये इस नारे को परिवर्तित करके स्वहिताय और सर्वजन सुखाय कर देना चाहिये। मान्यवर, मैं यह भी आपसे कहना चाहता हूं हमारे पूर्वांचल में सिद्धार्थनगर जनपद, जिसके नाम पर यह सरकार चल रही है, गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कपिलवस्तु है, 22 मई, 1997 को मान्यवर, कांशीराम, जिसके नाम पर आप हम सब हैं और मायावती जी दोनों गये थे और कई योजनाओं का शिलान्यास किया था और बड़ी बातें की कि बुद्ध को मैं यह करूंगा वह करूंगा। एक भी शिलान्यास, जो इन्होंने किये थे वह सारे के सारे फेल हो गये और कोई भी उसमें कार्रवाई नहीं हुई। हवाई पट्टी को लोगों ने जोत लिया, उसमें इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। आप कहते हैं कि मैं तहसील दिवस और थाना दिवस चलाता हूं। यह सब दिखावा है, तहसील दिवस में लोग जाते हैं और गरीब आदमी की एप्लीकेशन ले ली जाती है, वह उसे चढ़ाते नहीं है, उसका नम्बर नहीं डालते हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है और झूठी रिपोर्ट दे देते हैं कि हमने कार्रवाई कर दी है। इसी प्रकार से थाना दिवस में भी होता है, कोई समझौता नहीं होता है, दलाल जाते हैं और रुपया पैसा थानों में दे देते हैं उन मामलों में समझौता करा दिया जाता है, बाकी किसी विषय में कोई कार्रवाई नहीं होती है। यह सब झूठ का पुलिन्दा है, थाना दिवस और तहसील दिवस।

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे यहां नेपाल बार्डर पर 10 कि0मी0 के अन्दर पर, मा0 कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैंने पिछले साल भी निवेदन किया था, 10 कि0मी0 के अन्दर पर कोई खाद, बीज नहीं मिलती है। वहां का थानाध्यक्ष उनके खसरे व खतौनी पर परमिट लिखता है कि इनको 3 बोरी दे दिया जाय। जब आपके बार्डर पर एस0एस0बी0 और पुलिस लगी हुई है, इनके छापामार एग्रीकल्चर के अफसर लगे हुए हैं तो अगर बार्डर पर कोई खाद ले जाये उसे पकड़े तो ठीक है लेकिन किसान खाद नहीं पाता, मैं आपसे निश्चित रूप से कह रहा हूं इन्होंने पिछली बार भी कहा था कि मैं इस पर कार्रवाई करूंगा लेकिन नहीं किया। माननीय पी0डब्लू0डी0 मंत्री हमारे सामने बैठे हैं, जनपद सिद्धार्थनगर में 22 नदियां हैं, सारे बाढ़ के बड़े क्षेत्र हैं और ऐसे समय में हमारे क्षेत्र में गये थे कि इनसे कुछ कह नहीं पाया, दुख की घड़ी थी, हमारे आदरणीय तौफीक साहब उस दिन नहीं थे, तब यह गये थे। ये अगर पहले गये होते तो मैं पकड़कर ले जाकर के दिखाता कि हमारे जिले की क्या दुर्दशा है, सारी नदियां भर जाती हैं। एक ऐसा पुल है कछुलिया, जो पायल ब्रिज है जिससे प्रतिवर्ष 4-6-8 बच्चे गिर कर मर जाते हैं। हमने अखबारों की कटिंग भेजी लेकिन उस पुल के लिये पैसा आज तक नहीं दे पाये। पिठनी पुल जो उस जिले को जोड़ती है। मान्यवर, सिद्धार्थनगर अकेला जनपद पूरे भारतवर्ष का है जहां का कलेक्ट्रेट, विकास भवन, जिला जजी, सारी चीजें गांव पंचायत में है वह नगरपालिका में नहीं है। 1989 में तेतरी बाजार एक टाउन एरिया थी उसी को नगरपालिका घोषित कर दिया आज तक उसकी कोई चीज विकास की नहीं हुई, सारे लोग इससे मरहूम रहते हैं। अभी जो हमारी कांशीराम योजना का आवास बना वह स्वयं एक खजुरिया गांव में बना है और शहर के लोगों को उसे कैसे देने देंगे।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करिये।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला-

मान्यवर, आधा मिनट और लूंगा, 3 मिनट पूरा होते ही मैं बैठ जाऊंगा। वहां कैसे शहर के लोगों को आवास आवंटित किया।

जायेगा जब गांव सभा में आवास बना है तो पर शहर के लोगों को आवास कैसे दिया जायेगा यह भी सोचने का विषय है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि विधवाओं और अनाथों को ये सारी चीजें हम देते हैं, मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में उचित रूप से जो विधवायें हैं उन्हें या दूसरे लोग हैं उनको मिलता है। अगर इसकी जांच करा लें ये स्वयं अपने जिले की जांच करा लें। तो किसको मिलता है यह पता चल जायेगा। जिसको जिलाध्यक्ष ने कह दिया उसको दे दिया, हैण्डपाइप हम लोगों को जो 250-250 मिलता था सारे विधायकों को यह मिला ही नहीं। दूसरी सारी चीजें हम लोगों को मिली नहीं। 20 दिन आप विधान सभा चलाते हैं, किससे रोयें, कहां कहने जांय। इन सब चीजों का उल्लेख नहीं किया केवल स्व हिताय यह सरकार कर रही है, हम सबका हिताय नहीं कर रही है। मान्यवर, बेईमानी की इंतिहा यह है कि मुर्दे जलाने के लिए जो रार डाली जाती है, इसी लखनऊ में उसमें तक तो मिलावट की जा रही है, उसके बावजूद यह कहते है कि ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, एक अंतिम बात और कहना चाहता हूं कि जहां तक उस्का बाजार में एक पुराना रेलवे का पुल है, माननीय पी0डब्लू0डी0 मंत्री जी मैं आपका ध्यान निश्चित रूप से आकर्षित करना चाहता हूं कि उस पुल से अब रेलवे लाइन नहीं गुजरेगी वहीं एक पुल उस्का बाजार से दोनों तरफ जोड़ती है और वह पुल बहुत ही मजबूत है, मैंने रेलवे के मिनिस्टर से बात किया तो उन्होंने कहा कि अगर पी0डब्लू0डी0 मंत्री उसके रख-रखाव की जिम्मादारी लें तो हम यह पुल नहीं तोड़ेंगे। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि उस पुल की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार ले ले, उसका केवल रखरखाव करना है। बना-बनाया पुल उत्तर प्रदेश सरकार को मिल जायेगा, केवल मेन्टीनेंस करनी है। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रतिपक्ष द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद।

श्री राम सागर अकेला-

माननीय अधिष्ठाता जी, श्री त्रिभुवन दत्त जी के द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए हमें उसके समर्थन में अवसर दिया है इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, 21 जनवरी को जब महामहिम राज्यपाल जी इस सदन में आये, दोनों सदनों के मा0 सदस्यगणों को सम्बोधित किया। सम्बोधित करते हुए माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपको विदित होगा कि हमारे विपक्ष के साथियों को जिन्हें प्रदेश की महान जनता ने 2009 के सभी विधान सभा उप-चुनाव में और विधान परिषद् के अभी 7 जनवरी को हुए चुनाव में पूर्ण रूप से नकार दिया है तो आज यह कहावत चरितार्थ कर रहे हैं कि-'खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे'. जहां तक निष्पक्षता का सवाल है कई सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं हम भी भुक्त भोगी हैं और सदन में अपनी बात कह सकते हैं वर्ष 1987 में जब, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं लूंगा वर्ष 1987 में एक उप चुनाव हुआ था पट्टी प्रतापगढ़ में नेता कांग्रेस जो सदन में अपने विधान मण्डल दल के नेता हैं उस समय मंत्री हुआ करते थे किस तरह से पट्टी में इन्सानियत का कत्ल किया गया था मुझ जैसे सदस्य को जिस विधान सभा सदस्य बनने का मौका आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के संघर्षों की बदौलत मिला है। मुझे पेट के बल डेढ़ कि0मि0 तक चलना पड़ा था। जौनपुर के बार्डर तक बिना कपड़े केवल कच्छी बनियान में पैदल जाना पड़ा यह कांग्रेस की देन थी आप निष्पक्षता का सवाल उठाते हैं। जहां तक हमारे महापुरुषों का सवाल है आज जब बहन कुमारी मायावती की सरकार उन सन्तों, गुरुओं, महापुरुषों जिन्होंने अपनी पूरी जिन्दगी देश के कमजोर, उपेक्षित समाज के लोगों को इन्सानियत का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष किया इस मौके

पर मैं दो शब्द कह सकता हूं कि 'चिड़ियों में चहक नहीं तो कुछ भी नहीं, फूलों में महक नहीं तो कुछ भी नहीं, इन्सान में हजार जौहर हों लेकिन इन्सानियत नहीं तो कुछ भी नहीं, इस देश के जितने सन्त, महात्मा, गुरु, औलिया, फकीर थे उन्होंने इन्सानियत को जिन्दा करने लिए काम किया उन्हें दुनियां वाले कभी नहीं भूलते न भूलेंगे यहां सदन में इतने सदस्य बैठे हुए हैं मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर दो सेकेण्ड, तीन मिनट में आपसे आपकी 8 पीढ़ी के नाम पूछूं तो चूं बोल जायगें आप क्यों नहीं अपनी पीढ़ियों को याद करते हैं जिनकी बदौलत इतनी सम्पत्ति वरासत में मिली है नौकरी-चाकरी मिली आप उनका नाम भूलते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे महापुरुषों, गुरुओं, सन्तों, फकीरों, औलिया को नहीं भूल सकते। जिन्होंने इन्सानियत को जिन्दा करने का काम किया। चाहे वह ज्योतिबा फुले हों, छत्रपति शाहू जी महाराज हों, नारायना गुरु जी, डा0 बाबा साहब अम्बेडकर या मान्यवर कांशीराम जी हों जिन्होंने इस देश में इन्सान और इन्सानियत को जिन्दा करने का काम किया। यदि हमारी सरकार ऐसे महापुरुषों पर पूरा बजट लगा दे तो भी हमें गर्व होना चाहिए। यह बहुजन मिशन चल रहा है। हमारी मांयें, बहनें, बेटियां रोटी बनाती हैं अगर वह रोटी बनाने के बाद पैर से सरका दें तो आप उस रोटी को खाएंगे। भूख की आग मिटाना जितनी जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी मान और सम्मान बचाना है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि एक जलजला आया आकर चला गया। कायम अमन वा चैन हमारे वजूद से बहन जी के हम सिपाही बसपा के वफादार हम कब तक डरेंगे यार तुम्हारे वजूद से। अधिष्ठाता महोदय आपके बीच मैं सदन के माध्यम से यह बात कहने के लिए उत्सुक हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह बात कही कि जब हमारे देश में जो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। आज के 12 वर्ष पूर्व इस देश में गरीबों की संख्या एक करोड़ 6 लाख थी 12 वर्ष बाद आज देश की आबादी बढ़ी है उसके अनुपात में गरीबों की संख्या बढ़ी होगी लेकिन देश की केन्द्र सरकार हमारे प्रदेश में बी0पी0एल0 संख्या नहीं बढ़ा रही है जबकि प्रदेश में गरीबों की संख्या बढ़ी है बी0पी0एल0 संख्या बढ़ाना केन्द्र सरकार का उत्तरदायित्व है। उसको आप बढ़ा नहीं रहे हैं। जब आप उसको नहीं बढ़ा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहिन कुमारी मायावती जी ने जो बी0पी0एल0 सूची में नाम नहीं आ सका। किसी कारण से अन्त्योदय सूची में नाम नहीं आ सका। ऐसे उन तमाम गरीबों को 'महामाया आर्थिक योजना' चलाकर जो सहायता देने का काम किया है। हमारे बहुत से साथी निष्पक्षता की बात करते हैं, यह उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री की परिकल्पना है कि 403 विधान सभायें हमारे प्रदेश में हैं, किसी भी दल से कोई भी सदस्य जो जीतकर आया है। इससे बड़ी निष्पक्षता का सबूत और क्या होगा कि प्रदेश के अन्दर 403 विधान सभा क्षेत्रों में एस0डी0एम0 की अध्यक्षता में खुली बैठक होगी और खुली बैठक में गरीबों की पात्रता की सूची बनेगी और फिर उसे बैंक के माध्यम से 1800 रुपये छमाही उत्तर प्रदेश की सरकार देने जा रही है। प्रथम चरण में 30 लाख लोगों को देने जा रही है। इससे बड़ी निष्पक्षता की बात और क्या होगी। इससे बड़ी निष्पक्षता आप और क्या चाहते हैं। ऐसे में मैं यह कह सकता हूं कि-

'अंधेरों का मुंह काला-काला रहेगा, उजाला हमेशा उजाला रहेगा।
सर्वजन के लिये बहिना का है चिन्तन, अब भूखों को भी निवाला मिलेगा।'

यह उत्तर प्रदेश की सरकार बहिन कुमारी मायावती जी की यह सरकार न किसी जाति के लिये है, न किसी धर्म के लिये है और न किसी मजहब के लिये है न किसी बिरादरी के लिये है। उत्तर प्रदेश की यह सरकार उत्तर प्रदेश के गरीबों के लिये है। गरीब हर जाति में हैं, हर धर्म में हैं, हर मजहब में हैं और जो लोग चाहते हैं कि प्रदेश के गरीबों का भला हो जो हर जाति हर मजहब में

फैले हैं उन्हें बहिन कुमारी मायावती जी की सरकार की परिकल्पनाओं का प्रदेश और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का एकमुश्त बल प्रदान करना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए। चूंकि आपके पास समय कम होगा, हमें समय देने के लिये। लेकिन चूंकि मैं आरक्षण से आया हूं और आरक्षण वालों को हमेशा कुछ न कुछ रियायत मिलती है, इसलिये समय में भी रियायत मिलनी चाहिए। आज हमारे बहुत से साथी चाहे पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं उन्होंने यह बात एक स्वर से स्वीकार की कि महापुरूषों के कृत्यों पर हमको किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या हम यह सोच सकते हैं कि देश की आजादी के 61 साल बाद भी देश के उन महान सपूतों ने देश की आजादी में अपना योगदान दिया है उन्हीं के साथ-साथ देश के उन तमाम महापुरूषों ने इस देश में इंसान और इंसानियत का जो चिराग जलाया था उनके नाम पर स्कूल, उनके नाम पर जिले, उनकी मूर्तियां क्यों नहीं बनाई गईं ? उन्हें क्यों ढंक कर रखा गया ? उन्हें क्यों छिपाकर रखा गया ? कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता था। क्या आपसे मैं यह सवाल कर सकता हूं कि आज डा0 बाबा साहब अम्बेडकर हमारे इस दुनिया में नहीं हैं आज उनकी मूर्तियों के हाथ काटे जाते हैं, उनके चेहरे पर कालिख पोती जाती है। उनके गले में जूतों की माला पहनाई जाती है। एक मूर्ति किसी का क्या बिगाड़ेगी ? आज जिन्दा आदमियों के गले में जूतों की माला नहीं पहनाई जाती लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के गले में जूतों की माला इसलिये पहनाई जाती है कि शायद जिन लोगों को यह बात पसन्द नहीं थी कि देश में भाईचारे के आधार पर समाज तैयार होकर के, वोटों के माध्यम से इस देश और प्रदेश में अपनी भागीदारी ले सके वैसे लोग आज भी उस दुष्कृत्य में लगे हुए हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान नहीं देना चाहते लेकिन धन्य हैं बहिन कुमारी मायावती जी, धन्य है बहुजन समाज, धन्य है हर समाज का वह तबका जो बहिन कुमारी मायावती जी को भाईचारे के आधार पर इस देश में उनकी ताकत को बढ़ाने में लगा है और जब उनकी ताकत आज बढ़ी है तो बहिन कुमारी मायावती जी उन तमाम महापुरूषों के सुकृत्यों को चिरस्थाई बनाने के लिये स्मारक, पार्क, मूर्तियों, जिले और विश्व विद्यालय बनाकर के जब उसको स्थापित करके इतिहास बनाने में लगी हुई हैं। जब इतिहास बनाने में लगी हुई हैं तो मैं यह कह सकता हूं कि 'इतिहास यूं ही नहीं बना करते, कुर्बानियों की नींव होती है इतिहास यूं ही नहीं लिखे जाते, शहीदों के लाशों पर लिखे जाते हैं इतिहास।'

(मेजें थपथपाई गई)

इतिहास स्याही के लिखे चंद शब्द नहीं होते, बहन कुमारी मायावती के विचारों से संकल्पों से बन रहा है इतिहास, जिन्हें यह बात पसन्द नहीं है कि इतिहास बन सके उसे पत्थरों का मोह कहते हैं उसे आप पत्थरों का मोह कहते हैं। हमने देखा है मैं हिन्दू धर्म में पैदा हुआ हूं मैं एक सफेद पत्थर को ट्रक से उतारता हूं नहाकर उस पर फूल चढ़ाता हूं पानी चढ़ा देता हूं किसमें हिम्मत है कि उसे पत्थर कहे। किसमें ताकत है कि उसे पत्थर कहे। कोई हटा दे सड़क के बीच से, हट जाएंगे आप लेकिन उसे हटाने की हिम्मत नहीं कर सकते। त्रिभुवन दत्त जी ने सही कहा है कि-

वफा की राह पर चलना सिखा दिया है जिसने
चमन के खार से मिलना सिखा दिया तुमने जिसने
तमाम उम्र जफाओं के तीर सहकर-सहकर
मुरझाये चेहरों को खिलना सिखा दिया जिसने,

उसे आप पत्थरों का मोह कहते हैं। शायद आप पत्थर दिल होंगे शायद आपको इंसान और इंसानियत पसंद नहीं है। शायद आपको इस देश में इज्जत और सम्मान से जीना पसन्द नहीं है। इसलिए आप पत्थरों का मोह कहते है। आप अपने को संभालिये सुधारिए। इंसानियत कभी माफ नहीं करेगी उनको जो इंसानियत में जहर घोल रहे हैं। इसलिए माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका ज्यादा समय न लेकर के माननीय त्रिभुवन दत्त द्वारा प्रस्तुत उनके धन्यवाद प्रस्ताव पर बल प्रदान करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री राम सागर अकेला-

अंधेरे में अंधेरों की सियासत खूब जमती है,
किसी कीमत पर गुल संघर्ष की कंदील मत करना,

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री रामसागर अकेला-

जरा सी देर की देरी कहीं न मंहगी ना पड़ जाए
हवा का रुख बदलने में ढ़ील मत करना। धन्यवाद्।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

अधिष्ठाता महोदय श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय नेता विरोधी दल द्वारा संशोधित प्रस्ताव के बल देने पर एवं सभी दलीय नेताओं के संशोधित प्रस्ताव पर बल देने का मुझे मौका दिया इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मान्यवर, अभी मैं सुन रहा था तो मुझे एक बात याद आई कि यह जो गर्वनर साहब का अभिभाषण है जो 43 पृष्ठों में है इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई है जो प्रदेश की करोड़ों-करोड़ जनता के लिए भला और बेहबूद भविष्य की बात कही गई हो। यह मान्यवर गप्प का पुलिन्दा है और सरकार जो यह बढ़चढ़कर दावे करती है मैं अपनी बात एक शेर से शुरू करता हूं कि-

तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है,
मगर यह आंकड़े झूठे हैं सब दावा किताबी है,
इधर जम्हूरियत का ढोल पीटे जा रहे हैं लोग,
उधर पर्दे के पीछे बर्बरियत है नबावी है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सूबा हिन्दुस्तान का दिल है। संयोग है कि बड़ी तपस्या के बाद बहुमत की सरकार आई सूबे की जनता यह उम्मीद करती थी कि यह सबके साथ इंसाफ और न्याय, करेगी लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमने यहां वेखा कि उर्दू मोअल्लिम लखनऊ में धरना देने आए थे वह मदरसे के मौलाना जो टोपी और शेरवानी में आए थे इस सरकार की बर्बर पुलिस ने उनको मारकर लहूलुहान कर दिया। यह ठीक है कि अपने महान पुरुषों को याद किया जाए। उनकी मूर्तियों को स्थापित किया जाए। यह आपके एजेन्डे में है आपका एजेन्डा लागू करने से कोई विरोध नहीं है। लेकिन वह 1857 के शहीद, वह 1942 के आन्दोलन के सिपाही जिन्होंने अपने खून का

बलिदान देकर फांसी का फंदा चूमा और इस देश को आजाद कराया। वह हाफिज रहमत खां रुहल्ला, रूहेलखण्ड स्टेट के राजा, गोडा के परगना बूढ़ा पार के राजा अशरफ बख्श खां महान विभूति राजा देवी बख्श सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और राजेन्दर नाथ लाहड़ी ने अंग्रेजों का खजाना काकोरी से लूटा और यह कहते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया कि हिन्दुस्तान की आजादी के लिए जो कुछ करना है, उसे हम मानते हैं। हमारे मौलाना मुहम्मद अली जौहर हिन्दुस्तान छोड़ करके ब्रिटेन चले गए और उन्होंने वहां कहा कि हम हिन्दुस्तान तब तक लौट करके नहीं जायेंगे, जब तक अंग्रेजी जालिम हुकूमत हिन्दुस्तान के इस मुल्क को आजाद नहीं कर देती। ठीक है, आजादी के उन दीवानों की कोई भी मूर्ति इस सरकार ने अगर कहीं लगाई हो, उनके नाम की कोई योजना यदि कहीं चलाई हो, श्रीमान् जी, इस दस्तावेज में नहीं है। आज सूबे में कानून-व्यवस्था का बखान हमारे नेता विरोधी दल जी कर रहे थे और हमारे दलीय नेता भी कर रहे थे। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था, थानों की लूट, तहसीलों की लूट, यहां तक कि सफाई कर्मी के नाम पर जिलों-जिलों में एक-एक लाख रुपये में सफाई कर्मी बनाये गए हैं, वह बड़े घरों के बेटे जिनके हाथ में रोजगार नहीं है, वह एक-एक लाख रुपया अपने घर के जेवरात को बेंचकर के स्वीपर बने हैं, इस सरकार की यह उपलब्धता है। आज सूबे के उन लोगों के हाथ में रोजगार नहीं है, वह प्रदेश से पलायन कर रहे हैं। वह हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और गुजरात और बम्बई भागने को तैयार हैं, सऊदी जाने को तैयार हैं। ज्यादातर लोग जो सऊदी जाते हैं, थानों में 2-2 हजार रुपया उनके पासपोर्ट का लिया जाता है। मान्यवर, बिजली नहीं, पानी नहीं।

श्री अध्यक्षता-

कृपया संक्षेप करें, 3 मिनट निर्धारित है, 4 मिनट हो गया है।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, अभी तो मैंने बोलना शुरू किया है। सुनें तो "इब्तिदाये इश्क है, रोता है क्या, आगे-आगे देखिए होता है क्या ?" मा0 अकेला साहब बहुत बढ़िया-बढ़िया शेर सुना रहे थे, अभी तो मैंने अभिभाषण पर बोलना शुरू किया है। यह दर्दे दिल है। मान्यवर, मैं तो यही कह रहा था, सरकार एक अच्छी होती है, लोकप्रिय होती है। नेता विरोधी दल जी भी कह रहे थे कि काश, अगर नेता सदन, सत्तापक्ष के विधायकों से मिलें या न मिलें, लेकिन विपक्ष के विधायकों से मिलना चाहिए, उनकी समस्यायें सुननी चाहिए। हमारे नेता मा0 मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, मैंने देखा है, वह सारे विधायकों से मिलते थे। यह परम्परा होनी चाहिए। सरकार जब बनती है, जो नेता होता है, वह पूरे सूबे का होता। मान्यवर, मैं बिजली पर आ रहा था, अभी एक महीने के अन्दर बोर्ड इक्जामनेशन होने वाले हैं, मार्च में, मा0 बिजली मंत्री जी सदन में बैठे हैं, पिछली बार भी दावा किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में बोर्ड इक्जामनेशन के लिए बिजली की व्यवस्था बढ़ाई जायेगी। मैं जनना चाहता हूं कि बोर्ड इक्जामनेशन में पिछले साल की तरह देहाती क्षेत्रों को गुल रखा जायेगा या कोई योजना बनाई जायेगी ? मान्यवर, किसानों की भलाई, मजदूरों की भलाई, अल्पसंख्यक मुसलमानों की भलाई के लिए इसमें कुछ नहीं कहा गया है, सरकार को दोबारा सोचना चाहिये। बहुमत की सरकार है, रहेगी। जिसका बहुमत होता है, घमण्ड होता ही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सूबे की अवाम है, जो जनता है वही सरकारों को बिगाड़ती और बनाती है। पार्लियामेण्ट के चुनाव हुए थे, अगर सरकार की इतनी बड़ी लोकप्रियता थी तो सारी सीटें इन्हीं को जीतना चाहिए था। ऐसा नहीं हैं, जनता ने फैसला किया है और जनता ने रिजल्ट

भी दिया है। इसलिए मान्यवर, हम चाहते हैं कि इस प्रदेश की तरक्की हो और खासकर जो माइनारिटी बाहुल्य जिले हैं, मल्टी सेक्टोरियल योजना के तहत् गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया से पैसा आया हुआ है, मुसलमानों की तरक्की के लिए। लेकिन पैसों का घोटाला हो रहा है जैसाकि सच्चर कमेटी ने भी कहा है कि मुसलमान भाइयों की दशा बहुत गड़बड़ है। मान्यवर, कपड़ा सिलने में बहुत बढ़िया कपड़ा सिलते है। दाढ़ी बनाने में बहुत बढ़िया, बिरयानी पकाने में बहुत बढ़िया, सोफा बनाने में बहुत बढ़िया लेकिन आई0ए0एस0 बहुत कम हैं। सारा अच्छा काम साईकिल का पंचर बनाना, ड्राइविंग करना यह मुसलमानों के हिस्से में है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मुसलमानों की तरक्की के लिए भी यह सरकार सोचे और चेते और उर्दू मुअल्लिम के लिए राजाज्ञा जारी करे, उनको नौकरियों में लेने के लिए राजाज्ञा जारी करें। विधायकों को नल दे, उनको जिला योजना में सड़क दे। मान्यवर, आधे मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। मान्यवर, भूतपूर्व विधायकों की विधवाओं को पेंशन का मामला मैंने इसमें संशोधन में जोड़ा है। मैंने अध्यक्ष जी से भी अनुरोध किया था और आपका भी इस पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। भारत के कुछ प्रदेशों में भूतपूर्व विधायकों की विधवाओं को पेंशन दिया जाता है। मैं अपने जनपद की बात करता हूं। मान्यवर, हमारे यहां इसी सदन के सम्मानित मा0 श्री सूरजलाल गुप्ता जी उतरौला क्षेत्र से विधायक थे। आज उनकी विधवा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से भीख मांग रही है। इसलिए बड़ा गम्भीर विषय है इसको लागू किया जाये और भूतपूर्व विधवाओं को पेंशन दिया जाये और गरीबों के लिए योजना चलायी जाये। मैं एक शेर कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं कि हम तो ठहरे अजनबी इतनी मुलाकातों के बाद और खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री जितेद्र कुमार एडवाकेट-

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिये गये अभिभाषण पर श्री त्रिभुवन दत्त जी द्वारा यहां रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे तमाम साथीगण जो विद्वान हैं, ने विचार व्यक्त किये हैं। लेकिन हम लोग तो उस क्षेत्र से आ रहे हैं, धन्य हैं मान्यवर, श्री कांशीराम साहब, धन्य हैं बाबा डा0 भीमराव अम्बेडकर साहब जिनकी बदौलत आज हम लोग इस सदन में दिखायी दे रहे हैं। कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि कभी हम ऐसे गरिमामयी सदन के सदस्य होंगे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो महामहिम श्री राज्यपाल जी द्वारा अभिभाषण दिया गया उत्तर प्रदेश के बहुमत की सरकार का नेतृत्व करने वाली हम लोगों की मसीहा बहन सुश्री मायावती जी जिन्होंने सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का नारा दिया, अपराधमुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त, अन्यायमुक्त, समतामूलक समाज बनाने के लिए जो उनकी इच्छा है, देश की एकता, अखण्डता को कायम रखने के लिए जो उनके दिल में इच्छा, निष्ठा, दृढ़संकल्प है, इन सारे चीजों पर इस सरकार ने इसको धरातल पर करके दिखाया है। आज सर्वजन समाज के लोग चाहे वह छोटे स्तर के कर्मचारी हों, चाहे बिजनेसमेन हो, चाहे वह किसान वर्ग हो, चाहे वह मध्यम वर्ग हो सारे लोगों को सम्मान मिल रहा है। हमारी मां, बहन, बेटियां अपना नित्य क्रिया कर्म भी मान-सम्मान से कर रही हैं। धन्य हैं, बहन मायावती जी जिन्होंने जो नारा दिया था, सारे विपक्षी भी उसको देखकर खुद इधर आते चले आ रहे हैं। इधर सरकार का जो कार्य होता है उसके प्रति प्रदेश की जनता अपना फैसला देती है। समय-समय पर परीक्षा होती

रहती है। इधर जब उप चुनाव हुआ सरकार के प्रति इस पूरे प्रदेश में यहां की जनता ने बहन कुमारी सुश्री मायावती जी के हाथों को मजबूत किया। इस चुनाव में आपने देखा कि 12 सीटों में बहुजन समाज पार्टी जीती। इधर एम0एल0सी0 के चुनाव में तमाम हमारे साथियों ने जो आरोप लगाये, इसके पहले जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं वह खुद ऐसी चीजें करती थीं। लेकिन इस लोकतंत्र में हम लोगों की सरकार, आप सभी लोगों की सरकार जो लोकप्रिय सरकार है और जिसकी शासन की मंशा है निष्पक्ष चुनाव का, चुनाव आयोग का उसके तहत ईमानदारी निष्ठा से चुनाव कराकर यह साबित किया। यहां के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं जिनका कद चाहे वे छोटे स्तर पर हों चाहे बड़े स्तर पर हों। उस पर सभी लोगों ने अपना एक तरफा फैसला दिया है। एम0एल0सी0 चुनाव के फैसले ये के कारण जिसमें हम लोगों ने 34 सीटें जीती हैं। हमारे माननीय श्री त्रिभुवन दत्त जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है। उसमें मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय नया सदस्य हूं और पहली बार जीतकर आया हूं। इसलिये आप से ज्यादा समय चाहता हूं। मुझे थोड़ा सा समय दीजियेगा। इसी सदन में जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार रही हैं उसने कितना अन्याय अत्याचार किया। मैं भी हाई कोर्ट में अभिवक्ता था। हमारे खिलाफ भी, मैं जब शेड्यूल्ड कास्ट या अन्य वर्ग का केस लड़ता था तो कहा जाता था कि ये तो फर्जी मुकदमा लड़ता है। यहां तक कि जो माननीय सदन विरोधी दल के नेता हैं वह स्वयं उस बात को कह रहे थे। तो क्या गरीब का बेटा अपना अधिकार मांगेगा या अधिकार रखेगा तो उसको ऐसे साबित किया जाता हैं। अब नेता प्रतिपक्ष जी तो चले गये हैं लेकिन उन लोगों को स्वयं सोचना चाहिए कि वह जो एक तरफ न्याय की दुहाई देते हैं समता मूलक समाज, न्याय का कि हम लोग न्याय करते थे। इनको खुद सोचना चाहिए और इधर तो हम लोगों ने जो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का जो नारा दिया है। सभी लोगों का मान सम्मान सभी लोगों का बराबर का अधिकार हम लोग देते चले आ रहे हैं। जहां तक बहन कुमारी सुश्री मायावती जी की जो सोच है। सभी लोग के घर में जब बेटियां जन्म लेती थीं तो सभी लोग माथा ठोकते थे, तमाम भ्रूण हत्यायें होती थीं। आखिर सभी लोग हर जगह अपना-अपना विचार रखते थे कि इसको कैसे रोका जाये। लेकिन बहन कुमारी सुश्री मायावती जी धन्य हैं कि एक साथ भ्रूण हत्या, दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्यायें इन सारे चीजों पर और बाल विवाह पर रोक लगायीं माता सावित्री बाई फूले जी के नाम से जो योजना है, कन्या धन है उसको लागू करके ये सभी चीजों से यह साबित करके दिखाया और आदर्श स्वरूप दिखाया कि भ्रूण हत्या, बाल विवाह इन सारी चीजों पर प्रतिबन्ध उन्होंने लगा दिया। इससे आप लोगों को खुद समझना चाहिए, उनकी सीख लेना चाहिए और ऐसे कार्य करना चाहिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी जो हमारे कांग्रेस के नेता श्री प्रमोद तिवारी जी ने चर्चा की थी एपीएल, बीपीएल कार्ड और गरीबी रेखा की। इस प्रदेश की आबादी जहां कितनी गरीबी है, सभी लोग जानते हैं तो इधर 2007 के अनुसार जनगणना के हिसाब से गरीबों का फिर से सर्वे कराकर एपीएल, बीपीएल कार्ड दें तब तो सभी को लाभ मिल पायेगा। लेकिन हमारी सरकार जो पात्र नहीं थे उनको भी 30 लाख लोगों को पेंशन दिया जो प्रत्येक विधान सभा में जायेगा, साढ़े सात से दस हजार तक सभी गरीब चाहे वो किसी भी जाति, धर्म से हो सभी लोगों को सम्मान मिला है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने माननीय हमारे साथी श्री त्रिभुवन दत्त जी के धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का मुझे मौका दिया। इसके लिये मैं बहुत आपका आभारी हूं। और धन्यवाद प्रस्ताव पर मैं बल देता हूं।

डा0 पी0 के0 राय-

मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा प्रस्तुत महामहिम राज्यपाल....

श्री लालजी वर्मा-

लेकिन समय आपको हमेशा मिल जाता है।

डा0 पी0 के0 राय-

नहीं श्रीमन्, मैं याद दिलाना चाहूंगा पिछले दिन जब आपने मुझसे कहा था, तो आपको बिल्कुल स्मरण हो जायेगा कि कितना समय मिलता है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

अब देंगें।

डा0 पी0 के0 राय-

हां उम्मीद करता हूं, कि अब देंगें।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

लेकिन अब आप इनके हाथ में देना।

डा0 पी0 के0 राय-

श्रीमन्, मैं हाथ में न देता हूं, न हाथ में लेता हूं।

मान्यवर, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं और मात्र दो मिनट में मेरी कोशिश यह रहेगी कि आप लाल बत्ती जलायें, उसके पहले ही मैं अपनी बात को समाप्त कर दूं। संशोधन प्रस्ताव में सिरकत किये हुए जितने भी हमारे सम्मानित सदस्य हैं उन सब की भावनाओं से स्वयं को सम्बद्ध करते हुए उन बातों को न दोहराते हुए मैं केवल दो-तीन बिन्दुओं के ऊपर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और मात्र इसी लालच में मैं खड़ा भी हुआ हूं वरना माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को स्मरण होगा कि पिछले साल मैं जब खड़ा हुआ तो आपने मुझसे यह कह दिया कि आप अपना जो वक्तव्य है वह बजट के टाईम पर दीजिएगा और मात्र एक लाइन में ही मुझे राज्यपाल के अभिभाषण से अपनी बात को समाप्त करना पड़ा, इसलिए आज मैं मात्र दो मिनट लूंगा, कहां एक लाइन कहां दो मिनट।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, इनका समय जरूर काटियेगा क्योंकि जब यह अधिष्ठाता वहां पर होते हैं तो यह हम सब का समय काट देते हैं।

डा0 पी0 के0 राय-

माननीय अधिष्ठाता जी, एक सांवैधानिक व्यवस्था है और संवैधानिक शायद मजबूरी भी है कि हम छः महीने के अन्तर के पहले ही यानी छः महीने की अवधि समाप्त होने के पहले ही सदन आहूत किया जाना एक संवैधानिक बाध्यता है और इस वजह से हमें यहां पर आना होता है। उसी तरीके से जो महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण है वह जो वर्तमान सरकार है, उस सरकार की जो नीतियां है, जो सरकार की दृष्टि है, जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं, जो सरकार के कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों का उल्लेख, उसका तज़किरा उसके अन्दर किया जाता है और

महामहिम राज्यपाल भले यहां आ कर के, वगैर पढ़े हुए चले जाएं लेकिन यह मान लिया जाता है कि महामहिम राज्यपाल ने इसको यहां पर पढ़ा है। मैं जिस तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि सन् 2009 में जो महामहिम राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पढ़ा वह 10 फरवरी, 2009 को उस अभिभाषण में, वह अभिभाषण इतना मोटा था, इतनी लम्बी किताब थी उसकी और यह अभिभाषण 71 पेज का था और इस बार का अभिभाषण, यह है अभिभाषण और यह 43 पृष्ठों में सिमट गया। मेरा मकसद यह है, मेरा कहने का मन्तव्य यह है कि 2008, 2009 और 2010 के महामहिम राज्यपाल के अभिभाषणों का अगर अवलोकन किया जाय तो उसमें कहीं से भी निरन्तरता नजर नहीं आती है। जबकि सरकार, निरन्तर सरकार के जो कार्य हैं, वह एक निरन्तर प्रक्रिया के तहत होते रहते हैं, पिछले वर्ष जो लक्ष्य निर्धारित किये गये, पिछले वर्ष जो कार्यक्रम लिये गये, पिछले वर्ष जिनकी तरफ सरकार गम्भीर रूप से चिन्तित थी, उनके बारे में इस वर्ष क्या हुआ, उसके बारे में कोई भी उल्लेख किसी तरह का नहीं होता। मसलन माननीय ऊर्जा मंत्री जी, 2008 के राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया गया था, ऊर्जा के लिए जो प्रयास आप करेंगें वह अपनी जगह पर हैं और लक्ष्य आपने निर्धारित 2012 तक का कर रखा है कि दस हजार मेगावाट की बिजली हम पैदा कर लेंगें। उसी के साथ वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में यह लिखा गया था कि हम वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन मान्यवर, अपने वैकल्पिक स्रोतों के द्वारा माना है कि उत्पादन हुआ। लेकिन वह 600 मेगावाट हुई या 6 मेगावाट हुई उसका कोई पता नहीं है। उसके बारे में क्या प्रयास हुआ उसका कोई उल्लेख इसमें नहीं है। मान्यवर, वर्ष 2009 में आपने कहा था और मेडिकल कालेजों का जिक्र किया था कि आजमगढ़, बांदा, जालौन, कन्नौज इन जगहों पर स्थापित हो रहे मेडिकल कालेजों में डाक्टरों की नियुक्ति से शिक्षण का कार्य अच्छा हो जायेगा और वहां से अच्छे डाक्टर निकलेंगे। लेकिन इस दिशा में क्या प्रयास हुआ उसका कोई जिक्र नहीं है। इसी तरह से, डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बारे में कहना चाहता हूं कि जिसको कि एसजीपीजीआई की तर्ज पर संस्थान का दर्जा दिया गया है वहां पर विशेषज्ञ और अति विशेषज्ञ चिकित्सकों को रखने के बारे में कहा गया था और यह कहा गया था कि उसमें शिक्षण का इंतजाम करेंगे लेकिन उसके बारे में भी इस अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है। मेरा चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी से यह कहना है कि जो वर्ष 2009 में बातें कही गयी थी उनका जिक्र 2010 के इस अभिभाषण में होना चाहिए था। इसी के साथ उस दिशा में सरकार द्वारा क्या प्रयास हुए हैं उनका जिक्र होना चाहिए था। मान्यवर, कहीं तो कोई समय सीमा निर्धारित होती है कि उस समय के अंदर जो कार्य लिये गये है वह पूरे किये जायेंगे उसका इसमें जिक्र होता। मसलन ट्रामा सेंटर की बात कही गयी कि नेशनल हाई-वे के ऊपर हम ट्रामा सेन्टर स्थापित करेंगे। क्योंकि हर पांच मिनट में एक व्यक्ति दुर्घटना से मर रहा है। हर एक मिनट पर कोई न कोई दुर्घटना हो रही है।

लेकिन कहीं कोई ट्रामा सेन्टर नहीं बना है। एस0जी0पी0जी0आई0 के एक विधायी विषय पर अभी संशोधन का प्रस्ताव आने वाला है। हम अनुभव कर रहे हैं कि सरकार धीरे-धीरे इन इंस्टीट्यूशन की स्वायत्ता खत्म करने का प्रयत्न कर रही है। जो कुछ उनको स्वायत्ता मिली हुई है उसकी जगह पर अपना आधिपत्य जमाना चाहती है। एस0जी0पी0जी0आई0 के सामने जो जमीन उस संस्थान की थी उस जमीन को सिंचाई विभाग ने ले लिया है। जो ट्रामा सेन्टर वहां पर बनना

था जो स्वीकृत था वह सुविधाजनक जगह पर न बनकर उससे अन्यत्र बनाने का कार्य प्रारम्भ किया गया है। जो उसके परिसर से थोड़ा हटकर के है। तो उससे कितनी दिक्कतें होंगी उसके इंतजामात में। इस तरफ आपका ध्यान आकृट करना चाहता हूं। महापुरुषों का नाम यहां पर लिया गया मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए और उनका नाम भी लिया जाना चाहिए। बहुत से लोगों ने जो इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। लेकिन इसी सदन में इस बात को उठाया जाता रहा है कि हमारे प्रदेश में कितने लोग अभी भी गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। मान्यवर, इसी सदन में इस सरकार ने यह संकल्प लिया था कि गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वालों की संख्या हम आधी कर देंगे लेकिन स्थिति क्या है। मान्यवर जिस प्रदेश में एक करोड़ छह लाख उनसठ हजार बीपीएल परिवार हो और जिसके बारे में बार-बार यहां पर यह कहा गया कि वह बीपीएल लोगों को जो इस श्रेणी में नहीं हैं उन बीपीएल परिवारों को उस श्रेणी में लाने के लिए कोई न कोई ऐसी योजना लायेंगे। लेकिन हुआ क्या है। मान्यवर, ऐसे लोगों को उसमें कोई प्रमाण-पत्र मिलना चाहिए ताकि सरकारी सेवाओं में मिलने वाली सुविधाओं को यह लोग उठा सकें। उसके बारे में इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

मान्यवर, इसमें 30 लाख गरीब परिवारों के लोगों को प्रतिमाह पेंशन देने की बात कही गयी है। लेकिन उसका क्या आधार होगा उसमें कितनी पारदर्शिता होगी यह देखने की बात है। क्योंकि इन सब बातों को लेकर एक शंका का प्रश्न उठता है मन में। अच्छा होता मान्यवर कि इस प्रदेश में, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में जहां दुनिया का हर 36वां व्यक्ति और इस देश का और हर छठवां व्यक्ति बसता है, और जिस प्रदेश में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या ज्यादा है, उस उत्तर प्रदेश में अगर महापुरूषों को किसी और रूप में सम्मानित किया गया होता तो अच्छा रहता।

उस उत्तर प्रदेश में महापुरूषों को किसी और रूप में सम्मानित किया गया होता और जनता का धन उसके ऊपर खर्च किया गया होता तो शायद बेहतर होता। मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सलिल विश्नोई-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। माननीय अधिष्ठाता जी, अभी पक्ष और विपक्ष के सभी वक्ताओं ने महापुरूषों की मूर्तियों को लेकर बहुत ज्यादा समय लिया। मेरा तो यह कहना है कि महापुरूषों की मूर्तियां लगाने पर मुझे एतराज नहीं है और इससे ज्यादा लगनी चाहिए क्योंकि यह मूर्तियां तो केवल लखनऊ में लग रही है मेरा तो अनुरोध है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जो गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है उसके दोनों तरफ मूर्तियां लगे कोई एतराज नहीं है लेकिन प्रदेश की जनता का भी ध्यान रखा जाय। आज प्रदेश की जनता की स्थिति यह है कि किसान खाद न मिलने से परेशान है, गैस सिलेण्डर न मिलने से महिलाएं परेशान हैं, छात्रों के ऊपर उन्हें लोकतांत्रिक अधिकार न मिलने से उन पर लाठियां चल रही हैं, कर्मचारी अलग परेशान हैं, महंगाई से आम जनता परेशान है। जनता की इन परेशानियों को भी ध्यान में रखा जाय।

मूर्तियां लगती हैं तो लगती रहें, जनता ने 2007 में जो गलती की उस गलती का भुगतान तो उसे 5 वर्ष तक भुगतना ही पड़ेगा। आप बहुमत का दुरुपयोग कर रहे हैं बहुमत यह कहता है कि आपको जिस जनता ने चुनकर भेजा है उस जनता की सुख सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। बहुमत का उद्देश्य यह नहीं है कि आप निरंकुश शासक के तरह से राज करें। प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है। चिरगांव के अन्दर 46 लाकर सेन्ट्रल बैंक के काट दिये गये। 46 लाकर किसी बैंक की सुरक्षा में काट दिये गये, 48 किलो सोना चोरी चला गया और लाकर एक लाइन से नहीं काटे गये लाकर देख देखकरके काटे गये ऊपर के लाइन का एक लाकर काटा गया उसके बाद बीच की लाइन के 3 लाकर काटे गये मतलब 46 लाकर चुन चुनकर काटे गये आखिर चोरों को कैसे पता चला कि कौन लाकर किस व्यक्ति का है और प्रदेश सरकार ने उसमें कुछ करने की कोशिश नहीं की। जो उसका मुख्य अभियुक्त है जिसको सरकारी संरक्षण प्राप्त हैं। एफ0आई0आर0 में जो दर्ज है वह अभी तक फरार है, 48 किलो सोना चोरी गया और 4 किलो सोने की बरामदगी दिखाई गयी। आज कानपुर में अपहरण उद्योग चालू हो गया है किसी का बच्चा घर से बाहर निकलता है तो पता नहीं है कि लौट करके घर वापस आयेगा कि नहीं आयेगा। अभी एक बोरे में 3 बच्चे पकड़े गये, महिलाओं की चेन स्नैचिंग इतनी हो रही है कि सारे रिकार्ड टूट गये, दुकानों की यह स्थितियां हैं कि शटर टूट रहे हैं इतना अपराध बढ़ गया है। मेरा यह कहना है कि इस बहुमत का जो जनता ने सुशासन के लिए आपके हाथ मजबूत किये थे उसका भी ध्यान रखें। महोबा में श्रीनगर थाने के अन्तर्गत खाद वितरण में हुई रंगबाजी को लेकर नरेन्द्र मिश्रा 26 साल के नौजवान की सरेबाम हत्या कर दी गयी, 12 गोलियां मारी गयी जो उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकली, 10 लोग नामजद किये गये और उन 10 में से 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। 3 लोगों ने मध्य प्रदेश में दूसरे अपराधों में आत्मसमर्पण कर दिया इसके बाद ब0स0पा0 के विधायक ने लिखकर दिया कि इसकी सी0बी0सी0आई0डी0 जांच नहीं होनी चाहिए लेकिन दबाव में चार्जशीट दाखिल होने के बाद कभी सी0बी0सी0आई0डी0 जांच होने का कोई प्राविधान नहीं है, लेकिन उसके ऊपर सी0बी0सी0आई0डी0 की जांच करके अपराधियों को बचाने का काम किया जा रहा है। जब जनता इस तरह से भयभीत होगी तो कैसे यह सुशासन माना जायेगा। माननीय चिकित्सा मंत्री बैठे हुए हैं यह कुछ महीने पहले कानपुर के लाला लाजपत राय अस्पताल में आई0सी0यू0 की 54 सीटों का उद्घाटन करके आये थे, मैंने इनको बधाई दी थी लेकिन अभी तक वह आई0सी0यू0 वार्ड चालू नहीं हुआ है माननीय मंत्री जी, अभी कानपुर में दो बड़ी-बड़ी रेल दुर्घटनायें हुयी। उनके घायलों को उन आई0सी0यू0 वार्ड में भर्ती नहीं किया गया बल्कि प्राइवेट अस्पातलों में भेजा गया। स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए वेन्टीलेटर उपलब्ध नहीं है। दूसरे अस्पतालो से कार्डियोलाजी से वेन्टीलेटर मंगाकर लगाया गया। उन वेन्टीलेटरों के इन्फेक्टेड होने का खतरा पैदा हो गया। आपने बहुत अच्छा काम किया था जब 54 बेड का आई0सी0यू0 कानपुर को दिया था। कानपुर बहुत बड़ी आबादी को चिकित्सीय सुविधायें देता है। लेकिन वह चालू तो हो, विधिवत ढ़ंग से चले तों। आपके हैलेट अस्पताल के सारे वेन्टीलेटर खराब हैं।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री अनन्त मिश्रा)-

चालू हो गये।

श्री सलिल विश्नोई-

माननीय मंत्री जी, आप बाद में बोल लीजियेगा। आप गये थे मौके पर लेकिन उसके बाद भी ट्रेन दुर्घटना के घायलों के लिये दवायें बाहर से खरीदकर सामाजिक संगठनों ने मंगाई थी आई।

श्री अधिष्ठाता-

विश्नोई जी समाप्त करें।

श्री सलिल विश्नोई-

मान्यवर, आप सबको बराबर समय दीजिये। कानपुर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है और उनके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार होता रहा है। कानपुर के यातायात को सुधारने के लिये कोई योजना इस राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं दी गयी। कानपुर में अंधाधुंध बिजली कटौती होती है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। वहां सारा उद्योग का स्वरूप खत्म हो गया और भारत सरकार का कोयला मंत्रालय वहां एक हजार मेगावाट का पावर हाउस लगाने को तैयार है लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार उसके लिये जमीन उपलब्ध नहीं करा रही है। भारत सरकार अपने खर्चे से पावर हाउस लगाने को तैयार है, प्रदेश सरकार को सिर्फ जमीन उपलब्ध करानी है। वह जमीन भी उपलब्ध नहीं हो रही है। तो जो शहर मैनचेस्टर आफ इन्डिया कहलाता था, अगर उसका विकास नहीं होगा तो प्रदेश में कैसे विकास की दर बढ़ेगी। आपकी जो विकास की दर है वह तो फर्जी आंकड़ों पर आधरित है। जब तक उद्योग नहीं चलेगा, मजदूर को काम नहीं मिलेगा, प्रदेश को बिजली नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, शहरी क्षेत्र के विधायकों को, जो पहले हैण्डपम्प मिला करते थे वह भी अब बंद कर दिये गये, सबमसिंबिल लगाने की जो एक सुविधा दी गयी थी वह भी समाप्त कर दी गयी। इस तरह आखिर कितना भेदभाव सरकार करेगी, आखिर सदन की छत के नीचे जितने विधायक चुनकर आते हैं, उन सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिये। शहरी क्षेत्र के विधायकों के साथ उपेक्षा का वयवहार हो रहा है। माननीय अधिष्ठाता जी, मैं अंत में यह कहते हुये, कि प्रदेश सरकार कुशासन को छोड़कर सुशासन की ओर बड़े। एक बात और कहना चाहता हूं कि कानपुर क्रान्तिकारियों का क्षेत्र रहा है, कानपुर से ही क्रान्ति की अलख जगी थी और कानपुर के सबसे बड़े क्रान्तिकारी नाना राव पेशवा के नाम पर नाना राव पार्क की स्थापना की गयी और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वहां तमाम महापुरूषों के स्टेचू और चित्र लगे हैं, लेकिन नाना साहब की स्टेचू नहीं लगी है। इन तमाम बांतों पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये माननीय नेता प्रतिपक्ष के संशोधन के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

* श्री राम प्रकाश कुशवाहा (पी0एच0डी0)-

मान्यवर, आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिये धन्यवाद। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सदन का नया सदस्य हूं पहली मर्तबा चुनकर आया हूं। परम श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान के बनाये हुये और मान्यवर कांशीराम जी का जो सामाजिक परिवर्तन का कारवां था उसके तहत और परम आदरणीय बहन मायावती जी के आशीर्वाद से मैं सदन में अपनी बात कहने कि लिये

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आया हूं। मान्यवर, बहुत सारी बातें हुयी मूर्तियों को लेकर। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। अभी माननीय सदस्य ने एक बात बहुत अच्छी कही। नेता प्रतिपक्ष यहां मौजूद नहीं हैं लेकिन प्रतिपक्ष के बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अगर सभी यहां पर जितने माननीय सदस्य बैठे हैं, इस बात से थोड़ा भी विरत हों कि एक पत्थर जो बाहर से लाया जाता है, उसको आकार देने के बाद बीच सड़क पर रख दिया जाता है। उसके बाद अगर कोई उसकी पूजा अर्चना करता है उसके बाद उस पत्थर को हटाने की किसी में हिम्मत नहीं होती तो फिर जिन मूर्तियों को लगाया गया है जो हमारे लिये प्रेरणा का केन्द्र है, प्रेरणा का स्रोत है। तो जो मूर्तियां बीच सड़क में लगाई गयीं, बीच चौरहे पर लगाई गयीं, उनको जब नहीं हटाया जा सकता तो जो वाकई प्रेरणा का स्रोत है जिनके तहत प्रदेश में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की लगभग 16 साल के अन्तराल के बाद माननीया बहन जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उसके लिये यहां आरोप लगाया जाता है, यह बहुत दुखद बात है उसके बाद मान्यवर, एक सुखद मौका और आया, समय-समय पर हमारी परीक्षा की घड़ी आती रहती है। तमाम से चुनाव हुए जनता को जो जवाब देना था वह दिया और वह आपके सामने है। अभी बहुजन समाज पार्टी की नेता मा0 मायावती जी ने फिर इतिहास रचने का काम किया, विधान परिषद् के चुनावों में जिस प्रकार से जनता ने अपना नैतिक समर्थन दिया, इतिहास गवाह है कि बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी भी पार्टी को इस प्रकार से समर्थन नहीं मिला है और किसी पार्टी को विधान परिषद् में इतना बहुमत नहीं मिला है। करीब-करीब 17-18 सालों के बाद जिस प्रकार से यहां पर बहुमत पाने का काम किया गया उसी प्रकार से विधान परिषद् में बहुमत हासिल करने का काम किया है। मान्यवर, यह जो महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण पेश किया गया है, इसमें पूरे देश की विकास दर 9.7 थी, उसके बाद हमारे स्टेट की विकास दर 7.1 परसेंट थी उसके बाद वर्ष 2007-2008 में देश की विकास दर 9 परसेंट रह गई उसके बाद भी हमारे प्रदेश की विकास दर मा0 बहन जी के नेतृत्व में 7.9 परसेंट आंकलित हुई। इस दस्तावेज को देखने का काम करें, इससे यह स्वयं परिलक्षित हो जायेगा कि जो बहुमत समाज पार्टी की सरकार बहन मायावती जी के निर्देशन में चल रही है, किस प्रकार का काम कर रही है। मान्यवर, हमारी बहन मायावती जी गरीबी की मसीहा है उनके दिल में गरीबों का दर्द रहता है उन्होंने चिन्तन-मनन करने के बाद अपने जन्मदिन के अवसर पर एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना लांच की जिसे महामाया आर्थिक मदद गरीब योजना के नाम से जाना जाता है, इसके तहत गरीबों के आंसू पोंछने का काम किया जायेगा। जिनके पास रोटी नहीं है, जिनके पैरों में चप्पल नहीं है उनके आंसू पोंछने का काम इस योजना के तहत होगा। मान्यवर, पहली बार वहन मायावती जी ने महिलाओं के लिये चाहे वह बालिका आशीर्वाद योजना हो, चाहे सावित्रीबाई फुले योजना हो और चाहे वह जो नई योजना लांच की गई है, यह योजना हो, यह योजना भी उन महिलाओं के नाम पर है जो अपने को उपेक्षित महसूस किया करती थी। आपने हमें बोलने का मौका दिया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ0 अनिल चौधरी-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझें महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आदरणीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपको धन्यवाद। अभी तक जो भी मा0 सदस्य इस पर बोले हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करते हुए अपनी बात रखूंगा। इस प्रस्ताव के समर्थन में बोलने वाले जो हमारे मा0 सदस्य है, भाई राम

सागर अकेला जी बोले और उन्होंने एक उदाहरण दिया मूर्तियों वाले मसले पर कि अगर बहन बेटी रोटी बनाये और उसको पैर से सरका कर दे तो शायद हम उसे खाना पसन्त नहीं करेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं सदन में कि नजारे हमने भी देखे हैं और इस सदन में बैठने वाले बहुत से लोगों ने देखे होंगे इंसान के बच्चे को कचड़े के डिब्बे में कुत्तों से लड़ते हुए भी लोगों ने देखा होगा। पेट की भूख सबसे पहली चीज हुआ करती है और कोई राजतंत्र नहीं है लोकतंत्र है। राजतंत्र में राजा-रानियों की मूर्तियां लगा करती थीं, लोकतंत्र की स्थापना ही इसलिये हुई थी कि लोकतंत्र के अन्दर जो सबसे गरीब व्यक्ति होगा, जो समाज का आखिरी व्यक्ति होगा उसके पेट की क्षुधा शान्त की जायेगी, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जायेगी और उसके बाद अय्यासी का सामान या कोई अन्य कार्य किये जायेंगे। राजतंत्र में आपने देखा होगा, एक बादशाह का नाम आता है 'मोहम्मद शाह तुगलक' का उसने अपनी राजधानी दिल्ली से उखाड़कर दक्कन में बसाने का काम किया था, पत्थरों का शहर बनाया था लेकिन उसका क्या हश्र हुआ था। रजवाड़े मत बनिये, मैं इनसे कह देना चाहता हूं कि आज आप मधान्ध हो रहे हैं, सत्ता के मद में मधान्ध मत होईये। महापुरुषों की पूजा दिल से की जाती है, उनके सिद्धान्तों पर अमल करके की जाती है, उनकी मूर्तियां लगाकर नहीं की जाती है, मेरा ऐसा विश्वास है और शायद पूरा सदन मुझसे सहमत होगा। दोस्तों मैं यह बता देना चाहता हूं कि कुछ चीजें हैं जो मुझ जैसे आदमी को सालती है। मा0 ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं, कृषि मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं। इस सदी का भीषण सूखा पड़ा। जब सूखा पड़ा तो जनप्रतिनिधियों द्वारा आम जनता के द्वारा किसान हितैषियों के द्वारा मांग की जाती है कि किसानों की जितनी सरकारी देय है, उनको मुलतवी कर दिया जाय या माफ कर दिया जाय। इस तरह की मांगे सदन में उठी किन्तु उन पर कोई समाधान नहीं आया। लेकिन सरकार ने एक बात जरूर कही कि जितना देय बकाया है उनकी वसूली रबी की फसल आने तक कोई सख्ती नहीं की जायेगी। मैं उस जनपद से आता हूं जहां से ऊर्जा मंत्री जी हैं, मेरे बड़े भाई हैं।

(इस समय 7 बजकर 27 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मैं उस जनपद की बात बता रहा हूं और वह खुद इस बात को जानते हैं कि किसानों की बिजली की बकायेदारी पर 2-4 साल की बकायेदारी पर नहीं, दो-दो महीनें की ट्यूबवेल के बकायेदारों की बिजली इस फसल के समय पर काट दी जा रही है। इस तरह के समाचार से रोज अखबार रंगे पड़े हैं।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षेप करें।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, इस तरह की घटनायें लोकतंत्र में होंगी तो उसके बाद आप ताजमहल भी बनाते होंगे तो उस ताजमहल पर थूकने के अलावा कोई दूसरा काम आदमी नहीं करेगा। हमारे पास बहुत सारी चर्चायें करने को है लेकिन आपने समय की सीमा में बांध दी है तो मैं कहना चाहता हूं कि कुछ करना चाहते हो तो सूबे की जितनी नहर और रजवहे हैं, उनकी लाइनिंग करके हर खेत तक पानी पहुंचा दीजिये, पक्का कर दीजिये और उस योजना को किसी महापुरुष के नाम पर नाम दे दीजिये जिसको भी आप अच्छा समझें। इस सूबे के गरीबों के लिये आप एक योजना

लाये हैं, महामाया आर्थिक मदद योजना। बहुत अच्छी बात है, महामाया जी के नाम पर आपने इसका नाम रख दिया, इस तरह के अन्य बहुत सारे जनहितैषी कार्य किये जा सकते हैं और हम उन महापुरुषों, सेनानियों को याद कर सकते हैं। क्या कारण है कि खेती बागवानी के लिये प्रसिद्ध इस गंगा यमुना के दोआब की जमीन, ज्योतिबाफूले जी का नाम तो आप लेते हैं, लेकिन यह एक स्किल जो हमारे पुरखों की दी हुई खेती किसानी में नर्सरी लगाना, नई पौध तैयार करना, अब तो और नई वैज्ञानिक खोज हो गई है कि टिशूकल्चर से प्लाण्ट पैदा करना, क्या आप इसके लिये कहीं कोई योजना का उल्लेख किया है, कोई योजना बनाई है कि जो बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं। अगर उनको बागवानी ढंग से सिखा दी जाय तो सूबे के कम से कम 1 करोड़ लड़कों को रोजगार दिया जा सकता है और उनका पेट भरा जा सकता है। इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है लेकिन ध्यान नहीं दिया जाता है, कोरी लफ्फाजी की जाती है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिये, दीनानाथ कुशवाहा जी अपनी बात शुरू करें।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, महात्मा ज्योतिबाफुले जी को याद करना है तो उनके नाम से बागवानी सीखाने के लिये इंस्टीट्यूट खोला जाय और पार्क में उनकी मूर्ति भी स्थापित की जाये। मैं बहुत लम्बी चौड़ी बात न करते हुए दो-चार बात जरूर कहना चाहूंगा कि अभी कृषि मंत्री जी बीच में बोल पड़े थे तो यमुना एक्सप्रेस-वे के नाम पर, गंगा-यमुना के दोआब की तीन फसल देने वाली जमीन को अधिसूचित किया गया है। 1019 गांवों की अधिसूचना है, 850 गांव सिर्फ अधिसूचित हैं बाकी में कार्यवाही चल रही है। अधिग्रहण की धारा-4 हो चुकी है, 44 हजार हेक्टेयर आज ही अतारांकित प्रश्न लगा था, उसमें जवाब आया है कि 44 हजार हेक्टेयर जमीन पर एक्सप्रेस-वे के अलावा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही चल रही है। और बाकी जो 850 गांव हैं विश्व की सबसे बड़ी घटना होगी ये। गंगा यमुना दोआब में 850 गांव, उनका हमने एक प्रश्न पूछा आज ही उसमें राजस्व मंत्री जी का उत्तर है। उन गांवों का क्षेत्रफल तक सरकार को नहीं मालुम है कि कितने क्षेत्रफल का रकबा लेना चाहते हैं। इतनी संवेदनहीन सरकार है। अगर कर्म करके दिखावोगे तो जनता आपकी प्रशंसा करेगी और हमारी आलोचना करने लगेगी करेगी। अपने कामों से लोगों को प्रभावित करिये। लफ्फाजियों से जमाने की तस्बीर नहीं बदल सकती है। मैं इन शब्दों के साथ महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रतिपक्ष के नेता ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री दीनानाथ कुशवाहा-

मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष तथा अन्य सम्मानित सदस्यों के संशोधन प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। महोदय, समाजवादी आन्दोलन के अगली पंक्ति के नेता लोहिया जी ने सपना देखा कि सबको समान शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले, सबको कपड़ा मिले, सबको दवा मिले, दवा के अभाव में मरीज न मरने पाये सबके चेहरे लाल दिखाई दें। आज से 32 माह पूर्व उत्तर प्रदेश में इन्हीं सपनों की झलक दिखाई दी लेकिन मैं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहना चाहता हूं कि यह जो दस्तावेज है उसके बारे में कहना है कि भरता है पेट तो संसार चमकता है बढ़ती है भूख तो ईमान डगमगाता है। आज प्रदेश में किसी के लिये सब कुछ है और किसी के लिये कुछ नहीं है। प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। आज के 32 महीने पहले जो सरकार थी उस वक्त नेशनल क्राइम ब्यूरो पुलिस के आंकड़े इस बात को बता रहे हैं कि उस समय अपराध के क्रम में उत्तर प्रदेश 26वें नम्बर पर था। आज पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश का तीसरा नम्बर है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज प्रदेश में नहीं रह गई है। केन्द्रीय मंत्री जी ने कहा है हम 16 लाख मीट्रिक टन डी0ए0पी0 उत्तर प्रदेश को मुहैया करा देंगे। लेकिन जब रवी फसल की बुआई का समय शुरू हुआ तो उस वक्त किसानों के ऊपर डण्डे बरसाये गये खाद और बीज का अभाव रहा आज उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उतनी निकम्मी सरकार कभी नहीं रही। मंत्री जी शायद चले गये सन् 50 व 60 के दशक तक सहकारिता के क्षेत्र में चीनी मिलें लगाई गई थीं उसमें से 22 चीनी मिलें चालू हैं बाकी चीनी मिलें बन्द हैं। प्रदेश सरकार की जो नीति है, गन्ना नीति है वह मेरी समझ में नहीं आ रही है जब हमारी सरकार थी उस समय गन्ने का उत्पादन बढ़ा था गन्ने का उत्पादन बढ़ा था, गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा था। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का नम्बर था उस समय 85 लाख टन उत्पादन हुआ था आज जैसे ही बहुजन समाज पार्टी की सरकार सत्ता में आई हमारा चीनी का उत्पादन 85 लाख टन से घटकर 40 लाख टन हो गया। वर्ष 2009-10 का पेराई सत्र समाप्त होगा तो 37 लाख टन उत्पादन होगा जो पिछले वर्ष से तीन लाख टन कम है। इस सरकार की चीनी और गन्ना की नीति दोनों कूड़े में डालने वाली है। हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इस सदन को चलाने वाले संसदीय कार्य मंत्री जी और माननीय अध्यक्ष जी पिछड़े वर्ग से हैं। लेकिन 883.15 करोड़ पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई। पिछड़े वर्ग के लड़कों और पिछड़े वर्ग की लड़कियों की शादी-बीमारी में, पूरे प्रदेश के अन्दर पिछड़े वर्ग की आबादी 54 फीसदी है और पिछड़े वर्ग को आप दे रहे हैं 20 करोड़ रुपये। पिछड़े वर्ग के छात्रों की पढ़ाई के लिये आपने कोचिंग सेन्टर की व्यवस्था नहीं की यह दुर्भाग्य की बात है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जब जवाब देंगे नेता सदन जब जवाब देंगी तो इस पर जबाव देंगे यह मैं आग्रह करता हूं। हमारे यहां देवरिया जनपद में 50 बालू खनन क्षेत्र है 50 बालू खनन क्षेत्र में एक भी दलित को एक खनन क्षेत्र आवंटित नहीं किया गया है। न तो कोई नोटिस दी गई न कोई गजट हुआ और जिनकी रॉयल्टी सरकार द्वारा निर्धारित है बालू खनन क्षेत्र का वह 200/- रुपये प्रति ट्रक और 100 रुपया प्रति ट्राली एक सिन्डीकेट द्वारा जो है अतिरिक्त लिया जा रहा है। हम बता दें मान्यवर, कि हेतीपुर से असनपुर से दक्षिण 8 लाख की सरकारी रॉयल्टी है और यह दे दिया गया 1 लाख 32 हजार में। दूसरा है नौसन हथियागढ़ से बलनिया सरकारी रॉयल्टी जो है तीन लाख है और यह दे दिया गया 30 हजार रुपये में। तीसरा कुटवा से रतपुरवा की रॉयल्टी है साढ़े छः लाख रुपये और यह दे दिया गया एक लाख साठ हजार रुपये में। पटना, कुटवा मिलानबिन्दु से कुटवा ग्राम की रायल्टी है 5 लाख 50 हजार रुपये और यह दे दिया गया दो लाख में। कोई गजट नहीं हुआ, कोई नोटिस नहीं हुई। हमने जिलाधिकारी से सम्पर्क किया लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। इस तरह की धॉधली इस सरकार में हो रही है कि सरकारी रॉयल्टी से भी कम दाम पर जो है बालू खनन क्षेत्र आवंटित किये गये हैं। मेरा आपसे आग्रह है महोदय और 50 बालू खनन क्षेत्र हैं, एक भी दलित को बालू खनन का नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

चलिये कुशवाहा जी, अब आप समाप्त करें।

श्री दीनानाथ कुशवाहा-

इसलिये मैं महामहिम राज्यपाल के संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं। अपनी वाणी परविराम देता हूं।

श्री मदन चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके उपलब्ध में मैं खड़ा हुआ हूं। उसके लिये मैं आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, बहुत सारी उपलब्धियां अभिभाषण में हैं लेकिन संशोधन के रूप में कुछ मेरे भी विचार जोड़ दिये जां तो जनहित में एक अच्छा कदम होगा। जिस तरह से हमारे प्रदेश में कृषि की व्यवस्था है और कृषि की विकास दर घटती जा रही है वैसे तो देश की प्रदेश की विकास दर 7 परसेन्ट, 9 परसेंट है। लेकिन अगर कभी देखा जाय कि गरीब मजदूर की किसान की कितनी विकास दर है ? मैं समझता हूं उस विकास दर को बढ़ाने के लिये महामहिम महोदय ने या सरकार ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसी के अनुरूप जिस तरह से गन्ना किसानों का शोषण हो रहा है और गन्ना किसान कम गन्ना बोने लगा है। चीनी का मूल्य बराबर बढ़ता जा रहा है तो उसी की परिणीत में अभी अवैध तरीके से गन्ना शुगर मिल मालिकों ने गन्ना खरीदने की जो प्रक्रिया की है, घटतौली की जो प्रक्रिया की है, उससे मेरे क्षेत्र में सिम्भावली शुगर मिल, बैजनाथ शुगर मिल यह दो कटिंग मेरे पास वहां की है। उसमें लिखा है कि 12 हजार बोरों का कच्चा स्टाक का अन्तर पाया गया शुगर मिल के अन्दर और जिस तरह से क्षेत्रीय किसानों का शोषण किया जा रहा है, आरक्षित क्षेत्र के बाहर से गन्ना खरीदा जा रहा है नकद रेट में। वह लिया जा रहा है 300, 270 के रेट से लेकिन सरकार भी उसी रेट को देती तो किसानों का बहुत भला होता। उसी तरह से वहां के जो किसान हैं उनके शोषण के शिकार हैं, असंतोष है। अगर सरकार गन्ना किसानों को 300 का रेट बढ़ा दे तो निश्चित रूप से जो देना चाहते हैं मिल मालिक उसी के रूप में उन सबको लाभ होगा और किसान की विकास दर बढ़ेगी तो मान्यवर, यह मेरा अनुरोध है कि अगर इस संशोधन को जोड़ दिया जाय और इन पर छापेमारी हो तो जिस तरह से सरकारी राजस्व चाहे समिति का कमीशन हो चाहे लेबी की चीनी हो चाहे शीरे का स्टाक हो, चाहे शराब का स्टाक हो, करोड़ों करोड़ रुपये का इन मिलों के द्वारा घोटाला किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इस सरकार की गन्ना मिलों से मिली भगत चल रही है उस पर रोक लगनी चाहिये। मान्यवर, दूसरा मेरा सुझाव है कि अभी भी आप अच्छी तरह से जानते हैं और प्रदेश के सभी लोग अच्छी तरह से परिचित हैं कि पिछले एक महीने के अन्दर जिस तरह से हांड कंपाती ठंड पड़ रही है उसमें कितने लोग मर गये मेरे पास दो जगह की इन्फारमेशन है जैसे लिखा था कि लखनऊ में 621 तक पहुंची। उसी तरह से 83 की एक जगह और मौत हुई। और मान्यवर, नोएडा में भी उसी तरह से बहुत सारे लोग ठंड की वजह से मर रहे हैं। इलाहाबाद में भी लोग ठंड से मर रहे हैं। इस तरह से जो हजारों लोग मर रहे हैं तो क्या सरकार ने ठंड से मरने वालों के परिवारों के लिये कोई सहायता या उन लोगों के लिये कोई प्रबन्ध किया है, कि लोग ठंड से न मरें। मैं चाहता हूं कि इसमें संशोधन किया जाए तो हो सकता है गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों

को राहत मिल सके। जहां इस तरह से बहुत सारी मूर्तियों में बहुत सारी पूजा में पैसा जा रहा है अगर उस पैसे का उपयोग इन लोगों को ठंड से बचाने में हो जाये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि अगर आदमी ठंड से मर रहा है तो मूर्ति को देखकर खुश नहीं होगा। अगर पेट नहीं भरा है तो पूजा करके खुश नहीं हो सकता है न ही उसका मनोरंजन होगा ठण्ड में उसका मनोरंजन भी नहीं होगा ठंड में पार्क में भी नहीं घूम पायेगा। मेरा अनुरोध है कि जो ठंड से मर रहे हैं उनको कुछ न कुछ दिया जाना चाहिये। इसी प्रकार से मान्यवर, परिवहन विभाग है बहुत सारे हमारे गांव ऐसे हैं जहां परिवहन की व्यवस्था नहीं है और जहां व्यवस्था है तो बहुत किराया बढ़ चुका है अगर हम अपने मुरादाबाद से लेकर दिल्ली तक देखें तो इतनी डग्गामार गाड़ियां चल रही हैं इतनी-इतनी डग्गामार जीपें चल रही हैं तो मैं समझता हूं कि कई-कई करोड़ की जो चोरी हो रही है राजस्व की, आप छापा लगवा दीजिये, एक दिन, कहीं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं तो छापा लगवा दीजिये। मुरादाबाद, संभल, बिजनौर तक इतनी जीपें चल रही हैं करोड़ों रुपयों का जो नुकसान हो रहा है इस राजस्व की रक्षा होकर अगर यह गरीबों के हित में लगे तो यह बड़ी उपलब्धि होगी। मैं चाहूंगा .....

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री मदन चौहान-

कहने तो दो, कभी-कभी तो मौका मिलता है विद्युत आपूर्ति के संबंध में कहना चाहूंगा देश आजाद हो गया शहर को बिजली मिलेगी लेकिन गांव में रहने वाले जो छात्र हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं उनको बिजली नहीं मिलेगी, हां यह जरूर होगा कि छोटा-मोटा उपभोक्ता होगा कोई बल्ब कहीं उसका पकड़ लिया होगा तो उसको कई शुल्क देने पड़ेंगे। एक तो उन पर पैनाल्टी लगेगी, माननीय मंत्री जी बैठे हैं एक सम्मन शुल्क लगाया जाता है जो पुलिस के लोगों के द्वारा लगाया जाता है एक तो गिरफ्तारी न हो वह शुल्क तो अलग लिया जाता है पुलिस के द्वारा लेकिन यह सम्मन शुल्क से आया, पैनाल्टी पड़ी बिजली वालों की यह तो अलग बात है लेकिन यह सम्मन शुल्क कहां से आया। यह कौन सी परिभाषा से गरीब आदमी पर एक गलत केस में 10-20 हजार जोड़ दिया जाता है। आखिर यह कौन सा शुल्क है। बिजली आपूर्ति हो नहीं रही किसानों का ट्यूबवेल लग नहीं रहा। जो ट्रान्सफार्मर फुंक जाता है वह महीनों महीनों तक ठीक नहीं हो पाता है। तो उसकी तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है किसान को बिजली आपूर्ति नहीं होगी तो विकास दर नहीं बढ़ सकती है। इसी प्रकार से मान्यवर, गंगा के लिये मैंने आपके माध्यम से कई बार प्रश्न किया गंगा गढ़मुक्तेश्वर को हरिद्वार की तर्ज पर विकसित करने की योजना है। उसमें जब कभी आचमन करने के लिये लोग जाते हैं तो देखिये वहां कितना गन्दा पानी है। उससे आचमन करते हुए आदमी डरने लगता है।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री मदन चौहान-

सिंभावली शुगर मिल का, कई डेरियों का पानी ऐसी जगह जाता है जहां डालफिन मछलियां मिलती हैं बहुत कम जगह डालफिन मछलियां मिलती हैं। मेरे यहां जहां गंगा नदी में

डालफिन मछली है जो पानी को शुद्ध भी करती है और यह एक जलीय प्राणी है इस देश का इस प्रदेश, तो आप उसके बचाव के लिये उस गन्दे पानी को रोकने का आदेश दे दें तो गंगा स्वच्छ होगी या कोई न कोई प्रयास जरूर होगा। जिस तरह से विकास होना चाहिये गंगा के किनारे लाखों लाखों श्रद्धालु स्नान करने जाते हैं वहां वैरीकेट न होने की वजह से लोग डूबते हैं।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, मैंने प्रश्न लगाया था चिकित्सा का, एक अतारांकित प्रश्न लगा था जो द्वितीय सत्र में 152 नम्बर पर था "क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी को जानकारी है कि नोएडा जिला अस्पताल जनपद गौतमबुद्ध नगर में अल्ट्रासाउण्ड मशीन अधिकतर खराब रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार नई मशीन की व्यवस्था करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?" मान्यवर, इसका उत्तर आया है कि-"जिला संयुक्त चिकित्सालय गौतमबुद्ध नगर का हस्तान्तरण नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर को दिनांक 23-1-08 को किया गया था, अतएव यह चिकित्सालय सम्प्रति चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रणाधीन नहीं है।" मान्यवर, मैं कहना चाह रहा हूं कि गरीब लोग इतनी बड़ी जगह पर जहां पर कितने लाख लोग जाते हैं अल्ट्रासाउण्ड मशीन ठीक नहीं हुई तो हम किसको कहें वह आज तक ठीक नहीं है मैंने सी0एम0ओ0 से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ठीक कराने के आपरेटर्स ही नहीं हैं हम ठीक नहीं करा सकते हैं तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सरकार कैसे गरीबों को कैसे चिकित्सा मुहैया करायेगी। जिस तरह से फीस वृद्धि हो रही है बड़े-बड़े संस्थानों में निजी संस्थानों में उस पर कैसे रोक लगे। नोएडा, गौतमबुद्ध नगर में गाजियाबाद में मान्यवर, जिस तरह से फीस वृद्धि हुई है वहां पर अभिभावकों ने मिलकर बहुत बड़ा अभियान छेड़ा।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री मदन चौहान-

लेकिन शासन ने निर्देश दिया कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी, आखिर उसके मानक क्या होंगे, जो फीस उनकी तय की जाय ? अभी जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिया था कि ठण्ड में बच्चों की पढ़ाई बन्द कर दी जाए लेकिन जो सी0बी0एस0ई0 और इस तरह के बोर्ड के स्कूल थे उन्होंने साफ मना कर दिया, उन्होंने उसको नहीं माना। मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई दिन नोयडा, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद में नहीं जाता जिस दिन 5-7 लूट न होती हों। इन लूट पर कन्ट्रोल न हुआ, स्वयं एडीजी और अन्य बड़े अधिकारियों ने जाकर माना कि हां यहां पर व्यवस्था बड़ी खराब है। मान्यवर, हमारे यहां के प्राधिकरण की सबसे बड़ी पोस्ट है, जो चेयरमैन होता है, उसके पी0ए0 का अपहरण हो गया तो कानून व्यवस्था की और भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नेता प्रतिपक्ष द्वारा रखे गये संशोधन पर बल देता हूं। धन्यवाद।

श्री हरपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये संशोधन पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, प्रदेश में क्या हो रहा है, उस पर कहूंगा-

"झील पर पानी बरसता है प्रदेश में, खेत पानी को तरस रहे हैं इस प्रदेश में,
तुम्हारे वजीर और अफसरों को छोड़कर, कौन हंसता है, इस प्रदेश में।"

मान्यवर, पहले सपा की सरकार थी, जो गुण्डागर्दी का पर्याय बन गई थी, लोगों को आशा थी कि बहुजन की सरकार बनेगी तो लोगों के साथ न्याय करेगी लेकिन हाथी के दांत खाने के और, दिखाने के और साबित हुए। मान्यवर, दलितों के साथ जितने अत्याचार हुए, उनका रिकार्ड है। मैं दसों घटनायें अपने जिले की गिना दूं, चाहे कालाखेड़ा काण्ड में दलितों के साथ अत्याचार हुआ हो, चाहे जैतोली में हुआ हो, चाहे पपसरा में प्रधान दलित की हत्या की गई हो, सरकार में बैठे लोगों का उनको संरक्षण मिलता गया और उन पर अत्याचार बढ़ते गये। किसी पर कोई कार्यवाही नहीं हुई जो घटना में शामिल लोग थे तो जब हमारे जिले की स्थिति यह है तो पूरे प्रदेश में क्या स्थिति होगी। मान्यवर, पिछली बार शराब के ठेके हुए, कहीं पर भी किसी एक दलित को शराब के ठेके नहीं मिले। आज शराब का माफियाकरण करके केवल एक व्यक्ति को ही पूरे शराब की नीलामी कर दी गई और यदि सरकार गरीब वर्गों के लिये चाहती, चाहे वह किसी भी जाति के थे, उनके लिये शराब के ठेकों में आरक्षण करती और मैं समझता हूं कि इससे इस प्रदेश का विकास होता। लेकिन सरकार केवल थोथला काम कर रही है, हाथी के दांत जो खाने के और दिखाने के और साबित हो रहे हैं। मान्यवर, किसान की जितनी दुर्दशा है, उसे खाद मिली नहीं, केवल किसान को डण्डे मिले, पुलिस के द्वारा पर्चियां लिखकर दी गई, 10-10, 20-20 हजार रुपये दरोगा ने ले लिये, पूरी रात पड़े रहे और खाली ट्रैक्टर वापस लौटे, लेकिन खाद नहीं मिली, यह स्थिति किसान के साथ हुई और जहां तक शिक्षा की बात है, कह दिया गया कि सबको पास कर दिया जाए, गुणवत्ता पर ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है। प्राइमरी स्कूलों में केवल खिचड़ी का काम होता है, पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं है। कक्षा-5 के बच्चे अपना नाम लिखना नहीं जानते और अब यह कहा जा रहा है कि कक्षा-8 तक उन्हें पास कर दो। मान्यवर, उनका टेस्ट लिया जाए कि जो पढ़ाया गया है, उसका अनुसरण वह कर रहे हैं या नहीं, केवल उन्हें पास कर दिया, इससे दलित वर्ग के, कमजोर वर्ग के बच्चों का भला होने वाला नहीं है क्योंकि इन स्कूलों में गरीब वर्ग के बच्चे ही पढ़ते हैं। टीचरों को ऐसी छूट दे दी गई, बच्चों को न पढ़ाने की और कह दिया गया कि केवल उन्हें पास कर दिया जाए। मान्यवर, शिक्षा की मजाक उड़ाई जा रही है, बच्चे केवल खिचड़ी की तरफ देखते हैं। मान्यवर, कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि उन्हें पका-पकाया कुछ पैकेटों में दिया जाए, जिससे वह पढ़ने का काम करें और बर्तनों की तरफ न देखते रहें। मान्यवर, राशन प्रणाली की तो पूरे प्रदेश में यह हालत है, पहले कुछ लोग जो इधर थे, उधर जाकर बैठ गये सरकार का संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं, खुलेआम कहा जा रहा है कि राशन बांटने की आवश्यकता नहीं है, हम मालिक हैं केवल हिस्सा पहुंचाते रहो। मान्यवर, इससे कुछ लोगों की जेबें जरूर भर रही हैं लेकिन किसान तक राशन नहीं पहुंच रहा है, गरीब तक राशन नहीं पहुंच रहा है और इसके साथ-साथ जहां दलितों के साथ अत्याचार हुआ है, एस0सी0 ऐक्ट का भी दुरुपयोग हो रहा है। मान्यवर, एक हसनपुर की घटना बता दूं अभी चेयरमैन साहब ने पाला बदला, उधर पहुंच गये सदस्य विरोध कर रहे थे उसमें नामित सदस्य भी थे कि चेयरमैन साहब ने बहुत भ्रष्टता का कार्य

किया है, कई बार जांच में दोष सिद्ध भी हो गये, लेकिन जांच फिर लौटा दी गई क्योंकि उधर शामिल हो गये थे। जब नामित सदस्य ने विरोध किया और सदस्यों ने विरोध किया तो बहुजन समाज पार्टी के जिला मंत्री को बुला करके चेयरमैन ने कहा कि अब तो मैं आपकी पार्टी में शामिल हो ही रहा हूं तो क्यों न एस0सी0 ऐक्ट लिखा दो तो बिना किसी घटना के एस0सी0 ऐक्ट लिखा दिया गया। जनता के साथ अन्याय हो रहा है। जहां एस0सी0 ऐक्ट की जरूरत है वहां वह नहीं हो रहा है जहां जरूरत नहीं है वहां पर दुरुपयोग हो रहा है। मान्यवर, पहले जब सरकार बनी थी तो कहा गया था कि हम गाय बध पर प्रतिबन्ध लगायेंगे लेकिन एक साल तो स्थिति ठीक रही लेकिन आज धड़ल्ले से पशुओं का सरेआम कटान हो रहा है। हम किसी थानाध्यक्ष, कप्तान से कहते हैं तो वह कहते हैं कि हाईकोर्ट का ऐसा निर्देश है कि जब माल कट जायेगा तब पकड़ा जायेगा। मान्यवर, आदमपुर थाने की घटना है, एक ट्रक पकड़ा गया और उस माल को लौटवा दिया गया। मान्यवर, एक्सीडेंट हो गया था तब वह पकड़ा गया। उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसी कई सारी घटनायें हो रही हैं। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में एक डकैती हो गयी, कई लूट की घटनाएं हो रही हैं। जितनी लूट हुई हैं उसमें पुलिस की जरूर पौ बारह हो जाती है, लूट की एक घटना हो जाए तो पुलिस दसों लाख रुपये छापामारी में थाना भर देती है। जब तक एक घटना की दसों लाख में छापामारी में न पहुंचा दे उससे पहले पुलिस पीछा नहीं छोड़ती है। परिणाम वही जीरो निकलता है। पकड़ पकड़कर लोगों से वसूली का काम किया जा रहा है। मान्यवर, गुण्डागर्दी भ्रष्टाचार के पिछले सारे रिकार्ड टूट गये।

मान्यवर, चुनाव में इतनी धांधली हुई कि हाथ से पर्चे छीन लिये गये, पर्चा दाखिल करने वालों को 5-5 बार पिटाई हुई। जिलाधिकारी के निर्देश पर कहा गया कि पर्चा दाखिल करा दो, पर्चा दाखिल कराने सी0ओ0 गये, सी0ओ0 को धक्का देकर बाहर निकलवा दिया गया। मैं सरकार और सरकार में बैठे हुए माननीय मंत्रीगण से कहना चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दें कि कमजोर लोगों के साथ कितने अत्याचार हो रहे हैं। कितनी दुर्दशा हो रही है, किसान पर कितना अत्याचार हो रहा है और मान्यवर, बिजली की तो यह हालत है कि मेरे मकान के आस-पास में जो जनरेटर लगा है तो उससे लोग पानी की सप्लाई कर रहे हैं। बिजली आती नहीं है। टैंक भरते नहीं है। मान्यवर, बहुत बुरी स्थिति है। अब परीक्षा का महीना आने वाला है उसमें बिजली की व्यवस्था होनी चाहिये। सड़कों की मरम्मत की कोई व्यवस्था नहीं है। हमने कई बार प्रस्ताव किया तो कहते हैं धन ही नहीं है। मान्यवर, जिला योजना में पैसा नहीं है। पिछली जिला योजना में केवल 20 प्रतिशत पैसा जिलों को भेजा गया है। जब पिछली बार का पैसा नहीं आया तो मान्यवर, इस बार जिला योजना का पैसा कैसे आयेगा। तो आपके माध्यम से हम यह चाहते हैं कि जो जिला योजना बनकर आई है हमारे क्षेत्रों में भले ही काम न हो, पक्षपात की दृष्टि से हो, लेकिन कम से कम पैसा तो आये। कहीं काम तो हो। इसके साथ ही मैं संशोधन प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैंने यह पूरा अभिभाषण पढ़कर देखा है। इसमें कोई विशेष नई चीज नहीं है और आर्थिक रूप से प्रदेश की विकास दर जिसके बारे में बहुत बढ़ चढ़कर बात की जा रही है। वर्ष 2007-2008 में 7.9 प्रतिशत की

विकास दर के बारे में कहा गया है जो घटकर 2008-2009 में 7.4 हो गई। प्रदेश की विकास दर घट रही है। कृषि की विकास दर घट रही है एक बात आपने बहुत बढ़ चढकर कही कि प्रति व्यक्ति आय यहां पर 18710 रु0 हो गई है। आय आपकी बढ़ी है लेकिन व्यक्ति की क्रय शक्ति कम हो गई है। जो पिछले वर्ष बजट के बाद जब बाजार से कोई चीज लेने जाते है। उसकी आज 60-70 प्रतिशत कीमतें बढ़ गई हैं। यही आर्थिक चक्र है। यदि आदमी की क्रियाशक्ति कम हो जायेगी तो प्रदेश हो या परिवार हो तो उसकी आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है। विशेष रूप से हमारा प्रदेश किसानों का प्रदेश है। 80 प्रतिशत जनसंख्या किसान गरीब मजदूर के रूप में जीवनयापन करती है। किसान के बारे में, कृषि के बारे में इस पूरे बजट भाषण में कोई विशेष बात नहीं कही गई है। एक बात पर बहुत जोर दिया गया है कि गन्ने का दाम 25 रुपये प्रति कुन्तल बढ़ाकर गन्ने के दाम में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। लेकिन साथ-साथ यह नहीं बताया कि हमने गन्ने का दाम तो 25 रुपये बढ़ाया है लेकिन चीनी का दाम भी 50 रुपये किलो कर दिया है।

मान्यवर, जब चीनी 2100 रुपये कुन्तल थी और गन्ने का दाम 140 रुपये था। आज गन्ने का दाम 300 रुपये भी हो जाये तो भी मिल मालिक लाभ में हैं और यह पहली बार इस सरकार में ऐसा हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी मिल मालिक गन्ना 300 रुपये में खरीदना चाह रहे हों और सरकार न चाहती हो हमारे किसानों का गन्ना मंहगा से मंहगा बिके। पूरे प्रदेश का कोआपरेटिव सेक्टर निगम की अधिकतर चीनी मिलें बन्द हो गई है और प्राइस देने की होड़ मची हुई है। अपने आरक्षित क्षेत्र का गन्ना वो 210-215 में लेंगे दूसरे क्षेत्र का गन्ना 270-280 में लेंगे इस सरकार में पहली बार ऐसा हुआ है। किसान की दो तीन चीजें महत्वपूर्ण है उसका पशुधन के बारे में यहां पशुधन मंत्री बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में पशुओं के करीब 300-400 पशु अस्पताल 5 या 6 साल से बने पड़े हैं। मेरे अकेले जनपद में 9 पशु चिकित्सालय हैं, 5 साल से बिल्डिंग खड़ी है। उनकी खिड़की उखड़ गई, इनकी ईंट उखड़ रही है। हम कहते-कहते थक गये पशुधन मंत्री जी यहां बैठें हैं, एक गड्डी दरख्वास्त देते देते हो गई है। हर बार विधान सभा में आज ही उत्तर दिया है कि हमने नियुक्तियों के लिये अधियाचन भेज दिया है। 3 साल में अधियाचन भेजा जा रहा है। तो नियुक्ति कब तक होगी। ढाई साल बाद तो सरकार बिदा हो जायेगी। ढाई भी नहीं अब तो सवा दो साल बचे हैं। बिजली की स्थिति यह है कि मैंने अपने संशोधन प्रस्ताव में कहा भी है कि हमारे प्रदेश में आज 70 से लेकर के 80 परसेन्ट तक ऐसे काश्तकार है जो 2 एकड़ से कम के काश्तकार रह गये हैं और बिजली का नलकूप लगाने जायेंगे। हमारे ऊर्जा मंत्री बैठे हुए हैं। बातों में मशगूल है जरा सुन लें थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा। उत्तर प्रदेश में 80 परसेन्ट काश्तकार करीब-करीब आधा हेक्टेयर और 2 एकड़ से कम के हो गये हैं और बिजली का नलकूप कोई भी अब एक लाख से डेढ लाख से कम के बीच में नहीं लगता।

जिसके पास दो एकड़ जमीन है। जिसके पास 12 बीघे जमीन काश्तकार के पास है, जिसकी संख्या 70 और 80 परसेन्ट के आस-पास है वो काश्तकार आमदनी हिसाब लगा लो केवल सौ रुपये का मजदूर है। और सौ रुपये का मजदूर 1 लाख डेढ़ लाख का ट्यूबवेल कैसे लगायेगा। मैंने संशोधन प्रस्ताव में कहा है कि उस पर विचार कर लें। ऐसे किसानों का मुफ्त बिजली और नलकूप लगायें जायें यदि ऐसा हो जाये तो किसान का भला हो जायेगा। आज प्रदेश का 80 परसेन्ट किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है चीनी का रेट 50 रुपये हो गया, गन्ने का क्षेत्रफल

व उत्पादन घटता चला जा रहा है। 30-40 परसेन्ट गन्ने का क्षेत्रफल घट गया है। चीनी मंहगी और गन्ने का एरिया किस वजह से घटा है। क्षेत्रफल घटा है चाहे वह केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार हो दोनों की गलत नीतियों के कारण से आज केन्द्र में सरकार भी थी कांग्रेस प्रमोद तिवारी चले गये यहां से, वो बात कर रहे थे केन्द्र में इनकी ही सरकार चल रही है। मेरे सीधे हाथ पर बैठने वाले समाजवादी पार्टी भी केन्द्र उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं और सामने बैठने वाले ब0स0पा0 के लोग भी समर्थन कर रहे हैं। चाहे समाजवादी हो, कांग्रेस हो या बसपा हो इन तीनों पार्टियों ने मिलकर आज किसानों की दुर्दशा कर दी है। आज अरहर की दाल 100 रुपये किलो बिकेगी, मूंग की दाल 90 रुपये किलो बिकेगी और कह रहे हैं कि हम गरीबों के लिये 300 रुपये पेंशन कर रहे हैं। 300 रुपये में केवल 3 किलो दाल आयेगी क्या कर रहे हैं गरीबों के लिये गरीबों के लिये करना है तो जो 80 परसेंट लोग गांव में रहते हैं उन लोगों को रोजगार देने का काम करो। रोजगार मिल नहीं रहा है। लोग भ्रमित हैं, कानून व्यवस्था ठप्प होती चली जा रही है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी यहां पर बैठे हुऐ हैं। पी0एच0सी0 पर गांव में कोई भी डाक्टर जाने को तैयार नहीं है। किसी पर चले जायें, विश्वास न हो तो मेरे साथ चलें। हमारे जिले के मंत्री मुस्करा रहे हैं, इनके क्षेत्र में देख लें तो पी0एस0सी0 में कोई डाक्टर नहीं मिलेगा। पी0एच0सी0 खाली पड़ी हुई है। पशु चिकित्सालय खाली पड़े हुए हैं और किसान की बात करने वाले और गांव की बात करने वाले, गरीबों की बात करने वाले लोगों ने इस प्रदेश को तबाह करके रख दिया है। मिड डे मील के बारे में मैंने अपने क्षेत्र के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक स्कूल में जाकर के देखा है। मास्टरों से बात की है कि भइया क्या मामला है क्या हो रहा है तो वे कहते हैं कि हमारा काम केवल यह है कि बच्चे जब आते हैं तो चम्मच कटोरी से बजने लगते हैं। हमारा काम बस इतना है किसी प्रकार से इनको दो चम्मच खिचड़ी खिलाकर यहां से भगा दो।

प्राइमरी एजूकेशन बिल्कुल ठप है, उत्तर प्रदेश की स्थिति बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई है। कानून व्यवस्था के बारे में, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, थाने दलाली के अड्डे होकर रह गये हैं, किसी थाने में चले जाओ रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, मेरे जिले का मामला है एक रात को एक लड़के के ऊपर जिसका नाम सत्यभान है पर चाकू से हमला होता है, तीन बदमाश चाकू से कमर गोद देते हैं उसकी हमारे यहां के विभाग प्रचारक सुशील कुमार जी, हमारे जिला पंचायत देवेन्द्र जी और उनके साथ युवा मोर्चा के लोग रिपोर्ट कराने जाते हैं। कोतवाली नगर बुलन्दशहर के थानेदार और सी0ओ0 कहते हैं कि उनको उठाकर बन्द करो रात को झगड़ा करते हैं ये आ गये हैं यहां पर रिपोर्ट लिखाने। सुबह पांच बजे घटना का पता हमको लगा, हमने जा करके कोतवाली का घेराव किया, धरना प्रदर्शन किया, जब जाकर छोड़े और आज भी वह सी0ओ0 वहीं पर बैठा हुआ है। हमारी डिमाण्ड थी, हमारी मांग थी प्रदेश को लिखा गया, बहुत जगह लिखा गया कि सी0ओ0 व इंस्पेक्टर को तत्काल हटाया जाय, हटे नहीं वहां पर। तो कानून व्यवस्था ठप होकर रह गई है। प्रत्येक दिन डकैती, चोरी हमारा एन0सी0आर0 क्षेत्र ऐसा हो गया है कि कोई आदमी सुरक्षित नहीं है।

सुबह को जब जाता है तो सोचकर जाता है परिवार वाले कहते हैं कि शाम को भइया ठीक-ठाक आ जाना आज नोयडा, गाजियाबाद अपराध की दुनिया के क्षेत्र हो गये हम कहते कहते थक गये पिछली बार भी सत्र के दौरान हमने कहा विशेष रूप से एन0सी0आर0 क्षेत्र में शस्त्र बल की व्यवस्था कुछ और बढ़ाई जायेगी, पुलिस बढ़ाई जाय, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है वहां पर, वहां

पर अपराध बढ़ रहा है, आदमी का जीवन सुरक्षित नहीं है, आदमी का जीवन खतरे में पड़ गया है। हमारी गंगा माता जी, हम कहते हैं सभी कहते हैं, इधर जो बैठे हैं वह भी कहते हैं गंगा हमारी माता है, कोई भी यहां से चल कर हमारे कई साथी मंत्री बैठे हुए हैं, अनूप शहर में जाकर उस गंगा में कोई नहा नहीं सकता है। सारे मिलों का गन्दा पानी और गंदगी इतनी हो गई है हम एक दिन वहां पर एक कार्यक्रम में गये थे, पैरों को धोया तो खुजली सी शुरू हो गई पैरों में। नहा नहीं सकते। लेकिन शुगर फैक्ट्रियों का पानी हम रोक नहीं सकते गंगा में जाने से। एक तरह से आज जितनी भी प्राइवेट मिल्स है, वह सरकार पर हावी हो गई हैं। यहां पर गन्ना मंत्री जी शायद चले गये हैं मेरे अगौता विधान सभा क्षेत्र किसानों का 18 करोड़ रुपया शेष प्रगति मिल पर है कई साल का माननीय गन्ना मंत्री जी ने पिछली बार बजट भाषण में गन्ना के बारे में दिये भाषण में यह कहा था कि हम आपके क्षेत्र का पूरा का पूरा पेमेंट हम अभी 31 जुलाई, तक मय ब्याज के भुगतान करा देंगे। उसके बाद एक पैसे का भी भुगतान नहीं हुआ 18 करोड़ रुपया आज भी अगौता मिल का किसानों पर शेष है। चीनी 50 रुपये किलो, गन्ने का भुगतान होगा नहीं, क्या करेगा किसान, आज किसान भूख से मरने की स्थिति में है और जो गन्ने का रेट की बात कहते हैं जब तक गन्ने का रेट तय हुआ, तब तक हमारा 50 परसेन्ट गन्ना कोल्हुओं पर सवा सौ, डेढ़ सौ रुपये प्रति कुन्तल चला गया था। एक और छोटी सी बात रह गई है केवल दो मिनट का समय दे दें, हमारे कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं यूरिया और डी0ए0पी0, डी0ए0पी0 तब मिली जब उसका टाईम निकल गया। आज डी0ए0पी0 गोदाम भरे पड़े हैं और यूरिया आज ब्लैक में मिल रही है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य अब खत्म करें, अभी कल चर्चा होगी।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मेरा कृषि मंत्री को एक सुझाव है, अगली फसल के लिये एक ऐसी योजना बनायें जो समय पर आपको डी0ए0पी0 मिल जाय, समय पर आपको यूरिया मिल जाय। किसानों को यूरिया की किल्लत न हो।

श्री अध्यक्ष-

बस ठीक है, अब समाप्त करें।

नियम-56 तथा नियम-300 में आज की सभी सूचनाओं को दिनांक 1 फरवरी, 2010 को लिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

श्री अध्यक्ष-

पहले यह बता दे रहे हैं कि आज की सभी सूचनायें दिनांक 1-2-2010 को ली जायेंगी नियम-300 की भी सूचना पहली फरवरी को ली जायेगी। कल दिनांक 29-1-10 को सूचनायें नहीं ली जायेंगी।

श्री अमरमणि त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी हमारी सूचना रह गई थी।

श्री अध्यक्ष-

आप दे दीजियेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, त्रिपाठी जी की सूचना को ले लीजियेगा।

श्री अध्यक्ष-

मैंने उनसे कह दिया है, कल उनका ले लिया जायेगा।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

अब मैं कार्य-मंत्रणा की सिफारिशों की सूचना सदन को देता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 28 जनवरी, 2010 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 29 जनवरी, 2010 से 24 फरवरी, 2010 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 29 जनवरी, 2010 को प्रश्नकाल न हो, नियम 56, 300 व 311 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जाय।

2-दिनांक 29 जनवरी, 2010 से दिनांक 24 फरवरी, 2010 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

जनवरी, 2010

29 शुक्रवार — श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (अन्तिम दिन)।

30 शनिवार, 31 रविवार — बैठक नहीं होगी।

फरवरी, 2010

01 सोमवार — निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण (आधा-आधा) घण्टा।

(1) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2010

(2) महाप्रशासक (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010

02 मंगलवार, 03 बुधवार — विधायी कार्य।

04 गुरुवार — 1-11.00 बजे पूर्वाह्न

(1) वित्तीय वर्ष 2009-2010 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण।

(2) वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण।

2-विधायी कार्य।

05 शुक्रवार — 1-वित्तीय वर्ष 2009-2010 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

2-असरकारी दिवस (आधा दिन) (29 जनवरी, 2010 के स्थान पर)।

3-विधायी कार्य।

06 शनिवार 07 रविवार	बैठक नहीं होगी।
08 सोमवार 09 मंगलवार 10 बुधवार	वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।
11 गुरुवार	1-वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2-विधायी कार्य।
12 शुक्रवार 13 शनिवार 14 रविवार	(महाशिवरात्रि का अवकाश) बैठक नहीं होगी।
15 सोमवार 16 मंगलवार 17 बुधवार 18 गुरुवार 19 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
20 शनिवार 21 रविवार	बैठक नहीं होगी।
22 सोमवार	वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
23 मंगलवार	1-वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2-<u>3.00 बजे अपराह्न</u> उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2010 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।
24 बुधवार	असरकारी दिवस। विधायी कार्य।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अध्यादेश, 2009 के अननुमोदन का संकल्प तथा संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010

*श्री अमरमणि त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अध्यादेश, 2009 का अननुमोदन करता है।"

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं यह कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अध्यादेश, 2010 पर विचार किया जाये।

श्री अमरमणि त्रिपाठी-

मान्यवर, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना बड़े पुनीत कर्तव्यों को लेकर हुई थी। इस हेतु तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम श्री नीलम संजीव रेड्डी जी ने इसकी आधारशिला रखी थी और उस समय तत्कालीन प्रधान मंत्री और तत्कालीन मुख्य मंत्री ने यह चाहा था कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं वरन् उत्तर भारत में एक ऐसा संस्थान बन कर खड़ा हो जाये जो तमाम असाध्य प्रकार के रोगों के निदान के लिये काम करे। जिन रोगों की पहचान नहीं हो पाती है उनकी पहचान के लिये शोध और विकास का काम करे। जब से यह संस्थान बना है उसका लाभ उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों के लोगों ने भरपूर लिया है और आज़ भी शासन से लखनऊ की इज्जत बढ़ाता हुआ यह संस्थान अपने कार्यों के विकास में लगा हुआ है और विभिन्न क्षेत्रों में उसने बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किये हैं। इसमें नये-नये शोध किये गये हैं और जो योगदान इन वर्षों में इस संस्थान का रहा है वह हम सबके सामने है। वहां पर तमाम ऐसे प्रत्यारोपण किये गये हैं जो एम्स ने नहीं किये हैं और दूसरे अस्पतालों ने नहीं किये हैं।

उसमें बार-बार उत्तर प्रदेश सरकार जबकि इसके पूर्व सरकार ने जो सन् 1983 में अधिनियम पारित किया उसमें यह विचार रखा कि यह संस्था स्वायत्तशासी हो, यहां के लोग अपने ही निर्णय ले सके ओर इसका विकास कर सकें, इस पर अनुसंधान कर सकें, आवश्यकता के अनुरूप पदों का सृजन कर सकें, पदों को बढ़ाकर मानवीय विकास में अपना योगदान दे सकें लेकिन मान्यवर, 1991 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह निर्णय लिया कि संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के जो भी मानक है, जो भी पद है वह सभी भारत सरकार एम्स के अनुसार होगा और उसके हिसाब से उसमें वेतन भत्ते सब दिये जायेंगे। वर्तमान सरकार ने मान्यवर, उस पर कैंची चला दी जिसको लेकर तमाम असंतोष व्याप्त हुआ। कई दिनों तक संस्थान बन्द रहा और तमाम असुविधायें हुई मरीजों को, उत्तरप्रदेशवासियों को जिसके कारण वहां बड़ी ही असुविधा का सामना करना पड़ा उत्तरप्रदेशवासियों को। मान्यवर, अब 50 पद अभी भी खाली पड़े हुये हैं जिनका उत्तर प्रदेश सरकार अनुमोदन कर दें तो वह पद भर जाय और विभिन्न क्षेत्रों में जो अनुसंधान होने हैं, जो विकास होने हैं जो तमाम ऐसे रोग जिनका वहां पर विशेषज्ञता नहीं हैं उन पदों को भर दिया जाय लेकिन सरकार ने अपने समय से उन पदों के सृजन हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जिसके कारण अभी वह पद रिक्त पड़े हुये हैं और तमाम ऐसे पद रिक्त पड़े हुये हैं जो उस संस्था के विकास में, उस संस्था को आगे ले जाने में गतिरोध बना हुआ है। माननीय मंत्री जी हैं, यह एक प्रस्ताव लेकर आये हैं कि अब ऐसा नियम बना दिया जाय जिसके कारण अब उत्तर प्रदेश सरकार ही निर्णय ले कि उसमें क्या क्या होना है। मान्यवर, जो संस्थायें, अभी बीआरडी मेडिकल कालेज है, सभी लोग जानते हैं गोरखपुर में हजारों लोग इन्सिफ्लाइटिस से मर जाते हैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसमें अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं की गयी सारे विशेषज्ञों के पद खाली पड़े हुये है एक हजार से अधिक लोग इस वर्ष मर गये मान्यवर, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और यहां तक कि भारत सरकार ने उसकी सम्बद्धता अब रद्द करने के लिये उसकी क्वालीफिकेशन को डिसक्वालीफाई करने के लिये अनुमोदन कर दिया जिसके लिये सभी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग चिन्तित हैं कि अगर बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज बन्द हो जायेगा तो यहां पर ओर जो भी असाध्य रोगों का उपचार हुआ करता था इन्सिफ्लाइटिस के लिये वहां पर विशेष केन्द्र बनाये गये थे वह भी बन्द हो जायेगा और एक मात्र मेडिकल कालेज गोरखपुर जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वह भी बन्द हो जायेगा। मान्यवर, मेरा यह भी कहना है माननीय मंत्री जी से, वर्तमान सरकार से कि आप करें लेकिन सम्यक रूप से उन सभी प्रदेश के सभी मेड़िकल कालेजों में जो पद रिक्त हैं जहां पर आवश्यकता है धन की उसे धन उपलब्ध करायें, गोरखपुर मेडिकल कालेज का जो हाल है मान्यवर, आपसे भी छिपा नहीं है आप भी मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के और गोरखपुर के ही अगल बगल के रहने वाले हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि पीजीआई में जो आप संशोधन लेकर आये हैं आप चाहते है कि वहां आपकी ही दखल हो जाय और पूरी तरह से वहां की स्वायत्तता विनष्ट हो जाय, समाप्त हो जाय ओर आप ही फिर करें अभी तो 50 पद ख़ाली पड़े हैं, इससे तमाम पद वहां पर खाली रह जायेंगे जिससे तमाम शोध है, विकास है उस संस्थान का वह प्रभावित होगा। अतः मैं पुनः अपने संकल्प पर बल देता हूं कि यह सदन संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अध्यादेश, 2009 का अननुमोदन करता है धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं। प्रश्न यह है कि यह सदन संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अध्यादेश, 2009 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

डा0 राजेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं...

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं पहले बोल दूं तो संभवतः बोलने का अवसर न रहे और आपकी सारी चिन्ता का समाधान हो जाय।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मेरी चिन्तायें और हैं, आपकी चिन्तायें अलग हैं इसलिये मुझे बोलने का मौका मिल जाये तो ज्यादा अच्छा होगा। मान्यवर, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तीन चीजें देखीं। नं0 1-जो विधेयक आया, उसको देखा। उसके पहले जो अध्यादेश आया 13 अक्टूबर, 2009 का, उसको देखा और इसके बाद उस एक्ट को देखा जो ओरीजनल एक्ट था। जो नं0 30-यू0पी0 30 एक्ट 1983 था। मेरी समझ में एक बात अभी तक नहीं आ पाई कि अध्यादेश लाने का मुख्य कारण क्या था। फिर मैंने इस पूरे प्रकरण को दो भागों में बांटकर देखा। नं0 1- अध्यादेश के अन्दर दिया गया था कि नान क्लीनिकल साइड के जो टीचर्स हैं, जैसे एनाटमी विभाग का टीचर सर्जरी विभाग का अध्यक्ष है। जैसे फीजियोलाजी विभाग का टीचर मेडिसिन विभाग का अध्यक्ष है। इस चीज को लेकर माननीय चिकित्सा मंत्री जी यह संशोधन लाये हैं। यह जानकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस

पी0जी0आई0 को सेन्टर आफ एक्सीलेंस की तरह से एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया गया था, जिसकी कि लोग तारीफ करे लेकिन जब मुझे पता चला कि इसके अन्दर क्वेकगिरी हो रही है। एनाटमी विभाग का प्रोफेसर सर्जरी विभाग संभाल रहा है और फिजियोलोजी विभाग का प्रोफेसर मेडिसिन का विभाग संभाल रहा है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ।

श्री लाल जी वर्मा-

सर्जरी वहां है ही नहीं।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मुझे यह भी पता चला कि इस अध्यादेश को लाने की कैसे जरूरत पड़ी ?

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इसीलिये मैंने कहा कि मैं बोल दूं तो माननीय डा0 साहब की समस्या का समाधान हो जाय।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

नान क्लीनिकल वाली बात को आपने स्वयं अध्यादेश में लिखा है। मैं पूरी बात कहना चाहता हूं। फिर मुझे यह लगा कि यह सारे काम किसके अन्डर में होते हैं। तो पता चला कि एक गवर्निंग बाडी है, उसका जो मुख्य है वह चीफ सेक्रेट्री आफ यू0पी0 स्टेट है। इसके अलावा वहां पर एक डायरेक्टर भी है। इसके अलावा बड़े-बड़े एक्सीलेंट और एमीनेंट जो टीचर्स हैं, वह उसके सदस्य हैं और गवर्निंग बाडी का मुख्य कार्य है कि वह पूरे इंस्टीट्यूट को देखे इसके अलावा पदों का सृजन करें और जरूरत पड़े तो पदों को निकाल भी दे। अब मेरी बात समझ में आई कि इसका मुख्य कारण/ उद्देश्य क्या है क्योंकि यह सारी की सारी गवर्निंग बाड़ी राज्यपाल के अधीन काम करती है और राज्यपाल ही वहां के विजीटर हैं और वही अनुमोदन करेंगे कि कौन से पद सृजित किये जायें और कौन से पद सृजित नहीं किये जायें। अब 3-4 महीने के अन्दर कौन सा ऐसा भूकम्प आ गया कि यह अध्यादेश लाने की जरूरत पड़ी। तब मुझे लगा कि शायद टीचर्स के कुछ पद सृजित करने होंगे, कुछ टीचर्स को निकालना होगा कुछ क्लास-1 के, कुछ क्लास-2 के आफीसर्स को लगाना होगा। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं माननीय चिकित्सा मंत्री जी, आपने कहा है कि एम0सी0आई0 के मानकों के अनुसार चिकित्सकों की नियुक्ति होगी। मैं एक चीज आपको और बता दूं कि हमारे बहुत से मेडिकल कालेजेज आज ऐसे हैं जिसके अन्दर एम0सी0आई के हैं बहुत से कोर्सेज को रिकमेंड नहीं करती है। मैं आगरा का उदाहरण देना चाहता हूं कि वहां पर आर्थोपेडिक्स का डिपार्टमेंट है वह स्टेट मेडिकल काउन्सिल से तो रिकगनाइजड है, उसका एम0एस0 का कोर्स। लेकिन वह कोर्स एम0सी0ए0 के द्वारा रिकगनाइज्ड नहीं है। ऐसी स्थिति में बहुत से टीचर्स ऐसे होंगे जो स्टेट मेडिकल काउन्सिल से तो रिकगनाइज्ड होंगे लेकिन एम0सी0ए0 से रिकगनाइज्ड नहीं होंगे। मैं चाहता हूं कि आप अपने एक्ट के अन्दर इन दोनों चीजों को भी रखें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि उस गवर्निंग बाडी को इमीडियेट आप डिसमिस कर दें जो कि नान क्लीनिकल साइड वाले लोगों को क्लीनिकल साइड के अन्दर ला रहे हैं। दूसरा महामहिम राज्यपाल जी के अधिकारों के प्रति आप कृपया थोड़े से सचेत रहे। क्योंकि यह जो आपकी स्वायत्तशासी संस्था है, इसके अन्दर आपके ही आदमी हैं। लेकिन महामहिम राज्यपाल को पास करके आप वहां पर नियुक्तियां करना चाहते हैं। इसलिये मैं इस विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूं और साथ ही आपसे निवेदन करता हूं कि इसको प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो एक महीने में अपना प्रतिवेदन दे, तब इसके बाद में, इस पर विचार किया जाय। बोलने का समय देने के लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, अभी मा0 मंत्री जी ने कहा कि डाक्टर साहब विषय से हट रहे हैं, मान्यवर, वह तो कभी-कभी विषयों से हट भी जाते हैं लेकिन मा0 मंत्री जी तो सदैव विषयों में ही लिप्त रहते हैं, इनको अच्छी राय दें।

श्री लाल जी वर्मा-

धन्यवाद। मान्यवर, इस संशोधन को आदरणीय डाक्टर साहब ओर आदरणीय त्रिपाठी जी ने शायद ठीक से पढ़ा नहीं। मान्यवर, इसमें विभागाध्यक्ष का जो नान मेडिकल संकाय सदस्य हैं वह विभागाध्यक्ष बनेंगे। इसमें एम0 सी0 आई0 के मानक भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा आचार, सहचार और विभागाध्यक्ष के लिये यह निर्देश है कि मेडिकल का ही व्यक्ति इसका संकाय अध्यक्ष हो सकता है। इसमें जो वरिष्ठतम संकाय सदस्य की जगह यह लाया गया कि जो मेडिकल क्षेत्र का होगा चाहे वह क्लीनिकल हो या नान क्लीनिकल हो, मेडिकल क्षेत्र का होगा वही विभागाध्यक्ष बनेगा यह केवल एक संशोधन किया गया है। मैं समझता हूं कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के मानक के अनुसार है और इसमें किसी प्रकार की आपत्ति किसी मा0 सदस्य को नहीं होनी चाहिये। मान्यवर, दूसरा संशोधन साथ में यह भी लाया गया है कि तमाम प्रदेश की जो स्वायत्तशासी संस्थायें हैं, एग्रीकल्चर युनिवर्सिटीज हैं तमाम अन्य विश्वविद्यालय हैं उसमें पदों की स्वीकृति का अधिकार उनको है उसके कारण कई जगहों पर इतने पद क्रिएट हो जाते हैं और उनका वेतन राज्य पोषित है, यह संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान का जो वेतन है वह पूरी तरह से राज्य पोषित है इसलिये यह निर्णय लिया गया कि जो भी पद क्रिएट हो वह राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के उपरान्त ही हो। उसमें राज्य सरकार को क्रिएशन का अधिकार नहीं है, उनके निकाय की बैठक से जो प्रस्ताव आयेंगे राज्य सरकार के विचार करने के उपरान्त अगर वह उपयुक्त है, प्रदेश की जनता के लिये उपयुक्त है, वह स्वीकृत हों और जो पद प्रदेश की जनता के उपयुक्त नहीं हों तो चूंकि यह संस्था राज्य सरकार के अनुदान से पोषित है इसलिये यह निर्णय लिया गया कि पदों के क्रिएशन पर थोड़ा बहुत नियंत्रण हो लेकिन नियुक्ति पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। जिस प्रकार से पहले नियुक्तियां होती थीं उसी प्रकार से नियुक्तियां होगी उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि इस बात के रहते हुये कोई इसमें विवाद या बहस का मुद्दा नहीं आना चाहिये इसे सर्वसम्मति से स्वीकार करना चाहिये। दूसरी बात अभी अपने विचार व्यक्त करते हुये मा0 अमरमणि त्रिपाठी जी ने कहा कि पद खाली हैं। मान्यवर, पद खाली हैं तो उसमें कहां रोक लगी है, इसमें संस्थान को अधिकार है कि वह अपने पदों को एडवरटाइज करे और उसको भरने की कार्यवाही करे। उसमें किसी प्रकार से रोक लगाने का काम नहीं किया गया है। इससे पदों को भरने में न राज्य सरकार का कोई नियंत्रण होने जा रहा है और न राज्य सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप कर रही है। पदों को भरने के बारे में जो नियमावली पहले से है, जिस प्रकार की चयन समिति है उसी चयन समिति के माध्यम से भरे जायेंगे इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने की कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इसको स्वीकार करने का काम सर्वसम्मति से करें। जहां तक बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज की चर्चा की गयी है कि भारत सरकार ने उसकी मान्यता समाप्त कर दी तो मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने उसकी मान्यता समाप्त नहीं की है इस बात की मैं आपको जानकारी देता हूं। मैं निवेदन करूंगा माननीय सदस्य से कि वह इसे देख लें इसमें कोई ऐसा बिन्दु नहीं है जिस पर आपित्त की जा सके, इसलिये वह अपना संशोधन वापस ले लें और इसे सर्वसम्मति से पास करें।

श्री अध्यक्ष-

आप संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री अमरमणि त्रिपाठी-

मान्यवर, वर्ष 1991 में तत्कालीन सरकार ने यह निर्देश किया था कि एम्स के तरीके पर वहां के लोगों के वेतन भुगतान किये जायेंगे।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, ये पूरी तरह से लागू है, एम्स के समतुल्य है। जो सुविधायें एम्स में है, वेतन भत्तों सब में समुतुल्यता है। राज्य सरकार में अगर उसके अतिरिक्त भी है तो वह नहीं मिलेगा जो एम्स की सारी सुविधायें हैं वह उनको आज भी मिल रही है वह निर्णय लिया जा चुका है और उसके अनुकूल छठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतन पुनरीक्षण भी किया जा चुका है और उन्हें पुनरीक्षित वेतन मिल रहा हैं।

श्री अध्यक्ष-

राजेन्द्र सिंह जी आप अपना संशोधन प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 का अग्रतर संशोधन करने के लिये।

विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1-(1) यह अधिनियम संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010 कहा जायेगा।

(2) यह 9 नवम्बर, 2009 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2-संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में खण्ड (ग-1) में द्वितीय परन्तुक के बाद निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :- उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1983 की धारा 2 का संशोधन

"प्रतिबन्ध यह भी कि विभाग में कार्यरत और शासी निकाय द्वारा अध्यक्ष के रूप में पदाभिहित कोई आचार्य, सह आचार्य अथवा कोई संकाय सदस्य भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा आचार्य, सह-आचार्य अथवा किसी संकाय सदस्य के सम्बन्ध में विहित शैक्षिक अर्हता रखेगा। कोई आचार्य, सह-आचार्य या संकाय सदस्य, जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा विहित अर्हता नहीं रखता है, विभागाध्यक्ष का पद धारण करने के लिये अर्ह नहीं होगा।"

3-मूल अधिनियम की धारा 19 में, उपधारा (2) में खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात :- धारा 19 का संशोधन

"(च) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से संस्थान के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के पद सृजित या समाप्त कर सकता है।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2009

4-(1) संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अध्यादेश, 2009 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन एवं अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2009 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2010

*श्री अमरमणि त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2009 का अननुमोदन करता है।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने एक विधेयक प्रस्तुत किया है। मूल विधेयक की मंशा यह है कि सन् 1965 का जो मूल विधेयक की धारा-29 की उप धारा-7 में जो शब्द है, एक वर्ष और 6 माह यह जहां कहीं आये हों उसके स्थान पर दो वर्ष 6 माह कर दीजिये। माननीय अध्यक्ष जी, सहकारिता आन्दोलन, सहकारिता कोई विभाग नहीं है, सहकारिता एक आन्दोलन है जो 1920 में सोवियत रूस में पैदा हुआ था। सोवियत रूस से चलते-चलते उसने पूरी दुनिया में सहकारिता आन्दोलन तेजी से आगे बढ़ा जिसको आजादी के बाद यहां के नेताओं ने रूस में किये गये सहकारी आन्दोलन से प्रभावित होकर, उसकी तरक्की और गुणवत्ता को देखकर हिन्दुस्तान में सहकारिता आन्दोलन का सूत्रपात किया और उसे विभाग के रूप में स्थापित किया गया। उसका मतलब था कि हर चीज में सभी धर्म, वर्ग, समाज के लोग, जाति-धर्म, सम्प्रदाय से ऊपर उठकर जुटें और गांवों का विकास करें, गांवों की तरक्की में अपना योगदान दें, क्षेत्र की तरक्की में अपना योगदान दें, देश की तरक्की में अपना योगदान दें। मान्यवर, हुआ भी, पचास से साठ के दशक में सहकारिता आन्दोलन बहुत तेजी से चला, पूरे हिन्दुस्तान में चला, लेकिन इसका जो उदाहरण दिया जा सकता है वह महाराष्ट्र है जहां पर तमाम सहकारी चीनी मिलें लगी, सहकारी खेती हुई और सहकारिता के क्षेत्र में आज महाराष्ट्र अग्रणी बना हुआ है, जो सहकारिता का सही तरीके से लाभ उठा पा रहा है। हमारे प्रदेश में गत दिनों चुनाव हुये, सारी साधन सहकारी समितियां बनीं, सरकारी पक्ष से यह देखा गया कि कौन उसके पक्ष का व्यक्ति खड़ा है,कौन विपक्ष का खड़ा है। अगर पक्ष वाला सवर्ण का था तो उसे आरक्षित करके अनुसूचित कर दिया गया, पिछड़े वर्ग का कर दिया गया, महिला कर दिया गया, कहीं पिछड़ी महिला कर दी गयी। अन्य तमाम तरीकों से वे लोग जो सहकारिता आन्दोलन को सही दिशा में ले जाने का माद्दा रखते हैं उनको उस चुनाव से बाहर कर दिया गया। साधन सहकारी समितियां हों, मण्डलीय सहकारी समितियां हो सभी समितियों में यह देखा गया है कि सरकारी हस्तक्षेप की वजह से जो सही लोग थे जो सहकारिता से पचासों साल से जुड़े हुये लोग थे, जो सहकारिता आन्दोलन से जुड़े हुये लोग थे जो तमाम दिनों से सहकारी संस्थाओं में अपना योगदान देते रहे थे वह आपने योगदान से वंचित रह गये। ऐसे लोग चुने गये जो यह नहीं जानते कि सहकारिता आन्दोलन का क्या मतलब है। सहकारिता किस तरह से की जाय किस तरह से चलाया जाय। मंत्री जी बैठे हुये हैं योग्य मंत्री हैं इस सरकार में योग्यतम मंत्रियों में उनकी गणना है मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आज न इन सहकारी संस्थाओं में धन गया है खाद का वितरण जीरो पर पहुंच गया है सारी डिफाल्टर हो गयी है। कहीं एक पैसा नहीं है जो पैसा है वह यहां संचालक मण्डल द्वारा आहरित

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर लिया गया है इसका गबन कर लिया गया है। जिला मण्डल और प्रदेश में यही स्थिति बनी हुई है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस संशोधन के माध्यम से कि डेढ़ साल से ढाई साल न करें बल्कि चुनाव करायें निष्पक्ष चुनाव करायें और सही लोग जिनका योगदान हमेशा सहकारिता को प्राप्त होता रहा है ऐसे लोग आयें ओर ऐसे लोग अपना योगदान दें जिससे किसानों को खाद बीज और अपने उत्पादन का उचित मूल्य मिले। आज किसान सेठों की ओर दलालों की ओर देख रहे हैं उनको उचित मूल्य नहीं मिल रहा है वह दोराहे पर खड़ा है मैं चाहता हूं कि इस संशोधन के बाद ही कोई ऐसा निर्णय लें जिसका प्रदेश में एक वातावरण बने और सहकारिता आन्दोलन प्रदेश को एक नई दिशा दे सके। यही आपसे आग्रह है और निवेदन है कि आप देख लें कि एक वर्ष 6 माह की जगह दो वर्ष 6 माह करने से समस्या का समाधान नहीं होगा बल्कि आप यदि चाहें तो सहकारी समितियों का चुनाव करा लें और योग्य लोगों को ले आयें यह आपकी जिम्मेदारी है आप गांव, क्षेत्र, जनपद व मण्डल में सहकारिता आन्दोलन को ताकत दें जिससे सहकारिता जैसा पुनीत विचार आगे बढ़ सकें। यही मेरा आग्रह है। मैं पुनः अपने संकल्प पर बल देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसे वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2009 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

सहकारिता मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा)-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2010 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इतिहास का तथ्य माननीय सदस्य द्वारा गलत तरीके से रखा गया है कि सहकारिता आन्दोलन रूस से आया यह रूस से नहीं बल्कि यह भारत की प्राचीनतम परम्परा है। गांव की परम्परा है जहां सामूहिक पेयजल आदि की परम्परा रही है। रूस में 1919 में बना होगा लेकिन इस देश में इसके पहले क्रेडिट सोसायटी 1904 में बनी। उस जमाने में 1880-90 में अकाल काफी पड़ा था उस समय एक कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

1904 में क्रेडिट सोसायटी ऐक्ट बनाया गया जिसका उद्देश्य किसानों को ऋण देना था और ऋण देकर उनको आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाना था और उसके बाद 1912 में पहली कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट बनी थी जो बाद में चलकर विभिन्न प्रान्तों में विभिन्न स्वरूपों में सामने आया। इसलिये इस आन्दोलन का किसी विदेशी देश से मतलब नहीं हैं यह पूर्णतया भारतीय आन्दोलन है। दूसरी चीज जो मूल बिन्दु मैं कहना चाहता हूं कि कोआपरेटिव को लेकर पूरे देश में मंथन चल रहा है। कोआपरेटिव्स के बारे में इधर जब से उदारीकरण हुआ है, वैश्वीकरण हुआ है, लोग यह मानने लगे हैं कि जैसे प्राइवेट कम्पनीज होती हैं, जैसे पब्लिक कम्पनीज होती हैं, वैसे ही एक तीसरा सेक्टर है, जिसे हम कोआपरेटिव सेक्टर कह सकते हैं और यह जो कोआपरेटिव्स के ऊपर सरकार का नाम हो गया है जैसे एक सरकारी संस्था होती है, वैसे ही एक कोआपरेटिव संस्था है। डिपार्टमेन्ट आफ नगर विकास हो, आवास विकास हो वैसे ही यह एक कोआपरेटिव विकास है। यह जो पूरे के पूरे कोआपरेटिव आन्दोलन का सरकारीकरण हो गया है सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में। तो यह जितने भी लोग चिन्तक हैं, जो इस बारे में विचार कर रहे हैं, उन सबका लगातार यह कहना है कि यह सरकारीकरण की प्रक्रिया रुकनी चाहिये। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो रही है, मैं ऐसा कहता भी नहीं और इसीलिये ढेर सारे अध्ययन दल लगातार बनाये गये है। चौधरी वंत प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट और जो आदर्श उन्होंने उस समय ऐक्ट बनाकर दिया था 1951 में माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि वह एक माडल ऐक्ट था जो चौधरी वंत प्रकाश जी ने बनाकर दिया था पूरे देश में लागू होना चाहिये। इसके बाद जैसे वैद्यनाथन कमेटी के आधार पर 2008 में आपने कुछ परिवर्तन किये हैं आपने जिसमें वैद्यनाथन कमेटी को कोट किया है। उस वैद्यनाथन कमेटी ने स्वयं एक माडल एक्ट बनाकर दिया था। आप शायद उस ऐक्ट के आधार पर काम कर रहे होते और जो ऐक्ट बनाकर आपको दिया गया था उसके आधार पर आप इस प्रदेश में एक कोआपरेटिव ऐक्ट बना रहे होते तो बहुत बेहतर रहा होता। इसके अलावा जो केन्द्र सरकार ने मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसाइटी ऐक्ट बनाया है और यह माना था कि कि यह पूरे देश के सारे प्रान्त मिलकर के अपने यहां इस मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसाइटी ऐक्ट के आधार पर अपने यहां ऐक्ट बनायेंगे और जो अब तक आप नहीं बनाते रहे हैं अगर आपने वह काम किया होता तो बहुत बेहतर रहा होता। यह जो हमने प्रक्रिया चलाई है, सरकारीकरण के पहिये को वापस करने की, 1965 के एक्ट को पलटकर आप देखिये, यह जो सारी बहस है यह धारा 29 के बारे में है और धारा 29 का पूरा का पूरा प्रकरण 1965 का जो है और उसमें जो प्राविधान 3, 4, 5 उपधारायें है। वह सारी सरकारीकरण की धारायें थीं। मैं तो बधाई दूंगा माननीय पूर्व सरकार को जो 2006 में रही है जिसने वस्तुतः इस कोआपरेटिव सोसाइटी का जो लोकतांत्रीकरण किया था माननीय चौधरी जी, आप तो उस समय रहे हैं और हम लोग स्वयं उस समय विधायक रहे है। और आप लोग ऐक्ट लेकर के आये हैं ओर 2006 में जो संशोधन हुआ था उसमें यह सारे प्राविधान हटाये गये थे और वस्तुतः यह जो कमेटियां नियुक्त होती हैं, कमेटियों के जो सभापति नियुक्त होते हैं,सरकार का जो हस्तक्षेप होता है। आपने उस संस्था का लोकतांत्रीकरण किया था 2007 में आकर के जो लगातार तीन संशोधन किये गये जिनमें दो संशोधनों का सीधा सम्बन्ध है इनके पुनः सरकारीकरण का जिसमें आपने उस चयनित कमेटियों को डिस्टर्व करने का काम किया और 5 वर्ष से घटाकर के उनका कार्यकाल दो वर्ष कर देना और अगर रजिस्ट्रार यह सोच लें कि

रजिस्ट्रार को ही चुनाव कराने का अधिकार दिया और रजिस्ट्रार ही तय कर लें कि यह चुनाव नहीं हो सकता है तो उसको यह भी अधिकार दे दिया कि जहां चुनाव नहीं हो पाया वहां कमेटी भंग कर दी जाय और वहां एक प्रशासक मंडल बैठा दिया जाय और प्रशासक मंडल में कौन जायेगा यह सारा अधिकार आपने रजिस्ट्रार को दिया। यह जो सारी प्रक्रिया चली है, यह लोकतंत्र विरोधी प्रक्रिया है। यह जो आप कर रहे हैं एक साल 6 महीने से बढ़ाकर दो साल 6 महीने करने का यह वस्तुतः उसी का एक हिस्सा है। पहले 5 साल के कार्य काल को घटाकर दो साल करना। फिर एक प्रशासक मंडल बैठा देना और उससे कहना कि 6 महीने के अन्दर आपको जनता का चुना हुआ चुनाव करा देना है। फिर यह कहना कि 6 महीने में चुनाव नहीं हो पाया इसलिये अब इसको डेढ़ साल का समय दे दिया जाय और फिर तीसरी बात यह कहना कि डेढ़ साल में चुनाव नहीं हो पाया इसलिये इसमें ढाई साल का समय दे दिया जाय। एक ओर तो आप कहते हैं जब आपने 5 साल का समय हटाया उस ऐक्ट में आपने लिखा है 2007 के पहले दूसरे संशोधन में कि जब 5 साल का समय दिया गया था तो यह लोग कब्जा करके बैठ जाते थे। 5 साल में वह चयनित प्रतिनिधि कब्जा करके बैठ जाते थे, इस आधार पर आपने इसे घटाकर 2 साल कर दिया और यही जो आपके सरकारी अधिकारी हैं जो 6 महीने के लिये भेजे गये थे 6 महीने से डेढ़ साल और डेढ़ साल से ढाई साल की बात होने जा रही है।

क्या यह अपनी मानोपाली उस पर नहीं बना रहे होंगे। इसलिये मेरा आपसे आग्रह होगा कि सहकारिता आन्दोलन अब बदली हुई परिस्थिति में देश के लिये बहुत महत्वपूर्ण आन्दोलन है। हम अपने आप को पूरे देश की धारा से अलग नहीं रख सकते। जिन प्रान्तों ने, आप जानते होंगे माननीय मंत्री जी कि 9 ऐसे प्रान्त हैं जिन्होंने पैरलल कोआपरेटिव ऐक्ट बनाये थे जो बिना सरकारी सहयोग के अपनी कोआपरेटिव सोसाइटी को चलाया करते थे मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसाइटी है या जो माडल ऐक्ट बैजनाथन कमेटी ने दिया है या जो माडल ऐक्ट जो इसके पहले ब्रह्म प्रकाश ने दिया था आप उसके आधार पर एक पूरी की पूरी नई कोआपरेटिव ऐक्ट को लेकर के आइये। हम दोनों सदनों के लोग मिलकर उसको पास करेंगे। सहकारिता आन्दोलन इस देश के विकास के बहुत से क्षेत्रों में, अब बहुत से ऐसे काम हैं जो राज्य सरकारें नहीं करती हैं, वह काम खाली पड़े हैं। माइक्रो फाइनेन्सिंग का जमाना आ गया है। यह सारा काम हम कोआपरेटिव को सौंप सकते हैं। शिक्षा का काम, स्वास्थ्य का काम, वाटर हारवेस्टिंग का काम, बिजली का काम, यह ढेर सारे वो काम हैं जो वस्तुतः हम लोग कोआपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से करा सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोग है। जिनकी छंटनी हुई है जिनको लोग कहते हैं किं समूह बनाकर उनके एक्सपर्ट ग्रुप बनाकर प्रदेश के विकास में उपयोग कर सकते है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सरकारीकरण का जो पहिया आप चला रहे हैं आपका जो ऐक्ट है यह वस्तुतः यह वही ऐक्ट है जो 1965 का ऐक्ट है इसे 2006 में हटाया गया था आप वापस इसको 1965 में ले जा रहे हैं मैं आपसे आग्रह करूंगा किं इस पर पुनर्विचार करिये और देश की धारा के साथ जो लोकतांत्रीकरण की धारा है, जो पारदर्शिता की धारा है जिसमें हम मानते हैं कि कोआपरेटिव आन्दोलन को वस्तुतः लोकतांत्रिक होना चाहिये। पूरी तरह स्वावलम्बी होना चाहिये। पूरी तरह स्वायत्त होना चाहिए, उस दिशा में ले चलने का प्रयास करिए। बहुत बड़ी संख्या में

रोजगार देने जा रहा है बहुत बड़ी संख्या में लोगों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने जा रहा है प्रदेश की बहुत सारी समस्याओं का समाधान इससे निकल सकता है इसलिए बदली हुई परिस्थितियों में आपसे आग्रह करूंगा कि सरकारीकरण की प्रक्रिया को रोकना चाहिए। आप इस विधेयक को वापस लें और एक नये माडल ऐक्ट के आधार पर एक नया विधेयक बनाकर लेकर आएं। मैं कह सकता हूं कि एक अच्छे विधेयक का हम सब साथ देंगे। इसी के साथ मैं अपने इस संशोधन पर और इसे प्रवर समिति को सुपुर्द करने पर बल देता हूं।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति संशोधन विधेयक पर करीब-करीब सारी बातें डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी की तरफ से आ चुकी है लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि यह जो टुकड़ों-टुकड़ों में इसमें बार-बार संशोधन किया जा रहा है यह सरकार की नीयत के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह लगा रहा है। आज आपको जरूरत महसूस हुई कि प्रशासक का कार्यकाल बढ़ाकर ढाई वर्ष कर दिया जाए। जब पहली बार 2007 में आपने द्वितीय संशोधन इसमें किया, उस समय धारा 2 धारा 29 की उपधारा-7 में आपने संशोधन किया था तमाम चीजों के साथ आपने व्यवस्था की जो चुनी हुई प्रबन्ध कमेटी है उसका कार्यकाल पांच वर्ष से घटा करके दो वर्ष कर दिया गया उसका कोई आधार नहीं था अगर आपने घटाया भी था तब भी यह आने वाले चुनाव में हो सकता था न कि उस समिति के लिए जो पांच वर्ष के लिए चुनी गई थी। हम लोग अगर विधायक चुने गये हैं पांच वर्ष के लिए इस सदन में तो कोई संशोधन होता भी है तो वह आगे आने वालों के लिए होगा न कि वह हम पर लागू होगा। परन्तु यह दुर्भाग्य पूर्ण रहा कि रातों-रात सभी शीर्ष सरकारी संस्थाओं में, तमाम डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव बैंक में आपने संशोधन करके 2007 का कार्यकाल दो वर्ष का किया और तमाम वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर और प्रशासक बैठा लिये गए या प्रशासक की कमेटी बना दी गई सिर्फ इसलिए कि पूरे आन्दोलन का सरकारीकरण किया जा सके। इसकी आड़ में खोट नीयत में साफ नजर आता है। उस वक्त यह था कि 6 महीने तक प्रशासक रहेगा। बाद में आपको यह लगा कि 6 महीने के अन्दर आप चुनाव नहीं करा सकते हैं तो पुनः 2008 में आपने फिर एक संशोधन रखा और उसके द्वारा प्रशासक का कार्यकाल बढ़ाकर डेढ़ वर्ष कर दिया। डेढ़ वर्ष के बाद आज यह कहा जा रहा है कि इसमें चुनाव कराना संभव नहीं था तो वह क्या परिस्थितियां थीं कि चुनाव कराना संभव नहीं हो पा रहा है।

आपके माध्यम से यह सदन जानना चाहता है। चुनाव कराना संभव था अगर संभव नहीं था तो आपने चुने हुए लोगों को बर्खास्त क्यों किया कोर्ट के अन्दर यह मामला विचाराधीन है उसका फैसला हुआ नहीं और तमाम लोगों ने जो उस समय अध्यक्ष थे उन लोगों ने स्टे लिया हाईकोर्ट से स्टे लिया कि जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक यही प्रबन्ध कमेटी कार्य करेगी चुनाव होने तक। उसके खिलाफ राज्य सरकार एस0एल0पी0 में सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने इनको इंटरटेन नहीं किया वहां से इनकी रिट खारिज कर दी गई। फिर भी बेहआई का यह आलम था राज्य सरकार का कि वह अपने स्टैण्ड पर कायम रही और तमाम डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव बैंक के जो चुनाव हुए उनके अन्दर मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने के अन्दर धांधली की गई। जो क्षेत्रों का परिसीमन था उसमें धांधली की गई। कोई निदेशक पुनः चुनकर न आने पाये

उसको सुरक्षित कर दिया गया उस क्षेत्र को यह तमाम धांधलियां इसलिए होती रहीं कि वहां एक पार्टी विशेष के लोगों का कब्जा हो सके। डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव बैंक के चुनाव हुए उसमें जो यहां पर नामित सदस्य थे जिन्हें मनोनीत किया गया था उन सदस्यों को पहली बार वोटिंग राइट दिया गया। कहीं भी वोटिंग राइट नामित सदस्यों को नहीं होता है। लेकिन उनको यह राइट दिया गया और जो विपक्ष के लोग थे तमाम तरह की तो दुर्भावनायें थीं ही उसके साथ अति तो तब हो गई जब वहां पर बैठे जो लोग चुनाव सम्पन्न करा रहे थे जब वह कहते थे कि यह आपका दस्तखत नहीं है फाल्स ग्राउन्ड के आधार पर उनके पर्चों को रिजेक्ट करके फेंक दिया गया और कहा यह जाता था कि हमारा कार्य जो करना है वह कर दिया, अब आप न्यायालय में जाते रहिए और न्यायालय से आप राहत पाते रहिए। यह बातें मैंने आपके संज्ञान में इसलिए लाने का कार्य किया ताकि आप स्वयं देखें कि सरकार की नीयत क्या है ? चुनाव का तो इन्होंने ढोंग किया जो बैद्यनाथन कमेटी थी, जिसका जिक्र अभी डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी ने किया है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि इसकी सिफारिशें तभी लागू हो सकती थीं और जो धन हम राज्य सरकार को देंगे, वह तभी देंगे जब सभी जगहों के ऊपर चुनी हुई संस्थाएं मौजूद होंगी। चुनी हुई प्रबन्ध कमेटी होगी, तभी वह धनराशि दी जायेगी इसलिए मजबूर होकर चुनाव का ढोंग करना पड़ा। किन्तु अन्ततोगत्वा हुआ वही, बीच में चुनाव रोक दिया गया, यह बहुत ही शर्मनाक है इसलिए हमने यह बात कही है। मान्यवर, आप स्वयं विद्वान हैं, मा0 अध्यक्ष जी, सहृदय भी हैं, हम आपसे कहते हैं कि आप कृपया इसके ऊपर विचार कीजिए कि यह कहां का न्याय है कि चुनी हुई प्रबन्ध कमेटी जो 5 वर्ष के लिए थी, उसका कार्यकाल घटा करके 2 वर्ष कर दिया जाए और जो प्रशासक है, सरकारी अधिकारी है, उसका कार्यकाल बढ़ाकर ढाई वर्ष कर दिया जाए और यह भी अन्तिम नहीं है, बहुत संभव है कि ज्यों ही ढाई वर्ष पूरा हो, पुनः एक अध्यादेश आ जाए और उसके बाद पुनः आप लोग इस सदन के समक्ष आयें कि इसको बढ़ा करके साढ़े तीन वर्ष कर दिया जाए तो आपका इरादा न चुनाव कराने का तब था, न आज है और न आगे होगा और क्यों रो रहे हो, इसलिए क्योंकि समस्त शीर्ष सहकारी संस्थाओं से ले करके डिस्टिक को-आपरेटिव बैंक तक में ढाई वर्ष के अन्दर भ्रष्टाचार का बोलबाला था। पी0सी0एफ0 की बात मा0 नेता प्रतिपक्ष जी ने अपने भाषण में कही, उपभोक्ता सहकारी संघ में भ्रष्टाचार हुआ, धान की खरीद में घपला-घोटाला हुआ, मैं पहले भी इस सदन में वह चिट्ठी दे चुकी हूं उस समय तत्कालीन सहकारिता मंत्री, स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं करूंगी। लेकिन यह जरूर कहूंगी कि इलाहाबाद कौशाम्बी, प्रतापगढ़ जिलों में धान की खरीद में धांधली हुई, आजमगढ़ भी था, मान्यवर, आपका जिला था। बलिया में धांधली हुई, साढ़े चार करोड़ रुपये से ज्यादा का गबन हुआ। गबन हुआ तो हुआ, सवाल यह है कि वहां पर जो एम0डी0 बैठा हुआ था, उसने रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। मान्यवर, हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके पीछे है क्या ? पसोपर्दा यह है कि [x x x] आज तमाम एम0डी0 8-8 विभागों का चार्ज लेकर बैठे हुए हैं, रोजाना धन की वसूली हो रही है इसलिए मैं मान्यवर, कह रही हूं कि जो विधेयक इन्होंने रखा है, मैं इसके खिलाफ हूं क्योंकि यदि यह ढाई वर्ष कर दिया जायेगा तो यह बहुत बड़ा

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

अन्याय होगा, सहकारिता आन्दोलन के साथ में, कृपया इस सहकारिता आन्दोलन को नेस्तनाबूत होने से बचा लीजिए, इसका सरकारीकरण होने से बचा लीजिए क्योंकि यह भारत की आत्मा में रचा-बसा हुआ है। इसलिए सरकार इस संशोधन विधेयक को वापस ले ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके। हां, यदि आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, अगर आप वास्तव में सहकारिता आन्दोलन में नये प्राण फूंकना चाहते हैं उसे नया जीवन देना चाहते हैं तो जैसा आपने कहा कि कुछ कारणों से चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, इसका कारण आप हमसे बेहतर जानते हैं, कारण यह है कि आपको चिन्ता है कि आपके चुने हुए जो सरकारी पिट्ठू जो वहां पर धन की वसूली का कार्य कर रहे हैं, उस धन की वसूली का कार्य रुक जायेगा, इसलिए आप वहां पर चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से इस गरिमामयी सदन से अनुरोध है कि शीर्ष सहकारी संस्थाओं का चुनाव कराया जाए और जहां भी चुनाव रह गया है, चाहे वह डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव बैंक हो या जो तमाम इस तरह के रह गये हैं उन सबका चुनाव कराया जाए और इसकी जरूरत नहीं है कि बार-बार प्रशासक का कार्यकाल बढ़ाया जाए, यह सहकारिता आन्दोलन की आत्मा के विरुद्ध है इसलिए मैं पुनः निवेदन करती हूं कि मा0 मंत्री जी इस विधेयक को वापस लें बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं संशोधन पर बल देती हूं।

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

मा0 अध्यक्ष जी, संशोधन तो कोई बहुत बड़ा नहीं है, मा0 विधायक जी, अभी जो चुनाव की बात कह रही थीं कि चुनाव नहीं करा पा रहे हैं तो लगभग-लगभग हम लोगों ने 90 परसेण्ट सभी लेविल पर चुनाव करा दिया है, शीर्ष संस्थाओं के चुनाव रह गये हैं हमारे जो सहकारी संघ थे, उसमें 1600 में से 1504 में चुनाव हो गया है। क्रय-विक्रय जो समितियां थीं 230, उसमें से 215 में चुनाव हो गया है। अन्य जो प्रारम्भिक समितियां थीं 4221, उसमें से 3700 में चुनाव हो गया है। केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार है उसमें 46 में से 38 में चुनाव हो गया है। जिला सहकारी संघ है 54 में से 36 में चुनाव हो गया है. जिला सहकारी बैंक 50 हैं, उसमें से 41 में चुनाव हो गया है। माननीय अध्यक्ष जी, शीर्ष समितियों का चुनाव रह गया है। अब उनका चुनाव क्यों रह गया है, माननीय विधायक जी बहुत अच्छी तरह से जानती है। शीर्ष संस्थाओं में माननीय विधायक जी खुद हैं। अब चुनाव क्यों नहीं हो पा रहा है बहुत सारी परिस्थितियां हैं। कोई कोर्ट चला गया है, कोई फर्जी समिति का मेम्बर बना है। अब उसके खिलाफ एक्शन लेने जा रहे हैं और आप फर्जी चार सौ बीसी करके शीर्ष संस्था में आ गये। आप वहां सोसायटी के मेम्बर हैं भी नहीं। माननीय विधायक जी बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं उन माननीय सदस्य का। लेकिन वह काफी जानकार हैं को-आपरेटिव के बारे में सहकारिता आन्दोलन के बारे में। माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो सदन में बहुत कम बोलता हूं और मैंने आज तक किसी माननीय सदस्य के ऊपर इस तरह से आरोप नहीं लगाये हैं जैसे इन्होंने आरोप लगाये हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों को नहीं कह रहा हूं। जिन लोगों ने इस तरह के चार सौ बीसी के काम किये हैं, चौधरी साहब बैठे हैं, उनको भी मालूम है। अगर चार सौ बीसी की एफ0आई0आर0 करके उनको जेल भेज दिया जाये तो फिर मा0 अध्यक्ष जो कल आपके सामने बात आयेगी। ऐसे लोग जो चार सौ बीसी में इन्वाल्व हैं। रहने वाले दूसरे जिले के हैं, शाहजहांपुर से मेम्बर बनते हैं, एक-एक नहीं

बल्कि दो-दो सोसाइटियों से बनते हैं और फर्जी बनते हैं वह लोग ऐसी बातें करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सारी बातें हमारे माननीय विधायक अग्रवाल जी ने कही, उनको अच्छी जानकारी है, मैं उनकी हमेशा इज्जत करता हूं, बहुत सारे सुझाव उन्होंने रखे, मैं आपके सुझावों को मैं आपसे बात करूंगा, डिस्कसन करूंगा, चर्चा करूंगा और जो हो सकता है सहकारिता आन्दोलन के लिए उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए यह निवेदन करूंगा कि आप अपना संशोधन वापस ले लें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री अम्बिका चौधरी-

बहुत समय हो गया है और इसमें विलम्ब करने का कोई कारण नहीं है। इसमें बहुत दूसरी बात कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो यह चाहता था कि सरकार के पास इतना स्पष्ट बहुमत है और अभी तत्काल भी जो उनके पास संख्या है इसके पास होने में कोई दिक्कत नहीं है।

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

मेरी बात सुन लीजिए, मैंने कभी आरोप नहीं लगाया, कभी किसी को सीधे इंगित नहीं किया। आप जिलाधिकारी, शाहजहांपुर से बात कर सकते हैं, यही सोचकर आगे की कार्यवाही मैंने ही रुकवाई।

श्री अध्यक्ष-

कोई आरोप होगा तो मैं कार्यवाही से निकाल दूंगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जो यह संशोधन विधेयक लेकर आये हैं, इसको पारित करवा लेंगे उसके पारित होने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात जो बहुत ईमानदारी से स्वीकार करने की आवश्यकता है और एक बात की अपेक्षा हम आपसे करते थे, मैं आपका इस विषय पर ध्यान चाहता हूं। यह सचमुच में एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत संवेदनशीलता की आवश्यकता है। आप संवेदनशील हैं इसको हम स्वीकार करते हैं लेकिन सहकारी समितियों पर और सहकारी संस्थाओं पर जिस प्रकार के चुनाव हुए हैं और जिस तरह से इस पर कब्जा करने की घटनाएं हो रही हैं। अगर इसकी लाश आपके कब्जे में आ ही गयी तो इससे क्या हासिल होगा। अगर यह सहकारी आन्दोलन पूरी तरह मर गया और इसकी लाश पूरी तरह शत-प्रतिशत आपके कब्जे में आ गयी तो हासिल क्या होगा। मुख्य बात दूसरी है। प्रशासक का कार्यकाल आपको बढ़ाने की कोई कानूनी बाध्यता हो तो आप बढ़ा लीजिए। कोई दिक्कत नहीं। हम आपसे यह आश्वासन चाहते थे कि तकनीकी तौर पर चूंकि यह अध्यादेश सितम्बर, 2009 में आया और अगर हम इसको इस हाउस में वैलिडेट नहीं करेंगे तो आपके सामने यह कठिनाई हो सकती है कि जो भी 10 प्रतिशत, 05 प्रतिशत या 03 प्रतिशत जो भी सोसायटीज या अपेक्स बॉडी रह गयी है उनका निर्वाचन कैसे करायेंगे। बीच की स्थिति क्या होगी, अगर आप अपने इस कठिनाई के निवारण के लिये इस प्रावधान को लागू करना चाहते हैं तो हमारा कोई एतराज नहीं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। हम एक आश्वासन इस सदन में आपसे चाहते हैं कि सचमुच में आपकी मंशा इस सहकारी आन्दोलन को चोट पहुंचाने की और प्रशासकों के माध्यम से उसका सरकारीकरण करने की नहीं है। यह बात आप इस सदन में अगर बतायें तो मैं आपकी कृपा मानूंगा। दूसरी बात इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि आप तात्कालिक तौर पर इसका इस्तेमाल भले कर लें, एक आश्वासन दें कि इस बार ठीक से चुनाव हो जायेगा और आप इस संशोधन को वापस लेने की और पुनः पुरानी व्यवस्था को लागू करने के प्रावधान का एक बढ़िया विधेयक जितनी जल्दी ला सकेंगे और लेकर के इस सदन में आयेंगे। हम आपका स्वागत करेंगे और जहां तक आक्षेप का सवाल है मान्यवर, वो हम कोई आक्षेप लगाते नहीं और इन्होंने कही है कोई बात, कोई आक्षेप उन पर है भी नहीं। लेकिन उम्मीद है उनसे और वो अगर इस उम्मीद को नहीं पूरा करते हैं तो मैं फिर भी उनका कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उनको यह बात ईमानदारी से रखनी चाहिए। क्योंकि चुनाव में इतनी गम्भीर धांधली हुयी है पूरे प्रदेश में। जबरजस्ती पर्चा खारिज, जबरजस्ती उसका परिसीमन में उल्टा का सीधा करना। कोई कहीं है कहीं नहीं है। ये सारी शिकायतें, आज ये विषय नहीं था इसलिए नहीं लेना चाहता। लेकिन इस गम्भीर स्थिति में, प्रदेश में सहकारिता की जितनी संस्थायें हैं उनको कब्जा करने के क्रम में इतना अनर्थ हुआ है तो आगे कुछ बढ़िया बात कहिये ताकि कोई अच्छी शुरूआत हो सके। बहुत धन्यवाद।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि एक बात आपने कही है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं। आप बाद में कह लीजियेगा फातिमा जी।

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री अमरमणि त्रिपाठी द्वारा बीच में अपनी बात कहने पर)

श्री अध्यक्ष-

त्रिपाठी जी, आप अपनी बात कह चुके हैं। माननीय मंत्री जी कुछ कह रहे हैं।

श्री अमरमणि त्रिपाठी-

मंत्री जी ने शालीनता से अपनी बात को रखा, हम सभी लोग उससे सहमत हैं। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि हमारे प्रदेश की तमाम समितियां डिफंक्ट पड़ी है। जिसमें इतना धन भी नहीं है कि वह एक ट्रक खाद ले सकें या अन्य कोई कार्य संचालित कर सकें या किसानों की कोई मदद कर सकें। वे डिफंक्ट पड़ी हुयी हैं। उनके वहां पर कोई सहकारिता सम्बन्धी कृत्य नहीं हो रहे हैं। मान्यवर, आप हैं और आप से उम्मीद नहीं करेंगे तो हम लोग किससे उम्मीद करेंगे कि आप कम से कम जो वह मरी हुयी साधन सहकारी समितियां हैं जो निष्क्रिय साधन सहकारी समितियां हैं उनको धन मुहैया कराके उनके संचालन की कोई व्यवस्था करने के लिये आप इस पटल पर जरूर एक मिनट अपनी बात रखें। यही आपसे आग्रह है मेरा।

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय चौधरी साहब ने चुनाव की निष्पक्षता के बारे में उन्होंने चर्चा की। माननीय चौधरी साहब भी जानते हैं माननीय सदस्य भी जानते हैं सत्ता पक्ष के, विपक्ष के मेरा कोई आरोप नहीं है लेकिन चुनाव को-आपरेटिव का कैसे होता था और कैसे हुये हैं, ये आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं, ये मेरे कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने आप से पूछें, अपने दल के लोगों से पूछें, सभी माननीय सदस्यों से पूछें, अगर को-आपरेटिव का चुनाव सही मायने में हुआ है तो इस बार हुआ है।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गयीं)

इसके पहले जो चुनाव होते थे, डायरेक्टर चुना गया तो पुलिस उठाकर ले गयी उसको किसी को चार डण्डे मारे, इलेक्शन आफिस तक पहुंचने नहीं दिया। आप इस बार के इलेक्शन में यदि कोई एक घटना बताइये। एक कोई घटना बताइये कि जहां पर।

श्री अम्बिका चौधरी-

कोई एक घटना, कितनी ही घटनायें हैं।

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जबरजस्ती बोल रहे हैं आप। आपको अपने इलेक्शन का अनुभव है तो आप वैसी ही बात करते हैं। अपने समय के चुनावों का अनुभव बता रहे हैं। अगर इसके पहले कोई इतना शांतिपूर्ण चुनाव हुआ हो को-आपरेटिव का तो आप मुझे बताइये यह रिकार्ड है। पहले की जो मुझे जानकारी है कि घर में सोसाइटी का चुनाव हो जाता था, घर में कमेटी बन जाती थी, रिटर्निंग अफसर घर में आ जाता था।

श्री मदन चौहान-

इसके लिये तो आपको पदमश्री मिलना चाहिए।

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

पदम् श्री मिलेगा या नहीं मिलेगा यह बाद की बात है। माननीय अध्यक्ष जी, चुनाव पूरी निष्पक्षता से हुआ है। जहां जिसने नामांकन किया, जो मैंने जानकारी की है, कोई अगर उसने गलती की है तो अलग बात है चाहे वह जिस भी पार्टी से सम्बन्धित रहा हो, चाहे इधर से रहा हो, चाहे उधर से रहा हो, हमारे बलिया में जहां के रहने वाले मा0 चौधरी साहब, हम जिसको कन्डीडेट बनाये थे हमारी पार्टी के आदमी का जो चेयरमैन का कन्डीडेट था उसका पर्चा खारिज हो गया, अब बतायें चौधरी साहब, अगर ऐसा न हुआ हो, हमारे कन्डीडेट का पर्चा खारिज हो गया। तो चुनाव निष्पक्ष हुए हैं, खाली बलिया की नहीं, पूरे जिलों की बात है। हमारा जो कन्डीडेट था सिड्यूल कास्ट का आदमी उसका पर्चा खारिज हुआ वह चेयरमैन का कन्डीडेट था, फिर मैंने चौधरी साहब से दोबारा खुद रिक्वेस्ट की कि भई अब दूसरा आदमी हम खड़ा कर देते हैं, आप उसकी मदद कर दीजिएगा तो जब हमारे कन्डीडेट का, जिसको हम छः महीने से कन्डीडेट बनाये थे, एक साल से तैयारी कर रहा था, हो सकता है उसने कोई गलती की हो या चौधरी साहब ने खारिज करा दिया हो जानबूझकर, मैं यह नहीं कह सकता हूं, हो सकता है उसने कुछ गलती भी की हो, तो जब उसका पर्चा खारिज हो गया तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव निष्पक्ष हुआ है या चुनाव में कोई धांधली हुई है। पूरे प्रदेश में चुनाव निष्पक्ष हुए हैं, कहीं पर कोई धांधली नहीं

हुई है। इस चुनाव में इतना जरूर है कि जो लोग कभी नहीं चुनकर आते थे, वह लोग चुनकर आ गये हैं और माननीय अध्यक्ष जी यही बात तो विधान सभा और लोक सभा में है। जिन लोगों को कभी नहीं मौका मिला, जिन लोगों को हमेशा पीछे किया गया वह लोग विधायक बनकर आने लगे, एम0पी0, एम0एल0ए0 बनकर आने लगे, विधान परिषद् में जाने लगे तो जो लोग अब नहीं आते, उनको तकलीफ होती है, वह शिकायत करते हैं कि धांधली होती है। यही हाल को-आपरेटिव में है, जिन लोगों को कभी मौका नहीं मिला, को-आपरेटिव के बारे में जानकारी करने का मौका नहीं मिला, घुसने नहीं दिया गया, डायरेक्टर नहीं बन पाये कभी, आज वह चेयरमैन बन गये, उसमें तकलीफ तो स्वाभाविक है और इस पीड़ा को मैं चौधरी साहब बहुत अच्छी तरह से समझता हूं लेकिन जहां तक निष्पक्षता की बात है, चुनाव पूरी निष्पक्षता से हुए हैं, कहीं पर कोई धांधली नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब संशोधन प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

नहीं ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब मैं प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2010 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2010

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जायेगा।

(2) यह 20 सितम्बर, 2009 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम, संख्या-11 सन् 1966 की धारा 29 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 29 में, उपधारा (7) में शब्द "एक वर्ष और छः माह" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "दो वर्ष और छः माह" रख दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-8 सन् 2009

निरसन और अपवाद

3-(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2009, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2010 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2010 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 28 जनवरी, 2010 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 38 सूचनायें प्राप्त हुईं हैं जिनमें 10 सूचनायें स्वीकृत की गईं :-

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी की जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज के अन्तर्गत धान क्रय केन्द्रों पर किसानों से सीधे धान न खरीदकर बिचौलियों के माध्यम से धान खरीदे जाने के सम्बन्ध में, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

दूसरी सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद आजमगढ़ के कृष्णा कालेज बागेश्वर नगर की भूमि का भू-प्रयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

तीसरी सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की इलाहाबाद में जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अन्तर्गत सीवर तथा पेयजल आपूर्ति एवं क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

चौथी सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में भाखड़ा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

पांचवीं सूचना श्री मदन चौहान की जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में गंगनहर पर एवं अनूपशहर नहर की क्षतिग्रस्त पटरी की टी0ए0सी0 जांच कराने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

छठी सूचना श्रीमती कृष्णाराज की जनपद शाहजहांपुर स्थित गन्ना किसान डिग्री कालेज पुवायां में लाखों की छात्रवृत्ति के घोटाले के सम्बन्ध में, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

सातवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा एवं आसपुर देवसरा में सरदार बल्लभभाई पटेल एवं पृथ्वीराज चौहान की मूर्तियों का अधिष्ठापन न किये जाने के सम्बन्ध में, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

आठवीं सूचना डा0 वकार अहमद शाह की जनपद बहराइच के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक उर्दू अध्यापकों को वरिष्ठता एवं पदोन्नति का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

नौवीं सूचना श्री कौकब हमीद खां की जनपद मेरठ के ग्राम मुकर्रबपुर पल्हैड़ा के निवासियों की जमीनों की मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा नीलामी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

दसवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की लखनऊ में कूड़े से बिजली बनाने के लिये लगे संयंत्र को चालू कराये जाने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुईं :-

1-श्री अवस्थी बाला प्रसाद,

2-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही,

3-श्री राघव लखनपाल शर्मा,

4-श्री जगन प्रसाद गर्ग,

5-श्री लल्लू सिंह,

6-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल,

7-डा0 अनिल चौधरी,

8-श्री सुन्दर लाल लोधी,

9-श्री जोखूलाल यादव,

10-श्रीमती मिथिलेश पाल,

11-श्री अब्दुल वारिस खां,

12-चौ0 सत्यपाल सिंह,

13-श्रीमती सीमा द्विवेदी,

14-श्री सुरेश कुमार खन्ना,

15-श्री इमरान मसूद,

16-श्री महेश चन्द्र गुप्ता,

17-डा0 कौशल किशोर

18-डा0 राजेन्द्र सिंह,

19-श्री उदयभान करवरिया,

20-डा0 पी0के0 राय,

21-श्री लालजी यादव,

22-श्री अरविन्द सिंह यादव,

23-श्री बैजनाथ दूबे,

24-श्रीमती विद्या चौधरी,

25-श्री आरिफ अनवर हाशिमी,

26-डा0 आर0 ए0 उस्मानी,

27-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला तथा

28-श्री कृष्ण गोपाल पटेल।

मेसर्स रिलायंस एनर्जी जेनरेशन लिमिटेड को दी गई हजारों एकड़ भूमि वापस लेने व सरकार द्वारा गैस आधारित पावर प्लान्ट स्वयं लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जनपद गाजियाबाद के दादरी में....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

विधान सभा

[रिलायंस इनर्जी जनरेशन लि0 व राज्य सरकार के मध्य गैस आधारित तापीय विद्युत संयंत्र, ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास केन्द्र स्थापित करने हेतु दिनांक 16-6-2004 को स्टेट सपोर्ट एग्रीमेन्ट हस्ताक्षरित हुआ था। दिनांक 11 फरवरी, 2004 को 903.449 हे0 भूमि के अधिग्रहण की अधिसूचना भूमि अध्याप्ति अधिनियम, 1894 की धारा 4 (1)/17 के अन्तर्गत निर्गत की गयी। इसी परियोजना हेतु 53.236 हे0 अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण हेतु दिनांक 29 अगस्त, 2006 को भूमि अध्याप्ति अधिनियम, 1894 की धारा 4 (1)/17 के अन्तर्गत निर्गत की गयी। उक्त भूमि के संदर्भ में भूमि अध्याप्ति अधिनियम, 1894 की धारा 6(1)/17 के अन्तर्गत अधिसूचना भी निर्गत की गयी। उक्त के सापेक्ष 881.80 हेक्टे0 भूमि रिलायंस इनर्जी जनरेशन लि0 को हस्तान्तरित की गयी।

2-भूमि अर्जन की उक्त कार्यवाही के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में 43 प्रभावित कृषकों एवं पूर्व प्रधान मंत्री स्व0 विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में अलग-अलग कुल 44 रिट याचिकाएं दाखिल की गयीं। उक्त रिट याचिकाओं को रिट याचिका सं0-55578/2008 पूरन बनाम राज्य व अन्य के साथ सम्बद्ध करते हुए मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 4-12-2009 को आदेश पारित किया गया, जिसके अन्तर्गत भूमि अर्जन की कार्यवाही के अधीन भूमि अध्याप्ति अधिनियम, 1894 की धारा 4(1)/17 के अन्तर्गत निर्गत उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 11 फरवरी, 2004 एवं 29 अगस्त, 2006 को आंशिक रूप से निरस्त करते हुए यह व्यवस्था की गयी कि -

जिलाधिकारी, गाजियाबाद धारा-5(क) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की जांच नियमानुसार सुनिश्चित करें।

मा0 उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश जारी किया कि अधिसूचना के अन्तर्गत धारा-6 अधिनियम, 1894 दिनांकित 25-6-2004 एवं 20-2-2007 के परिप्रेक्ष्य में जिन भू-स्वामियों द्वारा जमीन के बदले मुआवजा प्राप्त किया गया है वे मुआवजा की धनराशि वापस करें एवं अपनी जमीन पर कब्जा ले सकते हैं जो भू-स्वामी मुआवजा वापस न करते हुए भूमि पर कब्जा न लेना चाहें, वे धारा-5 (क) के अन्तर्गत की जाने वाली जांच की प्रक्रिया में अनापत्ति दाखिल कर सकते हैं।

मा0 उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश जारी किया कि यदि कोई भू-स्वामी कलेक्टर के समक्ष भूमि अर्जन के सम्बन्ध में अपना लिखित अनापत्ति नहीं देता है तो कलेक्टर ऐसे भू-स्वामियों से प्रतिकर की धनराशि भू-राजस्व की वसूली के रूप में वसूल करने के लिए सक्षम होंगे।

मा0 उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश जारी किये हैं कि कलेक्टर धारा-5 (क) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत जांच की प्रक्रिया में आवश्यकतानुसार प्रतिकर वापस करने/जमा करने के सम्बन्ध में उचित आदेश पारित कर सकते हैं।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार कार्यवाही करने हेतु शासन द्वारा जिलाधिकारी, गाजियाबाद को निर्देशित किया जा चुका है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध रिलायंस इनर्जी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका योजित की गयी है जो सम्प्रति मा0 उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है। अतः उक्त स्थिति में उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51 के अधीन दी गयी सूचना पर राज्य सरकार द्वारा कोई मत व्यक्त किया जाना समीचीन नहीं है।]

प्रदेश की जेलों में निरुद्ध बन्दियों द्वारा जेल के भीतर की गई मजदूरी का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय सदस्य, विधान सभा श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[द्वारा प्रदेश की जेलों में निरुद्ध बन्दियों द्वारा जेल के भीतर की गयी मजदूरी का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51 के अधीन दिनांक 4-8-2009 को निम्नलिखित सूचना दी गयी है कि :-

"उत्तर प्रदेश की जेलों में निरुद्ध बंदियों द्वारा जेल के भीतर जो मजदूरी/श्रम किया जाता है उन्हें मजदूरी के भुगतान का प्राविधान है। जिसका भुगतान वर्षों से न हो पाने के कारण निरुद्ध कैदियों में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है। यह भी अवगत कराया गया है कि कुल लगभग 3 करोड़ रुपया उ0 प्र0 के कैदियों के मजदूरी/श्रम के भुगतान हेतु कारागार विभाग के ऊपर अवशेष है, जिसके लिये बजट उपलब्ध कराया जाना चाहिये। परन्तु आज तक विभाग द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गयी जिससे सम्पूर्ण उ0 प्र0 के कई हजार कैदियों के श्रमिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उ0 प्र0 की जेलों में निरुद्ध कैदियों की मजदूरी/श्रम का भुगतान कराये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूं।"

2-मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि विगत तीन वर्षों में प्रदेश की समस्त कारागारों में बन्दियों के श्रम की मजदूरी से सम्बन्धित दिनांक 01 अप्रैल, 2009 की स्थिति के अनुसार लम्बित दायित्व रु0 3,76,94,950.00 था, जिसके सापेक्ष रु0 3,29,28,000.00 का भुगतान किया जा चुका है। अवशेष धनराशि का भुगतान यथाशीघ्र कर दिया जायेगा।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश के किसानों को कृषि विभाग व हार्टिकल्चर विभाग द्वारा सुविधा की जानकारी न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृषि मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, कृषि विभाग द्वारा....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[प्रदत्त सुविधाएं :

भारत सरकार द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2007-08 से 2011-2012) के अन्त तक 100 लाख टन चावल, 80 लाख टन गेहूं एवं 20 लाख टन दलहन के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वर्ष 2007-08 से प्रारम्भ किया गया। प्रदेश को इस योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार 03 घटक में वर्गीकृत किया गया।

1-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन -- चावल घटक (26 जनपद चिन्हित)

2-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन -- दलहन घटक (19 जनपद चिन्हित)

3-राष्ट्री खाद्य सुरक्षा मिशन -- गेहूं घटक (38 जनपद चिन्हित)

मिशन का उद्देश्य :

- प्रदेश के चिन्हित जनपदों में चावल, दलहनी एवं गेहूं फसलों में क्षेत्राच्छादन तथा उत्पादकता में वांछित वृद्धि कर कुल उत्पादन में वृद्धि करना।
- मृदा स्वास्थ्य में सुधार करते हुए कृषि फार्मों की उत्पादकता में वृद्धि करना।
- रोजगार के साधन उपलब्ध कराना।
- कृषकों की आर्थिक आय में वृद्धि करना।

रणनीति :

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्न रणनीति तैयार की गई है :-

- सेवा भावना से योजना का क्रियान्वयन।
- कृषि की आधुनिक तकनीकी जैसे-उच्च गुणवत्तायुक्त बीज, सूक्ष्म तत्वों सहित एकीकृत पोषक तत्व प्रबन्धन, मृदा सुधारक, एकीकृत नाशजीवी प्रबन्धन तथा किसानों को प्रशिक्षित करते हुए उत्पादन तकनीकी का प्रोत्साहन एवं प्रचार-प्रसार।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

- सघन अनुश्रवण।
- मांग के अनुसार जिला कार्य योजना का निर्माण।

धान घटक में चयनित जनपद :

आजमगढ़, हरदोई, बदायूं, मैनपुरी, बहराइच, मऊ, बलिया, मिर्जापुर, बलरामपुर, रायबरेली, बांदा, रामपुर, बरेली, सहारनपुर, बस्ती, श्रावस्ती, देवरिया, सिद्धार्थनगर, फतेहपुर, सीतापुर, गोण्डा, सोनभद्र, गोरखपुर, सुल्तानपुर, गाजीपुर, उन्नाव।

दलहन घटक में चयनित जनपद :

बहराइच, जालौन, बलिया, झांसी, बलरामपुर, कानपुर देहात, बांदा, कौशाम्बी, बदायूं, खीरी, बाराबंकी, ललितपुर, चन्दौली, महोबा, चित्रकूट, मिर्जापुर, फतेहपुर, सीतापुर, हमीरपुर।

गेहूं घटक में चयनित जनपद :

इलाहाबाद, झांसी, अम्बेडकर नगर, कौशाम्बी, आजमगढ़, कुशीनगर, बहराइच, लखनऊ, बलिया, मैनपुरी, बलरामपुर, मऊ, बरेली, महराजगंज, बस्ती, प्रतापगढ़, चन्दौली, रायबरेली, बाराबंकी, संतरविदासनगर, देवरिया, संतकबीरनगर, फैजाबाद, श्रावस्ती, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, सीतापुर, गोण्डा, सोनभद्र, गोरखपुर, सुल्तानपुर, हमीरपुर, उन्नाव, हरदोई, वाराणसी, जौनपुर, मथुरा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनान्तर्गत चावल, दलहन एवं गेहूं घटक में देय सुविधाएं निम्न प्रकार से हैं :-

क्र0सं0	मद का नाम	इकाई	चावल घटक	दलहन घटक	गेहूं घटक
1	विकसित उत्पादन तकनीक प्रदर्शन	रु0/प्रदर्शन क्षेत्रफल 04 हे0	2500.00		2000.00
2	सघनीकरण पद्धति (एस0आर0आई0) प्रदर्शन	रु0/प्रदर्शन क्षेत्रफल 04 हे0	3000.00		
3	संकर धान उत्पादन प्रदर्शन	रु0/प्रदर्शन क्षेत्रफल 04 हे0	3000.00		
4	प्रमाणित बीज वितरण	रु0/कुन्तल	500.00	1200.00	500.00
5	आधारीय एवं प्रमाणित बीज उत्पादन पर संस्था को देय	रु0/कुन्तल		1000.00	
6	जनक बीज क्रय पर संस्था को देय	रु0/कुन्तल		5234.00	
7	संकर धान का बीज वितरण	रु0/कुन्तल	2000.00		
8	संकर धान का बीज उत्पादन पर संस्था को देय	रु0/कुन्तल	1000.00		

कृषि यंत्र :

1	जीरो टिल	रु0/मशीन	15000.00	15000.00	15000.00
2	सीड ड्रिल	रु0/मशीन	15000.00	15000.00	15000.00
3	रोटावेटर	रु0/मशीन	30000.00	30000.00	30000.00
4	स्प्रिंकलर सेट	रु0/मशीन		7500.00	7500.00
5	नैपसेक स्प्रेयर	रु0/मशीन	500.00	500.00	500.00
6	पम्प सेट	रु0/मशीन	10000.00	10000.00	10000.00
7	कोनोवीडर	रु0/मशीन	3000.00		
8	पावरवीडर	रु0/मशीन	15000.00		
9	मल्टी क्राप प्लान्टर	रु0/मशीन	15000.00	15000.00	15000.00
10	जिप्राग	रु0/मशीन		750.00	500.00
11	सूक्ष्म पोषक तत्व	रु0/मशीन	500.00	500.00	500.00
12	कृषि रक्षा रसायन एवं बायोपेस्टीसाइड	रु0/मशीन	500.00		
13	एकीकृत नाशीजीवी प्रबन्धन हेतु निवेश	रु0/मशीन		750.00	
14	बीज मिनीकिट वितरण		निःशुल्क		निःशुल्क
15	किसान-खेत-विद्यालय की पद्धति पर आधारित कृषक प्रशिक्षण		निःशुल्क प्रशि0	निःशुल्क प्रशि0	निःशुल्क प्रशि0

नोट :

उपरोक्त देय सुविधाएं निर्धारित अनुदान अथवा खरीद मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो, के बराबर देने की व्यवस्था है।

प्रदेश में सपोर्ट टू एक्सटेंशन प्रोग्राम्स फार एक्सटेंशन रिफार्म्स योजना के अन्तर्गत की जा रही कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :-

योजना का उद्देश्य :

(1) पब्लिक सेक्टर एक्सटेंशन में सुधार।

(2) निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना।

(3) मीडिया तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि प्रसार कार्य में वृद्धि।

(4) कृषि में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित किया जाना।

(5) क्षमता विकास कार्यक्रम सुदृढ़ बनाया जाना।

योजना का कार्यक्रम :

प्रथम चरण : प्रदेश के 32 जनपद जो कि कृषि विविधीकरण परियोजना के प्रथम चरण में सम्मिलित किये गये थे।

द्वितीय चरण : प्रदेश के 39 अतिरिक्त जनपद।

कृषकों को दी जाने वाली सुविधाएं :

आत्मा योजनान्तर्गत किसानों को एक्सपोजर विजिट प्रशिक्षण, प्रदर्शन, किसान मेला, किसान गोष्ठी आदि के द्वारा प्रसार सम्बन्धी जानकारी दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न मानक निम्नानुसार है :-

क्र0सं0	मद का नाम	कास्ट नार्म्स
1	जनपद स्तरीय कृषक प्रशिक्षण (क) राज्य के अन्दर	अवधि 4 दिन, कृषक संख्या-5 प्रति समूह व्यय रु0 400.00 प्रतिदिन प्रति कृषक, प्रति समूह रु0 8000.00
	(ख) जनपद के अन्दर	अवधि 1 दिन, प्रतिदिन प्रति कृषक रु0 200.00 एक सत्र में कृषक संख्या-25, कुल व्यय रु0 5000.00 प्रति समूह
2	प्रदर्शन आयोजन	प्रदर्शन क्षेत्र 0.40 हे0, अधिकतम व्यय रु0 2000.00
3	एक्सपोजर विजिट (क) राज्य के बाहर	प्रति विकास खण्ड एक ग्रुप कृषक संख्या-5 अवधि 10 दिन, व्यय रु0 600.00 प्रतिदिन प्रति कृषक या रु0 30,000.00 प्रति ग्रुप अधिकतम
	(ख) राज्य के अन्दर	रु0 7500.00 प्रति भ्रमण कृषक संख्या-7 अवधि 5 दिन प्रति कृषक रु0 300.00
	(ग) जनपद	रु0 250.00 प्रतिदिन प्रति कृषक, प्रति ग्रुप कृषक सं0-20
4	मोबीलाइजेशन समूह गठन (क) क्षमता विकास	रु0 5000.00 प्रति समूह प्रशिक्षण व्यय प्रत्येक समूह में 10-20 कृषक
	(ख) सीड मनी/रिवाल्विंग फण्ड	प्रति समूह रु0 10,000.00 जो तीन वर्ष बाद दूसरे समूह को हस्तान्तरित की जानी होगी।
5	सर्वोत्तम समूह पुरस्कार	प्रत्येक जनपद के 5 सर्वोत्तम रु0 20000.00 प्रति समूह चयनित किये जायेंगे जिन्हें पुरस्कार नगद दिया जायेगा।
6	सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार	प्रत्येक विकास खण्ड के 5 कृषकों का चयन किया जायेगा, प्रति कृषक रु0 10,000.00 देय होगा।

क्र0सं0	मद का नाम	कास्ट नार्म्स
7	जिला स्तरीय प्रदर्शनी/किसान मेला/फल-सब्जी प्रदर्शनी	रु0 2.00 लाख प्रति जनपद
8	कृषक वैज्ञानिक संवाद	प्रति जनपद रु0 20,000.00 प्रति संवाद, कृषक संख्या 25, अवधि दो दिन
9	कृषक गोष्ठी/फील्ड डेज	रु0 15,000.00 प्रति एक गोष्ठी
10	फार्म स्कूल	धनराशि रु0 50,000.00 प्रति फार्म स्कूल

टिप्पणी : उक्त योजना के अन्तर्गत कृषक प्रशिक्षण, प्रदर्शन, एक्सपोजर विजिट एवं समूहों का क्षमता विकास प्रशिक्षण आदि मद में अनुसूचित जाति एवं महिला कृषकों से 5 प्रतिशत तथा अन्य कृषकों से 10 प्रतिशत अंशदान लिया जाता है।

किसान काल सेन्टर :

कृषकों की सुविधा एवं समस्या समाधान के लिए किसान काल सेन्टर की स्थापना की गयी है। इसके द्वारा किसान टोल फ्री फोन नम्बर-1551 पर निःशुल्क फोन करके अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं तथा कृषि से सम्बन्धित विभिन्न जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा किसान 0522-4155999 हेल्प लाइन पर फोन करके किसी भी प्रकार की कृषि सम्बन्धी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्रत्येक मंगलवार एवं बृहस्पतिवार (राजपत्रित अवकाश की तिथि छोड़कर) को अपरान्ह 2.00 से 4.00 बजे के बीच हेल्पलाइन पर कृषि विशेषज्ञों की सेवा किसानों को उपलब्ध करायी जाती है।

प्रचार-प्रसार :

किसानों को कृषि सम्बन्धी तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने एवं उन्नतशील कृषि यंत्र, कृषि निवेश तथा तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने हेतु विराट किसान मेला, रबी एवं खरीफ गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है।

कृषकों को सामयिक जानकारी हेतु आल इण्डिया रेडियो एवं दूरदर्शन द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत क्षेत्रीय भाषाओं में कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा प्रदत्त सुविधायें :

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों को निम्न सुविधायें दी जा रही हैं।

1-औद्यानिक फसलें-फल, फूल, सब्जियां, शहद, पान एवं खाद्य प्रसंस्करण पदार्थ आदि सर्वसाधारण के स्वास्थ्य हेतु पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराने में विशिष्ट महत्व है, इसकी उत्पादकता बढ़ने से रोजगार सृजन, कृषकों एवं उद्यमियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में विशेष योगदान है। उत्तर प्रदेश में जलवायु की विभिन्नता एवं भौगोलिक स्थिति के कारण अनेकों औद्योनिक फसलों के उत्पादन में सर्वथा अनुकूल एवं उपयुक्त है। क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से प्रदेश औद्यानिक फसलों के उत्पादन में देश में प्रमुख स्थान रखता है। छोटी जोत के किसानों के लिए औद्यानिक

फसलें अन्य खाद्यान्न फसलों के तुलना में प्रति इकाई के क्षेत्र से अपेक्षाकृत कम समय में अधिक उत्पादन एवं आय देती है।

2-वर्ष 2008-09 के अन्तर्गत औद्यानिक विकास को बढ़ावा देने हेतु केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, सघन क्षेत्रों में व्यावसायिक औद्योगिक विकास योजना, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान एवं कृषि विविधीकरण परियोजना (उद्यान घटक) संचालित की गई जिसके अन्तर्गत कृषकों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी विभिन्न समाचार-पत्रों/पत्र पत्रिकाओं में सजावटी विज्ञापन के माध्यम से प्रचारित की गयी। उक्त के अतिरिक्त विभाग में क्रियान्वित योजनाओं/कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार, विज्ञापन के माध्यम से जनपद स्तर पर भी किया जाता है।

3-विभागीय औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रदेश के कृषकों को निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अनुसार औद्यानिक क्रिया-कलापों से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

4-प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर आयोजित होने वाली प्रदर्शनियों के अन्तर्गत विभागीय स्टाल लगवाकर, कृषकों को औद्यानिक गतिविधियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है।

5-समय-समय पर विभाग द्वारा क्रियान्वित औद्यानिक कार्य-कलापों/योजनाओं/कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार-प्रसार इलेक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से कराने हेतु सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0 प्र0 को प्रेस-नोट उपलब्ध कराये जाते हैं।

6-औद्यानिक फसलों की खेती, सूक्ष्म सिंचाई, जैविक खेती, मशरूम, टिश्यू कल्चर एवं मौनापालन आदि से सम्बन्धित फ्लेक्सी चार्ट बनवाकर प्रदेश के समस्त जनपदीय एवं मण्डलीय अधिकारियों के साथ-साथ विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों को कृषकों को औद्यानिक तकनीकी जानकारी एवं उससे जुड़ी योजनाओं/कार्यक्रमों की जानकारी देने के उद्देश्य से उपलब्ध कराये जाते हैं।

7-आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा प्रसारित होने वाले ग्रामीण कार्यक्रमों के अन्तर्गत समय-समय पर विभागीय विशेषज्ञों द्वारा भेट-वार्ता/फोन-इन के माध्यम से कृषकों को औद्यानिक गतिविधियों की जानकारी दी जाती है।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन रात्रि 09 बजकर 05 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

दिनांक 28 जनवरी, 2010

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी (क)

(देखिये अता0प्र0सं0-73 का उत्तर पीछे पृष्ठ 59 पर)

दम्पत्ति पुरस्कार योजना के लाभार्थियों की सूची वर्ष 2007-08

क्र0सं0	लाभार्थी का नाम	पता	जाति
1	श्री सुधीर कुमार पुत्र श्री रज्जन लाल श्रीमती कुसमा देवी पत्नी श्री सुधीर कुमार	ग्राम मौजेपुर हथिलिया, पो0-मौजेपुर	धीमर
2	श्री विश्वनाथ पुत्र श्री चन्द्रपाल श्रीमती सरिता पत्नी श्री विश्वनाथ	ग्राम औछा, पो0-औछा	जाटव
3	श्री महेश चन्द्र पुत्र श्री रघुनाथ सिंह श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री रघुनाथ सिंह	ग्राम धनमऊ पो0-धनमऊ	तेली
4	श्री धर्मराज पुत्र श्री हेमचन्द्र श्रीमती रेशम देवी पत्नी श्री धर्मराज	ग्राम निवहरा, पो0-बरनाहल	बढ़ई
5	श्री राम खिलाड़ी पुत्र श्री गोविन्द राम श्रीमती लाडो पत्नी श्री राम खिलाड़ी	ग्राम बनकिया, पो0-अरगसराय	शाक्य
6	श्री संदीप कुमार पुत्र श्री बागपारा श्रीमती रीमा पत्नी श्री संजीव कुमार	ग्राम बागपारा पो0-जासमई	आयुध
7	श्री उदयवीर पुत्र श्री रामदीन श्रीमती मंजूदेवी पत्नी श्री उदयवीर	ग्राम मधुपुरी, पो0 नं0 सेंगर	जाटव
8	श्री रविदास पुत्र श्री पुत्तू लाल श्रीमती पूनम पत्नी श्री रविदास	ग्राम पलिया पो0 रानीपुर	जाटव
9	श्री श्याम सुन्दर पुत्र श्री प्रेम बाबू श्रीमती कुसुमलता पत्नी श्री श्याम सुन्दर	ग्राम खिरिया, पो0-शमशेरगंज	ब्राह्मण
10	श्री दयानन्द पुत्र श्री रंजीत सिंह श्रीमती पूनम पत्नी श्री दयानन्द	ग्राम अर्जुनपुर, पो0 विशुनपुर	जाटव
11	श्री रोशन लाल पुत्र श्री मास्टर सिंह श्रीमती शशी पत्नी श्री रोशन लाल	ग्राम न0 जंगी, पो0 उस्थान	गड़रिया
12	श्री आनन्द कुमार पुत्र श्री राजाराम श्रीमती सरिता पत्नी श्री आनन्द कुमार	ग्राम मु0 यदुवंशनगर, मैनपुरी, पो0 मैनपुरी	धीमर
13	श्री सतीश पुत्र श्री राम प्रकाश श्रीमती बबली पत्नी श्री सतीश	ग्राम नं0 गढ़ी, पो0-टिण्डौली	काछी

दम्पत्ति पुरस्कार योजना के लाभार्थियों की सूची

अप्रैल, 2008 से 30 मई, 2009 तक के लाभार्थी

क्र0सं0	लाभार्थी का नाम	पता	जाति
1	श्री अवधेश कुमार पुत्र श्री नवाब सिंह श्रीमती मंजूदेवी पत्नी श्री अवधेश कुमार	ग्राम नं0 देवी, पो0 रामनगर	जाटव
2	श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री जगदीश श्रीमती किरन पत्नी श्री सुभाष चन्द्र	ग्राम नगला, मुगरिया, पो0 औडेन्य मण्डल	जाटव
3	श्री भारत सिंह पुत्र श्री रामचरन श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री भारत सिंह	ग्राम सिंहपुर, पो0 मंछना	जाटव
4	श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री मिजाजी लाल श्रीमती अनीता पत्नी श्री दिलीप कुमार	मु0-म0नं0-22 छपट्टी मैनपुरी पो0 मैनपुरी	तेली
5	श्री शिव शंकर पुत्र श्री ओम प्रकाश श्रीमती अनीता देवी पत्नी श्री शिव कुमार	ग्राम नुनारी, पो0-पासमरा	कहार
6	श्री विमलेश कुमार पुत्र श्री राम प्रकाश श्रीमती सविता कुमारी पत्नी श्री विमलेश कुमार	ग्राम-हिरौली पो0-कुसमरा	बढ़ई
7	श्री रामवीर पुत्र श्री राम भरोसे लाल श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री रामवीर	ग्राम बृजपुर पो0-किन्हावर	लोधी
8	श्री कामता प्रसाद पुत्र श्री प्रेमराज श्रीमती पूनम देवी पत्नी श्री कामता प्रसाद	ग्राम बुजपुर पो0 किन्हावर	लोधी
9	श्री राज कुमार पुत्र श्री राम श्रीमती सुमन देवी पत्नी श्री राजकुमार	ग्राम रतनपुर पो0-बटेह	जाटव
10	श्री सदानन्द पुत्र श्री नत्थू लाल श्रीमती रेखा देवी पत्नी श्री सदानन्द	ग्राम कटेहरा पो0 अधार	शाक्य
11	श्री श्याम सिंह पुत्र श्री नत्थू लाल श्रीमती ज्योती पत्नी श्री श्याम सिंह	मु0 काजी करहल पो0 करहल	सुनार
12	श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री दमोदर श्रीमती अनीता देवी पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह	ग्राम कूडी, पो0-कूडी	यादव
13	श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री मैकू लाल श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री दिनेश कुमार	ग्राम कल्यानपुर पो0 मुडौसी	जाटव
14	श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री रघुवीर सिंह श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री दिलीप कुमार	ग्राम कबरई पो0-घेरार शाहपुर	शाक्य

क्र0सं0	लाभार्थी का नाम	पता	जाति
15	श्री अवधेश कुमार पुत्र श्री सुल्तान सिंह श्रीमती सीमा पत्नी श्री अवधेश कुमार	ग्राम रैचन्दा पो0 समान	यादव
16	श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री उदयवीर सिंह श्रीमती नीतू सिंह पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह	ग्राम कुचेला पो0 कुचेला	ठाकुर
17	श्री दिनेश चन्द्र पुत्र श्री कृष्ण श्रीमती गुड्डी देवी पत्नी श्री दिनेश चन्द्र	ग्राम जोगा पो0 जोगा	भुर्जी
18	श्री रामशंकर पुत्र श्री बंशी लाल श्रीमती गुड्डी देवी पत्नी श्री रामशंकर	ग्राम सुन्नामई पो0 सुन्नामई	कहार
19	श्री हेमचन्द्र पुत्र श्री लालाराम श्रीमती उमा देवी पत्नी श्री प्रेम चन्द्र	ग्राम समान पो0 समान	काछी
20	श्री मानिक चन्द्र पुत्र श्री इतवारी लाल श्रीमती भारती पत्नी श्री मानिक चन्द्र	ग्राम नं0 यूपत पो0 कुसमरा	जाटव
21	श्री धनीराम पुत्र श्री राम भरोसे श्रीमती प्रीती देवी पत्नी श्री धनीराम	ग्राम डेराडुंगर पो0 मनिगांव	जाटव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी (ख)

(देखिये अता0प्र0सं0-82 का उत्तर पीछे पृष्ठ 63 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2010 के प्रथम गुरुवार हेतु श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-82 का संलग्नक-1

स्प्रिंकलर सेट, एच0डी0पी0ई0 पाइप व डीजल इंजन वितरण का विकास खण्डवार लाभार्थी कृषक/समूहों का विवरण

क्र0सं0	जनपद	विकास खण्ड	स्थापित स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का विवरण			लाभान्वित कृषक/कृषक समूहों की संख्या
			स्प्रिंकलर सेट (सं0)	एच0डी0पी0ई0 पाइप (सं0)	डीजल इंजन (सं0)	
1	2	3	4	5	6	7
1	झांसी	(i) बड़ागांव	159	159	159	159
		(ii) बबीना	198	198	198	198
		(iii) मोठ	259	259	259	259
		(iv) चिरगांव	163	163	163	163
		(v) मऊरानीपुर	150	150	150	150
		(iv) बंगरा	121	121	121	121
		(vii) गुरसराय	152	152	152	152
		(viii) बामौर	145	145	145	145
		योग :-	1347	1347	1347	1347
2	जालौन	(i) कोंच	252	252	252	252
		(ii) नदीगांव	232	232	232	232
		(iii) डकोर	302	302	300	302
		(iv) माधौगढ़	49	49	49	49
		(v) रामपुरा	63	63	63	63
		(vi) कुठौद	190	190	190	190
		(vii) जालौन	234	234	234	234
		(viii) कदौरा	94	94	94	94
		(ix) महेवा	86	86	86	86
		योग :-	1502	1502	1500	1502

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
3	ललितपुर	(i) जखौरा	73	73	73	73
		(ii) विरघा	65	65	65	65
		(iii) बार	4	4	4	4
		(iv) महरौनी	33	33	33	33
		(v) मडावारा	10	10	10	10
		(vi) तालवेहट	0	0	0	0
		योग :-	185	185	185	185
4	बांदा	(i) बिसण्डा	88	88	87	88
		(ii) नरैनी	81	81	81	81
		(iii) बबेरू	83	83	83	83
		(iv) बड़ोखर	133	133	132	133
		(v) कमासिन	52	52	52	52
		(vi) महुवा	101	101	97	101
		(vii) तिन्दवारी	99	99	96	99
		(viii) जसपुरा	55	55	55	55
		योग :-	692	692	683	692
5	हमीरपुर	(i) कुरारा	145	145	51	145
		(ii) सुमेरपुर	300	300	48	300
		(iii) मौदहा	251	251	34	251
		(iv) मुस्करा	183	183	107	183
		(v) राठ	234	234	109	234
		(vi) गोहाण्ड	233	233	132	233
		(vii) सरीला	173	173	68	173
		योग :-	1519	1519	539	1519
6	महोबा	(i) कबरई	248	248	217	248
		(ii) चरखारी	218	218	76	218
		(iii) जैदपुर	210	210	122	210
		(iv) पनवाड़ी	229	229	0	229
		योग :-	905	905	415	905

1	2	3	4	5	6	7
7	चित्रकूट	(i) कर्बी	209	209	205	209
		(ii) मानिकपुर	165	165	144	165
		(iii) मऊ	196	196	169	196
		(iv) रामनगर	114	114	102	114
		(v) पहाड़ी	238	238	227	238
		योग :-	922	922	847	922
		महायोग :-	7072	7072	5516	7072

उत्तर प्रदेश गजट

नत्थी (ग)

(देखिये अता0प्र0सं0-161 का उत्तर पीछे पृष्ठ 102 पर)

अनुपूरक सामग्री

वर्ष 2009 में प्राकृतिक कारणों क्षेत्रीय आपदा के कारण के लगने वाली आग से प्रभावित ग्रामों एवं उनमें उपलब्ध करायी गयी सहायता राशि के सम्बन्ध में विवरण सूची-तहसील पट्टी प्रतापगढ़

क्र0सं0	ग्राम का नाम जिनमें आग लगने से धन/पशु हानि हुई थी	दी गयी सहायता का विवरण		सहायता दिये जाने का दिनांक	विवरण
		गृह अनुदान	गृह अनुदान		
1	2	3	4	5	6
1	पूरे किशुनगिर	4000	--	31-01-09	गृह क्षति
2	कंजा सराय गुलामी	1500	--	31-01-09	,,
3	पट्टी खास	1500	--	31-01-09	,,
4	पूरे चिरंजीव	1500	--	31-01-09	,,
5	सिकरी कानूपुर	21000	--	31-01-09	,,
6	बरहा	3000	--	31-01-09	,,
7	परसूपुर	1500	--	01-02-09	,,
8	साल्हीपुर कजास	1500	--	01-02-09	,,
9	शाहपुर	3000	--	01-02-09	,,
10	अतरसण्ड	3000	--	01-02-09 17-03-09	,,
11	कन्धई मधुपुर	12000	--	01-02-09 17-03-09	,,
12	मदनामऊ	1500	--	03-02-09	,,
13	दुबौली सुखऊ	30000	--	09-02-09	,,
14	बरहूपुर	7500	--	13-02-09 01-03-09	,,
15	गुतौली	--	1000	13-02-09	मृतक पशु की सहायता
16	पूरा	3500	--	13-02-09 25-03-09	गृह क्षति
17	विरौती	1500	--	14-02-09	,,

1	2	3	4	5	6
18	अमसौना	2000	--	16-02-09	,,
19	दाउदपुर	1500	--	25-02-09	,,
20	सोनपुरा	1500	--	01-03-09	,,
21	परहतखास	1500	--	03-03-09	,,
22	उदईशाहपुर	1500	--	03-03-09	,,
23	पूरे गुलाल	2000	--	05-03-09	,,
24	भरोखन	1500	--	16-03-09	,,
25	रानीपुर	1500	--	16-03-09	,,
26	ढिढुई	3000	--	16-03-09 21-03-09	,,
27	रामपुर बेला	4500	--	16-03-09 20-03-09	,,
28	महडौरा	10000	--	--	,,
29	लहुरी बजेठी	1500	--	16-03-09	,,
30	ताला	1500	--	17-03-09	,,
31	सरौली	1500	--	17-03-09	,,
32	महोखरी	7500	--	18-03-09 25-03-09	,,
33	रठवत	1500	--	18-03-09	,,
34	गोई	1500	--	21-03-09	,,
35	गौरा सैफाबाद	5000	--	25-03-09	,,
36	इब्राहिमपुर	2500	--	25-03-09	,,
37	गहबरा	10000	--	26-03-09	,,
38	मंगापुर	1500	--	28-03-09	,,
39	सरसतपुर	1500	--	30-03-09	,,
40	सलबसुकाली	1500	--	30-03-09	,,
41	लखनूडीह	--	6000	30-03-09	मृतक पशु की सहायता
42	सैफाबाद	2000	--	31-03-09	गृह क्षति
43	उधवापुर	50500	3000	25-04-09	मृतक पशु की सहायता

1	2	3	4	5	6
44	वारीकला	16000	--	25-04-09	गृह क्षति
45	कन्धई मधुपुर	4500	--	25-04-09	,,
46	गंगापुर	35000	--	25-04-09	,,
47	चन्दुवाडीह	1500	--	25-04-09	,,
48	पीथापुर	3000	--	25-04-09	,,
49	धर्मापुर	4500	--	25-04-09	,,
50	पिपरी मतकरपुर	6000	--	25-04-09	,,
51	औगापुर	1500	--	25-04-09	,,
52	रामपुर बेला	1500	--	25-04-09	,,
53	बाहरपट्टी	1500	--	25-04-09	,,
54	रौजा	1500	--	25-04-09	,,
55	रमगढ़ा	1500	--	25-04-09	,,
56	कादीपुर	2000	--	25-04-09	,,
57	जमीन	1500	--	25-04-09	,,
58	कठार	1500	--	28-04-09	,,
59	भुसण्डी सकरा	4500	--	28-04-09	,,
60	अमसौना	1500	--	28-04-09	,,
61	भाटपट्टी	1500	--	28-04-09	,,
62	कोटिया	1500	--	28-04-09	,,
63	रसूलपुर हैदरपुर	4000	--	28-04-09	,,
64	नादी	1500	--	28-04-09	,,
65	गोगलापुर	1500	--	30-04-09	,,
66	बनी	1500	--	30-04-09	,,
67	उसरौली	3000	--	30-04-09	,,
68	खेमानपट्टी	1500	--	30-04-09	,,
69	भनईपुर	1500	--	01-05-09	,,
70	पूरे चदी	7500	--	01-05-09	,,
71	कोइडौर	1500	--	04-05-09	,,
72	मदाफरपुर	1500	--	04-05-09	,,
73	कन्धई मधुपुर	1500	--	08-05-09	,,

1	2	3	4	5	6
74	तरहदा	2500	--	09-05-09	,,
75	कादीपुर	1500	--	15-05-09	,,
76	रामकोला	1500	--	21-05-09	,,
77	कुम्हिया	1500	--	21-05-09	,,
78	सराय रजई	2500	--	22-05-09	,,
79	नगर	1500	--	22-05-09	,,
80	उमापुर	1500	--	29-05-09	,,
81	उमापुर	1500	--	02-06-09	,,
82	लवेदा	2500	--	02-06-09	,,
83	मरगूपुर	1500	--	02-06-09	,,
84	महुली	3000	--	12-06-09	,,
85	गहबरा	1500	--	12-06-09	,,
86	नीमा खुर्द कला	3000	--	22-06-09	,,
87	मीरनपुर	3000	--	22-06-09	,,
88	महोखरी	3000	--	22-06-09	,,
89	दुखियापुर	1500	--	22-06-09	,,
90	लहुरी बजेठी	1500	--	23-06-09	,,
91	मंगापुर	1500	--	23-06-09	,,
92	नरहरपुर	4500	--	25-06-09	,,
93	अतरसण्ड	1500	--	29-06-09	,,
94	आसपुर देवसरा	1500	--	08-07-09	,,
95	तिवीपुर	--	7500	08-07-09	मृतक पशु की सहायता
96	तरदहा	--	7500	08-07-09	मृतक पशु की सहायता
97	गंगापुर	1500	--	10-07-09	गृह क्षति
98	नीमा खुर्द कला	--	10000	17-08-09	मृतक पशु की सहायता
99	महोखरी	--	4000	21-08-09	मृतक पशु की सहायता

1	2	3	4	5	6
100	औराइन	1500	--	22-08-09	गृह क्षति
101	भरोखन	1500	--	22-08-09	,,
102	नदईपुर	1500	--	25-08-09	,,
103	शाहपुर	1500	--	25-08-09	,,
104	भदवक्ष	2500	--	27-08-09	,,
105	उदईशाहपुर	1500	--	09-09-09	,,
106	रानीपुर	1500	--	22-09-09	,,
107	करनपुर खूझी	1500	--	20-10-09	,,
108	मोलनापुर	1500	--	27-10-09	,,
109	कापा मधुपुर	1500	--	29-10-09	,,
110	सराय शंकर	1500	--	29-10-09	,,
111	लौली पोख्ताखाम	1500	--	29-10-09	,,
112	मंगरौरा	1500	--	30-10-09	,,
113	देवरखा	1500	--	9-11-09	,,
114	चौखड़ा	1500	--	10-11-09	,,
115	धनगढ़ सराय छिवलहा	4500	--	26-11-09	,,
116	रेडीगारापुर	1500	--	27-11-09	,,
117	ढिढुई	1500	--	01-12-09	,,
118	भदवक्ष	3000	--	01-12-09	,,
119	अमसौना	2500	--	16-12-09	,,
120	फेनहा	1500	--	22-12-09	,,
121	सपहाछात	1500	--	29-12-09	,,
122	पहाडामुरार पट्टी	1500	--	29-12-09	,,

नत्थी (घ)

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ 155 पर)

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
2	श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री हुकुम सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री सुरेश तिवारी, श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री सुरेश्वर सिंह, श्री उदयभान करवरिया, श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री बजरंग बहादुर सिंह, श्रीमती कृष्णाराज, श्रीमती प्रेमलता कटियार, श्री यशपाल सिंह चौहान, श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री जगन प्रसाद गर्ग, डा0 राजेन्द्र सिंह, श्री सुखलाल तथा श्री राधेश्याम गुप्ता। (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-प्रदेश में कानून का शासन लागू करने तथा ध्वस्त कानून-व्यवस्था को सुधारने के लिये कोई सार्थक कार्य योजना के सम्बन्ध में, 2-प्रशासन में हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार रोकने के सम्बन्ध में, 3-प्रदेश में बढ़ रही महंगाई को नियंत्रित करने, बिचौलियों, जमाखोरों एवं बिहार व नेपाल को तस्करी व कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में, 4-वर्ष 2009-10 के लिये महामहिम द्वारा घोषित सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को पूर्ण कराये जाने एवं वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु घोषित विकास कार्यों को समय से पूर्ण कराने के सम्बन्ध में, 5-प्रदेश में गन्ना नीति को सुधारने के सम्बन्ध में जिसके कारण प्रदेश में चीनी उत्पादन कम हो रहा है, गन्ने का क्षेत्रफल 30-40 प्रतिशत कम बोया गया, वर्ष 2006-07 एवं वर्ष 2007-08 का गन्ना भुगतान कराये जाने तथा मिलों द्वारा किसानों का शोषण रोकने के सम्बन्ध में, 6-प्रदेश में सिंचाई हेतु नहरों व नलकूपों की स्थिति को सुधारने तथा पूरी क्षमता से पानी व बिजली दिये जाने के सम्बन्ध में, 7-किसानों को धान का मूल्य न दिला पाने एवं बिचौलियों की लूट खसोट से किसानों को मुक्त कराने के सम्बन्ध में, 8-सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ आम गरीब जनता को दिलाने एवं उपभोक्ता वस्तुओं की कालाबाजारी रोकने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		9-कुकिंग गैस को उपभोक्ताओं को घोषित मूल्य पर उपलब्ध कराने तथा कुकिंग गैस की कालाबाजारी रोकने के सम्बन्ध में,
		10-प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन/विकलांग पेंशन तथा विधवा पेंशन वितरण में व्याप्त घूसखोरी व भ्रष्टाचार रोकने तथा पात्रों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में,
		11-प्रदेश के किसानों को समय पर तथा उचित मूल्य पर खाद, बीज, पानी दिलाये जाने के सम्बन्ध में,
		12-औद्योगिक विकास की गति ठप्प पड़ गयी है। उद्योग धंधों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। उद्योग धंधों को प्रोत्साहित किये जाने के सम्बन्ध में,
		13-नहरों की सफाई तथा सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,
		14-प्रदेश में विद्युत उत्पादन को बढ़ाने तथा आम उपभोक्ताओं को पर्याप्त समय बिजली दिलाये जाने के सम्बन्ध में,
		15-सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों की स्थानान्तरण में स्थिरता लाने की नीति को दुरुस्त करने तथा उनका उत्पीड़न रोकने के सम्बन्ध में,
		16-चिकित्सालयों में गरीबों को मुफ्त दवा सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण अंचलों में डाक्टरों की तैनाती एवं रिक्त पदों पर नियुक्त करने के सम्बन्ध में,
		17-सरकारी प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने एवं सभी को साक्षर बनाना सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में,
		18-विद्यालयों में मिलने वाले मिड-डे मील की पूरी मात्रा मिलने एवं गुणवत्ता सुधारने के सम्बन्ध/योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार व कालाबाजारी के सम्बन्ध में,
		19-प्रदेश में स्थिर कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु सुनिश्चित योजना एवं कृषि निवेश की पर्याप्त धनराशि बढ़ाने के सम्बन्ध में,
		20-आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिये किसी सार्थक कार्य योजना के सम्बन्ध में,
		21-गम्भीर बीमारियों जैसे कैंसर, लीवर व हृदय रोगों के मरीजों की चिकित्सा पूरी तरह से सरकारी खर्चे पर कराये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		22-किसानों को पूरी तरीके से फसल बीमा का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में, 23-क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप विधायकों की निशानदेही पर गरीब व असेवित बस्तियों में पेयजल के लिये इण्डिया मार्का-2 नल स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में, 24-प्रदेश के इण्टर व महाविद्यालयों में स्थाई प्राचार्य एवं रिक्त पदों पर शिक्षक नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में, 25-प्रदेशवासियों को ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण से बचाने के लिए किसी सार्थक कार्य योजना के सम्बन्ध में, 26-स्वतंत्रता संग्राम में हुए शहीदों एवं देश की सीमा की रक्षा करने वाले शहीदों की जन्म स्थली व कर्म स्थली क्षेत्रों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करके पर्यटन को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में, तथा 27-महिलाओं के सशक्तीकरण, स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने के सम्बन्ध में।''
3	श्री प्रमोद तिवारी, श्री विवेक कुमार सिंह, चौधरी रवीन्द्र प्रताप, श्री शिव गणेश लोधी, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री संजय कपूर, श्री माधो पासवान, श्री राजाराम त्यागी, श्री संजीव दरियाबादी, श्री राम सेवक, श्री प्रदीप माथुर, श्री श्याम किशोर शुक्ला, श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री पंकज कुमार, श्री अजय कपूर, श्री विनोद चतुर्वेदी कुंवर अजय पाल सिंह,	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-विधान सभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है, तथा उनका उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में, 2-अफसरशाही बेलगाम हो गयी है। सामान्य शिष्टाचार एवं परम्पराओं का अनुपालन नहीं होने के सम्बन्ध में, 3-जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के सम्बन्ध में 4-प्रदेश में विकास कार्य पूरी तरह बन्द पड़े होने के सम्बन्ध में, 5-अधूरे कार्यों को प्राथमिकता पर पूरा किये जाने के सम्बन्ध में, 6-उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन करके बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल तथा पश्चिमांचल के नाम से अलग-अलग राज्यों का गठन किये जाने के सम्बन्ध में, 7-विगत 5 वर्षों से बुन्देलखण्ड में भयंकर सूखे को देखते हुये पुनर्वास के लिये केन्द्र सरकार की तरह प्रदेश सरकार द्वारा भी बुन्देलखण्ड को स्पेशल पैकेज दिये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्रीमती अमीता सिंह, श्री शिव बालक पासी तथा श्री अजय राय। (उपस्थित किया हुआ माना गया)	8-पूर्वांचल कि पिछड़ेपन को देखते हुये बन्द पड़े उद्योगों को चलाने के लिये स्पेशल पैकेज दिये जाने के सम्बन्ध में, 9-बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल एवं पश्चिमांचल के चतुर्मुखी विकास हेतु स्पेशल पैकेज दिये जाने के सम्बन्ध में, 10-गन्ना किसानों के बकाये का शीघ्र भुगतान किया जाना चाहिये तथा उन्हें रु0 360 प्रति क्विंटल की दर से मूल्य प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में, 11-बन्द पड़ी गन्ना मिलों को चालू किया जाय तथा गन्ने की आखिरी पेराई की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में, 12-प्रदेश में अराजकता का वातावरण है, कानून व्यवस्था की स्थिति 'जंगलराज' जैसी हो गयी है। अतः कानून व्यवस्था में सुधार किये जाने के सम्बन्ध में, 13-प्रदेश में बिजली का उत्पादन न होने से, उत्पादन एवं उपलब्धता के बीच काफी अन्तर आ गया है जिसके कारण प्रदेश अभूतपूर्व बिजली संकट से गुजर रहा है। ग्रामीण अंचलों में 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में, 14-आगामी बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुये सायंकाल 06.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में, 15-अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, कानपुर महानगर, रामपुर, बांदा, इलाहाबाद, झांसी, जालौन, मुजफ्फरनगर, गोण्डा, कुशीनगर एवं मथुरा आदि जनपदों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में, 16-प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह से दलालों एवं बिचौलियों के नियंत्रण में आ गयी है। केरोसिन/मिट्टी का तेल रु0 35-40 प्रति लीटर बिक रहा है और उर्वरक रु0 500/-प्रति बोरी बिक रही है। कण्ट्रोल रेट पर ये चीजें उपलब्ध नहीं है और ब्लैक/कालाबाजारी में धड़ल्ले से ये सामान बिकने के सम्बन्ध में, 17-किसानों को उत्पादन की उचित कीमत नहीं मिल रही है। किसानों को बिजली, सिंचाई, उर्वरक तथा श्रम की कीमत के मद्देनजर इसके लाभ को निर्धारित करते हुये समर्थन मूल्य दिये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		18-धान खरीद केन्द्रों पर धान खरीद नहीं किये जाने के सम्बन्ध में,
		19-गन्ना किसानों को रु0 360/ प्रति क्विंटल की दर से गन्ने का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में,
		20-प्रदेश में सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगायी जाने के सम्बन्ध में,
		21-सरकारी नियुक्तियों एवं नौकरियों में धांधली और भ्रष्टाचार को देखते हुये पारदर्शिता लायी जाने के सम्बन्ध में,
		22-बुनकरों को सस्ते दर पर सूत उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,
		23-शुगर मिल पडरौना एवं शुगर मिल रामकोला खेतान को शीघ्र चलाया जाय और गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में,
		24-गीडा में केन्द्र सरकार द्वारा टेक्सटाइल जोन स्थापित करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा जमीन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,
		25-उद्योग शून्य जनपद सिद्धार्थनगर में उद्योग लगाये जाने के सम्बन्ध में,
		26-जनपद सिद्धार्थनगर में करछुलिया घाट, पिरूनी घाट, राप्ती नदी पर गाय घाट, रामनगर घाट एवं सिपरा पार घाट पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		27-जनपद सिद्धार्थनगर में बाढ़ के स्थाई समाधान किये जाने के सम्बन्ध में,
		28-जनपद सिद्धार्थनगर में राजकीय डिग्री, कालेज, राजकीय इण्टर कालेज, टेक्निकल कालेज व स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें दिये जाने के सम्बन्ध में,
		29-विधान सभा क्षेत्र मुण्डेरा बाजार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। बाढ़ रोकने के लिये रेबुलेटर की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में,
		30-नदियों के पानी से होने वाली कटान को रोकने के लिये सरार बरहीं मटियरा एवं भौरहीं में पत्थर लगाये जाने के सम्बन्ध में,
		31-विधान सभा क्षेत्र मुण्डेरा बाजार में टूटी एवं अर्द्धनिर्मित सड़कों का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		32-विधान सभा क्षेत्र मुण्डेरा बाजार के ब्रहमपुर ब्लाक में जंगल रसूलपुर के बगल में बालूघट्टे में बांध बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		33-तहसील बिलासपुर से नवाबगंज रोड का अधूरा काम पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में,
		34-बिलासपुर में होटल अमरदीप से राजकीय डिग्री कालेज बिलासपुर की ओर रोड का निर्माण,
		35-भोजीपुरा से हल्दी मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		36-पदपुरी से चन्दपुरा मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		37-बमनपुरा से सिसौना मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		38-मुबारकपुर से लखीमपुर भीका मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		39-तहसील बिलासपुर के ग्राम अहरों में स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण एवं नगरपालिका केमरी में स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,
		40-तहसील मिलक के ग्राम सिमरिया में पशु चिकित्सालय का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में,
		41-तहसील बिलासपुर के अन्तर्गत ग्राम हुरमत नगर एवं ग्राम गजरौला में पशु चिकित्सालय का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में,
		42-तहसील बिलासपुर के ग्राम खंडिया में भाखड़ा नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		43-तहसील मिलक के ग्राम भवरकी में नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		44-ग्राम दलकी में उच्च माध्य0 स्कूलों का हायर सेकेण्डरी कराये जाने के सम्बन्ध में,
		45-तहसील बिलासपुर के ग्राम गजरौला में उच्च माध्य0 स्कूलों का हायर सेकेण्डरी कराये जाने के सम्बन्ध में,
		46-ग्राम बनकरा में उच्च माध्य0 स्कूलों का हायर सेकेण्डरी कराये जाने के सम्बन्ध में,
		47-ग्राम धमौरा, ग्राम शंकरा, ग्राम डेंडिया, ग्राम सिलवई बड़ा ग्राम चंदपुरा जदीद व ग्राम रमपुरा में उच्च माध्य0 स्कूलों का हायर सेकेण्डरी कराये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		48-ग्राम गोदी व ग्राम विडवा नगला में 33 के0वी0ए0 विद्युत केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		49-132, अशोक नगर बिलासपुर से टाउन एरिया केमरी को जोड़े जाने के सम्बन्ध में,
		50-विशारत नगर में, साहूकारा में, शान्ति नगर में मौजूदा ट्रान्सफार्मर की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,
		51-जिडको द्वारा बनाये जा रहे राजीव गांधी ग्राम विद्युत योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे अधूरे कार्य को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में,
		52-बिलासपुर डिग्री कालेज को पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा दिये जाने के सम्बन्ध में,
		53-बिलासपुर में बी0बी0ए0, बी0सी0ए0 की शिक्षा दिये जाने के सम्बन्ध में,
		54-तहसील मिलक में तथा केमरी में राजकीय डिग्री कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		55-वर्तमान सरकार की श्रमिक विरोधी नीति के कारण उ0प्र0 की कई डिस्टलरीज बंद हो गयी हैं तथा हजारों मजदूर बेरोजगार हो गये हैं व भुखमरी की कगार पर पहुंच गये हैं, के सम्बन्ध में,
		56-विधान सभा क्षेत्र जगदीशपुर, सुल्तानपुर के विकास खण्ड बाजार शुकुल में 33/11 विद्युत उप केन्द्र यथाशीघ्र चालू कराये जाने के सम्बन्ध में,
		57-विधान सभा क्षेत्र जगदीशपुर, सुल्तानपुर के विकास खण्ड बाजार शुकुल के ग्राम सत्थिन स्वास्थ्य भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		58-विधान सभा क्षेत्र जगदीशपुर, सुल्तानपुर के विकास खण्ड बाजार शुकुल में देवकली कटेहटी रजबहा में टेल तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में,
		59-जनपद रायबरेली की नन्दगंज सिहोरी चीनी मिल दरियापुर को यथाशीघ्र चालू कराये जाने के सम्बन्ध में,
		60-जनपद रायबरेली में विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से संचालित किये जाने के सम्बन्ध में,
		61-विधान सभा क्षेत्र सरेनी में नहरों में टेल तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		62-विधान सभा क्षेत्र सरेनी में विधायक निधि द्वारा वर्ष 1996 से 2000 तक बनी सड़कों का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,
		63-विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम में सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		64-विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम में कन्हैया माधवपुर वार्ड, अम्बरगंज,गढ़ी पीर खां, बालागंज, हुसैनाबाद, त्रिवेणीनगर वार्ड-3 में पेयजल एवं सीवर की समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		65-कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर में बिजली, पानी, सीवर एवं सड़कों की समस्या का निराकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में,
		66-विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर के सम्पूर्ण विकास के लिये विशेष पैकेज मुहैया कराये जाने के सम्बन्ध में,
		67-विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर में स्वास्थ्य सुविधा हेतु एक बड़ा अस्पताल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		68-विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर में गोविन्दपुरी और दादा नगर में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		69-विधान सभा क्षेत्र अमेठी में नई बसों का संचालन करवाये जाने के सम्बन्ध में,
		70-विधान सभा क्षेत्र अमेठी में आठ पुलों का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में,
		71-विधान सभा क्षेत्र अमेठी में सरकारी ट्यूबवेलों को ठीक करवाये जाने के सम्बन्ध में,
		72-विधान सभा क्षेत्र अमेठी में सुन्दरपुर ड्रेन ठीक करवाकर चालू करवाये जाने के सम्बन्ध में,
		73-विधान सभा क्षेत्र अमेठी में सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		74-विधान सभा क्षेत्र अमेठी में समुचित विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में,
		75-विधान सभा क्षेत्र बघरा, मुजफ्फरनगर में एक बड़ा अस्पताल एवं महिला प्रसूति केन्द्र खोले जोने के सम्बन्ध में,
		76-विधान सभा क्षेत्र बघरा के अम्बेडकर ग्राम ढिंढावली में अधूरा बिजली कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,

अनुपूरक प्रश्न सूची

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		77-विधान सभा बघरा में सड़कों का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में,
		78-गोकुल बैराज बनाये जाने के समय दोमोदरपुरा, औरंगाबाद, तन्तूरा, कोयला अलीपुर, करनावल व रांचीबांगर आदि गांव की जमीन जो अधिग्रहीत की गयी थी किन्तु अब तक इन गांवों में बैराज से पेयजल आपूर्ति नहीं किया जा रहा है जिसे तत्काल आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,
		79-गोकुल बैराज के लोहे के गेटों का रख-रखाव व मरम्मत हेतु नगर विकास विभाग द्वारा समुचित धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में,
		80-गोकुल बैराज पर बने पुल पर टोल टैक्स की वसूली बन्द न की जाये जिससे एम0ओ0यू0 के अनुसार प्राप्त राशि से बैराज का रख-रखाव व उसका सतत विकास कराये जाने के सम्बन्ध में,
		81-उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड के अलग हो जाने से मथुरा वृन्दावन को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल बनाये जाने हेतु विशेष पैकेज देने की घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में,
		82-बौद्ध परिपथ की भांति श्री राधाकृष्ण परिपथ की घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में,
		83-यमुना एक्सप्रेस-वे के आस-पास मथुरा अलीगढ़ व आगरा के बीच किसी स्थान पर डोमेस्टिक/इण्टरनेशनल एयरपोर्ट बनाये जाने हेतु भारत सरकार को स्वीकृत हेतु प्रस्ताव भेजने के सम्बन्ध में,
		84-यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत कार्ययोजना एवं पैकेज की घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में,
		85-मथुरा वृन्दावन की लोक निर्माण विभाग की पुरानी मरम्मत योग्य सड़कों के जीर्णोद्धार की घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में,
		86-नगर पालिका परिषद मथुरा एवं वृन्दावन को एक में जोड़ते हुये नगर निगम बनाये जाने की घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में,
		87-बृज क्षेत्र की संस्कृति एवं भाषा के विस्तार हेतु बृज एकेडमी बनाये जाने की घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		88-मथुरा वृन्दावन के हेरिटेज टेम्पिल यथा बरसाना मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, श्री रंग जी मंदिर, टेढ़े खम्भे वाला मंदिर, राधा रमण मंदिर, के0सी0घाट, पोतरा कुण्ड एवं अन्य विविध पुरातात्विक महत्व के मंदिरों को हेरिटेज हेतु घोषित कर उनके रख-रखाव हेतु वित्त पोषण की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,
		89-ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग का सौन्दर्यीकरण एवं पड़ाव स्थानों का अधिग्रहण कर उसको समस्त सुविधा युक्त किये जाने के सम्बन्ध में,
		90-पी0पी0पी0 आधार पर मथुरा एवं वृन्दावन में धार्मिक एवं पुरातात्विक महत्व के स्थानों का रख-रखाव किये जाने के सम्बन्ध में,
		91-मथुरा के धार्मिक एवं पुरातात्विक संग्रहालय को नेशनल हाइवे पर स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में,
		92-जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्यूवल मिशन के अन्तर्गत रिवर साइड डेवलपमेन्ट, फ्लाई ओवर्स एवं सड़कों के निर्माण हेतु डी0पी0आर0 बनाने में शीघ्रता हेतु धन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा नर्म परियोजना में बन रहे निर्बल वर्ग के आवासों की गुणवत्ता को सुधारने हेतु घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में,
		93-सी0एन0जी0 आधारित उद्योग तथा लघु उद्योगों यथा साड़ी प्रिटिंग, टोंटी उद्योग, सर्राफा उद्योग, कांच उद्योग आदि हेतु एक औद्योगिक क्लस्टर का निर्माण कर शहर से बाहर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,
		94-अपर आगरा कैनाल से मथुरा एवं वृन्दावन के लिये निकले शेरगढ़ व सहार रजबहों व माइनरों की सफाई हेतु धन अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में,
		95-टी0टी0 जेड0 में होने के बावजूद बिजली के कंडक्टर बीस साल से न बदले जाने के सम्बन्ध में, जिससे निर्वाध रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,
		96-पी0डी0एस0 अन्तर्गत जनता को आपूर्तित अनाज की फुलप्रूफ व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,
		97-मलिन बस्तियों तथा सागरपैशा (आउटहाउसेज) में रहने वालों की आर्थिक, सामाजिक, नागरिक स्थिति की तत्काल जांच कराकर बी0पी0एल0 एवं अंत्योदय राशन कार्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		98-शहरी गरीबों को ब्याजरहित ऋण उपलब्ध कराने हेतु संचालित योजनाओं में बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराना तत्काल सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,
		99-जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी मलिन बस्तियों का सुधार तथा पुनर्वासन अतिशीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में,
		100-जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्राष्ट्रीय नदी गंगा के किनारे बसे महानगरों के नाले तथा सीवर का कार्य 2011 तक पूर्ण किये जायं। इस हेतु समय सीमा तय किये जाने के सम्बन्ध में,
		101-उ0प्र0 के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करते हुये तत्काल छात्र संघ चुनाव कराने की घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में,
		102-समाज के वरिष्ठजनों को राजकीय बसों में यात्रा करने पर छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में,
		103-महंगाई रोकने के लिये तत्काल प्रभावी कदम उठाने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से दाल, चीनी, वनस्पति आदि सस्ते दरों पर गरीबों को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,
		104-विकलांग जनों की भर्ती बैकलॉग द्वारा पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		105-समाज के अन्य वर्गों द्वारा शिक्षा में प्राप्त छात्रवृत्ति तथा अन्य सुविधायें व छूट विकलांगों को भी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,
		106-विधान परिषद् में अन्य वर्गों की तरह सेवानिवृत्त ट्रेड यूनियन नेताओं तथा विकलांगजनों को भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,
		107-प्रदेश में राजकीय आस्थान की भूमि को 1 दिसम्बर, 1998 को नजूल नीति के अनुसार फ्रीहोल्ड किये जाने के सम्बन्ध में,
		108-इलाहाबाद में नजूल, राजकीय आस्थान, प्राधिकरण तथा उ0प्र0 आवास विकास परिषद पर निवासित गरीब दलित वर्ग के लोगों को सर्वजनहित मालिकाना हक गरीब आवास योजना के अन्तर्गत 50 वर्ग मी0 दिलाये जाने के सम्बन्ध में,
		109-खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिये प्रभावी कार्य सुनिश्चित कराकर दोषियों को अतिशीघ्र दंड देने की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		110-महानगरों व नगर निगम क्षेत्रों में पटरी दुकानदारों को तत्काल फेरीनीति के अनुसार पुनर्वासित किये जाने के सम्बन्ध में,
		111-सफाई कर्मियों की नियुक्ति स्वास्थ्य नियमावली के अनुसार स्थायी रूप से करके आवासीय व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में,
		112-जनपद रामपुर को तहसील बिलासपुर में रोडवेज का बस अड्डा बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		113-जनपद रामपुर की तह0 बिलासपुर में केमरी टाउन एरिया में उपमंडी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		114-कानपुर में प्रस्तावित तकनीकी विश्वविद्यालय को कानपुर में बनाया जाए, कानपुर नगर को विद्युत कटौती से मुक्त रखे जाने के सम्बन्ध में,
		115-कानपुर की श्रमिक कालोनियों का स्वामित्व उसमें रहने वालो को दिये जाने के सम्बन्ध में,
		116-कानपुर में खराब पड़े हजारों हैण्डपम्पों को रिबोर कराये जाने के सम्बन्ध में,
		117-कानपुर नगर निगम सदन द्वारा पारित प्रस्ताव में सरल कर को वापस लिये जाने के सम्बन्ध में,
		118-सरयू नहर परियोजना जो विगत कई वर्षों से लम्बित है उसे पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		119-बार्डर के जनपदों में विद्युत आपूर्ति 6 बजे सायं से प्रातः 8 बजे तक किये जाने के सम्बन्ध में,
		120-विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 50 ट्यूबवेल सरकारी लगवाये जाने के सम्बन्ध में,
		121-उरई का काशीराम मेडिकल कालेज भवन बना खड़ा है। न ही शिक्षा सत्र शुरु हुआ है न कोई विभाग में डाक्टर उपलब्ध है। ओ0 पी0 डी0 के नाम पर रस्म अदायगी किये जाने के सम्बन्ध में,
		122-राठ रोठ उरई पर आर0 ओ0 बी0 जो कि जनहित में अत्यन्त आवश्यक है बनना चाहिये, के सम्बन्ध में,
		123-बेतवा नदी में कोटवा घाट पर पुल निर्माण होना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि वह झांसी जालौन को सीधा मिलाता है, के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		124-पूरे जनपद में पी0 डब्लू0 डी0 के सभी रोड जो नदी बेतवा से लगे हुये हैं बालू खनन की वजह से खराब हो रहे हैं अतः वहां नया निर्माण मानक को संशोधित करके कराये जाने के सम्बन्ध में, 125-विधायक निधि से 25 लाख रुपये गरीबों को इलाज हेतु देने का प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में, 126-बुन्देलखण्ड में 16 घंटे बिजली देने का सरकार का वादा है मगर 6 घंटे भी बिजली नहीं मिलती है, इसे पूरा कराया जाए के सम्बन्ध में, 127-प्राईवेट ट्यूबवेल जो किसानों ने लगवाएं हैं सरकार उन्हें विद्युत कनेक्शन नहीं दे रही है-दो-दो वर्ष से किसान परेशान हैं। उन्हें विद्युत कनेक्शन दिलाये जाने के सम्बन्ध में, 128-विधान सभा क्षेत्र विकास निधि रु0 01.25 करोड़ से बढ़ाकर 02.00 करोड़ रु0 किये जाने के सम्बन्ध में, 129-प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 500 हैण्ड पम्प लगवाये जाने के सम्बन्ध में तथा 130-प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा दस किलोमीटर सड़क दिये जाने के सम्बन्ध में।''.
4	श्री कौकब हमीद, चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, डा0 अनिल चौधरी, चौ0 सत्यपाल सिंह, मो0 अब्दुल वारिस खां तथा श्रीमती मिथलेश पाल। (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-महान संत गुरूओं, महापुरूषों के नाम स्मारक, मूर्तियां, पार्क, जिले यूनिवर्सिटी बनाने का जिक्र है परन्तु इन सब कार्यों की उपयोगिता के सम्बन्ध में, 2-उ0प्र0 मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना में लाभान्वित होने वाले परिवार मात्र बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में से लेने के मौन आदेश का जिक्र न किये जाने के सम्बन्ध में, 3-गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य 25 रुपये कुन्तल बढ़ाने की बात कही गई जो मिल मालिकों के लिये लाभकारी व किसानों के हितों की अनदेखी की गई किसानों को गन्ना का दाम 280 रु0 दिये जाने के जिक्र न किये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		4-आपसी सहमति से किसानों की भूमि अधिगृहीत किये जाने का जिक्र है जो किसानों को भूमिहीन किये जाने का कुचक्र है जबकि किसानों की भूमि अधिग्रहण न करने एवं उनको भूमिहीन होने से बचाने का जिक्र न किये जाने के सम्बन्ध में,
		5-प्रदेश में भयमुक्त, अपराधमुक्त, अन्यायमुक्त वातावरण बनाने का जिक्र किया गया है हाल के चुनाव में लोकतंत्र की हत्या की गई है अपराधी स्वच्छंद है, का जिक्र नहीं किये जाने के सम्बन्ध में,
		6-खाद्यानों के उपज में प्रदेश में कमी आयी है को बढ़ाने एवं किसानों को प्रोत्साहित किये जाने का जिक्र न किये जाने के सम्बन्ध में,
		7-किसानों की रबी की बुवाई के समय से सरकार की मिलीभगत से डी0ए0पी0 व यूरिया खाद प्रदेश से गायब हो गई की उपलब्धता कैसे बनाये रखी जायेगी का जिक्र नहीं किये जाने के सम्बन्ध में,
		8-सूखा राहत के नाम पर नकली बीज, नकली दवाओं की मिनी किट बुवाई हो जाने के बाद बांटे जाने का जिक्र न किये जाने के सम्बन्ध में,
		9-किसानों को कृषि से आमदनी बढ़ाने का किसी ठोस प्रयास का जिक्र न किये जाने के सम्बन्ध में,
		10-महंगाई को रोकने के लिये उत्पादक एवं उपभोक्ता के मध्य मूल्यों का अन्तर दस प्रतिशत से अधिक न हो इसका जिक्र न किये जाने के सम्बन्ध में,
		11-प्रदेश की विकास दर 7 दशमलव 9 प्रतिशत भ्रामक आंकड़ा है गरीब किसान का जीवन आमदनी घटने से दूभर हो रहा इसका जिक्र न किये जाने के सम्बन्ध में,
		12-तहसील दिवस एवं थाना दिवसों में शिकायतें सुनी जाती परन्तु उनके निस्तारण का जिक्र न किये जाने के सम्बन्ध में,
		13-जल प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश की सभी नहरों रजबहों की लाइनिंग कराने के सम्बन्ध में,
		14-पशु कटान प्रदेश में जारी है जिसके कारण पशुओं की संख्या घटने के सम्बन्ध में,

अविमुक्त प्रदेश

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		15-वर्तमान खरीफ की सिंचाई में नहरों की सिल्ट सफाई करने के सम्बन्ध में,
		16-सरयू नहर परियोजना चौधरी चरण सिंह लहचूरा बांध, बाढ़ सागर परियोजना पूर्ण न होने के सम्बन्ध में,
		17-प्रदेश के किसानों को फसली ऋण पर ब्याज दिये जाने के सम्बन्ध में,
		18-सिन्थेटिक दूध पर रोक लगाने के सम्बन्ध में,
		19-नकली जीवन रक्षक दवाओं, नकली खून व्यवसाय एवं मिलावटी खाद्य पदार्थों पर शतप्रतिशत प्रतिबंध लगाने के सम्बन्ध में,
		20-औद्योगिक विकास के नाम पर जो विकास प्राधिकरण के गठन की बात कही गई है इससे किसानों की हो रही लूट के सम्बन्ध में,
		21-प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक विहीन स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में,
		22-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में वित्तविहीन स्कूल को वित्त पोषित किये जाने के सम्बन्ध में,
		23-महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की कमी को दूर किये जाने के सम्बन्ध में,
		24-वृद्धावस्था, विधवा, किसान पेंशन बढ़ाकर रुपये 400-00 किये जाने के सम्बन्ध में,
		25-ग्रामीण सफाई कैसे पूर्ण होगी का जिक्र न किये जाने के सम्बन्ध में,
		26-जवाहर नेहरू नेशनल अरबन रिनुवल मिशन प्रदेश के अन्य शहरों में लागू किये जाने के सम्बन्ध में,
		27-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजनान्तर्गत 100 दिन का रोजगार दिये जाने के सम्बन्ध में,
		28-विगत वर्ष प्रदेश में अतिवृष्टि बाढ़ से जो मकान गिर गये थे उनको मकान दिये जाने का जिक्र न किये जाने के सम्बन्ध में,
		29-गेहूँ और धान के समर्थन मूल्य योजना पर किसानों को बोनस दिये जाने का जिक्र न किये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		30-प्रदेश में नये सर्वे के अनुसार 78 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को जीवनयापन का जिक्र न किये जाने के सम्बन्ध में, 31-प्रदेश में किसानों को सिंचाई एवं बच्चों को पढ़ाई हेतु गांवों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में, 32-पूर्वांचल हरित प्रदेश बुन्देलखण्ड अलग राज्य का गठन करने हेतु इस सत्र में पारित किये जाने के सम्बन्ध में, 33-प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को सदियों से दीपावली के मौके पर मिलने वाले बोनस जिसे अभी तक नहीं दिया गया है, को दिये जाने के सम्बन्ध में तथा 34-सचिवालय कर्मचारियों की भांति सी0यू0जी0 सिम व्यवस्था विधान मंडल अधिकारियों/कर्मचारियों को दिये जाने का जिक्र नहीं है।"
5	श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-प्रदेश में दैनिक उपभोग की वस्तुओं की बेतहासा वृद्धि को रोकने के सम्बन्ध में, 2-प्रदेश के कारागारों में आजीवन कारावास बन्दियों की सजा अन्य प्रदेशों की भांति 14 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में, 3-बुन्देलखण्ड राज्य बनाने के पहले सभी जनपदों में बिजली, पानी, सिंचाई, सड़क आदि की सम्पूर्ण व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में, 4-चित्रकूट मण्डल में विश्वविद्यालय खोलवाये जाने के सम्बन्ध में, 5-उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर व उन्नाव की सीमा विवाद को निस्तारित कराने हेतु राजस्व ग्राम भाऊपुर व दूलीखेड़ा की भूमि को वन विभाग के खाते से वापस कराये जाने के सम्बन्ध में, 6-बुन्देलखण्ड में भू-माफियाओं द्वारा जमीन खरीदने, बेचने में करोड़ों रुपये की स्टाम्प चोरी करने की जांच कराने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		7-प्रदेश के कारागारों में बन्द हवालातियों से जिला जेल प्रशासन द्वारा मोलहिना कमान कटाने एवं बैरिक व भोजनालय एवं चिकित्सा के नाम पर प्रति नये बन्दी से रु0 1000/-महीने वसूली करने तथा मैनुअल के अनुसार भोजन न देकर कटौती करने एवं कैन्टीन के सामान को चार गुना ज्यादा रेट पर बेचने की जांच कराने के सम्बन्ध में,
		8-खनिज विभाग द्वारा प्रदेश के व्यापक पैमाने पर हो रहे अवैध खनन की जांच कराने एवं ठेकेदारों से विभाग द्वारा प्रति ट्रक रु0 3000/- से रु0 5000/- गुण्डा टैक्स बालू, मौरंग, गिट्टी में बिना किसी रसीद के लिए जाने की जांच कराने एवं प्रदेश की सड़कों के निर्माण एवं शहरों में बेसमेंट तथा तटबन्धों के निर्माण में अवैध रूप से मिट्टी खनन किये जाने पर करोड़ों के राजस्व घोटाले की जांच के सम्बन्ध में,
		9-बुन्देलखण्ड के जनपदों में फर्जी तरीके से वन विभाग द्वारा नरेगा एवं अन्य योजनाओं से वृक्षारोपण के नाम पर फर्जी पेड़ लगाने एवं रख-रखाव के नाम पर करोड़ों रुपये के घोटाले की सी0बी0आई0 जांच कराने के सम्बन्ध में,
		10-बुन्देलखण्ड में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों को रु0 60/- से रु0 80/- मजदूरी देने की जांच कराकर सभी मजदूरों को कम से कम 100/- मजदूरी दिलाये जाने के सम्बन्ध में,
		11-प्रदेश में सफाई कर्मी में बाल्मीकि समाज के लोगों की भर्ती करने के सम्बन्ध में,
		12-जिला पंचायत राज विभाग बांदा में मानक के विरुद्ध गलत तरीके से की गई नियुक्तियों को निरस्त कर जांच कराने के सम्बन्ध में,
		13-जिला बांदा में तहसील दिवस एवं थाना दिवस पर जनता की शिकायतें न सुनने तथा किसानों को फर्जी मुकदमें में फंसाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में,
		14-उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव सरकार की भांति कन्या विद्या धन, बेरोजगारी भत्ता एवं किसान दुर्घटना बीमा देने के सम्बन्ध में,
		15-जनपद बांदा में यमुना नदी पर बैराज बनाकर किसानों को गंगा नहर की भांति यमुना नहर बनाकर सिंचाई व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश संसदीय प्रकाशन

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		16-उत्तर प्रदेश के कश्यप, निषाद, बिन्द समाज के लोगों को मछुआ आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला योजना में प्राविधान कराये जाने के सम्बन्ध में,
		17-उत्तर प्रदेश के कश्यप, निषाद, बिन्द समाज को बालू, मौरंग, खनन, मत्स्य पालन नदी फेरी घाट का पट्टा दिलाये जाने के सम्बन्ध में,
		18-उ0 प्र0 के निषाद, केवट, मल्लाह, कहार, कश्यप, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, भर, राजभर को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में,
		19-उ0 प्र0 में कश्यप, निषाद, बिन्द समाज को पूर्ववर्ती मुलायम सिंह यादव जी की सरकार द्वारा अनुसूचित जाति में शामिल करने हेतु दिनांक 10 मार्च, 2004, 31 सितम्बर, 2004, 16 मई, 2006, 06 नवम्बर, 2006, 12 जनवरी, 2007 को भारत सरकार को भेजी गयी सिफारिश को वर्तमान मुख्य मंत्री जी द्वारा 06 जून, 2007 को कैबिनेट की बैठक में निरस्त किये जाने पर पुनः उपरोक्त सिफारिश प्रस्ताव भेजे जाने के सम्बन्ध में,
		20-उत्तर प्रदेश में मोची जाति जो उ0 प्र0 की पिछड़ा वर्ग की सूची क्रम संख्या-67 में दर्ज है द्वारा प्रमाण-पत्र न बनवाकर अनुसूचित जाति (चमार) का प्रमाण-पत्र बनाकर सरकारी नौकरियों में व अन्य लाभ लेने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में,
		21-बुन्देलखण्ड में स0 पा0 कार्यकर्ताओं एवं जनता के ऊपर लिखाये गये फर्जी मुकदमों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में,
		22-जनपद वाराणसी में गंगा नदी पर मत्स्य आखेट पर रोक हटाये जाने एवं वन्य जीव विभाग द्वारा उत्पीड़न बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में,
		23-जनपद वाराणसी में नाविकों एवं पर्यटकों के ऊपर लगाये गये वैट को समाप्त करने के सम्बन्ध में,
		24-गंगा नदी, तलहटी, कटरी क्षेत्र को विकसित कर कटरी विकास निगम बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		25-नोएडा से बलिया तक आठ लेन का गंगा हाई-वे बनाये जाने पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश संसदीय

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		26-अम्बेडकर पार्क की भांति प्रदेश के प्रमुख महानगरों में एकलव्य पार्क बनवाने एवं मूर्ति स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में,
		27-विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी बांदा में किसानों को सिंचाई हेतु 100 राजकीय नलकूप लगवाने एवं पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु 500 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगवाये जाने के सम्बन्ध में,
		28-विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी के सभी गांवों में 24 घण्टे बिजली की आपूर्ति कराये जाने एवं ग्राम गड़रिया, अमारा, वेन्दा, जौहरपुर, नरी, सवादा, खप्टिहाकला, दुरेड़ी, मटौंध, ग्रामीण, कनवारा, अमलीकौर आदि के सभी मजरों, पुरवों एवं चटगन, डिघवट, नई बस्ती, शंकरपुरवा, मथुरापुरी, भूरागढ़ के मजरा पहाड़िया, बजवा डेरा आदि गांव में एल0टी0 लाइन बिछाकर विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		29-चिल्ला में राजकीय इण्टर कालेज खुलवाये जाने के सम्बन्ध में,
		30-उत्तर प्रदेश के सभी चौकीदारों को शस्त्र लाइसेन्स दिलाये जाने के सम्बन्ध में,
		31-बुन्देलखण्ड में नगरपालिका एवं टाउन एरिया क्षेत्रों में स्थित राष्ट्रीय मार्गों से गुजरने वाले वाहनों से तहबाजारी शुल्क के नाम पर लिये जा रहे गुण्डा टैक्स को समाप्त करवाये जाने के सम्बन्ध में,
		32-सभी विधायकों को 10-10 कि0मी0 सड़क एवं 10-10 अम्बेडकर ग्राम एवं 10-10 ग्राम विद्युतीकरण कराने एवं 250-250 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प देने के सम्बन्ध में,
		33-उ0 प्र0 के सभी पी0आर0डी0 एवं होमगार्ड जवानों को प्रतिदिन 500/-रुपया दिलाये जाने के सम्बन्ध में,
		34-शिक्षा मित्रों को अध्यापकों की तरह नियमित कराये जाने एवं किसान मित्र, पंचायत मित्र तथा आशा बहू को राजकीय कर्मचारियों की भांति सुविधायें दिलाये जाने के सम्बन्ध में,
		35-जनपद बांदा में यमुना नदी पर बारा-गलौली के बीच पान्टून पुल के स्थान पर पक्का पुल बनवाने एवं इछावर-बिन्दौर के बीच पान्टून पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश संसद

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		36-केन नदी से हो रही कटान को रोकने हेतु ग्राम पैलानी में दियावानी बाबा की मजार को बचाने हेतु खप्टिहाकला, सिन्धनकलां, चटगन को बचाने हेतु पत्थर पिचिंग कराने के सम्बन्ध में,
		37-विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी में कानाखेड़ा नरायढ़, बुधेड़ा, बोधीपुरवा, छोटा पुरवा शेखपुर, पचकौरी, चटगन, बम्बिया, दतरौली आदि सम्पर्क मार्गों को बनवाये जाने के सम्बन्ध में,
		38-मत्स्य विभाग में मछुवा पद पर निषाद, कश्यप, बिन्द समाज के लोगों को आरक्षण कर भर्ती कराये जाने के सम्बन्ध में,
		39-जिला चिकित्सालय बांदा में सिटी स्कैन सुविधा उपलब्ध कराये जाने एवं महिला चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जसपुरा, तिन्दवारी में रिक्त डाक्टरों एवं स्टाफ की कमी को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में,
		40-बुन्देलखण्ड के सभी तहसील दिवसों एवं क्षेत्र पंचायतों की बैठकों में ज्यादातर अधिकारियों की अनुपस्थिति रहने के सम्बन्ध में,
		41-उ0 प्र0 में ब0स0पा0 सरकार द्वारा जिला पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों के अध्यक्षों को गलत ढंग से पुलिस दबाव बनाकर अविश्वास कराये जाने के सम्बन्ध में,
		42-विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी के ग्राम कुण्डाडोल (बहुन्डरी) में उच्च प्राथमिक पाठशाला एवं ग्राम-अमारा के मजरा, रामलाल डेरा, घीहाडेरा खैराह डेरा में प्राथमिक पाठशाला बनवाये जाने के सम्बन्ध में,
		43-निरन्तर बढ़ रही महंगाई तथा थोक व फुटकर मूल्यों में भारी अन्तर को नियंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में,
		44-बेरोजगारों हेतु रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,
		45-प्रदेश में सविता नाई समाज को अनुसूचित जाति में सम्मिलित कर सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में,
		46-भू-गर्भीय जल प्रदूषण के कारण प्रदेश में उत्पन्न हो रही पेयजल समस्या के निदान के सम्बन्ध में,

अद्यतन प्रदेश

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		47-प्रदेश में विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी किये जाने हेतु नई योजनायें बनाकर उसे गम्भीरतापूर्वक क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में,
		48-अधोमानक एवं नकली दवाइयों की बिक्री को पूर्ण रूप से रोकने व इसकी नियमित जांच किये जाने के सम्बन्ध में,
		49-सार्वजनिक वितरण प्रणाली में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त कर पात्र व्यक्तियों को वास्तविक लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में,
		50-राजकीय चिकित्सालयों में अधोमानक दवाईयों की खरीद को तत्काल प्रतिबंधित किये जाने तथा सम्मानित एवं स्तरीय कम्पनियों की दवाओं का अनुमोदन एवं खरीद किये जाने का कड़ाई से अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में,
		51-प्रदेश में बालश्रम अधिनियम का कड़ाई से अनुपालन किये जाने तथा बाल श्रमिकों के कल्याण हेतु चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्रों को दिये जाने व इसकी नियमित जांच किये जाने के सम्बन्ध में,
		52-प्रदेश के पक्षपात पूर्ण तरीके से पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय की गरीब लड़कियों को शादी अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में,
		53-जनपद बांदा में गरीबी के आधार पर सभी पात्र व्यक्तियों को बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय कार्ड दिये जाने के सम्बन्ध में,
		54-जनपद बांदा में विधायकों की वर्ष 2008-09 की विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि एवं बुन्देलखण्ड विकास निधि जिलांश जो फ्रीज कर दी गयी थी, वापस कराये जाने के सम्बन्ध में,
		55-चित्रकूट मण्डल के जनपद बांदा, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर में रेशम विभाग द्वारा किसानों से कालोनी निर्माण एवं रेशम कीट पालन में 5000/-5000/-रुपये रिश्वत लेने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में,
		56-जनपद बांदा में भूमि संरक्षण अधिकारी मैदानी प्रथम, द्वितीय व राष्ट्रीय जलागम द्वारा राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना एवं विभागीय धनराशि से भूमि संरक्षण का कार्य ट्रैक्टरों से कराकर मजदूरी भुगतान की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		57-जनपद बांदा में उद्यान विभाग द्वारा किसानों को दी जाने वाली निःशुल्क व अंशदान की योजनाओं में भारी रिश्वत लिये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में, 58-बी0एड0 बेरोजगार प्रशिक्षित युवकों को विशिष्ट बी0टी0सी0 में भर्ती किये जाने की गारन्टी दिये जाने के सम्बन्ध में, 59-जनपद बांदा के जसपुरा गड़रिया मार्ग में कोयलार नाले पर रपटे का उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में तथा 60-जनपद बांदा में पपरेन्दा हमीरपुर व पपरेन्दा तिन्दवारी मार्ग का शीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।"
6	श्री आरिफ अनवर हाशमी (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-मंहगाई से प्रदेश की जनता बेहद परेशान है, मंहगाई कम करने के सम्बन्ध में, 2-गन्ना की घटतौली रोकने एवं वाजिब दाम किसानों को दिलाये जाने के सम्बन्ध में, 3-प्रदेश में चीनी का दाम लगातार बढ़ रहा है उसे घटाये जाने के सम्बन्ध में, 4-प्रदेश में ध्वस्त हुई कानून-व्यवस्था को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में, 5-प्रदेश में ठण्ड से मरने वाले लोगों के परिवारों को सहायता राशि दिये जाने के सम्बन्ध में, 6-प्रदेश में ठण्ड से गरीबों को बचाने के लिए अलाव एवं रैन बसेरा की व्यवस्था न किये जाने के सम्बन्ध में, 7-प्रदेश के किसानों की समुचित खाद उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में, 8-प्रदेश के किसानों खासकर गोण्डा एवं बलरामपुर के कृषकों का धान सरकारी एजेन्सियों द्वारा न खरीदे जाने के सम्बन्ध में, 9-जनपद बलरामपुर को सरकार द्वारा सूखा घोषित किये जाने के बावजूद भी सरकार द्वारा कोई सुविधा न दिये जाने के सम्बन्ध में,

अनुवाद पटल

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		10-जनपद बलरामपुर में सूखा घोषित होने के बावजूद भी इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प बहुत कम लगाये गये हैं अतिरिक्त इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प न दिये जाने के सम्बन्ध में,
		11-जनपद बलरामपुर के तहसील उतरौला में कुआनो-नदी पर अमंघटी घाट पकड़ी भुआल में बलुआघाट का पुल, इटई अब्दुल्ला पुल के निर्माण के सम्बन्ध में,
		12-सादुल्लानगर ककरघटा मार्ग बिसही नदी पर पक्के पुल का निर्माण के सम्बन्ध में,
		13-कृषि विभाग द्वारा उतरौला जनपद बलरामपुर में कृषि मण्डी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		14-बाराबंकी-जरवल-गोण्डा क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		15-उतरौला तहसील मुख्यालय से बलरामपुर जिला मुख्यालय आसाम रोड को चौड़ीकरण करके निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		16-गोण्डा से बलरामपुर क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		17-उतरौला से गोण्डा तक क्षतिग्रस्त मार्ग का चौड़ीकरण कर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		18-भंसहवा बाबागंज मार्ग पर बने पुल का एप्रोच बनाकर मार्ग को गड्ढामुक्त निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		19-मसकनवां से चन्ददीप घाट मार्ग का चौड़ीकरण कर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		20-अल्लीपुर से बकसरिया ग्रण्ट मार्ग नदी पर इटहिया घाट पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		21-विधान मण्डल के पूर्व सदस्यों की विधवाओं को पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में,
		22-जनपद बलरामपुर में रेहरा बाबागंज मार्ग से बढ़या फरीद मार्ग 2 कि0मी0 मार्ग का पक्का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में तथा
		23-जनपद गोण्डा में अम्बेडकर ग्राम तरैनी से शहियापुर भिरवा मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
7	श्री अनूप कुमार गुप्ता (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पौराणिक होली परिक्रमा मेला मिश्रिख हेतु समुचित अनुदान स्वीकृत करने के सम्बन्ध में एवं प्रान्तीय मेला घोषित किये जाने के सम्बन्ध में, 2-मिश्रिख होली परिक्रमा मेला एवं नैमिषारण्य मासिक अमावस्या मेला हेतु मासिक सहायता पैकेज न्यूनतम 1,00,000.00 (एक लाख मात्र) शासन द्वारा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में, 3-नगरी क्षेत्र नैमिषारण्य छात्राओं हेतु शासन द्वारा महाविद्यालय स्थापित कराने के सम्बन्ध में, 4-मिश्रिख नैमिषारण्य को पर्यटन क्षेत्र घोषित कर पर्याप्त संसाधन शासन द्वारा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में, 5-उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पौराणिक तीर्थ मिश्रिख के दधीचि कुण्ड की जल आपूर्ति एवं जल निकासी ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में, 6-उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मिश्रिख तहसील में मुंसिफ कोर्ट की जल्द स्थापना के सम्बन्ध में, 7-उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चौरासी कोसीय परिक्रमा मिश्रिख नैमिषारण्य के अन्तर्गत आने वाले सभी पड़ावों पर रैन बसेरों, सामुदायिक शौचालयों की स्थापना व समस्त मार्ग पेन्टिंग कराये जाने के सम्बन्ध में, 8-उत्तर प्रदेश शासन द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सालय नैमिषारण्य का भवन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 9-लघु डाल सिंचाई विभाग उ0 प्र0 द्वारा संचालित लिफ्ट कैनाल नैमिषारण्य सीतापुर का जनहित में विद्युत यांत्रिक संयंत्रों को नवीनीकृत कर पूर्ण रूप से संचालित करने के सम्बन्ध में, 10-उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सालय कादीनगर ब्लाक मिश्रिख भवन के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 11-उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नया पशु चिकित्सालय ग्राम मनिकापुर (सीतापुर) में खोलने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		12-उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ग्राम कुतुबनगर ब्लाक मिश्रिख (सीतापुर) में राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में,
		13-ग्राम आट ब्लाक मिश्रिख ग्राम गडासा ब्लाक पिसावा में किराये पर संचालित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के भवनों हेतु शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में,
		14-उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मिश्रिख, पिसावा, महौली में अग्निशमन दल की स्थापना के सम्बन्ध में,
		15-उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मिश्रिख नैमिषारण्य की धार्मिक मेले हेतु रैन बसेरों, स्वच्छ सामुदायिक शौचालयों, स्ट्रीट लाइटों एवं मार्गों के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में,
		16-उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महोली को जनपद सीतापुर की नई तहसील बनाने के सम्बन्ध में,
		17-उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जनपद सीतापुर के राईस मिलों में खरीदे गये धान के अनुसार निर्धारित लक्ष्य (लेवी) बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,
		18-न्याय पंचायत ततरोई ब्लाक मिश्रिख के अन्तर्गत जो मंजरे विद्युत आपूर्ति विहीन है उन्हें नेडा विभाग द्वारा ऊर्जा कृत कराये जाने के सम्बन्ध में,
		19-नेडा विभाग द्वारा ब्लाक पिसावा, मिश्रिख, महौली, एलिया में अनुदान पर ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों को सोलर संयंत्रों की नगद मूल्य पर आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,
		20-पर्यटन विभाग उ0 प्र0 द्वारा मिश्रिख विधान सभा क्षेत्र के सभी धार्मिक एवं पौराणिक स्थलों (चित्रकूट धाम भिठौली, दादामियां आंट, ग्राम कुतुबनगर की मजार रुद्रवर्त तीर्थ ग्राम अरबापुर, द्रोणाचार्य घाट ग्राम दधनामऊ, मुल्लाभीरी, देव स्थान ब्लाक पिसावा, बाबा यादव दास जी का स्थान, ग्राम भिठोरा एवं नैमिषारण्य मां शीतलादेवी का स्थान) तथा ग्राम भिठोरा, मछरेहटा के मां छमेकायो के स्थान को समुचित सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		21-लघु सिंचाई विभाग उ0 प्र0 द्वारा मिश्रिख, पिसावां महौली, के कृषकों को निःशुल्क बोरिंग का अधिक से अधिक लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		22-पंचायतराज विभाग द्वारा विकास खण्ड मिश्रिख में पौराणिक तीर्थ होने के नाते एक अतिथिगृह की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में,
		23-ग्राम्य विकास विभाग द्वारा स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजनान्तर्गत ब्लाक मिश्रिख, पिसावां समूहों के व्यवसाय हेतु ग्रामों के भवनों का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में,
		24-ब्लाक मिश्रिख पिसावां महोली, में सिंचाई विभाग द्वारा पांच-पांच राजकीय नलकूपों की स्थापना करवाये जाने के सम्बन्ध में,
		25-उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पिसावां में राजकीय महाविद्यालय एवं कन्या महाविद्यालय शासन द्वारा खोले जाने के सम्बन्ध में,
		26-उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मिश्रिख विधान सभा के क्षेत्र के सभी उन ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में जिन ग्रामों में विद्युतीकरण नहीं हुआ है,
		27-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत ब्लाक मिश्रिख, पिसावां महोली के अन्तर्गत अवशेष मजरों का पुनः सर्वे कराकर विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		28-उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शवदाह गृह-मिश्रिख, शवदाह गृह नैमिषारण्य जनपद सीतापुर का अविलम्ब किसी संस्था को वित्त पोषण कर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		29-उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्राथमिक स्वा0 केन्द्र मिश्रिख, प्राथमिक स्वा0 केन्द्र मनिकापुर, प्राथमिक स्वा0 केन्द्र बहेरवा, जनपद सीतापुर को उच्चीकरण कर सी0एच0सी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,
		30-उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सामुदायिक स्वा0 केन्द्र मिश्रिख (सीतापुर) तीर्थ स्थल का चिकित्सालय है, यहां पर ट्रामा सेन्टर, अस्थि रोग विभाग सृजित कराये जाने एवं मानक से चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में,
		31-जल निगम उ0 प्र0 द्वारा विकास खण्ड मिश्रिख,, पिसावां, महोली के ग्रामों, मजरों में शीघ्र शासनादेश के क्रम में सर्वे करके इण्डिया मार्का-2 नलों की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		32-उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ग्राम पिसावां, ग्राम कुतुबनगर, ग्राम ऑट बहुत बड़े आबादी के गांव हैं, इनका सर्वे कराकर नगर पंचायत का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में, 33-उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिल्ली स्थित यू0पी0 भवन का विस्तार अथवा नोएडा या दिल्ली में विधायकों के रहने हेतु दूसरे नवीन भवन का निर्माण जल्द से जल्द कराये जाने के सम्बन्ध में तथा 34-सीतापुर से लखनऊ तक बन रही चार लाइन की सड़क में किसानों एवं व्यापारियों की अधिग्रहण की गई जमीन का मुआवजा डी0एम0 सर्किल रेट की दर से दिये जाने के सम्बन्ध में।"
8	श्री रियाज अहमद (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-जनपद पीलीभीत के अमरिया ब्लाक के किसानों की मण्डी में अपनी फसल को ले जाने के लिए ग्राम भिखारीपुर के आगे भंगा मोहम्मदगंज के पास खकरा नदी पर पुल के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 2-जनपद पीलीभीत का सबसे अग्रणी ब्लाक अमरिया खेती उत्पादन में होते हुए अमरिया ब्लाक के मुख्यालय पर मण्डी समिति द्वारा मण्डी स्थल बनाये जाने के सम्बन्ध में, 3-अमरिया क्षेत्र की आये दिन बिजली की समस्या के निदान के लिए अमरिया क्षेत्र को शहरी क्षेत्र से जोड़े जाने के सम्बन्ध में, 4-राष्ट्रीय मार्ग-76 जो कि जहानाबाद नगर पंचायत के आगे से अमरिया तक अत्यन्त ही जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है जिससे भारी वाहनों का आवागमन ठप है, को अविलम्ब ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में, 5-मझोला बिरहनी मार्ग के कटैया हरदासपुर मार्ग को लोक निर्माण बिभाग द्वारा ठीक किये जाने के सम्बन्ध में, 6-हरदासपुर से कुलारा मार्ग लोक निर्माण विभाग द्वारा ठीक न किये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		7-मझोला-बिरहनी मार्ग से ग्राम बिरहनी तक के लगभग 2 कि0मी0 मार्ग लोक निर्माण विभाग द्वारा मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,
		8-पीलीभीत शहर वासियों एवं जनपद वासियों के किसानों की सबसे बड़ी भयंकर समस्या नौगवां रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज अविलम्ब बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		9-जनपद पीलीभीत की तहसील पीलीभीत के सबसे बड़े ग्राम अमरिया-भिखारीपुर एवं परेवा वैश्य तथा नौगवां पकड़िया को टाउन एरिया (नगर पंचायत) बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		10-पीलीभीत में भू-माफियाओं द्वारा वक्फ की जमीन पर किये गये अवैध कब्जे को अविलम्ब खाली कराये जाने के सम्बन्ध में,
		11-पीलीभीत शहर में डिरमण्ड इण्टर कालेज पीलीभीत के मुख्य द्वार के सामने स्थित एक खूबसूरत तालाब का सौन्दर्यीकरण किये जाने तथा तालाब के कागजों में हेरा-फेरी करके कुछ भाग पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा एवं पटान को रोकने एवं पटाये गये भू-भाग को दोबारा खुदान कराये जाने के सम्बन्ध में,
		12-पीलीभीत शहर में मशहूर घन्नई के तालाब जिसका धार्मिक आस्था से भी सम्बन्ध है, सौन्दर्यीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,
		13-पीलीभीत शहर में दो नदियों, खकरा नदी एवं देवहा नदी के संगम पर ब्रह्मचारी घाट को कटान से बचाये जाने के सम्बन्ध में,
		14-खकरा नदी के कटान के मोहाने पर ग्राम चन्दोई एवं एच0आर0के0 ला कालेज को बचाये जाने के सम्बन्ध में,
		15-जनपद पीलीभीत प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से गन्ना उत्पादक में प्रथम स्थान है और जनपद पीलीभीत में पांच चीनी मिलें कार्यरत भी हैं, इन चीनी मिलों में गन्ना की किसानों द्वारा की गई सप्लाई के दाम 300/-रुपये कुन्तल दिलाये जाने के सम्बन्ध में,
		16-जनपद पीलीभीत प्रदेश में कई बार सबसे ठण्डा जनपद रहा इस कारण इस वर्ष जाड़े से कई मौतें हो गईं, मरने वाले गरीबों को मुआवजा दिलाये जाने एवं आगे ठण्ड से होने

उत्तर प्रदेश राज्य

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		वाली मौत एवं बीमारी की रोकथाम के उपाय अविलम्ब किये जाने के सम्बन्ध में, 17-जनपद पीलीभीत में उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वन क्षेत्र है, पीलीभीत जनपद इसी वन के किनारे बसा हुआ जनपद होने के कारण किसानों को नीलगाय (नीला घोड़ा) के आतंक से बुरी तरह से पीड़ित हैं, किसानों की हो रही फसलों की बर्बादी को रोके जाने के सम्बन्ध में एवं नील गायों से छुटकारा दिलाये जाने के सम्बन्ध में, 18-जनपद पीलीभीत की सबसे पुरानी नगर पंचायत जो कि 1906 से नगर पंचायत है को नगरपालिका परिषद् बनाये जाने के सम्बन्ध में तथा 19-शहर पीलीभीत में नगर पालिका परिषद् पीलीभीत की मोहल्ला अशरफ खां, वशीर खां, ड़ालचन्द, बेनी चौधरी, छोटा-बड़ा खुदागंज, शहर मोहम्मद एवं मोहम्मद बासिल की जीर्ण-शीर्ण गलियों को सीमेन्टेड निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।"
9	श्री राजाराम त्यागी (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-रायबरेली जनपद के बछरावां वि0खं0 के तहसील मुख्यालय पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट के कार्यालय के स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में, 2-रायबरेली जनपद के महराजगंज तहसील मुख्यालय पर फायर बिग्रेड की स्थापना के सम्बन्ध में, 3-रायबरेली के बछरावां नगर मुख्यालय में अधूरे पड़े रफी अहमद पार्क को पूरा कराने के सम्बन्ध में, 4-रायबरेली नगर में 24 घण्टे तथा ग्रामीण क्षेत्र में 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में, 5-रायबरेली जनपद के बछरावां तथा महराजगंज वि0 खण्ड में प्रत्येक वि0 खण्ड में कम से कम पांच राजकीय नलकूप दिये जाने के सम्बन्ध में, 6-रायबरेली जिले के महराजगंज वि0 ख0 के हलोर गांव में पूर्व में खसरा में अंकित प्र0 स्वा0 केन्द्र की जमीन के बाद भी प्रा0 स्वा0 केन्द्र खुलवाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		7-शिवगढ़ वि0ख0 जनपद रायबरेली में राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में,
		8-जीर्ण शीर्ण शिवगढ़ बस स्टेशन की मरम्मत तथा बसें वहां रुकने के सम्बन्ध में,
		9-बछरावां वि0 खण्ड के समोहदा नामक ग्राम में एक बड़ी झील के सौन्दर्यीकरण कराने के सम्बन्ध में,
		10-रायबरेली जनपद के महराजगंज वि0ख0 के मझिगवां ग्राम से हिन्दूगंज तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		11-बछरावां वि0खण्ड के तमनपुर गांव से नगराम (लखनऊ) तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		12-बछरावां, महराजगंज तथा शिवगढ़ वि0 खण्ड की टूटी सड़कों को मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,
		13-उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 की सहयोगी कम्पनी नन्दगंज सिरोही शुगर कम्पनी लि0 दरियापुर चीनी मिल के शुरू कराने के सम्बन्ध में,
		14-महराजगंज रायबरेली जनपद के अन्तर्गत महराजगंज ड्रेन पर ग्राम अतरेहटा कोडरी H/0 मोन पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		15-महराजगंज इन्हौना मार्ग से कुशमहुरा तक सड़क मरम्मत कराने के सम्बन्ध में,
		16-रायबरेली जनपद के महराजगंज वि0ख0 के काटेवा मोहम्दाबाद से गंगापुर कूटी तक सड़क पक्की कराने के सम्बन्ध में,
		17-शिवगढ़ वि0ख0 के गूढ़ा से केशर खेड़ा वाया कोइली खेड़ा तक पक्की सड़क बनवाने के सम्बन्ध में,
		18-रायबरेली जनपद के महराजगंज वि0 खण्ड के सलेथू से हसनपुर तक सड़क पक्की कराने के सम्बन्ध में,
		19-महराजगंज व शिवगढ़ में कन्या डिग्री कालेज खोलने के सम्बन्ध में तथा
		20-बछरावां में नवीन मण्डी स्थल बनाने के सम्बन्ध में।"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
10	डा0 आर0ए0 उस्मानी (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-प्रदेश के समस्त मोउल्लिम उर्दू डिग्री धारकों को बी0टी0सी0 के समकक्ष मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में तथा मोअल्लिम उर्दू डिग्री धारकों को बेसिक शिक्षा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में सहायक अध्यापकों के पदों पर रखे जाने के सम्बन्ध में, 2-प्रदेश में मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति निवारण अधिनियम के समकक्ष मुस्लिम/अल्पसंख्यक जाति निवारण अधिनियम लागू किये जाने के सम्बन्ध में, 3-प्रदेश पुलिस थानों में मुस्लिम समाज के 15 प्रतिशत इन्चार्ज रखे जाने के सम्बन्ध में, 4-उ0प्र0 के अनुसूचित जाति से बद्तर जिन्दगी व्यतीत करने वाले जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में, 5-प्रदेश के समस्त बेरोजगारों को जब तक रोजगार नहीं मिल जाता है तब तक उनको बेरोजगारी भत्ता देने के सम्बन्ध में, 6-जनपद लखीमपुर-खीरी के जिला मुख्यालय की रेलवे क्रासिंग पर जाम की समस्या के निजात के लिये ओवर ब्रिज के निर्माण के सम्बन्ध में, 7-जनपद लखीमपुर-खीरी के तराई क्षेत्र को जोड़ने वाले पचपेड़ीघाट के पुल निर्माण के सम्बन्ध में, 8-प्रदेश के सभी कर्बला, कब्रिस्तानों एवं वक्फ की सम्पत्तियों से अवैध कब्जा हटवाकर उनकी चहारदीवारी बनवाने के सम्बन्ध में, 9-उ0प्र0 के सभी गरीबों के कच्चे/फूस के घरों को पक्के बनवाने हेतु 50,000/-रु0 प्रति आवास देकर सभी को पक्का घर बनवाने के सम्बन्ध में, 10-प्रदेश में दैवी आपदा से पीड़ित परिवारों को दिया जाने वाला अनुदान 3000/-रु0 से बढ़ाकर 50,000/-रु0 किये जाने एवं मृतक आश्रितों को दस लाख रु0 दिये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		11-प्रदेश के गन्ना किसानों को 400 /-रु0 प्रति कुण्टल गन्ने के मूल्य का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में,
		12-प्रदेश के सभी विधायकों को सम्मान देते हुये नौकरशाहों से अधिक सहूलियतें दिये जाने के एवं प्रोटोकाल के हिसाब क्लर्क का वेतन न देकर उच्चाधिकारियों के वेतन से अधिक वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में,
		13-प्रदेश के सभी भूतपूर्व विधायकों के विधवाओं के कष्टमय जीवन को देखते हुये उनको पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में,
		14-श्रीनगर विधान सभा क्षेत्र के सभी गांवों तक मजरों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		15-जनपद लखीमपुर-खीरी के विकासखण्ड-बिजुआ के नब्बूपुरवां गांव में तथा विकास खण्ड फूलबेहड़ के ग्राम बहाली पुरवा मजरा बड़ा गांव में विद्युतीकरण कराये जाने हेतु,
		16-जनपद लखीमपुर-खीरी में बाढ़ रोकने हेतु लखीमपुर से सटी नेपाल सीमा पर स्थाई पक्का बांध बनाये जाने एवं जनपद की शारदा, घाघरा, गोमती, सरयू, कौडियाला नदियों को आपस में साइफन द्वारा आपस में मिलाकर ज्यादा पानी कम पानी वाली नदी में भेजने हेतु,
		17-उ0प्र0 में कश्यप, कहार, गोड़िया, मल्लाह निषाद, समाजभर, राजभर, मुस्लिम धोबी, मुस्लिम जुलाहे, मुस्लिम बद्दाक आदि जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में,
		18-225225 इण्डिया मार्का-द्वितीय हैण्ड पम्प मा0 विधायकों के कोटे में दिये जाने के सम्बन्ध में,
		19-प्रदेश में विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में कोई योजना प्रस्तावित न करने के सम्बन्ध में,
		20-ऊसर-बंजर भूमि के सुधार के सम्बन्ध में योजना लागू करने के सम्बन्ध में,
		21-नहरों की सफाई तथा सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में,
		22-नकली दवाइयों की रोकथाम के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		23-जनपद लखीमपुर-खीरी के तहसील लखीमपुर के अन्तर्गत ग्राम मथना में हाजी साहब की मथना मजार सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में, 24-जनपद लखीमपुर-खीरी के तहसील लखीमपुर के राजस्व ग्राम करदहिया मानपुर जंगल नम्बर-11 में शारदा नदी द्वारा कटाव को रोकने हेतु ठोकर लगवाने हेतु, 25-जनपद लखीमपुर-खीरी में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को शादी अनुदान न दिये जाने के सम्बन्ध में, 26-जनपद लखीमपुर-खीरी में सूचना डायरी न छपने के सम्बन्ध में, 27-जनपद लखीमपुर-खीरी के रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन खिड़की 4 बजे शाम तक खुलती है। खुलने का समय रात्रि 8.00 बजे तक करने के सम्बन्ध में, 28-उ0प्र0 के सभी विधायकों के रेलवे कूपनों से तत्काल रेलवे टिकट बनाये जाने के सम्बन्ध में, 29-उ0प्र0 के सभी विधायकों को सरकारी दूरभाष नम्बरों पर इण्टरनेट की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में, 30-उ0प्र0 के सभी भूतपूर्व विधायकों की पत्नियों को पेंशन व अन्य सुविधायें दिये जाने के सम्बन्ध में तथा, 31-जनपद लखीमपुर-खीरी महेवागंज से झमपुरवा लिंक मार्ग पर परसियाघाट पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में।"
11	श्री शैलेन्द्र यादव ललई (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-उ0प्र0 मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना में आबादी के अनुसार कम से कम 55% पिछड़े वर्ग तथा आबादी के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग के 15% आबादी को आरक्षण मिलने के सम्बन्ध में, 2-महंगाई को कम करने के लिये प्रदेश सरकार वैट समाप्त करने का काम करे तथा जमाखोरों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में, 3-गन्ना किसानों को कम से कम 300 रुपया प्रति कुन्टल दाम तथा इस पेराई सत्र में गन्ना देने वाले सभी किसानों को एक दाम (300/कि0) दिये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		4-प्रदेश के थानों में पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के थानेदारों का आरक्षण के अनुसार थाना प्रभारी बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		5-धान के किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य न मिलने से सरकारी खरीद न होने के कारण आधे से कम दाम में किसान धान बेचने को विवश होने के फलस्वरूप किसान के पास उपलब्ध धान का सरकार द्वारा खरीदने का प्रभावी इन्तजाम करने के सम्बन्ध में,
		6-पिछले बुवाई सत्र में किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद न मिलने से सरकार द्वारा आगामी सत्र के लिये इन्तजाम करने के सम्बन्ध में,
		7-किसानों को दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा पर्याप्त आर्थिक मदद तथा बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		8-सरकारी ठेकों में अनुसूचित जाति की तरह पिछड़े वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के लिये भी आबादी के अनुसार सरकार द्वारा आरक्षण करने के सम्बन्ध में,
		9-पुराने राजमार्गो को सरकार प्राथमिकता के आधार पर चौड़ीकरण करने के सम्बन्ध में,
		10-मा0 कांशीराम शहरी आवास योजना में पिछड़े वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग को आबादी के अनुसार आरक्षित करते हुये आवंटित करने के सम्बन्ध में,
		11-डा0 अम्बेडकर ग्रामों में अनु0 जाति के भांति पिछड़े वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग को भी जमीनों का पट्टा, आवास, पेंशन व अन्य सुविधायें प्राथमिकता के आधार पर आबादी के अनुसार तथा अनु0 जाति के बस्तियों की तरह इन वर्गों को बस्ती में भी पक्की सड़कें, नाली व सोडियम लाइट लगाने के सम्बन्ध में,
		12-प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाओं का अभाव है, इसे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,
		13-प्रदेश में विद्युत वितरण अत्यधिक खराब स्थिति में है, देहातों में कम से कम 18 घण्टे व शहरों में कम से कम 22 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		14-प्रदेश के बंटवारे की बात राजनीति के तहत की जा रही है, प्रदेश के बंटवारे में विकास रुकेगा तथा अपराध व गरीबी बढ़ेगी। प्रदेश का बंटवारा न होने तथा समस्त क्षेत्रों का समुचित विकास होने के सम्बन्ध में,
		15-लखनऊ, पटना (मांझी घाट) राजमार्ग पर सुल्तानपुर बाईपास से सूरापुर जौनपुर जनपद की सीमा तक मार्ग को अविलम्ब चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,
		16-इलाहाबाद, गोरखपुर जंगी मार्ग (ए0जी0मार्ग) पर मुंगेराबाद शाहपुर से शाहगंज होते हुये अहिरौला अतरौलिया होते हुये कम्हरिया घाट तक का मार्ग को अविलम्ब चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,
		17-जनपद जौनपुर के खुटहन में 132 के0वी0ए0 का पावर स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		18-जनपद जौनपुर के शाहगंज स्थित चीनी मिल को अविलम्ब नई क्षमता के साथ चालू किये जाने के सम्बन्ध में,
		19-जनपद जौनपुर के अखण्ड नगर, त्रिकौलिया मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,
		20-जनपद जौनपुर के बदलापुर तहसील मुख्यालय को अविलम्ब नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में,
		21-वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल वि0वि0 में अविलम्ब मेडिकल कालेज की स्थापना करने के सम्बन्ध में,
		22-जनपद जौनपुर तहसील मुख्यालय शाहगंज जी0आई0सी0 राजकीय महाविद्यालय तथा पालीटेक्निक कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,
		23-जनपद जौनपुर के सभी नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों में अनिवार्य रूप से कम से कम 22 घण्टे विद्युत आपूर्ति व जनपद के देहाती क्षेत्रों में कम से कम 20 घण्टे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,
		24-जौनपुर जनपद के नगर पालिका शाहगंज के विकास हेतु कम से कम 20 करोड़ रुपया व नगर पंचायत खेता सराय के विकास हेतु कम से कम 10 करोड़ रुपया इसी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में तथा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		25-जनपद जौनपुर के विकास खण्ड सोधी व खुटहन व सुइथाकलां से कुछ क्षेत्रों को निकाल कर मिलाते हुये एक शाहगंज के नाम से अलग विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में।"
12	श्री विशम्भर सिंह यादव (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-बबेरू विधान सभा के विकास खण्ड कमासिन में वर्षों से लम्बित कठार पम्प कैनाल योजना का कार्य शुरू किये जाने के सम्बन्ध में, 2-औगासी पम्प कैनाल की 150 क्यूसेक क्षमता को बढ़ाकर 250 क्यूसेक किये जाने के सम्बन्ध में, 3-ममसी गांव विकास खण्ड कमासिन, बांदा में वागै नदी पर पम्प कैनाल बनाये जाने के सम्बन्ध में, 4-औगासी में यमुना नदी पर पुल एवं यमुना पर बैराज बनाये जाने के सम्बन्ध में, 5-मऊ से चन्द्रेलनपुरवा श्योहरा पुरवा होते हुये कमासिन दादौ रोड तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 6-कमासिन राजपुर मार्ग से जनरेहीनाथ, बन्थरी, ममसी होते हुये सिंहपुर तक रोड के बीच अवशेष भाग का तत्काल डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, 7-उतरवां गांव के बागै नदी पर बांदा चित्रकूट को सीधे जोड़ने के लिये पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में, 8-महंगाई से निपटने के लिये सरकार की योजना का उल्लेख न किये जाने के सम्बन्ध में, 9-किसानों के लिये खाद, बीज एवं टेल पर बसे कमासिन क्षेत्र के किसानों को पानी देने की योजना का उल्लेख न किये जाने के सम्बन्ध में, 10-बुन्देलखण्ड के विधायकों को सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड विकास निधि का 2008-2009 की राशि की चोरी करने तथा पार्कों में खर्च करने का उल्लेख न किये जाने और राशि विधायकों को विकास के लिये दिये जाने के सम्बन्ध में, 11-ग्राम खरौली से अण्डौली पुरवा और पाली पुरवा को सड़क से जोड़ने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		12-ग्राम मऊ से पनियारी पुरवा को सड़क से जोड़ने के सम्बन्ध में तथा 13-ग्राम-कलक्टरपुर घोषण को सड़क से जोड़ने के सम्बन्ध में।"
13	श्री कैलाश चौरसिया (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-मिर्जापुर में प्रस्तावित जो कार्य प्रारम्भ हुआ है आई0टी0इंजीनियरिंग कालेज को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में, 2-भटौली पुल जनपद मिर्जापुर को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में, 3-चुनार पुल को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में, 4-विन्ध्याचल देवी मंदिर व शहर में 24 घण्टा बिजली आपूर्ति दिये जाने के सम्बन्ध में, 5-जनपद मिर्जापुर के छानबे क्षेत्र छानबे बीघा जमीन को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में, 6-जौनपुर तिराहे से वाईपास बनाकर जनपद मिर्जापुर चन्दईपुर में मिलाये जाने के सम्बन्ध में, 7- सबरी जनपद मिर्जापुर के ओवरब्रिज बनाने के सम्बन्ध में, 8-जनपद मिर्जापुर के सगमोहाल रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनाने के सम्बन्ध में, 9-मिर्जापुर में पीतल उद्योग को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में। बैट कर से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में, 10-महिला डिग्री कालेज जनपद मुख्यालय पर नया डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में 11-एल0एल0बी0 की पढ़ाई के लिए जनपद मिर्जापुर में महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में, 12-जनपद मिर्जापुर के जिला चिकित्सालय में प्रत्येक तरह की दवाईयां उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 13-जनपद मिर्जापुर की जिला स्तर पर गम्भीर रोगियों के इलाज हेतु व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		14-जनपद मिर्जापुर के बी0पी0एल0 कार्ड को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 15-गंगा कटान को रोकने हेतु जनपद मिर्जापुर में पर्याप्त व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में, 16-मुकेरी बाजार शहर मिर्जापुर से विन्ध्याचल नाला की मरम्मत एवं सफाई किये जाने के सम्बन्ध में, तथा 17-मिर्जापुर शहर में फ्लोराइड युक्त पानी सप्लाई से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हे रोकने के लिए आवश्यक व्यवस्था के सम्बन्ध में।"
14	श्री कृष्ण गोपाल पटेल (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-56 निघासन में शारदा नदी के कटान से जिला पीलीभीत व लखीमपुर खीरी की सीमा से लगे गांव गोविन्द नगर व अन्य गांवों के कटान को रोकने के लिये ठोकर लगाये जाने के सम्बन्ध में, 2-56 निघासन के मोहना नदी जो नैपाल से आती है उसके कटान से प्रभावित गांव दाराभूजी, इन्दिरानगर, सूरतनगर के कटान को रोकने के लिये ठोकर लगाये जाने के सम्बन्ध में, 3-दुधवा नेशनल पार्क के जानवरों से किसानों की फसल व ग्रामवासियों की शारीरिक क्षति को रोकने के लिये पार्क के चारों तरफ तार की बैरीकेटिंग किये जाने के सम्बन्ध में, 4-लखीमपुर से बिलरायां मार्ग को जोड़ने के लिये शारदा नदी पचपेड़ी घाट के स्वीकृत पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 5-निघासन में जोरा नाले पर स्वीकृत पुल का निर्माण कराया जाय जिससे खैरीगढ़, शीतलापुर, उधोनगर, पचपेड़ी ग्रामों की सिंगोही टाउन एरिया से जोड़े जाने के सम्बन्ध में, 6-पलिया में शारदा नदी के निर्माणाधीन पुल के कार्य को तेजी से कराया जाये जिससे जल्द आवागमन शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में, 7-पलिया से निघासन स्वीकृत मार्ग का कार्य तेजी से कराया जाए, जिसके कारण क्षेत्र वासियों को हो रही परेशानियों से जल्द निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		8-निघासन से बिलसंया मार्ग व तिकुनिया कौडियाला घाट जो सिक्खों का तीर्थस्थल व गुरुद्वारा है तक निर्माण कार्य तेजी से कराये जाने के सम्बन्ध में,
		9-पलिया से सम्पूर्णानगर होते हुए खंजुरिया-गोविन्दनगर मार्ग जो जर्जर हालत में है जिस पर आवागमन प्रभावित हो रहा है, आये दिन दुर्घटना होती है जिसका चौड़ीकरण करवा कर बनवाने के सम्बन्ध में,
		10-चन्दन चौकी से गौरीफण्डा मार्ग जो स्वीकृत है जिस पर कार्य की प्रगति नगण्य है पत्थर पड़ा है। यह रोड नैपाल बार्डर तथा थारू जनजाति के गांवों को जोड़ती है। जिसका निर्माण अविलम्ब कराये जाने के सम्बन्ध में,
		11-नगरपालिका पलिया की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह बाधित है। कोई निर्धारित समय नहीं है। कब बिजली आती है कब चली जाती है जिससे जनता में विद्युत आपूर्ति को लेकर प्रशासन से टकराव की स्थिति बनी रहती है विद्युत आपूर्ति 18 घण्टे समयानुसार सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,
		12-मजगई एक बड़ा कस्बा है जिसमें विद्युत की लाइन 35 किमी0 के दायरे में फैली है जिससे आये दिन विद्युत खराब रहने से विद्युत बाधित होती है। अतः मजगई में 33 के0वी0ए0 का विद्युत सब-स्टेशन बनाकर ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,
		13-किसानों के लिये विद्युत आपूर्ति का समय निर्धारित करते हुए कड़ाई से पालन किया जाय तथा समयानुसार किसानों को बिना किसी ब्रेक डाउन के विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,
		14-निघासन विधान सभा क्षेत्र में खराब विद्युत ट्रान्सफार्मरों को बदलकर नये ट्रान्सफार्मर लगाये जाए तथा खराब ट्रान्सफार्मरों की अवधि का बिल किसानों को माफ किये जाने के सम्बन्ध में,
		15-मण्डी विकास परिषद् द्वारा 56 निघासन विधान सभा क्षेत्र की सभी खराब सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,
		16-56 निघासन विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाओं का अभाव है तथा ग्रामीण अंचलों के अधिकांश चिकित्सालयों में महिला डाक्टरों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां किये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		17-प्रदेश के सभी चीनी मिलों द्वारा किसानों का बकाया गन्ना मूल्यों के सम्यक् तथा शत-प्रतिशत गन्ने का भुगतान अविलम्ब कराये जाने के सम्बन्ध में,
		18-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वास्तविक पात्रों को बी0पी0एल0 कार्ड का वितरण किया जाए तथा अपात्र व्यक्तियों के बी0पी0एल0 कार्ड निरस्त किये जायं साथ ही लखीमपुर खीरी का कम किया गया खाद्यान्न कोटा बढ़ाकर गरीब लोगों को गेहूं, चावल व मिट्टी का तेल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,
		19-बहुजन समाज पार्टी के विधायकों, कार्यकर्ताओं द्वारा खुलेआम अराजकता एवं आतंक बनाये हुए हैं तथा जनता का शोषण न कराये जाने के सम्बन्ध में,
		20-दुधवा नेशनल पार्क पलिया में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिये 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,
		21-जनपद लखीमपुर खीरी में शारदानगर के दोनों तरफ पक्के बन्धे बनाये जाने के सम्बन्ध में जिससे हर वर्ष किसानों की हजारों एकड़ भूमि बाढ़ के पानी से कट जाती है तथा तमाम गांव भी कट जाते हैं। अतः शारदा नदी की तबाही से रोकने के सम्बन्ध में,
		22-जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील पलिया व तहसील निघासन में शारदा नदी में आई बाढ़ के पानी से किसानों की धान व गन्ने की फसल नष्ट हो गई है। नष्ट हुई फसल का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में,
		23-लखीमपुर खीरी में हीरालाल धर्मशाला के पास रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		24-लखीमपुर खीरी से शारदानगर से होते हुए ढकेरवा चौराहे से निघासन तक जो मार्ग जर्जर हालत में हैं जिस पर आवागमन प्रभावित हो रहा है आये दिन दुर्घटनायें होती हैं उस मार्ग का चौड़ीकरण कराकर बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		25-सिंगाही टाउन एरिया में सरजू सहकारी चीनी मिल बिलरायां के संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तावित कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, जिससे किसानों द्वारा मिल के गन्ने में कटौती कराकर करोड़ों रुपया स्कूल नाम का मिल में जमा है, उस पैसे से डिग्री कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		26-ग्राम सभा मदनापुर ब्लाक निघासन में बीरबाबा से ग्राम लाल बोझी तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में, 27-तिकुनिया पी0डब्लू0डी0 रोड से ग्राम बन्जरिया होते हुए ग्राम पुखरी मार्ग तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में, 28-तिकुनिया से बरसोला चौराहे से ग्राम सभा दलराजपुर तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में, 29-ग्राम सभा मझरा पूरब ब्लाक निघासन की निशान सिंह व भैरों सिंह के मकान तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में, 30-ग्राम सभा मिर्जागंज, ब्लाक निघासन में मिर्जागंज से महुआ डामर रोड तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में, 31-ग्राम सभा लुधौरी खमरिया, ब्लाक निघासन में डामर रोड से रानीगंज गुरुद्वारे होते हुए खडरिया फार्म तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में, 32-निघासन खैरीगत मार्ग में ग्राम सभा भिडौरा जाने वाली सड़क का निर्माण के सम्बन्ध में, 33-ग्राम सभा खैरीगत ब्लाक निघासन में उद्योग नगर सिसैया होते हुए सुहेली बन्धा तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में, 34-ग्राम सभा गजरौला ब्लाक पलिया में लीला फार्म से ग्राम ऐठपुर होते हुए काशी खोखें तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में, 35-ग्राम सभा गजरौला, ब्लाक पलिया में लीमा फार्म से मैवासिंह के डेरे तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में, 36-ग्राम सभा खजूरिया में सिद्धनगर रोड से रामजीत राम व कैलाश पाण्डेय के प्लाट से होते हुए गोविन्द नगर तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में, 37-पलिया सम्पूर्णानगर मार्ग से बैंक आफ बड़ौदा के बराबर से ग्राम सभा नंगला तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में, 38-ग्राम सभा छोटी पलिया से ग्राम सभा सरखना पश्चिम को जाने वाली सड़क (सातवीं वाली बाग तक) निर्माण के सम्बन्ध में तथा 39-ग्राम सभा मजगई ब्लाक पलिया से चौखड़ा फार्म तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।"

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
15	श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-गन्ना मूल्य को लेकर प्रदेश में किसानों में बढ़ते असंतोष के सम्बन्ध में, 2-पूर्वांचल के विकास के लिये कोई योजना की घोषणा न करने के सम्बन्ध में, 3-महराजगंज जिले के विकास के लिये किसी नई योजना की घोषणा न करने के सम्बन्ध में, 4-छोटी गण्डक नदी पर टेढ़वा (महराजगंज) और काशी छपरा (कुशीनगर) पर पुराने प्रस्तावित पुल के निर्माण के सम्बन्ध में, 5-महराजगंज जनपद की बन्द चीनी मिल घुघली और आनन्द नगर चीनी मिलों को चलवाने के सम्बन्ध में, 6-लकड़ी पर आधारित किसी उद्योग धन्धे को लगाने के सम्बन्ध में, 7-महराजगंज की सदर तहसील के विरैची गांव में छोटी गण्डक नदी के कटाव के चलते, कब्रिस्तान एवं श्मशान घाट के सुदृढ़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में, 8-सदर तहसील में छपिया से मोइद्दीनपुर, वारीगांव से बेलवा टीकर, पकड़ी किशुनपुर से घनहा नामक मुख्य मार्ग से परसा खुर्द महदेवा से महदेइया बमनौली चौराहा से लक्ष्मणपुर देवरवा तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में, 9-घुघली में कन्या डिग्री कालेज खोलने के सम्बन्ध में तथा 10-मौन नाला के सुन्दरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।"
16	श्री इमरान मसूद (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-पश्चिमी उ0प्र0 में यूरिया की कमी को दूर करने हेतु आवश्यकतानुसार आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

अनुवाद प्रभाग

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2-प्रदेश के इण्टर कालेजों में व्यायाम शिक्षकों के रिक्त पड़े पदों पर तत्काल नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में,
		3-बिजली बोर्ड को विघटित कर बनाये गये पावर कारपोरेशन की मात्रा दस वर्ष में ही 33700 करोड़ रुपये के घाटे के सम्बन्ध में,
		4-उच्च शिक्षण संस्थाओं में एक लाख रु0 वार्षिक आय से कम आय वर्ग वाले परिवारों के बच्चों के शिक्षण शुल्क वापस किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2009-10 में वर्तमान तक जनपदों में बजट न भेजे जाने के सम्बन्ध में,
		5-बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों को निम्न स्तरीय अनाज उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,
		6-मिड-डे-मील में वितरित किये जाने वाले चावल के अत्यन्त निम्न स्तरीय होने के सम्बन्ध में,
		7-पिछले वर्षों में पंचायती राज विभाग में सामान्य जाति हेतु बजट का प्राविधान ही न करते हुए मात्र अनुसूचित जाति हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में बजट प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में,
		8-विकास प्राधिकरणों एवं विनियमित क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा महायोजना का भलीभांति क्रियान्वयन न किये जाने के सम्बन्ध में,
		9-जनपद सहारनपुर में पिछले 2 वर्षों से गरीब अल्पसंख्यक कन्याओं के विवाह हेतु शादी अनुदान में बजट न भेजे जाने के सम्बन्ध में,
		10-उत्तर प्रदेश में पेट्रोल एवं डीजल पर मूल्य संवर्धित कर की दरें सीमावर्ती राज्यों नई दिल्ली, उत्तराखण्ड एवं हरियाणा के समान करने के सम्बन्ध में,
		11-निरंतर बढ़ रही मंहगाई तथा थोक व फुटकर मूल्यों में भारी अन्तर को नियंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में,
		12-बेरोजगारों हेतु रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,
		13-न्याय को सस्ता, सुलभ एवं सबकी पहुंच में लाने हेतु माननीय उच्च न्यायलाय इलाहाबाद की बैंच की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मंडल मुख्यालय पर स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		14-भूगर्भीय जल प्रदूषण के कारण प्रदेश में उत्पन्न हो रही पेयजल समस्या के निदान के सम्बन्ध में,
		15-प्रदेश में विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी किये जाने हेतु नई योजनायें बनाकर उसे गम्भीरता पूर्वक क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में,
		16-अधोमानक एवं नकली दवाइयों की बिक्री को पूर्ण रूप से रोकने व इसकी नियमित जांच किये जाने के सम्बन्ध में,
		17-सार्वजनिक वितरण प्रणाली में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त कर पात्र व्यक्तियों को वास्तविक लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में,
		18-राजकीय चिकित्सालयों में अधोमानक दवाइयों की खरीद को तत्काल प्रतिबन्धित किये जाने तथा सम्मानित एवं स्तरीय कम्पनियों की दवाओं का अनुमोदन एवं खरीद किये जाने का कड़ाई से अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में,
		19-प्रदेश में बालश्रम अधिनियम का कड़ाई से अनुपालन किये जाने तथा बाल श्रमिकों के कल्याण हेतु चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्रों को दिये जाने व इसकी नियमित जांच किये जाने के सम्बन्ध में,
		20-प्रदेश में पक्षपात पूर्ण तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय की गरीब लड़कियों को शादी अनुदान न दिये जाने के सम्बन्ध में,
		21-प्रदेश की मलिन एवं अल्पसंख्यक बस्तियों के सुधार एवं प्रोन्नयन तथा इन बस्तियों में निवास कर रहे लोगों व उनके बच्चों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा का समुचित प्रबन्ध किये जाने के सम्बन्ध में,
		22-प्रदेश में लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट प्रबन्ध व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने के सम्बन्ध में,
		23-प्रदेश में सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक आयामों की अभिवृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में,
		24-प्रदेश में नगरीय वानिकी, पर्यावरण के संरक्षण और परिस्थिति की आयामों में अभिवृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में,
		25-प्रदेश में समाज के दुर्बल वर्गों के, जिनके अन्तर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं, के सामाजिक उत्थान एवं हितों की सुरक्षा के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		26-प्रदेश में समाज के दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के सामाजिक उत्थान व उनका जीवन स्तर सुधारने के सम्बन्ध में,
		27-प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों हेतु चलाई जा रही समस्त योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र व्यक्तियों को पहुंचाया जाना सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,
		28-प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे के वे व्यक्ति जिनके बी0पी0एल0 कार्ड गरीबी की रेखा के नीचे होने के उपरान्त भी केन्द्र द्वारा बी0पी0एल0 कार्ड बनाये जाने हेतु निर्धारित लक्ष्य पूर्ण हो जाने के कारण नहीं बनाये जा सके। प्रदेश सरकार द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे उन व्यक्तियों हेतु कोई ठोस कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		29-प्रदेश में रासायनिक खाद विशेषकर डी0ए0पी0 एवं यूरिया के अभाव को दूर किये जाने के सम्बन्ध में,
		30-प्रदेश में समुचित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,
		31-प्रदेश के राजकीय विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किये जाने तथा अधिनियम, शासनादेश, विभागीय नियमों का प्रत्यक्ष उल्लंघन कर किये जा रहे कार्यों को तत्काल रोके जाने के सम्बन्ध में,
		32-प्रदेश की नदियों में बढ़ते जल प्रदूषण को रोकने तथा नदियों के किनारे सभी प्रकार के उद्योगों को प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में,
		33-प्रदेश में गिरती कानून व्यवस्था के कारण अराजकता का वातावरण है दिन दहाड़े व्यापारियों की हत्या, अपहरण, लूट, रंगदारी एवं बलात्कार की घटनायें घटित हो रही हैं। अतः कानून व्यवस्था में तत्काल सुधार किये जाने के सम्बन्ध में,
		34-माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तालाब, झील, पोखर जहां लम्बे समय से जल संरक्षण का कार्य हो रहा हो तथा राजस्व अभिलेखों में इसी रूप में दर्ज हो, पर किये गये अवैध कब्जों को तत्काल हटाकर उन्हें पूर्व स्थिति में लाये जाने के निर्देशों का प्रभावी अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		35-प्रदेश में सड़कों के अधोमानक एवं गुणवत्ताहीन निर्माण पर अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में,
		36-प्रदेश में ऊसर एवं बंजर भूमि का सुधार कर उसे कृषि योग्य बनाये जाने हेतु कोई ठोस योजना प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में,
		37-सरकार द्वारा विभिन्न मदों में की जा रही फिजूलखर्ची तत्काल रोके जाने के सम्बन्ध में,
		38-प्रदेश में मिड-डे-मील की गुणवत्ता सुधारने तथा निर्धारित मैन्यू के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण एवं स्तरीय भोजन दिये जाने के सम्बन्ध में,
		39-प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी को दूर कर रिक्त पदों पर पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में,
		40-राजकीय चिकित्सालयों में सभी आवश्यक सुविधायें, पर्याप्त मात्रा में दवाईयां, चिकित्सकों, विशेषज्ञों एवं अन्य कर्मचारियों के रिक्त पड़े पदों पर तत्काल नियुक्ति/तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में,
		41-प्रदेश में कुपोषण से ग्रस्त बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं वृद्धों के लिये स्वास्थ्य सुविधा एवं पोषक आहार व्यवस्था सम्बन्धी ठोस कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		42-अंकुशहीन व बेलगाम अधिकारियों द्वारा सामान्य शिष्टाचार एवं परम्पराओं का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में,
		43-प्रदेश में विक्रय हो रहे सिन्थैटिक दूध, अपमिश्रित एवं अधोमानक खाद्य पदार्थों को रोकने एवं नियंत्रित करने हेतु कठोरतम कानून बनाये जाने व उसका कड़ाई से अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में,
		44-प्रदेश में बढ़ती हुयी गोकशी की घटनाओं को रोकने तथा गोरक्षा अधिनियम का कड़ाई से अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में,
		45-प्रदेश में गन्ना क्रय अधिनियम का प्रत्यक्ष उल्लंघन करने व गन्ना किसानों का मानसिक व आर्थिक शोषण कर समय से पूर्ण भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		46-प्रदेश में किसानों को उनकी उपज का समुचित मूल्य दिलाये जाने के सम्बन्ध में,
		47-प्रदेश में घरेलू रसोई गैस की कालाबाजारी, घटतौली एवं व्यवसायिक प्रयोग को सख्ती से रोकने तथा पेट्रोल एवं डीजल में अपमिश्रण तथा घटतौली को कड़ाई से रोके जाने के सम्बन्ध में,
		48-प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या को कड़ाई से रोके जाने के सम्बन्ध में,
		49-प्रदेश में ग्राम स्तर तक स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,
		50-प्रदेश के सभी जातियों के गरीब बेरोजगार युवक युवतियों को मुफ्त तकनीकी प्रशिक्षण देकर उन्हें सुनिश्चित रूप से रोजगार से जोड़े जाने के सम्बन्ध में,
		51-प्रदेश में भू-जल के लगातार गिरते हुये स्तर तथा संरक्षण में आ रही भारी कमी को दृष्टिगत रख रेन वाटर हारवैस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग से सम्बन्धित शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में,
		52-प्रदेश में राज्य वन नीति-1998 के परिप्रेक्ष्य में लिये गये निर्णय के अनुरूप शहरी क्षेत्र में 20 प्रतिशत हरित पट्टिका विकसित न किये जाने के सम्बन्ध में,
		53-प्रदेश में निजी विकास कर्ताओं द्वारा विकसित की जा रही बड़ी आवासीय योजनाओं (हाईटेक सिटी/इन्टीग्रटिड टाऊनशिप) में श्मशान भूमि/कब्रिस्तान इत्यादि की व्यवस्था न किये जाने के सम्बन्ध में,
		54-प्रदेश में नगर निगम/नगर पालिकाओं द्वारा संचालित पशुवध शालाओं को अतिआधुनिक किये जाने के सम्बन्ध में,
		55-प्रदेश में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने एवं नियंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में,
		56-प्रदेश में कृषि भूमि पर अनियोजित विकास कर किये जा रहे सीमित कृषि भूमि के अनियंत्रित दोहन को रोके जाने के सम्बन्ध में,
		57-प्रदेश में अधिकांश विकास प्राधिकरणों द्वारा महायोजना, सुसंगत अधिनियमों, शासनादेशों, उप विधियों,

उत्तर प्रदेश सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		विनियमों, नियमावलियों में निहित प्राविधानों का प्रत्यक्ष उल्लंघन कर कराये जा रहे अनियंत्रित एवं अनियोजित विकास को रोके जाने के सम्बन्ध में,
		58-सहारनपुर मण्डल में मण्डल मुख्यालय को रोस्टर के अनुसार समुचित विद्युत आपूर्ति न दिये जाने के सम्बन्ध में,
		59-जनपद सहारनपुर में नरेगा के अन्तर्गत प्राप्त धन के दुरुपयोग, व्यापक पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार एवं मानकों का अनुपालन न किये जाने की उच्च स्तरीय जांच किये जाने के सम्बन्ध में,
		60-नगर सहारनपुर में निवास कर रहे परिवारों से लगभग दोगुनी संख्या में राशन कार्ड बनाये जाने की जांच के सम्बन्ध में,
		61-मंडल मुख्यालय सहारनपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,
		62-नगर सहारनपुर में बाई पास बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		63-जनपद सहारनपुर के ग्राम छुटमलपुर, फतेहपुर, नानका गन्देवडा, पुआरका, ब्लाक मुजफ्फराबाद को मिलाकर नगर पालिका परिषद् बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		64-जनपद सहारनपुर के ग्राम छुटमलपुर में डिग्री कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		65-जनपद सहारनपुर के ग्राम मिर्जापुर/कुरडीखेड़ा ब्लाक मुजफ्फराबाद में हवाई पट्टी बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		66-जनपद सहारनपुर के ग्राम मिर्जापुर/गाढा को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		67-जनपद सहारनपुर के घाड क्षेत्र में पड़ने वाली नदियों पर गिरते भू-जल स्तर को रोकने हेतु चैक डैम बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		68-उत्तर भारत में प्रसिद्ध जनपद सहारनपुर में स्थित मां शाकम्भरी देवी मन्दिर को तीर्थ एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में,
		69-जनपद सहारनपुर के ग्राम खुजनावर में सामुदायिक केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में,

विधान परिषद सचिवालय

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		70-जनपदसहारनपुर के ग्राम पाडली, ब्लाक सढौली कदीम तथा ग्राम कुरडीखेड़ा, ब्लाक मुजफ्फराबाद में पेयजल योजना चलाये जाने के सम्बन्ध में,
		71-जनपद सहारनपुर के घाड क्षेत्र में स्थित ब्लाक मुजफ्फराबाद एवं सढौली कदीम में सिंचाई हेतु नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में,
		72-जनपद सहारनपुर के ब्लाक मुजफ्फराबाद एवं सढौली कदीम में बन गुर्जरों के पुनर्वास के सम्बन्ध में,
		73-नगर सहारनपुर के मध्य से होकर गुजरने वाली ऐतिहासिक पांव धोई नदी को प्रदूषण मुक्त कर उसकी पूर्ण सफाई एवं सौन्दर्यीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,
		74-जनपद सहारनपुर के घाड क्षेत्र में समस्त पेयजल योजनाओं पर जैनरेटर लगाये जाने के सम्बन्ध में,
		75-जनपद सहारनपुर में बादशाही बाग से मोहन्ड जाने वाले वन मार्ग को सुदृढ़ किये जाने के सम्बन्ध में,
		76-जनपद सहारनपुर के बादशाही बाग राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,
		77-जनपद सहारनपुर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज खोले जाने के सम्बन्ध में,
		78-जनपद सहारनपुर के ग्राम कलसिया में बालिका इण्टर कालेज व महिला पोलीटैक्निक खोले जाने के सम्बन्ध में,
		79-नगर सहारनपुर में पूर्ण रूप से सीवर लाइन एवं पेयजल लाइन डाले जाने के सम्बन्ध में,
		80-जनपद सहारनपुर के विश्व प्रसिद्ध काष्ठ कला उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु ठोस कार्य योजना बनाये जाने तथा काष्ठ कला उद्योग वाले समस्त क्षेत्र को चिन्हित कर चौबीस घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,
		81-जनपद सहारनपुर में काष्ठ कला उद्योग से जुड़े श्रमिकों व उनके परिवारों द्वारा प्रदूषित वातावरण में जीवन व्यतीत करने के कारण उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को रोकने/नियंत्रित करने हेतु ठोस कार्य योजना बनाये जाने तथा उन्हें स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रति जागरुक किये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		82-जनपद सहारनपुर के होजरी उद्योग को प्रोत्साहन दिये जाने के सम्बन्ध में,
		83-जनपद सहारनपुर के अम्बेडकर स्टेडियम के आधुनिकीकरण एवं सौन्दर्यीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,
		84-जनपद सहारनपुर की समस्त क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनः निर्माण कर गड्ढा मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में,
		85-जनपद सहारनपुर में पिलखनी डिस्टलरी के कारण लगभग तीस गांवों का पानी प्रदूषित हो जाने के कारण उत्पन्न पेयजल संकट को दूर करने हेतु पेयजल योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		86-जनपद सहारनपुर में स्थित टोडर पुर शुगर मिल एवं डिस्टलरी द्वारा प्रदूषित जल को भूमि में बोर वेल कर तथा यमुना नदी में छोड़े जाने को रोकने तथा भू-गर्भीय जल के प्रदूषित होने के कारण क्षेत्र में समुचित पेयजल योजना प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में,
		87-प्रदेश में गुर्जरों को विमुक्त जाति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में,
		88-जनपद सहारनपुर में हथनीकुंड बैराज से यमुना नहर पर माइक्रो विद्युत परियोजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		89-जनपद सहारनपुर में काष्ठ कला उद्योग के संरक्षण हेतु स्पेशल इकोनामिक जोन बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		90-नगर सहारनपुर में स्थित राजकीय कन्या विद्यालय के जीर्ण-शीर्ण भवन पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		91-जनपद सहारनपुर के ग्राम बिहारीगढ़, रायपुर, मिर्जापुर, बेहड़ा सन्दलसिंह, धौलाकुआं में 33 के0 वी0 ए0 का बिजली घर बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		92-जनपद सहारनपुर में अम्बाला रोड भाऊपुर पुलिया से चिलकाना रोड तक सड़क निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में,
		93-जनपद सहारनपुर में अम्बाला रोड भाऊपुर पुलिया से कुम्हारहेडा गंगोह रोड तक सड़क निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में,
		94-जनपद सहारनपुर के ग्राम रेहढी मलकपुर से छिदबना तक सड़क निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		95-जनपद सहारनपुर में ग्राम थरौली से नाले की पटरी-पटरी बीडवी मिल चौराहे (गंगोह रोड) तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		96-जनपद सहारनपुर में मानकमऊ नहर के पुल से वाया रेहडीमलकपुर से कस्बा रामपुर तक सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,
		97-जनपद सहारनपुर के ग्राम नन्हेडा गुर्जर में डिग्री कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		98-जनपद सहारनपुर के कस्बा गंगोह में पवित्र कक्राली सरोवर के सौन्दर्यीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,
		99-जनपद सहारनपुर में ग्राम पटनी ब्लाक सरसावा रजवाहे की पटरी वाया महेश्वरी कला रण्डौल से मलकपुर तक सड़क निर्माण एवं चौड़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,
		100-जनपद सहारनपुर में ग्राम सैफन ब्लाक सरसावा वाया गुमटी होते हुये कलसिया तक सड़क निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में,
		101-जनपद सहारनपुर में भोजपुर गुर्जर से वाया मरोडगढ़ से टौली कलसिया तक सड़क निर्माण व चौड़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,
		102-जनपद सहारनपुर में सहारनपुर बड़गांव मार्ग का चौड़ीकरण व ऊंचीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,
		103-जनपद सहारनपुर में बड़गांव से रामपुर मार्ग का चौड़ीकरण व सौन्दर्यीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,
		104-जनपद सहारनपुर के रामपुर से अम्बेहटा मार्ग का चौड़ीकरण व सौन्दर्यीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,
		105-जनपद सहारनपुर के ननौता से गंगोह मार्ग का चौड़ीकरण व सौन्दर्यीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,
		106-जनपद सहारनपुर के कस्बा तीतरौ में तालाब की दीवार बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		107-जनपद सहारनपुर के कस्बा तीतरौ को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		108-जनपद सहारनपुर के घाड क्षेत्र में ग्रीष्म काल में होने वाले भीषण अग्निकाण्डों को ध्यान में रखकर घाड क्षेत्र में

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		तत्काल फायर सर्विस स्टेशन की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में, 109-नगर सहारनपुर के सेक्टर 31 के हकीकत नगर क्षेत्र में काशी राम शहरी समग्र विकास योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र में सड़क के दोनों ओर लाखों रुपये इण्टर लाकिंग टाइल्स पर व्यय किये जाने तथा टाइल्स के मध्य जर्जर एव क्षति ग्रस्त सड़क का पुनः निर्माण न किये जाने के सम्बन्ध में, 110-प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में पेयजल संकट दूर कर पेयजल की सम्पूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में तथा 111-अशक्त व्यक्तियों (यथा चलने-फिरने तथा बोलने, सुनने और देखने की कमी से ग्रस्त) के लिये अवरोध मुक्त परिसर के सर्जन तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये बनाये गये अशक्त व्यक्तियों हेतु (समान अवसर अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1996 का प्रदेश में सार्वजनिक उपयोग के भवनों के निर्माण में प्रत्यक्ष उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में।''
17	श्री लल्लू सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-फैजाबाद नगर के शिवनगर पहाड़गंज में नगर विकास द्वारा बनाये जा रहे नाले के अधूरे निर्माण को धन अवमुक्त कर पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में, 2-अयोध्या विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत माझा-वरहटा प्रा0 पा0 से मरहिया परिक्रमा मार्ग तक एवं ऐमी आला फत्तेपुर मुमताजाबाद सम्पर्क मार्ग से तारापुर होते हुए ऐमीपुर आलापुर कुम्हिया मार्ग तथा रसूलाबाद दर्शननगर मार्ग से हैंसा होते हुये रसूलाबाद अर्ती मार्ग तक और ऐमी आलापुर-फत्तेपुर मुमताजाबाद के अवशेष मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में, 3-पर्यटक स्थल होने एवं आतंकवादियों के निशाने पर होने के कारण 20 कि0मी0 सीमा तक अयोध्या को विद्युत कटौती से मुक्त करने एवं 24 घन्टे विद्युत आपूर्ति करने के सम्बन्ध में, 4-पूर्णहरी (बन्धूबाबा) पुनहत ग्राम पंचायत खानपुर, बाबा परमहंस कुटी, देवी मन्दिर कुण्ड का जीर्णोद्धार ग्राम कुसमहा, गुरु सरोवर कुण्ड अयोध्या उदासीन आश्रम रानोपाली अयोध्या का के सौन्दर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		5-फैजाबाद नगर में जल निकासी हेतु नाला/नाली के निर्माण के सम्बन्ध में,
		6-संस्कृति की शिक्षा हेतु फैजाबाद में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में,
		7-33/11 के0वी0ए0 विद्युत सब स्टेशन पूरा जनपद फैजाबाद को शीघ्र चालू किये जाने के सम्बन्ध में,
		8-प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने एवं उनको नियमित किये जाने के सम्बन्ध में,
		9-प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ने का मूल्य 300 रु0 प्रति कुन्तल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में,
		10-प्रदेश में आसमान छू रही महंगाई को कम करने के सम्बन्ध में,
		11-प्रदेश के सूखाग्रस्त किसानों का समस्त ऋण माफ करने और उन्हें मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में,
		12-नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद की बजट फ्रीज होने के कारण शिक्षकों/वैज्ञानिक/कर्मचारियों को वेतन के अभाव में भुखमरी से निजात दिलाये जाने हेतु बजट दिये जाने के सम्बन्ध में,
		13-साधू पांडे का पुरवा अलावलपुर सम्पर्क मार्ग से तुला का पुरवा तक, ब्लाक पूरा बाजार, कर्मा कोड़री सम्पर्क मार्ग से गड़ेरिया का पुरवा होते हुये कुटी तक, ब्लाक-पूरा बाजार, नरियांवा सम्पर्क मार्ग से बाबा कुटी होते हुये दर्शननगर रसूलाबाद मार्ग तक, ब्लाक-पूरा बाजार मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में,
		14-सिंचाई हेतु कोई साधन न होने के कारण चौधरी चरण सिंह नलकूप योजना के अन्तर्गत एक नलकूप ग्राम टिकरा पो0 खेवराजपुर, ब्लाक-बनीकोडर जनपद बाराबंकी में लगाये जाने के सम्बन्ध में,
		15-जनहित में नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम व पो0 सिल्हौर, ब्लाक बनीकोडर जनपद बाराबंकी में डाक्टर एवं स्टाफ की तैनाती कराकर अविलम्ब चालू कराने के सम्बन्ध में,
		16-जनपद फैजाबाद के ब्लाक मुख्यालय पूरा बाजार के लगभग 2 कि0मी0 सड़क के दोनों तरफ जल निकासी हेतु नाला/नाली निर्माण कराने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		17-जनपद फैजाबाद में गरीब एवं पात्र बी0 पी0 एल0 कार्ड धारकों को इन्दिरा आवास उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 18-हैदरगढ़, रायबरेली, इलाहाबाद के लिये आने जाने में हो रही असुविधा को देखते हुये कमियार घाट (सेमरी) ब्लाक पूरे डलई जनपद में बाराबंकी में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 19-ब्लाक रुदौली जनपद फैजाबाद में घाघरा नदी पर कैथी घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 20-हनुमान जी की कुटी, रानीमऊ, ब्लाक पूरे डलई जनपद बाराबंकी का सौन्दर्यीकरण करने के सम्बन्ध में तथा 21-जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत पूरा बाजार में सड़क के दोनों तरफ जल निकासी हेतु नाली के निर्माण के सम्बन्ध में।"
18	श्री यशपाल सिंह चौहान (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय सिकन्दराराऊ, महामायानगर में बी0 एस0 सी0, एम0ए0 एवं एम0 एस0 सी0 की कक्षायें संचालित किये जाने के सम्बन्ध में, 2-सिकन्दराराऊ महामायानगर में बस स्टैण्ड की स्थापना के सम्बन्ध में, 3-सिकन्दराराऊ के राजवाहों एवं माइनरों की पुनर्स्थापना/सफाई के सम्बन्ध में, 4-बिजली की आपूर्ति 20 घंटे किये जाने के सम्बन्ध में, 5-जनपद महामायानगर के पुरदिल नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 6-सिकन्दराराऊ नगर पालिका के पानी के सप्लाई हेतु लाइनों के लिये 50 लाख रु0 की धनराशि की व्यवस्था के सम्बन्ध में, 7-सिकन्दराराऊ विधान सभा क्षेत्र में रतिभानपुर-भैंकुरी मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		8-नवसृजित मण्डल अलीगढ़ में सेन्ट्रल कारागार की स्थापना के सम्बन्ध में, 9-लूट, अपहरण, डकैती, राहजनी को रोकने हेतु सिकन्दराराऊ के पिपलगवा में पुलिस थाना/पुलिस चौकी की स्थापना के सम्बन्ध में, 10-प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों को आलू के मूल्य निर्धारण की नीति के सम्बन्ध में, 11-जनपद मथुरा के कस्बा बाजना के किसानों को मांग के अनुरूप मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में, 12-किसानों का कर्जा माफ किये जाने के सम्बन्ध में, 13-सिकन्दराराऊ के जीर्ण-शीर्ण मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 14-जनपद में चल रहे कट्टीघर को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में, 15-किसानों को सिंचाई हेतु विद्युत नलकूप का बिल माफ करने के सम्बन्ध में तथा 16-जनपद महामायानगर में समस्त माइनरों की सफाई एवं पुनर्निर्माण कराकर टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में।"
19	डा0 कौशल किशोर (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-चकई साइफन, चौका साइफन व उल्ल साइफन चोक पड़े हैं इनको साफ करवाये जाने के सम्बन्ध में, 2-शारदानगर से ऐरा रोड तक शारदा नदी का दक्षिणी बांध (ए) जो पहले से स्वीकृत है प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र बनवाये जाने के सम्बन्ध में, 3-लखीमपुर जनपद नैपाल से सटा हुआ है यहां पर अस्पताल में सी0टी0 स्कैन की व्यवस्था करवाये जाने के सम्बन्ध में, 4-पी0बी0 मार्ग पर रवही के पास तीन (3) दर का पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		5-खीरी ब्रांच पर आलाउड के पास डामर रोड से सीतापुर रोड क्रास कर उमरिया के पास डामर रोड तक डामर रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में,
		6-भानपुर डामर रोड से हरोंव्वा चौराहा क्रास कर हरेटिबा ठकुरनपुरवा, सैदापुर, सिरैया होकर शारदा पोषक नहर तक डामर रोड बनवाई जाने के सम्बन्ध में,
		7-ब्लाक-लखीमपुर में जमुवारी स्कैप की टूटी पुलिया बनवाई जाने के सम्बन्ध में,
		8-अमृतागंज चौराहा के पास से मोहद्दीपुर के पास तक की टूटी सड़क बनवाई जाने के सम्बन्ध में,
		9-सैदापुर भाऊ डामर रोड से भन्योरा ग्राम तक डामर रोड बनवाई जाने के सम्बन्ध में,
		10-सैदापुर भाऊ डामर रोड से रौतापुर डामर रोड तक डामर रोड बनवाई जाने के सम्बन्ध में,
		11-पीरपुर डामर रोड से गोला रोड तक डामर रोड बनवाई जाने के सम्बन्ध में,
		12-शिवराजपुर गांव के पास से सरैय्या माफी पुलिया तक डामर रोड बनवाई जाने के सम्बन्ध में,
		13-भीरा घासी डामर रोड से अशोगापुर होते हुए भटपुरवा तक डामर रोड बनवाई जाने के सम्बन्ध में,
		14-खीरी लगुचा रोड से बैरागर होकर गिनौन्हना गांव तक डामर रोड बनवाई जाने के सम्बन्ध में,
		15-झसिया डामर रोड से झसिया पुरवा होते हुए खीरी लगुचा रोड तक डामर रोड बनवाई जाने के सम्बन्ध में,
		16-दुसुरू डामर रोड से अटकोनवा होकर चांदामऊ तक डामर रोड बनवाई जाने के सम्बन्ध में,
		17-दुसुरू डामर रोड से हसनापुर पी0एम0 एण्ड एस0वाई0 रोड तक डामर रोड बनवाई जाने के सम्बन्ध में,
		18-कोटखेरवा सेन्टर से पिपराहीट तक डामर रोड बनवाई जाने के सम्बन्ध में,
		19-ओपल खीरी मार्ग पर लगुचा माइनर की टूटी पुलिया बनवाई जाने के सम्बन्ध में,
		20-खीरी डिवाई की उत्तर की पटरी भंसड़िया से बेहजम मार्ग तक पक्की की जावे व बेहजम रोड से सीतापुर रोड तक

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		दोनों पटरियां पक्की की जाय तथा नहर भी पक्की की जाय तथा सीतापुर मार्ग से खीरी मार्ग की उत्तरी पटरी पक्की किये जाने के सम्बन्ध में,
		21-ग्राम-खागी ओपल के दक्षिण नहर पुलिया से शंकरपुर तक नहर की दक्षिण पटरी पर डामर रोड बनवाई जाने के सम्बन्ध में,
		22-रामापुर डामर रोड से रपटा पुल पार कर अमकोलवा पुरवा, लखपेड़ा गंज होते हुए जमकोहना डामर रोड बनवाई जाने के सम्बन्ध में,
		23-चौका नदी पर पटना गांव के पास पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में,
		24-रडहापुरवा डामर रोड से लखपेड़ागंज प्रा0 स्वा0 केन्द्र तक डामर रोड बनवाई जाने के सम्बन्ध में,
		25-सेवकहा डामर रोड से सेवड़ा होते हुए लखपेड़ागंज प्रा0 स्वा0 केन्द्र तक डामर रोड बनवाई जाने के सम्बन्ध में,
		26-पहाड़ाबेहड़ चौराहा से निबहा कोरैय्या, कोरैय्या धारा, कोरैय्या संगर होते हुए मानपुर डामर रोड तक डामर रोड बनवाई जाने के सम्बन्ध में,
		27-ग्राम सकेथू से नौवापुर तक डामर रोड बनवाई जाने के सम्बन्ध में,
		28-ब्लाक लखीमपुर में ग्राम ढखवा मजरा पिपरा करमचन्द्र, झसियापुरवा, झसिया जारा कटिया में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		29-शारदा पोषक नहर से मटेही के उत्तर उत्तर रपटा पुल के आगे 300 मीटर तक डामर रोड बनवाई जाने के सम्बन्ध में,
		30-शारदा पोषक नहर चौका साइफन के पास से पटना तक डामर रोड और इसी मार्ग पर मझरा रामवक्श के पास पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में,
		31-कालाआम पकरिया नहर पुल से कैमाखाहर होकर लीला कुआं रोड तक डामर रोड बनवाई जाने के सम्बन्ध में,
		32-ग्राम-महगूखेड़ा डामर रोड से महमदपुर महेवा डामर रोड तक डामर रोड बनवाई जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश गजट

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		33-रुद्रपुरकला-महगूखेड़ा रास्ते के बीच में सैदापुर ड्रेन में रपटा पुल के दोनों तरफ कटाव हो जाने की वजह से बन्द रास्ते को बनवाये जाने के सम्बन्ध में, 34-गोपालापुर रोड से परसदहा मार्ग पर टूटी पुलिया बनवाई जाने के सम्बन्ध में, 35-शारदा पोषक नहर के 26 नम्बर पुल से देवरिया होते हुए महोला मार्ग तक डामर रोड बनवाई जाने के सम्बन्ध में, तथा 36-शारदा पोषक नहर के 26 नम्बर पुल से बैबहा गांव तक डामर रोड बनवाई जाने के सम्बन्ध में।"
20	श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-प्रदेश में कानून का शासन लागू करने तथा ध्वस्त कानून-व्यवस्था को सुधारने के लिये कोई सार्थक कार्य योजना के सम्बन्ध में, 2-प्रदेश में बढ़ रही महंगाई को नियंत्रित करने, बिचौलियों, जमाखोरों एवं नेपाल देश में तस्करी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में, 3-वर्ष 2009-10 के लिये महामहिम द्वारा घोषित सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को पूर्ण कराये जाने एवं वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु घोषित विकास कार्यों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में, 4-प्रदेश में गन्ना नीति को सुधारने के सम्बन्ध में, जिसके कारण प्रदेश में चीनी उत्पादन कम हो रहा है तथा गन्ने का क्षेत्रफल 30-40 प्रतिशत कम बोया गया तथा वर्ष 2007-08 एवं वर्ष 2008-09 का गन्ना भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में, 5-प्रदेश में सिंचाई हेतु नलकूपों की स्थिति को सुधारने तथा पूरी क्षमता से पानी दिये जाने के सम्बन्ध में, 6-प्रदेश में व्यापार को बढ़ावा देने हेतु व्यापार कर की दरें अन्य पड़ोसी राज्यों के बराबर करने के सम्बन्ध में, 7-प्रदेश में खाद की कालाबाजारी रोकने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		8-प्रदेश में कुकिंग गैस की कालाबाजारी रोके जाने के सम्बन्ध में,
		9-प्रदेश में डीजल/पेट्रोल की दरें पड़ोसी राज्यों के बराबर करने के सम्बन्ध में,
		10-हाल ही में हुये विधान परिषद् चुनावों (स्थानीय निकाय) में हुये भ्रष्टाचार एवं पुलिस की भूमिका को रोकने के सम्बन्ध में,
		11-प्रदेश में फिल्मों के अश्लील पोस्टर न लगाये जाने हेतु नीति बनाने के सम्बन्ध में,
		12-प्रदेश में मूक एवं बधिर बच्चों को सरकारी नौकरी में कम्प्यूटर सीट पर आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में,
		13-प्रदेश की मंडियों में व्यापारियों का आढ़तिया कमीशन बढ़ाने के सम्बन्ध में,
		14-प्रदेश में मिड-डे मील योजना में भोजन की गुणवत्ता तय करने के सम्बन्ध में,
		15-प्रदेश में निवास करने वाले सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों को अन्य राज्यों की तरह गृह कर माफ करने के सम्बन्ध में,
		16-प्रदेश में निवास करने वाले सैनिकों को वीरता पुरस्कार प्राप्त करने पर पुरस्कार राशि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,
		17-प्रदेश में निवास करने वाले पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की ओर से भी पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में,
		18-कतिपय विधायकों को पी0डब्ल्यू0डी0 की सड़क न देने के सम्बन्ध में,
		19-प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने के सम्बन्ध में,
		20-प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बंगलादेशी नागरिकों के सम्बन्ध में,
		21-प्रदेश में दुधारू पशु के कटान पर रोक लगाने के सम्बन्ध में,
		22-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ती गोकशी की घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में,
		23-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार नये मांस प्लान्टों को लाइसेन्स न दिये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		24-मेरठ पशु वधशाला (नगर निगम अन्तर्गत) पर मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पालन न होने के संदर्भ में, 25-मेरठ पशु वधशाला में मेरठ की खपत से ज्यादा पशु काटे जाने पर रोक लगाने के सम्बन्ध में, 26-मेरठ मेडिकल कालेज में 10 शैय्या की बर्न यूनिट खोलने के सम्बन्ध में, 27-मेरठ में नई कालोनी गंगा नहर, लोहिया नगर, पल्लवपुरम में थाना खोलने के सम्बन्ध में, 28-मेरठ के मोहल्ला पटेल नगर में पुलिस चौकी खोले जाने के सम्बन्ध में, 29-मेरठ की मलिन बस्तियों में प्राथमिक एवं जूनियर स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में, 30-मेरठ स्थित हस्तिनापुर एवं परतापुर कताई मिल को चालू किये जाने के सम्बन्ध में, 31-देश की सीमा पर शहीद होने वाले जवानों की प्रतिमा जिले में लगाये जाने के सम्बन्ध में, 32-खेल नीति बनाने के सम्बन्ध में, 33-खेल का सामान बनाने वाली कम्पनियों को सुविधायें दिये जाने के सम्बन्ध में, 34-मेरठ में 24 घण्टे बिजली दिये जाने एवं घरेलू उपभोक्ताओं को चेकिंग के नाम पर उत्पीड़ित किये जाने के सम्बन्ध में, 35-टी0पी0 नगर चौराहे से जैन नगर तिराहे तक नयी सड़क निर्माण के सम्बन्ध में, 36-प्रदेश में गिरते जल स्तर को रोकने के लिये नीति बनाने के सम्बन्ध में, 37-मेरठ नगर निगम के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में, 38-मेरठ विकास प्राधिकरण में रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में तथा 39-मेरठ नगर निगम द्वारा नालों की सफाई न कराये जाने के सम्बन्ध में।"

अद्यतन प्रदेश

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
21	श्री महेश चन्द्र गुप्ता (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-प्रदेश में कानून का शासन लागू करने तथा ध्वस्त कानून-व्यवस्था को सुधारने के लिये कोई सार्थक कार्य योजना के सम्बन्ध में, 2-वर्ष 2009-10 के लिये श्री राज्यपाल द्वारा घोषित सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में, 3-प्रदेश में गन्ना नीति को सुधारने के सम्बन्ध में, 4-प्रदेश में सिंचाई हेतु नलकूपों की स्थिति को सुधारने तथा पूरी क्षमता से पानी दिये जाने के सम्बन्ध में, 5-बदायूं नगर में आवास विकास मार्ग की रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कराने के सम्बन्ध में, 6-बदायूं नगर एवं देहात क्षेत्र उझानी की विद्युत आपूर्ति सुधारने के सम्बन्ध में, 7-बदायूं से मेला ककोड़ा ग्राम तक मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण एवं हाट मिक्स द्वारा मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 8-बदायूँ जनपद के अत्यधिक धार्मिक महत्व के स्थान कछला घाट का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, 9-बदायूँ जनपद में कबूलपुरा कुरऊ मार्ग पर रपटा पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 10-बदायूँ नगर की सीमा पर बरेली आगरा मार्ग पर सोत नदी के ऊपर दूसरा पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में, 11-बदायूँ जनपद में कछला में पुलिस थाना स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में, 12-जनपद बदायूँ में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पद के अनुपात में कम तैनाती के सम्बन्ध में, 13-बदायूँ नगर के जीर्ण-शीर्ण मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में, 14-प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या को समान रूप से नियंत्रित करने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		15-जनपद बदायूँ में पेयजल व्यवस्था सुधारने हेतु इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प विधायकों की संस्तुति से न दिये जाने के सम्बन्ध में तथा 16-बदायूँ शेखपुर रोड के किनारे अवैध रूप से चल रही पशु वधशाला को बन्द किये जाने के सम्बन्ध में।"
22	श्रीमती सीमा द्विवेदी (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया :-- 1-विधान सभा क्षेत्र गड़वारा जनपद जौनपुर में राजकीय बालिका विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में, 2-जौनपुर के अन्तर्गत बाबूगंज बाजार में 33 के0वी0ए0 का पावर हाऊस बनाये जाने के सम्बन्ध में, 3-विधान सभा क्षेत्र गड़वारा में सई नदी के किनारे गांवों में पेयजल की समस्या के निदान हेतु 500 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में, 4-चौबेपुर हेड से इटहा माइनर तक रोड 4 कि0मी0 पक्का बनवाने के सम्बन्ध में, 5-मेरे विधान सभा क्षेत्र के बरईपार, मधुपुर तथा बाबूगंज में पशु अस्पताल खोले जाने के सम्बन्ध में, 6-दो बार विधायक तथा दो बार सांसद एवं स्वतंत्रता सेनानी रहे स्व0 नागेश्वर द्विवेदी की प्रतिमा सुजानगंज चौराहे पर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में, 7-40 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाले ग्राम इटहा में सम्पूर्ण विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में, 8-खेल को बढ़ावा देने हेतु सुजानगंज तथा मधुपुर में एक-एक मिनी स्टेडियम खोलने के सम्बन्ध में, 9-कोकना, डेवढ़िया, तरसांव, थलोई आदि गांवों में पानी की निकासी हेतु 6 कि0मी0 नाली बनाकर सीपेज से बचाये जाने के सम्बन्ध में, 10-वेलवार बाजार शान्तीनगर, सुजानगंज बाजार में बरसात के दिनों हो रही कठिनाइयों से जनमानस को निजात दिलाने, इन स्थानों पर इण्टरलाकिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

अनुवाद प्रदेश

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		11-प्रदेश में बढ़ रही मंहगाई को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में तथा 12-जौनपुर को विद्युत कटौती से मुक्त करने के सम्बन्ध में।"
23	श्री सतीश महाना (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-प्रदेश में बढ़ रही भीषण मंहगाई के नियंत्रण के सम्बन्ध में, 2-प्रदेश में व्याप्त डेंगू की बीमारी की रोकथाम के संबंध में, 3-कानपुर स्थित लवकुश गंगा बैराज से 200 एम0एल0डी0 वाटरवर्क्स द्वारा आवश्यकतानुसार पानी सप्लाई न करने के सम्बन्ध में, 4-कानपुर गंगा एक्शन प्लान अन्तर्गत सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट से सुचारु रूप से जल संशोधन न होने के कारण दूषित जल सीधे गंगा नदी में प्रवाहित करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, 5-कानपुर छावनी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत भू-गर्भ जल दूषित होने की समस्या के सुधार के संबंध में, 6-घरेलू गैस की भीषण कमी के संबंध में, 7-कानून-व्यवस्था की खराब स्थिति के संबंध में, 8-मिड-डे मील योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं उसकी गुणवत्ता सुधारने के सम्बन्ध में, 9-कानपुर नगर निगम को रिवाल्विंग फण्ड से कानपुर के इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के संबंध में, 10-कानपुर नगर में हो रही भीषण विद्युत कटौती के सम्बन्ध में, 11-शहरी क्षेत्र में भीषण जल संकट के कारण विधायकों को 225 हैण्डपम्प की घोषणा होने के पश्चात् भी न देने के सम्बन्ध में, 12-कानपुर छावनी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत खराब पड़े ट्यूबवेलों के सुधार के सम्बन्ध में तथा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		13-पुरानी पड़ी ध्वस्त सीवर लाइनों के सुधार के संबंध में।"
24	डा0 राधामोहन दास अग्रवाल (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-मुख्य मंत्री मायावती जी की प्रदेश को चार हिस्सों में बंटवारे संबंधी घोषणा के सन्दर्भ में केन्द्र को "राज्य पुनर्गठन आयोग" के गठन की संस्तुति किये जाने के संबंध में,

2-पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु विशेष आर्थिक योजना लागू करने के संबंध में,

3-प्रदेश में बढ़ती गरीबी और विशेष रूप से शहरी गरीबी के उपशमन के संबंध में प्रभावी कार्य योजना बनाये जाने के संबंध में,

4-विभिन्न महानगरों में तथा विशेष रूप से गोरखपुर महानगर में उच्च स्तरीय भौतिक विकास की सुविधायें उपलब्ध कराने तथा सभी मलिन बस्तियों में सुविधाओं में व्यापक सुधार के संबंध में,

5-जिला योजना समिति में क्षेत्रीय विधायकों को स्थाई आमंत्रित के स्थान पर पूर्ण सदस्य बनाने तथा योजना समिति के सम्पूर्ण आवंटन का समुचित हिस्सा विधायकों को आवंटित किये जाने के संबंध में,

6-गोरखपुर महानगर में रामगढ़ झील संरक्षण परियोजना के रखरखाव संबंधी आर्थिक व्यय के सन्दर्भ में केन्द्र सरकार को पत्र भेजने तथा सम्पूर्ण योजना को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराने के संबंध में,

7-गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कांशीराम शहरी योजना में निम्न स्तरीय एवं गुणवत्ता के बनवाये गये आवास की उच्च स्तरीय जांच के संबंध में,

8-प्रदेश में सभी विकास प्राधिकरणों को नगर निगमों के अधीन किये जाने के संबंध में,

9-उत्तराखण्ड की औद्योगिक इकाइयों को केन्द्र सरकार से मिलने वाली छूट/सुविधाओं के समकक्ष पूर्वी उत्तर प्रदेश को

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		छूट दिये जाने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के समक्ष प्रभावी मांग प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में, 10-प्रदेश के नगर निगमों में आर्थिक व स्वावलम्बन स्थापित किये जाने की दृष्टि से नगर निगम सीमा के भीतर शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, समाज कल्याण सहित सभी प्रमुख विभागों को नगर निगमों के अधिकार क्षेत्र में दिये जाने के संबंध में, 11-गोरखपुर महानगर में अधूरे प्रेक्षागृह का शीघ्र निर्माण किये जाने के संबंध में, 12-गोरखपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाये जाने के संबंध में, 13-गोरखपुर स्थित बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज को केन्द्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के रूप में मान्यता दिये जाने के संबंध में, 14-पूर्वान्चल में इंसिफेलाइटिस के उन्मूलन एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु कार्य योजना प्रारम्भ करने तथा टीकाकरण का कार्यक्रम पुनः प्रारम्भ करने के संबंध में, 15-गोरखपुर में वाइरल रिसर्च केन्द्र में समस्त आवश्यक वैज्ञानिक एवं शोध परक गतिविधियां बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज के नियंत्रण में प्रारम्भ करने के संबंध में, 16-गोरखपुर महानगर में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित किये जाने के संबंध में, 17-अधिवक्ता कल्याण निधि में अधिवक्ताओं को मिलने वाले लाभ को बढ़ाये जाने के संबंध में, 18-प्रदेश की पूरी तरह बिगड़ चुकी तथा असफल हो चुकी जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के संबंध में, 19-गोरखपुर महानगर में कार्यरत सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को मानक के अनुरूप चलाये जाने के संबंध में, 20-आमी एवं राप्ती नदी के प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्य योजना बनाये जाने के संबंध में तथा 21-प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर नियंत्रण हेतु पुलिस प्रशासन को राजनैतिक हस्तक्षेप से मुक्त करने हेतु केन्द्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		सरकार की संस्तुतियों के अनुरूप मॉडल पुलिस ऐक्ट लागू करने के संबंध में।"
25	श्रीमती प्रेमलता कटियार (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-महिलाओं से जुड़े अपराध रोकने व अपराधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने के सम्बन्ध में, 2-चिकित्सा क्षेत्र में नकली दवाइयों के कारोबार पर तुरन्त प्रभावी अंकुश लगाने व आम जनता को दूरस्थ क्षेत्रों में डाक्टरों के शोषण, भ्रष्टाचार से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में, 3-बिगड़ी कानून व्यवस्था को कड़ाई से संभालने एवं भ्रष्टाचार मुक्त करने के सम्बन्ध में, 4-प्रदेश में मिलावटी खाद्य पदार्थों की सघन जांच के लिये जिला स्तरीय प्रयोगशालायें स्थापित करने के सम्बन्ध में, 5-बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के सम्बन्ध में, 6-प्रदेश को औद्योगिक विद्युत कटौती से मुक्त करने के सम्बन्ध में, 7-सभी माननीय विधायकों को पी0 डब्लू0 डी0 द्वारा निर्मित सड़कों के चिन्हीकरण के सम्बन्ध में, 8-विधान सभा क्षेत्र कल्याणपुर की नव विकसित बस्तियों के जल निकासी योजना हेतु नालों के निर्माण के सम्बन्ध में, 9-विधान सभा क्षेत्र कल्याणपुर में गौतमबुद्ध पार्क, इन्दिरा नगर में तारा मण्डल के निर्माण के सम्बन्ध में, 10-कल्याणपुर विधान सभा क्षेत्र के विनायकपुर, कल्याणपुर कलां, खुर्द मिर्जापुर, कपली, गम्भीरपुर आदि क्षेत्रों में जल निकासी हेतु चौड़ी सीवर लाइन निर्माण के सम्बन्ध में, 11-कल्याणपुर विधान सभा क्षेत्र के निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्र को केस्को द्वारा विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में, 12-कानपुर मध्य स्थित प्राचीनतम सीसामऊ नाला की मरम्मत एवं सफाई के सम्बन्ध में, 13-नव विकसित कल्याणपुर क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति हेतु खम्भों एवं तार बिछाने के सम्बन्ध में,

अनुवाद प्रदर्शन

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		14-कानपुर के पश्चिमी क्षेत्र में आगजनी से बचाने हेतु फायर ब्रिगेड की स्थापना के सम्बन्ध में, 15-गंगा नदी के जल को शुद्ध, प्रदूषण मुक्त कराये जाने के कारगर उपाय के सम्बन्ध में, 16-पनकी स्थित हनुमान मन्दिर दरबार के क्षेत्रीय महत्व को देखते हुये पनकी धाम के बहुआयामी विकास के सम्बन्ध में, 17-बिठूर नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत घोषित करने तथा सभी घाटों, वार्डों में सभी श्रेणी की सुविधाओं के सम्बन्ध में, 18-छात्र संगठनों के चुनाव पर लगाये गये प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में, 19-महान स्वतंत्रता सेनानी एवं शौर्य की प्रतीक महारानी लक्ष्मीबाई की क्रीड़ा स्थली बिठूर क्षेत्र में उनकी स्मृति में एक भव्य एवं प्रेरणादायी स्मारक के निर्माण के सम्बन्ध में, 20-उद्योग की दृष्टि में अत्यन्त महत्वपूर्ण कानपुर नगर में किये जा रहे 8-10 घंटे की विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति से अविलम्ब निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में, 21-कल्याणपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रमुख व्यस्ततम् जर्जर सड़कों के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में तथा 22-गंगा बैराज से प्राप्त होने वाले जल के पूर्ण उपयोग होने के सम्बन्ध में।"
26	श्री श्यामदेव राय चौधरी (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-वाराणसी में दक्षिणी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत जर्जर सड़कों के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में, 2-धार्मिक तीर्थ और पर्यटन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण नगर वाराणसी में निर्वाध विद्युत आपूर्ति तथा कटौती को पूरी तरह से समाप्त करने के सम्बन्ध में, 3-दक्षिणी विधान सभा अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में विशेषकर गलियों के जर्जर विद्युत तारों को बदलने के सम्बन्ध में, 4-दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत घनी आबादी वाले पक्के मोहल्लों के गलियों में व्याप्त पेयजल अनापूर्ति कष्ट को दूर करने एवं प्रदूषित जलापूर्ति को रोकने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		5-ग्रामीण क्षेत्र की भांति शहरी क्षेत्र में भी हैण्डपम्प लगाने हेतु विधायकों को अधिकार देने के सम्बन्ध में,
		6-वाराणसी की बढ़ती हुई आबादी एवं विस्तार को दृष्टिगत रखते हुये एक नया जल-कल स्थापित करने के सम्बन्ध में,
		7-महान स्वतंत्रता सेनानी एवं शौर्य की प्रतीक महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली वाराणसी के अस्सी मोहल्ले में उनकी स्मृति में एक भव्य एवं प्रेरणादायी स्मारक का निर्माण अविलम्ब प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में जबकि उक्त हेतु वर्ष 2002 में 90 लाख रुपये की धनराशि राज्य सरकार को प्रदान कर दी गयी है,
		8-वाराणसी के भूलूपुर क्षेत्र में 220/33 के0 वी0 का नये सब स्टेशन के निर्माण हेतु प्राथमिकता से कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,
		9-वाराणसी में गंगा नदी में प्रदूषण को समाप्त करने हेतु उसमें गिरने वाले गन्दे नालों को अविलम्ब बन्द करने के सम्बन्ध में,
		10-वाराणसी में गंगा नदी में रामनगर से राजघाट तक मछली मारने, बालू खनन पर लगे प्रतिबन्ध तथा कछुआ सेंच्युरी के विरोध में मल्लाह समुदाय द्वारा आन्दोलन के प्रति सकारात्मक कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में,
		11-वाराणसी में विशेषकर दक्षिणी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत गलियों के अन्दर ध्वस्त हो गयी सीवर की सफाई एवं आवश्यकतानुसार अधिक क्षमता के नये सीवर लाइन डालने के सम्बन्ध में,
		12-शान्ति व्यवस्था के लिये खतरा बन रहे अवैध बंगला देशियों के विरुद्ध आवश्यक कदम उठाने के सम्बन्ध में,
		13-ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के विद्युत बिल के बकाये के भुगतान हेतु एकमुश्त समाधान योजना की सुविधा की तरह शहरी घरेलू बत्ती व पंखा उपभोक्ताओं को भी एकमुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत अधिभार में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में,
		14-विभिन्न वृद्धावस्था पेंशन योजना में केन्द्र से प्राप्त 200 रुपये के समतुल्य राज्य सरकार द्वारा भी 200 रुपये का अंशदान करते हुये प्रत्येक लाभार्थी को कुल 400 रुपये का पेंशन प्रदान करने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		15-सबसे पुरानी और घनी आबादी के दक्षिणी विधान सभा के गलियों में बढ़ी हुई आबादी और दबाव के अनुसार पेयजलापूर्ति की पुरानी पाइप लाइनों को बदलकर अधिक क्षमता की पाइप लाइन डालने के सम्बन्ध में,
		16-दक्षिणी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पेयजल अनापूर्ति कष्ट तथा गन्दा जल आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने तथा शुद्ध और साफ पेयजल पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करने के सम्बन्ध में,
		17-वाराणसी में दशास्वमेघ में स्थित चित्तरंजन पार्क के सामने स्थित सुलभ शौचालय को दो मंजिली बनाकर क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,
		18-वाराणसी में कोल्हुवा-विनायका क्षेत्र में स्थित सेन्ट्रल हिन्दू प्राथमिक विद्यालय के मुख्य गेट पर स्थित कूड़ा घर को व्यापक जनहित में अविलम्ब अन्यत्र स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में,
		19-भारत के सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी जिसे पर्यटन, तीर्थनगरी, पर्यटन तथा शिक्षा का प्रमुख केन्द्र माना जाता है, को विशेष छूट प्रदान करते हुये निर्बाध विद्युत आपूर्ति की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में,
		20-आसमान छूती महंगाई से त्रस्त आम गरीब जनता को राहत प्रदान करने के सम्बन्ध में,
		21-वाराणसी में दिन-प्रतिदिन बेलगाम होती जा रही कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के सम्बन्ध में,
		22-पेयजल अनापूर्ति तथा गन्दा पानी पी रही वाराणसी की त्रस्त जनता को फिजूल खर्चा को रोकने के नाम पर पानी का मीटर लगाने की योजना को अविलम्ब जनहित में वापस लेने के सम्बन्ध में,
		23-वाराणसी शहर की जटिल और गम्भीर होती जा रही जाम की समस्या से निजात दिलाये जाने हेतु कोई भी कार्यक्रम लागू करने के सम्बन्ध में,
		24-कैंसर रोग की तरह फैल रहे भ्रष्टाचार से त्रस्त आम जनमानस को राहत प्रदान करने के सम्बन्ध में,
		25-विकास कार्यों में विशेषकर नगर निगम द्वारा कराये जाने वाले विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि/पूर्वान्चल विकास

उत्तर प्रदेश संसदीय

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		निधि के कार्यों में गुणवत्ता एवं मानक का कठोरता से अनुपालन कराने एवं कार्यदायी संस्था के अधिकारियों, कर्मचारियों की जबाबदेही सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में तथा 26-आने वाली गर्मी के दिनों में ट्रान्सफारमर के लगातार जल जाने से विद्युत आपूर्ति में उत्पन्न व्यवधान को रोकने हेतु पर्याप्त संख्या में वाराणसी के लिये ट्रान्सफारमर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।"
27	श्री जगन प्रसाद गर्ग (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-प्रदेश में हो रही चोरी, डकैती, गुण्डागर्दी, लूटपाट व अपहरणों को रोकने एवं ठोस तात्कालिक योजना बनाने के सम्बन्ध में, 2-आगरा पुलिस द्वारा न्यायालय द्वारा जारी सम्मनों को तामील न कराने व बाद में गैर जमानती वारन्ट आने पर सम्भ्रान्त व्यक्तियों को थाने में बन्द कर उत्पीड़न रोकने के सम्बन्ध में, 3-आगरा एवं पास के जिलों के लिये सस्ता एवं सुलभ न्याय देने हेतु हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के सम्बन्ध में, 4-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने हेतु आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने के सम्बन्ध में, 5-आगरा स्थित ताजमहल, सिकन्दरा, लाल किला व फतेहपुर सीकरी जैसे स्मारकों को देखने आने वाले पर्यटकों हेतु आगरा मथुरा के बीच अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के सम्बन्ध में, 6-आगरा में कृषि शिक्षा हेतु कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में, 7-आगरा में गरीब बच्चों की शिक्षा के लिये नगर निगम के स्कूलों के नये निर्माण व पुराने भवनों की मरम्मत व फर्नीचर निर्माण के सम्बन्ध में, 8-आगरा में बिना लाइसेंस के चल रही मीट की दुकानों को बन्द करने व सार्वजनिक, धार्मिक एवं विद्यालयों से दूर हटाकर खोले जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		9-आगरा में वी0 पी0 आयल मिल के पास घटिया आजम खां व महाराजा अग्रसेन इण्टर कालेज के पास धूलियागंज दोनों रेलवे पुलों के नीचे बेलनगंज व एत्माद्दौला स्मारक के सामने जमुना ब्रिज स्टेशन रोड व आलमगंज पानी की टंकी सहित के अतिक्रमणों को हटाने के सम्बन्ध में,
		10-आगरा के तोता का ताल, आगरा कालेज फील्ड के बगल नाले, महाराणा प्रतापनगर नाले व राजश्री सिनेमा के बगल वाले नाले तथा बाल्मीकि बस्ती पीर कल्याणी सहित सम्पूर्ण नालों की क्रमवार नियमित सफाई के सम्बन्ध में,
		11-आगरा में 89 उत्तरी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत खराब पड़े लगभग 550 हैण्डपम्पों की मरम्मत व रिबोर कराकर ठीक कराने के सम्बन्ध में,
		12-आगरा के मस्ता बगीची बल्केश्वर, जौन्स मिल, जीवनी मण्डी व रावतपाड़ा तथा किनारी बाजार सहित सम्पूर्ण गिरासू विद्युत पोलों तथा खराब ट्रान्सफारमरों को बदलने के सम्बन्ध में,
		13-अब्बूलाल दरगाह से ए-6, जनता क्वार्टर के सामने पुलिया कमला नगर तक नाला चौड़ा व गहरा बड़ा बनाने के सम्बन्ध में,
		14-प्रदेश में डीजल व पेट्रोल के मूल्यों पर सेल टैक्स को दिल्ली व हरियाणा के समकक्ष करने के सम्बन्ध में,
		15-आगरा के मदिया कटरा, लोहा मण्डी, राजा मण्डी व कमला नगर तथा बल्केश्वर आदि प्रमुख क्षेत्रों को बन्दरों के आतंक से निजात दिलाने के सम्बन्ध में,
		16-आगरा के राजा की मण्डी रेलवे स्टेशन जो कि शहर के मध्य है का नाम जो कि हास्यास्पद है को बदलकर आगरा सेन्ट्रल करने के सम्बन्ध में,
		17-आगरा की यातायात व्यवस्था को दुरूस्त करने हेतु सिकन्दरा, खन्दारी चौराहा, सुल्तानगंज की पुलिया चौराहा व वाटर वर्क्स चौराहे पर ओवर ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		18-प्रदेश में संस्कृत को अनिवार्य भाषा बनाने के सम्बन्ध में,
		19-प्रदेश में महाशिवरात्रि, भगवान गौतम बुद्ध जयन्ती, भगवान महावीर जयन्ती व गांधी जयन्ती के अवसर पर धर्म

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		प्रेमियों की भावनाओं का सम्मान करते हुये मांस की दुकानें व वधशालाओं को बन्द कराने के शासनादेश को सख्ती से लागू कराने के सम्बन्ध में, 20-आगरा में आगरा किला से एत्माद्दौला तक रोपवे एवं ताजमहल से बल्केश्वर महादेव मन्दिर तक हाथ चलित एवं पेट्रोल चलित नाव चलाने के सम्बन्ध में, 21-प्रदेश में गो-रक्षा कानून का सख्ती से पालन के सम्बन्ध में, 22-प्रदेश में व्याप्त गुण्डागर्दी, कानून व्यवस्था की खराब स्थिति, अपहरण उद्योग जैसे दलित महिलाओं पर बढ़ रहे अपराधों में बढ़ोत्तरी मानव अंगों की तस्करी, लूटपाट, डकैती आदि को रोकने के सम्बन्ध में, 23-आगरा जनपद में धोबियों को कपड़े धोने हेतु शहर के नजदीक पर्याप्त नये घाटों के निर्माण के सम्बन्ध में, 24-प्रदेश में भू-गर्भ जल विभाग में अवशेष 418 कार्य प्रभावित कर्मचारियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में, 25-आगरा जनपद में अतिक्रमण के कारण नाले व नालियों की सफाई नहीं होती है इस कारण जलभराव की समस्या बहुत ही ज्यादा है उसके निदान के लिये विशेष रूपरेखा बनाने के सम्बन्ध में, 26-आगरा महानगर में खटीक पाड़ा (रघुनाथ टाकीज के पास) में अनुसूचित जातियों के लिये प्राइमरी स्कूल एवं बारात घर निर्माण के सम्बन्ध में, 27-प्रदेश में जनसंख्या को देखते हुए मुख्य आवश्यक वस्तुओं, जैसे-गेहूं, चावल, आटा, दालें, चीनी, गुड़, चना, सरसों का तेल, वनस्पति घी, रिफाइन्ड आयल, डबलरोटी, आलू, प्याज की उपलब्धता, मूल्य नियंत्रण एवं घटतौली व अपमिश्रण की रोकथाम के सम्बन्ध में, 28-आगरा की यातायात व्यवस्था जनसंख्या बढ़ जाने के कारण ध्वस्त है उसके निवारण के लिये निम्न स्थानों 1-रावली मन्दिर, 2-कलक्ट्री, 3-सेंट जौन्स कालेज, 4-मदिया कटरा के रेलवे पुलों को चौड़ा करने के सम्बन्ध में, 29-आगरा महानगर के शहरी क्षेत्रों से टेनरियों, दुग्ध व्यवसाय में जुड़े भैस, गाय के बाड़ों, मीट आदि के बिक्री केन्द्रों

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		को हटाकर बाहरी बिना भीड़-भाड़ के इलाकों में स्थानान्तरित किये जाने एवं सम्बन्धित लोगों को आगरा विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद् द्वारा सस्ते दामों पर जगह उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		30-आगरा महानगर में बढ़ रहे ट्रैफिक को देखते हुए राजधानी दिल्ली की तरह पर्याप्त मात्रा में चौराहों को, सड़कों को व नालों के ऊपर पुलों को चौड़ा करने के सम्बन्ध में,
		31-पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु आगरा, फतेहपुर सीकरी के सभी ऐतिहासिक व धर्मस्थलों को मेट्रो रेल से जोड़ने के सम्बन्ध में,
		32-प्रदेश में शिक्षा मित्रों, होमगार्डों का वेतन बढ़ाने तथा उनसे नियमित कार्य लेने के सम्बन्ध में,
		33-प्रदेश में प्रत्येक गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति का बीमा कराकर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		34-किसानों को दैवीय आपदा के समय पर्याप्त मात्रा में सहायता राशि व धन अनुदान स्वरूप दिलाने के सम्बन्ध में,
		35-प्रदेश में वृद्धों के लिये ओल्ड एज होम पर्याप्त मात्रा में बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		36-प्रदेश के नारी निकेतन, अनाथालयों, भिक्षुक गृहों की दशा सुधारने के सम्बन्ध में,
		37-प्रदेश के पत्रकार बन्धुओं की सुरक्षा व्यवस्था, आवास व्यवस्था एवं यात्रा व्यवस्था हेतु सरकारी अनुदान दिलाने के सम्बन्ध में,
		38-आगरा महानगर की मलिन बस्तियों में आवश्यक रूप से सुलभ शौचालय व पेशाबघर बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		39-आगरा महानगर में उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार निरन्तर 24 घण्टे की विद्युत आपूर्ति सुचारु रखने के सम्बन्ध में,
		40-आगरा महानगर में विद्युत तारों, ट्रान्सफार्मर, विद्युत पोल की जर्जर दयनीय स्थिति को सुधारने के सम्बन्ध में,
		41-आगरा में छात्र/छात्राओं की पढ़ाई हेतु नये विद्यालय व महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश राज्य

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		42-आगरा महानगर में गरीब लोगों की चिकित्सा हेतु निम्न अस्पतालों में (एस0एन0 मेडिकल कालेज, जिला अस्पताल, लेडी लायल महिला अस्पताल, मानसिक अस्पताल, ई0एस0आई0 डिस्पेन्सरी) में विस्तार व सुधार के सम्बन्ध में,
		43-आगरा में जल निकासी के लिये नाला और नाली व सीवर के निर्माण के सम्बन्ध में,
		44-प्रदेश में जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण व दूषित पर्यावरण को रोकने के सम्बन्ध में,
		45-आगरा में ताजमहल के आस-पास विशेष सफाई कर्मचारी लगाकर दो समय विशेष सफाई कराने के सम्बन्ध में,
		46-प्रदेश के गिरते हुए भू-जल स्तर को ऊपर उठाने के सम्बन्ध में,
		47-प्रदेश के प्राथमिक, जूनियर स्कूलों व इण्टर कालेजों के शिक्षा स्तर को उठाने के सम्बन्ध में,
		48-प्रदेश में बेसिक शिक्षा को विषय के रूप में पढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,
		49-आगरा में पोइयाघाट दयालबाग से जमुना पार जाने के लिये पुल के निर्माण के सम्बन्ध में,
		50-आगरा के जूता व्यवसाय की स्थिति को सुधारने व उन्हें सहायता देने के सम्बन्ध में,
		51-आगरा में विधवाओं और वृद्धों को अधिकाधिक संख्या में तथा 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिलाने के सम्बन्ध में,
		52-आगरा महानगर में फाउन्ड्री उद्योगों के बन्द होने के कारण बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार देने हेतु इलेक्ट्रानिक उद्योग विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में,
		53-आगरा महानगर में टी0बी0 अस्पताल, एस0एन0 अस्पताल व सरोजनी नायडू महिला अस्पताल व जिला चिकित्सालय की दयनीय स्थिति को सुधारने के सम्बन्ध में,
		54-आगरा महानगर को ताजमहल, सिकन्दरा, लाल किला व एत्माद्दौला जैसे स्मारकों के कारण पर्यटन स्थल बनाने के सम्बन्ध में,
		55-आगरा महानगर में पुराने कुओं की सफाई करके पानी को पीने योग्य बनाये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश संसद

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		56-आगरा महानगर में कमला नगर, बल्केश्वर व ट्रान्सपोर्ट नगर में बन्द पड़ी सीवर लाइनों को खुलवाकर चालू करने के सम्बन्ध में,
		57-आगरा महानगर में पर्याप्त मात्रा में लोड के अनुसार सीवर लाइन एवं पानी हेतु पाइप लाइन डलवाने के सम्बन्ध में,
		58-प्रदेश में रसाई गैस की ब्लैक को रोकने व घटतौली रोकने तथा पेट्रोल, डीजल में हो रही मिलावट को रोकने के सम्बन्ध में,
		59-आगरा जल संस्थान की पुरानी जर्जर मशीनों की जगह नये प्लान्ट लगवाये जाने एवं शुद्ध पीने योग्य पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,
		60-आगरा जल संस्थान को सीवर की सफाई हेतु पर्याप्त मात्रा में जेटिंग मशीन खरीद कर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		61-आगरा महानगर में जल संस्थान द्वारा सैकड़ों नलों से व्यर्थ पानी के बहाव को रोकने हेतु टोटी लगाने व लाइन लीकेज को ठीक करने के सम्बन्ध में,
		62-आगरा महानगर में पानी की पर्याप्त उपलब्धता हेतु 1000 नये समरसेबिल पम्प शीघ्र लगाने के सम्बन्ध में,
		63-आगरा विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद् द्वारा बनायी गयी कालोनियों में टंकी द्वारा पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		64-आगरा महानगर में जनसंख्या बढ़ने के कारण सफाई व्यवस्था को सुधारने हेतु लगभग 5000 सफाई कर्मचारियों की नयी भर्ती करने के सम्बन्ध में,
		65-आगरा महानगर की सफाई व्यवस्था हेतु उपयुक्त मात्रा में हथठेले, रिक्शा, फावड़े, झाड़ू, ब्लीचिंग पाउडर, चूना आदि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		66-आगरा महानगर में सफाई कर्मचारियों को बीमारियों से बचाने हेतु व बचाव साधन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		67-उ0 प्र0 में सफाई कर्मचारियों को ही अनुभव के आधार पर सुपरवाइजर, सेनेटरी इन्सपेक्टर व चीफ सेनेटरी इन्सपेक्टर बनाने एवं फन्ड व बोनस आदि समय से देने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		68-आगरा महानगर की स्ट्रीट लाइट को सुधारने हेतु स्विच वायर डालकर प्रत्येक विद्युत पोल पर सोडियम लैम्प, ट्यूब लाइट लगाने के सम्बन्ध में,
		69-आगरा महानगर में नगर निगम, आगरा विकास प्राधिकरण व डूडा द्वारा पार्षद, महापौर, विधायक व जन-प्रतिनिधियों की संस्तुति के बाद ही निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में,
		70-आगरा महानगर में दसियों कान्वेंट स्कूलों का भवन निर्माण होने के बाद उन पर सही हाउस टैक्स न लगाने वाले सम्बन्धित दोषी अधिकारियों को राजस्व हानि के लिये दण्डित करने के सम्बन्ध में,
		71-सम्पूर्ण आगरा को अतिक्रमणों से मुक्त करने हेतु अतिक्रमण हटाओ दस्ता मय मजिस्ट्रेट के बनाने के सम्बन्ध में,
		72-हरियाणा, दिल्ली व मध्य प्रदेश में वाहन परिवहन शुल्क एवं सालाना टैक्स बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में भी उतना ही टैक्स करने के सम्बन्ध में,
		73-आगरा महानगर के सभी विद्यालयों को दो पालियों में चलाने व उपयुक्त संख्या में अध्यापक व अध्यापिकाओं की नयी नियुक्ति के सम्बन्ध में,
		74-आगरा महानगर में लोहा मण्डी बाजार को अन्यत्र स्थापित कराने हेतु व्यापारियों को सही दर पर आ0वि0प्रा0 द्वारा जमीन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		75-प्रदेश में माध्यमिक शिक्षकों को क्लास में कम से कम 60 प्रतिशत तक सफल परिणाम आने पर ही पदोन्नति, इंक्रीमेन्ट आदि की सुविधा देने के सम्बन्ध में,
		76-आगरा महानगर में छात्रों को छात्रवृत्ति न मिलने की शिकायतों की जांच कराकर दोषी लोगों को सजा दिलाने के सम्बन्ध में,
		77-प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म कराने हेतु जनप्रतिनिधियों, आई0ए0एस0, आई0पी0एस0, पी0सी0एस0 अधिकारियों, चिकित्सकों, वकीलों व अभियन्ताओं के निवास स्थान तथा रहन-सहन के स्तर की जांच कराकर दोषी के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		78-आगरा में गंगा नदी से पर्याप्त मात्रा में यमुना नदी में पानी लाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में,
		79-भगवान टाकीज से न्यू आगरा होते हुए दयालबाग तक सड़क का चौड़ीकरण व डिवाइडर लगाने व विद्युत पोल लगाने के सम्बन्ध में,
		80-आगरा के देहली गेट पर रेलवे पुल का चौड़ीकरण व डिवाइडर लगाने व बीच में विद्युत पोल लगाने के सम्बन्ध में,
		81-गरीब लोगों द्वारा बनाई व खाई जाने वाली रेवड़ी, गजक व पेठा सीजनल मिठाई से वैट हटाने के सम्बन्ध में,
		82-आगरा की जनसंख्या अत्यधिक हो जाने के कारण पानी सप्लाई हेतु एक नया जल संस्थान का निर्माण ट्रान्स यमुना कालोनी में करने के सम्बन्ध में,
		83-जिलाधिकारी आगरा द्वारा केवल सत्ता पक्ष के विधायकों की स्वीकृत पर ही शस्त्र लाइसेन्स बनाये जाने व अन्य पार्टी के विधायकों की स्वीकृत से शस्त्र लाइसेन्स न बनाये जाने के कारण पारदर्शी शस्त्र नीति बनाने के सम्बन्ध में,
		84-आगरा महानगर के बाल्मीकि बस्ती शिवपुरी बल्केश्वर, मलिन बस्ती कच्छपुरा, नगला फतूरी नाला वुड़ान सैय्यद, वाटर वर्क्स के पास शास्त्रीनगर के पूर्ण रूप से गिरासू शौचालयों को दोबारा बनाने के सम्बन्ध में,
		85-आगरा महानगर के ट्रांसपोर्ट नगर, ग्रीन पार्क कालोनी तोता का ताल व न्यू राजा मण्डी कालोनी के राजामण्डी स्टेशन स्थित पार्क से अवैध कब्जे हटाकर पार्कों का सौन्दर्यीकरण कराने के सम्बन्ध में,
		86-आगरा में जमुना किनारा ताजमहल से बल्केश्वर तक घाटों का निर्माण व पार्कों का सौन्दर्यीकरण व लाइटिंग करके बम्बई की तरह चौपाटी बनाने के सम्बन्ध में,
		87-आगरा में ताजमहल से लेकर कैलाश महादेव मन्दिर तक जमुना की खुदाई करके (वीयर) बनाकर पानी को रोकने के सम्बन्ध में,
		88-आगरा में सुल्तानगंज की पुलिया के निकट सभी कालोनियों की जर्जर एवं गड्ढा युक्त सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		89-आगरा में ताजमहल, लालकिला, सिकन्दरा, एत्माद्दौला स्मारकों तथा बल्केश्वर महादेव मन्दिर व कैलाश महादेव मन्दिर को जमुना में नाव (वोट) के माध्यम से दिखाने व घुमाने के सम्बन्ध में,
		90-आगरा में गाय व भैसों के मालिकों को शहर के नजदीक तवेला हेतु सस्ती दर पर जगह दिलाने के सम्बन्ध में,
		91-आगरा जनपद के मुख्य मार्गों को दबंग लोगों द्वारा खोखे लगाकर अवरुद्ध कर दिया है उनमें से दयालबाग, भगवान टाकीज पुल के नीचे, रामबाग पुल के नीचे, आगरा फोर्ट स्टेशन के सामने, महाराजा अग्रसेन इण्टर कालेज, धूलियागंज सहित सम्पूर्ण नाजायज खोखों को हटाने के सम्बन्ध में,
		92-आगरा जनपद में नुनिहाई से रेल पटरी पार कर प्रकाश नगर व सुशील नगर जमुना पार जाने के लिये रेलवे पुल अथवा रेलवे फाटक बनाने के सम्बन्ध में,
		93-प्रदेश में वैट की दरें अन्य प्रदेशों के समकक्ष करने के सम्बन्ध में,
		94-आगरा जनपद में विगत 5 वर्षों से हो रहे ताज महोत्सव में फिजूल खर्ची के अश्लील नाच व गन्दे गानों पर सरकारी व जनता के धन के दुरुपयोग को रोकने के सम्बन्ध में,
		95-आगरा जनपद में बगैर लाइसेन्स के भगवान टाकीज पुल के नीचे, सुल्तानगंज पुलिया चौराहे के पास, गधापाडा तिराहे के पास, किदवई पार्क से उतरकर डा0 दयाल की कोठी के पास व नुनिहाई जिला उद्योग केन्द्र के सामने सड़क पर रखकर अवैध रूप से मछली बेचने को रोकने के सम्बन्ध में,
		96-प्रदेश में छावनी परिषदों द्वारा कस्बो तथा शहरों से स्थानीय प्रवेश कर हटाने तथा उन्हें प्रदेश फन्ड से सहायता देने के सम्बन्ध में,
		97-आगरा जनपद की मोती कुंज व मालवीय कुंज कालोनी सहित प्रदेश की अन्य विस्थापित कालोनी के निवासियों को उनके क्वाटर कम कीमत पर उन्हें ही बेचने के सम्बन्ध में,
		98-उ0 प्र0 में वर्ष 2006-07 में मुख्य मंत्री माननीय श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा प्रत्येक विधायक को अपने-अपने क्षेत्र में 7 कि0मी0 सड़क निर्माण कराने हेतु दी थी। उस व्यवस्था को पुनः लागू करने के सम्बन्ध में,

अविशासित प्रदेश

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		99-प्रदेश में बहुत से ऐसे 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं जिनके पिता नहीं और घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है उन्हें सरकारी सहायता देने अथवा उन्हें कोई हल्का श्रम करने की छूट देने के सम्बन्ध में,
		100-प्रदेश में बी0एड0 के छात्रों को पुरानेपन के आधार पर नम्बर बाई नम्बर सरकारी नौकरी देने के सम्बन्ध में,
		101-आगरा जनपद में बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं में मिड-डे मिल खाने में हो रही धांधली रोकने व बासी व मिलावटी खाने को हमेशा के लिए बन्द करने के सम्बन्ध में,
		102-आगरा जनपद में सड़क पर घूम रहे आवारा पागल कुत्तों व आवारा पशुओं को पकड़कर वेयर हाउस में रखने के सम्बन्ध में,
		103-आगरा जनपद में गन्दे लैट्रिन युक्त नाले जो जमुना जी में जाकर मिल रहे जिसके कारण जमुना जी का पानी विषाक्त हो रहा है हजारों की संख्या में मछली मर गई है उन गन्दे नालों को रोकने के सम्बन्ध में,
		104-प्रदेश में विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषदों द्वारा बनाई जाने वाली कालोनियों में स्कूल, पार्क, अस्पताल, कम्युनिटी हाल, पानी की टंकी व बिजली घर के लिए भूखण्ड अवश्य छोड़े जाने के सम्बन्ध में,
		105-रामबाग चौराहे से टाटा कम्पनी नुनिहाई तक की गड्ढा युक्त सड़क को डिवाइडर लगाकर व विद्युत पोल लगाकर लाइट लगाने के सम्बन्ध में,
		106-आगरा जनपद में ट्रान्सपोर्ट नगर की सड़कें व नालियां विगत 12 वर्षों से नहीं बनी है। पानी की कोई निकासी न होने के कारण जलभराव से साक्षात नरक बन गया है, उन्हें बनवाने के सम्बन्ध में,
		107-आगरा जनपद की पालिका नगर कालोनी, जमुना पार की सड़कें व नालियां गायब हैं उनके निर्माण के सम्बन्ध में,
		108-आगरा जनपद के मदरसे वाली गली, बजीरपुरा के विद्यार्थियों व वहां के निवासियों को गन्दगी व बदबू से निजात दिलाने के लिए वहां से छोटे कट्टी खाने को हटाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		109-आगरा जनपद में शरीर का व धन का नुकसान करने वाली नशे के लिए हो रही टिंचर की अवैध बिक्री को रोकने के सम्बन्ध में,
		110-प्रदेश में रसोई गैस की ब्लैक को रोकने व घटतौली रोकने तथा पेट्रोल, डीजल में हो रही मिलावट को रोकने के सम्बन्ध में,
		111-उत्तर प्रदेश विभिन्न प्रकार के टैक्सों को कम कर एक या दो स्थानों पर ही टैक्स लगाकर ईमानदारी व कड़ाई से वसूल करने के सम्बन्ध में,
		112-आगरा जनपद के नुनिहाई के बहुत पुराने शमशान घाट का जीर्णोद्धार व नुनिहाई से वहां तक जाने वाली सड़क को बनवाने के सम्बन्ध में,
		113-आगरा स्थित अनुराग नगर बल्केश्वर से मनोहरपुर तक की जर्जर सड़क को बनवाने के सम्बन्ध में,
		114-आगरा में गरीबों के लिए पेठा मिठाई बनाने वाले पेठा व्यवसाइयों को शहर से बाहर कम कीमत पर डेवलप कर प्लाट उपलब्ध कराने व कंट्रोल रेट पर गैस की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में,
		115-आगरा जनपद की पानी की कमी की विकट समस्या के निवारण हेतु प्रस्तावित बैराज को जल्दी से जल्दी बनवाने के सम्बन्ध में,
		116-आगरा जनपद में बनने वाले ताज कोरीडोर को पुनः सुधार अथवा संशोधन करके बनाने के सम्बन्ध में,
		117-प्रदेश में स्कूटर व मोटर साइकिल के चालानों का मौका स्थल पर ही जुर्माना कर छोड़ने के सम्बन्ध में,
		118-आगरा के आगरा कैन्ट स्टेशन, ताजमहल, किला, सिकन्दरा व एत्माद्दौला आदि प्रमुख स्मारकों पर देश-विदेश के पर्यटकों की लूटपाट रोकने हेतु विशेष पुलिस व्यवस्था लगाने के सम्बन्ध में,
		119-प्रदेश में परिसीमन होने के कारण व विधायक क्षेत्र बढ़ जाने तथा वोटरों की संख्या बढ़ जाने व मंहगाई बढ़ जाने के कारण विधायक निधि कम से कम 2 करोड़ करने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश संसदीय अध्ययन

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		120-आगरा नगर की जर्जर सड़क व नाली जो कि तोता का ताल से नगर निगम स्कूल तक ऊषा देवी मन्दिर मोती कुंज तक तथा सिन्धी गुरुद्वारा बिल्लोचपुरा तक एवं ग्रीन पार्क कालोनी तक बनवाने के सम्बन्ध में,
		121-ग्राम समाज की अतिरिक्त भूमि व नगरों में पड़ी अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों, किसानों व भूमिहीन नगरवासियों को देने के सम्बन्ध में,
		122-उत्तर प्रदेश में बहुत पुराने लम्बित विवादों को निपटाने हेतु न्यायालयों की डबल शिफ्ट लगाने अथवा नये न्यायालय बनाने के सम्बन्ध में,
		123-उत्तर प्रदेश में पड़ोसी राज्य राजस्थान की तरह पत्थरों द्वारा बनायी गयी मूर्तियों को वैट कर से मुक्त करने के सम्बन्ध में,
		124-जिला योजना समिति के सदस्य हेतु नगर निगम व नगरपालिका स्तर से चुनाव कर प्रत्येक से एक सदस्य चुनकर भेजने के सम्बन्ध में,
		125-प्रदेश में उत्पीड़न को रोकने हेतु गलत तरीके से लगाये जा रहे दहेज ऐक्ट एवं हरिजन ऐक्ट को हटाये जाने के सम्बन्ध में,
		126-आगरा में रामबाग पुल के नीचे एवं भगवान टाकीज के पास पुल के नीचे बहुत गन्दगी रहती है, गन्दगी एवं अवैध कब्जों को रोककर उसके नीचे अन्दर स्कूटर, आटो, कार एवं बस पार्किंग बनाने के सम्बन्ध में,
		127-उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवं पुत्रियों की शादी हेतु सहायता गरीबी के आधार पर बगैर किसी जाति धर्म के दी जा रही है फिर जाति धर्म की प्रमाण-पत्र की बाध्यता को हटाने के सम्बन्ध में,
		128-आगरा में आगरा फोर्ट के पास 40 साल से बन्द पड़े हुए पुराने बिजली घर को हटाकर उसके स्थान पर मार्केट या पार्किंग स्थल बनाने के सम्बन्ध में,
		129-आगरा में वेदान्त मन्दिर के निकट स्थित यमुना किनारे, कैलाश मन्दिर नगर के सबसे प्राचीन घाटों के सुधार एवं सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		130-आगरा में स्थित नगला फतूरी, नवलगंज, कटरा वजर खां, शास्त्री नगर, वाटर वर्क्स के गिरासू एवं जर्जर शौचालयों की मरम्मत के सम्बन्ध में,
		131-प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को काम एवं खेतों को बिजली-पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		132-प्रदेश को सूखा एवं बाढ़ से बचाने के लिये प्रदेश की नदियों को एक दूसरे से जोड़ने के सम्बन्ध में,
		133-आगरा में छोटे-छोटे झगड़े तथा प्रदर्शनों को दबाने के लिये गलत तरीके से रासुका लगाने को रोकने के सम्बन्ध में,
		134-आगरा में जीवनी मंडी स्थित जागरण अखबार के सामने कृष्णा कालोनी में सम्पूर्ण सड़कें विगत 10 वर्षों से जर्जर एवं गड्ढायुक्त हो गई है उनकी मरम्मत करवाने के सम्बन्ध में,
		135-आगरा में ताजमहल व एत्माद्दौला के पीछे जमुना जी में विगत पांच वर्षों से पड़ी भारी गन्दगी व कूड़े के ढेरों को साफ करने के सम्बन्ध में,
		136-आगरा जनपद में बहुत से स्थानों पर शौचालय व पेशाबघर नहीं हैं तथा नगर निगम द्वारा बनाये गये अधिकांश शौचालय एवं पेशाबघर गिरासू एवं जर्जर हो गये हैं। उनकी मरम्मत तथा नये शौचालय एवं पेशाबघर बनाने के सम्बन्ध में,
		137-आगरा के मनोहरपुर से जमुना पार जाने के लिये पुल के निर्माण के सम्बन्ध में,
		138-उत्तर प्रदेश में नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक लाख की आबादी पर मात्र लगभग सौ (100) पुलिस कर्मी हैं वर्तमान में प्रदेश में हो रही लूट, अपहरण, चोरी डकैती की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक लाख की आबादी पर एक हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती करने के सम्बन्ध में,
		139-आगरा के मोतीगंज (जमुना किनारे के पास) की सड़क विगत 10 वर्षों से गड्ढायुक्त एवं जर्जर है। सड़कें व नाली के मरम्मत के सम्बन्ध में,
		140-प्रदेश के विधायकों को विधायक निधि के कुछ कार्य नये परिसीमन के अनुसार भी कराने की सुविधा देने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		141-आगरा की सेन्ट्रल बैंक रोड कमला नगर की सड़क जर्जर एवं गड्ढायुक्त है तथा कमला नगर की जनसंख्या को देखते हुए उसकी चौड़ाई बहुत कम है। इस सड़क को चौड़ा कर बीच में डिवाईडर डालकर मय लाइट व्यवस्था करने के सम्बन्ध में,
		142-बहुत से पुत्र अपनी आर्थिक परेशानी के कारण अपनी विधवा माता व वृद्ध माता का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं ऐसी विधवा माता, वृद्ध माताओं को भरण-पोषण हेतु प्रतिमाह 1000/-रु0 सहायता राशि देने के सम्बन्ध में,
		143-प्रदेश में मनमाने तरीके से सर्किल दर बहुत बढ़ा दी है उसे कम करने के सम्बन्ध में,
		144-उत्तर प्रदेश में विधायकों को कूपन के कारण होने वाली परेशानी से बचाने हेतु कूपन के स्थान पर नगद धनराशि देने के सम्बन्ध में,
		145-उ0 प्र0 के सभी विधायकों को विगत वर्ष तक 225 हैण्डम्पों का कोटा लगवाने हेतु अधिकार दिया गया था उसे पुनः लागू करने के सम्बन्ध में,
		146-आगरा के आर्थिक विकास व देश-विदेश के पर्यटकों के मनोरंजन हेतु वेदान्त मन्दिर जमुना किनारे से एत्माद्दौला होते हुए लाल किला से ताजमहल तक रोपवे चलाने के सम्बन्ध में,
		147-आगरा में छावनी परिषद् द्वारा लगाये गये नाजायज प्रवेश शुल्क को हटाने के सम्बन्ध में,
		148-आगरा में सम्पूर्ण नगर में सड़कों में जगह-जगह गड्ढे हैं उनका पेच वर्क (मरम्मत) कराने के सम्बन्ध में,
		149-आगरा जीवन ज्योति हास्पिटल के पास बैनारा फैक्ट्री सिकन्दरा के पीछे तथा सामने 10 फुट चौड़ाई 10 फुट गहराई 5 कि0मी0 लम्बा नाले की मशीनों द्वारा तलीझाड़ सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,
		150-आगरा जनपद में कमला नगर क्षेत्र का क्षेत्रफल बहुत बढ़ जाने के कारण अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु नये थाने के निर्माण के सम्बन्ध में,
		151-प्रदेश में डीजल व पेट्रोल में हो रही मिट्टी के तेल की मिलावट को रोकने के लिये मिट्टी के तेल में दी जाने वाली सब्सिडी (छूट) को बन्द करने व कंट्रोल की दुकान से हटाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		152-आगरा जनपद में आलू की अधिकतम पैदावार को देखते हुए आलू पर आधारित चिप्स, पापड़, आलू पाउडर व शराब आदि की इन्डस्ट्रीज आगरा में लगाने के सम्बन्ध में,
		153-आगरा में कैलाश महादेव मन्दिर से बल्देव जाने हेतु जमुना पर बड़ा पुल बनाने के सम्बन्ध में,
		154-आगरा में कलेक्ट्री के पास स्थित नाले के पुल को यातायात व्यवस्था के लिये चौड़ा करने के सम्बन्ध में,
		155-आगरा महानगर के विभिन्न मार्केटों के बाहर खुले में बिक रहे मीट को रोकने के लिये आगरा महानगर की चारों दिशाओं में मीट मण्डी बनाने के सम्बन्ध में,
		156-आगरा में सुल्तानगंज चौराहे से मुगल रोड कमला नगर जाने हेतु पुलिया को चौड़ा करने के सम्बन्ध में,
		157-आगरा की सफाई व्यवस्था दो पारी में प्रातः 7 बजे से 1 बजे तक एवं सायंकालीन 1 बजे से 7 बजे तक कराने के सम्बन्ध में,
		158-उ0 प्र0 में सड़कों पर घूम रहे भिखारियों को पकड़कर भिक्षुक गृह में रखकर उन्हें काम सिखाकर स्वावलम्बी बनाने के सम्बन्ध में,
		159-आगरा में तोता के ताल से न्यू राजामण्डी होते हुए बेसन बस्ती, लोहामण्डी तक की जर्जर एवं गड्ढायुक्त सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में,
		160-आगरा में परिषदीय प्राथमिक व उच्च विद्यालयों में शिक्षकों की बहुत कमी है जो शिक्षा मित्रों की भर्ती 2007 में हुई थी वो भी पर्याप्त नहीं थी। नई शिक्षा मित्रों की भर्ती करने के सम्बन्ध में,
		161-आगरा नगर क्षेत्र के 17 वार्डों में परिषदीय विद्यालय नहीं हैं। उन 17 वार्डों में परिषदीय विद्यालय खुलवाने के सम्बन्ध में तथा
		162-आगरा में घटिया आजम खां स्थित पानी की टंकी से हरीपर्वत चौराहे तक की जर्जर एवं गड्ढायुक्त सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में।"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
28	श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ब्लाक आसपुर देवसरा एवं बाबा बेल्खरनाथ धाम में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में, 2-कौशल्या भारत सिंह गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय ढिढुई पट्टी एवं राजकीय महाविद्यालय मंगरौरा प्रतापगढ़ में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय सहित पी0जी0 कक्षायें खोलने के सम्बन्ध में, 3-पट्टी विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक पट्टी, आसपुर देवसरा, बाबा बेल्खरनाथ धाम, मंगरौरा के प्रत्येक न्याय पंचायत राजकीय इण्टर कालेज खोलने के सम्बन्ध में, 4-राम अजोर चौरसिया बालिका इण्टर कालेज पट्टी एवं आसपुर देवसरा में सभी विषयों के अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में, 5-जनपद प्रतापगढ़ में बिक रहे डीजल एवं पेट्रोल में साल्वेन्ट की मिलावट तथा मिट्टी के तेल को मिलाकर की जा रही बिक्री के रोकथाम के सम्बन्ध में, 6-धान क्रय केन्द्रों पर किसानों का धान तत्काल खरीदे जाने के समुचित उपाय किये जाने के सम्बन्ध में, 7-दैनिक उपयोग में आने वाले चीनी के बढ़ते हुए दाम को नियंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में, 8-खाद्यान्नों, दालों तथा खाद्य तेलों की आसमान छूती कीमतों पर नियंत्रण किये जाने के सम्बन्ध में, 9-आलू उत्पादकों को अधिकतम मूल्य दिये जाने हेतु नीति की घोषणा के सम्बन्ध में, 10-किसानों को फसलवार उर्वरकों की शत प्रतिशत व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में, 11-जनपद प्रतापगढ़ में सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप 75 मीटर की दूरी में स्थिति स्थलों पर वित्तीय वर्ष 2009-10 में चिन्हित एवं सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत स्थलों पर अभी तक इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प पेयजल हेतु लगाये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		12-पट्टी विधान सभा क्षेत्र के समस्त ऐसे ग्रामों जिनका विद्युतीकरण राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत किये गये हैं का उर्जीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		13-पट्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पूर्वान्चल विकास निधि के जिलांश के अन्तर्गत ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु जारी शासनादेश के अनुरूप अब तक विद्युतीकरण कार्य पूर्ण न किये जाने के सम्बन्ध में,
		14-जनपद प्रतापगढ़ में लगाये गये इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्पों तथा रि-बोर किये गये हैण्ड पम्पों पर विवरण अंकित किये जाने के सम्बन्ध में,
		15-प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था को सुधारने के सम्बन्ध में,
		16-जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में सिंचाई हेतु लगाये गये राजकीय नलकूपों की स्थिति सुधारने तथा पूरी क्षमता से सिंचाई हेतु पानी न दिये जाने के सम्बन्ध में,
		17-किसानों को धान के मूल्य का भुगतान न किये जाने तथा व्यवस्था को बिचौलियों की लूट-खसोट से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में,
		18-जनपद प्रतापगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ आम निर्धन जनता को दिलाने एवं उपभोक्ता वस्तुओं की कालाबाजारी रोकने के सम्बन्ध में,
		19-जनपद प्रतापगढ़ में विगत पांच वर्षों में वितरित की गयी वृद्धावस्था पेंशन/विकलांग पेंशन/विधवा पेंशन/छात्रवृत्ति समायोजन/शादी अनुदान राशि में किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में,
		20-प्रदेश के किसानों को फसलवार उन्नतिशील बीज, पानी, कीटनाशक दवायें दिलाये जाने के सम्बन्ध में,
		21-पट्टी विधान सभा क्षेत्र पट्टी के समस्त श्रेणी के ऐलोपैथिक, होम्यापैथिक, आयुर्वैदिक चिकित्सालयों में सभी श्रेणी के अधिकारी एवं कर्मचारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में,
		22-प्रदेश के सरकारी प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के सम्बन्ध में,

विधान सभा प्रदेश

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		23-प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में मिलने वाले मिड-डे मील की पूरी मात्रा मिलने एवं गुणवत्ता के सुधारने सहित योजना में हो रही कालाबाजारी एवं भ्रष्टाचार रोकने के सम्बन्ध में,
		24-गम्भीर बीमारी किडनी प्रत्यारोपण, हृदय रोग, लीवर प्रत्यारोपण, कैंसर के इलाज में पूरी तरह सरकारी खर्च उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,
		25-कृषकों को क्षति होने की दशा में शत प्रतिशत फसल बीमा दिये जाने के सम्बन्ध में,
		26-प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में विधायक की संस्तुति पर इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाये जाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में,
		27-पट्टी विधान सभा क्षेत्र में स्थित शहीद स्थल रूर एवं भऊपुर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में,
		28-मार्ग चांदा-पट्टी-बेल्हूपुर वाया गड़ौरी-जामताली तक मार्ग कोंहडौर से पट्टी तक मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,
		29-पट्टी नगर पंचायत को श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत शामिल किये जाने के सम्बन्ध में,
		30-पट्टी विधान सभा क्षेत्र में निःशुल्क बोरिंग, गहरी बोरिंग, मध्यम गहरी बोरिंग, रिचार्जिंग/चेकडैम, सामूहिक नलकूप, सामुदायिक ब्लास्ट कूप का कम से कम एक-एक हजार की संख्या स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में,
		31-पट्टी विधान सभा क्षेत्र में डेरी स्थापना के सम्बन्ध में,
		32- पट्टी विधान सभा क्षेत्र के सभी मार्गों के उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		33-पट्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत बनायी जा रही सड़कों के निर्माण को मानको के अनुरूप सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,
		34-डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों को संतृप्त किये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		35-पट्टी विधान सभा क्षेत्र के समस्त विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक निःशुल्क शिक्षा, पुस्तक, ड्रेस उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,
		36-पट्टी विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक आसपुर देवसरा, बाबा बेल्खरनाथ धाम में कस्तूरबा गांधी विद्यालय स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में,
		37-पट्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में,
		38-पट्टी नगर पंचायत को आई0एच0एस0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत शामिल किये जाने के सम्बन्ध में,
		39-पट्टी महोत्सव के आयोजन के सम्बन्ध में,
		40-जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पट्टी नगर पंचायत को शामिल किये जाने के सम्बन्ध में,
		41-जनपद प्रतापगढ़ में स्थित सई नदी को प्रदूषण मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में,
		42-पट्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सभी पात्र व्यक्तियों को इन्दिरा आवास, महामाया आवास, महामाया सर्वजन आवास स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में,
		43-गेहूं के लिए मूल्य समर्थन योजना 1500 रू0 प्रति कुन्तल किये जाने के सम्बन्ध में,
		44-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पट्टी अमरगढ़, कोंहडौर में ब्लड बैंक की स्थापना के सम्बन्ध में,
		45-पट्टी विधान सभा क्षेत्र के शत प्रतिशत विकलांगों को पेंशन, ट्राई साइकिल, बैशाखी, कान की मशीन आदि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,
		46-पट्टी विधान सभा क्षेत्र में मेडिकल कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में,
		47-जनपद प्रतापगढ़ में विकास प्राधिकरण की स्थापना के सम्बन्ध में तथा
		48-आई0टी0आई0 पट्टी में सभी ट्रेडों के पठन-पाठन की व्यवस्था तथा अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में।"

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
29	श्री सुन्दर सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-इलना खानपुर मार्ग किमी-3 से अभयपुर सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का प्रस्ताव जो वर्ष-2008-09 के तृतीय चरण में स्वीकृत है पर धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में, 2-बीटा से सरवर मार्ग का नव निर्माण का प्रस्ताव वर्ष 2008-09 के तृतीय चरण में स्वीकृत है उक्त कार्य हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में, 3-पिलखनी पुल से करियारी मार्ग (3.00 मी0 चौड़ाई) वी0 आर0 का प्रस्ताव विशेष मरम्मत के साथ वर्ष 2009-10 में प्रस्तावित है, उक्त कार्य हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में, 4- जहांगीराबाद दौलतपुर मार्ग से प्याना खुर्द (3.00 मी0 चौड़ाई) वी0आर0 का प्रस्ताव विशेष मरम्मत के साथ वर्ष 2009-10 में प्रस्तावित है, उक्त कार्य हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में, 5-अमरगढ़ थाना गजारौला मार्ग से बलरामपुर मार्ग (3.00 मी0 चौड़ाई) वी0 आर0 का प्रस्ताव विशेष मरम्मत के साथ वर्ष 2009-10 में प्रस्तावित है, उक्त कार्य हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में, 6-ऊँचा गांव से मढ़ैया सम्पर्क मार्ग (3.00 मी0 चौड़ाई) वी0 आर0 का प्रस्ताव विशेष मरम्मत के साथ वर्ष 2009-10 में प्रस्तावित है, उक्त कार्य हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में, 7-अमरगढ़ थाना गजरौला मार्ग से बैरल मार्ग (3.00 मी0 चौड़ाई) वी0 आर0 का प्रस्ताव विशेष मरम्मत के साथ वर्ष 2009-10 में प्रस्तावित है, उक्त कार्य हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में, 8-कमालपुर से अमरपुर मार्ग (3.00 मी0 चौड़ाई) वी0 आर0 का प्रस्ताव विशेष मरम्मत के साथ वर्ष 2009-10 में प्रस्तावित है, उक्त कार्य हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		9-अमरगढ़ थाना गजरौला मार्ग से सौंजना रानी मार्ग (3.00 मी0 चौड़ाई) वी0 आर0 का प्रस्ताव विशेष मरम्मत के साथ वर्ष 2009-10 में प्रस्तावित है, उक्त कार्य हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,
		10-बी0 एस0 जी0 मार्ग से क्रियावली मार्ग (3.00 मी0 चौड़ाई) वी0 आर0 का प्रस्ताव विशेष मरम्मत के साथ वर्ष 2009-10 में प्रस्तावित है, उक्त कार्य हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,
		11-दौलतपुर से घुघरावली सम्पर्क मार्ग (3.00 मी0 चौड़ाई) वी0 आर0 का प्रस्ताव विशेष मरम्मत के साथ वर्ष 2009-10 में प्रस्तावित है, उक्त कार्य हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,
		12-दौलतपुर से मवई सम्पर्क मार्ग (3.00 मी0 चौड़ाई) वी0 आर0 का प्रस्ताव विशेष मरम्मत के साथ वर्ष 2009-10 में प्रस्तावित है, उक्त कार्य हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,
		13-बी0 एस0 जी0 मार्ग से मध्य गंग नहर लखावटी ब्रांच उत्तरी पटरी औरंगाबाद जहाँगीराबाद के इलना गांव तक नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		14-गंगा नदी पर बसी भगवानपुर ग्राम के मध्य पीपे का पैटून पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में,
		15-परवाना से मजरा खानपुर ग्रामीण मार्ग का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		16-बी0 एस0 जी0 मार्ग शेखपुर गढ़वा से ढक्का सम्पर्क मार्ग का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		17-बी0 एस0 जी0 मार्ग गांव बरौली वासुदेवपुर से खानपुर वाया इमामाबाद का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		18-विद्युत उपकेन्द्रों, दौलतपुर कलां, ऊँचा गांव, लखावटी, जाड़ौल की क्षमता वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में,
		19-विद्युत उपकेन्द्र दोलतपुर कलां, खानपुर, स्याना नगर, औरंगाबाद, लखावटी व जाड़ौल के अन्तर्गत सभी जर्जर लाईनों को बदले जाने के सम्बन्ध में,

अनुपूरक प्रश्न सूची

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		20-अनुपशहर खण्ड गंग नहर के गांव महूवाखेड़ा के सामने पिलखनी पुल के पास पशुघाट का निर्माण व मध्य गंग नहर खण्ड लखावटी बुलन्दशहर के परवाना ग्राम के सामने व इलना ग्राम के सामने पक्के पशुघाटों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा 21-गांव थाना गजरौला में नवीन विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में।"
30	श्रीमती कृष्णाराज (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-जनपद लखीमपुर खीरी में प्रत्येक वर्ष नदियों के बाढ़ से पूरा जनपद जनहानि, धन हानि का सामना करता है, बाढ़ नियंत्रण हेतु कोई प्रभावी योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में, 2-मोहम्मदी विधान सभा में विकास खण्ड मोहम्मदी के अन्तर्गत ग्राम बड़खर में महाभारत कालीन अवशेष पाये जाते हैं, इसे पर्यटन स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में, 3-मोहम्मदी लखीमपुर खीरी की विद्युत व्यवस्था सुचारु रूप से चलाये जाने के सम्बन्ध में, 4-मोहम्मदी तहसील में बालिकाओं की उच्च शिक्षा की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में, 5-लखीमपुर जनपद में पेयजल की भयंकर समस्या के निदान हेतु इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में, 6-जनपद लखीमपुर खीरी में अकूत वन सम्पदा के संरक्षण हेतु व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में, 7-ग्राम सभा राजापुर वैनी के ग्राम बढ़ेला में अति प्राचीनकाल के सैकड़ों नर कंकाल की जांच पुरातत्व विभाग द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में, 8-जनपद लखीमपुर खीरी में निरंकुश पुलिस प्रशासन को सुधारने हेतु प्रभावी योजना लागू कराये जाने के सम्बन्ध में, 9-जनपद लखीमपुर खीरी में अन्न क्रय केन्द्रों पर किसानों का अन्न न खरीदे जाने के सम्बन्ध में, 10-विकास खण्ड मोहम्मदी, मितौली, पसगवां में शिक्षक के अभाव में बन्द पड़े प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति कर चालू कराये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		11-मोहम्मदी विधान सभा में स्वास्थ्य सम्बन्धी उचित व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में, 12-तहसील मोहम्मदी (खीरी) में क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में तथा 13-लखीमपुर खीरी में पात्र व्यक्तियों को विकलांग, विधवा, वृद्धा पेंशन एवं छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।"
31	श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-इस अभूतपूर्व महंगाई को रोकने हेतु व्यापारियों के अधिकतम स्टाक की मात्रा को आवश्यकतानुसार घटाये जाने के सम्बन्ध में, 2-डकैती, बलात्कार तथा अपहरण की घटनाओं के विरुद्ध कड़ा कदम उठाकर उसे शून्य किये जाने के सम्बन्ध में, 3-खाद व बीज का वितरण से दलालों द्वारा की जा रही कालाबाजारी को रोककर किसानों को सीधे दिलाये जाने के सम्बन्ध में, 4-शहरी क्षेत्र में स्वच्छ शौचालय योजना को लागू किये जाने और आर्थिक दृष्टि से गरीबों के घर पर शौचालय की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में, 5-वाराणसी के कैंट विधान सभा की ध्वस्त सीवर योजना को ठीक कराने और जगह-जगह सीवर ओवरफ्लो की समस्या का निदान कराने के सम्बन्ध में, 6-कारागारों में निरुद्ध उन बन्दियों को जिनके आचरण, व्यवहार व मानसिकता में परिवर्तन हो चुका है और एक निश्चित आयु पार कर चुके हैं उन्हें छोड़ने के सम्बन्ध में, 7-कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में आई स्थिरता के कारण कृषि योग्य भूमि किसी भी कारण से किसानों से छीनी न जाने के सम्बन्ध में, 8-कैंट विधान सभा के शहरी क्षेत्र में अभी भी जहां सीवर लाइन नहीं है वहां सीवर लाइन डालने के सम्बन्ध में, 9-काशी विद्यापीठ ब्लाक में आज भी जो हिस्सा बरसाती पानी में डूब जाता है वहां पानी निकासी हेतु नाला बनाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		10-शहरी क्षेत्रों में जहां गरीब आवास योजना लागू की गई है उसे भ्रष्टाचार से बचाने के लिये कड़े कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में, 11-वाराणसी में कैंट विधान सभा में अभी भी जो सड़कें अत्यन्त दुर्दशा ग्रस्त हैं और पिछले 10 सालों के अन्दर नहीं बनी हैं उनको बनवाये जाने के सम्बन्ध में तथा 12-कैंट विधान सभा के शहरी इलाकों में अभी भी जहां पेयजल प्राप्त नहीं है वहां पेयजल हेतु पाइप लाइन डालकर पेयजल की आपूर्ति के सम्बन्ध में।"
32	श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-लखनऊ की जीवन धारा कही जाने वाली गोमती नदी की तल से सफाई कराने के सम्बन्ध में, 2-लखनऊ में बढ़ते हुये अपराधों की रोकथाम के सम्बन्ध में, 3-लखनऊ की मध्य विधान सभा क्षेत्र में ध्वस्त विद्युत व्यवस्था को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में, 4-लखनऊ की पेयजल व्यवस्था को ठीक करने के लिये नगरीय क्षेत्र में सभी विधायकों को इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प देने तथा नये ट्यूबवेल लगाने एवं पुराने हैण्डपम्प तथा ट्यूबवेल रि-बोर कराने के सम्बन्ध में, 5-मध्य विधान सभा में स्थित पुराने तालाबों को पुनर्जीवित करने तथा उस पर से अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में, 6-लखनऊ के डिग्री कालेजों में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में, 7-यातायात को व्यवस्थित करने के लिये आलमनगर रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाने के सम्बन्ध में, 8-मेडिकल कालेजों के शिक्षकों के वेतन में वर्तमान विषमताओं को दूर करने के सम्बन्ध में, 9-मेडिकल कालेजों के शिक्षकों के रिटायरमेन्ट की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के सम्बन्ध में, 10-आयुर्वेदिक कालेज के शिक्षकों की पुरानी लम्बित मांगों के बारे में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		11-मध्य विधान सभा में स्थित रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त चिकित्सालय राजाजीपुरम् लखनऊ में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में, 12-गरीबों की पुत्रियों की शादी में दी जाने वाली राशि दस हजार रुपया मात्र को बढ़ती महंगाई को देखते हुये बढ़ाकर रुपया बीस हजार करने के सम्बन्ध में, 13-लखनऊ में तृतीय जलकल के शीघ्र पूर्ण करने के बारे में, 14-स्वाइन फ्लू के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिये प्रभावी कार्यक्रम बनाने के सम्बन्ध में, 15-वायदा बाजार पर रोक लगाने के सम्बन्ध में तथा 16-लखनऊ राजधानी के विकास हेतु आम नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु अलग से धन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।''
33	श्री दुर्गा प्रसाद यादव (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-मेरे विधान सभा क्षेत्र सदर आजमगढ़ के अन्तर्गत मदुरी, तहबरपुर, मोहम्मदपुर, मार्ग पर कुटौली से मदुरी तक सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण मिक्सड प्लांट योजना अन्तर्गत बनाये जाने के सम्बन्ध में, 2-भरवारा, चौहान बस्ती से मित्तूपुर मार्ग पर नाले पर पुलिया बनवाने के सम्बन्ध में, 3-चन्देश्वर कमरिया मार्ग से गम्भीर वन होते हुये ऊंची गोदाम मार्ग तक 4 कि0मी0 तक विशेष मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में, 4-राजकीय पालीटेक्निक के अन्तर्गत 32 के0वी0ए0 का सब-स्टेशन मशीनों की क्षमता कम है व लोड ज्यादा है, क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में, 5-आजमगढ़ शहर और देहात अन्तर्गत शहर में करीब 20 घण्टे व देहातों में कम से कम 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में, 6-ग्राम शेखपुरा ब्लाक पलहनी में या चन्दौका गांव के समीप 32 के0वी0ए0 का सब स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		7-मोहल्ला हर्रा की चुंगी आजमगढ़ में पानी पीने की सप्लाई न होने के कारण जनता बहुत त्रस्त है, हर्रा की चुंगी पर एक नया ट्यूबवेल लगाये जाने के सम्बन्ध में, 8-शेखपुरागांव से चन्दौका होते हुये टोंस नदी तक करीब 5 कि0मी0 पक्का नाला बनवाये जाने के सम्बन्ध में, 9-बैरमपुर, तहबरपुर मार्ग से बसही बन्देदासपुर प्रधानमंत्री मार्ग से हरैया होते हुये गांव ओरा तक करीब 4 कि0मी0 तक पिच कराये जाने के सम्बन्ध में, 10-तहबरपुर ढढ़नी नैपुरा मार्ग पर अवशेष जो पिच की अधूरी सड़क है करीब 2 कि0मी0 अवशेष सड़क को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में, 11-ब्लाक पल्हनी आजमगढ़ अन्तर्गत राजकीय बालिका इण्टर कालेज नहीं है और न ही ब्लाक रानी की सरांय में कोई बालिका कालेज है दोनों स्थानों पर नया बालिका कालेज खुलवाये जाने के सम्बन्ध में, 12-रानी की सरांय पिच मार्ग से ऊंची गोदाम होते हुये मिट्ठलपुर सहबाजपुर होते हुये चन्देश्वर खम्हरिया मार्ग पर सड़क क्षतिग्रस्त है जो पी0डब्लू0डी0 के अन्तर्गत है उसे विशेष मरम्मत योजना के अन्तर्गत कराये जाने के सम्बन्ध में, 13-सेहदा गयासपुर मार्ग पर शिलनी ड्रेन पर पुल अधूरा होने के कारण वर्ष 2008 में बाढ़ में ग्यारह बच्चे मर जाने के कारण बच्चों को विद्यालय आने-जाने की असुविधा को देखते हुये अधूरे पुल को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में, 14-आजमगढ़-बिलरियागंज मार्ग से आजमपुर गांव से उकरौड़ा गांव तक करीब 5 कि0मी0 कच्ची सड़क को पिच कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा 15-महम्मदपुर-तहबरपुर मदुरी मार्ग पर ग्राम नेवादा के पास सड़क पर बने क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नया पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में।"
34	श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-मेरी विधान सभा के अन्तर्गत लाल फाटक पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2-विधान सभा क्षेत्र में न्याय पंचायत/ग्राम पंचायत के अन्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, 3-बुखाटा फरीदपुर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 4-ग्राम अम्बा में विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में, 5-ग्राम क्याटा में मण्डी परिषद् का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 6-विशारतगंज टाउन एरिया के अन्तर्गत इण्टर कालेज का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, 7-महेशपुरा फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 8-ग्राम पालपुर कमालपुर पर नकटिया नदी हेतु पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 9-वाकरगंज में नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 10-ग्राम अजमपुल बलरऊ दौली रघुवर दयाल में गंगा से हो रहे कटान हेतु बन्धे के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 11-वि0 स0 क्षेत्र में हो रहे नील गायों से फसलों की सुरक्षा किये जाने के सम्बन्ध में, 12-बटिलाया से बरेली रोडवेज बस का संचालन किये जाने के सम्बन्ध में, 13-विशारतगंज से बरेली तक रोडवेज बस का संचालन किये जाने के सम्बन्ध में, 14-ब्लाक आलमपुर के अन्तर्गत गन्ना फैक्ट्री लगाने के सम्बन्ध में तथा 15-ब्लाक न्याय के अन्तर्गत गन्ना फैक्ट्री लगाये जाने के सम्बन्ध में।"
35	डा0 राजेन्द्र सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-आगरा जनपद में बिगड़ती कानून व्यवस्था तथा सरकार द्वारा उसको सुधारने के अक्षमता के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2-दिल्ली में राष्ट्रमण्डल खेल होने वाले हैं। इस समय आगरा में पर्यटकों की संख्या ताज तथा अन्य इमारतों को देखने के लिए बढ़ने वाली है सरकार द्वारा बुनियादी सुविधाओं व पर्यटकों की सुविधा के लिए आगरा के लिए विशेष योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		3-आगरा जनपद के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में पेयजल का भीषण संकट है। 1700 हैण्डपम्प रि-बोर होने हैं, 500 नये हैण्डपम्प लगने हैं, पेयजल टंकियों की मरम्मत होनी है तथा टी0टी0एस0 के तहत 120 टंकियां बनाने के सम्बन्ध में,
		4-आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में शमसाबाद नगर के चारों ओर बाईपास बनना है। रिहावली रोड से धनोला तक सड़क, कौलारा खुर्द से झारपुरा तक सड़क, बीकापुर से गुलवापुरा तक सड़क, रैपुरा सड़क से समंसपुरा तक सड़क बनाने के सम्बन्ध में,
		5-पानी का भीषण संकट आगरा में है, यमुना पर बैराज बनाना आवाश्यक है तथा विधान सभा फतेहाबाद में उटंगन नदी तथा खारी नदी पर चैकडेम बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		6-प्राथमिक स्कूलों तथा जूनियर स्कूलों में फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र में कई स्कूल अध्यापक विहीन हैं तथा कई में एकल अध्यापक हैं सभी स्कूलों में मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में,
		7-आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के सम्बन्ध में
		8-विधान सभा फतेहाबाद में शमसाबाद तथा फतेहाबाद विकास खण्ड में माडल स्कूल बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		9-फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र में मिनी स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		10-आगरा में आलू प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ाने के सम्बन्ध में,
		11-महंगाई पर अंकुश लगाने को सरकार द्वारा महत्वपूर्ण उपायों के सम्बन्ध में,
		12-भ्रष्टाचार को संज्ञेय अपराध घोषित करने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		13-सभी प्रशासनिक अधिकारियों, मंत्रियों तथा विधायकों द्वारा अपनी सम्पत्ति की घोषणा करने के सम्बन्ध में तथा 14-टी0टी0 जेड0 को विद्युत कटौती से मुक्त रखने के सम्बन्ध में तथा आगरा क्षेत्र को अबाध विद्युत सप्लाई देने के सम्बन्ध में।"
36	श्री राघव लखन पाल शर्मा (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-प्रदेश में कानून का शासन लागू करने तथा ध्वस्त कानून-व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई सार्थक कार्य योजना के सम्बन्ध में, 2-वर्ष 2009-10 के लिए महामहिम द्वारा घोषित सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में, 3-प्रदेश में गन्ना नीति को सुधारने के संबंध में जिसके कारण प्रदेश में चीनी उत्पादन कम हो रहा है के सम्बन्ध में, 4-प्रदेश में सिंचाई हेतु नलकूपों की स्थिति को सुधारने तथा पूरी क्षमता से पानी दिये जाने के सम्बन्ध में, 5-सहारनपुर जनपद को उत्तराखण्ड प्रदेश में विलय करने के सम्बन्ध में, 6-सहारनपुर नगर निगम का परिसीमन कर तत्काल चुनाव करवाने के सम्बन्ध में, 7-सहारनपुर नगर निगम के लिए सार्थक विकास योजनाओं को लागू किये जाने के सम्बन्ध में, 8-सहारनपुर नगर के लिए बाईपास बनाये जाने के सम्बन्ध में, 9-सहारनपुर नगर निगम की नई कालोनियों के विकास हेतु विशेष पैकेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में, 10-सहारनपुर नगर के चिलकाना रोड स्थित नई कालोनियों के पानी निकासी हेतु एक बड़े नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 11-सहारनपुर नगर के बेहट रोड स्थित नई कालोनियों के पानी निकासी हेतु एक बड़े नाले का निर्माण कराये जाने के संबंध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		12-आवास विकास व आसपास की नई कालोनियों में नये रूप से सीवर लाइन व सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में,
		13-सहारनपुर की प्रमुख धर्माशाला अग्रवाल धर्मशाला के सामने पवित्र पांव धोई नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के संबंध में,
		14-सहारनपुर नगर के एस0बी0डी0 बजौरिया सिविल हास्पिटल के आधुनिकीकरण की योजना के सम्बन्ध में,
		15-सहारनपुर की आफिसर्स कालोनी, दिल्ली रोड सीवरेज लाइन व सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,
		16-सहारनपुर नगर के पुराने रोडवेज बस अड्डे को स्थानान्तरित कर किसी नये स्थान को चिन्हित कर आधुनिक रोडवेज बस अड्डा बनाये जाने के संबंध में,
		17-सहारनपुर नगर को विद्युत कटौती मुक्त रखने के सम्बन्ध में,
		18-सहारनपुर नगर के अम्बाला रोड स्थित मुख्य पुल जो कि हरियाणा व उत्तर प्रदेश को जोड़ता है जिसकी हालत बहुत खराब (जर्जर हालत) है को पूर्ण निर्माण के सम्बन्ध में,
		19-सहारनपुर नगर के उद्योग को पूर्ण जीवित करने हेतु विशेष औद्योगिक पैकेज के संबंध में,
		20-सहारनपुर नगर के औद्योगिक क्षेत्रों को विद्युत कटौती मुक्त करने के संबंध में,
		21-सहारनपुर नगर निगम की कालोनियों में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था हेतु नये ट्यूबवेल, पाइप लाइन व हैण्डपम्प लगवाने के सम्बन्ध में,
		22-सहारनपुर नगर के बाहरी क्षेत्र में बसी नई कालोनियों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		23-सहारनपुर नगर में बेहतर शिक्षा हेतु नये हाईस्कूल व इण्टर कालेज के निर्माण के सम्बन्ध में,
		24-सहारानपुर नगर में बाल्मीकी कालोनियों व अन्य दलित कालोनियों में मूलभूत सुविधायें जैसे स्वच्छ पानी, सड़क, विद्युत व्यवस्था व पक्के शौचालय बनाये जाने के सम्बन्ध में, ,
		25-सहारनपुर परिक्षेत्र में गो-वध रोकने हेतु कानून का पालन कड़ाई से कराये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		26-सहारनपुर नगर के आसपास अनाधिकृत कालोनियों को अधिकृत करने के संबंध में, 27-सहारनपुर नगर की पवित्र नई पांवधोई नदी की सफाई किये जाने के संबंध में, 28-सहारनपुर नगर में ढमोला नदी में मोहल्ला गिल कालोनी की तरफ हो रहे कटान को रोकने हेतु पक्की ढांहगो का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 29-सहारनपुर नगर में ढमोला नदी ने कई स्थानों पर पानी के कटान को रोकने हेतु पक्की ढहांगों का निर्माण कराये जाने के संबंध में तथा 30-सहारनपुर में पेयजल आपूर्ति हेतु दस नई पानी की टंकियों के निर्माण के संबंध में।"
37	श्री जगदीश सोनकर (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-गोरारी निजामापुर सम्पर्क मार्ग से सहावे होते हुए डढ़वारा कलां तक दूरी 3 किमी0 निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 2-मियापुर बकुची नेवादा में पुल व सम्पर्क मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 3-गोरारी मेदरही सम्पर्क मार्ग से राजभर बस्ती होते हुए मुस्लिम बस्ती तक निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 4-ग्राम मानक कला में नाला लगभग 1 किमी0 निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 5-जौनपुर शाहगंज सम्पर्क मार्ग से मानीकला होते हुए सोगर तक दूरी 7 किमी0 निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 6-कपार भदेठी सम्पर्क मार्ग से कपार प्रताप पट्टी बस्ती तक निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 7-अन्नीपुर में कब्रिस्तान के पास पुलिया बनाये जाने के सम्बन्ध में, 8-कोया में सम्पर्क मार्ग से चौहान बस्ती होते हुए यादव बस्ती तक निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		9-ग्राम एक डलाखानपुर में तालाब का कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में।"
38	श्री लालजी यादव (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-डा0 अम्बेडकर ग्रामों की भाँति प्रदेश के सभी ग्रामों में इन्दिरा गांधी आवास योजना के अन्तर्गत आवासीय पात्रता सूची के साथ ग्राम-सभाओं में छूटे हुए अन्य आवास विहीन पात्रों को जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले को आवास उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 2-बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के अन्तर्गत विकास खण्ड बांसी जनपद सिद्धार्थनगर के फजिहतवा नाले को जिगिलिहवां चेतिया मार्ग के बड़हर घाट से हाटा तक खुदाई करके दोनों तरफ नाले की मिट्टी को निकालकर बन्धा बनाया जाय जिससे बाढ़ से किसानों के फसल को बचाये जाने के सम्बन्ध में, 3-सूपा राजा पक्की सड़क से चेतिया तक टूटी सड़कों को ठीक कराने एवं बचे हुए सड़क को पिच कराये जाने के सम्बन्ध में, 4-अजमागढ़, गायघाट, अजगरा बांध पर स्थित हाटा रेगुलेटर का चौड़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में, 5-सकारपार से सिद्धार्थनगर मुख्यालय को जोड़ने वाली राप्ती नदी पर पुल चोरई अजगरा के बीच बनाये जाने के सम्बन्ध में, 6-वि0 स0 क्षेत्र बांसी के अन्तर्गत टूटे हुए बिजली के तार को बदलकर विद्युत आपूर्ति ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में, 7-नगरपालिका के अन्तर्गत माघ मेला मैदान को मेला प्रदर्शनीय हेतु एवं जल भराव से भीषण बीमारी से नगरपालिका बांसी की जनता को बचाने एवं उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में, 8-जनपद सिद्धार्थनगर से सोहास मार्ग पर बने लकड़ी के पुल को पक्का पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में, 9-बांसी तहसील के अन्तर्गत मण्डी स्थल का तत्काल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		10-नगरपालिका बांसी के अन्तर्गत डुमरियागंज, बांसी मार्ग से बस्ती बांसी मार्ग के तिवारीपुर तक बाईपास बनाये जाने के सम्बन्ध में तथा 11-बांसी पनघटिया बांध पर स्थित सिसहनिया के पास रेगुलेटर को बदलने के सम्बन्ध में।''
39	श्री दीप नारायण सिंह (दीपक यादव) (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-गरौठा विधान सभा क्षेत्र में गुरसराय नगर से गुजरने वाली मुख्य सड़क लगभग 3 किमी0 विगत चार वर्षों से जर्जर हालत में है इसको ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में, 2-गरौठा विधान सभा क्षेत्र में मुख्य नहर से भसनेह बांध को जोड़ने वाली योजना काफी समय से लंबित है उसको तत्काल ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में, 3-जनपद झांसी स्थित मेडिकल कालेज, मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया के मानक पूरा न होने के कारण बन्द होने की कगार पर है जिससे वहां पढ़ने वाले एम0बी0बी0एस0 एवं पी0जी0 दोनों ही डिग्री धारक डाक्टरों का जीवन अधर में है तत्काल मानकों को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में, 4-गरौठा विधान सभा क्षेत्र से गुजरने वाली दो बड़ी नदियां बेतवा तथा धसान में स्थित प्राकृतिक जल स्रोत बेतवा नदी में जुझारपुरा, प्रह्लाद दौ एवं बेहतर घाट पर लिफ्ट कैनाल बनवाये जाने के सम्बन्ध में, 5-जनपद झांसी के ब्लाक मोठ में ग्राम टोड़ी के पास सेवढ़ा पहाड़ (कपिल मुनि) आश्रम स्थित है, जहां वर्ष में तीन बार मेला लगने के कारण हजारों लोग आते हैं परन्तु वहां पर सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ है वहां पर मोठ वाया अमरोख से सेवढ़ा पहाड़ तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 6-गरौठा विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक बमौल के ग्राम डिकौली में बड़ी माता मंदिर एवं ब्लाक गुरसरांय ग्राम शिवरधा के पास स्थित झारखण्ड धार्मिक स्थलों को पर्यटक स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		7-गरौठा विधान सभा क्षेत्र जिला मुख्यालय से 70 से 80 किमी0 की दूरी पर है प्रा0 स्वा0 केन्द्र एवं सा0 स्वा0 केन्द्रों पर डाक्टरों की कमी है, उक्त केन्द्रों पर महिला एवं पुरुष डाक्टरों की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में, 8-गरौठा विधान सभा क्षेत्र स्थित बेतवा नदी में डिकौली से सला घाट को जोड़ने के लिए रपटा का निर्माण तत्काल कराये जाने के सम्बन्ध में, 9-गरौठा विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक मोठ के ग्राम भूजोद से लेकर वाया जरैयां सिल्वारी से परैछा तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 10-प्रदेश में शिक्षा मित्रों को अन्य प्रदेशों की भांति बी0टी0सी0 प्रशिक्षण करवाकर शिक्षक घोषित किये जाने के सम्बन्ध में, 11-प्रदेश में गिरती हुई कानून व्यवस्था को तत्काल ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में, 12-बुन्देलखण्ड को विशेष पैकेज के रूप में प्रदेश सरकार द्वारा सहायता राशि उपलब्ध कराकर बुन्देलखण्ड का विकास किये जाने के सम्बन्ध में, 13-बुन्देलखण्ड में पेयजल की समस्या को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से नलकूप लगवाये जाने के सम्बन्ध में, तथा 14-झांसी मण्डल में जल संस्थान द्वारा पेयजल समस्या का निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में।"
40	श्री उदयभान करवरिया (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-जनपद इलाहाबाद के यमुनापार क्षेत्र की तहसील बारा, कोरांव आदि में लाल सलाम के बैनर तले चल रही नक्सल गतिविधियों को रोक लगाने के सम्बन्ध में, 2-इलाहाबाद के यमुनापार क्षेत्र में बढ़ रहे विस्फोटक सामग्री के व्यापार को रोकने के सम्बन्ध में, 3-जनपद इलाहाबाद के शहरी क्षेत्र में पूर्व में निर्मित आवासीय फ्लैटों को नियमित कर लाखों की संख्या में रह रहे व्यक्तियों के आवास की समस्या को पूर्ण करने के सम्बन्ध में,

अशोधित प्रतिवेदन

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		4-जनपद इलाहाबाद, कानपुर, कन्नौज आदि शहरों के गंदे नालों को गंगा नदी में गिराये जाने पर ठोस कार्ययोजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		5-इलाहाबाद उच्च न्यायालय को विभाजित न होने देने के सम्बन्ध में,
		6-इलाहाबाद के सिविल लाइंस क्षेत्र में नगर निगम की गुमटियों को न गिराये जाने के सम्बन्ध में,
		7-कंजासा ग्राम में यमुना नदी से हो रही कटान से गांव के अस्तित्व को बचाने के सम्बन्ध में,
		8-जगदीशपुर माइनर में लाइनिंग का कार्य एवं 1 कि0मी0 आगे तक बढ़ा कर बचे हुये गांवों-खेतों तक सिंचाई की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में,
		9-समस्त बारा एवं करछना तहसील में लगे नलकूप को ठीक कराकर सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में,
		10-ग्राम सभा मझियारी विकास खण्ड जसरा, ग्राम सभा झझरा चौबे विकास खण्ड शंकरगढ़ ग्राम सभा ओसा, आंबा, देवरा, विकास खण्ड कौंधियारा में नये नलकूप की स्थापना के सम्बन्ध में,
		11-समस्त गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित, पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग के पात्र व्यक्तियों को इन्दिरा आवास उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		12-बारा तहसील में प्रस्तावित विद्युत परियोजना हेतु कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण न करने के सम्बन्ध में,
		13-टोंस नदी से पम्प लगाकर माइनर का निर्माण जारी रजबहा से जोड़कर बीच के सभी गांव तक सिंचाई का पानी देने के सम्बन्ध में,
		14-सम्पूर्ण विधान सभा क्षेत्र को कम से कम 20 घंटा विद्युत आपूर्ति करने के सम्बन्ध में,
		15-बारा तहसील में प्रस्तावित विद्युत परियोजना से सम्पूर्ण बारा क्षेत्र को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करने के सम्बन्ध में,
		16-बारा में प्रस्तावित विद्युत परियोजना में जिन काश्तकारों की जमीन अधिग्रहण की जा रही है उनके प्रत्येक परिवार से कम से कम 1 व्यक्ति को नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		17-नहरों में टेल तक सिंचाई योग्य पानी देने के सम्बन्ध में, 18-बारा विधान सभा क्षेत्र में इलाहाबाद रीवा मार्ग तथा इलाहाबाद-बांदा मार्ग के बीच के हिस्से को जलभराव से बचाव कराने के सम्बन्ध में, 19-विकास खण्ड शंकरगढ़ जो कि पहाड़ी क्षेत्र है, में जल की व्यवस्था हेतु प्रत्येक गांव में ब्लास्टिंग कूप के निर्माण के सम्बन्ध में, 20-ग्राम सारंगापुर विकास खण्ड चाका में क्षतिग्रस्त पेयजल पाइप लाइन को बदलकर शुद्ध पेयजल व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में, तथा 21-जारी बाजार के सम्पूर्ण क्षेत्रफल में पाइप लाइन डालकर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में।"
41	श्री राजेश अग्रवाल (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-प्रदेश में विद्युत वितरण की पारदर्शी व्यवस्था अपनाने तथा बिना भेदभाव के सभी महानगरों को एक समान पर्याप्त विद्युत उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 2-नहरों की सफाई तथा टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में, 3-बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने की ठोस एवं प्रभावी व्यवस्था के सम्बन्ध में, 4-व्यापारियों के उत्पीड़न पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में, 5-सरकार द्वारा जनता के धन की फिजूलखर्ची रोकने के सम्बन्ध में, 6-महिलाओं का उत्पीड़न व अत्याचार रोकने की कार्य योजना के सम्बन्ध में, 7-पुलिस द्वारा मानवाधिकार हनन कर लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसाने की कार्य प्रणाली पर अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में, 8-राज्य में रिक्तियों के सापेक्ष हर वर्ग के सुयोग्य लोगों को नौकरी देने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		9-बन्द उद्योगों को चलाने एवं व्यापारी व उद्यमी वर्ग को सम्मान सहित कार्य करने की परिस्थिति बनाने के सम्बन्ध में,
		10-चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाओं का अभाव दूर करने तथा अधिकांश चिकित्सालयों में रिक्त पदों को अविलम्ब भरे जाने के सम्बन्ध में,
		11-प्रदेश में प्राथमिक एवं लघु माध्यमिक विद्यालयों की गिरती शैक्षणिक गुणवत्ता के सम्बन्ध में,
		12-प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों की लम्बित अनुदान सूची के प्रकाशन एवं संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में,
		13-सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितता दूर कर वास्तविक एवं पात्र लोगों को खाद्यान एवं उपयोगी वस्तुएं सुगमता से उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,
		14-प्रदेश के नगर निकायों में सीवरेज, जलापूर्ति एवं सफाई व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने के सम्बन्ध में,
		15-प्रदेश के गांवों का समतामूलक समग्र विकास बिना भेदभाव अम्बेडकर ग्रामों की तरह ही कराये जाने के सम्बन्ध में,
		16-सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार देने तथा युवकों को स्वरोजगारों हेतु सहयोग/प्रोत्साहन देने की नीति को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में,
		17-प्रदेश में प्रतिवर्ष बाढ़ से होने वाली जन-धन की हानि के दृष्टिगत समय पूर्व राहत व बचाव की ठोस कार्य योजना के सम्बन्ध में,
		18-रोड ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों की समस्या का समाधान एवं जगह-जगह ट्रक आदि वाहनों को रोक कर की जा रही अवैध वसूली पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,
		19-प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में बच्चों के खेलने हेतु आधुनिक खेल पार्क बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		20-राजधानी लखनऊ में सड़क जाम की स्थिति से बचने के लिये मवैया से के0के0सी0 तथा हुसैनगंज से आयकर कार्यालय तक उपरिगामी सेतु बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		21-प्रदेश में गो-तस्करी, गो-हत्या रोकने, गौशालाओं के विकास एवं पंचगव्य आधारित जनोपयोगी उत्पादन इकाइयों को स्थापित करने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		गो-आधारित ग्राम्य विकास को ठोस योजना बनाने व उन्हें क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में,
		22-शहरों में घूम रहे अवारा पशुओं की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में,
		23-लखनऊ विश्वविद्यालय का नाम 'स्व0 चन्द्रभानु गुप्त विश्वविद्यालय' किये जाने के सम्बन्ध में,
		24-सरकार को सर्वाधिक राजस्व देने वाले उद्यमी/व्यापारी को विधान परिषद् में सदस्य मनोनीत किये जाने हेतु प्राविधान के सम्बन्ध में,
		25-उ0 प्र0 में सुशासन स्थापित करने वाले पूर्व मुख्य मंत्रियों स्व0 चन्द्रभानु गुप्त, स्व0 बाबू बनारसी दास गुप्त जी एवं स्व0 राम प्रकाश गुप्त जी की सरकार द्वारा प्रतिमा लगवाये जाने के सम्बन्ध में,
		26-प्रदेश में लगभग चार करोड़ की आबादी वाला वैश्य वर्ग जो सरकार को सर्वाधिक राजस्व देता है, के मान-सम्मान की रक्षा एवं उन पर हो रहे अत्याचार, उत्पीड़न सहित प्रत्येक समस्या का त्वरित निराकरण किये जाने के उद्देश्य से 'वैश्य आयोग' गठित किये जाने के सम्बन्ध में,
		27-समस्त औपचारिकतायें पूरी होने के बाद भी केसरवानी, अग्रहरि दोसर, बरनवाल, अयोध्यावासी, गुलहरे, पोरवाल, सन्मानी, ओमर, ओनाय जैसे वैश्य उपवर्गों को पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है, को अविलम्ब सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में,
		28-राज्य में पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित कसौंधन एवं रौनियार आदि वैश्य उपवर्गों को विभिन्न जिलों में प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। इस व्यवधान को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में,
		29-डा0 भीमराव अम्बेडकर जी की तरह संविधान निर्मात्री सभा के अन्य सदस्यों की भी प्रतिमा लगाने तथा उनकी स्मृति को भी जीवन्त व अक्षुण्ण बनाये जाने की कार्य योजना के सम्बन्ध में,
		30-उ0 प्र0 एवं उत्तराखण्ड राज्य की पारस्परिक समस्याओं को मैत्रीपूर्ण ढंग से वरीयता के आधार पर निस्तारित करने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		31-पत्रकारों का उत्पीड़न रोकने, प्रेस की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने एवं पत्रकारों को आवास, बीमा, चिकित्सा सुविधा प्रदान करने एवं बुजुर्ग साहित्यकारों व पत्रकारों को पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में,
		32-उ0 प्र0 में गुटखा, पान मसाला, तम्बाकू एवं धूम्रपान से सम्बन्धित उत्पादन वितरण एवं सेवन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में,
		33-नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं निर्धन वर्ग को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से 'जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन कार्यक्रम' के तहत बरेली शहर को भी सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में,
		34-भारत सरकार द्वारा उ0प्र0 में 'काउण्टर मैगनेट सिटी' के रूप में चयनित बरेली महानगर के समग्र विकास हेतु प्रदेश सरकार द्वारा अविलम्ब राज्यांश निर्गत करने तथा विकास कार्यों में आ रही बाधायें दूर करने के सम्बन्ध में,
		35-बरेली शहर में आई0टी0 एवं साफ्टवेयर पार्क की स्थापना के सम्बन्ध में,
		36-बरेली में एयर टर्मिनल की स्थापना हेतु वर्षों पूर्व तत्कालीन मुख्य मंत्री सुश्री मायावती जी द्वारा शिलान्यास के बाद भी अब तक रुके हुए कार्य को वरीयता के आधार पर अतिशीघ्र आरम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में,
		37-बरेली शहर में आवागमन सुगम बनाने, दुर्घटनायें रोकने तथा व्यापक जनहित के दृष्टिगत थाना-बारादरी से मानसिक रोग अस्पताल तक उपरिगामी सेतु बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		38-बरेली शहर के महानगरीय परिवहन व्यवस्था में सुधार करने हेतु ठोस उपाय किये जाने के सम्बन्ध में,
		39-बरेली शहर के मध्य भाग में स्थित रोडवेज बस स्टेशन को सेटेलाइट बस अड्डा के समीप स्थित रोडवेज वर्कशाप में स्थानान्तरित करने तथा रोडवेज वर्कशाप को अन्यत्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,
		40-बरेली में केन्द्रीय कारागार के निकट आई0 वी0 आर0 आई0 वाले चौराहे पर उपरिगामी सेतु बनाये जाने के सम्बन्ध में,

विधान परिषद सचिवालय

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		41-बरेली शहर में लाल फाटक के ऊपर उपरिगामी सेतु बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		42-बरेली शहर में सिटी श्मशान भूमि की ओर जाने वाली सड़क के मध्य रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		43-बरेली शहर में हार्टमैन रेलवे क्रासिंग के ऊपर उपरिगामी सेतु बनाये जाने हेतु रेलवे की स्वीकृति प्राप्त होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार द्वारा राज्यांश न दिये जाने के फलस्वरूप क्षेत्रीय जनता व नैनीताल आने-जाने वाले लोगों को हो रही परेशानी के दृष्टिगत अविलम्ब राज्यांश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में,
		44-बरेली शहर में बीसलपुर मार्ग का चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में,
		45-बरेली शहर के मध्य स्थित जिला कारागार को कहीं अन्यत्र अथवा केन्द्रीय कारागार की रिक्त भूमि पर स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में,
		46-बरेली में नगर निगम द्वारा संचालित तिलक इण्टर कालेज एवं मौलाना आजाद इण्टर कालेज का उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		47-बरेली शहर में कुछ स्थानों पर सिर पर मैला ढोने की प्रथा जारी रहने के दृष्टिगत योजना बनाकर इस कुप्रथा को समाप्त किये जाने तथा सिविल लाइन, सुभाष नगर, मढ़ीनाथ, पुराना शहर आदि क्षेत्र में तुरन्त सीवर व ड्रेनेज की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,
		48-बरेली के परम्परागत एवं सुप्रसिद्ध जरी-जरदोजी व्यवसाय, मांझा व पतंग व्यवसाय तथा सुरमा व्यवसाय को उद्योग का दर्जा देते हुए इसके संवर्धन हेतु ठोस उपाय किये जाने के सम्बन्ध में,
		49-बेरोजगारी दूर करने हेतु बरेली शहर में लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने तथा परसाखेड़ा व सीबीगंज इण्डस्ट्रियल एरिया के समग्र विकास हेतु सड़क, विद्युत, जल आदि मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु 'विशेष आर्थिक पैकेज' उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,
		50-रामगंगा नदी का प्रदूषण रोकने के लिये नदी में प्रवाहित होने वाले शहर के अवशिष्ट जल को शोषित करने हेतु वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाये जाने के सम्बन्ध में, तथा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		51-बरेली महानगर में जर्जर विद्युत तारों को बदलने तथा 24 घण्टे अबाध विद्युत आपूर्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।"
42	श्री अमरमणि त्रिपाठी (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-जनपद महराजगंज, नौतनवां तहसील से जोड़ने से मुख्य मार्ग पर स्थित पर धानकी घाट के अर्द्ध निर्मित पुल को अविलम्ब पूरा कराकर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में, 2-रोहीन नदी पर स्थित रोहीन नहर प्रणाली को प्रारम्भ करने हेतु रतनपुर में स्थित बांध को अविलम्ब निर्मित कराकर छत-विछत पड़े रोहीन नहर प्रणाली को तत्काल ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में, 3-श्यामघाट पर पुल, लुहठवा घाट पर पुल, सिसिया घाट पर पुल, लालपुर घाट पर पुल, रेहरा घाट पर पुल, दुमुहान घाट पर पुल, अहिरौली घाट पर पुल, मुगलहा पर टुडी नदी पर पुल, अमवा पर टुडी नदी पर पुल, रिसालपुर घाट पर पुल के निर्माण अविलम्ब पूर्ण कराकर लक्ष्मीपुर विधान सभा के पिछड़े वर्ग को अविलम्ब दूर कराये जाने के सम्बन्ध में, 4-साहपुर घाट पर अर्द्धनिर्मित पुल को तत्काल पूर्ण कराकर लक्ष्मीपुर वि0स0 क्षेत्र के लोगों को विकास से जोड़ने के सम्बन्ध में, 5-प्रधान मंत्री सड़क निर्माण योजना के अन्तर्गत नौतनवां से करमहवा, रामनगर, खोरिया, सिरसिया लुहठवा, महरीधो, हवा, विशुनपुरवा, बोगरहा, अमहवा, रुदलापुर, दुमुहान घाट, गैसवन, छरवलिया होते हुए निचलौल तक प्रधान मंत्री मार्ग द्वारा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 6-नौतनवा, बैरीयहवा, हरदी डाली, खनुवा, शेष फरेदा, जुगौली, श्यामकार भगवानपुर, रेहरा, श्रीनगर, शिवनगर, सेवतरा, पडैली, खैरहवा, दूबे बरगदवा, अशोगवा होते हुए ठूठीवारी तक प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अविलम्ब पूर्ण कराने के सम्बन्ध में, 7-ग्राम सभा फरेन्दी से, सुकरौली से त्रिलोकपुर से जगन्नयपुर, पंडितपुर, दुर्गापुर, गोपालापुर, वैरवा, जंगल वैरवा, बनकटवा, रामनगर, धोतिमहवा, बसन्तपुर, पिपरहिया बड़हरा,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		बेलवा, भगीरथपुर, मझौली होते हुए कुथिया पर सोन अचरगढ़, मदरहवा से राजधानी तक प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में,
		8-थरौली से सिंहपुर थरौली, देवपुर से बसंतपुर से भगवानपुर से भोतहा, रिसारपुर घाट से रजापुर, अमहवा से होते हुए रानीपुर से सुबेदारपुर तक प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		9-बाबू पैसिया से नरकटहा सभेडही, भरपुरवा, देवपुर से सेमरहवा, कजरी जंगल गुलहरिया, भैसहिया पाठक से नई कोट तक प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		10-लक्ष्मीपुर वि0स0 अन्तर्गत स्वजल धारा योजना अन्तर्गत चयनित ग्राम सभा खलिकगढ़, रानीपुर, रघुनाथपुर, मोहनापुर, हधीयागढ़, बरौली, लक्ष्मीपुर, मदरहवा, कुटिहा सरसौनी, बेलवा, बैकलिया, पाठक, भगीरथपुर, भोगलहा, नरकटहा, भोलहा, मठिया ईदु, रजापुर, टेड़ी घाट अयोध्या, कजरी, धोतिहवा, रामनगर, अड्डाबाजार, नई कोट भदरहवा, बरवा कलां, दुर्गापुर, नरायनपुर, बेरवा, बनकटवा, बेरवा चन्दरपुर, सूरजपुरा, शाहपुर, चकदह, मानिका पुर, सोनौली, जुगौली, त्रिलोकपुर, जारा, फरेन्दी, खनुवा, बरगदही, हरदी, डाली, रोखपुर, फरेन्दा, कोहडवल, रतनपुर, भगवानपुर, रेहरा, पेड़ारी सुखवानी, सेवहरी, मरजापुर, पड़ौली, शेषपुरी, परसा मलिक, देवघटी, नरायनपुर, मनिकापुर, सिहाभार, राजावादी, पिपरा, उपरोक्त स्वीकृत प्रस्ताव पर अविलम्ब कार्य प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में,
		11-राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत लगभग 200 ग्रामों का नाम मात्र का ऊर्जीकरण हुआ। 10 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर लगाकर केवल बल्ब जलाकर गांव को ऊर्जीकृत किया गया है। जबकि ऊर्जीकरण की शर्तों में समस्त बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को मुफ्त बिजली देने की व्यवस्था है। परन्तु विद्युत विभाग ने ऐसा न करके केवल खाना पूर्ति किया है। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत सस्ती दर पर बी0पी0एल0 कार्डधारकों को बिजली देकर लक्ष्मीपुर विकास खण्ड में लगभग 100 ग्राम टोले, मजरे एवं नौतनवां विकास खण्ड में 75 ग्राम सभा को ऊर्जीकृत कराये जाने के संबंध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		12-नौतनवां तहसील सम्पूर्ण रूप से भारत नैपाल अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अत्यन्त संवेदनशील है इस स्थिति को देखते हुए निवर्तमान सरकारों ने 20 से 22 घण्टे तक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किया था परन्तु इस समय घण्टों की आपूर्ति मात्र 6 से 8 घण्टे आपूर्ति हो रही है। इसलिये राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को रोकने में सफल हो सकें एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को भी नियंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में,
		13-नौतनवां नगरपालिका की अत्यन्त प्राचीन नगरपालिका में से एक है विद्युत एवं सड़क, नाला छत विछत है। इस सुविधाओं हेतु नौतनवां नगर पालिका में अविलम्ब 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाय ताकि नगर के मार्ग, नाले, पेयजल एवं विद्युत की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,
		14-तहसील नौतनवां अन्तर्गत वन ग्राम अचलगढ़ टांगियां, तिनकोनियां टागिंया, बेलौहा टांगियां, कानपुर टागिंया व सूरपार टागिंया को वनवासी एवं गिरीवासी कल्याण अधिनियम के अन्तर्गत निहित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कराये जाने के सम्बन्ध में,
		15-तहसील नौतनवां में घोषित डा0 भीमराव अम्बेडकर ग्रामों का विकास कार्य क्या घोषित मान बिन्दुओं के आधार पर किये जाने के सम्बन्ध में,
		16-तहसील नौतनवां अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नौतनवां पर चिकित्सकों/महिला चिकित्सकों/चिकित्सा उपकरणों को उपलब्ध कराकर समुचित स्वास्थ्य सेवा देने के सम्बन्ध में,
		17-तहसील नौतनवां अन्तर्गत विकास खण्ड लक्ष्मीपुर के डा0 भीमराव अम्बेडकर ग्राम खालिकगढ़ के किसी टोले पर आर0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य नहीं कराये जाने के सम्बन्ध में,
		18-जनपद महराजगंज मुख्यालय में तहसील नौतनवां को जोड़ने वाली अर्द्धनिर्मित चानकी घाट पुल के निर्माण के सम्बन्ध में,
		19-तहसील नौतनवां अन्तर्गत रोहिन नदी पर निर्माणाधीन शाहपुर घाट पुल का कार्य धनाभाव के कारण रोक दिया गया है। धन की उपलब्धता सुनिश्चित कर कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		20-तहसील नौतनवां अन्तर्गत विकास खण्ड लक्ष्मीपुर में अम्बेडकर ग्राम सभा बिशुनपुर कुर्थिया के टोले कहरपुरवा में किसी प्रकार का विकास कार्य न किये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		21-तहसील नौतनवां अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अड्डा बाजार पर चिकित्सकों/महिला चिकित्सकों/चिकित्सा उपकरणों को उपलब्ध कराकर समुचित स्वास्थ्य सेवा देने के सम्बन्ध में,
		22-तहसील नौतनवां अन्तर्गत रोहिन नदी के नहर प्रणाली के सुधार हेतु धन आवंटित हुआ था परन्तु अब तक सुधार कर प्रणाली व्यवस्थित नहीं कराये जाने के सम्बन्ध में,
		23-तहसील नौतनवां अन्तर्गत वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में कितने इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों की स्थापना की गई है एवं उनके स्थापना स्थल कौन से हैं कितने क्रियाशील एवं कितने निष्क्रिय हैं, के सम्बन्ध में,
		24-तहसील नौतनवां अन्तर्गत ग्राम सभा कजरी में विगत वर्षों में 150 शौचालय आवंटित हुए थे, में कितने स्थापित किये गये व कितने क्रियाशील हैं, के सम्बन्ध में,
		25-तहसील नौतनवां अन्तर्गत वन क्षेत्रों में प्रस्तावित बाड़ कार्य को अभी प्रारम्भ नहीं किया गया जबकि अन्य वन क्षेत्रों में बाड़ कार्य सम्पन्न कराये जाने के सम्बन्ध में,
		26-तहसील नौतनवां अन्तर्गत ग्राम सभा राजधानी एवं काशीराम महदेवा को निर्मल ग्राम घोषित कर राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया था। जबकि उक्त ग्रामों में गन्दगी का अम्बार हटाये जाने के सम्बन्ध में,
		27-तहसील नौतनवां अन्तर्गत विकास खण्ड लक्ष्मीपुर में स्थित ग्राम रघुनाथपुर के राजस्व ग्राम करीमदारपुर में रोहिन नदी पर स्थित तटबन्ध कट गया है, जिस पर साइफन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		28-ग्राम गौहरपुर व रघुनाथपुर से निकली रोहिन नदी के तटबन्ध को नदी काट रही है जिससे अमहवां, करीमदारपुर, मर्चहवा, दनदनहवां आदि दर्जनों गांवों के अस्तित्व पर खतरा है ठोकर निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,
		29-विकास खण्ड लक्ष्मीपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा खालिकगढ़ टोला कुड़िया के पास तटबन्ध को नदी काट रही है पर ठोकर कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,
		30-विकास खण्ड लक्ष्मीपुर के ग्राम सभा एकसड़वा टोला जोगियाबारी में स्थित नदी द्वारा कटान से ग्राम सभा का अस्तित्व खतरे में है, ठोकर निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

अनुपूरक पत्र

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		31-विकास खण्ड लक्ष्मीपुर के अन्तर्गत ग्राम खालिकगढ़ के टोले बसहवा में रोहिन नदी द्वारा किये जा रहे कटान में ठोकर निर्माण कार्य व साइफन निर्माण कार्य एवं टोला कोइरी टोला में कटे हुए तटबन्ध पर साइफन निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,
		32-ग्राम सभा दशरथपुर में टोला भकुरहवा में हो रहे कटान को रोकने के लिये ठोकर निर्माण कार्य के सम्बन्ध में,
		33-तहसील नौतनवां में बी0पी0एल0 सर्वे 2002 भ्रमपूर्ण है जिससे पात्रों को आवास एवं अन्य सुविधायें नहीं मिल पा रहीं हैं आवश्यक कार्यवाही के सम्बन्ध में,
		34-विकास खण्ड लक्ष्मीपुर अन्तर्गत ग्राम सभा रघुनाथपुर स्थित रोहिन नदी पर एक तरफ तटबन्ध है जबकि दक्षिण तरफ नवीन तटबन्ध 2 कि0मी0 के सम्बन्ध में,
		35-तहसील नौतनवां में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बनाये जा रहे मार्गों यथा एस0एन0जी0 पैसिया ललाइन से खोरिया, एस0एन0जी0 सम्पतिहा से अड्डा बाजार, महदेइया से चकदह, बरगदवां से गनेशपुर आदि के गुणवत्ता एवं मानक के विपरीत बनवाये जाने के सम्बन्ध में,
		36-एस0एन0जी0 पैसिया ललाइन से मदरहना होते हुए बेलवही मार्ग प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रस्तावित है शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में,
		37-तहसील नौतनवां अन्तर्गत ग्रामसभा टेढ़ी में निर्मित प्रधान मंत्री सड़क योजना के नदी पार अन्य टोलों पर पहुंचने हेतु प्रस्तावित पुल के यथाशीघ्र निर्माण के सम्बन्ध में,
		38-तहसील नौतनवां अन्तर्गत ग्राम सोन्धी से मझौली भगीरथपुर होते हुए मोगलहां ढाले तक कार्य अधूरा है पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		39-तहसील नौतनवां अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित एवं वन क्षेत्रों से परिपूर्ण तहसील है इसके अन्तर्गत पड़ने वाले पावर हाउसों से चौबीस घण्टे नियमित विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में,
		40-तहसील नौतरवा अन्तर्गत विकास खण्ड लक्ष्मीपुर के ग्रामसभा एकमा में निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के गुणवत्ता एवं मानक के अनुरूप बनाये जाने एवं यथाशीघ्र प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		41-तहसील नौतनवां अन्तर्गत विकास खण्ड लक्ष्मीपुर व रतनपुर में वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में कितना धन निर्गत किया गया तथा उस धन को क्षेत्र पंचायतों द्वारा खर्च कराये जाने के सम्बन्ध में, 42-जनपद महराजगंज में बौद्ध परिपथ योजना जो लोटन से कोल्हुई एकसड़वां चानकी घाट होते हुए महराजगंज से कसया कुशीनगर तक प्रस्तावित है सड़क निर्माण हेतु धन का आवंटन कर कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में, 43-तहसील नौतनवां अन्तर्गत ग्राम रघुनाथपुर में सीलिंग के अन्तर्गत कुल 69 गाटों के रकबा 72.92 एकड़ को आवंटित किया जाना था परन्तु 6 गाटों रकबा 18.89 एकड़ पर न्यायालय का स्थगन आदेश होने से किसी गाटे का आवंटन न हो सका स्थगन आदेश वाले गाटों को रोक शेष आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में, 44-तहसील नौतनवां अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों पर विद्युतीकरण एवं वायरिंग कार्य होना था, अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा 45-राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना के समाप्त होने पर भी निम्न ग्राम में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बध में, 1-बकैनियां हरैया का टोला खुटहवा, 2-रघुनाथपुर का टोला कुड़ियहवा, 3-रानीपुर का टोला अमहवां, तेरहो, नाई टोला, दनदनहवां गांव, औरहवां कला व मछहरियहवा टोला, 4-खालिकगढ़ का टोला बसहवा करमटीकर, बैरहवा, चमरौटी कोईरीडीह, जिगिनियहवा, सुबाइन, बीरबल टोला, सेमरहवा, 5-दशरथपुर का टोला भकुरहवा, भसहवा, पड़रहवा, 6-बेलासपुर को टोला मैरी पिपरी, 7-मानिक तलाव का टोला भोतहां व रिसांलपुर, 8-कटाई कोट मदरहना के दो टोले, 9-ग्राम बटईडीहा सम्पूर्ण।''

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
43	श्री अशोक कंसल (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-प्रदेश सरकार द्वारा जो निर्धन कन्याओं को विवाह के लिए 10 हजार रूपये अनुदान के रूप में दिया जाता है वह सभी पात्र परिवारों के कन्याओं के विवाह हेतु दिये जाने के सम्बन्ध में, 2-सभी वृद्ध/वृद्धाओं, विधवाओं एवं विकलांगों को पेंशन योजना का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में, 3-जनपद मुजफ्फरनगर में पड़ने वाले शामली कस्बे से मुजफ्फरनगर आने वाली रोड पर गांव पीन्ना बाई पास को सहारनपुर रोड से जोड़कर नया बाई पास बनवाये जाने के सम्बन्ध में, 4-जनपद मुजफ्फरनगर में जानसठ बाई पास को नवीन मण्डी स्थल से जोड़ते हुए पचेंडा बाई पास से जोड़े जाने के सम्बन्ध में, 5-जनपद मुजफ्फरनगर में पड़ने वाले पौराणिक स्थल शुक्रताल तीर्थ को मुख्य पर्यटक स्थलों की सूची में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में, 6-किसानों को सिंचाई हेतु ट्यूबवेल के लिए विद्युत कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर दिये जाने के सम्बन्ध में, 7-अन्य आयोगों व निगमों की भांति व्यापार की उन्नति हेतु एक व्यापार आयोग अथवा व्यापार निगम के नाम से बनाकर प्रदेश के किसी व्यापारी नेता को ही उसका अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में, 8-नक्शा प्राप्त प्रदेश के शहरों व कस्बों के आवासीय एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अतिक्रमण हटाने के नाम पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मनमानी के चलते ध्वस्त किये जा रहे प्रतिष्ठानों को बचाने तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अत्याचार को रोकने के सम्बन्ध में, 9-किसानों को उचित दरों पर अच्छे बीज एवं उर्वरक खाद समय पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 10-वैट प्रणाली में संशोधन करते हुए बराबर के पड़ोसी राज्यों की भांति पेट्रोल, डीजल एवं चौपहिया गाड़ियों की टैक्स दरों में परिवर्तन करते हुए समानता लाने के सम्बन्ध में,

विधान परिषद सचिवालय

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		11-जनपद मुजफ्फरनगर की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को देखते हुए वहाँ की पुलिस फोर्स को आधुनिक हथियारों एवं नये वाहन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,
		12-जनपद मुजफ्फरनगर में पड़ने वाले गांवों मोलाहेड़ी के निकट काली नदी पर सेतु निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		13-प्रदेश के शहरी कस्बों में पेयजल की समस्याओं को देखते हुए इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगवाये जाने के सम्बन्ध में,
		14-प्रदेश की गिरती हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए बेरोजगार युवक/युवतियों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिलाये जाने के सम्बन्ध में,
		15-प्रदेश में पेड़ों के अवैध कटान से बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के सम्बन्ध में,
		16-विधान सभा क्षेत्र सदर मुजफ्फरनगर में सभी पात्रों को बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय कार्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,
		17-प्रदेश में निर्माण कार्य कराने वाली सभी निर्माण ऐजन्सियों की प्रत्येक माह जनपदवार बैठक कराकर विकास कार्यों की जानकारी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,
		18-ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को अपनी खेती जमीन की सिंचाई के लिए विद्युत सप्लाई दिन में एवं ग्रामीण बस्तियों में विद्युत सप्लाई रात के समय बच्चों की पढ़ाई के लिए दिलाये जाने के सम्बन्ध में,
		19-नगर क्षेत्र मुजफ्फरनगर की जल भराव की समस्या को देखते हुए जल निकासी की नई योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		20-प्रदेश में जब कोई अवैध निर्माण या कालोनियां निर्माणाधीन होती हैं तो अधिकारियों के द्वारा सुविधा शुल्क लेकर अवैध निर्माण करा दिया जाता है जो सरासर अन्याय है, ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए अवैध कालोनियों को नियमित कराये जाने के सम्बन्ध में,
		21-जनपद मुजफ्फरनगर में कबड्डी, बालीबाल, कुश्ती, क्रिकेट व ऐथलेटिक्स खेल काफी लोकप्रिय हैं इनके खेलों के खिलाड़ियों के लिए छात्रावास स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,
		22-प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए प्रदेश सरकार ने मंहगाई का ठीकरा व्यापारियों के सिर पर फोड़ते हुए

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम को पुनः लागू करते हुए व्यापारियों को अपमानित करने का जो काम किया है व्यापारियों के हित में धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में, 23-वायदा व्यापार के कारण ही प्रदेश के अन्दर मंहगाई बढ़ती जा रही है एवं युवा व्यापारी भी उसमें नुकसान के कारण आत्महत्या तक कर रहे हैं इसलिए इस वायदा व्यापार को प्रदेश के अन्दर निष्प्रभावी कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा 24-मेरी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत गांव जटमुझेड़ा में स्थापित स्वामी विवेकानन्द इण्टर कालेज की भूमि को शिक्षा विभाग को स्थानान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में।"
44	श्री सुरेश कुमार खन्ना (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-प्रदेश में कानून का शासन लागू करने तथा ध्वस्त कानून-व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई सार्थक कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में, 2-वर्ष 2009-10 के लिए महामहिम द्वारा घोषित सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में, 3-प्रदेश में गन्ना नीति को सुधारने के सम्बन्ध तथा गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में, 4-प्रदेश में सिंचाई हेतु नलकूपों की स्थिति को सुधारने तथा पूरी क्षमता से पानी दिये जाने के सम्बन्ध में, 5-प्रदेश में सवा करोड़ बी0पी0एल0 परिवारों को बी0पी0एल0 कार्ड से वंचित रखने तथा उनको अनुमन्य सुविधाएं दिलाने के सम्बन्ध में, 6-प्रदेश के किसानों को समय पर डी0ए0पी0/एन0पी0के0 खाद दिलाने तथा वर्तमान में यूरिया खाद की कमी को दूर करने के सम्बन्ध में, 7-प्रदेश में मंहगाई को रोकने, जमाखोरों, कालाबाजारी करने वाले खाद व अनाज की तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		8-रोजा थर्मल पावर से शाहजहांपुर जनपद को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में,
		9-शाहजहांपुर नगर में हर मार्ग पर बढ़ते हुए अतिक्रमण को रोकने तथा मौजूदा अवरोधों को हटाने के सम्बन्ध में,
		10-शाहजहांपुर जनपद के ग्राम आदमपुर में करनैल सिंह के झाले तक तथा पैतापुर को जाने वाला मार्ग व महमद जलालनगर से राई खुर्द ग्राम तक जाने वाला मार्ग निर्माण कराने के सम्बन्ध में,
		11-विसरात घाट के बीचो-बीच पड़े स्थान के चारो तरफ पत्थर के स्थान पर सीढ़ियां बनाने के सम्बन्ध में,
		12-शाहजहांपुर नगर के मध्य स्थित पुराने अस्पताल में आपातकालीन चिकित्सीय सुविधाएं चालू कराने के सम्बन्ध में,
		13-गन्ना शोध परिषद् उ0प्र0 के कर्मचारियों को नियमावली में पेंशन का प्राविधान होते हुए भी पेंशन दिये जाने की घोषणा के सम्बन्ध में,
		14-शाहजहांपुर नगर में बरेली मोड़ पर सैटेलाइट बस अड्डे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		15-मोहम्मदी रोड पर शाहजहांपुर से लगभग 5 किमी0 दूरी पर आबादी के बीच से प्रदूषण करने वाला हड्डी कारखाना को शिफ्ट किये जाने के सम्बन्ध में,
		16-शाहजहांपुर में घोषित शिड्यूल के अनुरूप प्रत्येक क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,
		17-शाहजहांपुर के गांधी फैजाम पोस्ट ग्रेजुएट कालेज में स्थाई प्रचार्य नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में,
		18-शाहजहांपुर के ब्लाक ददरौल से ग्राम सपत्पारा तक विद्युत का तार न पड़ा होने से 22 सिंचाई नलकूपों से सिंचाई व्यवस्था बाधित होने तथा आस-पास के ग्रामों में विद्युतीकरण का लाभ न मिलने के सम्बन्ध में,
		19-शाहजहांपुर में स्ट्रीट लाइट का तार नगर के मुख्य मार्गों में न होने से डायरेक्ट लाइन से सोडियम लैम्पों/बल्बों/राडों को जोड़ने जिससे विद्युत का अनावश्यक खर्चा होता है, उसको रोके जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		20-शाहजहांपुर नगर में रामलीला मैदान, आवास विकास कालोनी स्थित पार्क, कचहरी, रोडवेज पर सुलभ शौचालय बनाये जाने के सम्बन्ध में, 21-शाहजहांपुर में आम की फसल को देखते हुए मैंगो रिसर्च सेंटर की स्थापना के सम्बन्ध में, 22-शाहजहांपुर शहीदों की नगरी में शहीदों के याद में एक संग्रहालय निर्माण कराने के सम्बन्ध में, 23-शाहजहांपुर नगर में कन्याओं के शिक्षा के कम अवसर को ध्यान में रखते हुए नये कन्या विद्यालय इण्टर कालेज खोलने या मौजूदा विद्यालयों में डबल शिफ्ट व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में, 24-शाहजहांपुर से स्पोर्टस स्टेडियम की दशा को सुधारने तथा स्टेडियम को जाने वाले मार्ग का पुनः निर्माण कराने के सम्बन्ध में, 25-शाहजहांपुर नगर विधान सभा में 200 स्थानीय विधायक की निशानदेही पर इंडिया मार्क-2 नल लगाने के सम्बन्ध में, 26-शाहजहांपुर के कालीन उद्योग को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में, तथा 27-शाहजहांपुर में जेल के स्थान पर एग्जीवीशन ग्राउण्ड बनाने के सम्बन्ध में।"
45	श्री सुखलाल (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-जिला पीलीभीत में बरखेड़ा में स्वीकृत आई0टी0आई0 भवन न बनाये जाने के सम्बन्ध में, 2-ब्लाक बरखेड़ा जिला पीलीभीत में गजरौला से सुहास बाजार तक मार्ग निर्माण न कराये जाने के सम्बन्ध में, 3-ब्लाक ललौरीखेड़ा के ग्राम गौनेरी बरी तक रिछा मार्ग से सड़क न बनाये जाने के सम्बन्ध में, 4-जहानाबाद से रिछा मार्ग अति खराब अवस्था में है, उसके निर्माण के सम्बन्ध में, 5-पूरनपुर तहसील क्षेत्रफल के अनुसार बहुत बड़ी है इसे विभाजित कर एक नई तहसील कलीनगर बनाये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश संसदीय अध्ययन

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		6-पूरनपुर ब्लाक जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ब्लाक है, इसे विभाजित कर मौधोखेड़ा व गड़वा खेड़ा ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		7-पूरनपुर से तराई क्षेत्र में जाने के लिए कोई मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		8-जिला पीलीभीत में सिंचाई व्यवस्था सही किये जाने के सम्बन्ध में,
		9-जिला पीलीभीत में आसाम रोड से विठौरा कलां नहर से लेकर ग्राम करोड़ तक मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		10-जिला पीलीभीत में गिरते भू-जल स्तर के कारण पानी के संरक्षण के लिए उपाय किये जाने के सम्बन्ध में,
		11-जिला पीलीभीत मे मिलों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण को रोकने के सम्बन्ध में,
		12-जिला पीलीभीत में मण्डी समिति में किसानों का धान आता है। राइस मिलों को लेवी कोटा नहीं बढ़ाया गया जिससे किसानों की धान खरीद नहीं हो रही है। लेवी चावल का कोटा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,
		13-प्राइवेट बीज निर्माताओं को बीज निर्माण पर अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में,
		14-जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बड़खेड़ा के ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		15-जिला पीलीभीत में वन क्षेत्र के किनारे कृषि क्षेत्र को जंगली पशुओं से बचाने के सम्बन्ध में,
		16-जिला पीलीभीत में शारदा सागर से होने वाली बाढ़ के रोकथाम के सम्बन्ध में,
		17-जिला पीलीभीत में सिंचाई व्यवस्था सुधारने के सम्बन्ध में,
		18-जिला पीलीभीत के ब्लाक ललौरी खेड़ा के ग्राम भैंसहा में भैंसहा पौटा कलां मार्ग पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		19-जिला पीलीभीत के ग्राम जारकल्लियां से ग्राम कसापुर जाने वाले मार्ग पर पुलिया निर्माण कराने के सम्बन्ध में,
		20-जिला पीलीभीत के ग्राम पंडरी को जाने वाले माला नदी के क्षतिग्रस्त पुल को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश संसदीय

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		21-जिला पीलीभीत में ब्लाक ललौरी खेड़ा के ग्राम कढ़ैइया नवादा से नवादा कढ़ैइया ग्राम के बीच आवागमन नहीं है, दस किमी0 का ज्यादा रास्ता तय करना पड़ता है, जनहित में मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		22-जिला पीलीभीत के पी0एच0सी0 एवं सी0एच0सी0 में समुचित स्टाफ तैनात किये जाने के सम्बन्ध में,
		23-प्रदेश स्तर पर शिक्षा मित्र, किसान मित्र प्रशिक्षित स्नातक संघ सभी आंदोलनरत हैं, इनकी मांगों को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में,
		24-कर्मचारी संगठनों की समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में,
		25-प्रशिक्षित स्नातक संघ की मांगों को मानने के सम्बन्ध में,
		26-पेयजल व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों का योगदान रहे, इस व्यवस्था को शामिल करने के सम्बन्ध में,
		27-जिला पीलीभीत में गन्ना किसानों की समस्याओं का समाधान कराये जाने के सम्बन्ध में,
		28-जिला पीलीभीत में पशुओं के अनैतिक व्यापार को रोकने के सम्बन्ध में,
		29-जिला पीलीभीत में वन माफियाओं द्वारा पेड़ों के अंधाधुंध कटान को रोके जाने के सम्बन्ध में,
		30-जिला पीलीभीत में गलत बी0पी0एल0 सूची की जांच कराकर पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में,
		31-काशीराम नगर के आवास आवंटन में जिला पीलीभीत की शिकायतों का निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में,
		32-जिला पीलीभीत के सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		33-जिला पीलीभीत में पूसपुर ब्लाक के ग्राम चंदिया हजारा में बाढ़ पीड़ितों को अनुदान दिलाये जाने के सम्बन्ध में, तथा
		34-जिला पीलीभीत में ब्लाक ललौरी खेड़ा के ग्राम कुकरीखेड़ा पर क्षतिग्रस्त नहर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
46	श्री जावेद अंसारी (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-जौनपुर नगर में विद्युत आपूर्ति के लिये बना फीडर नं0-3 बेकार होने के कारण शहर के उत्तरी इलाकों में आपूर्ति बाधित रहा करती है। जिसकी जानकारी जिला प्रशासन और विभागीय अधिकारियों को भी बखूबी है। इस पूरे इलाके में विद्युत आपूर्ति के लिये अविलम्ब उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में, 2-मेरी विधान सभा क्षेत्र के छुछाघाट पर गोमती नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण की वर्षों से जनहित में मांग की जाती है, उसके निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 3-मदेही सोंगर मार्ग पर स्थित नाले पर पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 4-जमुआही कययर मार्ग पर शारदा सहायक नहर के अत्यन्त जर्जर एवं क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 5-वर्ष 2008-09 में मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा कि प्रदेश में 100 अरबी फारसी मदरसों को अनुदान सूची पर लिया जायेगा वर्ष 2010-11 में अतिरिक्त 100 और मदरसों को अनुदान सूची में लिये जाने के सम्बन्ध में, 6-अरबी फारसी विश्वविद्यालय में सत्र प्रारम्भ कराये जाने के साथ-साथ कामिल एवं फाजिल मदरसों को स्वतः विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 7-मेरी वि0स0 क्षेत्र में पूर्वांचल विश्वविद्यालय से करंजाकलां तिराहे तक व तिराहे से छबीलेपुर तिराहे तक की एकदम से जर्जर सड़क का पुनर्निर्माण मिक्स्ड प्लांट योजना अन्तर्गत बनाये जाने के सम्बन्ध में, 8-पाण्डेयपुर हरिजन आबादी तक जाने वाले मार्ग पर स्थित नाले पर पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 9-जौनपुर नगरपालिका परिषद् क्षेत्र में सीवर लाइनें व पानी की लाइनें बिछाये जाने हेतु धन अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		10-जौनपुर नगरीय क्षेत्र में गोमती नदी के किनारे तटवर्ती भूमि पर सुन्दरीकरण तथा नदी के तल की सफाई का कार्य, 11-धन्नूपुर से जमालपुर सम्पर्क मार्ग का 3 किमी0 का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 12-धन्नूपुर से कुत्तूपुर होते हुए बागमियां तक डेढ़ किमी0 सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 13-मल्हनी खुटहन मार्ग पर आममपुर मोड़ से उत्तर पट्टी तक 2 कि0मी0 सड़क का पुनर्निर्माण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में, 14-पुरानी बाजार से बेगमगंज सदर इमामबाड़े तक की जर्जर स्वीकृत सड़क के पुनर्निर्माण हेतु धन अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में, 15-नगरीय क्षेत्र के अल्पसंख्यक बाहुल्य मुहल्लों में पेयजल, विद्युत आपूर्ति, जल निकासी तथा इण्टर लाकिंग/सी0सी0 से गलियों का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में, 16-दलित एवं पिछड़ी जाति के मुस्लिम अल्पसंख्यकों के सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर को ऊपर उठाने के लिये कारगर नीतियां बनाने तथा आरक्षण का लाभ दिलाये जाने हेतु शासन स्तर से अन्य राज्यों की भांति प्रयास करके उसका लाभ वंचितों को दिलाये जाने के सम्बन्ध में, 17-मुस्लिम छात्र/छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों में तमाम विसंगतियों को दूर करते हुए एक समान छात्रवृत्तियां दिलाये जाने के संबंध में ताकि अगड़े और पिछड़े के नाम पर उन्हें वंचित रखने की आम शिकायतें दूर करायी जा सकें, तथा 18-सदर विधान सभा क्षेत्र में अब तक जितने भी गांव-पुरवे-मजरे विद्युतीकरण से वंचित रह गये हैं, उन्हें समान न्याय के आधार पर आच्छादित कराये जाने के सम्बन्ध में।"
47	श्री रमापति उर्फ रमाकान्त (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-विधान सभा क्षेत्र हाटा जनपद कुशीनगर का तहसील मुख्यालय है, यहाँ पर कई इण्टर कालेज, डिग्री कालेज, विकास खण्ड, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं, नगरीय क्षेत्र का शासनादेश होने के बावजूद भी नगरीय क्षेत्र के अनुसार विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2-हाटा-पिपराइच-परतावल पी0डब्लू0डी0 मार्ग पर मंसूरगंज के पास बड़ी नहर पुराने टूटे हुए पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 3-ग्राम पड़री विकास खण्ड सुकरौली जनपद कुशीनगर के सभी टोलों (पुरवों/मजरों) विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, 4-उत्तर प्रदेश में गोंड जाति 13 जिलों में अनुसूचित जनजाति एवं 57 जिलों में अनुसूचित जाति में सम्मिलित है जहां जिस श्रेणी में है वहां उसी के अनुसार सुविधा देने के सम्बन्ध में, 5-उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के सभी निर्वाचनों में अनुसूचित जनजाति हेतु सीटों का आरक्षण सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में, 6-समाज कल्याण विभाग की बेवसाइट पर उ0प्र0 में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों की सूची अद्यतन स्थिति के अनुसार प्रदर्शित कराने के सम्बन्ध में, 7-आदिवासी सभ्यता एवं संस्कृति से सम्बन्धित विषय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में शामिल करने के सम्बन्ध में, 8-उत्तर प्रदेश में अलग से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मंत्रालय बनावाने के सम्बन्ध में, 9-उत्तर प्रदेश में भारत सरकार की भांति जनजाति आयोग अलग से स्थापना कराने के सम्बन्ध में, तथा 10-आदिवासी गोंड विरांगना महारानी दुर्गावती की प्रतिमा लखनऊ, गोरखपुर एवं वाराणसी में लगवाने के सम्बन्ध में।"
48	श्री इरफान सोलंकी (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-जे0 एन0 यू0 आर0 एम0 योजना में जल निगम द्वारा घटिया पाइप का इस्तेमाल किये जाने के सम्बन्ध में, तथा 2-ईदगाह कालोनी में 3 वर्ष पूर्व बने 10 लाख लीटर वाटर ओवर हेड टैंक को जे0 एन0 यू0 आर0 एम0 योजनान्तर्गत शामिल किये जाने के सम्बन्ध में।"

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
49	श्री माता प्रसाद पाण्डेय (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव जनता द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में, 2-उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर तैनात एस0एस0बी0 फोर्स द्वारा किये जा रहे अनैतिक कार्यों को रोके जाने के सम्बन्ध में, 3-तस्करों द्वारा नेपाल में बड़े पैमाने पर रसायनिक खादों को भेजने पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में, 4-बढ़ रहे बेरोजगारों को रोजगार दिलाये जाने की कोई ठोस नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में, 5-वर्तमान सरकार के पिछले दो वर्षों के कार्यकाल में निरन्तर बढ़ रहे अपराधों पर रोक लगाये जाने की कोई नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में, 6-किसानों के द्वारा उत्पादित जीन्सों का लाभकारी मूल्य देने की कोई योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में, 7-बढ़ रही मंहगी शिक्षा पर रोक लगाकर सामान्य व्यक्ति के परिवारों को सस्ती शिक्षा देने के सम्बन्ध में, 8-पूर्वांचल को बाढ़ और सूखे की दैवी आपदा से बचाने की कोई ठोस योजना के सम्बन्ध में, तथा 9-जनपद सिद्धार्थनगर में गौतमबुद्ध की राजधानी कपिल वस्तु को पर्यटक के रूप में विकसित किए जाने हेतु विशेष पैकेज दिये जाने के सम्बन्ध में।"
50	डा0 वकार अहमद शाह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-मुअल्लिम उर्दू डिग्री धारक लगभग पांच हजार नौजवानों को रोजगार दिये जाने के सम्बन्ध में, 2-सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र कमेटी द्वारा दिये गये सुझावों पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में, 3-मुसलमानों को सरकारी सेवाओं और प्राइवेट सेवाओं में अलग से आरक्षण किये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		4-अस्पतालों में गरीब मरीजों के लिए रक्त चढ़ाने हेतु ली जाने वाली फीस को खत्म किये जाने के सम्बन्ध में, 5-प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्व-वित्त पोषित कालेजों द्वारा बी0 एड0 के छात्रों से दुगुना एवं तिगुना फीस वसूली पर उनके खिलाफ कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में, 6-उर्दू, फारसी मदरसों को अनुदान सूची में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में, 7-जनपद बहराइच में 20 घण्टा बिजली आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में, 8-सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर गरीबों को सस्ता गल्ला एवं मिट्टी का तेल तथा यूरिया खाद वितरित कराये जाने के सम्बन्ध में, 9-प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मेडिकल कालेजों में सीट बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में, तथा 10-प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में चिकित्सक व पैरा मेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने के सम्बन्ध में।"
51	श्री अम्बिका चौधरी (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-स्थनीय प्राधिकारी क्षेत्र से विधान परिषद् चुनाव में हुई धांधली के सम्बन्ध में, 2-टोंस नदी पर थम्मनपुरा घाट पर निर्माणाधीन पुल और उसके सम्पर्क मार्ग को 31 मार्च, 2010 तक चालू कराये जाने के सम्बन्ध में, 3-जनपद बलिया में विद्युत आपूर्ति 20 घण्टा किये जाने के सम्बन्ध में, 4-जनपद बलिया की बिहार राज्य से लगने वाली अन्तर्राज्यीय सीमा पर गंगा पुल से राष्ट्रीय राजमार्ग-19 तक मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में, 5-फेफना विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था हेतु 500 हैण्डपम्प और 10 ओवर हेड टैंक सहित ग्राम समूह पेयजल योजना चालू कराये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		6-सभी चिकित्सालयों में चिकित्सक व पैरा मेडिकल स्टाफ के रिक्त पड़े पदों पर भर्ती किये जाने के सम्बन्ध में,
		7-जनपद बलिया के किसान सहकारी चीनी मिल रसड़ा का नवीनीकरण कराकर इसकी क्षमता में वृद्धि की जायेगी और जनपद के गन्ना किसानों की स्थिति को बेहतर किये जाने के सम्बन्ध में,
		8-बन्द पड़ी कताई मिल के स्थान पर नई मिल लगाई जाने और बन्द कताई मिल के सभी कर्मचारियों का बकाया वेतन व अन्य देय 2 माह के अन्दर भुगतान करते हुए उनका पुनर्नियोजन किये जाने के सम्बन्ध में,
		9-जनपद बलिया के सभी जर्जर सड़कों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		10-दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध और उसके अन्य उत्पादों का समुचित मूल्य दिलाये जाने के सम्बन्ध में,
		11-बिहार सीमा पर प्रदेश के सार्वजनिक प्रणाली खाद्यान्न की तस्करी रोके जाने के सम्बन्ध में,
		12-प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को समुचित सुविधायें दिये जाने के सम्बन्ध में और देशी खेलों को प्रोत्साहन दिये जाने के सम्बन्ध में,
		13-जिला चिकित्सालय बलिया पर मानक के अनुरूप चिकित्सक, पैरा मेडिकल, नर्स व अन्य परिचारक, सफाई कर्मी, टेक्नीशियन नियुक्त किये जाने के के सम्बन्ध में,
		14-जनपद बलिया के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक तैनात किये जाने के सम्बन्ध में,
		15-सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला चिकित्सक की नियुक्ति तत्काल किये जाने के सम्बन्ध में,
		16-बलिया से बैरिया तक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण तत्काल पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		17-दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों को पुनर्वासित किये जाने के सम्बन्ध में,
		18-गंगा और घाघरा की कटान से प्रभावित विस्थापितों को शासन की ओर से भूमि, आवास उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

अविलम्ब प्रकाशन

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		19-गड़वार, रतसड़ और कोटवा नरायनपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उच्चीकरण सी0एच0सी0 के रूप में कराये जाने के सम्बन्ध में, 20-खरीद दरौसी घाट एवं नरहन घाट और महावीर घाट शिवपुर दियर पर पीपे का पुल तत्काल चालू कराये जाने के सम्बन्ध में, 21-कटान से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिये जाने और उनके पुनर्वास के सम्बन्ध में, 22-दोहरी घाट सहायक परीयोजना के सम्पूर्ण रूप से नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में तथा क्लस्टर नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में, तथा 23-लखनऊ, बलिया राजमार्ग पर सुल्तानपुर से बलिया तक अत्यन्त जर्जर स्थिति को समाप्त कर चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।"
52	श्री राम विशुन आजाद (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा दिये गये संशोधन प्रस्तावों पर विचार करने हेतु समिति बनाकर जनहित में संशोधन प्रस्ताव का परीक्षण कर समस्याओं का समाधान करने के सम्बन्ध में, 2-उ0 प्र0 में बढ़ती हुई मंहगाई से जनजीवन भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। मंहगाई रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में, 3-प्रदेश में किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के सम्बन्ध में, 4-उ0 प्र0 के ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में; 5-उ0 प्र0 में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने के सम्बन्ध में, 6-प्रदेश के गन्ना मूल्य 300/-रु0 प्रति कुन्तल किये जाने के सम्बन्ध में, 7-प्रदेश में गेहूं एवं धान के फसलों का मूल्य 1500 एवं 1300 प्रति कुन्टल किये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		8-प्रदेश के कृषकों को सस्ते दर पर खाद, बीज, कृषि यंत्र उपलब्ध कराये के सम्बन्ध में,
		9-प्रदेश में गरीब छात्र/छात्राओं को स्नातक तक की शिक्षा निःशुल्क किये जाने के सम्बन्ध में,
		10-प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में गम्भीर पेयजल समस्या का शीघ्र निदान किये जाने के सम्बन्ध में,
		11-प्रदेश के निर्बल वर्गों के छप्पर एवं खपरैल मकानों को पक्का मकान निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		12-प्रदेश में बढ़ रहे जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण से जनसामान्य को हो रहे भारी नुकसान को देखते हुए रोकने के लिए योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		13-प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों को अन्त्योदय एवं बी0पी0एल0 कार्ड दिलाये जाने के सम्बन्ध में,
		14-प्रदेश में गिरते हुए जल स्तर को बचाने हेतु प्रभावी कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		15-विलुप्त हो रहे गिद्ध प्रजाति एवं कछुआ प्रजाति को बचाने हेतु प्रभावी कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		16-प्रदेश के सभी मण्डलों में मेडिकल कालेज खोलने के सम्बन्ध में,
		17-प्रदेश में गरीबों को दिये जा रहे शादी अनुदान की राशि बढ़ाने के सम्बन्ध में,
		18-प्रदेश में कानून-व्यवस्था को सुधारने के सम्बन्ध में,
		19-प्रदेश में वृद्धा, विधवा तथा विकलांग पेंशन 1000/-रु0 किये जाने के सम्बन्ध में,
		20-प्रदेश में ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना को अधिकारियों द्वारा नियमानुसार संचालित न करने के सम्बन्ध में,
		21-प्रदेश में नरेगा योजना के अन्तर्गत ग्रामीण मजदूरों का जाब कार्ड न बनाने एवं महिलाओं/अनुसूचित जातियों को रोजगार न देने की जांच करवाने के सम्बन्ध में,
		22-प्रदेश के सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाने के सम्बन्ध में,
		23-उ0 प्र0 के माननीय सदस्य विधान सभा/पूर्व सदस्य, विधान सभा के निधन के उपरान्त पारिवारिक पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में,

अग्रिम प्रदर्शन

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		24-प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने के सम्बन्ध में,
		25-गरीबों एवं बेसहारा लोगों को निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में,
		26-पूर्व सरकार द्वारा जनपद गोण्डा में स्वीकृत सभी परियोजनाओं पर कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,
		27-जनपद गोण्डा को सर्वाधिक पिछड़ा जनपद मानकर सर्वांगीण विकास हेतु विशेष पैकेज देने के सम्बन्ध में,
		28-देवी पाटन मण्डल मुख्यालय गोण्डा में मेडिकल कालेज/महिला डिग्री कालेज एवं तकनीकी शिक्षा संस्थान खोले जाने के सम्बन्ध में,
		29-जनपद गोण्डा में स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन 1857 के महान सेनानायक महाराजा देवी बक्श सिंह की आदमकद कांस्य प्रतिमा डी0आर0डी0ए0 गोण्डा प्रांगण में लगवाये जाने के सम्बन्ध में,
		30-जनपद गोण्डा में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय गोण्डा का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 बाबू गंगा प्रसाद जी के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में,
		31-जनपद गोण्डा में जलाशयों एवं पुराने तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कर पुनः पुराने स्वरूप में किये जाने के सम्बन्ध में,
		32-विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के तहसील मुख्यालय पर मुंसिफ कोर्ट स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,
		33-विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत आने वाले वजीरगंज बाजार एवं मसकनवों बाजार को टाउन एरिया बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		34-विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में पेयजल की समस्या को देखते हुए निःशुल्क 600 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगवाने के सम्बन्ध में,
		35-विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत मनकापुर वजीरगंज, छपिया, नवाबगंज में महिला अस्पताल खोले जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		36-विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत बलेशरगंज बाजार, तुर्काडीहा बाजार, महाराजगंज ग्रन्ट, दुर्जनपुर, कुड़ासन में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोलने के सम्बन्ध में,
		37-विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत वन सीमा से लगे हुए ग्रामों के कृषकों की फसलों को जंगली जानवरों द्वारा क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, सर्वे करवाकर पीड़ित कृषकों को मुआवजा दिलाये जाने एवं कटीले तार लगाये जाने के सम्बन्ध में,
		38-जनपद गोण्डा के टिकरी रामगढ़ रेंज, सादुल्लानगर रेंज में हो रहे अवैध कटान को रोकने के सम्बन्ध में,
		39-दर्जीकुआं मनकापुर एवं मनकापुर नवाबगंज मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराने के सम्बन्ध में,
		40-विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में झिलाही वजीरगंज मार्ग पर स्थित चौखटघाट पर पक्का पुल दुर्जनपुर लिदेहना ग्रन्ट मार्ग पर पक्का पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		41-तहसील मनकापुर के अन्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र मनकापुर मसकनवां के अन्तर्गत आने वाले सभी फीडरों के पुराने तारों को बदलकर नये तारों को लगवाने के सम्बन्ध में,
		42-बभनान शुगर मिल का गन्दा पानी मकोइया तालाब एवं दतौली शुगर मिल का गन्दा पानी विसुही नदी और बजाज शुगर मिल का गन्दा पानी चमदही नदी में गिरने से आस-पास के गांवों का जल स्तर प्रदूषित हो चुका है जिसके पीने से संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं एवं नदियों में रहने वाले जीव-जन्तु क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, को बचाने हेतु प्रभावी योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		43-विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत मनकापुर, छपिया, वजीरगंज, नवाबगंज में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी गरीबों का पक्का आवास निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		44-विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र पंचायतों के विकास के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित कर कार्य योजना पर कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,
		45-विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत सर्वे करवाकर अवशेष बचे ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		46-विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत बीरेपुर, तुर्काडीहा, परसा तिवारी में विद्युत आपूर्ति सुधार हेतु विद्युत उपकेन्द्र खोलने के सम्बन्ध में।"
53	श्री बैजनाथ दुबे (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-जनपद गोण्डा के कटरा दुबहा मार्ग से पिपरी माझा मार्ग पर टेढ़ी नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 2-जनपद गोण्डा में देवापसिया से उर्दी गोण्डा मार्ग पर टेढ़ी नदी पर पुल निर्माण कराने के सम्बन्ध में, 3-परसियारानी पिपरा पदुम मार्ग पर पेड़रहवा घाट पर पुल निर्माण कराने के सम्बन्ध में, 4-परसियारानी पिपरा पदुम मार्ग क्षतिग्रस्त है, का नवीनीकरण कराने के सम्बन्ध में, 5-जनपद गोण्डा में ग्राम मंगुरही तेलिक पुरवा ग्राम सर्वांगपुर पैदामी पुरवा दुदई पुरवा में विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध में, 6-जनपद गोण्डा के ग्राम नकहा, भरथा, इटहिया, चौदही मेटुकहा में आये तूफान से क्षतिग्रस्त खम्भों को बदलकर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में, 7-जनपद गोण्डा के बालपुर बाजार, कौड़िया बाजार में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 8-जनपद गोण्डा में कौड़िया अशोकपुर मार्ग का शेष भाग को निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 9-जनपद गोण्डा के बालपुर बाजार में महिला इण्टर कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में, 10-दुबहाबाजार नरायनपुर कला होते हुए कटुवा नाला तक सड़क की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में, 11-नरायनपुर कला दुबहाबाजार मार्ग से देवा पसिया होते हुए मनकापुर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में, 12-जनपद गोण्डा में फलहारी कुट्टी को पर्यटक स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधानसभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		13-जनपद गोण्डा के विकास खण्ड कटरा बाजार में राजस्व गांवों को पक्की सड़क से जोड़े जाने का उल्लेख नहीं है जैसे नकहा, झौहना, उर्दीगोण्डा, मोहन टेपरा, झाला, जेठपुरवा, तथा 14-जनपद गोण्डा के विकास खण्ड-हलधरमऊ के निम्न गांवों को पक्की सड़क से जोड़े जाने का उल्लेख नहीं है जैसे कमालपुर, भटनैइया, नूरपुर।"
54	श्री दीनानाथ कुशवाहा (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-देवरिया जनपद अन्तर्गत छोटी गण्डक पर बसन्तपुर से धुसी से सबवट कैथवलिया पर पक्का पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में, 2-हाटा रजवाहा नहर में टेल तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में, 3-हाटा रजवाहा से प्रानपुर माइनर की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में, 4-गौर माइनर के टेल तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में, 5-किसानों को खाद बीज समय से उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 6-पूर्वांचल के विकास हेतु पूर्वांचल विकास निधि की धनराशि को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में, 7-गन्ना किसानों को गन्ने का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में, 8-देवरिया कसया मार्ग पर बन रहे रेल पुल का निर्माण कार्य तेज कराये जाने के सम्बन्ध में, 9-देवरिया करौदी मार्ग को एन0एच0 मार्ग (स्टेट हाई-वे) घोषित किये जाने के सम्बन्ध में, 10-देवरिया जनपद को कम से कम 20 घण्टे बिजली उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 11-जमाखोरों एवं मुनाफाखोरों तथा मिलावट करने वालों के विरुद्ध उचित कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में,

अद्यतन प्रकाशन

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		12-गरीबों एवं कमजोर लोगों को सस्ती तथा मुफ्त में चिकित्सा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 13-भटनी भेंगारी मार्ग पर बने पुल का टोल टैक्स खत्म कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा 14-छोटी गण्डक के बाढ़ से बचाने हेतु नदी के किनारे तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में।"
55	डा0 पी0 के0 राय (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-खेद है कि देश के हृदय प्रदेश उत्तर प्रदेश जिसको भारतीय संस्कृति की गौरवमयी परम्परा एवं राष्ट्रीय एकता का प्रतीक कहा गया है जो कि भगवान बुद्ध की धरती रही है। इस प्रदेश में जन्म लिये महापुरुषों, समाजसेवकों और आजादी की लड़ाई की अगुवाई करने वालों के नाम का उल्लेख किये जाने के सम्बन्ध में, 2-गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले सभी वंचित परिवारों को महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के अन्तर्गत लाये जाने और गरीब चाहे जिस भी जाति का हो, उस श्रेणी में आता हो, उसे भी इस सुविधा के अन्तर्गत सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में, 3-प्रदेश के किसानों को उनकी उत्पादकता का उचित लाभकारी मूल्य दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे कि उनकी लूट, बिचौलियों के द्वारा न हो, 4-किसानों को गुणवत्तायुक्त खाद एवं बीज उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 5-पूर्वी उत्तर प्रदेश में नेपाल से आने वाली बड़ी नदियों के कारण बाढ़ जैसी गम्भीर समस्या के स्थायी समाधान हेतु जलकुम्भी योजना को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में, 6-पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुख्य पश्चिमी गण्डक कैनाल में सफाई एवं टेल तक पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में, 7-चिकित्सा के क्षेत्र में कोई बड़े परिवर्तन की योजना बनाने जिसमें कि डाक्टरों की कमी और पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी को दूर करने एवं प्रदेश के गरीब जाति को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		8-जापानी इन्सेफेलाइटिस से बचाव हेतु व्यापक पैमाने पर टीकाकरण, छिड़काव एवं इससे प्रभावित लोगों को इलाज हेतु तथा इस बीमारी से मरने वालों को सहायता एवं इससे प्रभावित विकलांगों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में, 9-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सभी पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न एवं मिट्टी का तेल उपलब्ध कराने हेतु टोकन प्रणाली पूरे प्रदेश में लागू किये जाने का प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में, 10-शुद्ध पेयजल हेतु नये हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन का अधिकार जनप्रतिनिधियों को भी दिये जाने के सम्बन्ध में, 11-जनपद-कुशीनगर के तहसील तमकुहीराज अन्तर्गत बड़ी गण्डक नदी के बाढ़-बचाव हेतु बने ए0पी0 और अमवां खास तटबन्ध में बाढ़ सुरक्षात्मक उपाय समय से कराये जाने के सम्बन्ध में, 12-बड़ी गण्डक नहर के क्षतिग्रस्त पटरियों को ठीक कराने, सिल्ट की सफाई और टेल तक पानी पहुंचाने का कार्य किये जाने के सम्बन्ध में, तथा 13-विकलांगों को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु एवं उन्हें स्वावलम्बी बनाये जाने के लिए योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में।"
56	श्री मदन चौहान (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को सुधारने के लिये कोई कारगर नीति को लागू करने के सम्बन्ध में, 2-किसानों की भूमि अधिग्रहण को जबरदस्ती नहीं करने हेतु तथा प्रतिकर की राशि बढ़ाने के सम्बन्ध में, 3-गढ़मुक्तेश्वर तीर्थनगरी, गंगा घाट, ब्रज घाट को हरिद्वार की तर्ज पर विकसित करने के सम्बन्ध में, 4-महंगाई को रोकने के कारगर उपाय के सम्बन्ध में, 5-शुगर मिलों द्वारा अनधिकृत तरीके से आरक्षित क्षेत्र के बाहर से अच्छे दामों पर गन्ना खरीद रोकने व घटतौली रोकने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		6-भ्रष्टाचार रोकने के सम्बन्ध में, 7-गांवों में विद्युत आपूर्ति बढ़ाने के सम्बन्ध में, 8-समान शिक्षा प्रणाली लागू करने के सम्बन्ध में, 9-वि0 सभा में सूचना के बावजूद जिला अस्पताल गौतमबुद्ध नगर में अल्ट्रासाउन्ड तुरन्त ठीक कराने के सम्बन्ध में, 10-गंगा को प्रदूषण से बचाने हेतु सिम्भावली शुगर मिल के रासायनिक गन्दे पानी का गिरना रोकने के सम्बन्ध में, 11-प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं द्वारा मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगाने के सम्बन्ध में, 12-नकली दवाइयों के कारोबार पर नियंत्रण के सम्बन्ध में, 13-विद्युत आपूर्ति बढ़ाने हेतु तथा समन शुल्क वसूलने पर रोकथाम के सम्बन्ध में, 14-नोएडा जनपद गौतमबुद्ध नगर में रिक्शा चालकों व साप्ताहिक बाजारों के लोगों को प्राधिकरण नोएडा के शोषण से बचाने के सम्बन्ध में, 15-गढ़मुक्तेश्वर गाजियाबाद में नगरपालिका गढ़ द्वारा बनाया जा रहा अनाधिकृत व गैर कानून गेट का निर्माण तुरन्त रोकने के सम्बन्ध में, 16-विकलांगों, वृद्धों को पेंशन, महिलाओं को पेंशन बढ़ाने के सम्बन्ध में, 17-गढ़मुक्तेश्वर में एन0 एच0 24 हाईवे से गढ़ चौपले की ओर ओवर ब्रिज बनाने के सम्बन्ध में, तथा 18-नोएडा में बढ़ते प्रदूषण रोकने के सम्बन्ध में।"
57	श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-जनपद हमीरपुर के कुटारा, सुमेरपुर, मुस्करा विकास खण्डों में पेयजल समाधान हेतु हैण्डपाइपों की स्थापना कराने के सम्बन्ध में, 2-जनपद हमीरपुर के भौली, बिलौटा, सदुरापुरा, रमेडी, सुरौढी, पत्योरा, छानीबक्श, लघु डाल नहरों की क्षमता बढ़ाने एवं टेल तक पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		3-जनपद हमीरपुर में सूखे की स्थिति को देखते हुए विकास खण्ड सुमेरपुर, कुरारा, मुस्करा के प्रत्येक ग्राम में सरकारी ट्यूबवेल लगाये जाने के सम्बन्ध में, 4-लघु सिंचाई द्वारा गैर मानक के तीन वर्षों के कार्यों की टी0ए0सी0 जांच कराये जाने के सम्बन्ध में, 5-जनपद हमीरपुर के सुमेरपुर, कुरारा, मुस्करा की टूटी सड़क के पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 6-बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सूखे की स्थिति के कारण सभी जनपदों में वसूली सरकारी तत्काल रोके जाने के सम्बन्ध में, 7-बुन्देलखण्ड के प्रत्येक जनपद में सिंचाई, पेयजल, विद्युत, सड़क व शिक्षा के समग्र विकास के सम्बन्ध में, 8-बुन्देलखण्ड के प्रत्येक जनपद में सरकारी अस्पतालों की खस्ता हालत को सुधारने एवं गरीबों को मुफ्त दवा व इलाज कराने के सम्बन्ध में, 9-बुन्देलखण्ड में वर्षा के पानी को रोकने के लिये किसानों के हित में सिंचाई विभाग द्वारा बड़े-बड़े बन्धे ग्राम स्तर पर बनाने के सम्बन्ध में, 10-बुन्देलखण्ड के प्रत्येक ग्राम में बड़े-बड़े तालाबों का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, तथा 11-बेतवा-यमुना संगम पर हमीरपुर में सिंचाई एवं पेयजल समस्या के समाधान हेतु बांध बनाये जाने के सम्बन्ध में।"
58	श्री मदन भैया (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने हेतु प्रदेश का बंटवारा कर पश्चिमांचल (हरित) व पूर्वांचल प्रदेश बनाये जाने के सम्बन्ध में, 2-जनपद बागपत के पिछड़ेपन को दूर करने के सम्बन्ध में, 3-उ0 प्र0 व हरियाणा के बीच यमुना के कटाव से उत्पन्न प्रतिवर्ष होने वाले सीमा विवाद को सुलझाने हेतु दीक्षित एवार्ड लागू करने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		4-ट्रोनिका सिटी (गाजियाबाद) का नोएडा की तर्ज पर विकास के सम्बन्ध में,
		5-गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की कोयल इन्क्लेव योजना में किसानों को समुचित मुआवजा दिये जाने एवं पक्के निर्माण को छोड़े जाने के सम्बन्ध में,
		6-विश्वव्यापी खतरनाक "स्वाइन फ्लू" बीमारी की रोकथाम हेतु दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था एवं रोकथाम के समुचित उपायों के अन्तर्गत वायरस जनित सुअरों को शहर से बाहर निकालने के सम्बन्ध में,
		7-लखनऊ के उदयगंज रोड के मध्य स्थित अवैध कूड़ाघर एवं सुअरबाड़ा को सदन में दिये गये आश्वासन के बावजूद नगर निगम की हठधर्मी के चलते अभी तक स्थानान्तरित न किये जाने के सम्बन्ध में,
		8-जापानी इन्सेफ्लाइटिस के उन्मूलन हेतु दवाओं की व्यवस्था एवं सुअरों को बस्तियों से दूर किये जाने के सम्बन्ध में,
		9-विधान सभा क्षेत्र खेकड़ा के किसानों के हितार्थ विद्युत आपूर्ति बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,
		10-प्रदेश के भू-माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में,
		11-आतंकवादियों की बदलती मोडस एपरेडी में लगातार बदलाव एवं बढ़ती स्थानीय घुसपैठ को प्रभावी ढंग से रोकने हेतु आधुनिक तरीके प्रयोग करने एवं स्लिपिंग सेल को पकड़ने की कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में,
		12-अपहरण पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में,
		13-सचिवालय विधान भवन के बाहर की सड़कें ऊंची हो जाने से सचिवालय के अन्दर पानी भरने की समस्या का निराकरण के सम्बन्ध में प्रश्न उठाने के बावजूद निराकरण न करने के सम्बन्ध में,
		14-सचिवालय के सभी भवनों में सेन्ट्रली ए0सी0 प्लांट लग जाने के बावजूद कक्षों में लगे पुराने ए0सी0 न हटाये जाने के सम्बन्ध में,

अनुवाद प्रदेश

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		15-प्रदेश में आपूर्ति के दृष्टिगत रखते हुए बिजली उत्पादन हेतु नई परियोजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		16-प्रदेश के महानगरों में प्रदूषण की रोकथाम हेतु सी0एन0जी0 की छोटी नगर बसें चलाये जाने के सम्बन्ध में,
		17-महंगाई के दृष्टिगत प्रदेश में राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा पूरे समय चीनी व दाल की बिक्री न किये जाने के सम्बन्ध में,
		18-लखनऊ शहर में भूमिगत केबिल द्वारा बिजली सप्लाई किये जाने के सम्बन्ध में,
		19-लखनऊ में अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		20-लखनऊ में विधान भवन से दारुलशफा, रायल होटल, एनेक्सी व हजरतगंज जाने हेतु भूमिगत पैदल पथ बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		21-प्रदेश के किसानों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		22-प्रदेश के किसानों को बिना ब्याज के कृषि से सम्बन्धित उपकरण, खाद व बीज क्रय करने हेतु ऋण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		23-जनपद गाजियाबाद में सीकरी कला को शहीद गांव घोषित करने के सम्बन्ध में,
		24-बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में,
		25-ऊसर एवं बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के सम्बन्ध में,
		26-प्रदेश में नकली दवाओं एवं मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम के सम्बन्ध में,
		27-राज्य कर्मचारियों को केन्द्र के समान अवकाश नकदीकरण की सुविधा बहाल किये जाने एवं केन्द्र के समान परिवहन भत्ता, ट्यूशन भत्ता, चिकित्सा भत्ता तथा मकान किराया भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में,
		28-बाल मजदूरी व बन्धुआ मजदूरी पर पाबन्दी के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		29-किसानों को गन्ना गेहूं आदि की उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के सम्बन्ध में, 30-प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन व किसानों की पेंशन बढ़ाने के साथ संख्या में वृद्धि के सम्बन्ध में, 31-प्रदेश की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ एवं उत्पीड़न को कड़ाई से रोकने हेतु कानून बनाने के सम्बन्ध में, 32-प्रदेश में रासायनिक खाद विशेष रूप से डी0ए0पी0 की किल्लत दूर करने के सम्बन्ध में, 33-मोदीनगर की बन्द मोदी पोन लि0 की जमीन को किसानों को वापस दिलाये जाने के सम्बन्ध में, 34-गाजियाबाद-बड़ौत राष्ट्रीय राजमार्ग को ठीक किये जाने के सम्बन्ध में, 35-नोएडा क्षेत्र एवं लखनऊ में लूट की घटनाओं को रोके जाने के सम्बन्ध में, 36-प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षिकाओं को नजदीक के विद्यालयों में नियुक्ति प्रदान करने हेतु कानून बनाये जाने के सम्बन्ध में, 37-मोदीनगर-हापुड़ मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में, 38-ग्रेटर नोएडा एथारिटी के कार्यालय को कारपोरेट कार्यालय की तर्ज पर स्थायी रूप से सर्व सुविधायुक्त भव्य बनाये जाने के सम्बन्ध में, 39-मृतक आश्रित को मानवीय आधार पर नौकरी देने में कालबाधित शब्द को हटाये जाने के सम्बन्ध में, तथा 40-सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति द्वारा सामग्री की खरीद व स्कूल विद्युतीकरण में ग्राम प्रधानों द्वारा की जा रही जबरदस्ती व दुरुपयोग को रोकने व केन्द्रीय स्तर पर क्रय करने के सम्बन्ध में।"
59	श्री शिव बालक पासी (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-71 कि0मी0 लम्बी 75 राजबहों व अल्पिकाओं को चलाने वाली राजबहा डीह, जनपद रायबरेली के सिंचाई की

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		समस्या के निदान हेतु जनहित में जौनपुर शाखा बाराबंकी से चलाने के बजाय जनपद रायबरेली में ही शारदा सहायक से पूरब की ओर को चल रही बरवारीपुर माइनर और राजबहा डीह से पश्चिम की ओर को चल रही रेवरी पुर माइनर दोनों को मिलाते हुए हेड की ओर नया निर्माण करके शारदा सहायक से सीधे चलाये जाने के सम्बन्ध में,
		2-सिंचाई की समस्या के हल के लिये (1) ग्राम पंचायत पीरा नगर व बरवलिया वि0 खं0 सलोन (2) ग्राम पंचायत कचनावां (3) गंगापुर कमवां पूरब नायन वि0 खं0 डीह, जनपद रायबरेली में सई नदी से पम्प नहरों के निर्माण के सम्बन्ध में,
		3-(1) ग्राम पंचायत चतुरपुर (2) पूरे पासिन बेवल (3) कुंअर मउ वि0 खं0 छतोह व (4) रेवरी-सैदपुर (5) बहुतई वि0 खं0 डीह और (6) पीरा नगर (7) बैरमपुर तथा (8) अतर थरिया वि0 खं0 सलोन, जनपद रायबरेली में राजकीय नलकूपों की स्थापना के सम्बन्ध में,
		4-महराजगंज ड्रेन, जनपद रायबरेली के ग्राम कचनावां और गोड़ियों व यादवों तथा पासियों के पुरवों के बीच आम रास्ते पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में,
		5-विकास खण्ड सलोन, जनपद रायबरेली फर्रुखाबाद के बाद उत्तर प्रदेश में दूसरे नम्बर का आलू उत्पादक क्षेत्र है जहां आलू पर आधारित कोई भी उद्योग स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,
		6-न्याय पंचायत के मुख्यालय ग्राम सभा नुरुद्दीनपुर, वि0 खं0 सलोन, जनपद रायबरेली में विद्युत उप गृह स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,
		7-विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले सम्पर्क मार्गों में ली जाने वाली भूमि में अधिग्रहण प्राविधान लागू किये जाने के सम्बन्ध में,
		8-आलू तथा खाद्यान्नों के आधारीय बीजों का उत्पादन कम से कम 20 गुना बढ़ाकर कृषि उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि लाने के सम्बन्ध में,
		9-प्रदेश में अग्निकाण्ड की घटनाओं से बड़े पैमाने पर हो रही जन-धन की हानि को रोकने के लिये प्रत्येक थाने में अग्निशमन उपकेन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		10-लगभग लाख हेक्टेयर जल प्लावित क्षेत्र वि0 खं0 सलोन, जनपद रायबरेली व सदर तहसील, प्रतापगढ़ के किसानों को उबारने के लिये (1) बकुलाही नाला स्थित रायबरेली व प्रतापगढ़ (2) क्षोभ नाला और (3) औटहिया तथा (4) ममुनी नाला स्थित वि0 खं0 सलोन, जनपद रायबरेली की खुदाई/सफाई के सम्बन्ध में,
		11-विधान सभा क्षेत्र सलोन, जनपद रायबरेली के मुख्यालय कस्बा सलोन में महिला डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में,
		12-रायबरेली-प्रतापगढ़ रोड के करहिया बाजार से ग्राम पंचायत कान्हपुर तक तारकोल रोड लम्बाई लगभग 6 कि0मी0 के निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में,
		13-रायबरेली-प्रतापगढ़ रोड के कमालगंज बाजार से ग्राम इच्छनगोड़ा तक डामर रोड लम्बाई 7 कि0मी0 के निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में,
		14-सलोन-मानिकपुर रोड रायबरेली के मोहम्मदाबाद से ग्राम पंचायत आशिकाबाद तक डामर रोड 5 कि0मी0 वाया छोटा व बड़ा घोपियाना के निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में,
		15-रायबरेली में जगतपुर-सलोन रोड के उमरपुर से हरिकिशनपुर टिकरा तक डामर रोड लम्बाई 5 कि0 मी0 के निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में,
		16-रायबरेली-प्रतापगढ़ रोड के साहबगंज बाजार से काजीपुर गोसाई तक डामर रोड लम्बाई 4 कि0मी0 के निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में,
		17-रायबरेली में सलोन-धरई रोड के धरई से सलोन-मानिकपुर रोड के ख्वाजापुर तक डामर रोड लम्बाई 5 कि0मी0 के निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में,
		18-रायबरेली में फुरसतगंज-डीह रोड वाया टिकारी दांदू के टिकारीदांदू से पूरे मदेखां तक 6 कि0मी0 डामर रोड के निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में,
		19-रायबरेली में गांधीनगर-छतोह रोड के परैयानमकसार से अददूमउ वाया इंटरौरा 6 कि0मी0 डामर रोड निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		20-रायबरेली में गांधीनगर-छतोह रोड के मौहरिया से बेवल तक 6 कि0मी0 डामर रोड निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में, 21-फुरसतगंज-डीह रोड वाया मउ के रोखा से बिरनावां तक 6 कि0मी0 डामर रोड निर्मित किये जाने के समबन्ध में, 22-फुरसतगंज-डीह रोड वाया मउ के पूरे खेंउं से कमालपुर बड़ैला तक 5 कि0मी0 डामर रोड निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में, 23-रायबरेली-प्रतापगढ़ रोड के सहकारी कोल्ड स्टोर सलोन से बहेलियापुर, माधवपुर निनैयां वाया उसरी 5 कि0मी0 डामर रोड निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में, 24-रायबरेली में नसीराबाद-सण्डहा रोड के अशरफपुर से जायस वाया कोलवा 5 कि0मी0 डामर रोड निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में, तथा 25-गांधीनगर-छतोह रोड के बनी से कोबी वाया पूरे चांद 5 कि0मी0 डामर रोड निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में।"
60	श्री विश्वनाथ (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-उत्तर प्रदेश के बिहार और नेपाल सीमा तक खाद एवं बीज की तस्करी को रोकने के सम्बन्ध में, 2-प्रदेश के महान संतों, समाज-सुधारकों, कवियों, विचारकों, महात्माओं, शहीदों एवं नेताओं के नाम का उल्लेख एवं उनकी उपेक्षा किये जाने के सम्बन्ध में, 3-बी0एड0, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल शिक्षा में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क शिक्षण संस्थाओं द्वारा लिये जाने के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में, 4-सी0पी0एम0टी0 की सीटें बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में, 5-वित्तविहीन जूनियर हाई स्कूलों, हाई स्कूलों और इण्टरमीडिएट कालेजों को अनुदान सूची पर लिये जाने के सम्बन्ध में, 6-कुशीनगर जनपद में पडरौना डिपो की जर्जर बसों को परिवर्तित कर नई बसें चलाई जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		7-कुशीनगर जिले में पी0जी0आई0 की ब्रांच खोले जाने के सम्बन्ध में,
		8-कुशीनगर जिले के समस्त पी0एच0सी0 और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को डाक्टरों, दवाओं और आवश्यक उपकरणों को प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में,
		9-कुशीनगर जिले के फाजिलनगर विधान सभा के ग्राम रहसू जनूबी पट्टी में पुरैना घाट पुल के निर्माण के सम्बन्ध में,
		10-कुशीनगर के फाजिलनगर विधान सभा क्षेत्र की चाफ शाखा की नहरों और माइनरों की सफाई कराकर हेड से टेल तक पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में,
		11-कृषि उत्पादित अन्न के लाभकारी मूल्य निर्धारित किये जाने और सरकार द्वारा खरीद किये जाने के सम्बन्ध में,
		12-कारखानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं व कृषि उत्पादित वस्तुओं के संतुलन मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में,
		13-कुशीनगर जिले के फाजिलनगर विधान सभा की जनपद को जोड़ने वाली मुख्य सड़कों के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,
		14-प्रदेश में शिक्षा की एक समान नीति निर्धारित करने व संचालित किये जाने के सम्बन्ध में,
		15-गन्ना मूल्य 300 रुपये प्रति कुन्तल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में,
		16-ग्रामीण अंचल में विद्युत की आपूर्ति 18 घण्टे सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,
		17-कृषकों को कृषि कार्य हेतु मुफ्त बिजली दिये जाने के सम्बन्ध में,
		18-शिक्षा को निःशुल्क, अनिवार्य और समान किये जाने के सम्बन्ध में,
		19-पेयजल प्रदानार्थ बिना भेदभाव के सबको शुद्ध जल सुलभ कराये जाने हेतु इण्डिया मार्क हैण्डपम्प लगवाकर वाटर सप्लाई के सम्बन्ध में,
		20-कृषि हेतु प्रचुर मात्रा में सरकारी नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में,
		21-बेकारों को काम या बेकारी भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में, तथा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		22-कुशीनगर जनपद में फाजिलनगर को टाउन एरिया बनाये जाने के सम्बन्ध में।"
61	श्री अरविन्द सिंह यादव (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-विधान सभा क्षेत्र छिबरामऊ जनपद कन्नौज स्थित विशुनगढ़ से धीरपुर नगरिया सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में; 2-जी0टी0 रोड प्रेमपुर मटेनहा मार्ग से नगला भज्जा तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में, 3-छिबरामऊ कण्डौली मार्ग से महुआ नगला तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 4-जी0 टी0 रोड सिकन्दरपुर से कसाबा मार्ग का शेष भाग निर्माण कराने के सम्बन्ध में, 5-ताल ग्राम छिबरामऊ मार्ग से बलदे नगला तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में, 6-छिबरामऊ ताल ग्राम मार्ग से नया नगला तक सड़क निर्माण कार्य के सम्बन्ध में, 7-छिबरामऊ से मुख्य मार्ग से पुलोरा-मुरली नगला तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में, 8-छिबरामऊ विधान सभा क्षेत्र में समयबद्ध तरीके से बिजली दिये जाने के सम्बन्ध में, 9-छिबरामऊ विधान सभा क्षेत्र स्थित नहरों की सफाई कराने एवं टेल तक पानी दिये जाने के सम्बन्ध में, 10-जनपद कन्नौज में कानून व्यवस्था ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में, 11-उत्तर प्रदेश में प्रजापति, निषाद, राजभर, कहार, कश्यप आदि पिछड़े वर्ग की 16 जातियों को सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति की भांति सुविधायें दिये जाने के सम्बन्ध में, 12-जनपद कन्नौज में धान क्रय केन्द्र पर्याप्त मात्रा में न होने के सम्बन्ध में, 13-प्रदेश में हो रही हत्या, अपहरण, डकैती, लूट व बलात्कार में हो रही बेतहासा वृद्धि को रोकने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		14-किसानों को मुफ्त सिंचाई, बिजली उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 15-पहली कक्षा से लेकर एम0ए0 तक निःशुल्क शिक्षा दिये जाने के सम्बन्ध में, तथा 16-समाज के दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु पड़ोसी विद्यालय की अनिवार्यता सम्बन्धी योजना लागू करने के सम्बन्ध में।"
62	श्री श्याम किशोर शुक्ल (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-वर्ष 2006 में जारी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं सितम्बर, 2009 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सामान्य वर्ग के निर्धन छात्रों को भी अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की भांति पूरी फीस माफ करके सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में, 2-लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के जिन मोहल्लों में सीवर लाइन नहीं है वहां के नागरिकों को सीवेज कर से मुक्त करना तथा पूरे विधान सभा क्षेत्र में सीवर व पेयजल लाइन डाले जाने के सम्बन्ध में, 3-लखनऊ के समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था करना तथा जो विद्यालय शिक्षक न होने के कारण काफी समय से बन्द हैं वहां प्राथमिकता पर तत्काल शिक्षकों की तैनाती करके उनमें बच्चों की पढ़ाई की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में, 4-गिरते भूमि जल स्तर एवं भीषण पेयजल समस्या को देखते हुए पहले की भांति विधायकों को क्षेत्रों हेतु प्रतिवर्ष कम से कम 150 इण्डिया मार्का हैण्ड- पम्प का कोटा दिये जाने के सम्बन्ध में, 5-लखनऊ नगर निगम की दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण समस्त सरकारी/अर्द्ध सरकारी/स्वशासी निकायों आदि के भवनों पर बकाया की शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करना। नगर निगम की सीमा में आने वाले सभी छूटी हुई बस्तियों और भवनों को गृह कर व जल कर के दायरे में लाना विगत कई वर्षों से कम गृह कर एवं जल कर देने वाले बहुमंजिला एवं

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		व्यवसायिक भवनों का प्रभावी और सही मूल्यांकन कर वास्तविक गृह कर तथा जल कर की वसूली किया जाना। नगर निगम को हो रही प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की आर्थिक क्षति को इन उपायों द्वारा रोक कर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करके कर वृद्धि के विचार को समाप्त करना तथा ईमानदार एवं नियमित निम्न व मध्यम वर्ग के करदाताओं को कर के बोझ से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में, 6-लखनऊ नगर के सभी मोहल्लों की नालियों, गलियों व सड़कों का प्राथमिकता पर गुणवत्ता परक निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 7-वर्षा ऋतु से पूर्व सभी नालों की प्रभावी ढंग से सफाई सुनिश्चित कराया जाना। सभी नालों की रिटेनिंग वाल व उन्हें कवर किये जाने के सम्बन्ध में, 8-विद्युत दरों को युक्ति संगत बनाने के लिये उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन के आर्थिक व अन्य संसाधनों का प्रभावी परीक्षण किया जाना तथा उपभोक्ताओं को मंहगी बिजली के आर्थिक बोझ से बचाये जाने के सम्बन्ध में, 9-नियमित एवं सुचारु विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत भार के अनुरूप पर्याप्त क्षमता के गुणवत्ता परक ट्रांसफार्मर व अन्य उपकरण लगाया जाना तथा विद्युत आपूर्ति में व्यवधान दूर करने हेतु समयबद्ध कार्य की प्रक्रिया निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में, तथा 10-नवनिर्मित जिला कारागार व आदर्श कारागार में घटिया एवं अधोमानक निर्माण कार्य के फलस्वरूप कई बार इसकी दीवारों व गेट ढहने, इसमें बंदियों व कर्मचारियों को समस्त मूलभूत सुविधाओं और कारागार के किनारे बह रही इन्दिरा नहर के पानी के सीपेज एवं जल भराव की प्रभावी जांच करा कर बचाव के प्रभावी उपाय किये जाने के सम्बन्ध में।''
63	श्री सलिल विश्नोई (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज, कानपुर में नवनिर्मित 50 बेड के आई0सी0यू0 को प्रारम्भ कराने का कोई उल्लेख न किये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश संसदीय अध्ययन

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2-कानपुर महानगर की यातायात व्यवस्था के सुधार हेतु कोई योजना प्रस्तावित न किये जाने के सम्बन्ध में,
		3-कानपुर महानगर में कल्याणपुर, गुरूदेव सिनेमा, जरीबचौकी, दादानगर तथा खपरा मोहाल रेलवे क्रासिंग के ऊपर ओवर ब्रिज बनवाये जाने की घोषणा न किये जाने के सम्बन्ध में,
		4-कानपुर महानगर में हो रही अंधाधुंध विद्युत कटौती को रोकने हेतु कोई कार्ययोजना प्रस्तावित न किये जाने के सम्बन्ध में,
		5-कानपुर महानगर की ध्वस्त सीवर व्यवस्था को ठीक कराने सम्बन्धी किसी योजना की घोषणा न किये जाने के सम्बन्ध में,
		6-कानपुर महानगर के नानाराव पार्क में अमर शहीद नाना साहब पेशवा की मूर्ति लगवाने की घोषणा न किये जाने के सम्बन्ध में,
		7-प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को छठे वेतनमान से उत्पन्न वेतन विसंगतियां दूर किये जाने के सम्बन्ध में,
		8-प्रदेश के व्यापारियों की सहूलियत तथा इस वैश्विक मंदी के दौर में उद्योग एवं व्यापार को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु वैट के सरलीकरण तथा टैक्स की दरों में कमी की घोषणा न किये जाने के सम्बन्ध में,
		9-प्रदेश की विशेषकर कानपुर महानगर में बढ़ रहे अपराधों पर नियंत्रण करने के सम्बन्ध में,
		10-कानपुर महानगर की टूटी-फूटी सड़कों के सुधार के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किये गये न ही भविष्य में सुधारे जाने की किसी योजना की घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में,
		11-शहरी क्षेत्र के विधान सभा क्षेत्रों में विधायक कोटे के अन्तर्गत सबमर्सिबल पम्प तथा हैण्डपम्पों की अवस्थापना के सम्बन्ध में कोई घोषणा न किये जाने के सम्बन्ध में, तथा
		12-कानपुर महानगर में पतित पावनी गंगा नदी में हो रहे प्रदूषण को राकेने सम्बन्धी किसी कार्य योजना का उल्लेख न किये जाने के सम्बन्ध में।"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
64	श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-प्रदेश में आधा हेक्टेयर से कम कृषि भूमि वाले कृषकों को बी0पी0एल0 परिवारों की सूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में, 2-प्रदेश में 2 एकड़ तक कृषि भूमि वाले कृषकों को मुफ्त निजी नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में, 3-जनपद बुलन्दशहर में अगौता शुगर फैक्टरी पर कृषकों का करीब 18 करोड़ रुपया अवशेष गन्ना भुगतान मय ब्याज के कराये जाने के सम्बन्ध में, 4-बुलन्दशहर नगर पालिका परिषद् के अन्तर्गत आबादी के बीचोबीच रोड़वेज बस अड्डे के पीछे टूटे-फूटे नाले का नव निर्माण व बांध का निर्माण कराने ? शुगर मिल से लेकर काली नदी के पुल तक नाले की सफाई कराने तथा भूतेश्वर मन्दिर से शमशान घाट के रास्ते को पक्का कराने के सम्बन्ध में, 5-मेरे विधान सभा क्षेत्र अगौता जनपद बुलन्दशहर में पवसरा इण्टर कालेज से निमचाना होते हुए राजगढ़ी के अधूरे पड़े रास्ते को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में, 6-बुलन्दशहर नगरपालिका परिषद् के अन्तर्गत प्रकाश व्यवस्था ठीक कराने, देवी मन्दिर साठा में आशा डेरी व ट्रान्सफार्मर के निकट अग्रवाल मिष्ठान भण्डार, आशा डेरी, काका बिल्डिंग, बाजाजी कान्फेंसरी, देवीपुरा बाल्मीकि बस्ती में भूतेश्वर मन्दिर के निकट शमशान घाट पर सोडियम लाइट लगाने के सम्बन्ध में, 7-विधान सभा क्षेत्र अगौता जनपद बुलन्दशहर के अम्बेडकर गांव सैदपुर के मजरे तेजगढ़ी व नीवा पाटी में सी0सी0 रोड बनवाने व बिजली की व्यवस्था ठीक कराने के सम्बन्ध में, 8-प्रदेश में डी0ए0पी0 व यूरिया खाद समय पर तथा प्रचुर मात्रा में कृषकों को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में, 9-प्रदेश के एन0सी0आर0 क्षेत्र जनपद बुलन्दशहर में बिजली की व्यवस्था नोएडा की तर्ज पर दिये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		10-बुलन्दशहर नगर पालिका परिषद् के अन्तर्गत बिजली के पुराने जर्जर तारों को बदलवाने के सम्बन्ध में, तथा 11-बुलन्दशहर नुमाइश मैदान के पास रेलवे फाटक पर व स्टेशन के पास विकास भवन के निकट ओवर फ्लाइयों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में ।"
65	श्री जोखू लाल यादव (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-प्रदेश में ठण्ड से मरने वाले आश्रितों के परिवार के भरण-पोषण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में, 2-प्रदेश के किसानों को यूरिया खाद की उपलब्ध सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में, 3-प्रदेश में बढ़ती हुई मंहगाई के रोकथाम हेतु प्रभावी नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में, 4-प्रदेश के किसानों को 18 घण्टा लगातार बिजली मुहैया कराये जाने के सम्बन्ध में, 5-प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने या बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में, 6-प्रदेश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को देखते हुए उस पर अंकुश लगाये जाने हेतु कोई ठोस रणनीति बनाये जाने के सम्बन्ध में, 7-प्रदेश में दोहरी शिक्षा प्रणाली समाप्त करके समान शिक्षा नीति लागू किये जाने के सम्बन्ध में, 8-प्रदेश के किसानों को सस्ते दर पर खाद, कीटनाशक दवायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 9-प्रदेश के किसानों को उनकी फसल का वाजिब कीमत/लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के सम्बन्ध में, 10-विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर जनपद इलाहाबाद के शारदा सहायक खण्ड-39 इलाहाबाद द्वारा रसुलहा माइनर में अधिग्रहीत की गई जमीन का मुआवजा गांव बरसता खुर्द, उगापुर, कटेहरी आदि गांवों के किसानों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		11-शारदा सहायक खण्ड-39 इलाहाबाद द्वारा विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर जनपद इलाहाबाद के वारी राजबहा की खुदाई में अधिग्रहीत की गई गांव मोहीदउद्दीनपुर तहसील हण्डिया के किसानों की भूमि का मुआवजा अविलम्ब दिलाये जाने के सम्बन्ध में, 12-विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर जनपद इलाहाबाद के ग्राम वृन्दावन/बेलाखास, मइलवन आदि गांवों के लोगों को खारे पानी से निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में, 13-विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर जनपद इलाहाबाद के निम्नलिखित सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में :-1-प्रतापपुर-बीबीपुर मार्ग सेबसना, जमुआ, कबुला, बसनेहटा, सम्पर्क मार्ग, 2-सिठौली से मलेटुआ सम्पर्क मार्ग, 3-फूलपुर-इफ्को गेट से बीरकाजी होते हुए महोलिया जाने वाले सम्पर्क मार्ग, 14-प्रदेश की निर्धन एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की गम्भीर बीमारी के इलाज निःशुल्क कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा 15-प्रदेश के छात्रों को उच्च शिक्षा निःशुल्क प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में।"
66	श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-डा0 फखरुद्दीन अली अहमद महमूदाबाद सीतापुर के भवनहीन विद्यालय को भवनयुक्त बनाये जाने के सम्बन्ध में, 2-शारदा सहायक नहर के द्वारा महमूदाबाद सीतापुर के फैलायी जा रही सीपेज के निदान के सम्बन्ध में, 3-तहसील महमूदाबाद, सीतापुर में चल रहे फायर ब्रिगेड केन्द्र के भवन निर्माण के सम्बन्ध में, 4-महमूदाबाद, सीतापुर में मत्स्य विभाग की हैचरी जो हटा दी गई है, को पुनः स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में, 5-महमूदाबाद, सीतापुर में उद्यान एवं कृषि विभाग की पौधशाला/कृषि फार्म को पुनः स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में, 6-महमूदाबाद, सीतापुर में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ से निजात बांध बनाकर दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		7-नगर क्षेत्र महमूदाबाद, सीतापुर में एक नया पानी का ओवर हेड टैंक/ट्यूबवेल बनाये जाने के सम्बन्ध में, 8-तहसील महमूदाबाद, सीतापुर में बन्द पड़ी कताई मिल को चलाये जाने के सम्बन्ध में, 9-जनपद सीतापुर में बाढ़ में चलाई गई नावों के नाविकों को बकाये राशि का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में, 10-सीतापुर जनपद को विद्युत कटौती से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा 11-जनपद सीतापुर में कानून व्यवस्था को ठीक करने एवं बढ़ते हुए अपराधों पर अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में।"
67	श्री शब्बीर अहमद (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-जनपद बहराइच में खाद्यान्न की कमी वाले सूखा एवं दैवीय आपदा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण खाद्यान्न बैंकों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में, 2-जनपद बहराइच के शहर बहराइच में नये आई0टी0 इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में, 3-जनपद बहराइच के कस्बा नानपारा में एक पालीटेक्निक तथा एक आई0टी0आई0 की स्थापना के सम्बन्ध में, 4-जनपद बहराइच में उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत भाषाओं को बढ़ावा देने हेतु उ0प्र0 उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय व संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में, 5-जनपद बहराइच के मिहिनपुरवा के सुजौली ग्राम में गन्ना मिल की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में, 6-जनपद बहराइच के रुपइडिहा व बाबागंज को टाउन एरिया घोषित किये जाने के सम्बन्ध में, 7-जनपद बहराइच में घाघरा व सरजू के कटान से विस्थापित हुए लोगों को पुनर्वासित करने के लिये जमीन व आवास उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में व कटान से पीड़ित व्यक्तियों को रोजगार की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		8-घाघरा व सरजू बाढ़ कटान व बाढ़ क्षेत्र के सभी गांव ऊंची पटान करवा कर बाढ़ से प्रभावित लोगों की सुरक्षा किये जाने, किसानगंज, अटोडर, घूरदेवी के स्टैण्डों की तत्काल व्यवस्था की जाय, आदमपुर, रेवली व बेलहा बेहरौली, जालिमनगर, हल्ला पुरवा, शिवपुर तटबन्धों पर बाढ़ सुरक्षा प्लेट फार्मों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		9-जनपद बहराइच के बाढ़ एरिया बौंडी में जूट मिल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		10-जनपद बहराइच के राजीव चौराहा पर आई0टी0आई0 कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में,
		11-चलहारी घाट पर बन रहे सेतु का नामकरण चलहारी नरेश शहीद बलभद्र सिंह के नाम से कराये जाने के सम्बन्ध में एवं इनकी मूर्ति लगवाये जाने के सम्बन्ध में,
		12-जनपद बहराइच के तहसील महसी में एक राजकीय महाविद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		13-जनपद बहराइच के बहराइच शहर में छावनी व दरगाह सरीफ जाने वाले मेन सड़क रेलवे क्रासिंग पर एक ओवर ब्रिज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,
		14-जनपद बहराइच के ग्राम उर्रा में एक इण्टर कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,
		15-जनपद बहराइच के मिहिनपुरवा में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,
		16-जनपद बहराइच सरैया गांव सभा, तकिया घाट पर एक पुल की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,
		17-जनपद बहराइच के बलहा ब्लाक में खैरी गांव पंचायत में टेढ़े नाले व राय बोझा गांव के परसन नाथ मन्दिर के सामने एक-एक पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		18-जनपद बहराइच के वन क्षेत्रों में ग्रामीण की सुरक्षा एवं किसानों की फसलों को बचाने के लिये वन ग्रामों की बैरीकेटिंग किये जाने के सम्बन्ध में,
		19-जनपद बहराइच के ब्लाक मिहिनपुरवा के ग्राम मैटिही में बीस शैय्याओं का एक अस्पताल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		20-जनपद बहराइच के ब्लाक पयागपुर को तहसील घोषित किये जाने के सम्बन्ध में, 21-जनपद श्रावस्ती के जमुनहा ब्लाक को तहसील घोषित किये जाने के सम्बन्ध में, 22-जनपद बहराइच के नवाबगंज में बालिका डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में, 23-जनपद बहराइच के ब्लाक रिसिया के शंकरपुर चौराहा पर एक बालिका इण्टर कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में, 24-जनपद बहराइच के ब्लाक मिहिनपुरवा के करमोहना व लौकाही में एक-एक इण्टर कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में, 25-मिहिनपुरवा को तहसील घोषित किये जाने के सम्बन्ध में, तथा 26-जनपद बहराइच के मिहिनपुरवा को टाउन एरिया घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।"
68	श्री सुरेश्वर सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-महसी विधान सभा क्षेत्र में उन्नत किस्म के खाद, बीज उपलब्ध कराने एवं सेन्टर खोले जाने के सम्बन्ध में, 2-महसी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत महसी तहसील स्थापति है, किन्तु तहसील स्तर पर कोतवाली एवं फायर ब्रिगेड की सुविधा नहीं है, की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 3-बहराइच भारत-नेपाल सीमा पर स्थित है जिससे आये दिन माओवादियों का खतरा, हथियार, नकली नोट एवं ड्रग्स आदि की तस्करी रोकने हेतु अत्याधुनिक हथियार, वाहन, शक्तिशाली वायरलेस सेट, पुलिस को उपलब्ध कराये जाने एवं पुलिस बल बढ़ाने के सम्बन्ध में, 4-महसी विधान सभा क्षेत्र के सभी प्राथमिक विद्यालय, जूनियर विद्यालयों में इण्डिया मार्का हैण्डपम्प, विद्युतीकरण, बाउण्ड्री एवं शुलभ शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		5-बहराइच में सम्पन्न हो रहे तहसील दिवस एवं थाना दिवस में आये दिन फरियादियों की समस्याओं का कितने प्रतिशत निराकरण हुआ, हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त कर सार्थक समीक्षा कराने के सम्बन्ध में,
		6-महसी विधान सभा में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े महसी विकास खण्ड में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में,
		7-प्राथमिक विद्यालय एवं जूनियर विद्यालय में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिये प्राथमिकता के आधार पर शिक्षकों की भर्ती करके दूर ग्रामीण अंचलों के बन्द विद्यालयों में नियुक्त करके शिक्षण कार्य संचालित किये जाने के सम्बन्ध में,
		8-महसी विधान सभा के पिछड़े विकास खण्ड महसी में राजकीय इण्टर कालेज खोलने के सम्बन्ध में,
		9-महसी विधान सभा में पालीटेक्निक की स्थापना के सम्बन्ध में,
		10-महसी विधान सभा क्षेत्र में अपनी मिट्टी पहचानो कार्यक्रम के अन्तर्गत मृदा परीक्षण हेतु लैब स्थापित कराने के सम्बन्ध में,
		11-किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य देने के सम्बन्ध में,
		12-तकनीकी प्रसार को स्थायित्व प्रदान करने के क्रम में पिछड़े विकास खण्ड महसी में किसान महाविद्यालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,
		13-गुणवत्ता युक्त दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये "बल्ब मिल्क वूलर्स" की स्थापना महसी में करने के सम्बन्ध में,
		14-जिला योजना के प्रस्तावों को राजनैतिक आधार पर स्वीकृत न करने के सम्बन्ध में,
		15-सरयू नहर परियोजना के प्रथम चरण के कार्य को पूर्ण करने हेतु प्राथमिकताएं तय करने, लाइनिंग का कार्य पूर्ण करने, आवश्यकतानुरूप पुलों का निर्माण, जो शाखायें चल रही हैं उन्हें पूर्ण क्षमता से चलाने के लिये अधूरे कार्य को पूर्ण करना, बाढ़ एवं जल भराव की विभीषिका से बचने के लिये छोटी-बड़ी ड्रेनों की खोदाई एवं सफाई करने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		16-महसी विधान सभा क्षेत्र के सभी कृषकों को निःशुल्क बोरिंग सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में,
		17-महसी विधान सभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति कम से कम 18 घण्टे किये जाने के सम्बन्ध में,
		18-महसी विधान सभा की सभी ई0एस0सी0 पर लैब एवं एक्सरे मशीन लगाना, डाक्टर, एवं अन्य स्टाफ की मानक के अनुरूप नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में,
		19-इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प से महसी विधान सभा क्षेत्र के सभी ग्रामों को संतृप्त करने, साथ ही पूर्व की भांति सभी माननीय सदस्यों की संस्तुति पर हैण्डपम्प लगवाने का अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में,
		20-महसी विधान सभा के सभी अम्बेडकर गांवों के मूल ग्राम एवं उससे सम्बन्धित सभी मजरों को संतृप्त करते हुए सभी जगह विद्युतीकरण, आवास, सी0सी0 रोड, कवर्ड नाली, पक्की नाली, शुद्ध जल हेतु इण्डिया मार्का हैण्डपम्प एवं सुलभ शौचालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		21-महसी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जितनी भी सड़कें बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गई हैं उन मार्गों को सी0सी0 करने के सम्बन्ध में,
		22-गड़वा से रमपुरवा मार्ग जो जगह-जगह अधूरा है, को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		23-मंगलपुरवा से बहऊरिया का लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,
		24-शिवपुर में बौकी घाट पर पीपे का पुल तत्काल चालू किये जाने के सम्बन्ध में,
		25-जनपद बाराबंकी से घाघरा घाट बहराइच होते हुए नानपारा रुपईडीहा तक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण तत्काल पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		26-महसी में बहराइच से महसी, भगवानपुर राजी चौराहा, बासगढ़ी, बेहड़ा, इमामगंज में रोडवेज बसों (सर्वजन हिताय) का संचालन किये जाने के सम्बन्ध में,
		27-महसी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बासगढ़ी के पूज्यनीय स्थल जटाधारी बाबा के स्थान का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		28-महसी तहसील परिसर में अवर न्यायालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में, 29-बहराइच जनपद में कटान से प्रभावित किसानों को समुचित मुआवजा दिये जाने एवं उनके पुनर्वास के सम्बन्ध में, 30-जनपद बहराइच में घाघरा एवं सरयू की कटान से बेलहा-बहरौली बांध व अन्य जगह के विस्थापितों को शासन की ओर से भूमि एवं आवास उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 31-बहराइच से चहलारी घाट होते हुए सीतापुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राथमिकता के आधार पर शुरू कराने के सम्बन्ध में, 32-मंगलपुरवा से बहटुरिया ग्राम तक लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में, 33-थैलिया से बफैना सम्पर्क मार्ग ठीक कराने के सम्बन्ध में, 34-चंदपइया से सिकन्दरपुर होते हुए औराही तक सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य सी0सी0 एवं पुल काजवे निर्माण कराने के सम्बन्ध में, 35-औराही से बग्गर तक लेपन कार्य/सी0सी0 रोड बनवाने के सम्बन्ध में, 36-पूरे हिन्दू सिंह बांध से गरेठी गुरुदत्त सिंह तक लेपन कार्य/सी0सी0 रोड/पुल काजवे के निर्माण के सम्बन्ध में, तथा 37-बहराइच जनपद के बाढ़ग्रस्त एवं दैवी आपदा से ग्रसित किसानों को फ्री-बोरिंग उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।"

पी0एस0यू0पी0-एल0 277 विधान सभा (550)-29-3-2010-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।